मनोहर उद्गार
मनोहर जोशी के चुने हुए भाषण
लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मनोहर उद्गार

मनोहर जोशी
के चुने हुए भाषण

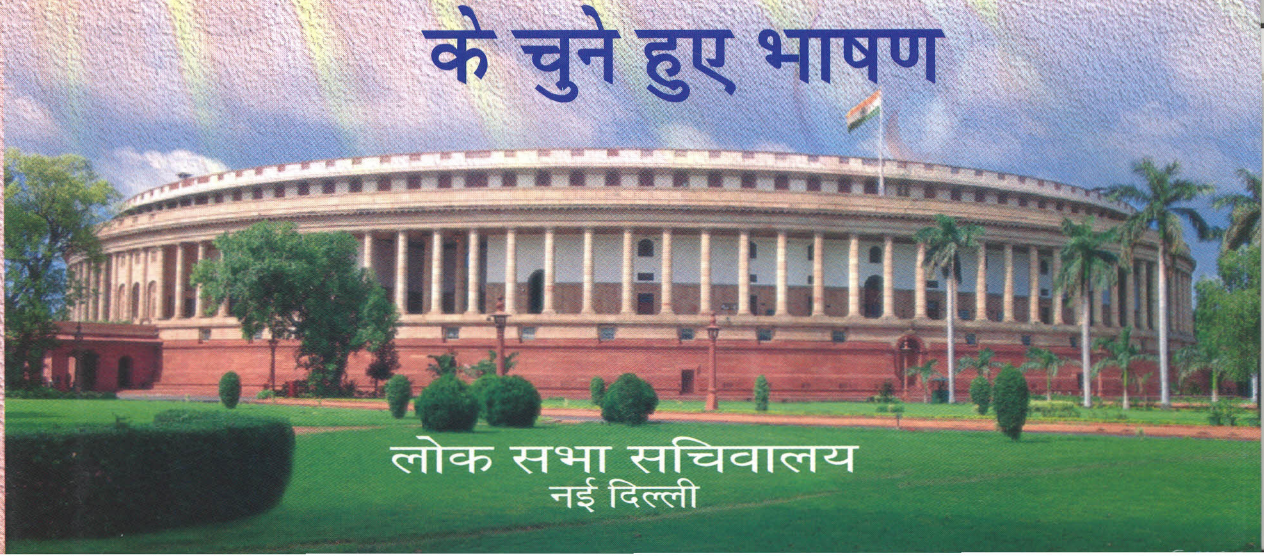

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

लोकतंत्र

लोकतंत्र में सदैव सर्वसम्मति नहीं होती। इसमें मतभेदों को चर्चा के जरिए सुलझाना होता है और एक वैकल्पिक दृष्टिकोण को समझने की क्षमता विकसित करनी होती है, यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि इस दृष्टिकोण से सहमत ही हों।

लोकतंत्र के गुण, जैसे—सहिष्णुता, परस्पर सामंजस्य, वाद-विवाद, चर्चा, विचार-विमर्श तथा सर्वसम्मति हमारी सभ्यता और संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहे हैं। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है और हमारा देश इसके साथ विकसित हुआ है।

संसद द्वारा पारित सभी कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों ने हमारे लोकतंत्र का सामाजिक और राजनीतिक आधार विस्तृत किया है और अधिकाधिक संख्या में लोग देश की राजनीतिक प्रक्रियाओं में सहभागी होने लगे हैं। स्वाभाविक है कि इससे व्यवस्था पर कुछ तनाव और दबाव भी पड़ा है। हमारी संसद कठिन परिस्थितियों में भी अविचल बनी रही है और उसने राष्ट्र का वातावरण सौमनस्यपूर्ण रखकर, एक समाधानकारी व समस्या निवारक संस्था के रूप में सफलतापूर्वक कार्य किया है।

विधानमंडल में अनुशासन और शालीनता की अत्यावश्यकता

हमें ऐसा आचरण करना चाहिए ताकि राष्ट्र तक यह संदेश जाए कि राष्ट्र के समक्ष उपस्थित समस्याओं पर संसद में पूरी प्रतिबद्धता और सरोकार के साथ विचार हो रहा है। इसके लिए सभा में शांतिपूर्ण वातावरण का होना अत्यावश्यक है। सभा की कार्यवाही सुचारु ढंग से चलती रहे इसके लिए हमें प्रक्रिया संबंधी नियमों का सम्मान करना चाहिए। विरोध दर्ज करने के लिए सभा की पूरी कार्यवाही को ही बाधित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे जनता में यह गलत संदेश जाता है कि जनसामान्य तो इतनी परेशानियों में घिरा है और उसके प्रतिनिधि संसद का कीमती समय नष्ट कर रहे हैं!

प्रेस की भूमिका

प्रेस दैनिक जीवन में अपनी पहुंच, प्रभाव और भागीदारी द्वारा समाज के प्रति और विशेषकर राजनीति तथा राजनीतिक संस्थाओं के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें संदेह नहीं कि जागरूक समाज का लोकतंत्र को ज्ञानवान बनाने में बड़ा योगदान होता है... पत्रकार अभिमत बनाने और अभिमत बदल देने वाले होते हैं। वस्तुत: वे राजनीतिक शिक्षक होते हैं और उनका दायित्व जनता की राजनीतिक सजगता का स्तर ऊंचा उठाना होता है।

विकास के लक्ष्य

मात्र आर्थिक वृद्धि ही राष्ट्रीय योजना का उद्देश्य नहीं हो सकता। विकास के लक्ष्य केवल सकल घरेलू उत्पादन या प्रति व्यक्ति आय के रूप में ही परिभाषित नहीं होते वरन् मानव कल्याण की वृद्धि और व्यक्ति के विकास के रूप में भी परिभाषित होने चाहिए।

मनोहर उद्‌गार

मनोहर जोशी के चुने हुए भाषण

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
2004

1–लार्डिस (पार्लि.)/2004

© **लोक सभा सचिवालय, 2004**

मूल्य: 800/- रुपये

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 382 के अन्तर्गत प्रकाशित तथा जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।

आमुख

लोक सभा अध्यक्ष सभा में अधिक बार नहीं बोलता है; उसकी भूमिका सभा में सदस्यों के बोलने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में अधिक होती है। चूंकि, वह सभा की सामूहिक वाणी का मूर्त रूप होता है इसलिए सभा के भीतर और बाहर उसके विचारों का बहुत महत्व होता है। सभा के भीतर उसके सरोकार और विचार उसकी टिप्पणियों, विनिर्णयों, निर्णयों और निदेशों के माध्यम से व्यक्त होते हैं। सभा के बाहर वह सभा का प्रतिनिधित्व करता है और विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सभा की आवाज होता है।

श्री जी.एम.सी. बालयोगी के 3 मार्च 2002 को हुए दुखद निधन के बाद अध्यक्ष का पद अचानक रिक्त हो जाने पर श्री मनोहर गजानन जोशी इस पद के लिए लोक सभा द्वारा सर्वसम्मति से चुने गए। श्री जोशी 10 मई 2002 को अध्यक्ष निर्वाचित हुए और तभी से सभा में उनके कार्यसंचालन और विशिष्ट आचरण ने अध्यक्षपीठ को गरिमा और शालीनता प्रदान की है। अध्यक्षपीठ से दिए गए उनके विद्वतापूर्ण विनिर्णयों, न्यायोचित निर्णयों और सूचनाप्रद निदेशों ने राष्ट्र के सर्वोच्च विधायी निकाय में संसदीय अनुशासन और राजनीतिक चर्चा को समृद्ध बनाया है।

संसद के बाहर, श्री मनोहर जोशी ने देश-विदेश में बड़ी संख्या में समारोहों की शोभा बढ़ाई है। देश की उच्चतम विधायी संस्था की आवाज होने के नाते वह विभिन्न अंतर-संसदीय मंचों पर संसद, इसके सदस्यों और पूरे राष्ट्र के विचारों को प्रस्तुत करते हैं। वह बहुत से सार्वजनिक समारोहों की भी शोभा बढ़ाते हैं और वहां गैर-राजनीतिक और निष्पक्ष ढंग से भाषण देते हैं। अपने निर्वाचन क्षेत्र के सतर्क प्रतिनिधि के रूप में श्री जोशी सदैव अपने निर्वाचकों के सतत सम्पर्क में रहते हैं और उन्होंने वहां अनेक समारोहों में जनकल्याण की बातों को रेखांकित किया है। महाराष्ट्र राज्य और महानगर मुंबई के विकास संबंधी मुद्दे भी उनके लिए अत्यधिक महत्व के मुद्दे रहे हैं। चार दशक से भी अधिक के अपने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने विभिन्न विधायी और प्रतिनिधि मंचों पर चाहे वह बृहन्मुम्बई नगर निगम में हों, महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद् के सदस्य के रूप में हों, महाराष्ट्र विधान सभा में विपक्ष के नेता के रूप में हों या महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के रूप में—इन मसलों को उठाया है। राष्ट्रीय स्तर पर, लोक सभा अध्यक्ष का उच्च पद ग्रहण करने से पहले, वह केन्द्र में भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री रहे। इस प्रकार, अपने प्रतिष्ठापूर्ण सार्वजनिक जीवन में उन्हें विभिन्न विषयों पर अपने दूरदर्शी विचारों को सार्थक तरीके से व्यक्त करने के अवसर प्राप्त हुए।

इस प्रकाशन में श्री मनोहर जोशी द्वारा उनके चार दशक से भी अधिक के सार्वजनिक जीवन में दिए गए भाषणों का संकलन है। यद्यपि, इस संकलन में श्री जोशी द्वारा दिए गए सभी भाषण सम्मिलित नहीं किए गए हैं, परन्तु कुछ ऐसे चुने हुए भाषण शामिल किए गए हैं, जिनसे पाठकों को

हमारे राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न आयामों के बारे में श्री जोशी की गहरी समझ की जानकारी प्राप्त होगी। इस पुस्तक के पहले भाग में श्री जोशी का जीवनवृत्त है जिसमें उनके सार्वजनिक जीवन की मुख्य बातों का उल्लेख है। भाग दो में लोक सभा अध्यक्ष बनने के बाद श्री जोशी द्वारा दिए गए भाषण सम्मिलित किए गए हैं। भाग तीन में अध्यक्षपीठ से दिए उनके महत्वपूर्ण विनिर्णय/निर्णय/निदेश समाहित हैं। भाग चार में केन्द्रीय भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री के रूप में दिए गए उनके भाषण हैं। भाग पांच में हमने महाराष्ट्र विधानमंडलों—विधान परिषद् के सदस्य के रूप में, विधान सभा में विपक्ष के नेता के रूप में और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के रूप में श्री जोशी द्वारा दिए गए भाषणों को रखा है। इस प्रकाशन में राष्ट्रीय जीवन में उनके यशस्वी कार्यकाल के कुछ चुनिंदा चित्र भी सम्मिलित किए गए हैं।

इस पुस्तक में प्रकाशित कुछ भाषण—विशेषत: महाराष्ट्र विधानमंडल में दिए गए भाषण—मूलत: मराठी में दिए गए थे। हम यह भी उल्लेख करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र विधानमंडल के प्रधान सचिव श्री विलास भागवत पाटिल से उन भाषणों के संकलन में और श्री पुरुषोत्तम ई. कादुरकर और श्री संजय रानाडे से उन भाषणों का मराठी से अंग्रेजी में अनुवाद करने में सतत सहयोग प्राप्त हुआ है। यहां यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अंग्रेजी अनुवाद में शायद शब्दश: अनुरूपता नहीं मिल पाएगी। इस पुस्तक में सम्मिलित सभी भाषणों को प्रकाशन के लिए आवश्यकतानुसार यथोचित रूप से सम्पादित किया गया है।

आशा है कि यह पुस्तक संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों, पीठासीन अधिकारियों, राजनीतिक शास्त्रियों, शोधार्थियों तथा अन्य रुचिवान पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

नई दिल्ली
मई, 2004

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

विषय-सूची

पृष्ठ

आमुख .... (i)

भाग एक

श्री मनोहर जोशी—जीवन-वृत्त 1

भाग दो

उनके विचार

एक. संसदीय और राजनीतिक मुद्दे

1. **संसद–लोकतांत्रिक वाद-विवाद का सर्वोच्च मंच**
   लोक सभा अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के पश्चात् सभा में (10 मई 2002) 17

2. **संसदीय लोकतंत्र को अधिक सार्थक बनाना**
   लोक सभा अध्यक्ष के रूप में एक वर्ष की अवधि पूरी करने के पश्चात् सभा में (9 मई 2003) 20

3. **भारत की संसद के पचास वर्ष–समय के साथ कदम-दर-कदम**
   भारत की संसद के पचास वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के अवसर पर, बालयोगी सभागार, संसदीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली (13 मई 2002) 22

4. **राज्य सभा–हमारे संसदीय लोकतंत्र का श्रेष्ठ निकाय**
   राज्य सभा के 200वें सत्र के अवसर पर आयोजित समारोह में (11 दिसम्बर 2003) 25

5. **भारतीय लोकतंत्र : अर्धरात्रि से सहस्त्राब्दि तक**
   "भारत का संसदीय लोकतंत्र का अनुभव" विषय पर भाषण देते हुए, ओरियंट इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नीकल यूनिवर्सिटी, लिस्बन, पुर्तगाल (26 मई 2003) 29

6. **विधानमंडलों में अनुशासन और शालीनता की अनिवार्यता**
   सातवें वार्षिक पूर्वोत्तर क्षेत्र राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर, गुवाहाटी, असम (10 जून 2003) 37

पृष्ठ

7. **लोकतंत्र की रक्षा–समय की मांग**
भारत की संसद के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में अंतरराष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन के उद्‌घाटन अवसर पर, नई दिल्ली (22 जनवरी 2003) 42

8. **विधानमंडल-लोकतंत्र के मंदिर**
14वीं राष्ट्रमंडल संसदीय विचारगोष्ठी के उद्‌घाटन अवसर पर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (22 अक्तूबर 2002) 47

9. **संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करना**
भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 65वें सम्मेलन के उद्‌घाटन अवसर पर, बंगलौर (20 जून 2002) 52

10. **लोकतंत्र के समक्ष उत्पन्न खतरों के विरुद्ध एकजुट होना**
भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 66वें सम्मेलन के अवसर पर, मुम्बई (4 फरवरी 2003) 65

11. **संसदीय लोकतंत्र—संजोने हेतु एक समृद्ध विरासत**
संसद सदस्यों को दिए गए रात्रि भोज के अवसर पर, नई दिल्ली (4 मार्च 2003) 78

12. **प्राक्कलन समिति–जवाबदेही तंत्र को मजबूत बनाना**
संसद तथा राज्य विधानमंडलों की प्राक्कलन समितियों के सभापतियों के सम्मेलन के उद्‌घाटन अवसर पर, नई दिल्ली (14 दिसम्बर 2002) 82

13. **याचिका समिति–जनता और विधानमंडल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी**
संसद तथा राज्य विधानमंडलों की याचिका समितियों के सभापतियों के सम्मेलन के उद्‌घाटन अवसर पर, नई दिल्ली (16 नवम्बर 2002) 87

14. **संसद और मीडिया के बीच संतुलित संबंधों की अनिवार्यता**
मीडिया अध्ययन संस्थान, द्वारा उड़ीसा विधान सभा के सहयोग से ''प्रेस की स्वतंत्रता और सदस्यों के विशेषाधिकार'' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय विचारगोष्ठी के अवसर पर, भुवनेश्वर (30 नवम्बर 2002) 93

15. **सुशासन और विकास को बढ़ावा देने में विधायकों और प्रचार माध्यमों की भूमिका**
भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 66वें सम्मेलन के बाद ''भारतीय विधानमंडलों की स्वर्ण जयंती–सुशासन और विकास को बढ़ावा देने में विधायकों और प्रचार माध्यमों की भूमिका'' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में, मुंबई (6 फरवरी 2003) 100

पृष्ठ

16. **प्रेस—जनता और राजनैतिक नेतृत्व के बीच महत्वपूर्ण कड़ी**
हिन्दी दैनिक 'शिवसत्ता' द्वारा शिवसत्ता पुरस्कार प्रदान करने के अवसर पर "लोकतंत्र और पत्रकारिता" विषय पर बोलते हुए, नागपुर (1 अगस्त 2003) 110

17. **आतंकवाद—सभ्य समाज और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए खतरा**
भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 65वें सम्मेलन के पश्चात् "आतंकवाद—सभ्य समाज और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए खतरा" विषय पर आयोजित संगोष्ठी में, बंगलौर (22 जून 2002) 116

18. **राष्ट्र और लोकतंत्र के लिए शहीद**
भारत की संसद पर हुए आतंकवादी हमले की पहली बरसी पर, नई दिल्ली (13 दिसम्बर 2002) 122

दो. विकासात्मक संदर्श

19. **विकास हेतु वित्तपोषण**
"विकास हेतु वित्तपोषण" विषय पर अन्तर-ससंदीय संघ के विशेष सत्र के अवसर पर, जिनेवा (26 सितम्बर 2002) 127

20. **पर्यावरण संरक्षण का सामूहिक उत्तरदायित्व**
पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा "पर्यावरण संरक्षण का सामूहिक उत्तरदायित्व" विषय पर आयोजित राष्ट्रीय विचारगोष्ठी के उद्घाटन अवसर पर, नई दिल्ली (13 मार्च 2003) 129

21. **समृद्ध व सम्पन्न महाराष्ट्र का स्वप्न**
बृहन्महाराष्ट्र मंडल के व्यापार सम्मेलन के अवसर पर, न्यूयार्क (3 जुलाई 2003) 134

22. **खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से ग्रामीण पुनर्निर्माण**
खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आयोजित एक विशेष प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर, संसदीय सौध, नई दिल्ली (16 दिसम्बर 2002) 140

23. **वस्त्र उद्योग—देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला उद्योग**
इन्डो रामा पॉलिएस्टर विस्तार परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर, नागपुर (19 दिसम्बर 2002) 143

24. **बेकार प्लास्टिक से पेट्रोल तैयार करना—एक अभिनव प्रौद्योगिकी**
बेकार प्लास्टिक से पेट्रोल तैयार करने की प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के अवसर पर, नई दिल्ली (7 मार्च 2003) 146

पृष्ठ

25. **महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण—राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारक**
''महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण: 21वीं सदी की परिकल्पना'' विषय पर सीआईआई के सहयोग से महिला अधिकारिता संबंधी संसदीय समिति द्वारा आयोजित विचारगोष्ठी के उद्घाटन अवसर पर, नई दिल्ली (1 मार्च 2003) 148

26. **महिलाओं के प्रति संवेदनशील शासन की आवश्यकता**
''शासन में महिलाएं'' विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर, नई दिल्ली (7 मार्च 2003) 152

27. **सिविल सेवा–भारतीय प्रशासनिक प्रणाली का फौलादी ढांचा**
भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय प्रणाली और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर, संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो, नई दिल्ली (10 मार्च 2003) 158

28. **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा**
'सिम्बियोसिस' संस्था द्वारा अफ्रीकी-एशियाई देशों के विद्यार्थियों को डिग्री/डिप्लोमा प्रदान करने के दीक्षांत-समारोह के अवसर पर, पुणे (24 जून 2003) 166

29. **एच.आई.वी./एड्स के विरुद्ध संघर्ष-सम्मिलित प्रयासों की आवश्यकता**
एच.आई.वी./एड्स के संबंध में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन अवसर पर, नई दिल्ली (26 जुलाई 2003) 170

30. **एड्स का मुकाबला करने के लिए वैश्विक एकजुटता को प्रोत्साहन**
एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम हेतु जानकारी के प्रसार के संबंध में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में दक्षिण-एशियाई और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के सांसदों के सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर, नई दिल्ली (1 अगस्त 2003) 175

31. **सबके लिए त्वरित और सार्थक न्याय सुनिश्चित करना**
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकार्ड एसोसिएशन द्वारा 'न्याय तक पहुंच' विषय पर आयोजित विचारगोष्ठी में विदाई भाषण, नई दिल्ली (27 अप्रैल 2003) 180

तीन. अंतर-संसदीय सहयोग

32. **भारत और क्रोएशिया-सहयोग की व्यापक संभावना**
क्रोएशिया की संसद के प्रेजिडेंट, श्री जलातको टोमसिक द्वारा भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में दिए गए भोज के अवसर पर, ज़ाग्रेब, क्रोएशिया (9 जुलाई 2002) 189

पृष्ठ

33. **भारत और सूरीनाम-घनिष्ठ संबंध**
सूरीनाम की राष्ट्रीय असेम्बली के अध्यक्ष महामहिम श्री रामदीन सरजू के नेतृत्व में आए सूरीनाम के संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में आयोजित भोज के अवसर पर, नई दिल्ली (9 अगस्त 2002) 191

34. **भारत और मैक्सिको—सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश**
मैक्सिको के चैम्बर आफ डिपटीज की प्रेजिडेंट, महामहिम श्रीमती बीट्रिज पारडिस के नेतृत्व में आए मैक्सिको के संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में आयोजित भोज के अवसर पर, नई दिल्ली (30 जुलाई 2002) 193

35. **भारत और कनाडा—व्यापक सहयोग में वृद्धि**
कनाडा की सीनेट के स्पीकर, महामहिम श्री डेनियल हेज के नेतृत्व में आए कनाडा के संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में दिए गए भोज के अवसर पर, नई दिल्ली (18 नवम्बर 2002) 195

36. **भारत और तुर्की—दृढ़ संबंधों को प्रोत्साहन**
तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेम्बली के स्पीकर, महामहिम श्री बुलेन एरिंक के नेतृत्व में आए तुर्की के संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में आयोजित भोज के अवसर पर, नई दिल्ली (16 दिसम्बर 2002) 197

37. **भारत और चीन—सहयोग के असीम अवसर**
द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के वाइस चेयरमैन, महामहिम श्री जियांग झेन्हुआ द्वारा भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में आयोजित भोज के अवसर पर, बीजिंग, चीन (7 जनवरी 2003) 199

38. **भारत और कोरिया गणराज्य—सहयोग के नये साहचर्य का सृजन**
कोरिया गणराज्य की नेशनल असेम्बली के स्पीकर, महामहिम श्री पार्क क्वान योंग द्वारा भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में दिए गए रात्रि भोज के अवसर पर, सियोल, कोरिया गणराज्य (4 जनवरी 2003) 201

39. **भारत और केन्या-घनिष्ठ व सौहार्दपूर्ण संबंध**
केन्या में भारत के उच्चायुक्त द्वारा भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज के अवसर पर, नैरोबी, केन्या (10 फरवरी 2003) 202

40. **भारत और जाम्बिया—प्रगति में भागीदार**
भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में जाम्बिया की नेशनल असेम्बली के स्पीकर, महामहिम श्री म्वानाम्वाम्बवा द्वारा दिए गए भोज के अवसर पर, लुसाका, जाम्बिया (13 फरवरी 2003) 204

41. **भारत और जाम्बिया—बढ़ता सहयोग**
भारतीय संसदीय शिष्टमण्डल के सम्मान में जाम्बिया में भारत के उच्चायुक्त द्वारा आयोजित स्वागत समारोह के अवसर पर, लुसाका, जाम्बिया (12 फरवरी 2003) 206

पृष्ठ

42. **अनिवासी भारतीय—हमारे सांस्कृतिक दूत**
भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित स्वागत समारोह के अवसर पर, लुसाका, जाम्बिया (11 फरवरी 2003) ... 208

43. **भारत और ग्रीस–प्राचीन काल से मित्र**
यूनानी संसद के प्रेजिडेंट, महामहिम श्री अपोसतोलोस काकलामनिस के नेतृत्व में आये यूनानी संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में आयोजित भोज के अवसर पर, नई दिल्ली (17 फरवरी 2003) 211

44. **भारत और पोलैंड–निरन्तर बढ़ती मैत्री**
दक्षिण मध्य एशिया संबंधी पोलैंड के संसदीय ग्रुप की प्रिसीडियम के चेयरमैन द्वारा भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में दिए गए मध्याह्न भोज के अवसर पर, वारसा, पोलैंड (23 मई 2003) 214

45. **भारत और पनामा–दीर्घकालीन मैत्री का और सुदृढ़ीकरण**
पनामा की राष्ट्रीय असेम्बली के प्रेजिडेंट, महामहिम श्री कार्लोस रेमन अल्वाराडो द्वारा भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में आयोजित भोज के अवसर पर, पनामा (7 जुलाई 2003) 216

46. **भारत और रूसी फेडरेशन–द्विपक्षीय संबंधों के नये आयाम**
भारत-रूस संसदीय आयोग की बैठक में, मास्को, रूस (17 सितम्बर 2003) 219

47. **भारत और रूसी फेडरेशन–बहुआयामी संबंध**
भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में रूसी फेडरेशन की स्टेट ड्यूमा के स्पीकर, महामहिम श्री गैनेडी सेलेजन्येव द्वारा आयोजित भोज के अवसर पर, मास्को, रूस (17 सितम्बर 2003) 223

48. **भारत-रूसी फेडरेशन संबंध–समय की कसौटी पर खरे**
रूसी फेडरेशन की फेडरल असेम्बली के स्टेट ड्यूमा में दिया गया भाषण, मास्को, रूस (17 सितम्बर 2003) 226

चार. विविध

49. **महात्मा गांधी के संदेश की सार्वभौम प्रासंगिकता**
वारसॉ विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर, पोलैंड (23 मई 2002) 233

50. **षणमुखानंद सभा—हमारी सांस्कृतिक विरासत की परिरक्षक**
षणमुखानंद ललित कला और संगीत सभा के स्वर्ण जयंती समारोह के उद्घाटन अवसर पर, मुम्बई (31 अगस्त 2002) 235

पृष्ठ

51. **महाराष्ट्र—भारतीय राज्यों में अग्रणी**
'महाराष्ट्र महोत्सव' समारोह के अवसर पर, नई दिल्ली
(14 सितम्बर 2002) 239

52. **बागवानी क्षेत्र—फल प्रसंस्करण में नई पहल की आवश्यकता**
नगवां में वाइनरी की आधारशिला रखने के अवसर पर, मंडी,
हिमाचल प्रदेश (15 दिसम्बर 2002) 242

53. **एस.एल. किर्लोस्कर–एक दूरदर्शी उद्यमी**
स्वर्गीय श्री एस.एल. किर्लोस्कर के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट
जारी करने के अवसर पर, नई दिल्ली (26 फरवरी 2003) 245

54. **उस्ताद बिस्मिल्ला खां–अपने जीवन काल ही में एक किंवदन्ती**
बालयोगी सभागार में उस्ताद बिस्मिल्ला खां तथा डा. सोमा घोष द्वारा
जुगलबंदी के अवसर पर, नई दिल्ली (7 अगस्त 2003) 247

भाग तीन

अध्यक्षपीठ से की गई टिप्पणियां/दिए गए विनिर्णय

55. **सभा की कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने की आवश्यकता** (लोक सभा वाद-विवाद, 16 जुलाई 2002) 251

56. **किसी चर्चा का उत्तर देते समय मंत्री महोदय द्वारा छूट गए बिन्दुओं को सदस्यों द्वारा सभा में विभिन्न साधनों के माध्यम से उठाया जा सकता है** (लोक सभा वाद-विवाद, 26 जुलाई 2002) 253

57. **कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में राज्य मंत्री द्वारा उत्तर दिया जाना**
(लोक सभा वाद-विवाद, 31 जुलाई 2002) 254

58. **सदस्यों का आचरण** (लोक सभा वाद-विवाद, 12 अगस्त 2002) 255

59. **सदस्यों द्वारा सभा की गरिमा बनाए रखना** (लोक सभा वाद-विवाद, 20 नवम्बर 2002) 256

60. **अध्यक्ष महोदय द्वारा जांच के लिए संसदीय समिति का गठन**
(लोक सभा वाद-विवाद, 10 दिसम्बर 2002) 256

61. **किसी मंत्री द्वारा अपूर्ण अथवा गलत जानकारी दिया जाना विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं बनता** (लोक सभा वाद-विवाद 11 दिसम्बर 2002) 257

पृष्ठ

62. **मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्यों में गलती अथवा अशुद्धि इंगित करने की प्रक्रिया** (लोक सभा वाद-विवाद, 17 दिसम्बर 2002) 257

63. **संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य को समिति से संबंधित मामले पर सभा में बोलने की अनुमति दिया जाना** (लोक सभा वाद-विवाद, 20 दिसम्बर 2002) 258

64. **किसी राज्य विधानमण्डल के सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना को उसी सभा के पीठासीन अधिकारी को सौंपा जाना** (लोक सभा वाद-विवाद, 24 अप्रैल 2003) 259

65. **गलत जानकारी के आधार पर प्रश्न काल के निलम्बन की सूचना गृहीत न किया जाना** (लोक सभा वाद-विवाद, 21 जुलाई 2003) 259

66. **जब तक सरकार समाचारों की सत्यता स्वीकार न कर ले, उन्हें स्थगन प्रस्ताव के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत नहीं माना जा सकता** (लोक सभा वाद-विवाद, 23 जुलाई 2003) 260

67. **राज्य सभा के सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना राज्य सभा के सभापति को उपयुक्त कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है** (लोक सभा वाद-विवाद, 13 अगस्त 2003) 262

68. **सभा की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले आरोपों को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाला जाना** (लोक सभा वाद-विवाद, 19 अगस्त 2003) 263

69. **सदस्यों को सहयोग करना चाहिए और उन्हें अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधियों के रूप में ही नहीं वरन् राष्ट्र के प्रतिनिधियों के रूप में भी कार्य करना चाहिए** (लोक सभा वाद-विवाद, 5 दिसम्बर 2003) 265

70. **जब तक सरकार समाचारों की सत्यता स्वीकार न कर ले, उन्हें स्थगन प्रस्ताव के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत नहीं माना जा सकता** (लोक सभा वाद-विवाद, 5 दिसम्बर 2003) 265

भाग चार

केन्द्रीय भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री के रूप में दिए गए भाषण

71. **लोक उद्यम—आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भारत के आधार स्तम्भ** लोक उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के सम्मेलन में नई दिल्ली (1 अप्रैल 2000) 269

पृष्ठ

72. **कार्पोरेट पुनर्गठन—आर्थिक सुधारों का प्रमुख अंग**
'कार्पोरेट पुनर्गठन' संबंधी राष्ट्रीय विचारगोष्ठी के उद्घाटन सत्र के अवसर पर, मुम्बई (3 सितम्बर 2001) 272

73. **पूंजीगत माल के सुदृढ़ ढांचे के विकास की अनिवार्यता**
भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित पूंजीगत माल संबंधी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीति मंच के राष्ट्रीय सम्मेलन एवं वार्षिक सत्र के अवसर पर, नई दिल्ली (27 अप्रैल 2002) 276

74. **भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग—वैश्वीकरण की चुनौतियों से रूबरू**
भारतीय ऑटोमोबाइल विनिर्माता सोसाइटी के तीसरे वार्षिक सम्मेलन में, नई दिल्ली (5 सितम्बर 2001) 279

75. **भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग–भावी चुनौतियां**
ऑटोमोटिव उद्योग में विश्वस्तरीय विनिर्माण प्रौद्योगिकियों संबंधी छठे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर, नई दिल्ली (16 जनवरी 2002) 283

76. **नई चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकारी उपक्रमों का पुनर्गठन**
भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ बैठक में, नई दिल्ली (18 नवम्बर 1999) 287

77. **लोक उद्यम और श्रमिक कल्याण**
प्रबोधन प्रकाशन द्वारा "सरकारी उपक्रमों का निजीकरण क्यों?" विषय पर आयोजित संगोष्ठी के अवसर पर, मुम्बई (28 दिसम्बर 2001) 292

78. **अप्रवासी भारतीयों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल करना**
अप्रवासी भारतीय सम्मेलन में, मुंबई (18 दिसम्बर 1999) 296

भाग पांच

महाराष्ट्र राज्य विधानमण्डल में दिए गए भाषण

79. **मुम्बई और महाराष्ट्र की समस्याएं**
राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (4 मार्च 1974) 301

80. **त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की अनिवार्यता**
न्यायालयों में न्याय प्रदान करने में विलम्ब के संबंध में आधे घंटे की चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (26 मार्च 1974) 303

81. **मुम्बई का विकास**
मुम्बई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण विधेयक, 1974 पर चर्चा के दौरान, महाराष्ट्र विधान परिषद (25 नवम्बर 1974) 306

पृष्ठ

82. **तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों का मुकाबला**
व्यय के अनुपूरक विवरण पर चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (3 दिसम्बर 1974) 314

83. **सरकारी कर्मचारियों के सरोकार**
राज्य और जिला परिषद कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (22 अप्रैल 1975) 318

84. **लघु उद्योगों का विकास**
महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम तथा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम की रिपोर्टों पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (25 नवम्बर 1975) 320

85. **मलिन बस्तियों का सुधार**
स्लम इम्प्रूवमेंट बोर्ड और मुम्बई बिल्डिंग रिपेयर्स एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड के कार्यकरण पर चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (8 दिसम्बर 1975) 324

86. **ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण**
महाराष्ट्र राज्य में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, विनियमन अथवा विलोपन करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (15 जुलाई 1977) 328

87. **महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद**
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पर एक संकल्प का प्रस्ताव रखते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (28 जुलाई 1977) 334

88. **मुम्बई के लिए विकास योजना**
मुम्बई नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1977 पर चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (27 अक्तूबर 1977) 337

89. **बजट गरीबों के हित में होना चाहिए**
बजट (1978-79) पर चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (27 मार्च 1978) 339

90. **बजट का उद्देश्य—सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास**
बजट (1982-83) पर चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (30 मार्च 1982) 343

91. **मिल मजदूरों की दयनीय स्थिति**
मिल मजदूरों की स्थिति पर चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (16 दिसम्बर 1982) 347

पृष्ठ

92. **बेघर व्यक्तियों के लिए घर**
शहरी भूमि हदबन्दी के संबंध में सरकार की नीति पर चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद् (21 जुलाई 1983) 350

93. **समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का उत्थान**
मंडल आयोग की सिफारिशों पर चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (8 दिसम्बर 1983) 356

94. **मराठी को राज्य की राजभाषा बनाना**
सरकारी तथा अर्द्धसरकारी कार्यालयों में राजकाज मराठी भाषा में करने संबंधी संकल्प पर चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (29 मार्च 1984) 361

95. **बम्बई का नाम मुम्बई करना**
बम्बई का नाम बदलकर मुम्बई किए जाने के संबंध में प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (30 मार्च 1984) 363

96. **महाराष्ट्रवासियों के हित संरक्षण की आवश्यकता**
बजट (1985-86) पर चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (9 जुलाई 1985) 365

97. **मुम्बई में आवास समस्या**
आवास और क्षेत्र विकास (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1986 पर चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (25 मार्च 1986) 368

98. **महाराष्ट्र के सरोकार**
अतिरिक्त अनुदानों हेतु बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (30 जून 1986) 373

99. **कानून और व्यवस्था बनाए रखना**
राज्य में बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (14 जुलाई 1987) 376

100. **विस्थापितों का पुनर्वास**
परियोजनाओं के कारण विस्थापित लोगों को मुआवजा देने की प्रक्रिया में परिवर्तन करने संबंधी संकल्प प्रस्तुत करते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (17 मार्च 1989) 378

101. **कामगारों का कल्याण**
नागपुर में नागपुर ऐलॉय कास्टिंग कंपनी के आन्दोलनरत कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी के बारे में अल्पकालिक चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान सभा (8 अगस्त 1990) 381

पृष्ठ

102. **मुम्बई शहरी विकास नियम**
मुम्बई शहरी विकास नियमों और मिल मालिकों को जमीन बेचने हेतु दी गई अनुमति के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए, महाराष्ट्र विधान सभा (19 मार्च 1991) 383

103. **निजीकरण—वरदान या अभिशाप?**
विद्युत उत्पादन और अन्य क्षेत्रों में निजीकरण के संबंध में संकल्प प्रस्तुत करते हुए, महाराष्ट्र विधान सभा (22 मार्च 1991) 386

104. **सूखा राहत**
विदर्भ और मराठवाड़ा में सूखे की स्थिति पर प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए, महाराष्ट्र विधान सभा (5 दिसम्बर 1991) 390

105. **विदर्भ का विकास**
मुख्यमंत्री के रूप में विदर्भ क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने संबंधी संकल्प प्रस्तुत करते हुए, महाराष्ट्र विधान सभा (19 दिसम्बर 1995) 399

106. **समृद्ध महाराष्ट्र का वादा**
मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए वाद-विवाद का उत्तर देते हुए, महाराष्ट्र विधान सभा (22 मार्च 1996) 407

107. **शहरीकरण की समस्याएं**
मुख्यमंत्री के रूप में अनुदानों की मांगों (1996-97) पर वाद-विवाद का उत्तर देते हुए, महाराष्ट्र विधान सभा (22 जुलाई 1996) 409

108. **विदर्भ का विकास**
मुख्यमंत्री के रूप में विदर्भ क्षेत्र का पिछड़ापन दूर करने संबंधी प्रस्ताव पर वाद-विवाद का उत्तर देते हुए, महाराष्ट्र विधान सभा (12 दिसम्बर 1996) ... 415

109. **महाराष्ट्र के लिए खेल नीति**
मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र की खेल नीति के संबध में संकल्प रखते हुए, महाराष्ट्र विधान सभा (19 दिसम्बर 1996) 421

110. **एनरॉन विद्युत परियोजना**
मुख्यमंत्री के रूप में एनरॉन परियोजना पर उच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य देते हुए, महाराष्ट्र विधान सभा (20 दिसम्बर 1996) 426

111. **समृद्ध महाराष्ट्र की ओर**
मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए, महाराष्ट्र विधान सभा (20 मार्च 1997) 429

पृष्ठ

112. **सूती कपड़ा मिल कामगारों का कल्याण**
मुख्यमंत्री के रूप में मिल कामगारों की बेरोज़गारी की समस्या पर अल्पकालिक चर्चा का उत्तर देते हुए, महाराष्ट्र विधान सभा (31 मार्च 1997) 434

113. **रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन**
मुख्यमंत्री के रूप में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के उपाय संबंधी संकल्प प्रस्तुत करते हुए, महाराष्ट्र विधान सभा (21 अप्रैल 1997) 438

114. **मुम्बई की समस्याएं**
मुख्यमंत्री के रूप में मुम्बई की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर चर्चा का उत्तर देते हुए, महाराष्ट्र विधान सभा (27 अप्रैल 1997) 449

115. **भ्रष्टाचार से संघर्ष**
मुख्यमंत्री के रूप में निगमों में कदाचार व भ्रष्टाचार विषय पर चर्चा का उत्तर देते हुए, महाराष्ट्र विधान सभा (22 दिसम्बर 1997) 462

116. **महिलाओं का सशक्तीकरण**
मुख्यमंत्री के रूप में महिलाओं के संबंध में नई नीति प्रस्तुत करते हुए, महाराष्ट्र विधान सभा (23 जुलाई 1998) 465

अनुक्रमणिका 473

भाग एक

श्री मनोहर जोशी

जीवन-वृत्त

श्री मनोहर गजानन जोशी
माननीय अध्यक्ष, तेरहवीं लोक सभा

श्री मनोहर जोशी—जीवन-वृत्त

लोक सभा अध्यक्ष का पद बड़े सम्मान और दायित्व वाला पद है, और संविधान में इसकी पहचान इसी रूप में है। देश की सर्वोच्च विधायी संस्था के परंपरागत और औपचारिक प्रमुख के रूप में अध्यक्ष सभा की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है और संपूर्ण सभा ही नहीं बल्कि प्रत्येक सदस्य के अधिकारों, विशेषाधिकारों और गरिमा की रक्षा करता है। अध्यक्ष पद को सुशोभित करने वाले सफल पदधारी व्यक्ति के लिए निष्पक्षता और स्वतंत्रता, विवेक का ईमानदारी और वस्तुनिष्ठतापूर्वक प्रयोग बुद्धिमत्तापूर्ण तथा धैर्य एवं दृढ़ता व्यापक रूप से अनिवार्य पूर्वापेक्षाएं मानी जाती हैं।

लोक सभा के पांच दशक के घटनापूर्ण इतिहास में श्री जी.वी. मावलंकर से शुरू होकर प्रख्यात पीठासीन अधिकारियों की श्रेष्ठ परम्परा रही है। इन प्रख्यात अध्यक्षों में से प्रत्येक ने संसदीय परम्पराओं को सुदृढ़ करने में अपना भरपूर योगदान दिया है; और इस प्रक्रिया में वे भावी पीढ़ियों के लिए समृद्ध विरासत छोड़ गए हैं। श्री मनोहर गजानन जोशी उस समय पीठासीन अधिकारियों की यशस्वी पंक्ति में शामिल हो गए जब 10 मई, 2002 को उन्हें निर्विरोध लोक सभा अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उनका निर्वाचन हमारी संसद के स्वर्ण जयंती वर्ष में होने के फलस्वरूप विशेष रूप से अनुपम था। श्री गजानन कृष्ण जोशी और श्रीमती सरस्वती गजानन के पुत्र श्री मनोहर जोशी का जन्म महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के नांदवी में 2 दिसम्बर, 1937 को हुआ था। उन्होंने मुम्बई में शिक्षा ग्रहण की और वह विधि स्नातक तथा कला में परास्नातक हैं। वह मराठी, हिन्दी और अंग्रेजी में प्रवीण हैं और उन्हें संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान है। वह अपने प्रभावशाली भाषण कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने स्कूल के दिनों से ही वह उत्कृष्ट वक्ता रहे हैं। सार्वजनिक जीवन के अपने कई दशकों के दौरान उन्होंने हमारे राष्ट्रीय जीवन के समक्ष उपस्थित विविध मुद्दों और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर विस्तार से विचार व्यक्त किए हैं। उनका हास-परिहास, विश्लेषण कौशल और मुद्दों की पूरी समझ विशेष उल्लेखनीय है। उनकी पत्नी श्रीमती अनघा जोशी हैं। उनका एक पुत्र और दो पुत्रियां हैं।

राजनीतिक जीवन

श्री मनोहर जोशी ने 1967 में राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा। वह चार दशकों से शिवसेना के सक्रिय सदस्य और नेता रहे हैं। मुम्बई शहर और इसके लोगों का कल्याण और उनकी बेहतरी श्री जोशी की प्रमुख चिंता रही है। यह ग्यारह वर्ष के लम्बे समय तक निगम पार्षद के रूप में शहर से जुड़े रहने का परिणाम है। वह 1968-70 के दौरान मुम्बई में निगम पार्षद रहे और 1970 में स्थायी समिति (नगर निगम) के सभापति रहे। वह स्थायी समितियों और विभिन्न समितियों के भी सभापति रहे। बीच में 1976-77 के दौरान उन्होंने मुम्बई के महापौर के प्रतिष्ठित पद को सुशोभित किया। वह कुछ समय तक अखिल भारतीय महापौर परिषद् के सभापति भी रहे। बाद के वर्षों में जब वह राज्य विधान सभा के सदस्य बने तो मुम्बई शहर के साथ उनके करीबी संबंधों, मुम्बई के अपने विकासात्मक तथा अन्य मुद्दों और शहर के कार्यतंत्र की जमीनी समझ ने उन्हें मुम्बई की समस्याओं

को अभिव्यक्ति देने में मदद की। वह इस बात से भली-भांति परिचित थे कि मुम्बई के लिए किस प्रकार की देखरेख और आयोजना आवश्यक है। उनकी यह चिंता गरीब और जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए वाचनालय सुविधा शुरू किये जाने से सुस्पष्ट हो जाती है। कई अवसरों पर उन्होंने यह स्वीकार किया है कि मुम्बई शहर ने उन्हें अपना महापौर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी बनाया है। इस प्रकार, इस शहर के साथ उनका विशेष लगाव है।

विधायी और संसदीय जीवन

श्री जोशी के विधायी और संसदीय जीवन की शुरुआत 1972 में महाराष्ट्र विधान परिषद् में उनके निर्वाचन के साथ हुई। 1972 से 1989 के बीच वह विधान परिषद् के लिए तीन बार निर्वाचित हुए। सदस्य के रूप में उन्होंने सभा में विविध मुद्दों पर चर्चाओं में भाग लिया। मराठी भाषी आबादी में बेरोजगारी, मुम्बई शहर और महाराष्ट्र को परेशान करने वाली समस्याएं, राज्य में विदर्भ व अन्य क्षेत्रों का विकास, कानून और व्यवस्था, मराठी संस्कृति, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद समाधान, आदि से संबंधित मुद्दों के प्रति उनकी विशेष रुचि थी।

विधान परिषद् के तीन कार्यकालों के बाद श्री जोशी 1990 में महाराष्ट्र विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। विधान परिषद् में अपने लम्बे कार्यकाल के दौरान श्री जोशी को उभरते हुए प्रमुख विधायक के रूप में देखा गया। वर्ष 1990-92 के दौरान श्री जोशी राज्य विधान सभा में विपक्ष के नेता रहे। श्री जोशी सपाट बयानी और स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं और उनका दृढ़ विश्वास है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में संगठित, जिम्मेवार और स्वस्थ विपक्ष का बहुत योगदान होता है। उनका यह भी विश्वास है कि लोकतंत्र तभी फलता-फूलता है जब विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच स्वत: स्फूर्त सहयोग हो। इसी दृढ़ विश्वास को ध्यान में रखते हुए उन्होंने देश में विपक्ष के नेताओं के एक राष्ट्रीय संघ की शुरुआत की।

श्री जोशी की राजनीतिक कुशलता, नेतृत्व क्षमता, प्रशासकीय क्षमता तथा महाराष्ट्र और उसकी विद्यमान चुनौतियों के बारे में उनकी गहरी समझ से सभी वाकिफ हैं। वर्ष 1995 के राज्य विधानसभा चुनावों में जब शिवसेना-भा.ज.पा. गठबंधन की विजय हुई तो सरकार के नेतृत्व का जिम्मा श्री जोशी को सौंपा गया और वह 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे।

श्री मनोहर जोशी ने अपने मुख्यमंत्रित्वकाल के दौरान समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए। उनके द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं में कृषि व उद्योग क्षेत्र के विकास के प्रति उनकी विशेष रुचि की स्पष्ट झलक मिली। इस प्रकार उन्होंने किसानों के लिए 'एग्रो एडवांटेज महाराष्ट्र' नामक कार्यक्रम चलाया। उन्होंने 'कृष्णा घाटी सिंचाई परियोजना' का निर्माण तथा 'टैंकर-मुक्त महाराष्ट्र योजना' जैसी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की और इन्हें शुरू किया तथा कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों की जानकारी देने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया।

श्री जोशी ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सुनिश्चित किया था कि महाराष्ट्र के उद्योगों को उत्तम सुविधाएं प्राप्त हों। इस दृष्टिकोण से, सामाजिक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता

अपने परिवार के सदस्यों के साथ

के अलावा गुणवत्तामूलक बुनियादी ढांचा, व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन और मेहमानदारी के रूप में पांचतारा सुविधाएं मुहैया कराई गईं। श्री जोशी मानते हैं कि, वस्तुतः, देश में किसी उद्योग के विकास के लिए ऐसी सुविधाएं नितांत आवश्यक हैं। राज्य के विकास को अपनी प्रतिबद्धता मानकर उन्होंने 'एडवांटेज महाराष्ट्र कांफ्रेंस' आयोजित की जिसका प्रयोजन राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाना था। श्री जोशी ने संचार-संयोजन (कनेक्टिविटी) के माध्यम से सशक्तीकरण की नयी सूचना-प्रौद्योगिकी नीति 'ए-ए-ए कनेक्टिविटी' (एनीटाइम, एनीव्हेअर एंड एनीहाउ कनेक्टिविटी) भी शुरू की।

श्री जोशी के कार्यकाल में मुम्बई शहर में पांच हजार मकान बनाए गए। इन मकानों के धारकों ने शायद कभी स्वप्न में भी न सोचा होगा कि उन्हें 225 वर्गफीट जितना बड़ा स्थान रहने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने मुम्बई के नगर परिवहन से संबंधित समस्याओं को बड़े जोरदार ढंग से उठाया। यातायात की रुकावट कम करने तथा वाहन फंसने की स्थिति से बचने के लिए उन्होंने 50 फ्लाई ओवर सेतुओं का निर्माण कराया। उन्होंने मुम्बई-पुणे द्रुतगामी मार्ग (एक्सप्रैस-वे) परियोजना के निर्माण की भी परिकल्पना की और इसका कार्य शुरू कराया।

श्री जोशी मुम्बई शहर में वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण उत्पन्न होती प्रदूषण की समस्या से भी परिचित थे। इस विकट समस्या पर काबू पाने के प्रयोजन से उन्होंने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण योजना शुरू की। उन्होंने खासकर शहर से हर रोज निकलने वाले लगभग 5500 टन कचरे के निपटान पर ध्यान दिया और इससे विद्युत उत्पादन करने की योजना बनाई जो एक बिल्कुल ही नयी सोच थी। इन उपायों के जरिए उन्होंने मुम्बई को आवास की दृष्टि से एक अधिक बेहतर शहर बनाया। उन्होंने 'स्वच्छ मुम्बई-हरित मुम्बई' (क्लीन मुम्बई-ग्रीन मुम्बई) अभियान चलाया और 'हरित अभियान' से सक्रिय रूप से संबद्ध रहे। उन्होंने मराठी में एक पुस्तक 'स्वच्छ मुम्बई, हरित मुम्बई' भी लिखी, जिसमें पर्यावरण और 'स्वच्छ मुम्बई' अभियान से जुड़ी समस्याओं पर जोर दिया गया है।

जननेता के रूप में श्री जोशी ने महाराष्ट्रभर में बहुत से 'झुनका-भाकर केन्द्र' खोले। इस योजना का प्रयोजन कम आमदनी वाले लोगों को कम से कम दाम पर भोजन उपलब्ध कराना था।

श्री जोशी सदैव इस बात पर जोर देते रहे हैं कि बेरोजगार लोगों के लिए काम के अधिक अवसर पैदा किए जाएं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने लाखों बेरोजगारों के जीवन की इस समस्या को एक चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने बेरोजगारी से जुड़ी समस्याओं का पता लगाने के लिए वर्ष 1996 में एक समिति नियुक्त की। समिति की सिफारिश पर उन्होंने अपनी सरकार से पहली, दूसरी तथा तीसरी वरीयता के क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों की समीक्षा करने और कृषि, जोतदारी, पशुपालन, वानिकी, ग्रामोद्योग व ग्रामशिल्प जैसे क्षेत्रों में स्व-रोजगार के अवसरों को तलाशने के लिए कहा। उन्होंने युवावर्ग को वैश्वीकरण के संदर्भ में स्व-रोजगार के अवसर खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री जोशी ने राज्य में व्यवसायोन्मुख तथा व्यापारोन्मुख शैक्षिक-प्रशिक्षण सुविधाओं की भी पुनरीक्षा की और सरकारी व अर्ध-सरकारी संगठनों में भर्ती-नीति की पुनर्रचना की।

श्री मनोहर जोशी ने श्रमिक तथा औद्योगिक कामगार वर्ग के कल्याण के बारे में भी बराबर सोचा। मिल-मजदूरों की समस्याएं उनके लिए सर्वोपरि रहीं। उन्होंने सूती वस्त्र मिलों की स्थिति की समीक्षा करने के लिहाज से उद्योग और श्रम मंत्रियों की एक समिति गठित की। उन्होंने मिल भूमि के समन्वित विकास के लिए सुझाव देन हेतु चार्ल्स कोर्रिया समिति की नियुक्ति भी की। चूंकि मिल मजदूरों की समस्याएं काफी गंभीर और जटिल थीं इसलिए उन्होंने सभी सुझावों के लिए विकल्प खुले रखे। श्री जोशी ने यह प्रयास भी किया कि मिल मालिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें भी धन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने असेम्बली के सभी सदस्यों से इस बात की पुरजोर अपील की कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मिल मजदूरों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करें।

महाराष्ट्र और उसके सभी क्षेत्रों के समग्र विकास के प्रति अपनी वचनबद्धता के कारण श्री जोशी ने कई विकासात्मक कार्य शुरू किए। महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र के विकास के बारे में उनकी विशेष रुचि थी। अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में उन्होंने विदर्भ विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वहां के कार्यक्रम के लिए आवश्यकतानुसार धन उपलब्ध कराया जाए। उनके प्रयास से ही विदर्भ के किसानों को सिंचाई हेतु पानी मिल सका जिसकी उस क्षेत्र में व्यापक सराहना हुई। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच नदी जल बंटवारे की समस्या को सुलझाया। उनके मुख्यमंत्रित्वकाल में विदर्भ की पंच सिंचाई परियोजना में भी तेजी आयी। उस क्षेत्र में उन्होंने कई मझोले और छोटी-छोटी परियोजनाओं के अलावा ओशिकोना, अरुणावती, उर्ध्व और वैन सिंचाई परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाया।

श्री जोशी ने मुख्यमंत्री रहते हुए विदर्भ क्षेत्र के उद्योगों को सुविधाएं और रियायतें देने के लिए विशेष नीतियां बनाई। सस्ती दरों पर जमीनें दी गईं और बिक्री कर में रियायतें दी गईं। स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क तीन वर्षों के लिए समाप्त कर दिए गए; विद्युत शुल्क में पूरी छूट दी गई।

विदर्भ क्षेत्र के छह जिलों; यथा नागपुर, चन्द्रपुर, अमरावती, यवतमाल, अकोला और बुलढाना में बड़े पैमाने पर कुएं खोदने का काम भी शुरू किया गया। चन्द्रपुर में 160 सीटों वाला एक इंजीनियरिंग कालेज खोला गया। छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए कई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गए। श्री जोशी विदर्भ के विकास के प्रति प्रतिबद्ध थे और चाहते थे कि वहां के लोगों में पिछड़ेपन की भावना न रहे।

श्री जोशी ने मुख्यमंत्री के रूप में महिला नीति की रूपरेखा पेश की जिसमें सहकारिता क्षेत्र के साथ-साथ सरकारी तथा सभी निर्वाचित निकायों की नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण देने की बात थी। महाराष्ट्र आज की तारीख तक इस तरह का प्रगतिशील संकल्प पेश करने वाला पहला और एकमात्र राज्य था, और है। नई नीति के अंतर्गत जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और महिलाओं की भागीदारी के आधार पर महिलाओं की अधिकारिता पर जोर दिया गया था। उन्होंने महिलाओं के लिए कामधेनु नीति, बुजुर्गों के लिए मातो श्री वृद्धाश्रम योजना और युवाओं के लिए सैनिक स्कूल प्रारंभ किए।

खेल प्रेमी के रूप में भी श्री जोशी के कई महत्वपूर्ण योगदानों में से एक योगदान जनवरी, 1996 में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करना था। उनका दृढ़ विश्वास था कि युवाओं और छात्रों में खेल

के प्रति जुनून होना चाहिए था। यदि उन्हें बुरी आदतों से दूर रखना है, तो उन्हें खेल के प्रति अधिक से अधिक समय देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। खेल विश्वविद्यालय के महत्व का इसी तथ्य से पता लगाया जा सकता है कि इस प्रयोजनार्थ 115 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। राज्यभर में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के पीछे भावना यही थी कि खेल विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित खिलाड़ी ओलम्पिक खेलों में खेलें और देश को सम्मान दिलाएं।

इस प्रकार, श्री जोशी का महाराष्ट्र में एक लम्बा और सफल कार्यकाल रहा है। शीघ्र ही उनके वृहत् और व्यापक अनुभवों को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेवारियों के लिए बुला लिया गया। वर्ष 1999 के आम चुनाव में श्री जोशी शिव सेना के टिकट पर मुम्बई-उत्तर-मध्य लोक सभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और तेरहवीं लोक सभा के लिए चुने गए। तदनन्तर, उन्हें केन्द्र सरकार में शामिल किया गया। केन्द्र में भारी उद्योग और लोक उद्यम के महत्वपूर्ण मंत्रालय के मंत्री के रूप में कठिन दायित्व निभाने के लिए उनके पास महाराष्ट्र विधान सभा में विभिन्न पदों पर काम करने का एक दीर्घकालीन अनुभव था।

श्री जोशी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेते हुए भारी उद्योग और लोक उद्यम क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने और उनके विस्तार कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भूमंडलीकरण और बाजार अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र की कतिपय क्षेत्रों में की जा रही आलोचनाओं को देखते हुए, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री के रूप में श्री जोशी ने राष्ट्रीय विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के महत्व और योगदान को जोर-शोर से प्रचारित किया। उन्होंने इस बात की वकालत की कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र ने औद्योगिक क्षेत्र और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को समग्र रूप में एक मजबूत प्लेटफार्म प्रदान किया है। अंतरिक्ष अनुसंधान, संचार व्यवस्था, विद्युत विकास, परमाणु ऊर्जा और कई अन्य क्षेत्रों में देश ने जो लम्बी छलांग लगाई है उसका श्रेय उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के सफल कार्यकाल को दिया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि औद्योगिक प्रगति के अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र ने देश की सामाजिक अखण्डता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यनिष्पादन को केवल वित्तीय परिणामों से नहीं आंका जा सकता है, बल्कि उनका यह मानना था कि समग्र आर्थिक विकास में इसके योगदान, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में इसकी उपलब्धियों और क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने में इसकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

श्री जोशी ने विश्व की बदलती अर्थव्यवस्था के प्रति संवेदनशील होने के कारण निगमित शाखा में सुधार लाने, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में जवाबदेही तय करने तथा उनकी स्वायत्तता के लिए कई सुधारात्मक उपायों पर पहल की। उन्होंने कार्यनिष्पादन और जवाबदेही तय करने वाली समझौता ज्ञापन प्रणाली पर बल दिया और किसी उद्यम में प्रतिवर्ष हासिल किए जाने वाले लक्ष्य की स्पष्ट रूपरेखा तैयार की। उन्होने बातचीत से तय किए गए तथा सहमति के आधार पर उद्देश्यों को हासिल करने और वित्तीय अनुशासन को लाने की जरूरतों पर जोर दिया और साथ ही, उन्होंने उद्यमों में बेहतर लचीलेपन और प्रचालन संबंधी स्वायत्तता पर भी बल दिया।

केन्द्रीय मंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान श्री जोशी ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड, वित्तीय पुनर्गठन और प्रौद्योगिकी व श्रमशक्ति की प्रासंगिकता आदि को स्थापित करने के लिए संयुक्त उद्यम निर्माण के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के कई केन्द्रीय उपक्रमों के पुनर्गठन और उनके पुनरुत्थान हेतु ब्लूप्रिंट तैयार करवाए। भारतीय अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण और उदारीकरण के संदर्भ में उन्होंने उद्यमों के पुनर्गठन के लिए मैक्रो और माइक्रो दोनों ही स्तरों पर जोर दिया।

औद्योगिक रूप से भारत को सुदृढ़ बनाने में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए श्री जोशी ने यह महसूस किया कि सरकार की उनके प्रति जवाबदेही है। उन्होंने सरकार के सुरक्षा नेट में सुधार लाने के लिए दो बड़े उपाय किए। पहला उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) लाभ में वृद्धि की और दूसरे उन्होंने वीआरएस लेने वाले कामगारों के स्वनियोजन हेतु उनके पुनः प्रशिक्षण पर विशेष रूप से ध्यान दिया। इन कामगारों के पुनर्वास के लिए प्रबोधन, प्रशिक्षण और अनुवर्ती कार्यक्रम चलाए ताकि वे स्वयं को आमदनी बढ़ाने वाले कार्यों में लगा सकें।

श्री जोशी ने सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश में तेजी लाने के लिए सुविधाएं प्रदान की और उन्होंने देश में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सुधार लाने हेतु बुनियादी ढांचा इक्विटी फंड के सृजन का प्रस्ताव रखा जो देश में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारी के लिए ऋण संबंधी वित्त-पोषण के बीच समन्वय स्थापित करने और औपचारिकताओं को अंतिम रूप देने का एक संस्थागत तंत्र है।

श्री जोशी का विश्वास है कि खुली व विकासशील अर्थव्यवस्था का बंद अर्थव्यवस्था की अपेक्षा अधिक तेजी से विकास होता है। इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उच्च विकास दर प्राप्त करने के लिए निर्यात का मार्ग अपनाया जाए। नई विश्व व्यवस्था में आर्थिक विकास की दर सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की बुनियादी संरचना तथा स्वस्थ व्यावसायिक वातावरण पर आधारित होती है। इसलिए उन्होंने विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की ओर विशेष ध्यान दिया जिसने ये दोनों सुविधाएं प्रदान की।

अपने कार्यकाल के दौरान श्री जोशी ने भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत को विश्व में सबसे तेजी से उभरते बाजार के रूप में प्रचारित किया जहां उपभोक्ताओं की एक बड़ी जमात है तथा इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और जहां पर विश्व में श्रमशक्ति का सबसे बेहतर संतुलन है। उन्होंने इस बात की भी वकालत की कि हमारे जाने-माने संस्थानों में विदेशी निवेशकों को एक स्वच्छ वातावरण मुहैया कराया जाए जिसमें उनके दीर्घावधि निवेश की सुरक्षा की गारंटी दी जाए। साथ ही, प्रौद्योगिकी के आयात पर लगे प्रतिबंध को पूरी तरह से हटा लिया गया। उनकी अगुवाई में बनाई गई नीतियों के तहत दूरसंचार, सड़क, डाक, बिजली, आवास और सम्पदा विकास के क्षेत्र में निवेश के लिए अनिवासी भारतीयों को आमंत्रित किया गया। उन्होंने अनिवासी भारतीयों के बीच एक ऐसी छवि पेश करने का प्रयास किया कि भारत एक

ऐसा माहौल बनाने की ओर निरंतर प्रयत्नरत है जहां वे व्यवसाय के क्षेत्र में नए विचार और आधुनिक प्रबंधन व्यवस्था ला सकते हैं जिससे कि हम विकसित देश की श्रेणी में खड़े हो सकें।

मनोहर जोशी, अध्यक्ष के रूप में

श्री जोशी हालांकि भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के कार्य में पूरी तल्लीनता से लगे हुए थे, किंतु पुनः उनके कंधों पर और महत्वपूर्ण दायित्व आ गया। लोक सभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री जी.एम.सी. बालयोगी का 3 मार्च, 2002 को आंध्र प्रदेश में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। 10 मई, 2002 को प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वयं नए लोक सभा अध्यक्ष के रूप में श्री मनोहर जोशी के निर्वाचन का प्रस्ताव रखा; गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने प्रस्ताव का समर्थन किया। जब इस प्रस्ताव को सदन के विचारार्थ और मतदान के लिए रखा गया तो सभा ने इसे एकमत से पारित किया और श्री जोशी को देश की सर्वोच्च निर्वाचित सभा अर्थात् लोक सभा के अध्यक्ष के पद पर निर्विरोध निर्वाचित कर लिया गया। यह गर्व का विषय है कि संसद के स्वर्ण जयंती वर्ष में यह सभा श्री जोशी को पीठासीन अधिकारी के रूप में चुनने के लिए एकमत हुई।

प्रधानमंत्री, विपक्ष की नेता, उपाध्यक्ष तथा विभिन्न दलों व ग्रुपों के नेताओं ने अध्यक्ष के प्रतिष्ठित पद पर श्री जोशी के निर्वाचन का हार्दिक अभिनंदन किया।

अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने जाने पर श्री जोशी का अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि श्री जोशी ने बहुत जिम्मेवारी और दायित्व का पद ग्रहण किया है। अब वह सभा की गरिमा के अनन्य संरक्षक रहेंगे। श्री जोशी के समृद्ध संसदीय और सार्वजनिक जीवन के बारे में बोलते हुए श्री वाजपेयी ने कहा कि श्री जोशी ने कार्यकर्त्ता के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की और लोक सभा के लिए निर्वाचित होने से पहले अनेक पदों पर काम किया। उन्होंने आगे कहा कि सार्वजनिक जीवन में श्री जोशी का लम्बा अनुभव उन्हें सभा का संचालन कुशल और गरिमापूर्ण ढंग से करने में मदद देगा, जैसी कि संविधान में परिकल्पना की गई है।

नव-निर्वाचित अध्यक्ष के अभिनंदन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि इस उच्च पद पर आसीन होते ही श्री जोशी पर समय की कसौटी पर खरी उतरी हमारी संसद की परम्पराओं का निर्वाह करने की भारी जिम्मेवारी आ गई है। उन्होंने विश्वास जताया कि श्री जोशी का विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव उन्हें अपने पूर्ववर्ती अध्यक्षों की तरह ही सभा का समुचित और न्यायपूर्ण संचालन करने में मार्गदर्शन करेगा।

श्री जोशी ने संसदीय समुदाय द्वारा किए गए अभिनंदनों का उत्तर देते हुए अन्य बातों के साथ-साथ कहा:

"अध्यक्ष के उच्च संवैधानिक पद पर चुनने के लिए मैं सभी का तहेदिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे बहुत बड़ा उत्तरदायित्व सौंपा गया है और इस तथ्य को देखते हुए यह उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है कि सभा ने मुझे एकमत से यह जिम्मेवारी सौंपी है। ... मैं इसे व्यक्तिगत सम्मान

की बात मानता हूं क्योंकि सभा का पहली बार निर्वाचित सदस्य होने के बावजूद इस पद के लिए आपने मुझे चुना है। मैं इसे विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं और वचन देता हूं कि आपने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है, अपने कर्त्तव्यों का निष्पक्ष तरीके से निर्वाह करके मैं उसकी रक्षा करूंगा।''

विधायी समुदाय से अपनी लम्बी सम्बद्धता को स्मरण करते हुए श्री जोशी ने कहा:

''... संसदीय संस्कृति के लिए मैं नया नहीं हूं। महाराष्ट्र विधानमंडल में विपक्ष के नेता सहित विभिन्न पदों पर लम्बे समय तक काम किया है। जी.वी. मावलंकर से लेकर जी.एम.सी. बालयोगी तक मेरे पूर्ववर्त्तियों द्वारा व्यवहार में लायी गयी उच्च परम्पराएं और महाराष्ट्र विधानमंडल का मेरा सुदीर्घ अनुभव मुझे इस सभा की परम्पराओं और इस पद की गरिमा बनाए रखने में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। अध्यक्ष सभा के प्रक्रिया संचालन में सभा के प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है और सदस्यगणों की शंकाओं का समाधान करते समय वह सभा का प्रथम सेवक होता है। मेरा दृष्टिकोण कट्टर और सख्त न होकर मैत्रीपूर्ण और प्रेरक होगा। इसलिए, मैं सदस्यों को सदैव उपलब्ध रहूंगा। मेरा यह भी सतत् प्रयास रहेगा कि सभा और इसके माननीय सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार सुरक्षित रहें।''

श्री जोशी सार्वजनिक जीवन के अपने लगभग चार दशक लम्बे विपुल और विविध अनुभव के कारण पद की गरिमा और सभा का व्यवस्थित और सुचारू संचालन करने के मामले में उत्कृष्ट पीठासीन अधिकारी सिद्ध हुए हैं। जिस दिन से श्री जोशी ने अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है, उन्होंने संसद की प्रतिष्ठा और गरिमा में वृद्धि करने के लिए कार्यवाहियों के संचालन में सभा के सभी दलों को साथ लेकर चलने का ईमानदारीपूर्वक और गंभीरतापूर्वक प्रयास किया है।

सौम्य, मृदुभाषी और काम करने में विश्वास रखने वाले श्री जोशी कठिन परिस्थितियों से धैर्यपूर्वक कुशलता से निपटने के लिए विख्यात हैं। सभा में सदस्यगणों के वाक्य स्वातंत्र्य और बहस के अधिकार का संरक्षक होने के नाते श्री जोशी इस बात का ध्यान रखते हैं कि सभा में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात को निष्पक्षतापूर्वक और संतोषजनक तरीके से अभिव्यक्त करने का अवसर मिले।

श्री जोशी सभा में अनुशासन और शालीनता का वातावरण बनाए रखने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। लोक सभा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद संसद-सदस्यों को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि उनकी पहली चिंता सभा में अनुशासन और शालीनता का वातावरण बनाए रखना होगा। उन्होंने सदस्यों से आग्रह किया कि किसी मुद्दे पर विरोध प्रकट करने के लिए सभा की पूरी कार्यवाही को बाधित करने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए, अन्यथा इससे जनता में यह गलत संदेश जाता है कि असंख्य जन-समस्याओं के होते हुए भी उसके प्रतिनिधि संसद का बहुमूल्य समय व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। इसी विचार से श्री जोशी ने सभा की कार्यवाही यथासंभव सर्वोत्तम ढंग से संचालित करने में सर्वसम्मति प्राप्त करने हेतु समय-समय पर विभिन्न राजनीतिक दलों और समूहों के नेताओं के साथ बैठकें कीं। प्रत्येक सत्र के अवसर पर की जाने वाली नियमित बैठकों के अलावा,

उन्होंने विशिष्ट अवसरों पर ऐसी आपात स्थितियों पर चर्चा करने के लिए भी सभी राजनीतिक दलों और समूहों के नेताओं का सहयोग मांगा, जिनसे सभा की कार्यवाही पर असर पड़ता।

श्री जोशी के प्रयासों से सभा की कार्यवाही संचालन में न केवल काफी हद तक शालीनता, गरिमा तथा सुचारू वातावरण बनाने में सहायता मिली, बल्कि सकारात्मक मूल्यों पर आधारित व्यवस्था का भी मार्ग प्रशस्त हुआ। उनके लोक सभा अध्यक्ष बनने के बाद सभा में सभी सत्रों में काफी कामकाज हुआ। वस्तुत:, यदि कामकाज की ही दृष्टि से देखा जाए, तो वर्ष 2002 के शीतकालीन सत्र में विगत तीस वर्षों का रिकार्ड टूटा है। सभा में ऐसे अनेक अवसर आए जब वातावरण तनावपूर्ण और विक्षोभकारी बना किंतु श्री जोशी अपने असाधारण धैर्य, निष्पक्षतापूर्ण दायित्वभाव, सौजन्यतापूर्ण व्यवहार और माहौल हल्का कर देने वाले हास्यबोध के कारण हर बार तनाव को दूर करने में सफल रहे और इस कारण सभी की ओर से उन्हें मुक्त कंठ से प्रशंसा मिली।

श्री जोशी ने संसदीय सुधारों के प्रति अनूठी सोच भी दर्शाई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विवशता में सभा की कार्यवाही बार-बार स्थगित करने से सभा का बहुमूल्य समय तो नष्ट होता ही है, उसकी गरिमा भी कम होती है। अधिक रचनात्मक और सार्थक वाद-विवाद का अवसर उत्पन्न करने के विचार से श्री जोशी ने सभा की कार्यवाही को और मुखर बनाकर अधिक से अधिक तारांकित प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिये जाने पर बल दिया। उन्होंने 'शून्यकाल' में सदस्यों को केवल राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय महत्व के तात्कालिक मामलों को ही उठाने की अनुमति देकर उसे और अधिक उद्देश्यपरक बनाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सदस्य अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े मामले पूर्व सूचना के माध्यम से नियम 377 के अधीन मामलों के तौर पर उठाएं ताकि 'शून्यकाल' का और अधिक प्रभावी तथा सार्थक ढंग से उपयोग हो सके।

श्री जोशी का ध्यान समिति व्यवस्था की प्रभावोत्पादकता को समग्र रूप से बढ़ाने के प्रति भी रहा। इसी प्रयोजन से उन्होंने नवम्बर, 2002 में संसद तथा राज्य विधानमंडलों की याचिका समितियों के सभापतियों का सम्मेलन और दिसम्बर, 2002 में संसद तथा राज्य विधानमंडलों की प्राक्कलन समितियों के सभापतियों का सम्मेलन आयोजित कराया।

इनके अतिरिक्त, श्री जोशी की अध्यक्षता में भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के दो सम्मेलन भी क्रमश: जून, 2002 और फरवरी, 2003 में बंगलौर व मुम्बई में आयोजित हुए जिनमें प्रक्रिया संबंधी महत्वपूर्ण मामलों तथा अन्य संबद्ध मुद्दों पर चर्चा हुई।

श्री जोशी के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित एक अन्य महत्वपूर्ण घटना—भारत की संसद की स्वर्णजयंती के अवसर पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन था। तीन दिन तक चले इस सम्मेलन में 77 देशों से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री जोशी के निदेश से 'संसद सदस्य परिचय मंजूषा' (द इंडियन पार्लियामेंट्री कम्पैनियन) तैयार की गयी जिसमें पहली लोक सभा से लेकर तेरहवीं लोक सभा तक के लगभग 4000 सदस्यों के बारे में उपयोगी जानकारी दी गई है और जिसके बारे में श्री जोशी का मानना था कि यह विशाल ग्रंथ हमारी संसद के स्वर्णजयंती वर्ष के अवसर पर हमारे

निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को एक यथोचित भेंट होगी। इस बहुमूल्य प्रकाशन को अंतरराष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन के दौरान जारी किया गया। इस अवसर पर श्री जोशी के मार्गनिर्देशन में संसदीय ज्ञानपीठ के प्रदर्शनी कक्ष में 'भारत की संसद की स्वर्णजयंती' विषय पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी।

श्री जोशी ने सदैव संसद-सदस्यों को और अधिक सेवा-सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया ताकि वे लोक-प्रतिनिधियों के रूप में अधिक सार्थक एवं प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकें। उन्होंने सचिवालय सेवा के कम्प्यूटरीकरण तथा आधुनिकीकरण पर भी बल दिया। सदस्यों को अब हथेली में आ सकने वाले आकार के कम्प्यूटर (पाम-टॉप) उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से 'पार्लियामेंट होम पेज' पर लोक सभा की कार्यवाहियों का सीधा श्रव्य प्रसारण भी उपलब्ध कराया गया है।

श्री जोशी की विशेषज्ञता और राजनीतिक कौशल का उपयोग अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कई बार संसद के हित में हुआ है। शांति और सहयोग के श्रेष्ठ पक्षधर होने के नाते उन्होंने बार-बार अंतर-संसदीय सहयोग बढ़ाने के महत्व पर बल दिया। लोक सभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जिनेवा में अंतर-संसदीय परिषद के विशेष सत्र, ढाका में राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन तथा चीन, क्रोएशिया, ईरान, पनामा, पोलैण्ड, रूस और जाम्बिया में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। इस अवधि के दौरान, मैक्सिको, कनाडा, तुर्की, ग्रीस, लाओ पीडीआर, चेक गणराज्य, यूक्रेन और इंडोनेशिया के संसदीय शिष्टमंडलों ने हमारी संसद का दौरा किया और लोक सभा अध्यक्ष श्री जोशी तथा संसद सदस्यों के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया। इसके अलावा, उनके लोक सभा अध्यक्ष बनने के बाद से विश्वभर से भारत यात्रा पर आए अनेक राष्ट्राध्यक्षों, राज्याध्यक्षों और प्रमुख नेताओं ने उनसे मुलाकातें कीं। इन मुलाकातों के दौरान, श्री जोशी ने विभिन्न सामयिक मुद्दों पर भारत के विचारों और सरोकारों को बड़ी स्पष्टता से और जोरदार तरीके से व्यक्त किया।

श्री जोशी राष्ट्रीय नेताओं को सम्मानित करने और उनके विचारों को बढ़ावा देने के इच्छुक रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने संसद भवन परिसर में अनेक प्रमुख व्यक्तियों की प्रतिमाएं और चित्रों का अनावरण कराने में सहायता की। 28 अप्रैल, 2003 को संसद भवन परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया और 26 फरवरी, 2003 को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में स्वातंत्र्यवीर सावरकर के चित्र का अनावरण किया गया। इसी प्रकार, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, श्री सी.एन. अन्नादुरै, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, श्री पसुम्पन मुत्तुरामालिंगा तेवर, श्री एस. सत्यमूर्ति, महात्मा बसवेश्वरा, महाराजा रणजीत सिंह, शहीद हेमू कालानी, चौधरी देवीलाल और महात्मा ज्योतीराव फुले की प्रतिमाओं का भी संसद भवन परिसर में अनावरण किया गया। इसके अतिरिक्त, श्री बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय, काजी नजरूल इस्लाम, बाबा खड़क सिंह, डा. के.एम. मुंशी, डा. बी. पट्टाभि सीतारमैया पंतुलु और मास्टर तारा सिंह के चित्रों का भी अनावरण किया गया।

श्री मनोहर जोशी ने अपनी अध्यक्षता के छोटे से कार्यकाल के दौरान विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद की प्रतिष्ठा और गरिमा बढ़ाने के साथ-साथ अध्यक्ष के प्रतिष्ठित पद की उच्च परम्पराओं को कायम रखने में विशेष योगदान किया है। 9 मई, 2003 को श्री जोशी ने लोक सभा अध्यक्ष के

पद पर एक वर्ष पूरा किया। विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं ने उनके अध्यक्ष पद पर एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर अभिनंदन करते हुए मुश्किल परिस्थितियों में भी निष्पक्षता और कर्मठता से कार्यवाहियों का संचालन करने के लिए उनकी प्रशंसा की। यदि ऐसा कहें तो अतिश्योक्ति न होगी कि माननीय अध्यक्ष अपने प्रतिष्ठित पद की गरिमा को कायम रखने वाले और 42 दलों वाली सभा की कार्यवाहियों का सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संचालन करने वाले उत्कृष्ट पीठासीन अधिकारी सिद्ध हुए हैं, जैसाकि ऐसे अवसरों पर उनके द्वारा दिए गए भाषणों में परिलक्षित होता है। अभिनंदनों का उत्तर देते हुए श्री मनोहर जोशी ने सदस्यगणों का धन्यवाद किया और अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा:

... मैं आप सब का आभारी हूं और जो शब्द आपने कहें हैं उनके लिए मुक्त कंठ से आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे यह स्वीकारते हुए कोई हिचक नहीं कि जब एक वर्ष पूर्व इस आसन को मैंने ग्रहण किया था तो मेरे मन में कुछ शंका थी। मुझे शंका इसलिए थी क्योंकि मेरे विचार से अध्यक्ष का काम बहुत श्रमसाध्य कार्य था। अब एक वर्ष के अनुभव के बाद मुझे यह स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं कि यह काम मेरे अनुमान से भी अधिक श्रम वाला काम है। इस अवधि के दौरान, मुझे सभा में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन, सभा के नेता, विपक्ष की नेता, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और सभा के सभी दलों के सहयोग से मैं कमोबेश सुव्यवस्थित ढंग से कार्यवाहियों का संचालन करने में सफल रहा और मुझे ऐसा विश्वास है कि आप सब भी इससे संतुष्ट होंगे।

... आप सबके सहयोग से लोक सभा ने गत एक वर्ष के दौरान लगभग सौ विधेयक पारित किए हैं। अकेले शीतकालीन सत्र में ही सभा ने 37 विधेयकों को स्वीकृति प्रदान की, जो पिछले तीस वर्ष का कीर्तिमान है। मैं यह भी सूचित करना चाहता हूं कि इस सत्र में मौखिक उत्तर के लिए सूचीबद्ध कुल प्रश्नों में से उन प्रश्नों का प्रतिशत जिनके मौखिक उत्तर दिए गए बढ़कर 19 हो गया है। जबकि पिछले तीन सत्रों के दौरान यह प्रतिशत क्रमशः 9, 11 और 16 रहा था। व्यवधानों और स्थगनों के कारण कार्यवाहियों में गतिरोध पड़ने से नष्ट होने वाला समय भी कम हुआ है। हम निश्चित ही प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं, यद्यपि आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि अभी सुधार की बहुत गुंजाइश है।

सभा के सभी दलों द्वारा किए गए अभिनंदन वस्तुतः इस बात का प्रतीक थे कि सभी दल उनका सम्मान करते थे। लोक सभा अध्यक्ष के रूप में श्री मनोहर जोशी ने सभा का सच्चा संरक्षक बनकर काम किया और सभा के भीतर और बाहर सभी स्तरों पर संसदीय भावना को बढ़ावा देने का प्रयास किया।

मनोहर जोशी, व्यक्ति के रूप में

श्री जोशी वस्तुतः एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उनका राष्ट्रीय विकास के सभी पहलुओं पर सदैव ध्यान रहता है और उन्होंने श्रमिक, कृषि, औद्योगिक विकास, व्यवसाय, व्यापार, आवास, पर्यावरण, रोजगार, शिक्षा और मराठी भाषा, साहित्य तथा संस्कृति के संवर्धन से संबंधित कई मुद्दों को उठाया है।

श्री जोशी ने अपने दीर्घ सार्वजनिक जीवन के दौरान अनेक पदों पर कार्य किया है और कई सामाजिक गतिविधियों को हाथ में लिया है। उन्होंने सामान्यरूप से, औद्योगिक विकास संबंधी कार्यों में और विशेष रूप से, हमारे समाज के निर्धन तथा दलित वर्ग के उत्थान में सक्रिय भाग लिया है। उन्होंने युवाओं, महिलाओं और वृद्धों सहित समाज के सभी वर्गों के जीवन में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

उच्च दर्जे के एक सफल व्यवसायी के रूप में श्री जोशी अनेक प्रतिष्ठानों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, स्वामी तथा साझेदार रह चुके हैं। वह औद्योगिक और कृषि क्षेत्र को समान महत्व देने में विश्वास रखते हैं और इसीलिए दोनों क्षेत्रों की प्रगति के लिए अथक परिश्रम किया है। श्री जोशी ने विश्वभर में बसे महाराष्ट्र के उद्यमियों को एक मंच पर लाने, उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक ढंग से व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित करने और उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने की दृष्टि से 'जागतिक मराठी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज' की स्थापना की।

एक शिक्षाविद् के रूप में श्री जोशी ने शिक्षा के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी और वे कोहिनूर तकनीकी संस्थान, जो युवाओं को स्वनियोजित बनाने के लिए तकनीकी शिक्षा प्रदान करता है, की नींव रखने में निमित्त बने हैं। वह मुम्बई विश्वविद्यालय की सीनेट और कार्यकारी परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। जब वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने नैतिक शिक्षा और मूल्य-आधारित शिक्षा पर विशेष बल दिया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि शिक्षा के माध्यम से हमारे बच्चों और युवाओं में राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में अपने सराहनीय प्रयासों के कारण वह अपने कई प्रशंसकों के बीच सस्नेह "सर" उप-नाम से विख्यात हैं।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री जोशी ने सांस्कृतिक तथा साहित्यिक क्षेत्र में अपनी सक्रिय भागीदारी के रूप में मुम्बई में कला अकादमी की स्थापना की, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आरंभ किया और मुम्बई के शिवाजी पार्क में अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया।

खेलों में विशेष रुचि रखने वाले श्री जोशी मुम्बई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और भारत में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं।

भाग दो

उनके विचार

एक

संसदीय और राजनीतिक मुद्दे

1

संसद–लोकतांत्रिक वाद-विवाद का सर्वोच्च मंच*

लोक सभा अध्यक्ष के इस उच्च संवैधानिक पद पर आपने मुझे चुनकर जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं सभी का हृदय से आभारी हूं। मुझे एक भारी जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं संपूर्ण सदन की एकमात्र पसन्द हूं। मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।

सर्वप्रथम, मैं इस सभा के माननीय उपाध्यक्ष, श्री सईद जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। श्री जी.एम.सी. बालयोगी के दुखद निधन के बाद सभा का संचालन करने के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। मुझे अध्यक्ष के इस उच्च संवैधानिक पद पर चुनने के लिए मैं प्रत्येक सदस्य का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस तथ्य से कि सभा ने मुझे सर्वसम्मति से चुना है, निःसंदेह मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं आशा करता हूं कि मैं आप लोगों के सहयोग से अपने कर्त्तव्यों का भली-भांति निर्वहन कर सकूंगा। जैसाकि आप जानते हैं कि कई बार अध्यक्ष का चुनाव मतदान के द्वारा किया गया था। इससे हमारी प्रणाली की परिपक्वता का पता चलता है कि संसद के इस स्वर्ण जयंती वर्ष में, सभा ने पीठासीन अधिकारी को सर्वसम्मति से चुना है। मैं इसे वैयक्तिक सम्मान मानता हूं कि इस सभा का पहली बार सदस्य होने के बावजूद मुझे इस पद पर सर्वसम्मति से चुना गया है। मैं इस जिम्मेदारी को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं और यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने कर्त्तव्यों का निष्पक्ष रूप से निर्वहन करके आपके द्वारा मेरे प्रति व्यक्त किये गये इस विश्वास को बनाए रखूंगा।

मित्रो, आप जानते ही हैं कि किन दुखद परिस्थितियों में यह पद रिक्त हुआ था। ऐसे समय में, जब देश हमारी संसद पर किये गये कायरतापूर्ण हमले के संदर्भ से उबर ही रहा था कि श्री जी.एम.सी. बालयोगी का अकस्मात निधन हो गया जो स्तब्ध राष्ट्र पर वज्रपात जैसा था। श्री बालयोगी ने अपने विनीत स्वभाव, सुस्पष्ट विनम्रता और द्वेषरहित व्यवहार से सभा के सभी सदस्यों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनके दुखद निधन से हुई कमी को पूरा करना मुश्किल होगा। मुझे विश्वास है कि उनकी हितैषी भावना से हमारा सही दिशा में मार्गदर्शन होगा।

माननीय सदस्यगण, आप सभी जानते हैं कि हमारा राष्ट्र इस समय कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। हम सीमापार से राज्य प्रायोजित आतंकवाद के संकट का सामना कर रहे हैं। हमारा

* लोक सभा अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के पश्चात् सभा में (10 मई 2002)

देश विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों, धर्मों एवं क्षेत्रों वाला एक संगठित राष्ट्र है। इस संदर्भ में, संसद को आज पहले की अपेक्षा कहीं अधिक ईमानदारी से समन्वय स्थापित करने वाली संस्था की भूमिका निभानी पड़ेगी।

हमारी संसद को लोकतांत्रिक वाद-विवाद के सर्वोच्च मंच के रूप में देखा जा रहा है और सारा राष्ट्र विशेषकर, देश के समक्ष चुनौतियों और संकट के समय हमसे लोगों को दिशा देने और विचारों की स्पष्टता बनाए रखने की अपेक्षा करता है। हमें दिशाहीन होकर राष्ट्र को निराश नहीं करना है। हमारी संसद को भारत के सभी राज्यों के विधायी निकायों द्वारा एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। अत: यह हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया जाए जो हमारे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुकरणीय हो। यह सत्य है कि संसद एक राजनैतिक संस्था है और राजनैतिक दल अपनी-अपनी सैद्धांतिक विचारधारा के अनुसार विभिन्न मुद्दों पर अपना रुख अपनाते हैं। और यही सब लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सदैव सर्वसम्मति नहीं है। इसमें वाद-विवाद के द्वारा मतभेदों का समाधान करने और दूसरे से सहमत न होने पर भी, उनका दृष्टिकोण समझने की सामर्थ्य विकसित करने की क्षमता होती है। इस संदर्भ में, हमें आज देश के समक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने हेतु दलगत राजनीति से ऊपर उठने की आवश्यकता को समझना चाहिए।

अपने आचरण के द्वारा, हमें राष्ट्र को यह संदेश देना चाहिए कि राष्ट्र के समक्ष आ रही समस्याओं को संसद बड़ी ही निष्ठा एवं गंभीरता से दूर कर रही है। इसके लिए, सभा में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की आवश्यकता है। हमें सभा के सुचारू संचालन के लिए प्रक्रिया नियमों का आदर करना चाहिए। हमें अपना विरोध दर्ज करने के लिए सभा की संपूर्ण कार्यवाही ठप्प करने की प्रवृत्ति को त्यागना होगा, क्योंकि इससे जन समुदाय को यह गलत संदेश जाता है कि जब देश अनगिनत समस्याओं का सामना कर रहा है, तो उस समय उनके जनप्रतिनिधि संसद का अमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं। इस संदर्भ में, सभा की कार्यवाही में व्यवधान और बाधा डालने की समस्या से निपटने हेतु एक प्रभावी आचार संहिता विकसित करने के स्वर्गीय श्री जी.एम.सी. बालयोगी के प्रयास हम सबका मार्गदर्शन कर सकते हैं। यह दिवंगत नेता की स्मृति में हमारी सर्वोत्तम श्रद्धांजलि होगी।

हमें इस तथ्य के प्रति सचेत रहना होगा कि हमारे देश के करोड़ों लोग सभ्य जीवन की, भोजन, आवास तथा वस्त्र जैसी, मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं। इस संदर्भ में, महात्मा गांधी ने जो कहा था, उससे हमारा मार्गदर्शन हो सकता है। उन्होंने जो कहा, उसे मैं यहां उद्धृत कर रहा हूं: ''जब भी आप संशय में हों या जब आपमें अत्यधिक स्वार्थ की भावना घर कर जाए तो आप सबसे अधिक गरीब व निस्सहाय व्यक्ति का चेहरा ध्यान में लाएं, जिसे आपने देखा हो, और सोचें कि आप जो कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं, उससे उस व्यक्ति को कोई फायदा होगा? क्या उसे इससे कोई लाभ होगा? क्या इससे, उसे अपने जीवन व भाग्य को संवारने में मदद मिलेगी? दूसरे शब्दों में, क्या इससे हमारे करोड़ों भूखे और आध्यात्मिकता के आकांक्षी देशवासियों के लिए स्वराज स्थापित किया जा सकेगा? तब आपका संशय और स्वार्थ की भावना दूर हो जाएगी।'' जब भी हम देश के हित के लिए कुछ करेंगे, गांधी जी का यह मंत्र हमारा हमेशा मार्गदर्शन करेगा।

मित्रो, मुझे यह स्वीकार करते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि मैं पहली बार संसद सदस्य बना हूं। किंतु संसदीय संस्कृति मेरे लिए नयी नहीं है। मैंने महाराष्ट्र विधानमंडल में सदन के नेता तथा विपक्ष के नेता सहित कई पदों पर काफी लम्बे समय तक कार्य किया है। श्री जी.वी. मावलंकर से लेकर श्री जी.एम.सी. बालयोगी तक के मेरे पूर्ववर्तियों द्वारा सुस्थापित उच्च परम्पराएं और महाराष्ट्र विधानमंडल का मेरा लम्बा अनुभव इस सभा की परम्पराओं और इस पद की गरिमा को बनाए रखने में मेरा मार्गदर्शन करेगा। प्रक्रिया लागू करते समय अध्यक्ष सभा के प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है और वह सदस्यों के सरोकारों पर ध्यान देने वाला प्रथम व्यक्ति होता है। मेरा व्यवहार अड़ियल और कठोर होने की बजाय मित्रवत् और समझाने-बुझाने वाला होगा और मैं हर समय सदस्यों के लिए उपलब्ध रहूंगा। मैं सभा और इसके माननीय सदस्यों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का संरक्षण करने का भी सदैव प्रयास करूंगा। अपने देशवासियों के समक्ष संसद की सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए मैं मीडिया से सहयोग की अपेक्षा करता हूं। मुझे विश्वास है कि मुझे हमेशा उनका सार्थक सहयोग मिलता रहेगा।

भाईयो और बहनो, मेरा अभिनन्दन करने के लिए मैं आप सबका आभारी हूं। मैं आने वाले दिनों में आपके पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करता हूं। हमारी संसद के इस पचासवें वर्ष में हम सब मिल-जुलकर अपनी संसदीय प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ कर पायेंगे। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि हम अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आगे का रास्ता कठिन है किंतु हम अपने दृढ़संकल्प से यह सफर पूरा करने में सफल होंगे। आइए, हम सब मिलकर एक सुदृढ़ और बेहतर भारत का निर्माण करें।

मैं एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करता हूं। *जय हिन्द*।

2

संसदीय लोकतंत्र को अधिक सार्थक बनाना*

नि:संदेह मैं आप सब का आभारी हूं और आपने जो कुछ कहा, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने कुछ आशंका के साथ एक वर्ष पूर्व यह प्रतिष्ठित पद संभाला था। मैं थोड़ा आशंकित था क्योंकि मैं सोचता था कि अध्यक्ष पद पर कार्य करने के लिए बहुत धैर्य, योग्यता और दक्षता की आवश्यकता होती है। अब एक वर्ष के अनुभव के बाद मैं बेहिचक यह बात स्वीकार करता हूं कि यह कार्य नि:संदेह मेरी आशा से कहीं अधिक धैर्य, योग्यता और दक्षता की अपेक्षा रखता है।

माननीय सदस्यो, इस अवधि के दौरान मुझे सभा में अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लेकिन सभा के माननीय नेता, विपक्ष के नेता, सभी राजनैतिक दलों तथा वर्गों के नेताओं के सहयोग से मैं सभा की कार्यवाही कुल मिलाकर सुचारू रूप से चला पाया और मुझे विश्वास है कि यह संचालन सभी के लिए संतोषजनक रहा।

मेरा सदैव विश्वास रहा है कि वाद-विवाद और चर्चा संसदीय लोकतंत्र की प्राणशक्ति है। अत: प्रक्रिया नियमों द्वारा मुझे दी गई शक्तियों का प्रयोग मैंने इस तरह से किया कि सभा के सभी पक्ष अपने विचार व्यक्त कर पाएं ताकि चर्चाधीन मामलों पर सभा में विभिन्न प्रकार के विचार प्रस्तुत किए जा सकें।

आप मानेंगे कि यह सभा मौखिक द्वन्द्व का स्थान हो सकता है लेकिन निश्चित रूप से इससे अधिक आक्रामक और किसी चीज का नहीं। इसलिए सदस्यों को सभा का व्यवस्थित कार्य संचालन सुनिश्चित करने तथा इसकी कार्यवाहियां अबाधित रूप से चलाने में पीठासीन अधिकारी के साथ सहयोग करने के दायित्व को समझना होगा। हम सभी लाखों-लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं और हम सभी का यह कर्त्तव्य है कि हम इस तरह से व्यवहार करें कि इस सम्माननीय सभा की प्रतिष्ठा बढ़े और यह देश के सर्वोच्च विधायी संस्थान के रूप में प्रभावी रूप से कार्य कर सकें। इसलिए हमें उन लोगों के कल्याण के लिए सामूहिक रूप से कार्य करना चाहिए जिन्होंने हमें इस सम्माननीय सभा के लिए निर्वाचित किया है।

पिछले एक वर्ष से मेरा यह प्रयास रहा है कि सभा के कार्यकरण को और अधिक सुव्यवस्थित बनाकर इस प्रक्रिया को सुगम बनाया जाए। आप सबके सहयोग से लोक सभा विगत एक वर्ष के

---

* लोक सभा अध्यक्ष के रूप में एक वर्ष की अवधि पूरी करने के पश्चात् सभा में (9 मई 2003)

दौरान लगभग 100 विधेयक पारित कर पाई है। शीतकालीन सत्र में ही सभा ने 37 विधेयकों को स्वीकृति प्रदान की जोकि पिछले 30 वर्षों में रिकार्ड रहा है।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूं कि सभा में इस सत्र के दौरान कुल सूचीबद्ध प्रश्नों में से मौखिक रूप से दिए गए उत्तर वाले प्रश्नों की प्रतिशतता 19 प्रतिशत बढ़ गई है जबकि पिछले तीन सत्रों के दौरान यह प्रतिशतता क्रमश: 9, 11 और 16 प्रतिशत थी। व्यवधान के कारण सभा का समय बर्बाद होने और कार्यवाही में बाधा पहुंचाने के कारण सभा स्थगन में भी कमी आई है। हम निश्चित रूप से प्रगति कर रहे हैं, यद्यपि आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि अभी भी और सुधार किये जाने की गुंजाइश है।

मैं स्वयं को भाग्यशाली मानता हूं कि मैंने संसद की स्वर्ण जयंती के अवसर पर अध्यक्ष का यह सम्माननीय पद संभाला। दोनों सदनों के सभी नेताओं और सदस्यों के सहयोग से हमने उचित रूप से स्वर्ण जयंती मनाई।

माननीय सदस्यो, मुझे विश्वास है कि मुझे भविष्य में भी सभा के सभी दलों का सहयोग और स्नेह मिलता रहेगा और हम इस सहयोग की भावना से महिला आरक्षण विधेयक पर भी विचार करने का तरीका ढूंढ़ लेंगे। हम सर्वसम्मति से एक साथ काम करके संसदीय लोकतंत्र को और अधिक सार्थक बना सकते हैं तथा आम आदमी की शिकायतों का अधिक सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से निवारण कर सकते हैं।

मैं एक बार फिर नेताओं, उपनेताओं, संसदीय कार्य मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, सभी राजनैतिक दलों के नेताओं और ग्रुपों तथा प्रत्येक सदस्यों को उनके सहयोग और सौजन्य के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सभा की कार्यवाही संचालन में दिए गए पर्याप्त सहयोग के लिए उपाध्यक्ष महोदय श्री पी.एम. सईद साहब तथा सभापति तालिका के सदस्यों का भी आभारी हूं।

मैं, सभा के कार्य संचालन में लोक सभा सचिवालय के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा पूर्ण सहयोग के लिए उन्हें भी धन्यवाद देता हूं।

मैं एक बार फिर सभी माननीय नेताओं तथा सदस्यों को उनकी उदारता के लिए धन्यवाद देता हूं।

मित्रो, आपने मुझमें विश्वास व्यक्त किया, इसके लिए भी मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

3

भारत की संसद के पचास वर्ष—समय के साथ कदम-दर-कदम*

भारत की संसद की प्रथम बैठक की पचासवीं वर्षगांठ के इस ऐतिहासिक अवसर पर आदरणीय उप राष्ट्रपति जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अन्य विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करना मेरे लिए अति सम्मान और सौभाग्य की बात है। घटनाप्रधान विगत पांच दशर्क निश्चित रूप से एक आधुनिक भारत के निर्माण के साक्षी रहे हैं और इसमें हमारी संसद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

भारत में आधुनिक संसदीय संस्थाओं के विकास का श्रेय विदेशी शासन के विरुद्ध हमारे संघर्ष तथा स्वतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाएं स्थापित करने की हमारी दृढ़ इच्छाशक्ति को दिया जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद हमने अपना संविधान अंगीकार किया, जिसमें लोकतंत्र को अपनी जीवन-पद्धति के रूप में अपनाने की हमारी जनता की दृढ़ इच्छा परिलक्षित हुई जिससे राष्ट्र की लोकतांत्रिक रूप से प्रगति का उज्ज्वल पथ प्रशस्त हुआ।

हमारी राजनीति का संसदीय स्वरूप, प्रतिनिधित्वपरक लोकतंत्र के प्रावधान से अभिव्यक्त होता है जिसमें समस्त शक्ति वस्तुत: भारत की जनता में निहित है। हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा कार्यशील लोकतंत्र है और इस उपलब्धि के लिए दुनियाभर में हमारी प्रशंसा भी होती है। हम इस पर भी गर्व कर सकते हैं कि अनेक विषमताओं के बावजूद, विगत पांच दशकों के दौरान हम अपने लोकतंत्रात्मक संविधान तथा शासन-प्रणाली की रक्षा करने में सक्षम रहे हैं।

निरंतर बदलती हमारी देशीय वास्तविकताओं को समाहित करने की हमारे संविधान की अनूठी क्षमता ने उसे सामाजिक परिवर्तन का वाहक बनाया है और इस प्रक्रिया को हमारी संसद बहुत अच्छे ढंग से संपन्न भी करती रही है। अब तक 85 संविधान-संशोधन विधेयक अधिनियमित किए गए हैं जिससे स्पष्ट है कि हमारी संसद समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है।

विधायी क्षेत्र में देखा जाए तो संसद हमारे देश के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में एक अतिमहत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती आई है। उसकी भूमिका केवल विधान-निर्मात्री संस्था की

---

* भारत की संसद के पचास वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के अवसर पर, बालयोगी सभागार, संसदीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली (13 मई 2002)

ही नहीं रही है वरन् यह एक बहुकृत्यकारी संस्था के रूप में उभरी है। भारत की जनता के एक लघुचित्र के रूप में वह उसकी आशाओं और आकांक्षाओं को दर्शाती है। संसद एक सक्रिय संस्था के रूप में उभरी है और विगत पचास वर्षों के दौरान देश के सामने उत्पन्न विकट सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक चुनौतियों के भंवर में भी उसने राज्यसत्ता का सशक्त संचालन किया है। वह बदलती सामयिक जरूरतों का सामना करने के लिए, विद्यमान सामाजिक संस्थाओं को सबल बनाने में समर्थ हुई है। इस प्रकार, संसद सामाजिक संचालन-व्यवस्था के माध्यम से परिवर्तन का आधार प्रदान करने तथा इस हेतु उत्प्रेरक का काम करने में सक्षम रही है।

सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक परिवर्तन को लाने में हमारी संसद की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। वह विभिन्न संसदीय साधनों के माध्यम से कार्यपालिका के कृत्यों पर नियंत्रण करते हुए अपनी निरीक्षणकारी तथा प्रातिनिधिक भूमिका का निर्वहन करती है। संसद वित्तीय समितियों तथा अन्य समितियों, जो सरकार के कामकाज का निरीक्षण तथा संवीक्षा करती हैं, की सहायता से प्रशासनिक खामियों को भी उजागर करती है।

गत वर्षों में भारतीय संसद में नाटकीय परिवर्तन आया है जो समूचे देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है। सदस्यों को सार्थक भूमिका निभाने के लिए नियमों और विनियमों की अच्छी जानकारी होना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उन्हें सभा में अनुशासन और शालीनता बनाए रखने के महत्व को भी समझना चाहिए। अनुशासन और शालीनता के बिना संसदीय लोकतंत्र के सुचारू कार्यकरण के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। संसदीय जीवन की उच्च परम्पराओं को बरकरार रखने के लिए संसद सदस्यों को सभा के भीतर और बाहर सद्आचरण का पालन करना होता है।

यह सच है कि अनेक अवसरों पर हमारी संसदीय प्रणाली को कठिन से कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा है। जनता की सामूहिक सहजात प्रकृति ने भारी कठिनाइयों के बावजूद लोकतांत्रिक आदर्शों की सफलता सुनिश्चित की है। राजनीतिक मानस का लोकतंत्रीकरण स्वतंत्र भारत की एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। यह भी सच है कि स्वतंत्रापूर्ण बड़ी संख्या में लोग राजनीतिक प्रक्रिया से अलग-थलग थे। इन पचपन वर्षों में लोगों को इस प्रक्रिया में 'शामिल' करने के अभियान ने जोर पकड़ा है। हमारे विविधतापूर्ण समाज के ज्यादा से ज्यादा वर्गों, विशेषत: वंचित और हतभाग्य वर्ग से संबंध रखने वाले लोगों को संसद और राज्य विधानमंडलों में अपना समुचित स्थान मिला है। उन्हें केन्द्र और राज्यों के शासन तंत्रों में भी अधिक प्रतिनिधित्व मिला है।

जब हम भारत में पिछले पचास वर्षों के दौरान संसदीय लोकतंत्र के कार्यकरण पर विशेषत: उन देशों की तुलना में दृष्टिपात करते हैं जिन्होंने हमारे साथ ही या बाद में आजादी हासिल की थी किंतु लोकतंत्र को अधिक समय तक बरकरार नहीं रख सके, तो पलड़ा अपने पक्ष में झुका हुआ ही पाते हैं। न्याय संगत, आधुनिक और जीवंत भारत के निर्माण में संसदीय लोकतंत्र के योगदान पर गर्व करते हुए हमें न तो आत्मतुष्ट होना चाहिए और न ही कमियों की अनदेखी करनी चाहिए। यही वह संतुलन है जो हमें अपनी शक्ति और अपनी कमजोरियों को जानने की दृष्टि देगा।

आइए, अपनी संसद के पचास वर्ष पूरे होने के अवसर पर हम इस महान संस्था की सेवा करने वाले अपने उन पूर्ववर्तियों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने हमें शांति और समृद्धि का उचित मार्ग दिखाया। ऐसे मुश्किल समय में जब हमारे समक्ष आंतरिक और बाह्य, अनेक चुनौतियां हैं और जिनका सबसे खतरनाक उदाहरण 13 दिसम्बर, 2001 को हमारी संसद पर हुआ आतंकवादी हमला था, आइए हम भारत माता के उन सपूतों और सुपुत्रियों द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लें जिन्होंने अपने परिश्रम, खून, पसीने और आंसुओं से इस राष्ट्र का उत्तरोत्तर निर्माण किया। आइए, साथ ही हम स्वयं को पुन: उन महान परम्पराओं को बनाए रखने के लिए समर्पित करें जो हमें विरासत में मिली हैं।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं एक बार फिर इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए आदरणीय उप राष्ट्रपति जी, आदरणीय प्रधान मंत्री जी तथा अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं।

धन्यवाद।

4

राज्य सभा–हमारे संसदीय लोकतंत्र का श्रेष्ठ निकाय*

राज्य सभा के 200वें सत्र के अवसर पर उपस्थित विशिष्टजनों को सम्बोधित करते हुए मैं सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारी संसद के ऊपरी सदन का यह सत्र वस्तुत: हमारे संसदीय लोकतंत्र की आगामी यात्रा के लिए मील का पत्थर है।

केन्द्र में हमारा द्विसदनी विधानमंडल है और ऐसी ही व्यवस्था संघ के कुछ राज्यों में भी है। वस्तुत: द्विसदनी व्यवस्था, आधुनिक विधानमंडलों की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। विचार-विनिमय की दो प्रतिनिधि संस्थाओं का सह-अस्तित्व प्राचीन वैदिक युग में भी खोजा जा सकता है। ऋग्वेद में उल्लिखित संस्थाओं–सभा और समिति–में आधुनिक द्विसदनी संसद के मूल तत्व निहित हैं।

आज, विश्व की एक तिहाई संसदों में दो सदन हैं। हमारे जैसे संघीय राज्य में दूसरे सदन के अस्तित्व की आवश्यकता का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह संघटक इकाइयों के हितों के संरक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वस्तुत: संघीय ढांचे में दूसरा सदन अलगाववादी भावनाओं, यदि कोई हो, पर ही लगाम नहीं लगाता बल्कि संघटक इकाइयों को राष्ट्रीय संसद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करके एकता और अखंडता की प्रवृत्तियों को भी सुदृढ़ करता है।

इसके अलावा, दूसरा सदन क्षेत्रीय हितों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व और अवसर प्रदान करता है तथा शासन व्यवस्था से सीमित संख्या में ऐसे योग्य व्यक्तियों को संबद्ध करता है जो दलीय राजनीति की कठिनाइयों की वजह से इसमें भाग नहीं लेना चाहते या नहीं ले सकते।

हमारे दूसरे सदन ने अप्रैल, 1952 में अपने गठन के बाद से हमारे संसदीय लोकतंत्र में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है और हमारे देश के स्वातंत्र्योत्तर इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इस प्रतिष्ठित संस्था में राजनीति और जीवन के अन्य क्षेत्रों के बहुत ही परिपक्व व्यक्ति होते हैं, इसलिए यह संस्था हमारी राज्य व्यवस्था में अभिनव तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पांच दशकों के अपने घटनापूर्ण अस्तित्व के दौरान, इसने संविधान द्वारा प्रदत्त भूमिका को बड़े अच्छे ढंग से निभाया है और हमारी संसद के पुनरीक्षक सदन के रूप में कार्य करने के संबंध में हमारे संविधान निर्माताओं की आशाओं और आकांक्षाओं को खूब पूरा किया है। राज्य सभा ने अपने सतर्क पर्यवेक्षण

* राज्य सभा के 200वें सत्र के अवसर पर आयोजित समारोह में (11 दिसम्बर 2003)

और परिपक्व विवेक के सहारे सदैव जनता की आवाज को जोरदार ढंग से रखने का प्रयास किया है। सभी क्षेत्रों में अपनी विधायी क्षमता का जोरदार परिचय देकर राज्य सभा ने हमारे देश के संसदीय इतिहास में अपना एक विशेष स्थान बनाया है और प्रतिष्ठा अर्जित की है।

विधि-निर्माण समाज में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के सर्वाधिक शक्तिशाली साधनों में से एक है। राज्य सभा ऐसे अनेक विधायी उपाय करने में उल्लेखनीय रूप से संबद्ध रही है जिनकी विषयवस्तु आम आदमी और समाज के वंचित वर्गों के हितों से जुड़ी हुई थी।

हमारी संसद में लोक सभा की भांति राज्य सभा में भी हमारे राष्ट्रीय जीवन के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर दूरगामी प्रभाव डालने वाले बहुत से विधेयक पुर:स्थापित किए गए हैं; और उनके अधिनियमन से देश में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव पड़ा है। विधि-निर्माण के क्षेत्र में इस सदन के योगदान का पता इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसके अस्तित्व के पचास वर्षों के दौरान इसमें सात सौ से अधिक सरकारी विधेयकों का पुर:स्थापन हुआ है। साधारण विधेयकों का पुर:स्थापन दोनों सदनों में से किसी में भी हो सकता है लेकिन, दूसरा सदन, लोक सभा में प्रचुर सरकारी कार्य के भार को हल्का करने में सहायक सिद्ध होता है। यह किसी भी विधायी प्रस्ताव पर पूर्ण और स्वतंत्र चर्चा का अवसर भी प्रदान करता है।

यहां यह कहना संभवत: अप्रासंगिक नहीं होगा कि हमारी संसद के इतिहास में ऐसे अवसर भी आए जब दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति पैदा हुई। ऐसा प्रथम अवसर तब आया जब दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1959 में किए जाने वाले कतिपय संशोधनों के संदर्भ में असहमति हुई। दूसरा अवसर राज्य सभा द्वारा बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1977 को अस्वीकार किये जाने पर उत्पन्न हुआ। तीसरा अवसर तब आया जब आतंकवाद निवारण विधेयक, 2002 को लेकर दोनों सदन सहमत नहीं हो सके। इन तीनों मामलों में गतिरोध की स्थिति को सुलझाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के उपाय का सहारा लिया गया। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि राज्य सभा ने सदैव लोक सभा के साथ पूर्ण सहयोग की भावना से कार्य किया है। जनता की भावनाओं पर खरे उतरकर, हमारी सर्वोच्च प्रतिनिधिक संस्था के इन दोनों संघटक निकायों ने भारत को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तथा सामाजिक रूपांतरण का आदर्श बना दिया है।

यद्यपि वित्तीय मामलों में नियंत्रण के संबंध में राज्य सभा की भूमिका लोक सभा जितनी गहन तो नहीं है, तथापि यह सच्चाई है कि इस संबंध में राज्य सभा की जो भूमिका है, वह किसी भी मायने में कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह केन्द्रीय बजट तथा रेल बजट दोनों पर चर्चा करती है।

हमारे संविधान में राज्य सभा को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। वह राज्य सूची में आने वाले किसी भी विषय के संदर्भ में, राष्ट्रहित में, संसद में कानून बनाने के लिए संकल्प पारित कर सकती है। यदि राष्ट्रहित में आवश्यक मानकर यह सभा इस आशय का कोई संकल्प पारित कर दे, तो संसद विधि द्वारा किसी भी अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। जब लोक सभा भंग रहती है तो राज्य सभा को राष्ट्रपति द्वारा की गई किसी उद्‌घोषणा को प्रवर्तित करने की विशेष शक्तियां

प्राप्त हो जाती हैं। इस तरह, हमारी संघीय राज्य व्यवस्था में राज्य सभा अपने विशेष महत्व और उपयोगिता के साथ संरचनात्मक रूप से एक अद्वितीय स्थान रखती है।

राज्य सभा में असाधारण प्रतिभा वाले अनेक विद्वान, शिक्षाविद्, इतिहासकार, वैज्ञानिक, कलाकार, कवि, साहित्यकार, विधिवेत्ता, अभियंता, अर्थशास्त्री, प्रशासक और सामाजिक कार्यकर्त्ता रहे हैं। राज्य सभा के अनेक विशिष्ट निर्वाचित सदस्यों में से कुछ नाम मुझे याद आ रहे हैं, जैसे—आचार्य नरेन्द्र देव, श्री भूपेश गुप्त, श्री विट्ठल गाडगिल, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, श्रीमती वायलेट अल्वा, श्री एम.सी. छागला, श्री वाई.बी. चव्हाण, श्री हुमायूं कबीर, श्री पीलू मोदी और श्री प्रकाशवीर शास्त्री—जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अनुकरणीय सेवाएं प्रदान कीं। इसी तरह, हमारे देश के अनेक सपूतों और सुपुत्रियों ने नामनिर्दिष्ट सदस्यों के रूप में भी इस सम्मानित सभा की शोभा बढ़ाई है। इनमें से कुछ का उल्लेख करें तो, प्रो. सत्येन्द्रनाथ बोस, डा. ताराचंद, श्री मैथिलीशरण गुप्त, डॉ. हरिवंशराय बच्चन, डॉ. पी.वी. काणे, श्री जी. शंकर कुरुप, प्रो. नुरुल हसन, श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुंडेल, श्री बी.एन. बनर्जी आदि कुछ नाम ऐसे हैं जिनका हमारे राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महान योगदान किसी परिचय का मोहताज नहीं है।

हमारी संसद के दोनों सदन ऐसे मंच हैं जहां अति विवादास्पद मुद्दे चर्चा के लिए आते हैं और इसीलिए इनमें अक्सर तनाव और दबाव की स्थिति पैदा हो जाती है। अनेक बार सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच गर्मा-गर्मी हो जाती है और एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप भी लगाए जाते हैं। इन परिस्थितियों में, हास्य की हल्की फुहार सदन में वातावरण को शांत करने में अनुकूल प्रभाव डालती है। दलीय संबद्धता और राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए हास्य-विनोद, वाक्-द्वन्द्व के सूखे मरुस्थल में मरुद्यान की भांति होते हैं।

विनोदपूर्ण स्थिति की बात करते समय मैं श्री पीलू मोदी का जिक्र किए बिना नहीं रह सकता। श्री मोदी संसद के प्रतिष्ठित सदस्य थे। एक बार वह अपने पीछे बैठी एक महिला सांसद से बात कर रहे थे। एक सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि श्री मोदी अध्यक्षपीठ की ओर पीठ करके बैठे हैं। श्री पीलू मोदी खड़े हुए और कहा कि किन्हीं सज्जन ने यह आरोप लगाया है कि वह अध्यक्षपीठ की ओर पीठ करके बैठे हैं। उन्होंने प्रत्युत्तर दिया, "जहां तक मेरी बात है तो मेरी न कोई पीठ है और न कोई सीना; मैं तो गोल-मटोल हूं।"

महान दार्शनिक डॉ. एस. राधाकृष्णन से लेकर हमारे समय की महान राजनीतिक हस्ती आदरणीय श्री भैरो सिंह शेखावत जी तक के उत्तरोत्तर पीठासीन अधिकारियों के गतिशील नेतृत्व में राज्य सभा का प्रभावी कार्य प्रदर्शन और भारतीय राज्य व्यवस्था में इसका भारी योगदान देश के सभी ऊपरी सदनों के लिए बड़े ही गर्व की बात है।

इस शुभ अवसर पर मैं संसद के निचले सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में अग्रजों के इस सम्मानित निकाय का सादर अभिवादन करता हूं। मैं अपनी यह हार्दिक कामना और प्रबल इच्छा भी व्यक्त करता हूं कि हमारे राष्ट्रीय जीवन में इसका योगदान और भी महान और गौरवपूर्ण होगा और

आने वाले वर्षों में यह संसदीय परम्पराओं और परिपाटियों को गरिमा और विशिष्टता के साथ कायम रखता रहेगा। मैं माननीय सभापति श्री भैरो सिंह शेखावत जी, माननीय उप सभापति डा. (श्रीमती) नज़मा हेपतुल्ला जी और राज्य सभा के सदस्यों को राष्ट्र के प्रति उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। मैं नज़मा जी का उप-सभापति के रूप में इस सदन की सबसे लंबे समय तक सेवा करने के लिए विशेष रूप से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे समय के उत्कृष्ट सांसद श्री प्रणव मुखर्जी तथा अन्य उन सभी संसद सदस्यों को भी हार्दिक बधाई देता हूं जिन्होंने राज्य सभा के सौ से अधिक सत्रों में भाग लिया और संसदीय मामलों की अपनी गहरी समझ से इसकी कार्यवाही में भारी योगदान दिया।

5

भारतीय लोकतंत्र—अर्धरात्रि से सहस्त्राब्दि तक*

मैं "भारत का संसदीय लोकतंत्र का अनुभव" विषय पर अपने कुछ विचार व्यक्त करने के लिए आप सब के बीच उपस्थित होकर वास्तव में, सम्मानित हुआ हूं और प्रसन्न हूं। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले, मैं यहां इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि इस वर्ष जनवरी में हमने अपनी संसद के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में 77 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और संसदीय लोकतंत्र के संबंध में अपनी अनुभूतियां तथा विचार व्यक्त किये थे। यह हमारे लिए सम्मान की बात थी कि पुर्तगाल गणराज्य की नेशनल असेम्बली के प्रेजीडेंट, डा. जोआओ बोस्को मोता अमरल सम्मेलन में आए विशिष्ट प्रतिनिधियों में से एक थे। यह हमारे लिए बड़े संतोष की बात थी कि सभी प्रतिनिधियों ने इस बात की भूरि-भूरि प्रशंसा की कि भारत ने पिछले पांच दशकों में किस प्रकार अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाया है। इसलिए मुझे इस बात की विशेष रूप से प्रसन्नता है कि मुझसे "भारत का संसदीय लोकतंत्र का अनुभव" विषय पर आप लोगों के समक्ष अपने विचार रखने का अनुरोध किया गया है।

यद्यपि, अपने आधुनिक रूप में संसदीय लोकतंत्र विगत पांच दशकों से भारत में कार्यशील है, तथापि गहन शोध और अध्येतावृत्ति ने यह प्रमाणित कर दिया है कि हमारे देश में लोकतंत्र और प्रातिनिधिक संस्थाएं 3000 से 1000 ईसवी पूर्व वैदिक युग में भी विद्यमान थी। कहा जाता है कि "ऋग्वेद" में उल्लिखित "सभा" और "समिति" नामक संस्थाओं में आधुनिक संसद के मूल तत्व अंतर्विष्ट थे। समिति का स्वरूप आम सभा अथवा लोक सभा की भांति था और "सभा" उस समय समाज के कतिपय वरिष्ठ लोगों का अपेक्षाकृत एक छोटा निकाय होती थी जिसे आज मोटे तौर पर आधुनिक विधानमंडलों में ऊपरि सदन कहा जाता है। आधुनिक संसदीय लोकतंत्र के कार्यकरण की कुछ विशेषताएं जैसे स्वतंत्र चर्चा और बहुमत द्वारा निर्णय की प्रथा प्राचीन भारत में भी विद्यमान थी। यद्यपि प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था मुख्यतः राजतंत्रात्मक थी, तथापि कतिपय लोकतांत्रिक संस्थाएं और पद्धतियां उस व्यवस्था में ही अंतर्निहित थीं। उदाहरणार्थ, निर्वाचित राजपद के कई दृष्टांत थे। उस जन सभा का कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण था। असेम्बली की प्रायः बैठकें हुआ करती थीं जिनमें वाद-विवाद, चर्चा और विचार-विमर्श के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जाता था। ऐसे

---

* "भारत का संसदीय लोकतंत्र का अनुभव" विषय पर भाषण देते हुए, ओरियंट इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नीकल यूनिवर्सिटी, लिस्बन, पुर्तगाल (26 मई 2003)

गणराज्य भी थे जिनके राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते थे। भारत में विकसित एक अन्य अद्वितीय लोकतांत्रिक परंपरा थी—पंचायत व्यवस्था, जिसका शाब्दिक अर्थ था "पांच सदस्यों वाली परिषद" द्वारा शासन।

तथापि, विदेशी शासन के आने से संसदीय संस्थाओं के उद्‌भव और विकास को क्षति पहुंची। जैसाकि आप जानते हैं, भारत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में महान स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात् 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। हमारा स्वतंत्रता संग्राम मुख्यत: अहिंसक, नैतिक और लोकतांत्रिक था। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसमें जनता शामिल थी और उसने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था। जब देश स्वतंत्र हुआ तो हमारी लोकतांत्रिक और संसदीय राज्य व्यवस्था पर इन सभी बातों का प्रभाव था।

यद्यपि आज हमारे देश में जो वेस्टमिन्स्टर प्रकार का संसदीय लोकतंत्र है, वह कुल मिलाकर औपनिवेशिक शासन की ही देन है, तथापि यह मान लेना गलत होगा कि इस समय जो संस्थाएं, रचनाएं, संसदीय प्रथाएं और प्रक्रियाएं हैं, वे सब ब्रिटिश माडल की प्रतिकृति हैं। संसदीय प्रणाली अपनाकर हम केवल अपनी समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत को मान्यता प्रदान कर रहे थे और उसे सुदृढ़ बना रहे थे।

जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो वह इस रूप में विश्व की एक प्रमुख घटना बनी कि यह पहले प्रमुख एफ्रो-एशियाई देशों में से एक था जिसने उपनिवेशवाद से स्वयं को मुक्त किया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, सर एंथनी ईडन ने बाद में भारत गणराज्य के बारे में लिखा था, जिसे मैं यहां उद्धृत कर रहा हूं:

> "शासन में समय के साथ-साथ किए गए सभी प्रयोगों को देखते हुए मेरा यह मानना है कि भारत द्वारा संसदीय शासन प्रणाली अपनाना सर्वाधिक रोमांचकारी है। एक विशाल उपमहाद्वीप अपने करोड़ों लोगों पर स्वतंत्र लोकतांत्रिक प्रणाली लागू करने का प्रयास कर रहा है। ... ऐसा करना एक साहसिक कार्य है। भारतीय प्रयास हमारे देश की प्रणाली की नकल मात्र नहीं है अपितु यह वृहद तथा बड़े पैमाने पर अपनाई जाने वाली ऐसी प्रणाली है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यदि यह प्रणाली सफल होती है तो एशियाई देशों पर इसका अत्यधिक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। परिणाम चाहे जो भी हो, हमें उन सभी का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने यह प्रयास किया है।"

हमारे देश की विशालता और विविधता, इसके आर्थिक पिछड़ेपन और सामाजिक स्थिति, निरक्षरता और निर्धनता ने हमारी राजनैतिक प्रणाली के समक्ष कड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। इसलिए, स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों ने संदेह व्यक्त किया कि क्या हम संक्रमण काल की चुनौतियों का मुकाबला कर पाएंगे। पश्चिम के कुछ लोगों ने भी यह संदेह व्यक्त किया था कि क्या हमारे जैसे नानाविध तथा बहुलवादी समाज और राज्य व्यवस्था के लिए वेस्टमिन्स्टर प्रकार का उदार लोकतंत्र उपयुक्त रहेगा। वस्तुत: कुछ ने तो महाविनाश तक की भविष्यवाणी कर दी थी। परंतु शीघ्र ही वे सब गलत सिद्ध हुए। संसदीय लोकतंत्र न केवल समय की कसौटी पर खरा उतरा है अपितु इसने

हमारे देश में अपनी गहरी जड़ें जमा ली हैं। हमारे अपने उपमहाद्वीप सहित विश्व के विभिन्न भागों में जहां लोकतंत्र का पतन हुआ अथवा पतन होकर पुन: सैन्य अथवा तानाशाही शासन कायम हुआ वहीं हमारे देश में लोकतंत्र और अधिक सशक्त हुआ है।

यह मुख्यत: हमारी परंपरा और लोकतंत्र की विरासत के कारण ही संभव हुआ है। लोकतंत्र की विशेषताएं यथा सहिष्णुता, परस्पर समायोजन, वाद-विवाद, चर्चा, विचार-विमर्श और सर्वसम्मति इत्यादि हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग रही हैं। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है और हमारे देश ने इसकी छत्रछाया में ही अपना विकास किया है।

इस प्रस्तावना के साथ, मैं अब भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से लेकर इस सहस्राब्दी तक संसदीय लोकतंत्र के अनुभव का विस्तार से वर्णन करूंगा।

वर्ष 1947 में आजादी प्राप्त करने के बाद हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गयी। लेकिन, हम इस बात के प्रति आश्वस्त थे कि आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी, दोषपूर्ण और कमजोर होती है। महात्मा गांधी ने हमें बताया था कि लोकतंत्र की उनकी धारणा यह है कि उसमें सबसे दीन-हीन को भी सबसे समर्थ आदमी के बराबर अवसर मिलने चाहिएं। इसी पृष्ठभूमि में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त, 1947 की अर्धरात्रि को नियति से मिलन की बात कही थी। पंडित नेहरू ने निम्नलिखित बात कहते हुए हमारे सपनों को ही जीवंत किया था। उन्होने कहा था:

> ''ठीक आधी रात को जब सारी दुनिया सोती होगी भारत जीवन और आजादी की अंगड़ाई लेकर उठेगा। एक ऐसी घड़ी आती है, जो आती है लेकिन इतिहास में बड़ी मुश्किल से उस समय आती है जब एक युग समाप्त होता है और हम पुराने युग को छोड़कर नए युग में प्रवेश करते हैं, जब किसी राष्ट्र की चिर दमित आत्मा मुखर हो उठती है। यह उचित ही है कि इस पवित्र वेला में हम भारत और उसकी जनता की और उससे भी कहीं महान मानवमात्र की सेवा का व्रत लें।''

पंडित नेहरू द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को ही संविधान निर्माता डा. बी.आर. अम्बेडकर ने यह कहते हुए प्रतिध्वनि दी थी जब उन्होंने कहा था:

> ''हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। ... इसका अर्थ एक ऐसी जीवन पद्धति से है जिसमें स्वाधीनता, समानता और भाईचारे को जीवनमूल्यों के रूप में स्वीकारा गया हो। ... समानता, स्वाधीनता के बिना कुछ लोगों का अनेकानेक लोगों पर आधिपत्य होगा। स्वाधीनता रहित समानता व्यक्ति के प्रयास को नष्ट कर देगी। भाईचारे के बिना स्वाधीनता और समानता जीवन के स्वाभाविक अंग नहीं बन सकते।''

वर्ष 1947 से ही ये महान आदर्श हमारे राष्ट्रीय प्रयासों के दिग्दर्शक थे। इन आरंभिक वर्षों में हमारी इस यात्रा को संविधान ने सुगम बनाया जिसका प्रारूप संविधान सभा ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद दो वर्ष, ग्यारह महीने और सत्रह दिनों में तैयार किया।

विश्व के सबसे बड़े संसदीय लोकतंत्र के रूप में भारत का सफर पहले आम चुनाव के बाद 1952 में लोक सभा के गठन के साथ ही शुरू हो गया था। संसद के ऊपरी सदन राज्य सभा का गठन भी इसी वर्ष हुआ था। तभी से हमारी संसद ने जनता के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के पथ पर राष्ट्र का मार्गदर्शन और नेतृत्व करते हुए सर्वोच्च विधायी संस्था के रूप में काम किया है।

भारत के संविधान निर्माताओं को देश के समक्ष आ रही अनेक समस्याओं की पूरी जानकारी थी। अत: उन्होंने भारत के सामाजिक ढांचे को लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और कानून के शासन की आधुनिक आधारशिला पर निर्मित करने की आवश्यकता महसूस की। हमारे संविधान की योजना के तहत राज्य के तीन प्रमुख अंग—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सुनिर्धारित सीमाओं के भीतर काम करते हैं। संविधान उनकी शक्तियों को परिभाषित करता है, उनके अधिकार क्षेत्र का परिसीमन करता है, उनके दायित्व निर्धारित करता है और एक-दूसरे के साथ तथा आम जनता के साथ इनके संबंधों को विनियमित करता है। इसमें राज्य के तीनों अंगों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों की परिकल्पना की गयी है। इसके अलावा, निष्पक्ष और स्वतंत्र प्रेस, गैर-राजनीतिक और तटस्थ रक्षा प्रतिष्ठान और दक्ष सिविल सेवा हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए शक्ति और सहयोग के बड़े स्रोत रहे हैं।

हमारे तंत्र के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक राष्ट्रीय स्तर पर संसद और क्षेत्रीय स्तर पर राज्य विधानमंडल हैं। हमारे संसदीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत पंचायत से लेकर संसद तक की प्रतिनिधि संस्थाओं के लिए नियमित और आवधिक चुनाव हैं। वस्तुत: चुनाव भारत में लोकतंत्र के उत्सव हैं। यह कार्य कितना विशाल है, इसकी जानकारी कुछ आंकड़ों से मिल जाती है। वर्ष 1951-52 में हुए पहले आम चुनाव में 173 मिलियन पात्र मतदाता थे जिनमें से 106 मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया। चौदह राष्ट्रीय दलों सहित चौवन राजनीतिक दलों ने 489 सीटों के लिए कुल 1874 प्रत्याशी खड़े करके चुनाव में भाग लिया था।

वर्ष 1999 में हुए तेरहवें आम चुनाव में 620 मिलिंयन पात्र मतदाताओं में से 59.99 प्रतिशत अर्थात् 372 मिलियन मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें से 207 मिलियन पुरुष और 165 मिलियन महिलाएं थीं। जितने मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया, उनकी संख्या विश्व के तीसरे सबसे घनी आबादी वाले देश अमरीका, जिसकी आबादी 290 मिलियन है, से भी अधिक है। इसी प्रकार महिला मतदाताओं की संख्या 151 मिलियन आबादी वाले विश्व के छठे सबसे घनी आबादी वाले देश पाकिस्तान की कुल आबादी से अधिक थी। हमारे निर्वाचन क्षेत्रों में भी मतदाताओं की संख्या में अंतर बहुत ही रोचक है। लोक सभा के सबसे छोटे निर्वाचन क्षेत्र लक्षद्वीप में मतदाताओं की संख्या मात्र 35716 है जबकि सबसे बड़े लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र बाहरी दिल्ली में लगभग तीन मिलियन मतदाता हैं। 169 दलों ने चुनाव लड़ा। 543 सीटों के लिए 4658 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा जिनमें से 4364 पुरुष और 294 महिलाएं थी। इस आम चुनाव में मतपत्रों के मुद्रण में 7700 मीट्रिक टन कागज का प्रयोग किया गया और चुनावों के आयोजन पर 664 करोड़ रुपये अर्थात् 150 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर खर्च किया गया। वास्तव में यह लोकतंत्र की भारी कीमत है। लेकिन मुझे

विश्वास है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि लोकतंत्र के लिए कोई भी कीमत अधिक नहीं है। हमारे यहां मतपत्रों की लड़ाई लड़ी जाती है, गोलियों की नहीं। साथ ही, हमने सदैव शांतिपूर्ण, सुचारु और सुव्यवस्थित रूप से सरकारें बदली हैं।

निरंतर बदलते रहने वाली सहज वास्तविकताओं के प्रति हमारे संविधान की अनुकूलता ने इसे सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी वाहक बना दिया है और इस प्रक्रिया में हमारी संसद से भरपूर मदद मिल रही है। आज की तारीख तक संविधान में 86 संशोधन किए गए हैं। दो अन्य संविधान संशोधन, जिन्हें हाल ही में सम्पन्न हुए सत्र में पारित किया गया है, राष्ट्रपति से अनुमति मिलने की प्रतीक्षा में है। संविधान संशोधन इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि भारतीय संसद ने आरंभ से ही जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य किया है।

हमारी संसद ने हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सक्षम बनाने की दृष्टि से अपनी प्रक्रियाओं और पद्धतियों को प्रभावी बनाया है ताकि वे जनता की समस्याओं को उठा सकें और कार्यपालिका को सदैव चौकस रख सकें। हमारी समिति प्रणाली भी कार्यपालिका के कार्यकलापों की सतत निगरानी करने में सक्षम बनाती है। संसद सर्वोच्च विधायी संस्था है और उनसे हमारे समाज के दलित और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कई सामाजिक-आर्थिक व कल्याणकारी विधान पारित किए हैं तथा नीतियां बनाई हैं। कुल मिलाकर हमारी लोक सभा ने अब तक 3168 विधान पारित किए हैं जिसका मोटे तौर पर औसत्त प्रतिवर्ष 60 विधान है।

हमारी संसद का यह सतत प्रयास रहा है कि संविधान में उल्लिखित विचारों तथा आदर्शों को साकार किया जाए। संविधान में सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समता का प्रावधान है और धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद का निषेध है। अतः, यह उचित ही है कि संसद ने महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को उनका न्यायसम्मत स्थान देते हुए, समाज सुधार को लक्षित करके विभिन्न कानून बनाए हैं तथा अन्य कई प्रगतिशील उपाय किए हैं।

हमारी संसद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के प्रति सदैव चिंतित रही है। इसने उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाए हैं और इन वर्गों के लिए संविधान में किए गए सुरक्षोपायों के क्रियान्वयन से जुड़े मामलों को लेकर सदैव सजग रही है। संसद ने कई ऐसे महत्वपूर्ण विधान बनाए हैं जिनसे इन समुदायों के व्यक्तियों के कल्याण का पथ प्रशस्त हुआ है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के आधार पर ही किया गया था। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के संबंध में एक पूर्णाधिकार-प्राप्त संसदीय समिति भी है। इसी प्रकार, संसदीय विधानों के अनुसार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन किया गया है।

महिलाओं को पुरुषों के बराबर सामाजिक और राजनीतिक अधिकार देने के लिए ठोस प्रयास भी किए गए हैं। विवाह, संरक्षकता, उत्तराधिकार, विरासत आदि के बारे में कानूनों के अलावा—जोकि

महिलाओं के अधिकारों व हितों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते है—संसद ने ऐसे कई अन्य कानून भी पारित किए हैं जिनका आशय हमारे समाज में महिलाओं की सामान्य स्थिति में सुधार करना रहा है।

संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग को, महिलाओं को मिले संवैधानिक तथा विधिक रक्षोपायों से जुड़े सभी मामलों की निगरानी और वर्तमान कानूनों की समीक्षा करने तथा यथावश्यक संशोधनों के बारे में सुझाव देने का दायित्व सौंपा गया है। यह आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए समय-समय पर विधिबद्ध किए गए सभी विधायी उपायों के समुचित कार्यान्वयन की भी निगरानी करता है ताकि वे जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता का अवसर प्राप्त करने तथा राष्ट्र के विकास में बराबर की भागीदारी होने में समर्थ हो सकें।

संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधनों के अधिनियमन के जरिए नगर निकायों तथा नगरपालिकाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है और पंचायत व नगरपालिका के चुनावों में तथा देश के सभी स्थानीय निकायों के अध्यक्ष के पदों पर उनके लिए एक तिहाई स्थानों के न्यूनतम और अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस संशोधन के कारण दस लाख से अधिक महिलाओं को सार्वजनिक पदों का दायित्व संभालने तथा राजनैतिक जीवन प्रारंभ करने का मौका मिला है।

वर्तमान में लोक सभा के समक्ष एक अन्य विधेयक है जिसमें संसद के निर्वाचित सदन और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित करने का प्रावधान है। मैंने अगले महीने लोक सभा के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई है ताकि इस मामले पर सर्वसम्मति कायम हो सके। प्रसंगत: मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि जब मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, तो हमारी राज्य विधान सभा ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया था जिसमें केन्द्र सरकार से विधानमंडलों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का आग्रह किया गया था।

अप्रैल, 1997 में हमारी संसद ने महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी एक समिति का गठन किया। यह समिति अन्य कार्यों के साथ-साथ महिलाओं को बराबरी और गरिमा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों की समीक्षा और निगरानी करती है।

संसद द्वारा पारित सभी विधानों, नीतियों तथा कार्यक्रमों से लोकतंत्र का सामाजिक व राजनीतिक आधार और बढ़ा है तथा अधिकाधिक लोग देश की राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने लगे हैं। इसके फलस्वरूप, स्वाभाविक रूप से तंत्र पर थोड़े दबाव की स्थिति भी बनी है। हमारी संसद विकट झंझावातों में भी अविचल बनी रही है और उसने राष्ट्र को सदैव प्राणवंत रखकर समस्याशोधक और कष्टनिवारक संस्था के रूप में सफलतापूर्वक कार्य किया है।

विगत पांच दशकों की घटनाप्रधान कालावधि में भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज में नाटकीय परिवर्तन हुए हैं। समाज ने ऐसी कई चुनौतियों का सामना किया है जो केवल हमारे जैसे अत्यंत बहुलवादी देश में ही संभव है। अर्थव्यवस्था कई समस्याओं से उबरी है और अब स्वयं को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ सार्थक ढंग से जोड़ने की प्रक्रिया से गुजर रही है। राजनीतिक रूप से

भी हमने अपनी विशाल जनसंख्या की आशाओं, आकांक्षाओं तथा निराशाओं का सदैव ध्यान रखकर एक जिम्मेदार और जवाबदेह राष्ट्र के रूप में परिपक्वता दिखायी है।

तथापि, हमारी राजनीति और राजनीतिक संस्थाएं स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में जैसी थीं अब उससे काफी भिन्न स्थिति में हैं। पचास और साठ के दशक में एकदलीय प्रभुत्वपूर्ण शासन के स्थान पर अब अनेक राजनीतिक दलों वाले राजनीतिक बहुलवाद का समय आ गया है। केन्द्र और अनेक राज्यों में एक दलीय शासन के स्थान पर राजनीतिक दलों के गठबंधन सत्ता में हैं। इसके साथ-साथ, राजनीतिक अभिजात्य वर्ग की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि में भी काफी बदलाव आया है। क्षेत्रीय दल भी राष्ट्रीय राजनीति में आगे आए हैं। पहली लोक सभा में जहां केवल चार या पांच प्रमुख राजनीतिक दल थे, वहीं आज जिस लोक सभा का मैं अध्यक्ष हूं, उसमें 42 दल हैं। साफ सी बात है कि हाल के वर्षों में हमारी प्रतिनिधिक संस्थाओं के कार्यकरण पर इनका असर भी दिखायी पड़ता है।

हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर तरह से प्रयास कर रहे हैं कि विधानमंडलों के समय का इष्टतम उपयोग हो। संसद की गरिमा को ध्यान में रखकर हम उसकी कार्यवाही के सुचारु और सुव्यवस्थित संचालन पर जोर दे रहे हैं। हमारे राजनीतिक जीवन को धनबल और बाहुबल के दुष्प्रभाव से दूर रखने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। इस संबंध में निर्वाचनगत सुधार की प्रक्रिया चल रही है। हम सार्वजनिक जीवन में नैतिक आचार पर भी बल दे रहे हैं। वस्तुतः इस हेतु संसद के दोनों सदनों की आचार समितियां भी बनायी गयी हैं। हम इस दिशा में सरकार के प्रयासों में सहायता और सहयोग करने के लिए संसदीय राजनय और अंतर-संसदीय सहयोग पर भी काफी जोर दे रहे हैं।

यद्यपि हमारे संसदीय लोकतंत्र के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं, तथापि, मेरे विचार से, न केवल हमारे तंत्र के लिए वरन् पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है—आतंकवाद। 13 दिसंबर, 2001 को हमारे लोकतंत्र के मंदिर—हमारी संसद—पर हुआ आतंकवादी हमला वास्तव में हमारे संसदीय लोकतंत्र की बुनियाद पर किया गया हमला था। हमारे संसदीय लोकतंत्र की शक्ति और उसकी सहिष्णुता की ही मान्यता थी कि हमने आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के षडयंत्र को नाकामयाब कर दिया। हम विश्व के उन समस्त नेताओं के आभारी हैं जिन्होंने इस घड़ी में हमारे साथ सहानुभूति जतायी।

हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि यदि दुनिया के किसी भी हिस्से की शांति खतरे में पड़ती है तो दुनिया के हर हिस्से की शांति खतरे में पड़ती है। मुझे 14 अगस्त, 1947 को संविधान सभा में कही पंडित नेहरू की उस बात का स्मरण होता है।

मैं उद्धृत करता हूं:

''अतः हमें अपने स्वप्न साकार करने के लिए मेहनत करनी होगी, एकजुटकर काम करना होगा। ये स्वप्न केवल भारत के लिए ही नहीं हैं, बल्कि सारी दुनिया के लिए हैं, सारे देशों के लिए हैं। आज लोग एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हैं कि उनमें से कोई भी अकेले रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। कहा गया है कि शांति अविभाज्य है, इसी तरह अब स्वतंत्रता तथा समृद्धि

भी अविभाज्य हैं और इसी प्रकार इस एक विश्व में आपदा को भी अलग-अलग टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता।''

इन वर्षों में संसद ने मजबूत तथा एकीकृत भारत बनाने के महान कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। राजनैतिक तथा वैचारिक मतभेदों के बावजूद विगत वर्षों में हमारी संसद में रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा विदेश नीति के संबंध में आम सहमति तथा सर्वानुमति विकसित हुई है। अंतिम उद्देश्य जन कल्याण तथा राष्ट्र का विकास रहा है।

इस संबंध में मुझे एक किस्सा याद आता है जिसे मैं यहां बैठे सम्मानित श्रोताओं को सुनाना चाहता हूं। कुछ वर्ष पूर्व 1980 के दशक के अंत में—1990 के दशक के प्रारंभ में, जब लोकतंत्र की 'तीसरी लहर' सारे विश्व में चल रही थी, तब रूस का एक संसदीय शिष्टमंडल ''ब्रिटिश हाउस आफ कॉमन्स'' के तत्कालीन अध्यक्ष माननीय बर्नार्ड वेदरिल से मिला तथा उनसे अपने नवजात लोकतंत्र को चलाने के संबंध में सलाह मांगी। माननीय वेदरिल ने रूसी सांसदों को भारत का दौरा करने तथा भारतीय अनुभव से लाभान्वित होने की सलाह दी। मेरे विचार से, यह हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक संस्कृति को रेखांकित करता है जो हमने गत पांच दशकों के दौरान विकसित की है।

वस्तुत: हमारी संसद के अंतर्गत संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो है जो अन्य बातों के साथ-साथ सांसदों एवं विधायकों, नीति-निर्माताओं, जन सेवकों एवं अन्य को प्रबोधन एवं प्रशिक्षण देने हेतु संस्थागत व्यवस्थाएं करता है। ब्यूरो संसदीय अधिकारियों हेतु दो अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, यथा संसदीय प्रशिक्षु कार्यक्रम (पार्लियामेंट्री इन्टर्नशिप प्रोग्राम) तथा विधायी प्रारूपण में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाता है। आज तक संसदीय प्रशिक्षु कार्यक्रम में 262 विदेशी संसदीय अधिकारियों ने भाग लिया। जबकि विधायी प्रारूपण कार्यक्रम में विदेश के 188 अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अलावा, विदेश के कई सांसद तथा संसदीय अधिकारी अध्ययन दौरों के दौरान ब्यूरो में आए तथा हमारी संसदीय संस्थाओं के कार्यकरण से अवगत हुए।

देवियो और सज्जनो, हमारे माननीय राष्ट्रपति, डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने अपने भाषणों तथा लेखों में आगामी बीस वर्षों में 'विकसित भारत' की संकल्पना को पूरा किए जाने की बात पर बार-बार जोर दिया है। उसके लिए, हमारा विश्वास है कि हमें इस उद्देश्य के लिए एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। हमें सामूहिक रूप से अच्छे शासन के माध्यम से गरीबों तथा सुविधाहीन व्यक्तियों की चिंताओं पर ध्यान देना चाहिए, महिलाओं तथा कमजोर वर्गों को पूर्ण अधिकारिता प्रदान करनी चाहिए, हमारे जवाबदेही के तंत्रों को और ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए, हमारी प्रतिनिधिक संस्थाओं के गौरव को बढ़ाना चाहिए, सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा को और सुदृढ़ करना चाहिए तथा विश्व में शांति सुनिश्चित करनी चाहिए। इससे ऊपर हमारे राष्ट्रपति के शब्दों में ''एक विकसित राष्ट्र की संकल्पना, संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से ही प्राप्त की जानी है जो हमारी शासन प्रणाली का मूल है।'' यही संकल्पना हमारे सामने है: हर आंख से आंसू की एक-एक बूंद को पोछने की संकल्पना जो महात्मा गांधी चाहते थे तथा हर मायने में एक विकसित राष्ट्र बनाना, जो कल्पना हमारे माननीय राष्ट्रपति ने की।

देवियो और सज्जनो, मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

6

विधानमंडलों में अनुशासन और शालीनता की अनिवार्यता*

सातवें वार्षिक पूर्वोत्तर क्षेत्र राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर यहां आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मैं इस सम्मेलन में आए गण्यमान्य प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी अनुपम सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हमारे देश के इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह सम्मेलन आयोजित करने के लिए मैं असम विधान सभा की राष्ट्रमंडल संसदीय संघ शाखा को भी बधाई देता हूं।

मित्रो, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ अपने प्रारंभ से ही संसदीय लोकतंत्र का संरक्षक रहा है। मेरे विचार में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ ने अपने लंबे इतिहास के दौरान शांति और लोकतंत्र की तलाश में परस्पर सहयोग पर आधारित राष्ट्रमंडल की भावना विकसित की है। इसका आशय विविध रंग-भेद, जातीय, सांस्कृतिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमि वाली जनता के बीच भ्रातृभाव की भावना का सृजन करना, अपने-अपने देशों में संसदीय संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना, विधि का शासन, मूल मानवाधिकारों तथा मूल स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार प्रदान करना है।

सम्मेलन की कार्यसूची से मुझे पता चला है कि यहां दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी, अर्थात् 'संसद एवं राज्य विधानमंडलों में अनुशासन और शालीनता' तथा 'पूर्वोत्तर क्षेत्र में अलगाववाद की समस्या—सामाजिक-आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव'।

हमारे संसदीय राज्य व्यवस्था की सफलता के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों में अनुशासन और शालीनता बनाए रखना एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। सभा का समय सीमित ही नहीं वरन् बहुमूल्य भी है। विधानमंडल एक ऐसा स्थान है जहां विभिन्न मुद्दों के संबंध में अलग-अलग विचार व्यक्त किये जाते हैं और उनका यथासंभव वाद-विवाद तथा चर्चा द्वारा और समझा-बुझाकर समाधान कर लिया जाता है। निर्वाचित जन-प्रतिनिधि संसदीय जीवन की उच्चतम परंपराएं केवल तभी कायम रख सकते हैं जब वे कतिपय आचार संहिता का पालन करें, व्यवहार संबंधी कतिपय मानदंडों का अनुपालन करें और सभा में होने वाली चर्चा में कतिपय नियमों, प्रथाओं तथा परिपाटियों के अनुसार भाग लें।

एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में विधायी निकाय की छवि और इसकी विश्वसनीयता मुख्यत: इसके सदस्यों की भूमिका और उनके कार्यों पर निर्भर करती है। विधानमंडल का कार्यकरण बहुत महत्वपूर्ण

---

* सातवें वार्षिक पूर्वोत्तर क्षेत्र राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर, गुवाहाटी, असम (10 जून 2003)

कार्य है और इसका संचालन अत्यधिक गरिमा, शालीनता और ईमानदारी के साथ किया जाना चाहिए। सभा में व्यवस्था बनाए रखना पीठासीन अधिकारी का कर्त्तव्य है। वह सभा की बैठकों का नियामक है और उन्हें सुसाध्य बनाता है। स्वस्थ संसदीय संस्कृति विकसित करने हेतु ठोस नियम बनाने में सहायता करने और उपयुक्त प्रक्रियाओं, प्रथाओं तथा परिपाटियों को बनाए रखने का दायित्व भी उन पर है। पीठासीन अधिकारी अपनी अनुशासनात्मक शक्तियां नियमों से प्राप्त करता है।

गठबंधन सरकारों के इस युग में सभा के समय का प्रबंधन करना बहुत ही कठिन और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। अत्यल्प बहुमत और बदलते राजनीतिक गठजोड़ों के कारण सभा का कार्य व्यवस्थित ढंग से संचालित करना एक कठिन कार्य बन गया है। इसलिए, अब समय आ गया है कि सभी राजनीतिक दल सभा की कार्यवाहियों में बेहतर भागीदारी के तौर-तरीके तलाशें और यह सुनिश्चित करें कि उनके सदस्यों का आचरण गरिमापूर्ण और मर्यादित हो। नए सदस्यों की राजनीतिक और संसदीय शिक्षा में सुधार करने की तात्कालिक आवश्यकता है। इसके लिए राजनीतिक दल स्वयं पहल करें या आम सहमति के आधार पर कोई तंत्र विकसित किया जाए।

लोक सभा और राज्य विधानसभाओं की कार्यवाहियों में कई बार शोरगुल के कारण अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके कारण निर्वाचित निकायों की छवि खराब होती है, क्योंकि कार्यवाहियों का इलेक्ट्रानिक मीडिया से भी प्रसारण होता है और आम जनता उन्हें देखती है। अव्यवस्था और शोरगुल के दृश्य संसदीय संस्थाओं के कार्यकरण से जुड़े सभी व्यक्तियों, चाहे वे पीठासीन अधिकारी हों, दलों के नेता हों, सचेतक हों या सामान्य सदस्य हों, के लिए चिन्ता के विषय हैं।

जहां तक सभाओं में समय प्रबंधन की बात है, पीठासीन अधिकारियों के समक्ष गंभीर समस्या है। उदाहरण के लिए, लोक सभा की छह घंटे की निर्धारित कार्य सूची के अंतर्गत 545 सदस्यों में से प्रत्येक को प्रतिदिन केवल 40 सेकेण्ड का समय मिल सकता है। विविधता वाली आबादी के प्रतिनिधि जिन अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को उठाना चाहते हैं, वे बहुत बड़ी संख्या में होते हैं और निर्विवाद रूप से गंभीर होते हैं। यह स्वाभाविक है कि सदस्य सदन में अपनी समस्याएं रखने के लिए सभी उचित साधनों—तारांकित प्रश्न, शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा, ध्यानाकर्षण, स्थगन प्रस्ताव, आदि का सहारा लेते हैं। सभा में समय की उपलब्धता और इसकी मांग के बीच हमेशा अंतर रहता है। सदस्यों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। सभाओं में व्यवस्थित कार्य संचालन सुनिश्चित करने में यह मुख्य बाधा है। सदस्य पीठासीन अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी बात को बार-बार दोहराकर व्यवस्था को भंग करते हैं, असंसदीय अभिव्यक्तियों का प्रयोग करते हैं और अमर्यादित आचरण करते हैं। ऐसी स्थितियों में पीठासीन अधिकारी से निष्पक्षता, चतुराई, व्यवहारकुशलता, समझ और सहानुभूति की अपेक्षा रहती है। पीठासीन अधिकारी में सदस्यों के अंदर विश्वास पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए।

कई बार तो सभा में चर्चा के दौरान गरमा-गरमी और उत्तेजना का वातावरण बन जाता है। ऐसे अवसरों पर किसी सदस्य या पीठासीन अधिकारी की विनोदपूर्ण टिप्पणी से माहौल शांत हो सकता

है और इससे सभा का कार्य संचालन सुचारु रूप से चलाने में मदद मिल सकती है। ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब विनोदपूर्ण टिप्पणी ने स्थिति को सहज बनाया है।

हालांकि, विधायकों के आचरण को विनियमित करने के लिए अनेक दिशानिदेश और परिपाटियां विकसित की गई हैं परन्तु स्थिति संतोषजनक नहीं है। जनता की बढ़ती हुई चिंता और कुछ विधायकों के अशोभनीय व्यवहार को प्रचार मिलने के दृष्टिगत इस मुद्दे को गंभीरता से लेना महत्वपूर्ण हो गया है...

तेरहवीं लोक सभा के पांचवें और छठे सत्रों के दौरान जो क्रमश: नवम्बर-दिसम्बर, 2000 तथा फरवरी-अप्रैल, 2001 में हुए थे, सभा की कार्यवाही सर्वाधिक बार स्थगित हुई थी। पांचवें सत्र के दौरान, सभा का 73 घंटे 28 मिनट का समय अथवा उसके कुल समय का 34.6 प्रतिशत शोर-शराबे तथा कार्यवाही-स्थगन के कारण नष्ट हुआ। इसी तरह, छठे सत्र के दौरान इतना ही समय, अर्थात 73 घंटे 28 मिनट या 40.2 प्रतिशत समय नष्ट हुआ। तथापि, कुछ समय से इस प्रवृत्ति में उल्लेखनीय कमी देखने में आई है। विगत वर्ष शीतकालीन सत्र के दौरान कार्यवाही स्थगित होने के कारण केवल 27 मिनट का समय खराब हुआ जो कुल समय का मात्र 0.3 प्रतिशत था। हाल ही में सम्पन्न बजट-सत्र के दौरान, जो 17 फरवरी, 2003 से शुरू होकर 9 मई, 2003 को समाप्त हुआ था, सभा की कार्यवाही केवल चार बार ही स्थगित हुई और शोर-शराबे के कारण पूरे दिन की कार्यवाही केवल एक ही बार स्थगित हुई थी। इसमें 5 घंटे 19 मिनट का समय नष्ट हुआ जो सत्राधीन सभा-समय का 2.2 प्रतिशत था।

सभा में कार्यवाही-स्थगन और शोर-शराबे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए पीठासीन अधिकारी को समुचित संतुलन से काम लेना चाहिए। जहां एक तरफ उसे यथासंभव अधिकाधिक सदस्यों को सभा में अपने विचार व्यक्त करने का मौका देने की कोशिश करनी चाहिए, वहीं व्यवस्था बनाए रखने और समय नष्ट न करने पर दृढ़तापूर्वक जोर देना चाहिए। कई अवसरों पर, जबकि किसी विवादास्पद मुद्दे पर सभा में नेताओं और सदस्यगणों में मतभेद की स्थिति बन जाए, पीठासीन अधिकारी सभी राजनीतिक दलों/समूहों के नेताओं के साथ सलाह और बैठक करके गतिरोध को समाप्त करने में सफल हो सकता है।

सभा में चर्चा के समय अनुशासन तथा गरिमा बनाए रखना भी सदस्यों का एक बड़ा उत्तरदायित्व है। यहां पर मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होने एक बार कहा था:— "संसदीय लोकतंत्र में कई बातों की अपेक्षा होती है। बेशक, योग्यता और काम के प्रति समर्पण की अपेक्षा तो होती ही है, इसके अलावा बहुत सहयोग, आत्मानुशासन और आत्म-संयम की भी आवश्यकता होती है।" अत:, सभा की कार्यवाही के सुचारु संचालन के लिए अनुशासन और शालीनता बनाए रखना अनिवार्य है।

यह बात पुन: दोहराई जाती है कि एक ऐसी सामान्य आचार-संहिता की आवश्यकता है जो सब पर लागू हो और जिसका सभी अनुपालन करें। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पहले भी कई बार पीठासीन अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलनों में इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया गया था। आपको

स्मरण होगा कि 23 व 24 सितम्बर, 1992 को विधानमंडलों में अनुशासन और शालीनता के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए पीठासीन अधिकारियों, राजनीतिक दलों के नेताओं, संसदीय कार्य मंत्रियों, सचेतकों, सांसदों व राज्य विधानमंडलों के सदस्यों तथा संसद व राज्य विधानमंडलों के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दो-दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन संसद के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित किया गया था। यह अपनी तरह का ऐसा प्रथम सम्मेलन था जिसमें सामयिक और उपयोगी चर्चा हुई तथा इसमें संसद तथा राज्य विधानमंडल सदनों के और अधिक सार्थक, प्रभावी तथा सुव्यवस्थित ढंग से संचालन की अविलम्बनीय आवश्यकता तथा कार्यवाही के बारे में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया गया। इसमें राजनैतिक दलों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने विधायकों के लिए एक आचार-संहिता तय करें और उनके द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएं। 25 नवम्बर 2001 को आयोजित पीठासीन अधिकारियों, मुख्यमंत्रियों, संसदीय कार्य मंत्रियों, दलों के नेताओं और सचेतकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में स्वीकृत संकल्प में संसद तथा राज्य विधानमंडलों से आह्वान किया गया कि वे एक आचार संहिता स्वीकार करें तथा इसे प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों का एक अंग बनाकर लागू करें तथा इसका उल्लंघन किये जाने पर भर्त्सना, फटकार, निंदा अथवा सभा से निकाले जाने के रूप में दण्ड दिया जाए।

वाद-विवाद तथा चर्चा संसदीय लोकतंत्र की आत्मा है। अत: पीठासीन अधिकारियों को प्रक्रिया नियमों के अनुसार उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि सभा में सभी पक्ष अपने विचार व्यक्त कर सकें जिससे चर्चाधीन मामलों पर सभा के समक्ष कई तरह के विचार उपलब्ध हो सकें।

आप इस बात से सहमत होंगे कि विधानमंडल वाक्युद्ध का स्थान हो सकता है, किंतु निश्चित रूप से यह इससे अधिक उग्र कार्यवाही का स्थान नहीं हो सकता। इसी कारण सदस्यों को सभा की कार्यवाही का सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने में पीठासीन अधिकारियों के साथ सहयोग करने तथा सभा की कार्यवाही में बाधा न डालने के दायित्व को समझना चाहिए। हम सब जन-प्रतिनिधि हैं तथा हम सब का यह कर्त्तव्य है कि हम इस ढंग से व्यवहार करें जिससे विधानमंडल की गरिमा बढ़े तथा यह अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सके।

मैं अब कार्यसूची के दूसरे विषय अर्थात् 'पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह की समस्या—सामाजिक-आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव' पर आता हूं। पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत का एक चित्ताकर्षक भाग है जहां जाति, शासन तथा विकास संबंधी अपनी विलक्षण समस्याएं हैं। विविध संस्कृतियों, भाषाओं और परम्पराओं वाले इस संपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक आंदोलन हुए हैं जो शांतिपूर्ण और कभी-कभी कम शांतिपूर्ण भी रहे हैं। यह क्षेत्र जातीय-सांस्कृतिक दृष्टि से सीमान्त क्षेत्र है जहां भारत की समृद्ध किंतु अल्पज्ञात विरासत विद्यमान है तथा भाषायी, जातीय एवं धार्मिक समूहों का एक जटिल पारगमन क्षेत्र है। यह एक अनूठा जैव-भौगोलिक सीमान्त क्षेत्र भी है जहां वनस्पति तथा प्राणी जगत—दोनों प्रकार की जैव विविधता का खजाना है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई विशेषताएं हैं जैसे विविध प्राकृतिक संसाधन सम्पदा, अनुकूल कृषि-जलवायु संबंधी स्थितियां, उच्च साक्षरता दर इत्यादि। इस क्षेत्र की एक अन्य

विशेषता यह है कि देश के अधिकांश अन्य भागों की तुलना में यहां महिलाओं को उच्चतर सामाजिक दर्जा प्राप्त है, कार्यक्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता भी अखिल भारतीय औसत से कहीं अधिक है। किंतु खनिज तथा वन संपदा के मामले में समृद्ध होने के बावजूद पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है तथा यह क्षेत्र निर्धनता, आर्थिक पिछड़ेपन और बेरोजगारी के दुष्चक्र में फंसा हुआ है।

जैसाकि आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि विकास तथा अलगाववाद दो अभिन्न मुद्दे हैं जिनके स्थायी समाधान खोजने के लिए एक सांझा तथा समेकित दृष्टिकोण अपेक्षित है। अलगाववाद की समस्या का समाधान निःसंदेह बलपूर्वक अथवा हिंसा के बल पर नहीं किया जा सकता। केवल बातचीत और वार्ता के माध्यम से ही हम अलगाववाद की समस्या का स्थायी समाधान खोज सकते हैं ताकि इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता तथा विकास सुनिश्चित किया जा सके।

केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर बहुत आकर्षक आर्थिक पैकेज देती रही है। इस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में सरकार, संसद तथा विभिन्न अन्य सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा दर्शायी गयी अधिकाधिक रुचि तथा चिंता से ही राष्ट्र के मानस में इस संवेदनशील क्षेत्र को प्राप्त विशेष स्थान का पता चलता है।

मित्रो, हमें पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं की समीक्षा वास्तविक और समग्र रूप में एवं वैज्ञानिक ढंग से करनी चाहिए तथा अपनी सफलताओं और विफलताओं का यथार्थ आकलन करना चाहिए ताकि ऐसे मूल दृष्टिकोण की पहचान की जा सके जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र की भावी नीतियों और पहलों का दिशानिर्देशन हो सके। इस क्षेत्र की वर्तमान समस्याओं का समाधान खोजने के लिए हमें लोगों की आकांक्षाओं को पूरी तरह समझना होगा तथा इस क्षेत्र की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विलक्षणता का आदर करना होगा। हमें लोगों की भावनाओं को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समझना होगा। लोगों में किसी भी कारण से विद्यमान कुण्ठा, असंतोष और असुरक्षा की भावना की ओर तत्काल ध्यान दिये जाने की जरूरत है। हमें लोगों के बीच अधिकाधिक संपर्क को प्रोत्साहित करना चाहिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र से विभिन्न राज्यों तथा राज्यों से इस क्षेत्र में छात्रों का आवागमन एक ऐसा ही तरीका है। युवा वर्ग की यात्राएं तथा युवा महोत्सव जिनसे प्रतिभागियों को आपस में मिलने-जुलने का अवसर मिलता है, का उपयोग भी युवा वर्ग को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने के लिए किया जा सकता है। बढ़ती हुई बेरोजगारी युवावर्ग में उत्पन्न हो रही निराशा और असंतोष की भावना का एक कारण है। निर्वाचित प्रतिनिधि इस क्षेत्र के व्यापक हित में संयुक्त प्रयास कर सकते हैं जिसके लिए सहर्ष स्वीकृति प्राप्त होगी। ऐसे प्रयासों से राज्य सरकारों के लिए, केन्द्र सरकार की सहभागिता से उन समस्याओं का समाधान करने के लिए संयुक्त प्रयास करना सुगम होगा जिनसे इस क्षेत्र में अलगाववाद की समस्या उठ खड़ी होती है। आइए, हम सब यह कामना करें कि अलगाववाद की समस्या शीघ्र दूर हो तथा पूर्वोत्तर राज्यों में पुनः शांति तथा समृद्धि आए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सम्मेलन का सहर्ष उद्घाटन करता हूं। मैं इस सम्मेलन की चर्चाओं की सफलता की कामना करता हूं।

धन्यवाद।

7

लोकतंत्र की रक्षा—समय की मांग*

मैं भारत की जनता और भारत की संसद की ओर से भारतीय संसद के स्वर्ण जयंती समारोह के भाग के रूप में आयोजित किये जा रहे इस अन्तरराष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर संसद भवन के इस ऐतिहासिक केन्द्रीय कक्ष में उपस्थित सभी विशिष्टजनों का स्वागत करता हूं।

हमें भारत के माननीय राष्ट्रपति, महामहिम डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का हार्दिक स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। महोदय, हमारे लिए यह सौभाग्य और गौरव की बात है कि आज आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं।

हमें भारत के माननीय उप-राष्ट्रपति, श्री भैरों सिंह शेखावत का इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए गर्मजोशी से स्वागत करते हुए भी अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

हम इस उद्घाटन समारोह में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के पधारने के लिए उनके प्रति अपना अत्यधिक आभार व्यक्त करते हैं।

हम इस स्मरणीय अवसर पर उपस्थित सभी गण्यमान्य व्यक्तियों, विशिष्ट प्रतिनिधियों और उनके पति/पत्नियों तथा अन्य सम्माननीय अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं।

यह भव्य कक्ष आधुनिक भारत के इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। 14-15 अगस्त, 1947 की मध्य रात्रि को ब्रिटिश राज द्वारा भारत की सम्प्रभु सत्ता का ऐतिहासिक हस्तान्तरण इसी केन्द्रीय कक्ष में हुआ था। स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए भारत की संविधान सभा की बैठकें तीन वर्षों तक इसी कक्ष में हुई थीं। दुनिया भर के अनेक विशिष्ट राष्ट्राध्यक्षों ने इसी मंच से संसद सदस्यों को संबोधित किया है। विगत में अनेक अंतरराष्ट्रीय संसदीय सम्मेलनों का आयोजन भी इसी कक्ष में होता रहा है। अतएव, यह उचित ही है कि हमारी संसद की स्वर्ण जयंती के अवसर पर इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भी इसी कक्ष में हो रहा है जो हमारे प्रिय देश भारत के इतिहास के निर्माण का साक्षी रहा है।

जैसाकि आप सभी जानते हैं कि भारत ने अपनी स्वतंत्रता, अहिंसा के पुजारी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कुशल नेतृत्व में, शांतिपूर्ण तथा अहिंसक संघर्ष के माध्यम से प्राप्त की थी। हमारा देश द्वितीय

* भारत की संसद के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में अंतरराष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर, नई दिल्ली (22 जनवरी 2003)

विश्व युद्ध के बाद सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले देशों में से एक था। भारतीय क्षितिज पर स्वतंत्रता के सूर्योदय के साथ ही दुनिया के अनेक हिस्सों में औपनिवेशिक शासन की समाप्ति की प्रक्रिया शुरू हो गयी। दुनिया ने गहन रुचि से एक ही साथ भारत तथा अन्य अनेक देशों को स्वतंत्र होते देखा। ऐसे अनेक लोग थे, जो इस बात को लेकर आशंकित थे कि क्या भारत एकजुट और स्वतंत्र रह सकेगा और हमारा नवजात लोकतंत्र असंख्य भारतवासियों की मांगों को पूर्ण करते हुए अपने अस्तित्व को बचाये रखने में सफल हो सकेगा? यह हमारा सौभाग्य था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उन आरंभिक वर्षों में हमारे देश के भाग्य के दिशानिर्देशन के लिए हमारे बीच उत्कृष्ट नेता थे। हमारे पहले प्रधान मंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने लोकतंत्र के नाजुक पौधे का पालन-पोषण किया। सरदार वल्लभभाई पटेल ने भारत राष्ट्र की एकता और अखण्डता को सुदृढ़ किया। डा. भीमराव अम्बेडकर ने ऐसे संविधान के निर्माण की प्रेरणा दी जोकि राज्य के सभी अंगों का मार्ग प्रशस्त कर सके।

आधी शताब्दी बाद भी हम, भारतवासियों ने लोकतंत्र की मशाल को प्रज्वलित रखा है, जबकि कई अन्य देश रास्ते में ही लड़खड़ा गये। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा और प्रगतिशील लोकतंत्र है। हमारे देश की जनसंख्या एक अरब है जहां विभिन्न भाषा-भाषी लोग रहते हैं तथा जिनके रीति-रिवाज और परम्पराएं, आस्था और धर्म अलग-अलग हैं। इन अविश्वसनीय विविधताओं के बावजूद हम अपने राष्ट्र की एकता को बनाये रखने, अपनी विविधता को संरक्षित रखने में सफल रहे हैं और हमने अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं का उपयोग सभी लोगों के कल्याण के लिए किया है। वास्तव में, यह प्रक्रिया इस तथ्य के कारण सहजतापूर्वक सम्पन्न हो सकी है कि लोकतंत्र का स्वर्णिम सूत्र अनेक राजनीतिक परिवर्तनों और विभिन्न अन्य समस्याओं के उपरांत भी हमारी युगों पुरानी सम्पूर्ण सभ्यता के दौरान निर्बाध रूप से विद्यमान रहा है। हम यह मानते हैं कि लोकतंत्र की विशिष्टता है, शांतिपूर्ण परिवर्तन। तदनुसार, राजनीतिक मतभेदों का समाधान संवैधानिक सीमाओं के दायरे में किया गया है और यहां सरकारें जीवंत लोकतंत्र के समय की कसौटी पर खरे उतरे सिद्धान्तों के अनुसार ही आती-जाती रही हैं।

इन पांच दशकों के दौरान हमारी राज्य व्यवस्था के तीनों अंग—अर्थात जनता, संसद और प्रशासन आधुनिक भारत के निर्माण की सही दिशा में भारत के संविधान से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे हैं जो कि इस देश का ऐसा सर्वोच्च्व दस्तावेज है जिसकी हम शपथ लेते हैं। जब इस देश ने लोकतंत्र का पर्व मनाया अर्थात पहले आम चुनाव हुए उस समय यहां चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण था। इस प्राचीन सभ्यता के इतिहास में वह गर्व का क्षण था जब 13 मई, 1952 को राष्ट्र निर्माण की नई दिशा तय करने के लिए संसद के दोनों सदनों की प्रथम बैठक समवेत हुई।

लोकतंत्र के बारे में अक्सर कहा जाता है कि यह सामाजिक समृद्धि प्राप्त करने की दिशा में अनंत यात्रा है। जैसे-जैसे समाज प्रगति के रास्ते पर अग्रसर होगा, संसदीय संस्थाओं को भी स्वयं बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बदलना होगा। हमारे अब तक के सांसदों के कारण ही यह संभव हो सका है कि हमने अपने संसदीय लोकतंत्र की लम्बी और कठिन यात्रा के दौरान अपने लोकतांत्रिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए स्वस्थ परम्पराएं, पद्धतियां और प्रक्रियाएं विकसित की हैं।

अपने भारतीय लोकतंत्र में विकसित कुछ परिपाटियां और प्रक्रियागत नवीनताओं से संसदीय राजनीति विज्ञान की विधा समृद्ध हुई है और संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही बढ़ी है। जैसाकि आप सभी जानते हैं, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का उद्‌भव संसद से होता है। इसी कारण कार्यपालिका को अनिवार्यत: संसद के प्रति जवाबदेह होना होता है तथा इसे जनप्रतिनिधियों की सामूहिक बुद्धिमत्ता का आदर करना होता है। संसद सर्वोच्च है और इस सर्वोच्चता को कार्यपालिका द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। हम महसूस करते हैं कि संसदीय कार्यकरण का यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय संसदीय बिरादरी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अत: यह उचित ही है कि हम इस सम्मेलन में ''संसदीय पद्धतियां और प्रक्रियाएं: कार्यपालिका को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए सुधारों की आवश्यकता'' विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही हमने अपने देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। इस कठिन कार्य में हमने महात्मा गांधी से प्रेरणा ली है। मैं उनके शब्दों को उद्धृत करता हूं—''लोकतंत्र के बारे में मेरी अवधारणा यह है कि लोकतंत्र में निर्बलतम व्यक्ति को भी वही अवसर उपलब्ध होने चाहिएं जो सबसे समर्थ व्यक्ति को उपलब्ध होते हैं''। हमारे संविधान निर्माताओं ने संसद की कल्पना हमारे देश के लाखों लोगों की जीवन दशा को सुधारने के लिए सामाजिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में की थी। पिछले पांच दशकों के दौरान हमारी संसद ने समाज के वंचित, दलित और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने वाले अनेक कानून बनाकर सामाजिक परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभायी है। मानवीय गरिमा को बनाए रखने के प्रयास के रूप में संसद द्वारा कई आयोगों और समितियों का गठन भी किया गया है। हमारी संसद की दोनों सभाओं में होने वाले वाद-विवाद हमेशा ही हमारे लोगों के कल्याण और सामाजिक व्यवस्था में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका पर केन्द्रित रहते हैं। ''सामाजिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में संसद'' विषय की सार्वभौमिक उपादेयता को देखते हुए हमने इस विषय को इस सम्मेलन में चर्चा के लिए शामिल किया है।

मित्रो, भारतीय संसद ने विश्व शांति, सहयोग की भावना और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने को सबसे अधिक महत्व दिया है। हाल के वर्षों में विश्व अभूतपूर्व तरीके से सिमटकर वास्तव में एक विश्व ग्राम बन गया है। भूमण्डलीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया से इसे और अधिक बल मिला है और इस प्रक्रिया में नीति निर्धारकों के समक्ष नई चुनौतियां आई हैं और नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। हमारा यह सुनिश्चित मत है कि भूमण्डलीकरण और उदारीकरण की दिशा में किसी भी प्रयास का मूल उद्देश्य जन साधारण का कल्याण होना चाहिए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने हेतु किये गये प्रत्येक प्रयास का लक्ष्य जनसाधारण से संबंधित मुद्दे और स्थानीय वास्तविकताएं होनी चाहिए। इन सभी प्रयासों में, सबसे निचले स्तर के कार्यकर्त्ताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में संसद सदस्य सरकारों की अमूल्य सहायता कर सकते हैं। हमारा यह विश्वास इस रूप में अभिव्यक्त हुआ है कि हमने इस सम्मेलन में विचार के लिए ''भूमण्डलीकरण और उदारीकरण के युग में संसद'' विषय का चयन किया है।

मित्रो, विगत शताब्दी के अंतिम दशक में पूरे विश्व में लोकतंत्र अभूतपूर्व रूप से मजबूत हुआ है। परन्तु खेद की बात है कि लोकतंत्र की इस विजय को आतंकवाद की विभीषिका ने अपने विभिन्न रूपों में पर्याप्त रूप से क्षति पहुंचाई है। यह अत्यधिक दुर्भाग्य की बात है कि शांति और विकास के जिन आदर्शों के लिए हम प्रयासरत हैं उन पर जब हम अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं तो आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों के विध्वंसक कार्यकलापों से उनमें बाधा पड़ती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम भारतवासी लम्बे समय से आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। 13 दिसम्बर 2001 को संसद भवन की इसी इमारत पर आतंकवादियों ने हमला किया था और लोकतंत्र के इस मंदिर की रक्षा करते हुए हमारे कई बहादुर सुरक्षा कर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। 11 सितम्बर 2001 को अमरीका पर तथा मॉस्को और बाली तथा अन्य स्थानों पर सन् 2002 में हुए आतंकवादी हमलों ने यह साबित कर दिया है कि आतंकवाद की विनाशक शक्ति कितनी दूर तक पहुंच गयी है। इन बर्बर आतंकवादी गतिविधियों से पता चलता है कि अब इनका लक्ष्य विशेष रूप से लोकतांत्रिक देश और बहुलतावादी तथा उदार समाज है। आतंकवादी, जो उदार समाज के शत्रु हैं, लोकतंत्र की शक्तियों, वाकस्वातंत्र्य और कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता तथा व्यक्ति के सम्मान का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। इस निराशाजनक परिप्रेक्ष्य में एक संतोषजनक बात यह है कि अब सारा विश्व आतंकवाद की इस बुराई के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए कटिबद्ध है। लोकतांत्रिक देशों के रूप में हमें इस बुराई का मुकाबला करना चाहिए। सांसदों के रूप में हम राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद् संकल्प, 1373 को ध्यान में रखकर आवश्यक विधायी उपाय करके और आतंकवाद की इस विभीषिका का मिलकर मुकाबला करके अपनी-अपनी सरकारों की सहायता कर सकते हैं। हम यह महसूस करते हैं कि इस सम्मेलन में ''आतंकवाद का मुकाबला'' विषय पर चर्चा इस प्रक्रिया को आसान बनाएगी।

आज आवश्यकता इस बात की है कि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में हम सांसद लोकतंत्र के आधार को नष्ट करने की कोशिश में लगी हुई ताकतों से लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए एक आम सहमति बनाने में सहायता करें। आइये हम सब मिलकर सामूहिक रूप से आतंकवादियों और उनके सहयोगियों का मुकाबला करें। अपने दृढ़ निश्चय और सामूहिक प्रयासों से हम आतंकवाद के विरुद्ध इस युद्ध में विजयी हो सकते हैं और होंगे।

मित्रो, हम सभी प्रभुसत्तासम्पन्न राष्ट्र लोकतांत्रिक सशक्तीकरण की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों से गुजर रहे हैं। हम एक-दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें विश्वास है कि इस सम्मेलन के जरिए हम उन चुनौतियों के बारे में दूसरे देशों के अनुभवों से अवश्य ही लाभ उठा सकते हैं और इन चुनौतियों को अवसरों में बदलकर भावी पीढ़ियों के लिए हम विश्व को और अधिक मानवीय, सम्पन्न, शांतिपूर्ण एवं स्नेहपूर्ण बना सकते हैं।

हमारी संसद के इस स्वर्ण जयंती समारोह में विश्व के संसदीय समुदाय द्वारा अधिकाधिक संख्या में भाग लिए जाने से हमें अपार हर्ष हुआ है। मैं आप सभी का आभारी हूं कि आप इन समारोहों में हमारे साथ शामिल हुए और इस महत्वपूर्ण अवसर पर आनंद के इन क्षणों में हमारे सहभागी बने।

हम अपनी संसद की हीरक जयंती, प्लेटिनम जयंती और फिर शताब्दी महोत्सव में आप सबके पुनः शामिल होने की आशा करते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मुझे इस विशिष्ट सभा का हार्दिक स्वागत करने में अति प्रसन्नता हो रही है।

धन्यवाद।

नमस्कार! जय हिन्द!

8

विधानमंडल—लोकतंत्र के मंदिर*

मैं आज हैदराबाद के इस खूबसूरत शहर में 14वीं वार्षिक राष्ट्रमण्डल संसदीय विचारगोष्ठी के उद्घाटन के अवसर पर आपके बीच आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं यहां के लोगों के शानदार आतिथ्य की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

मैं इस अवसर पर प्रजातंत्र को मजबूत करने की दिशा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) की प्रशंसनीय भूमिका की सराहना करता हूं। अपनी स्थापना के समय से ही, सीपीए ने प्रजातंत्र, संसदीय परंपराओं, विधि का शासन, वैयक्तिक स्वतंत्रता तथा मानवीय गरिमा का पोषण किया है। सांसद सीपीए संगठन के नीचे नस्ल, भाषा, धर्म तथा संस्कृतिगत भेदभाव के बिना एक साथ आ जाते हैं।

सम्मेलन की कार्यसूची से पता चलता है कि इसमें अनेक महत्वपूर्ण विषयों, यथा, "संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना—संसदीय समितियों की भूमिका", "संसद में अनुशासन और शालीनता बनाए रखने तथा सभा के समय के प्रबंधन में पीठासीन अधिकारियों की भूमिका", "सभा के अंदर तथा बाहर विधायकों के नैतिक मानदंड", "कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के बीच संबंध", "बजट पर संसदीय नियंत्रण" इत्यादि पर विचार-विमर्श किया जाना है।

यह सुविदित है कि कार्यपालिका की जवाबदेही का सिद्धांत संसदीय राजनीति की अनिवार्य शर्त है। हमारे संविधान ने इस सिद्धांत को अनुच्छेद 75(3) में न्यस्त किया है जिसके अनुसार मंत्रिपरिषद् लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 164(2) के अंतर्गत राज्यों के संबंध में इसी तरह के प्रावधान किए गए हैं। संसद से उद्भूत कार्यपालिका अपनी भूल-चूक के कार्यों के लिए अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका पद पर बने रहना सभा के विश्वास पर निर्भर करता है।

कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि वर्तमान सरकार जनहित में अपनी योग्यतानुसार कर्त्तव्य का निर्वहन करे। संसदीय निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि शक्ति का दुरुपयोग न हो तथा कुशासन को रोका जाए। कार्यपालिका की नीतियों एवं कार्यक्रमों की लगातार संसदीय जांच की जाती है—जो सभा का कार्य है और सदस्यों द्वारा पूरा किया जाता है।

* 14वीं राष्ट्रमंडल संसदीय विचारगोष्ठी के उद्घाटन अवसर पर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (22 अक्तूबर 2002)

व्यय के ऊपर संसदीय नियंत्रण उत्तरदायी एवं जिम्मेवार वित्तीय प्रशासन की एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण विशेषता है। चूंकि लोगों से राजस्व एकत्र किया जाता है इसलिए सरकार इस राजस्व को प्रभावी तथा मितव्ययिता से व्यय करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है। हमें वित्तीय संसाधनों के अकुशल उपयोग पर रोक लगाकर मजबूत राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा इस पर अधिक बल देना चाहिए।

हमारे संविधान ने सरकारी कोष का अधिकार निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सौंप रखा है। वित्तीय जवाबदेही की इस अवधारणा का मूल "संसद की मंजूरी के बिना कोई कराधान नहीं" के पुनीत सिद्धांत में निहित है। यद्यपि अनुदानों की सभी मांगें तथा कराधान संबंधी प्रस्ताव कार्यपालिका लेकर आती है, तथापि, व्यय के लिए संसदीय मंजूरी अनिवार्य है। कार्यपालिका इस धनराशि को संसद द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रूप से ही व्यय करने के लिए बाध्य है।

मित्रो, वित्तीय जवाबदेही सुदृढ़ करने में संसदीय समितियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। समयाभाव के कारण संसद सभी वित्तीय मामलों पर गहनता से विचार नहीं कर सकती। इसलिए, वित्तीय जांच संबंधी अधिकतर कार्य तीन वित्तीय समितियां, यथा लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति करती हैं।

वर्ष 1993 में विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों का गठन संसद द्वारा प्रशासन का निरीक्षण किए जाने की दिशा में एक अभिनव प्रयास था। इससे पहले, सभा में केवल कुछेक महत्वपूर्ण मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर ही विस्तारपूर्वक चर्चा की जाती थी और समयाभाव के कारण अनुदानों की शेष मांगों को गिलोटिन कर दिया जाता था। इस बात का श्रेय इन समितियों को जाता है कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों की अनुदानों की मांगों की जांच अब कम से कम किसी एक विभाग से संबद्ध स्थायी समिति द्वारा अवश्य की जाती है। इसलिए यह वांछनीय है कि सभी विधानमंडलों में ऐसी समितियों की स्थापना की जाए।

मित्रो, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय के साधन के रूप में लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के विश्वास को बनाए रखना काफी हद तक सभा की कार्यवाही के संचालन में पीठासीन अधिकारी के कौशल और प्रभाविता पर निर्भर करता है। सभा में स्वतंत्र और सुस्पष्ट चर्चा संसदीय प्रणाली के सफल कार्यकरण की संचालक शक्ति है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने की जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की है जो न केवल नियम लागू करके अपितु अपनी विवेकशील मंत्रणा, सूझ-बूझ तथा समझाने-बुझाने के कौशल से यह सुनिश्चित करता है कि सभा में सभी पक्षों के सदस्य अपने-अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकें।

यद्यपि नियम और विनियम, सभा बनाती है, तथापि उनकी सही व्याख्या और उचित प्रयोग की जिम्मेदारी पूर्णतः पीठासीन अधिकारी की है। उसे अपनी बात पर अड़े रहने वाले सदस्यों को समझा-बुझाकर और अपेक्षाकृत कम अनुशासित सदस्यों के साथ सख्ती बरतकर सभा के सभी पक्षों का ध्यान रखना होता है।

विधानमंडल लोकतंत्र के मंदिर हैं जिनके माध्यम से हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थाएं होने के कारण उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे देश में अन्य संस्थाओं तथा संगठनों के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करें और कार्य, अनुशासन तथा शालीनता के संबंध में उच्च मानदंड अपनाएं। विधानमंडल की विश्वसनीयता का इसके सदस्यों की भूमिका तथा आचरण के साथ गहरा संबंध है। जनप्रतिनिधियों के रूप में उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे विधानमंडल में और इसके बाहर शालीनता के उच्च मानकों का अनुसरण करें और इसकी पवित्रता बनाए रखने में सहायक बनें।

विधानमंडलों के स्वस्थ कार्यकरण के लिए कतिपय नियमों, प्रथाओं और परिपाटियों का पालन तथा अनुशासन एवं मर्यादा को बनाए रखने की अपेक्षा होती है। ये अपेक्षाएं संसदीय राजनीति के स्वस्थ कार्यकरण का आधार होती हैं परन्तु कुछ सदस्यों द्वारा कभी-कभी इनका पालन नहीं किया जाता है जिसके कारण सभा में अव्यवस्था तथा शोर-गुल का वातावरण पैदा हो जाता है जो हमारे विधानमंडलों के सुचारू तथा सार्थक कार्यकरण में बाधा उत्पन्न करता है।

हमारे विधानमंडलों में अनुशासनहीनता की समस्या काफी लंबे समय से चिंता का विषय बनी हुई है। यद्यपि वर्षों से विधायकों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए कई दिशानिदेश तैयार किये गये हैं तथा परिपाटियां विकसित की गई हैं तथापि प्रत्येक बीते वर्ष के साथ परिस्थिति में गिरावट ही आई है। कुछ विधायकों के आचरण पर जनसामान्य की बढ़ती हुई चिंता तथा नकारात्मक प्रचार को देखते हुए इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सदस्यों के निजी हितों के मुकाबले उनके सार्वजनिक कर्त्तव्यों का अधिक महत्व हो।

दूसरी चिंताजनक प्रवृत्ति जो देखने में आई है वह यह है कि अक्सर जनहित के मुद्दों की अपेक्षा राजनीतिक मुद्दों को वरीयता दी जा रही है। राज्य अथवा राष्ट्र की समस्याओं की अपेक्षा राजनीति को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा है। अध्यक्ष महोदय कतिपय राजनीतिक मामलों की गंभीरता को समझते अवश्य हैं तथा ऐसे मामलों को संसद या राज्य विधानसभाओं में उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या राजनीतिक बढ़त या राजनीतिक लाभों के लिए सभा की कार्यवाही को रोकना आवश्यक है? क्या अध्यक्ष के आसन के निकट आना, नारेबाजी करना तथा सभा की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करना जरूरी है? क्या अध्यक्ष महोदय के आसन के निकट आना तथा इतनी जोर से चिल्लाना कि अध्यक्ष की आवाज ही न सुनाई दे, आवश्यक है? मित्रो, मेरे विचार से यह ठीक नहीं है। इसे रोका जाना चाहिए और यह सभा के विभिन्न राजनीतिक दलों के सहयोग से ही रोका जा सकता है। मैं, सभा में चाहे जितनी चर्चाएं हों, उनकी सराहना कर सकता हूं, लेकिन सदस्यों के अभद्र तथा अमर्यादित आचरण को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। इससे सभा की मर्यादा तथा लोकतंत्र के मंदिरों की प्रतिष्ठा गिरती है। इसके अतिरिक्त, महत्वहीन मुद्दों पर चर्चा होने से लोक महत्व के मुद्दे दब जाते हैं। मेरे विचार से सभी राजनीतिक दलों को हमारे देश के करोड़ों लोगों को यह गारंटी देने के लिए आम सहमति बनानी होगी कि हम उनके कल्याण के लिए संसद तथा

विधानसभाओं में पूरी निष्ठा, लगन तथा ईमानदारी से कार्य करते हैं। सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने तथा सुस्थापित मानदंडों, परिपाटियों एवं नियमों का पालन करते रहने की आवश्यकता है। समाज में शिक्षा के माध्यम से चरित्र का निर्माण करना एक दूरगामी उपाय है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आचार संहिता विधायकों के लिए मार्गनिर्देशन का कार्य करेगी जिससे नैतिक मानदंडों का अधिकाधिक अनुपालन संभव हो सकेगा।

हमारी संसद में आचार समितियों का इस समय चल रहा कार्य तथा उनके सुझाव शासन में मूल्यों को सुदृढ़ करने के पुनर्नवीकृत अभियान और सार्वजनिक जीवन से जुड़े सभी लोगों के बीच अनुशासित आचरण की संस्कृति का आधार बन सकते हैं। वर्तमान में, हम सार्वजनिक जीवन में नैतिक मानदंडों को मजबूत करने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग जैसी संस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। कुछ राज्य विधानमंडलों में भी आचार समितियां बनाई गई हैं। 'लोकपाल' संस्था गठित करने के लिए भी गंभीर प्रयास किये जा रहे हैं।

कहने की आवश्यकता नहीं है कि सार्वजनिक जीवन में आचारपरायणता तथा सुशासन के उद्देश्य के लिए इन संस्थागत प्रणालियों को देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने तथा सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। हमारे देश के सार्वजनिक जीवन में और अधिक आचारपरायणता अपनाने की प्रत्यक्ष अभिलाषा तथा उत्सुकता दिखाई देती है।

हमारे संविधान में शक्तियों के पृथक्करण के संबंध में ठोस और परिष्कृत प्रणाली की परिकल्पना है। शासन के तीनों अंग—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—संविधान द्वारा ही सृजित हैं। इनके बीच बहुत सूक्ष्म और नाजुक संतुलन का संबंध कायम है। कार्यपालिका का उद्‌भव विधायिका से ही हुआ है और वह स्पष्टतः, उसके प्रति जवाबदेह है। न्यायपालिका को राज्य के प्रशासनिक कार्यों तथा विधायिका द्वारा अनियमित विधानों की समीक्षा का अधिकार है।

हमारे संविधान और राज्य के प्रमुख अंगों के सुचारू कार्यकरण से पता चलता है कि इन तीनों अंगों के बीच पर्याप्त नियंत्रणोपायों तथा संतुलन के साथ; शक्तियों का सुस्पष्ट विभाजन है और यही हमारी राजनीतिक व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं।

तथापि, हाल ही में मुझे इस आशय की कुछ शिकायतें मिली हैं कि न्यायपालिका विधायिका के निर्वाचित सदस्यों तथा कार्यपालिका के अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है। यह गंभीर मामला है और हम सभी को इसके लिए अन्तर्निरीक्षण करना चाहिए। यदि सरकार उचित समय पर उचित निर्णय नहीं करती तो न्यायालय स्वप्रेरणा से या जनहित याचिकाओं के माध्यम से हस्तक्षेप करते हैं। निर्वाचित सदस्यों को समयोचित विवेकपूर्ण निर्णय लेने चाहिएं। यदि संसद में या सभा में हम काम नहीं करते और बिना ठोस कारणों के सदनों को स्थगित करने में लगे रहे तो न्यायालय हस्तक्षेप करेंगे ही। मेरा यह आग्रह है कि विधानसभाओं और संसद में अधिक गंभीरता से कार्य किया जाना चाहिए।

जिन विषयों पर मैंने बात की उनके अलावा हम आतंकवाद के ज्वलंत मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि आतंकवाद का खतरा कितना गंभीर है। 1 अक्तूबर 2001 को जम्मू-कश्मीर

विधान सभा और 13 दिसम्बर 2001 को हमारे लोकतंत्र के मर्मस्थल, संसद पर हुए जघन्य हमलों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इन घटनाओं ने बड़े नाटकीय ढंग से यह दिखा दिया कि आतंकवाद अब विश्वव्यापी रूप ले चुका है और इससे हमारे चिरपोषित लोकतांत्रिक मूल्यों को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। इन हमलों से यह बात भी रेखांकित हुई है कि उदार लोकतांत्रिक समाजों में आतंकवादी हमलों का खतरा विशेष रूप से अधिक है। विडम्बना की बात यह है कि आतंकवाद आवागमन की स्वतंत्रता, सार्वजनिक स्थलों पर सुगम्यता, नियंत्रण का अभाव, आदि जैसी लोकतंत्र की शक्तियों का दोहन करता है और उन्हें हमारी कमजोरी में बदल देता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि लोकतांत्रिक समाजों को आतंकवाद की बुराई के प्रति सजग ही नहीं रहना है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं की रक्षा के लिए संयुक्त संघर्ष का बिगुल भी बजाना होगा।

मित्रो, आज के प्रौद्योगिकीय और वैज्ञानिक युग में घटनाएं बड़ी तेजी से घटित होती हैं। इन घटनाओं से सुपरिचित रहने और सभा की चर्चाओं में प्रभावी योगदान के लिए सांसदों की न केवल सूचना तक पहुंच होनी चाहिए बल्कि उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय मुद्दों पर लगातार, नियमित आधार पर तथ्यात्मक, निष्पक्ष, उद्देश्यपरक और विश्वसनीय सूचना भी मिलती रहनी चाहिए। आज विश्व की संसदों के पास एक-दूसरे के अनुभवों और ज्ञान से सीखने और बांटने के लिए बहुत कुछ है। अपनी समस्याओं के संभावित समाधानों पर चर्चा करने के लिए सांसद यह जानना चाहते हैं कि ऐसी ही समस्याओं से अन्य देशों या संसदों में कैसे निपटा जाता है। संसदों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान इसी परिप्रेक्ष्य में अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

मुझे विश्वास है कि विस्तृत कार्यसूची वाली इस संगोष्ठी में उच्च स्तर पर आत्मनिरीक्षण, संवाद और अपने-अपने अनुभवों को आपस में बांटने का कार्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस संगोष्ठी का सहर्ष उद्घाटन करता हूं और संगोष्ठी की सफलता की कामना करता हूं।

धन्यवाद।

9

संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करना*

आप सबके मध्य उपस्थित होकर बंगलौर के इस खूबसूरत शहर में अपने प्रिय मेजबानों के साथ आपका स्वागत करना तथा पीठासीन अधिकारियों के महत्वपूर्ण निकाय के एक और सम्मेलन में शामिल होना मेरे लिए वास्तव में सौभाग्य की बात है। बंगलौर में यह सम्मेलन तीसरी बार आयोजित हो रहा है। बंगलौर में ऐसा पहला सम्मेलन 1961 में और दूसरा 1981 में हुआ था। कर्नाटक राज्य और इसकी राजधानी बंगलौर अपने मंत्रमुग्ध कर देने वाले सौंदर्य और मनमोहक हरियाली के लिए जाने जाते हैं। हाल के वर्षों में, बंगलौर सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन का केन्द्र बन गया है। मुझे विश्वास है कि इस शहर ने देश के अनेक शहरों के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत किया है। यहां आना वास्तव में एक आनन्ददायक अनुभव है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सम्मेलन हमें बंगलौर के सर्वदेशीय परिवेश तथा कर्नाटकवासियों के पारम्परिक स्नेह और सत्कार का अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा।

सर्वप्रथम, मैं अपने पूर्ववर्ती श्री जी.एम.सी. बालयोगी के असामयिक और दुखद निधन का उल्लेख करना चाहता हूं। 3 मार्च 2002 को श्री जी.एम.सी. बालयोगी का असामयिक और दुखद निधन पूरे देश के लिए वज्रपात जैसा था। श्री बालयोगी अपनी सादगी और अत्यधिक विनम्रता के लिए जाने जाते थे। मुझे ढाई वर्ष तक उनके साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और जिस प्रकार उन्होंने सभा का संचालन किया, वह वास्तव में सराहनीय था। उनकी निष्पक्षता और वस्तुपरकता को कोई नहीं भूल सकता। समस्त भावी सम्मेलनों में हम उनके सौम्य मार्गदर्शन की कमी महसूस करते रहेंगे। वस्तुत: वह भारतमाता के महान सपूत थे और वे सभी जो उन्हें जानते हैं ऐसे सम्मेलनों के समय उन्हें सदैव याद करेंगे।

मैं भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति, श्री बी.डी. जत्ती को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनका कुछ दिन पहले निधन हो गया था। देश के उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया और हम सदैव उन्हें स्मरण करते रहेंगे।

हम श्री ए.पी. कुरियन, पूर्व अध्यक्ष, केरल विधानसभा; श्री गुलशेर अहमद, पूर्व अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विधान सभा; श्री शरद दिघे, पूर्व अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान सभा; और श्री अनिल मुखर्जी,

*भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 65वें सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर, बंगलौर, (20 जून 2002)

उपाध्यक्ष, पश्चिम बंगाल विधान सभा, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

मैं श्री एस.एल. शकधर, जो वर्षों से इस सम्मेलन से घनिष्ठ रूप से जुड़े थे, के निधन पर भी अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। श्री एम.एन. कौल के साथ मिलकर लिखी उनकी *संसदीय पद्धति और प्रक्रिया* (प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट) पुस्तक इस विषय पर सर्वाधिक प्रामाणिक पुस्तक है और सभी सांसदों द्वारा इससे मार्गदर्शन प्राप्त किया जाता है।

जैसाकि आप सभी जानते हैं, 10 मई 2002 को मैंने लोक सभा अध्यक्ष का पदभार संभाला। मैं सदन के सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने सर्वसम्मति से मुझे इस सम्मानित पद पर निर्वाचित किया है। मैं इस अवसर पर, पीठासीन अधिकारियों के इस परिवार से जुड़े नये सदस्यों, अर्थात् सर्वश्री बी.एल. शंकर, सभापति, कर्नाटक विधान परिषद; विश्वास रामनाथ सतरकर, अध्यक्ष, गोवा विधानसभा; टी.एन. हाओकिप, अध्यक्ष, मणिपुर विधानसभा; डा. केवल कृष्ण, अध्यक्ष, पंजाब विधानसभा; यशपाल आर्य, अध्यक्ष, उत्तरांचल विधान सभा; के. हरिश्वर रेड्डी, उपाध्यक्ष, आंध्र प्रदेश विधानसभा; तंका बहादुर राय, उपाध्यक्ष, असम विधानसभा; नरहरि हल्दनकर, उपाध्यक्ष, गोवा विधानसभा; के. रणजीत सिंह, उपाध्यक्ष, मणिपुर विधानसभा; तिरू ए.वी. सुब्रमणियन, उपाध्यक्ष, पांडिचेरी विधानसभा; और कृपा सिन्धु साहा, उपाध्यक्ष, पश्चिम बंगाल विधानसभा, का भी हृदय से स्वागत करता हूं। मैं हम सबकी ओर से इस अति महत्वपूर्ण सम्मेलन में उनका हार्दिक स्वागत करता हूं।

आप सभी जानते हैं कि पिछला सम्मेलन चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था। पिछले एक वर्ष के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रक्रियात्मक परिवर्तन हुए हैं। मेरे विचार से, इस अवधि के दौरान सर्वाधिक आघात पहुंचाने वाली घटना आतंकवाद में निंदनीय वृद्धि होना है जिससे हमारे लोकतांत्रिक ढांचे, हमारी बहुलवादी भावनाओं और उससे भी बढ़कर हमारी सभ्यता के मूल आधार को भारी क्षति पहुंची है। भारत के लिए सबसे संकटपूर्ण घड़ी हमारी संसद तथा जम्मू और कश्मीर विधानमंडल परिसर पर आतंकवादी हमले के रूप में सामने आई। इन दोनों घटनाओं ने सारे देश को हिला दिया। हमने यह भी देखा कि आतंकवाद के जघन्य रूप और इस अभिशाप की विश्वस्तरीय पहुंच के कारण सितम्बर 2001 में न्यूयार्क और वाशिंगटन डीसी में व्यापक विध्वंस हुआ। इस घटना ने पूरे विश्व को सतर्क कर दिया। इसलिए, हमने इस सम्मेलन में आतंकवाद को चर्चा के विषय के रूप में चुना है।

जहां तक 13 दिसम्बर 2001 को संसद पर हुए हमले का संबंध है, मैं सुरक्षा बलों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने देश की सर्वोच्च संस्था और सांसदों पर हुए हमले को विफल कर दिया। इस हमले के दौरान सीआरपीएफ, आईटीबीपी और संसद की वॉच एंड वार्ड सेवा के अधिकारियों ने जो साहस और तत्परता दिखाई, उसे भुलाया नहीं जा सकता। इस प्रक्रम में 7 जवान उसी दिन शहीद हो गए और दो अधिकारियों का गहरे घावों के कारण बाद में निधन हो गया। आइए हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए शहीद हुए इन वीरों तथा उन व्यक्तियों को भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने जम्मू और कश्मीर विधानसभा परिसर पर हुए हमले में अपनी जान गंवाई।

मुझे याद है कि संसद पर हुए आक्रमण के अगले दिन अर्थात 14 दिसम्बर 2001 को सभा ने अध्यक्ष, श्री बालयोगी द्वारा प्रस्तुत एक संकल्प पारित किया। संकल्प में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया था कि:

"लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास न रखने वाले बुद्धिहीन तत्वों द्वारा समर्थित हिंसा और घृणा की प्रवृत्ति ने सात निर्दोष लोगों की जानें ले ली हैं। ऐसे हमले से आतंकवाद की इस बुराई से लड़ने के लिए हमारा निश्चय और भी दृढ़ हो जाता है। आइए, हम सभी देश की सम्प्रभुता और अखण्डता की हर कीमत पर रक्षा करने के लिए स्वयं को पुन: समर्पित करें।"

अब मैं इस सभा से अनुरोध करता हूं कि जब हम आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा करें उस समय इस सम्मेलन में भी एक संकल्प पारित किया जाए।

मित्रो, इस सम्मेलन का विशेष महत्व है क्योंकि हम अपनी संसद तथा देश के अनेक राज्यों के विधानमंडलों के स्वर्ण जयंती वर्ष में मिल रहे हैं। वस्तुत: यह एक ऐतिहासिक अवसर है जिस पर हमें इस दृष्टि से आत्मविश्लेषण करना होगा कि हमने इन उतार-चढ़ाव के पांच दशकों के दौरान क्या हासिल किया है। हमने, निस्संदेह विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रगति की है, लेकिन साथ ही हमें यह तथ्य स्वीकार करना होगा कि देश के करोड़ों गरीब लोगों के उत्थान के लिए हमें अभी भी बहुत कुछ करना है। स्वतंत्र भारत की प्रथम निर्वाचित संसद के सदस्यों को संबोधित करते हुए 16 मई 1952 को तत्कालीन राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था, जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं—

"परतंत्रता की लम्बी अवधि के बाद भारत आजाद हुआ है। इस आजादी को हमें हर कीमत पर बनाए रखना होगा, उसकी रक्षा करनी होगी तथा उसको समृद्ध करना होगा क्योंकि केवल उसी के आधार पर प्रगति का ढांचा निर्मित किया जा सकता है। लेकिन आजादी ही काफी नहीं है—इससे हमारी जनता को सुख-समृद्धि भी मिले और उनकी तकलीफें कम हों। अत: हमारे लिए यह बेहद जरूरी है कि हम अपनी जनता के तीव्र आर्थिक विकास के लिए मेहनत करें और समानता और सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के आदर्शों की प्राप्ति के लिए प्रयास करें जैसाकि हमारे संविधान में निर्धारित है।"

यह हम सबका परम कर्त्तव्य है कि हम मिल-जुलकर इन महान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। आइए, हम इस ऐतिहासिक अवसर पर स्वयं को इस लक्ष्य के प्रति पुन: समर्पित करें।

दिनांक 13 मई, 2002 को लोक सभा की बैठक आरंभ होने पर, 1952 में हुई संसद की पहली बैठक की पचासवीं वर्षगांठ का उल्लेख किया गया था। उसी दिन सायं नई दिल्ली में संसद ग्रंथालय के नए भवन—संसदीय ज्ञानपीठ में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें अन्य लोगों के साथ-साथ माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्रीगण, संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, संसद सदस्यगण तथा अन्य विशिष्ट व्यक्ति भी सम्मिलित हुए। इस ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित समारोह में लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित *भारतीय संसद के पचास वर्ष*, जिसमें बड़ी संख्या में गण्यमान्य व्यक्तियों द्वारा लिखे गये लेख हैं और *भारत की संसद* नामक दो प्रकाशनों का विमोचन

किया गया। डाक विभाग, संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित इस समारोह में एक स्मारक डाक टिकट, प्रथम दिवस आवरण और स्मारक अंतर्देशीय पत्र भी जारी किया गया।

इससे पूर्व, उसी सायं प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसदीय ज्ञानपीठ में लोक सभा सचिवालय के संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार द्वारा "संसद के 50 वर्ष" शीर्षक से लगायी गयी प्रदर्शनी का भी उद्‌घाटन किया।

एक अन्य महत्वपूर्ण घटना संसद परिसर में संसद ग्रंथालय के नए भवन का उद्‌घाटन है। इस अति आधुनिक ग्रंथालय भवन—*संसदीय ज्ञानपीठ* का उद्‌घाटन भारत के राष्ट्रपति, श्री के.आर. नारायणन द्वारा 7 मई, 2002 को किया गया था।

मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि इस सम्मेलन का उद्देश्य सिंहावलोकन और यह पता लगाना है कि जिन महान नेताओं ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और हमें स्वतंत्रता दिलाई, क्या उनकी आकांक्षाएं पूरी हुई हैं।

अब मैं प्रक्रिया संबधी कुछ महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की बात करता हूं। हमारी संसद के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना 26 मार्च, 2002 को हुई दोनों सदनों की संयुक्त बैठक थी जिसमें आतंकवाद निवारण विधेयक, 2002 के संबंध में दोनों सदनों के बीच असहमति को दूर करना था। इस विधेयक का आशय आतंकवाद निवारण (दूसरा अध्यादेश), 2001 का स्थान लेना था। यह विधेयक लोक सभा द्वारा 18 मार्च, 2002 को पारित कर दिया गया था परन्तु 21 मार्च, 2002 को राज्य सभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। माननीय उपाध्यक्ष, श्री पी.एम. सईद ने, जो संविधान के अनुच्छेद 95(1) के अंतर्गत अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन कर रहे थे, संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में हुई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। विधेयक पारित हुआ। यह केवल तीसरी बार है कि ऐसी संयुक्त बैठक आयोजित हुई है। इससे पहले ऐसी संयुक्त बैठकें दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1959 तथा बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1977 के बारे में बुलायी गयी थी।

जैसाकि आप सभी को ज्ञात है, जून, 2001 में चण्डीगढ़ में आयोजित सम्मेलन में हमने विधायकों के लिए एक आचार संहिता विकसित किये जाने और व्यवधान के कारण विधानमण्डलों के बार-बार स्थगन को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता पर गहन विचार-विमर्श किया था। संसदीय लोकतंत्र के सुचारू कार्यकरण के लिए आवश्यक है कि संसद और राज्य विधानमण्डलों में चर्चा और वाद-विवाद शांतिपूर्वक और सद्‌भावपूर्ण ढंग से हों। ऐसा केवल तभी संभव है जब सदन के भीतर और बाहर विधायकों के लिए एक आचार संहिता हो। लोक सभा अध्यक्ष बनने के बाद मैंने अनेक स्थानों की यात्राएं की हैं। हमारे देश के लोगों की एक ही मांग है कि सदनों में सांसदों और विधायकों का व्यवहार संयत हो। सदन में बार-बार होने वाले स्थगन और जन-प्रतिनिधियों का असंयत व्यवहार व्यापक चर्चा के विषय बने हुए हैं। सांसदों के असंयत व्यवहार की आलोचना भी की जा रही है। मुझे यहां पर यह उल्लेख करते हुए खुशी है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर पहली

बार चंडीगढ़ सम्मेलन में चर्चा की गई थी। इस सम्मेलन में सदन के भीतर और बाहर विधायकों में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने के लिए एक आचार संहिता बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाने की पहल की गई है। इस प्रकार, चण्डीगढ़ सम्मेलन ने इस विषय पर पहल की कि विधायकों का व्यवहार सदन के भीतर ही नहीं बल्कि बाहर भी अनुकरणीय होना चाहिए।

पूर्व-अध्यक्ष श्री जी.एम.सी. बालयोगी ने इस विषय पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए 25 नवम्बर, 2001 को सम्मेलन का आयोजन किया था। उन्होंने देश के सभी प्रमुख गण्यमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया था। इस सम्मेलन को संबोधित करने वाले गण्यमान्य व्यक्तियों में उप-राष्ट्रपति श्री कृष्ण कांत, प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्षी दलों के नेतागण थे। वह सम्मेलन संसदीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। उस सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण संकल्प पारित किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह संकल्प किया गया था कि:

"(एक) विधायकों के लिए आचार संहिता, जो कि अनुबंध के रूप में इस संकल्प का हिस्सा है, को अपनाकर और उसे लागू करके संसद तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों की प्रतिष्ठा का संरक्षण किया जाए और उसमें अभिवृद्धि की जाए;

(दो) उक्त आचार संहिता के कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए सभी विधानमंडलों के प्रक्रिया नियमों में आवश्यक परिवर्तन, जहां कहीं आवश्यक हों, समाविष्ट किये जाएं;

(तीन) आचार संहिता के उल्लंघन या अतिक्रमण के सभी मामलों में कम गंभीर प्रकृति के अपराधों के लिए भर्त्सना, फटकार, निन्दा या सदन से बाहर करने जैसे उपायों और गंभीर कदाचार के मामले में सदन की सेवा से एक विशिष्ट अवधि के लिए, जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाए, स्वत: निलम्बन से दंडित किया जाए;

(चार) यह सुनिश्चित करने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाए जाएं कि संसद की बैठकें कम से कम 110 दिन तथा बड़े और छोटे राज्यों के विधानमंडलों की बैठकें क्रमश: 90 और 50 दिन हों, यदि आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन करने हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं;

(पांच) संसद और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों में समिति प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रक्रिया नियमों में आवश्यक परिवर्तन किये जाएं ताकि संसदीय प्रक्रिया में विधायकों की भागीदारी बढ़ सके;

(छ:) पीठासीन अधिकारियों द्वारा सभी विधानमंडलों में जहां आचार संहिता लागू करने के लिए आचार समितियां गठित नहीं की गई हैं, तत्काल आचार समितियां गठित की जाएं;

(सात) तत्काल ऐसे कदम उठाए जाएं जिनके अनुसार यह अपेक्षित हो—

(क) विधायक निर्वाचन के तुरंत पश्चात् संबंधित विधानमंडलों को वित्तीय प्रकटन संबंधी एक विवरण प्रस्तुत करें जिसमें उनकी आय, परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित जानकारी दी गई हो,

(ख) विधायक अपने वित्तीय प्रकटन संबंधी विवरणों में दी गई जानकारी में परिवर्तनों, यदि कोई हो, की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आधिकारिक रूप से सूचित करें, और

(ग) सभी विधानमंडल सदस्यों के हितों से संबंधित एक रजिस्टर रखें।

(आठ) निर्वाचन हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए सार्वजनिक जीवन में उच्च आदर्श पर बल देते हुए मानदण्ड बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों द्वारा निष्ठापूर्वक प्रयास किए जाएं;

(नौ) सदन के नेता, विपक्ष के नेता तथा राजनैतिक और विधानमंडल दलों के नेताओं द्वारा अपने सदस्यों की ओर से अनुशासित व्यवहार सुनिश्चित करके सदन में शालीनता बनाये रखने में अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण और प्रभावी भूमिका निभाई जाए;

(दस) सरकार तथा सत्तापक्ष अधिक समंजनशील होकर तथा विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में उठाए गए मामलों पर तत्काल ध्यान देकर विपक्ष के प्रति अधिक सकारात्मक और प्रत्युत्तरदायी दृष्टिकोण अपनाया जाए;

(ग्यारह) सदन में सत्तापक्ष तथा विपक्ष दोनों एक दूसरे के प्रति अधिक सहनशील और समंजनशील हों तथा एक दूसरे के प्रति अधिक समझदारी दिखाएं;

(बारह) पीठासीन अधिकारी तथा राजनीतिक तथा विधानमंडल दलों का नेतृत्व यह सुनिश्चित करे कि सदस्यों, विशेषकर नये सदस्यों को लोक सभा के संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो तथा कुछ राज्य विधानमंडलों में गठित ब्यूरो अथवा अन्य संस्थाओं या निकायों द्वारा संसदीय प्रक्रिया, अनुशासन तथा शालीनता में उचित प्रशिक्षण तथा प्रबोधन दिया जाए।"

मुझे आशा है कि सभी संबंधित व्यक्ति संकल्प का अक्षरश: पालन करेंगे।

मित्रो, आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि यह संकल्प वास्तव में लीक से हटकर था। लेकिन, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि संकल्प पारित होने के बाद भी संसद में मैंने स्वयं देखा और माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने भी निश्चित तौर पर इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सदस्य अध्यक्षपीठ के निकट आए। एक बार यदि यह शुरू हो जाए तो खत्म नहीं होता। जब एक राजनीतिक दल के सदस्य अध्यक्षपीठ के निकट आते हैं तो दूसरे भी यही करने लगते हैं और यह सिलसिला चलता रहता है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे आशा है कि यह सम्मेलन इस विषय पर विचार करेगा और इसे रोकने के लिए तौर-तरीके निकालेगा।

यह उल्लेखनीय है कि लोक सभा की आचार समिति का "आचार संबंधी मामलों" पर पहला प्रतिवेदन 22 नवम्बर, 2001 को सभा पटल पर रखा गया था। प्रतिवेदन में सभा के अन्दर और बाहर सदस्यों के नैतिक व्यवहार के कतिपय मानदंडों, लोक सभा में किसी सदस्य के अनैतिक आचरण अथवा उसके संसदीय आचरण के संबंध में शिकायत करने की प्रक्रिया और सम्पत्तियों का वित्तीय

खुलासा/घोषणा करने की आवश्यकताओं को समाविष्ट किया गया है। प्रतिवेदन को सभा द्वारा 16 मई, 2002 को स्वीकृत किया गया था। किंतु, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि यद्यपि आंध्र प्रदेश, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा ने आचार समितियों का गठन कर लिया है लेकिन अन्य राज्य विधानमंडलों ने इनका गठन नहीं किया है। इन राज्य विधानमंडलों को भी शीघ्रातिशीघ्र इन समितियों का गठन करना चाहिए।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सदस्यों द्वारा अव्यवस्था फैलाने की बढ़ती हुई घटनाओं के कारण सभा को बार-बार स्थगित करना गंभीर रूप ले रहा है, इस मामले पर तत्कालीन अध्यक्ष श्री जी.एम.सी. बालयोगी द्वारा लोक सभा में दलों के नेताओं के साथ 23 अगस्त, 2001 को हुई बैठक में चर्चा की गयी थी। उस बैठक में अध्यक्ष के आसन के पास आने और अव्यवस्था फैलाने वाले ऐसे सदस्यों के स्वतः निलंबन के लिए *लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों* में प्रावधान करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, नियम समिति ने 27 अगस्त, 2001 को हुई अपनी बैठक में अध्यक्ष के आसन के पास आने और अव्यवस्था फैलाने वाले ऐसे सदस्यों के स्वतः निलंबन के लिए प्रावधान करने हेतु नए नियम 374क के अंतःस्थापन के बारे में एक प्रस्ताव पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया था।

यह दुख की बात है कि सदस्य अब भी अध्यक्ष के आसन के निकट आ रहे हैं। सदस्यों को अध्यक्ष के आसन के निकट आने और उनका अमर्यादित व्यवहार रोकने के लिए एकमात्र समाधान यह है कि वे नियमों का स्वेच्छा से अनुपालन करें।

एक अन्य उल्लेखनीय संसदीय घटना 'सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश'' पर नियम 193 के अंतर्गत 23 अगस्त 2001 को हुई चर्चा के बारे में हुई। इस मामले में, एक संसद सदस्य श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने इस मुद्दे को उठाया और श्री पवन कुमार बंसल ने विशेषाधिकार भंग की सूचना दी। विशेषाधिकार का मामला राज्य सभा सदस्य श्री अरुण शौरी के विरुद्ध था। उनके विरुद्ध विशेषाधिकार के मामले की सूचना लोक सभा में दी गई थी। उस समय यह विनिर्णय दिया गया:

> ''लोक सभा और राज्य सभा की विशेषाधिकार समितियों ने 1954 में अपनी संयुक्त बैठक में प्रतिवेदन में किसी एक सभा के सदस्य, जिसके दूसरी सभा के विशेषाधिकार का कथित रूप से भंग किया है, के बारे में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की थी। उक्त प्रक्रिया के अनुसार जब किसी सभा में जिसमें दूसरी सभा का कोई सदस्य संबद्ध होता है, विशेषाधिकार भंग का प्रश्न उठाया जाता है तो उस सभा के पीठासीन अधिकारी को, जिसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया है, वह मामला दूसरी सभा के पीठासीन अधिकारी के पास उपयुक्त कार्यवाही हेतु भेजना होता है।
>
> चूंकि, श्री अरुण शौरी राज्य सभा के सदस्य हैं, इसलिए मैं इस मामले को राज्य सभा के माननीय सभापति को उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही करने हेतु भेज रहा हूं।''

मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं कि राज्य सभा के सभापति ने इस विशेषाधिकार की सूचना को नामंजूर कर दिया।

एक अन्य घटना में, बजट सत्र, 2002 के दौरान, श्री प्रियरंजन दासमुंशी, संसद सदस्य के सदन को कथित रूप से गुमराह करने के लिए प्रधानमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न से संबंधित एक सूचना दी। श्री दासमुंशी ने अपनी सूचना में यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने 1 मई, 2002 को गुजरात में हिंसा के संबंध में नियम 184 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए सदन को गुमराह किया था। श्री दासमुंशी ने यह कहा कि प्रधानमंत्री ने गोवा में दिए गए अपने सार्वजनिक भाषण के कतिपय अंश के बारे में शंकाओं को स्पष्ट करते हुए, सदन में यह कहा था कि ''मैंने इस्लाम के बारे में जो कुछ कहा, वह इस प्रकार है....... जहां-कहीं भी ऐसे मुसलमान रहते हैं, उनकी प्रवृत्ति अन्य लोगों के साथ सह-अस्तित्व की भावना से न रहने की दूसरों के साथ मिलकर न रहने की होती है और वे लोग अपने विचारों का शांतिपूर्ण ढंग से प्रचार करने के बजाय आतंक और धमकियों का सहारा लेकर अपने धर्म का प्रसार करना चाहते हैं।'' श्री दासमुंशी का तर्क था कि गोवा में प्रधानमंत्री जी के भाषण की वीडियो रिकार्डिंग में ''मुस्लिम'' शब्द से पूर्व ''ऐसे'' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था तथा इस अन्तर्वेशन से वाक्य का अर्थ बदलने का प्रयास किया गया है। सदस्य का आरोप था कि प्रधानमंत्री द्वारा सभा को गुमराह करना था। 16 मई, 2002 को जब श्री दासमुंशी ने सभा में यह मामला उठाना चाहा था, तो मैंने निम्नलिखित विनिर्णय दिया था:

> ''प्रधानमंत्री ने, इस बात को स्वीकार करते हुए कि गोवा में दिए गए उनके भाषण के वीडियो टेप में ''ऐसे'' शब्द का उल्लेख नहीं है, बताया है कि ''जो कोई व्यक्ति मेरा पूरा भाषण पढ़ेगा और इस्लाम द्वारा दी गयी सहिष्णुता और अनुकंपा की शिक्षा की मेरे द्वारा की गयी सराहना को नोट करेगा, उसके मन में इस आशंका की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती कि द्वितीय पैराग्राफ में मेरे द्वारा किया गया उल्लेख केवल आतंकवादी इस्लाम के अनुयायियों के बारे में था।'' प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल, 2002 को इस संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए एक वक्तव्य जारी किया और प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी आवश्यक संशोधनों के साथ उनके भाषण का संपूर्ण पाठ मीडिया के लिए जारी किया था। प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताया है कि ''1 मई , 2002 की सुबह गुजरात की स्थिति पर बोलते हुए मैंने इसी संशोधित संस्करण से सुसंगत पैराग्राफ पढ़कर सुनाए थे।''

मैंने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार किया और तदनुसार मैंने श्री दासमुंशी द्वारा दी गई सूचना को नामंजूर कर दिया था।

प्रधानमंत्री जी ने मुझे यह कहते हुए एक पत्र लिखा कि जब भी किसी भाषण पर विचार किया जाए तो उस पर समूचे संदर्भ को देखते हुए विचार किया जाए। मैंने प्रधानमंत्री जी के तर्क को स्वीकार किया और विशेषाधिकार की सूचना को अस्वीकार कर दिया। मैंने इस घटना की जानकारी इस प्रतिष्ठित सभा को दी है क्योंकि मैंने यह सोचा कि यह विनिर्णय भविष्य में विभिन्न सभाओं के प्रतिनिधियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

मैं दो और महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं। इनमें से एक नियमों की एकरूपता की मांग से संबंधित है जो लम्बे समय से चली आ रही है। चूंकि मैं लगभग 25 वर्षों तक महाराष्ट्र

विधानमंडल का सदस्य रहा हूं, इसलिए मैंने देखा कि संसद के नियम और महाराष्ट्र विधानमंडल या फिर किसी अन्य विधानमंडल के नियम अलग-अलग हैं, इसलिए, हमारे सम्मेलनों में लगातार यह मांग की जाती रही है कि संसद और सभी विधानमंडलों के नियम एकसमान होने चाहिएं। इस विषय पर दो समितियों का गठन किया गया। इसमें से एक समिति महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति प्रो. नारायण सदाशिव फरांडे के सभापतित्व में गठित की गई और यह निर्णय लिया गया कि इस काम को किया जाएगा। लेकिन यह कार्य लम्बे समय से लम्बित है। सदस्यों से मेरा यह अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी विधानमंडलों के लिए यथासंभव एक जैसे नियम बनाये जायें।

दूसरा महत्वपूर्ण विषय कतिपय न्यूनतम दिनों तक सत्र आयोजित करने से संबंधित है। विपक्ष की हमेशा यह शिकायत रहती है कि विधान सभाओं और विधान परिषदों में सत्र कई बार बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं। कई विधान सभाएं पूरे वर्ष में मात्र एक सप्ताह के लिए सत्र का आयोजन करती हैं। इसलिए, मुझे कुछ सांसदों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि यदि विधान सभाएं काम नहीं करतीं और वहां पर राज्य से संबंधित प्रश्नों को नहीं उठाया जा सकता तो मुझे उन्हें संसद में प्रश्न करने की अनुमति देनी चाहिए। आपको ज्ञात ही है कि संसद में राज्य की समस्याओं पर चर्चा अपेक्षित नहीं होती। अत: यह आवश्यक है कि हम नियमों में यह व्यवस्था करें कि राज्य विधान सभाओं और विधान परिषदों की बैठकें एक सुनिश्चित अवधि तक यथा 50 दिन हों और छोटे राज्यों के लिए यह अवधि कम हो सकती है। इस पर चर्चा की जा सकती है। संसद की बैठकें भी 100 दिन से अधिक किए जाने की अपेक्षा की जाती है। इस मसले का स्थायी समाधान हो जाना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे बताया है कि संकल्प पारित हो चुका है, इसलिए इस संकल्प का कार्यान्वयन नितांत आवश्यक हो गया है।

हमने इस सम्मेलन में चर्चा के लिए दो महत्वपूर्ण विषयों को लिया है। इनमें एक विषय है ''उत्तरदायिता को मजबूत बनाने में विधानमंडलों की भूमिका और विधानमंडलों के स्वतंत्र सचिवालय की आवश्यकता।'' मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पर विस्तार में जाने की आवश्यकता है क्योंकि इस पर अनेक बार चर्चा हो चुकी है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। वास्तव में यही समुचे लोकतंत्र का सार है। यदि उन्हें उत्तरदायी बनाया गया है तो उन्हें उत्तरदायी होना ही चाहिए और यदि वे लोकतंत्र में उत्तरदायी नहीं हैं तो कहीं अवश्य कुछ गलत है। विधानमंडल कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विधायी प्रस्तावों की शुरुआत कार्यपालिका करती है और यह उचित भी है क्योंकि इस प्रयोजनार्थ तकनीकी विशेषज्ञता और सूचना उसी के अधिकार क्षेत्र में होती है। कार्यपालिका की ओर से तो केवल एक प्रारूप, विधायी प्रस्ताव ही सामने आता है; यह विधानमंडल ही है जो देश में जनता के भिन्न-भिन्न मतों को संगठित रूप से अभिव्यक्त करने के लिए मंच प्रदान करता है और मुख्य मुद्दों को विचार-विमर्श द्वारा सुलझाकर विधान की सविस्तार बारीकी से जांच करके और प्रभावित पक्षों के हितों की सुनवायी करके विधायी प्रक्रिया को सही दिशा प्रदान करता है। यह विधानमण्डल ही है जो कानून बनने से पूर्व पारित होने के विभिन्न चरणों के माध्यम से विधान को अंतिम रूप और आकार देता है।

सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र को संसद और राज्य विधानमण्डलों के प्रति अपनी उत्तरदायिता के बारे में पूर्णत: सजग रहना होगा। इसे विधायी जांच और संसदीय संस्थाओं की मांग और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर समय तत्पर रहना पड़ेगा। प्रशासन की समीक्षा के महत्वपूर्ण अवसर, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदानों की मांगों तथा व्यय की पूर्ति के लिए राशि बढ़ाने के प्रस्तावों सहित बजट पर होने वाली चर्चाओं के दौरान प्राप्त होते हैं। इसके अलावा, अविलंबनीय लोक महत्व के मामले, गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों और अन्य मूल प्रस्तावों के माध्यम से विशिष्ट मामलों पर चर्चा की जा सकती है। संसदीय समितियां, विशेषकर विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां तथा वित्तीय समितियां भी प्रशासन की निगरानी व पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

इस संदर्भ में, मैं अपने विधानमण्डलों में समिति प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। यह ऐसा विषय है जिस पर हमारे पिछले कई सम्मेलनों में चर्चा की जा चुकी है। वस्तुत: जनवरी, 1978 में हुए भुवनेश्वर सम्मेलन ने ''समिति प्रणाली'' के संबंध में पीठासीन अधिकारियों की एक समिति गठित की थी जिसने अक्तूबर, 1985 में हुए लखनऊ सम्मेलन में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था। इस समिति ने सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों की मतदान-पूर्व संवीक्षा हेतु बजट समितियां गठित करने की सिफारिश की थी। हमारे यहां संसद में विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां हैं जो 1993 से कार्य कर रही हैं। विभिन्न राज्य विधानमण्डलों ने भी लगभग इसी प्रकार विषय समितियों का गठन किया है। विधानमण्डल के प्रति कार्यपालिका की उत्तरदायिता को सशक्त समिति प्रणाली के माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जा सकता है, इस बात को देखते हुए यह अनिवार्य है कि हमारे सभी राज्य विधानमण्डल इसी प्रकार की विषय अथवा विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों के गठन की दिशा में अग्रसर हों।

हमारे विधानमण्डलों के लिए स्वतंत्र सचिवालयों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। हमारे संविधान में संसद के प्रत्येक सदन के लिए अलग सचिवालय का उपबंध है। दोनों सदनों के लिए अलग और स्वतंत्र सचिवालयों की स्थापना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसद के प्रति कार्यपालिका की जिम्मेदारी और प्रशासनिक उत्तरदायिता की अवधारणाओं को प्रभावी और पूर्ण रूप से लागू किए जाएं। जहां अनुच्छेद 74 और 75 में यह उपबंध किया गया है कि मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, वहीं अनुच्छेद 98(1) में संसद के प्रत्येक सदन के लिए पृथक कर्मचारी-वृंद का उपबंध किया गया है तथा दोनों सदनों के लिए एक समान पदों के सृजन की व्यवस्था की गई है। इस अनुच्छेद का खण्ड 2 संसद को सचिवालय के कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करता है। लेकिन खेद है कि अनेक राज्य विधानमण्डलों में इन आदर्शों को, जैसा कि विधानमण्डलों के संबंध में अनुच्छेद 187 में प्रतिपादित किए गए हैं, लागू नहीं किया गया है। यह आवश्यक है कि सभी राज्य विधानमण्डलों के सचिवालय कार्यपालिका से स्वतंत्र हों ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विधानमण्डल एवं विधायकों को सचिवालीय कर्मचारियों की ओर से निष्पक्ष तथा वस्तुपरक सहायता प्राप्त हो।

दूसरा विषय जो बहुत महत्वपूर्ण बन गया है वह निर्वाचन संबंधी सुधारों से संबंधित है। मुझे विश्वास है कि इस मुद्दे पर चर्चा में बहुत से सदस्य भाग लेंगे। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कार्यकरण और सफलता के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव एक पूर्वापेक्षा है। आवधिक चुनावों के माध्यम से ही सहमति तथा प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों का तारतम्य स्थापित किया जाता है और उन्हें क्रियान्वित किया जाता है। चुनाव ही इस प्रणाली को वैधता प्रदान करने के अलावा, जनता को अपने प्रतिनिधियों तथा सरकार के कार्य निष्पादन पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का भी अवसर प्रदान करते हैं। इस तरह चुनाव न केवल लोकतंत्र में अस्तित्व को बनाए रखते हैं अपितु उसे समृद्ध और जीवंत भी बनाते हैं। अत: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य है। सामान्यत: किसी भी लोकतांत्रिक देश में तथा विशेष रूप से भारत जैसी विशाल आबादी वाले लोकतंत्र में चुनाव संबंधी सुधारों का महत्व स्वत: स्पष्ट है। भारतीय मतदाताओं की संख्या न केवल विशाल है अपितु अनेक प्रकार से विविध है। जनसंख्या का एक बड़ा भाग अभी भी निरक्षर है। इन कारकों के चलते देश में आवधिक चुनाव कराना और उसमें भी बड़े पैमाने पर जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना वस्तुत: एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस संबंध में भारत का रिकार्ड यह दर्शाता है कि पिछले पांच दशकों के दौरान सत्ता के सुचारु हस्तांतरण के साधन के रूप में हुए आवधिक चुनाव हमारे लोकतंत्र की एक नियमित विशेषता रही है। इसके अतिरिक्त, हमारी जनता ने बार-बार केन्द्र में तथा राज्यों में विभिन्न सरकारों के प्रति अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति व्यक्त करने के सबसे अधिक शक्तिशाली साधन के रूप में चुनावों में अपना विश्वास व्यक्त किया है।

तथापि, हम अपनी चुनाव प्रणाली में आ गयी कुछ विसंगतियों की अनदेखी नहीं कर सकते। इस तरह की चिंताजनक प्रवृत्तियों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता ने देश में चुनाव सुधारों पर बहस छेड़ दी है। राजनीतिक दलों और संसदविदों ने चुनाव सुधारों के संबंध में विभिन्न सुझाव दिये हैं। चुनाव आयोग ने भी चुनाव कराने में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस प्रस्ताव और सुझाव दिए हैं। उत्तरोत्तर सभी सरकारों ने भी विभिन्न समितियों और चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर कुछ उपाय किए हैं। हमारी संसद ने भी लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियमों में संगत संशोधनों के द्वारा इस प्रक्रिया को सरल बनाया है। राष्ट्रीय और राज्य विधानमण्डलों के प्रमुख होने के नाते हमारे पीठासीन अधिकारी चुनाव सुधारों के संबंध में सकारात्मक चर्चा कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं की जांच प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, हम सब इस बात से सहमत हैं कि राजनीति का अपराधीकरण और आपराधिक तत्वों द्वारा चुनावों में भाग लेना हमारी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा हैं। उच्चतम न्यायालय, भारत के निर्वाचन आयोग, संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग, सरकार और संसद ने इसकी तीव्र आलोचना की है। इस संदर्भ में, मैं आपका ध्यान उच्चतम न्यायालय के 2 मई, 2002 के इस निर्णय की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जिसमें निर्वाचन आयोग को यह निर्देश दिया गया है कि वह संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आवश्यक आदेश जारी करे कि संसद अथवा राज्य विधानमण्डल के चुनाव में खड़ा होने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को उसके नामांकन

पत्र के अनिवार्य भाग के रूप में शपथ पत्र पर जानकारी देनी होगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उनकी सम्पत्तियों तथा देनदारियों, शैक्षिक योग्यता और आपराधिक पूर्ववृत्त का विवरण दिया गया हो। उच्चतम न्यायालय ने आयोग को दो महीने के अंदर इस संबंध में मानदंड और तौर-तरीके निर्धारित करने का निदेश दिया था। बाद में आयोग ने सरकार से कहा है कि वह संसद और राज्य विधानमण्डलों के चुनावों के लिए नियमों और नामांकन पत्रों में उपयुक्त संशोधन करे। इस प्रकार आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि राजनीति के अपराधीकरण सहित निर्वाचन संबंधी सभी प्रकार के चुनावी कदाचार को रोकने के लिए कार्रवाई अंतत: सरकार को करनी है। जो संसद द्वारा अनुमोदित हो। यदि संसद और सरकार इस दिशा में अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई नहीं करती हैं तो लोकतंत्र का दूसरा अंग अर्थात् न्यायपालिका यह कार्रवाई कर सकती है। अतएव, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने निर्दिष्ट क्षेत्राधिकार के भीतर कार्य करें। अत: यह आवश्यक है कि निर्वाचन संबंधी सुधारों के बारे में भी संसद अग्रणी भूमिका निभाए।

निर्वाचन संबंधी सुधारों का सर्वाधिक चिन्ताजनक पहलू निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति मतदाताओं की बढ़ती उदासीनता है। कुछ देशों में मतदान अनिवार्य कर दिया गया है। मैं यह सलाह नहीं दे रहा हूं कि भारत जैसे विशाल देश में मतदान को अनिवार्य बना दिया जाए किंतु हम इस पर विचार कर सकते हैं। प्रत्येक निर्वाचन में हमने देखा है कि मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करता। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में तो 25 से 30 प्रतिशत मतदान भी नहीं होता। ऐसी स्थिति में, इतने कम मतदाताओं द्वारा चुने गए प्रतिनिधि पूरे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं? यह वास्तव में चिंताजनक स्थिति है। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि शिक्षित मतदाता मतदान केन्द्रों से दूर ही रहते हैं। उन्हें मतदान प्रक्रिया में वापिस लाने के लिए हमें गंभीर उपाय करने होंगे। आस्ट्रेलिया, अर्जेन्टीना, बेल्जियम, ब्राजील, कोस्टारिका, इक्वेडोर और लक्जमबर्ग जैसे अनेक देश हैं जहां नागरिकों के लिए मताधिकार का प्रयोग करना अनिवार्य है। हमें भी चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए विचार करना चाहिए। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि जिनके अपराधियों से संबंध हों या जो स्वयं अपराधी हों उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस मुद्दे पर अनेक बार चर्चा हो चुकी है। यदि संसद कार्रवाई नहीं करती तो न्यायपालिका सक्रिय हो जाएगी।

मित्रो, ये महत्वपूर्ण विषय हैं, जिन पर हम लोग गंभीर तथा सार्थक चर्चा कर सकते हैं और अपने अनुभवों और विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे विचार-विमर्श लाभप्रद साबित होंगे और हम लोग बहुमूल्य विचार तथा व्यवहार्य सुझाव प्रस्तुत कर सकेंगे।

मित्रो, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि महासचिव ने मुझे बताया है कि जहां तक बंगलौर सम्मेलन का प्रश्न है, यहां कई सुखद संयोग देखने को मिल रहे हैं। सर्वप्रथम, हम लोग अपनी संसद तथा कर्नाटक विधानमण्डल और देश के अनेक अन्य सदनों की स्थापना के 50वें वर्ष में मिल रहे हैं। दूसरी बात, यह सम्मेलन अपने सार्थक अस्तित्व का 80वां वर्ष पूरा कर चुका है।

तीसरी, बात, इस सम्मेलन के साथ-साथ होने वाली संगोष्ठी का भी यह 30वां वर्ष है और चौथी बात, यह सचिवों के सम्मेलन का 50वां वर्ष है। संक्षेप में कहूं, तो हम बंगलौर में एक बहुत ऐतिहासिक अवसर पर मिल रहे हैं। आइए, हम देश में संसदीय लोकतंत्र की इमारत तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करें। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने विधानमण्डलों की कार्यवाही का संचालन व्यवस्थित ढंग से करें। यह भी आवश्यक है कि हम सब सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के उच्चतम स्तर को कायम रखें।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं अपने मेजबान कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री, श्री एस.एम. कृष्णा; कर्नाटक विधान परिषद के माननीय सभापति, श्री बी.एल. शंकर; कर्नाटक विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, श्री एम.वी. वेंकटप्पा; कर्नाटक विधान परिषद के माननीय उपसभापति, श्री डेविड साइमन; कर्नाटक विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष, श्री मनोहर तहसीलदार, कर्नाटक विधानमण्डल सचिवालय के अधिकारियों, कर्नाटक सरकार और इस सम्मेलन को आयोजित करने में योगदान देने वाले सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और शानदार आतिथ्य के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं।

इन शब्दों के साथ, मैं इस सम्मेलन का सहर्ष उद्‌घाटन करता हूं।

धन्यवाद। जय हिन्द। नमस्कार।

हैं। जब मैं विधान सभा के मुख्य द्वार से प्रवेश कर रहा था तो कुछ मीडिया वालों ने मुझसे पूछा कि "क्या सम्मेलनों पर धन व्यय करना उचित है?" अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन सम्मेलनों का उद्देश्य क्या है। ये सम्मेलन हम सभी को एक मंच पर लाते हैं। हम अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। खास तौर पर आजकल सम्मेलन आयोजित करना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि हमारे लोकतंत्र के समक्ष खतरा उत्पन्न हो गया है। हम सभी को संगठित होना चाहिए। हमारा प्रयोजन और हमारा उद्देश्य एक होना चाहिए।

मित्रो, हमारे समक्ष सबसे पहला और प्रमुख कार्य है आतंकवाद की विभीषिका से लोकतंत्र को बचाना और यह केवल चर्चाओं के माध्यम से ही संभव है। लोकतंत्र का अर्थ मात्र चर्चा और एक-दूसरे को समझना है। इसलिए, यह आवश्यक हो जाता है कि हम एक-साथ मिलकर खड़े हों और लोकतंत्र के शत्रुओं का सामना करें। इसी वजह से आज हम सब यहां एकत्रित हुए हैं।

मित्रो, मैं इस बात का अवश्य उल्लेख करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र अपने अद्वितीय इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और उद्यमशीलता के लिए विख्यात है। महाराष्ट्र के लोग बहुत बहादुर रहे हैं और उन्होंने सदैव दासता के किसी भी प्रयास के विरुद्ध संघर्ष किया है। आप सभी यहां से छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र देख सकते हैं। वास्तविकता तो यह है कि ये सभी चित्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मेरे सामने जहां एक ओर छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर लोकमान्य तिलक का चित्र है। यहां डा. बाबासाहेब अम्बेडकर, ज्योतीराव फुले, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी चित्र लगे हुए हैं। मैं समझता हूं कि राजनीति तथा समाज-सेवा से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को इन नेताओं की आराधना करनी चाहिए। इनमें से अधिकांश नेता इस महाराष्ट्र राज्य के ही हैं जोकि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है।

छत्रपति शिवाजी महाराज ने अन्य बातों के साथ-साथ हमें यह भी सिखाया कि किसी भी प्रकार के अन्याय के विरुद्ध वीरतापूर्वक संघर्ष करना चाहिए। यह एक ऐसी शिक्षा है जिसे महाराष्ट्र के लोगों ने भली-भांति ग्रहण किया है जो कि हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान महाराष्ट्र के लिए लोगों और उनके नेताओं की ऐतिहासिक भूमिका से स्पष्ट होता है।

महाराष्ट्र के लोगों ने हमारे देश की साहित्यिक विरासत में भी काफी योगदान किया है। महाराष्ट्र अपने उन श्रद्धेय मनीषियों और पथप्रदर्शक समाज सुधारकों के लिए भी सुविख्यात है जिन्होंने हमारे जीवन को कई प्रकार से समृद्ध किया है। राष्ट्र के सांस्कृतिक आधार को सुदृढ़ करने के कार्य में भी महाराष्ट्र के लोगों का योगदान उत्कृष्ट रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ-साथ लोकमान्य तिलक, विनायक दामोदर सावरकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज, सन्त गाडगे बाबा, डा. बाबासाहेब अम्बेडकर व प्रबोधंकर ठाकरे महाराष्ट्र की कुछ उन प्रमुख विभूतियों में से हैं जोकि राष्ट्र की सेवा में अपने बहुमूल्य योगदानों के लिए सुविख्यात हैं। ये तो मात्र कुछ उदाहरण हैं तथा इनकी संख्या तो बहुत अधिक है।

पिछले महीने 22 से 24 जनवरी, 2003 तक संसद के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित अंतरराष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन के दौरान मुझे आप सभी के साथ विचारों के आदान-प्रदान का सुअवसर प्राप्त हुआ

था। इस सम्मेलन का आयोजन भारत की संसद की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था और इसमें 77 से भी अधिक देशों से आए हुए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य विश्वभर के सासंदों को एक मंच पर लाना था ताकि वे लोकतंत्र के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने अनुभवों, मतों और विचारों का आदान-प्रदान कर सकें तथा सुशासन और जन कल्याण के लिए स्वयं को पुनः समर्पित कर सकें। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा 22 जनवरी को संसद के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित एक भव्य समारोह में किया गया था। भारत के उप-राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति, श्री भैरो सिंह शेखावत तथा प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस सम्मेलन को संबोधित किया था। मुझे इस अवसर पर उपस्थित गण्यमान्य व्यक्तियों का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

इसके उद्घाटन अवसर पर, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों के अनेक प्रकाशनों का विमोचन किया गया था। माननीय राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने लोक सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तक, *इंडियन पार्लियामेंटरी कम्पेनियन: हूज हू आफ मेम्बर्स आफ लोक सभा (फर्स्ट टू थरटीन्थ लोक सभा)* का विमोचन किया था जिसमें 1952 से 2002 तक के लोक सभा के सदस्यों के संक्षिप्त जीवनवृत्त दिये गये हैं। मित्रो, यह एक ऐसा अद्वितीय अभिलेख है जिसमें उन सभी सदस्यों के नाम और उनके बारे में जानकारी दी गई है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के दिन से लेकर आज तक निरन्तर कार्य किया है। जिन अन्य प्रकाशनों का विमोचन किया गया था, वे इस प्रकार हैं: फिफ्टी ईयर्स आफ लोक सभा; *फिफ्टी ईयर्स आफ राज्य सभा (1952-2002); दि चेंजिंग प्रोफाइल आफ लोक सभा: ए सोशियो-इकोनोमिक स्टडी आफ मेम्बर्स (1952-2002); और पार्लियामेंट आफ इंडिया: ए पिक्टोरियल एस्से*। ये सभी महत्वपूर्ण प्रकाशन हैं। मुझे विश्वास है कि आप में से जिस किसी ने भी उस सम्मेलन में भाग लिया होगा, उन्हें ये प्रकाशन अवश्य मिले होंगे।

इस सम्मेलन के दौरान, मैने *भारत की संसद की स्वर्ण जयंती* विषय पर आयोजित एक प्रदर्शन का उद्घाटन किया था। इस प्रदर्शन का आयोजन विज्ञापन और दृश्य-प्रचार निदेशालय के सहयोग से लोक सभा सचिवालय के संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार द्वारा किया गया था। इस प्रदर्शनी में प्राचीन भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं के इतिहास और आधुनिक संसदीय संस्थाओं के विकास को दर्शाया गया था। इस प्रदर्शनी में फोटोग्राफों, रेखाचित्रों, चार्टों, समाचार-पत्रों के मुख्य शीर्षों, उद्धरणों, लेखों, इत्यादि के द्वारा पिछले 50 वर्षों के दौरान लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारतीय शासन व्यवस्था के कार्यकरण पर विशेष जोर दिया गया था। मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि हम न केवल भारत की संसद की बल्कि, बहुत से राज्य विधानमण्डलों की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।

मैं, सर्वप्रथम इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में, उन नए मित्रों का स्वागत करना चाहूंगा जो हमारे समुदाय में सम्मिलित हुए हैं और आज यहां हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे ये नए साथी हैं: बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष, श्री भोला प्रसाद सिंह; गुजरात विधान सभा के अध्यक्ष, प्रोफेसर मंगलभाई एम. पटेल; जम्मू और कश्मीर विधान सभा के अध्यक्ष, श्री तारा चंद; जम्मू और कश्मीर विधान सभा के

उपाध्यक्ष, श्री एम. एकबर लोन; झारखंड विधान सभा के उपाध्यक्ष, श्री बागुन सुम्बरुई; मणिपुर विधान सभा के उपाध्यक्ष, श्री एल. लाला सिंह और पंजाब विधान सभा के उपाध्यक्ष, प्रोफेसर दरबारी लाल। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं।

पिछले साल जून में हुई हमारी बैठक के बाद से, हमने अपने गणराज्य के नए राष्ट्रपति का निर्वाचन किया है तथा निवर्तमान राष्ट्राध्यक्ष को विदाई दी है। हमने एक नए उप-राष्ट्रपति का भी निर्वाचन किया है। 18 जुलाई 2002 को, डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचत घोषित किया गया। 25 जुलाई को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित एक भव्य समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बी.एन. किरपाल द्वारा उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद, नए राष्ट्रपति ने केन्द्रीय कक्ष में उपस्थित विशिष्टजन-समूह को संबोधित किया। निवर्तमान राष्ट्रपति, श्री के.आर. नारायणन को विदाई देने के लिए 22 जुलाई 2002 को केन्द्रीय कक्ष में एक समारोह का आयोजन किया गया। उस समारोह में, मैंने सभी संसद सदस्यों की ओर से एक विदाई संदेश पढ़ा था जिसमें श्री नारायणन की सादर और स्नेहपूर्ण प्रशस्ति की गई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति श्री नारायणन के लम्बे, विशिष्ट और घटनापूर्ण सार्वजनिक जीवन के विषय में मैंने कहा था:

> ''राष्ट्रपति के रूप में आपका निर्वाचन हमारे लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण क्षण था क्योंकि यह लोकतंत्र के इस आधारभूत सिद्धांत का प्रत्यक्ष प्रमाण था कि सभी व्यक्ति समान हैं तथा उन्हें देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने के समान अवसर प्राप्त हैं.... आप इस पद पर आसीन हुए और इतनी गरिमा और विशिष्टता के साथ इसे संभाला कि एक विचारशील राष्ट्राध्यक्ष और गणराज्य के एक विद्वान राष्ट्रपति के निवास स्थान के रूप में राष्ट्रपति भवन की महत्ता कुछ और बढ़ गई। आपके बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द और विवेकपूर्ण परामर्श संसद भवन में सदैव गूंजते रहेंगे तथा जन सेवा में एक आदर्श सांसद की भूमिका के विषय में हमारी अवधारणा को एक नया आयाम देंगे।''

भारत के उप-राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन 12 अगस्त 2002 को हुआ था। नव निर्वाचित उप-राष्ट्रपति, श्री भैरो सिंह शेखावत को राष्ट्रपति, डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा 19 अगस्त 2002 को पद की शपथ दिलाई गई।

आपको स्मरण होगा कि अध्यक्ष पद ग्रहण करने के तत्काल बाद दिए गए अपने भाषण में मैंने सभा में निर्विघ्न और सुव्यवस्थित कार्य संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभा के सभी वर्गों से सहयोग का अनुरोध किया था। मैंने इस कार्य में दलों के नेताओं, मुख्य सचेतकों और सचेतकों की विशेष भूमिका पर विशेष रूप से जोर दिया था। मैंने सभा का कार्य सर्वोत्तम ढंग से संचालित करने के मामले में सहज आम सहमति के लिए विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं के साथ समय-समय पर बैठकें करने का प्रस्ताव भी रखा था। इस विचारधारा के अनुरूप शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर मैंने सभी दलों के नेताओं को एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक बैठक हेतु आमंत्रित किया था जिसमें अन्य नेताओं के अतिरिक्त माननीय प्रधान मंत्री, माननीय उप-प्रधान मंत्री और नेता प्रतिपक्ष

ने भी भाग लिया था। इस बैठक के दौरान, मैंने सभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनका सहयोग मांगा था। मैंने अपील की थी कि सभा की कार्यवाही स्थगित करने की दृष्टि से किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के आसन के समीप जाने अथवा अव्यवस्था उत्पन्न करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि सभा के प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए सहयोग से ये प्रयास सफल हुए और उसके परिणाम हमारे सामने हैं। मुझे विश्वास है कि आत्मानुशासन और प्रत्येक सदस्य द्वारा बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से कार्य करने से आने वाले दिनों में सभा के प्रभावी कार्यकरण में मार्गदर्शन मिलता रहेगा।

मुझे याद है कि मीडिया द्वारा भी यह प्रचारित/प्रसारित किया गया था कि पिछले 30 वर्षों में किसी भी शीतकालीन सत्र में इतना अधिक कार्य नहीं किया गया जितना कि पिछले शीतकालीन सत्र में किया गया था। इसका तात्पर्य यह है कि संसद ने इन 30 वर्षों में पहली बार जिस उत्कृष्टता के साथ अपने कार्य का संचालन किया और उसकी देशभर में सराहना की गई।

मैं अब संसदीय महत्व की उन कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा जो जून 2002 में बंगलौर में हुए हमारे पिछले सम्मेलन के बाद से घटित हुई हैं।

जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 115 (1ख) के अंतर्गत कार्यपालिका को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह विधायिका के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगी जिसमें यह दर्शाया गया हो कि प्राधिकृत सीमा से कितना अधिक वास्तविक व्यय हुआ है। अनुच्छेद 205(ख) में भी राज्यों के लिए ऐसी ही जिम्मेदारी सौंपी गयी है। जनवरी 2001 में नई दिल्ली में हुई लोक लेखा समिति के सभापतियों के नौवें सम्मेलन में अतिरिक्त व्यय को विनियमित करने में विलम्ब के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। सम्मेलन में यह महसूस किया गया था कि अतिरिक्त व्यय को विनियमित करने में विलम्ब की बात पीठासीन अधिकारियों के ध्यान में लायी जाए। अत:, मैंने आप सब लोगों को इस बात की जानकारी देना उचित समझा क्योंकि जवाबदेही को पूरा करने के लिए वित्तीय अनुशासन अत्यंत आवश्यक होता है।

जहां केन्द्रीय स्तर पर हमारी लोक लेखा समिति इस प्रकार के अतिरिक्त खर्चों की जांच प्राथमिकता के आधार पर कर रही है, वहीं यह खेद की बात है कि वित्तीय प्रक्रिया से संबंधित इस प्रकार के अनिवार्य संवैधानिक उपबंधों के अनुपालन की, जिसका कार्यपालिका के जवाबदेही पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है, कुछ ऐसे राज्यों द्वारा अनदेखी की जा रही है जिन्होंने एक दशक से भी अधिक समय से अपने अतिरिक्त व्यय की जांच नहीं की है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि विधायिका के प्राधिकार के बिना किया गया किसी भी प्रकार का व्यय अनियमित और अप्राधिकृत है। अत: मैं यहां उपस्थित सभी पीठासीन अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी-अपनी लोक लेखा समितियों से आग्रह करें कि वे अपने अतिरिक्त व्यय के सभी मामलों की तेजी से जांच करें और इस संबंध में विधायिका के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

जहां तक विशेषाधिकार के मामलों की बात है, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, संसद संदस्य ने 17 मई 2002 को बिहार को वित्तीय सहायता देने के मामले पर सदन को कथित रूप से गुमराह

करने के लिए योजना राज्य मंत्री और तत्कालीन वित्त और ग्रामीण विकास मंत्रियों के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी थी। मैं इसे इसलिए उद्धृत कर रहा हूं क्योंकि मेरे विचार से यह आवश्यक है कि मैं यह बात विभिन्न राज्यों के अध्यक्षों के ध्यान में लाऊं। सदस्य ने अपने विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना में यह आरोप लगाया था कि मंत्रियों ने 24 अप्रैल 2001 को ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान वित्त विधेयक, 2002 पर वाद-विवाद का उत्तर देते समय तथा 23 अप्रैल 2002 को उनकी ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर देते हुए बिहार को दिए गए वित्तीय पैकेज के मामले में सभा को जान-बूझकर गुमराह किया है। इस मामले में मंत्रियों की टिप्पणियां प्राप्त करने और इन पर विचार करने के पश्चात्, शीतकालीन सत्र के दौरान 11 दिसम्बर 2001 को, मैंने निम्नलिखित विनिर्णय दिया था। मेरे विचार से, यह विनिर्णय देश के अन्य अध्यक्षों का मार्गदर्शन कर सकता है:

> ''मैंने डा. रघुवंश प्रसाद सिंह की सूचना के संबंध में संबंधित मंत्रियों से उनकी टिप्पणियां मांगी थीं। मुझे मंत्रियों से उनकी टिप्पणियां मिल गई हैं।
>
> यह एक सुस्थापित परंपरा है कि यदि किसी सदस्य अथवा मंत्री द्वारा सभा में कोई वक्तव्य दिया जाता है जिसको कोई अन्य सदस्य असत्य, अपूर्ण अथवा गलत मानता है तो वह विशेषाधिकार भंग का मामला नहीं बनता है। विशेषाधिकार भंग अथवा सभा की अवमानना का मामला बनने के लिए यह सिद्ध किया जाना आवश्यक होता है कि उक्त वक्तव्य न केवल गलत अथवा गुमराह करने वाला है अपितु वह सभा को गुमराह करने के लिए जान-बूझकर दिया गया है। विशेषाधिकार भंग का मामला तभी उठ सकता है जब सदस्य अथवा मंत्री ने स्वेच्छापूर्वक विचार करके तथा जान-बूझकर असत्य अथवा झूठा वक्तव्य दिया हो।
>
> इस मामले में मंत्रियों की टिप्पणियों का अवलोकन करने पर, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि मंत्रियों द्वारा सभा को गुमराह नहीं किया गया है, जैसा कि सदस्य ने आरोप लगाया है।''
>
> तदनुसार, मैंने विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना को अस्वीकृत कर दिया।

मित्रो, जैसा कि आप जानते हैं कि 16 मई 2000 को मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्ष श्री जी.एम.सी. बालयोगी ने भारत के पूर्व प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर जी की अध्यक्षता में एक 15 सदस्यीय आचार समिति गठित की थी। हमारे संसदीय इतिहास में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण समिति है। इस समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं: (क) सदस्यों के नैतिक और आचार संबंधी व्यवहार का पर्यवेक्षण करना; और (ख) सदस्यों के नैतिक आचार और अन्य कदाचारों के संबंध में समिति को भेजे गए मामलों की जांच करना।

जहां तक अन्य बातों का संबंध है, जब तक कि आचार समिति प्रक्रिया नियमों में शामिल किए जाने के लिए अपनी पूरी प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर लेती, विशेषाधिकार समिति पर लागू होने वाले नियम इस समिति पर भी ऐसे परिवर्तनों, जिन्हें अध्यक्ष आवश्यक समझे, के साथ लागू हैं।

समिति ने 22 नवम्बर 2001 को लोक सभा में प्रस्तुत और 16 मई 2002 को सभा द्वारा स्वीकृत अपने पहले प्रतिवेदन में, उन विभिन्न आचार संबंधी मानकों, जो कि नियमों और निदेशों में निर्धारित किए गए हैं तथा अभिसमयों में दिए गए हैं, का पालन करने की सिफारिश के अलावा, आचार संबंधी शिकायतों और सदस्यों द्वारा वित्तीय प्रकटीकरण और हितों की घोषणा करने संबंधी प्रक्रिया की भी सिफारिश की थी।

इस बीच आचार समिति द्वारा 'आचार से संबंधित मामलों' संबंधी दूसरा प्रतिवेदन भी 20 नवम्बर 2002 को सभा में प्रस्तुत किया जा चुका है।

समिति ने अपने प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि आचार समिति के गठन, इसके कृत्यों और समिति द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित नियम लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों में सम्मिलित किए जाएं। समिति ने यह भी सिफारिश की कि—(क) आचार संबंधी शिकायतों के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु प्रक्रिया नियमों में उपयुक्त नियम शमिल किए जाएं; और (ख) दिनांक 25 नवम्बर 2001 को आयोजित पीठासीन अधिकारियों, मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकृत संकल्प के साथ संलग्न सदस्य आचार संहिता को उपयुक्त तरीके से नियमों में सम्मिलित किया जाए।

जैसा कि आप जानते हैं, भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 62वें सम्मेलन के दौरान पीठासीन अधिकारियों ने 'संविधान की दसवीं अनुसूची की पुनरीक्षा की आश्यकता' विषय पर गहराई से विचार-विमर्श किया था। पीठासीन अधिकारियों के बीच लगभग सहमति थी—जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दल-बदल रोधी कानून की पुनरीक्षा आवश्यक है, जिसको ध्यान में रखते हुए मेरे पूर्ववर्ती, स्वर्गीय श्री जी.एम.सी. बालयोगी ने इस मामले पर विचार करने के लिए 13 अक्तूबर 1998 को पश्चिम बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष, श्री हाशिम अब्दुल हलीम, जो आज इस सम्मेलन में उपस्थित हैं, के सभापतित्व में पीठासीन अधिकारियों की एक समिति गठित की थी। इसकी 27 दिसम्बर 2002 को दिसपुर में हुई छठी बैठक में समिति ने 'दल-बदल रोधी कानून की पुनरीक्षा' के बारे में प्रतिवेदन को अनुमोदित किया। मैं आप सब की ओर से श्री हलीम को एक उत्कृष्ट प्रतिवेदन तैयार करने के लिए बधाई देता हूं जिसमें दल-बदल रोधी कानून के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। यह प्रतिवेदन इस सम्मानित सम्मेलन के समक्ष कल प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि दल-बदल के कारण हमारे लोकतंत्र के समक्ष काफी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है और इसलिए इस प्रतिवेदन पर विभिन्न विधान सभाओं से आये सभी प्रतिनिधियों द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए।

मित्रो, हमने इस सम्मेलन में चर्चा हेतु रुचि के दो प्रासंगिक विषयों को चुना है। पहला विषय है—'शून्य काल के बदलते आयाम—इसे और अधिक उपयोगी कैसे बनायें?'

लोक सभा में और कुछ राज्यों में, परिपाटी के अनुसार, शून्य काल की पद्धति चली आ रही है जबकि महाराष्ट्र विधानसभा सहित कुछ विधान सभाओं में शून्य काल की अवस्था नहीं है। इसलिए

यह आवश्यक है कि शून्य काल पर अंतिम रूप से चर्चा करें और किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। अत: आज इस विषय को विशेष रूप से विचारार्थ लिया गया है।

शून्य काल एक अनुपम भारतीय संसदीय प्रथा है। इससे सदस्यों को उन मामलों को उठाने का अवसर मिलता है जिन्हें वे महत्वपूर्ण समझते हैं। यह साधन समय के साथ विकसित हुआ है तथा अधिकांशत: परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित है। प्रक्रिया नियमों, में संसद में शून्य काल नामक कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन फिर भी शून्य काल की परंपरा है। इसका प्रारंभ शायद 60 के दशक के आरंभिक वर्षों में उस समय हुआ जब सदस्यों द्वारा प्रश्न काल के तुरंत बाद कई लोक महत्व के लिए अविलंबनीय मामले उठाये जाने लगे।

अनुभवी सांसदों ने बड़ी कुशलता से इस अवधि का उपयोग कुछ वास्तविक महत्वपूर्ण मामलों की ओर सभा का और उसके द्वारा राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया। धीरे-धीरे यह प्रथा संसदीय प्रथा बनने लगी और शून्य काल की कार्यवाहियों को मीडिया में महत्व मिलने लगा, जिसके परिमाणस्वरूप अधिक से अधिक सदस्य इस त्वरित और तात्कालिक उपाय का सहारा लेने के लिए प्रोत्साहित हुए।

जहां 'शून्य काल' को सदस्यों में लोकप्रियता तथा स्वीकार्यता मिल रही थी, वहीं वास्तविकता यह है कि कई अवसरों पर इसने सभा के बहुमूल्य समय का अतिक्रमण किया और कई बार इसके कारण सभा में उग्र तथा उच्चश्रृंखलतापूर्ण दृश्य उत्पन्न हुए और कुछ सदस्यों द्वारा अव्यवस्था की स्थिति पैदा की गई। यह प्रवृत्ति चिंता का विषय बनने लगी। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलनों तथा सचिवों के सम्मेलनों में इस पर कई बार चर्चा की गई है। यद्यपि, 'शून्य काल' को कभी-कभी कुछ लोगों द्वारा सार्वजनिक धन का अपव्यय माना जाता है, फिर भी ऐसा महसूस किया गया कि यह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सदस्यों में लोकप्रिय बन गया है। एक ओर तो यह विचार प्रकट किया गया कि यह सभा के सामान्य कार्य के निष्पादन में रुकावट डालता है, वहीं दूसरी ओर यह माना गया कि भारतीय संसदीय प्रथा में योगदान करने की दृष्टि से यह एक मौलिक साधन है। किसी दिन की कार्य सूची में सम्मिलित निर्धारित कार्य को अव्यवस्थित किए बिना सदस्यों को मामले उठाने का अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सभा में पहली बार विशेष उल्लेख की प्रक्रिया आरंभ की गई। इसी प्रकार लोक सभा में नियम 377 के अधीन मामले उठाए जाते हैं। 'शून्य काल' के दौरान उठाए गए मामलों के संबंध में, मंत्रीगण सभा में उत्तर देने अथवा बाद में संबंधित सदस्य को उत्तर देने के लिए उसी प्रकार से बाध्य नहीं हैं जिस प्रकार लोक सभा में नियम 377 के अधीन अथवा राज्य सभा में विशेष उल्लेख की प्रक्रिया के अंतर्गत उठाए गए मामलों में उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। इस कमी के बावजूद, सदस्यों द्वारा प्राय: लोक शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए शून्य काल के दौरान मामले उठाये जाते हैं।

मेरी व्यक्तिगत राय में शून्य काल में मामलों को उठाए जाने से अविलम्बनीय प्रकार की लोक शिकायतों की ओर ध्यान आकर्षित कराए जाने के उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति होती है परंतु मेरा यह दृढ़ मत है कि सदस्यों द्वारा इस प्रथा का प्रयोग राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे सभा में प्राय: शोरगुल होता है, जिससे किसी को भी लाभ नहीं होता।

हमने विचार-विमर्श के लिए जो दूसरा और हमसे सरोकार रखने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय चुना है, वह "संसदीय विशेषाधिकारों और मीडिया द्वारा विधानमण्डल की कार्यवाही का प्रकाशन करने से संबंधित है"। यह विवाद विभिन्न राज्यों में विद्यमान है। जहां एक ओर हमारे सदस्यों को अधिकार एवं विशेषाधिकार प्राप्त हैं, वहीं दूसरी ओर प्रेस को भी वाक् स्वतंत्रता का अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त है। मैंने इस मुद्दे को स्पष्ट करने का प्रयास किया है क्योंकि मेरे विचार से और आगे चर्चा करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

भारतीय संसद अथवा राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को सामूहिक रूप से और इसके सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से कुछ शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं जिन्हें उनके कृत्यों और दायित्वों के, बिना किसी बाधा अथवा अड़चन के प्रभावी ढंग से निर्वहन के लिए आवश्यक समझा जाता है। जब कोई व्यक्ति अथवा प्राधिकारी, सदस्यों अथवा सदन अथवा इसकी समितियों के किसी भी विशेषाधिकार, अधिकार और उन्मुक्ति की अवहेलना अथवा इनका हनन करता है तो इसे सदन द्वारा दंडनीय विशेषाधिकार भंग माना जाता है। प्रत्येक सदन अपने विशेषाधिकारों का स्वयं संरक्षक है। यह न केवल किसी भी ऐसे मामले का एकमात्र निर्णायक है जिससे विशेषाधिकारों का हनन होता हो अथवा उससे किसी प्रकार से इसकी अवमानना होती हो, बल्कि यदि उसे उचित लगे तो वह ऐसे कार्यों के लिए किसी को दंडित भी कर सकता है।

संसद और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण संचार माध्यम के रूप में प्रेस का यह परम कर्त्तव्य है कि वह जनता को सही समाचारों और तथ्यों से अवगत कराये। संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही के प्रकाशन से जुड़े सभी व्यक्तियों को, यदि वह प्रकाशन संविधान के अनुच्छेद 105(2) के अंतर्गत सदन द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन निकाला गया है, संविधान के अंतर्गत किसी भी न्यायालय की कार्यवाही से पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है। तथापि, यह उन्मुक्ति समाचार-पत्रों में प्रकाशित संसदीय कार्यवाहियों की रिपोर्टों के प्रकाशन, चाहे वह सदन के किसी सदस्य द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रकाशित की गई हो, को प्राप्त नहीं है जब तक कि वह प्रकाशन किसी भी सदन द्वारा स्पष्ट रूप से प्राधिकृत न किया गया हो।

संसद के किसी भी सदन की किसी भी कार्यवाही की वस्तुतः सही रिपोर्ट के समाचार-पत्र में प्रकाशन अथवा बेतार टेलीग्राफी द्वारा प्रसारण को भी सांविधिक संरक्षण दिया गया है, बशर्ते यह रिपोर्ट जनहित में हो और दुर्भाव से प्रेरित न हो।

यह संरक्षण इस समग्र निर्बंधन के भीतर दिया गया है कि सदन को अपने वाद-विवादों अथवा कार्यवाहियों के प्रकाशन को नियंत्रित करने और यदि आवश्यक हो, तो उसका वर्जन करने और ऐसे आदेशों के उल्लंघन के लिए दंडित करने की शक्ति है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 118 में यह उपबंध है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 379 के अंतर्गत लोक सभा

के अध्यक्ष को सभा की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही की पूर्ण रिपोर्ट, जो ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से, जो वह समय-समय पर निदेश दे, प्रकाशित कराने की शक्ति प्रदान की गई है। प्रत्येक सभा के पास अपने वाद-विवाद और कार्यवाही के प्रकाशन को नियंत्रित करने और यदि आवश्यक हो तो उसे रोकने का अधिकार है। सामान्यतया, सभा की कार्यवाही की रिपोर्टिंग पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। किन्तु जब सभा या उसकी समितियों में हुए वाद-विवाद या कार्यवाही की रिर्पोटिंग दुर्भावपूर्वक की जाए अथवा सदस्य विशेष के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किए जाए या दबाने की कोशिश की जाए, तो यह विशेषाधिकार का भंग तथा सभा की अवमानना है और ऐसा अपराधकर्ता दण्ड का भागी होता है। इसी तरह किसी संसदीय समिति की कार्यवाही या उसके सामने दिए गए साक्ष्य या उसे प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज को सभा के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व उसके किसी भी भाग को प्रकाशित करना भी विशेषाधिकार का भंग और सभा की अवमानना है।

मैं कुछेक दृष्टांत दे रहा हूं जो वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहली लोक सभा की विशेषाधिकार समिति ने *सुंदरैया मामले* में यह सिफारिश की थी:

> ''यह विधि और संसद के विशेषाधिकारों की प्रथा के अनुरूप ही है कि जब संसद की किसी समिति की बैठक दिन प्रतिदिन चलती हो, तो उसकी कार्यवाही का प्रकाशन न किया जाए और न ही समिति के समक्ष प्रस्तुत किसी दस्तावेज या कागजात अथवा उसके द्वारा निकाले जा सकने वाले निष्कर्षों का समाचार-पत्रों में उल्लेख किया जाना चाहिए ... यह पूरी तरह वांछनीय है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह संसद सदस्य हो अथवा प्रैसकर्मी, संसद की किसी समिति के विचाराधीन अथवा जांचाधीन किसी भी मामले के संबंध में समुचित रूप से सत्यापित किए बिना कोई वक्तव्य या टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और न ही उसे प्रकाशित करना चाहिए।''

इस प्रकार, दूसरे शब्दों में कार्यवाही के संबंध में समितियों को भी संसद के समान दर्जा दिया गया है।

इसी प्रकार, किसी संसदीय समिति के प्रारूप अथवा स्वीकृत प्रतिवेदन को, सभा में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व उसे प्रकाशित करना सभा का विशेषाधिकार भंग माना जाता है।

संसदीय समिति की सिफारिशों पर किसी के द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। समितियां भी संसद की ही भांति सम्मान पाने की पात्र हैं। अतएव, यदि किसी समिति के निर्णय या आचरण पर कोई टिप्पणी की जाती है तो यह सभा के विशेषाधिकार का भंग है।

प्रैस को संसद तथा विधानमंडलों की कार्यवाही का प्रकाशन करने से पूर्व, संसदीय विशेषाधिकारों के निर्धारक विभिन्न मानदंडों का पालन करना होता है।

सभा में सदस्यों को पूर्ण वाक् स्वातंत्र्य प्राप्त है। सौभाग्यवश उच्चतम न्यायालय ने भी यह बात स्पष्ट कर दी है। मुझे इस संबंध में प्रसिद्ध तेज किरण जैन का मामला स्मरण आ रहा है।

1969 में किन्हीं श्री तेज किरण जैन और अन्यों ने अस्पृश्यता के संबंध में पुरी के शंकराचार्य के कथित बयान और उनके द्वारा राष्ट्र गान का कथित अपमान किए जाने के बारे में ध्यानाकर्षण सूचना पर 2 अप्रैल, 1969 को लोक सभा में कार्यवाही के दौरान तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष, श्री नीलम संजीव रेड्डी तथा अन्य चार संसद सदस्यों द्वारा की गई कतिपय गंभीर टिप्पणियों के संबंध में उनके विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया था। महान्यायवादी द्वारा उच्च न्यायालय को यह इंगित किए जाने पर कि अनुच्छेद 105(2) के अंतर्गत, कोई भी मुकदमा स्वीकार नहीं किया जा सकता है, उच्च न्यायालय ने मुकदमा खारिज कर दिया। तथापि, श्री जैन ने उच्चतम न्यायालय में अपील की। उच्चतम न्यायालय ने 8 मई, 1970 को अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसे मैं उद्धृत करता हूं:

> ''अनुच्छेद 105 अन्य बातों के साथ-साथ, ''संसद में कही गई किसी भी बात ...'' के संबंध में उन्मुक्ति प्रदान करता है। ''किसी भी'' शब्द व्यापक महत्व का है और यह ''सब कुछ'' के बराबर है। सीमाबद्धता केवल ''संसद में'' शब्दों से उत्पन्न होती है जिसका अर्थ है संसद की बैठक के दौरान और संसद की कार्यवाही के दौरान। यदि एक बार यह सिद्ध हो जाता है कि संसद की बैठक हो रही थी और इसकी कार्यवाही चल रही थी, तो उस कार्यवाही के दौरान कही गई किसी भी बात को किसी भी न्यायालय की कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है। वह जो कुछ भी कहते हैं, वह केवल संसद के नियमों के अनुशासन, सदस्यों की सद्इच्छा और अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही के नियंत्रण के अध्यधीन है। न्यायालयों का इस मामले में कोई दखल नहीं है और वास्तव में होना भी नहीं चाहिए।''

1957 में बिहार विधान सभा के एक सदस्य ने बजट पर आम चर्चा के दौरान अपने भाषण में कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियां की थीं। एक सदस्य द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न पर अध्यक्ष ने भाषण के कुछ अंशों को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया। यह भी एक ऐसा मामला है जिसे संभवत: सभी जानते हैं। 'सर्चलाइट' पत्र ने एक ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें सदस्य के भाषण से निकाले गए अंश दिए गए थे।

बाद में, विधान सभा के एक सदस्य ने 'सर्चलाइट' के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी और मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया। विशेषाधिकार समिति के निर्देश पर 'सर्चलाइट' के संपादक श्री एम.एस.एम. शर्मा को एक नोटिस तामील की गई जिसमें उनसे यह बताने के लिए कहा गया कि आपत्तिजनक प्रकाशन के संबंध में विशेषाधिकार भंग के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश क्यों न की जाए।

'सर्चलाइट' के संपादक ने संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की। उन्होंने उच्चतम न्यायालय से कहा कि उक्त नोटिस और विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत प्राप्त वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के उनके मूल अधिकार का उल्लंघन है।

अनुच्छेद 194 के खंड 1 की व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने 12 दिसम्बर, 1958 को दिए गए अपने निर्णय में यह टिप्पणी की जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं:

> ''अपने निर्णय में हमें सद्भावपूर्ण रचना के सिद्धांत को अपनाना चाहिए और उसकी शब्दावली इस प्रकार विरचित करनी चाहिए कि अनुच्छेद 19(1)(क) के उपबंध, जोकि सामान्य हैं, का स्थान अनुच्छेद 194(1) और उसके खंड (3) के परवर्ती भाग, जोकि विशेष हैं, ले लें।
>
> ऐसी परिस्थितियों में संपूर्ण भाषण की रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से सही होते हुए भी कानून की दृष्टि से विकृत और गलत रिपोर्ट समझी जाएगी और एक भाषण की विकृत और गलत रिपोर्ट का प्रकाशन जिसमें सदन में अध्यक्ष द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन करके निकाले गए अंशों को शामिल करना प्रथम दृष्टया इस आपत्तिजनक समाचार के प्रकाशन के कारण, सभा का विशेषाधिकार भंग माना जा सकता है।''

20 अप्रैल, 1961 को लोक सभा के एक सदस्य ने मुम्बई की एक साप्ताहिक समाचार पत्रिका 'ब्लिट्ज' में एक संसद सदस्य, श्री जे.बी. कृपलानी के बारे में 'द कृपलूनी इंपीचमेंट' शीर्षक से एक समाचार और उनका फोटो प्रकाशित किए जाने के बारे में विशेषाधिकार का मामला उठाया था। उसने ब्लिट्ज में इसकी आलोचना करने का प्रयास किया। ब्लिट्ज एक मशहूर साप्ताहिक पत्रिका है। यह अप्रैल, 1961 में प्रकाशित हुआ था। यह मुम्बई की एक साप्ताहिक न्यूज पत्रिका है। उक्त लेख में सदन में दिए गए भाषण को लेकर सदस्य के विरुद्ध कुछ अपमानजनक शब्दों का उल्लेख किया गया था। इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया था।

समिति ने विचार व्यक्त किया कि आक्षेप करने वाला एक दस्तावेज सभा के विशेषाधिकार का भंग और अवमानना है।

तथापि, उपर्युक्त साप्ताहिक पत्रिका के संपादक ने संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। यदि मैं सही हूं तो श्री करंजिया उसके संपादक थे। याचिकाकर्ता ने सर्चलाइट मामले में उच्चतम न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णय पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना की थी। परन्तु उच्चतम न्यायालय ने मामले को खारिज कर दिया। बाद में ब्लिट्ज के संपादक 'बार' में बुलाया गया और उनकी भर्त्सना की गई।

26 मार्च, 1969 को राज्य सभा के सदस्य श्री भूपेश गुप्त ने सभा का ध्यान पंजाब विनियोग विधेयक 1968 की एक फोटो प्रतिलिपि की ओर दिलाया जिसमें यह दिखाया गया था कि राज्यपाल ने उस विधेयक पर पंजाब विधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र के बिना ही हस्ताक्षर कर दिए थे। यह भी एक रोचक मामला है। आप सभी यह जानते हैं कि जब तक अध्यक्ष द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते, तब तक उस पर राष्ट्रपति भी हस्ताक्षर नहीं करते। बाद में, उपर्युक्त विधेयक की मूल प्रति की कथित चोरी के मामले की जांच के संबंध में जब चण्डीगढ़ के एक पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ की गई तो श्री भूपेश गुप्त ने इस मामले को सभा में उठाया और कहा कि किसी पुलिस अधिकारी का इस प्रकार उनके पास आना संसद सदस्य के कार्य में एक गंभीर हस्तक्षेप है और वस्तुतः यह सभा के विशेषाधिकार का घोर भंग है।

यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया जिसने यह विचार व्यक्त किया कि संसद सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में यदि कोई बात कही या की है तो संसद के बाहर उसकी जांच करना सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों के निवर्हन करने के मामले में सदस्य के अधिकार में गंभीर हस्तक्षेप है।

तथापि, न्याय के प्रशासन में सहायता के लिए समिति ने एक प्रक्रिया निर्धारित कर दी। इस प्रक्रिया के अनुसार जांच अभिकरणों को सदस्य से सीधे नहीं मिलना चाहिए बल्कि गृह मंत्री और अध्यक्ष के माध्यम से संपर्क करना चाहिए और यदि सदस्य अपने विशेषाधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता किए बिना उनसे मिलना चाहता है तो ठीक है। यदि वह नहीं मिलना चाहता तो जांच अभिकरणों को जांच के अन्य तरीकों का पता लगाना चाहिए।

मित्रो, ये ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर हमें यहां, इस सम्मेलन में, अपना-अपना दृष्टिकोण और अनुभव बताकर गंभीर व सार्थक चर्चा करने के अवसर प्राप्त होंगे। मुझे विश्वास है कि हमारी चर्चा सार्थक रहेगी और इससे हमें अमूल्य विचार तथा रचनात्मक सुझाव प्राप्त होंगे।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा देश इतिहास के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। हमारे जीवन के लगभग हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। शासन व्यवस्था में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं। यह चीज हमारे विधायी निकायों के गठन और स्वरूप में भी वास्तव में परिलक्षित होती है। ऐसी परिस्थितियों में, पीठासीन अधिकारियों की भूमिका और भी जटिल हो गयी है तथा अक्सर, सभा के कार्य संचालन में हमें तनाव और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर भी, ये आज के संसदीय जीवन की वास्तविकताएं हैं, और हम सब को मिलकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि देश में प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं फलती फूलती रहें और जनता की आकांक्षाओं के प्रति और अधिक उत्तरदायी तथा संवेदनशील बनें।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं अपने मेजबानों, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार शिंदे; महाराष्ट्र विधान परिषद के माननीय सभापति, प्रोफेसर नारायण सदाशिव फरांडे; महाराष्ट्र विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, श्री अरुणलाल गोवर्धनदास गुजराती; महाराष्ट्र विधान परिषद के माननीय उपसभापति, श्री वसंत शंकर दावखरे; महाराष्ट्र विधान सभा के माननीय उपाध्यक्ष, श्री प्रमोद भाऊरावजी शिंदे, महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय के अधिकारियों, महाराष्ट्र सरकार और इस सम्मेलन के आयोजन में सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों को मैं उनके शानदार आतिथ्य के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

इन शब्दों के साथ, मुझे इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है।

धन्यवाद।

जय हिन्द! जय महाराष्ट्र!

11

संसदीय लोकतंत्र—संजोने हेतु एक समृद्ध विरासत*

मुझे वास्तव में इस बात की बहुत खुशी है कि आप सभी ने आज की शाम मेरे सम्मानित अतिथि बनने का मेरा निमंत्रण स्वीकार किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अध्यक्ष होने के नाते मुझे सभा में बोलने का काफी कम अवसर मिलता है तथा अधिकांश समय मैं आप लोगों के निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं से लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्दों तक के संबंध में आपकी बातें धैर्यपूर्वक सुनता हूं। मैंने महसूस किया कि बदलाव के तौर पर, मुझे आप सभी को सदन से दूर अपने घर पर बुलाना चाहिए ताकि मुझे भी बोलने का अवसर मिल सके।

जैसा कि आप जानते होंगे, अध्यक्ष पद की उत्पत्ति का मूल 'ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स' में था। 'कामन्स' का अध्यक्ष सभा में महारानी का प्रतिनिधि माना जाता था तथा वह संसद का निर्वाचित अधिकारी होता था। वास्तव में, एक समय ऐसा आया जब अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाना खतरनाक बन गया था तथा यह कहा जा सकता है कि एक तरह से उनका अपना जीवन दांव पर लग जाता था। यदि संसद को राजा की इच्छा के अनुरूप कार्य करने के लिए मनाया नहीं जा सका या अध्यक्ष संसद से बुरी खबर लाया तो उन्हें लंदन के भयावह टावर में कैद किया जा सकता था। 'कामन्स' के कुछ अध्यक्षों को उस 'टावर' में समय बिताना पड़ा तथा कुछ अन्यों का राजा के आदेश पर सर कलम कर दिया गया। सौभाग्यवश, हमारे यहां अध्यक्षों की स्थिति कहीं अधिक ठीक रही है। 'हाउस आफ कामन्स' में आज भी यह परंपरा चल रही है कि अध्यक्ष यह दिखावा करे कि वह यह पद स्वीकार नहीं करता/करती है। यह याद दिलाने के लिए कि कभी एक अध्यक्ष को संसद के प्रथम दिन आसन पर बैठाए रखने के लिए आसन से बांधा गया था, सभा में अध्यक्ष के आसन के बगल में प्रतीकात्मक रूप में रस्सी का एक टुकड़ा रखा जाता है। 'कामन्स' में यह भी परंपरा है कि निर्वाचित अध्यक्ष को प्रतीकात्मक रूप से खींच कर आसन तक ले जाया जाता है।

मेरे लिए यह राहत की बात है कि भारत में अध्यक्षों को ऐसी अग्निपरीक्षा से नहीं गुजरना पड़ता है। पिछले पांच दशकों का हमारा यही अनुभव है। ऐसा नहीं है कि मैं भविष्य में ऐसी किसी संभावना की कल्पना करता हूं। मुझे इस बात का भी विश्वास है कि आप में से कम से कम कुछ लोग मेरे आसन पर बैठने से इंकार नहीं करेंगे! और, हो सकता है कि यदि अवसर दिया जाए तो इस पद का कोई धारक इस कहावत को भी चरितार्थ करे कि 'एक बार अध्यक्ष, सदा के लिए अध्यक्ष'!

---

* संसद सदस्यों को दिए गए रात्रि भोज के अवसर पर, नई दिल्ली (4 मार्च 2003)

हमारे देश में चाहे हमारे बीच कितने भी राजनीतिक मतभेद हों, अध्यक्ष को ऐसा ही आदर और सम्मान दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय पील को लेकर 'हाउस आफ कामन्स' की एक घटना मुझे याद आती है। जब अध्यक्ष पील सेवानिवृत्त हुए, 'लार्ड रोजबरी' जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके प्रति बहुत कठोर थे। लेकिन महारानी विक्टोरिया अध्यक्ष पील से काफी प्रभावित थी तथा वह उनका उपयुक्त उत्तराधिकारी ढूंढ़ने के लिए बहुत चिंतित थी। जैसे ही लार्ड रोजबरी ने यह सुना, उन्होंने महारानी को आश्वस्त करने के लिए लिखा। मैं उन्हें उद्धृत करता हूं:

> "अध्यक्ष के लिए आवश्यक योग्यताओं के बारे में बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहा जाता है। सभी अध्यक्ष अत्यधिक सफल हैं, सभी को हार्दिक सम्मान मिलता है, सभी को अद्वितीय माना जाता है। परन्तु शीघ्र ही एक नया अध्यक्ष सभा में सामान्य सदस्यों में से ही खोज लिया जाता है।"

मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे कोई भी प्रधानमंत्री हमारे अध्यक्षों के बारे में ऐसी रिपोर्ट लिखने की नहीं सोचेंगे जैसी कि लार्ड रोजबरी ने अध्यक्ष पील के बारे में लिखी।

मित्रो, मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूं कि जब से मैंने अध्यक्ष का पद संभाला है, मेरा यह ईमानदार प्रयास रहा है कि सभा का कार्य अत्यंत सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चले ताकि दिनभर के लिए सूचीबद्ध कार्य पूरा हो जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अध्यक्ष का कार्य चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसे उपलब्ध समय का इष्टतम उपयोग करते हुए सभा की कार्यवाही अत्यंत व्यवस्थित तथा अनुशासित ढंग से चलानी होती है। मैं इससे सहमत हूं कि ऐसा मंच जहां 37 दलों के प्रतिनिधि उपस्थित हों वहां परस्पर विरोधी विचार तथा धारणाएं अवश्यंभावी हैं। संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करते समय नोक-झोक और छींटाकशी अपरिहार्य हो जाती है। 'ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स' के पूर्व अध्यक्ष के रूप में श्री बर्नार्ड वेदरिल ने एक बार कहा था कि सड़कों पर लड़ने की बजाय पार्लियामेंट चेम्बर में अपने मतभेद व्यक्त करना बेहतर है। ऐसा होने पर भी हमें उन कतिपय नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना होता है जिन्हें स्वयं हमने ही बनाया है।

आप सब इस बात से सहमत होंगे कि संसदीय लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सर्वाधिक बुनियादी अधिकार है। यह हमारा अनिवार्य कर्त्तव्य है कि अभिव्यक्ति की इस स्वतंत्रता का देश के सर्वोच्च प्रतिनिधिक निकाय में सम्मान किया जाए। यदि हम इस बुनियादी अधिकार का सम्मान करते हैं तो फिर सभा में प्रत्येक को अपनी बात कहने का मौका मिल जाता है। सभा की दैनिक कार्यवाही को बाधित करके हमें कुछ नहीं मिल रहा, बल्कि हम कुछ खो ही रहे हैं, और वह है देश के प्रतिनिधियों के समक्ष किसी मुद्दे को सही परिप्रेक्ष्य में रखने का अवसर! संसद की गरिमा तथा प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हम सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करना है।

मेरी यह चेष्टा रहती है कि अधिक से अधिक सदस्यों को सभा में बोलने का मौका मिले। मेरा प्रयास यह सुनिश्चित करने का रहा है कि जिन लोगों ने हमें यहां अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा

है, हम सब मिलकर उनके समक्ष संसद की एक सकारात्मक छवि प्रस्तुत करें। आपके समर्थन और सहयोग से मैं सभा के सत्रों को अधिक सोद्देश्यपूर्ण ढंग से अपेक्षाकृत बिना किसी असुविधा के तथा कम बार स्थगित करके संचालित कर पाया हूं। विगत दो सत्रों में बहुत सार्थक काम हुआ; अव्यवस्था या शोर-शराबे की वजह से शायद ही कभी कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी हो और परिणाम आपके सामने है! हम प्रश्न काल के दौरान अधिक प्रश्नों का उत्तर पाने में सफल रहे; 'शून्य काल' में भी काफी काम हो सका और हम रिकार्ड संख्या में विधान पारित करने में भी सफल हुए! स्वाभाविक रूप से हमारी संसद को सुचारू संचालन के लिए मीडिया और पूरे राष्ट्र की सराहना मिली।

मित्रो, मैं जानता हूं कि अभी भी काफी कुछ किए जाने की आवश्यकता है और चूंकि हम स्वयं ही अपने नियमों और प्रक्रियाओं के निर्माता हैं, तो हम आवश्यकता होने पर सदैव नये नियम और प्रक्रियाएं बना सकते हैं और उन्हें शामिल कर सकते हैं ताकि कार्यवाही का संचालन सोद्देश्यपूर्ण और गरिमापूर्ण ढंग से हो। मैं भी चाहता हूं कि यथासंभव अधिकाधिक सदस्यों को कार्यवाही में भाग लेने का मौका दूं। इस बात पर भी मेरा बराबर ध्यान रहता है कि हमारी समितियां लोक कल्याण को सबसे ऊपर रखकर और अधिक प्रभावी ढंग से काम करें तथा परिणाममूलक और सार्थक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि सदस्यगण संसदीय समितियों के कार्य में और अधिक रुचि लें।

मित्रो, हाल ही में हमने अपनी संसद की स्वर्ण जयंती के अवसर पर अंतरराष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया था। विश्व भर के प्रतिनिधि संसद भवन में एकत्र हुए और इस ऐतिहासिक अवसर पर हमें बधाई दी। उन्होंने लोकतंत्र की ज्योति प्रज्वलित रखने तथा लोकतंत्र को सुदृढ़ तथा गहन करने में अन्य देशों के लिए प्रेरणा बनने के लिए हमारी सराहना की। उन्होंने विश्व के सबसे बड़े कार्यशील लोकतांत्रिक देश के रूप में अपनी राज्य व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने पर भी हमारी प्रशंसा की। मैं अक्सर स्वयं से यह उद्वेलित करने वाला प्रश्न पूछता हूं—आतंकवादियों ने 13 दिसम्बर को हमले के लिए हमारी संसद को ही क्यों चुना? मेरे मनो-मस्तिष्क को आंदोलित करने वाला इसका उत्तर भी सीधा-सपाट है—क्योंकि हमारी संसद हमारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। यह हमारे देश की प्रतिष्ठा तथा सम्मान का सबसे सशक्त प्रतीक है। यह मुक्त विश्व, लोकतंत्र का सर्वाधिक जीवंत प्रतीक भी है। आतंकवादी और उनके सहयोगी हमारी संसद को ध्वस्त करके और हमारे सांसदों को आघात पहुंचाकर हमारे देश के सम्मान और प्रतिष्ठा को, तथा मुक्त विश्व तथा लोकतंत्र की अवधारणा को ही नष्ट करना चाहते थे। उनके नापाक इरादों की असफलता अपने आप में न सिर्फ भारतीय संसद की, बल्कि सभ्य विश्व के समस्त नागरिकों की एक बड़ी जीत है।

स्पीकर बर्नार्ड वेदरिल ने एक बार रूसी संसद के सदस्यों के एक दल के बारे में एक घटना का वर्णन किया था, जब वह दल रूस की कम्युनिस्ट सरकार के पतन और लोकतंत्र के उद्भव-काल में उनसे हाउस आफ कामन्स में मिलने आया था। यात्रा पर आए रूसी सांसदों ने रूस में संसदीय लोकतंत्र के परिपोषण हेतु स्पीकर वेदरिल की सलाह चाही। और क्या आप जानते हैं कि स्पीकर वेदरिल ने उन्हें क्या सलाह दी? उन्होंने उनसे कहा कि भारत जाइए और देखिए कि भारत की संसद

कैसे काम करती है, और भारत के अनुभव से सीख लीजिए! मित्रो, इसी ख्याति की हमें रक्षा करनी है; इसी विरासत को हमें सजाए रखना है। हम विश्व, राष्ट्र और स्वयं को विफल नहीं कर सकते। मुझे विश्वास है कि आप सभी उस विश्वास को भली-भांति समझते हैं जो जनता ने हममें व्यक्त किया है। आइए, अपनी संसद की स्वर्ण ज़यंती के इस वर्ष में हम अपने कोटि-कोटि देशवासियों के विश्वास की पुनःस्थापना के लिए अपने आप को फिर समर्पित कर दें।

आपको धन्यवाद कि इस सुहानी शाम को आपने मेरी बात—अध्यक्ष के रूप में नहीं बल्कि आप में से ही एक साथी के रूप में; सभा में नहीं बल्कि मेरे अपने घर में सुनी। और आइए, अब हम हमारे लिए आयोजित भोज का आनंद लें।

आपका एक बार फिर धन्यवाद।

12

प्राक्कलन समिति—जवाबदेही तंत्र को मजबूत बनाना*

यह मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे संसद तथा राज्य विधानमंडलों की प्राक्कलन समितियों के सभापतियों के सम्मेलन के इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इससे मुझे राज्य विधानमंडलों के सभापतियों, संसद की प्राक्कलन समिति की सभापति तथा कुछ संसद सदस्यों से एक साथ मिलने का अवसर मिला है।

सबसे पहले, मैं प्रो. वेंकटेस्वरलु, जो लोक सभा की प्राक्कलन समिति के सभापति हैं, को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अगले दो दिनों तक चलने वाले इस विशेष सम्मेलन का उद्घाटन करने का मुझे यह सुअवसर प्रदान किया।

मैं सदैव यह मानता रहा हूं कि समितियों का कार्यकरण संसद के लिए केवल इसीलिए उपयोगी नहीं है कि ये संसद के कार्यनिष्पादन में सहायक होती हैं अपितु ये इसलिए भी उपयोगी हैं क्योंकि इनका कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है और समितियों को विषयों का गहन अध्ययन करने के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं। यदि समितियां ईमानदारी से कार्य करती हैं तो यूं समझिये कि ये समितियां संसद का कर्त्तव्य निर्वहन करती हैं। इसलिए, आज प्रात: इस सम्मेलन में उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।

मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है कि आज और कल, दो दिनों तक चलने वाला यह सम्मेलन लगभग 14 वर्ष के अंतराल के पश्चात् आयोजित किया जा रहा है। इसलिए, आज इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों के लिए यह वास्तव में बड़े सौभाग्य की बात है कि उन्हें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वे अपने अच्छे सुझाव दे सकेंगे। मुझे विश्वास है कि प्रो. वेंकटेस्वरलु की अध्यक्षता में यह सम्मेलन सफल रहेगा। मैं इस सम्मेलन तथा देश के विभिन्न भागों से आए सभापतियों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं कामना करता हूं कि दिल्ली में उनका प्रवास भी सुखद हो।

हम संसदीय समितियों तथा राज्य विधानमंडलों में उनके समतुल्य समितियों के सभापतियों के सम्मेलन आवधिक रूप से आयोजित करते रहे हैं। संसद तथा राज्य विधानमंडलों की समितियों के

* संसद तथा राज्य विधानमंडलों की प्राक्कलन समितियों के सभापतियों के सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर, नई दिल्ली (14 दिसम्बर 2002)

सभापतियों के ऐसे सम्मेलन वर्ष में एक या दो बार आयोजित किए जाते हैं। हमारे यहां महत्वपूर्ण समितियों की संख्या अधिक होने के कारण प्रत्येक समिति के लिए ऐसे सम्मेलन आयोजित करने का अवसर स्वाभाविक रूप से कुछ वर्षों के बाद ही मिल पाता है। यही कारण है कि लगभग 14 वर्ष के बाद हमारी यह बैठक हो रही है।

मुझे आशा है कि 14 वर्ष के लम्बे अंतराल के पश्चात् आयोजित किए जा रहे इस सम्मेलन में आप सभी को संसद तथा राज्य विधानमंडलों की प्राक्कलन समितियों के कार्यकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त होगा। निःसंदेह, मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि इस सम्मेलन की कार्यसूची में आपने महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल किए हैं। इस संबंध में "प्राक्कलन समिति का कार्यक्षेत्र और कृत्य", "प्राक्कलन समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन", "प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों पर चर्चा", "विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों की तुलना में प्राक्कलन समिति की भूमिका" जैसे विषय विशेष महत्व के हैं। मुझे विश्वास है कि इस दो दिवसीय सम्मेलन में आपकी परस्पर बातचीत और विचार-विमर्श में समितियों को अपने कर्त्तव्यों का अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में अत्यधिक सहायता मिलेगी।

मित्रो, इस बात पर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि विश्व भर में संसदों द्वारा अपने बहुविध दायित्वों के निर्वहन में सहायता हेतु गठित संसदीय समितियां सर्वाधिक प्रभावी व्यवस्थाओं में से एक हैं। ये समितियां न केवल समग्र संसदीय प्रक्रिया को सुदृढ़ करने अपितु जवाबदेही तंत्रों को भी मजबूत करने का एक सशक्त साधन हैं। समिति प्रणाली में विभिन्न दलों के सदस्यों को विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा करने का अवसर प्राप्त होता है जो लोक सभा और राज्य सभा में काफी कठिनाई से प्राप्त होता है। इस प्रकार की गहन चर्चा केवल ऐसे स्वरूप वाली समितियों में ही संभव होती है। चूंकि सदस्यों को अपनी पसंद की समितियों की सदस्यता चुनने की अनुमति होती है, इसलिए यह स्पष्ट है कि जो सदस्य किसी क्षेत्र विशेष में रुचि रखते हैं अथवा जिन्हें उसमें विशेषज्ञता हासिल होती है, उन्हें इन समितियों में शामिल किया जाता है और इस तरह अधिक ज्ञानवर्धक चर्चाएं संभव हो पाती हैं। समिति प्रणाली का एक और फायदा यह है कि सदस्य समितियों में पक्षपातरहित दृष्टिकोण अपनाते हैं। दूसरी ओर सभा में चर्चा, जिसे मीडिया द्वारा कवर किया जाता है, के दौरान, सदस्य सामान्यतः दलगत नीति के अनुसार विचार व्यक्त करते हैं और अपने निजी विचार अभिव्यक्त करने में हिचकिचाते हैं। एक सच्चे लोकतंत्र में, व्यक्ति को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए जोकि केवल समिति में ही संभव हो पाती है क्योंकि लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो अंततः प्रशासन के लिए उपयोगी होते हैं।

वर्ष 1993 में विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों का गठन हमारी संसदीय संस्थाओं के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ये समितियां विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की दीर्घावधिक राष्ट्रीय नीतियों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इससे पहले सभा में मुश्किल से तीन या चार महत्वपूर्ण मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर विस्तार से चर्चा की जाती थी और बजटीय प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए समय की कमी के कारण सभा के लिए सभी अन्य मांगों पर विचार करना

संभव नहीं था जिन्हें अंत में बिना चर्चा के पारित कर दिया जाता था। इस बड़ी खामी को अब काफी हद तक दूर कर दिया गया है और बजट संबंधी सामान्य चर्चा समाप्त होते ही सभा एक निश्चित अवधि के लिए स्थगित कर दी जाती है। इस अंतराल के दौरान, सभी मंत्रालयों और विभागों की अनुदानों की मांगों पर कम से कम इन समितियों द्वारा विस्तार से विचार किया जाता है। प्रत्येक समिति अनुदानों की मांगों पर विचार करने के पश्चात् प्रणाली में सुधार लाने की दृष्टि से बहुमूल्य सिफारिशें करते हुए सभा के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन समितियों के प्रतिवेदनों ने जवाबदेही तंत्र में सुधार लाने में काफी योगदान किया है। सभी स्थायी समितियों के प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए जाने के बाद ही अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान किया जाता है।

प्राक्कलन समिति का हमारी समिति प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान है और इसकी अध्यक्षता सदैव वरिष्ठ और प्रशासनिक रूप से कुशल नेता करते रहे हैं। कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण पाने के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थागत तंत्रों में से एक है। केन्द्रीय स्तर पर, प्राक्कलन समिति की संस्था ने अपने कार्यकाल के 52 वर्ष पूरे कर लिए हैं जो एक लम्बा अरसा है। यह सर्वविदित है कि सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण केवल देश का प्रशासन चलाने के लिए अपेक्षित धनराशि स्वीकृत करने तक ही सीमित नहीं है, अपितु वह यह भी सुनिश्चित करता है कि व्यय विवेकपूर्ण ढंग से किया जाए और संसद द्वारा अनुमोदित नीतियों में अंतर्निहित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। इसके अंतर्गत सभा में प्रस्तुत प्राक्कलनों की सूक्ष्म जांच और सरकार की योजनाओं तथा कार्यक्रमों और संबंधित क्षेत्र में इसके कार्यनिष्पादन का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है।

प्राक्कलन समिति ऐसे प्राक्कलनों की जांच करती है जो उसे ठीक प्रतीत हों अथवा जो उसे सभा अथवा अध्यक्ष द्वारा विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट किए जाएं। समिति के कुछ कृत्य, जैसाकि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 310 में उल्लिखित हैं, इस प्रकार हैं—

* प्राक्कलनों से संबंधित नीति से संगत क्या मितव्ययिता संघटन में सुधार, कार्यपटुता या प्रशासनिक सुधार किये जा सकते हैं, इस संबंध में प्रतिवेदित करना;
* प्रशासन में कार्यपटुता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना;
* प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन ठीक ढंग से लगाया गया है या नहीं, इसकी जांच करना; और
* अंततः प्राक्कलन जिस रूप में संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे, इसका सुझाव देना।

वस्तुतः प्राक्कलन समिति वे सभी कार्य करती है जो बेहतर प्रशासन के लिए आवश्यक है।

मित्रो, प्राक्कलन समिति का कार्य जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही कठिन भी है। जब तक समिति ऐसी योजना, जिसके प्राक्कलन इसके समक्ष रखे गए हैं, के उद्देश्य और इसका कार्य निष्पादन करने वाले तंत्र, दोनों का सूक्ष्म और गहन अध्ययन नहीं करती, तब तक यह संगत प्राक्कलनों की पूर्णतः और उचित रूप से जांच नहीं कर सकती और धन, समय और श्रम को बचाने के लिए सुझाव नहीं

दे सकती। समिति की गहन जांच से सहकारी तंत्र में यह चेतना जागृत होगी कि जो कुछ प्रस्ताव किया जाएगा उसकी संवीक्षा के लिए कोई और भी है। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में नियंत्रण की व्यवस्था होती है। प्राक्कलन समिति कार्यपालिका पर सदैव नियंत्रण रख सकती है। यह अपने आप में कार्यपालिका पर बहुत बड़ा नियंत्रण है। यदि समिति द्वारा सही ढंग से जांच की जाती है तो इससे प्रशासन की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी और यह भावी प्राक्कलनों और भावी नीतियों दोनों के लिए मार्गदर्शक के रूप में अत्यंत उपयोगी होगा।

समिति की एक विशेषता यह है कि इसमें केवल लोक सभा के ही सदस्य होते हैं जैसा कि हमारे सभापति जी ने बताया है। इसका कारण यह है कि चूंकि भारत के संविधान में लगभग सभी वित्तीय शक्तियां लोक सभा में निहित हैं, अत: लोक सभा द्वारा आवंटित बजटीय अनुदानों में से भारत सरकार द्वारा किए गए व्यय की संवीक्षा करने और मितव्ययिता के सुझाव देने की शक्ति का प्रयोग केवल लोक सभा ही कर सकती है।

समिति की चर्चाओं के दौरान सदस्यों के बीच अत्यधिक सद्भावना होती है और समिति में व्यक्त की गई विभिन्न विचारधाराओं को अधिकाधिक स्वीकार्य बनाने हेतु उनका संयोजन किया जाता है।

इस समिति के कार्यकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसके निर्णय सदैव वस्तुपरक, न्यायोचित और सर्वसम्मत होते हैं और इसकी चर्चाओं में दलगत विचारधाराएं आड़े नहीं आती हैं। कार्यकुशलता और मितव्ययिता लाने की दिशा में इस समिति द्वारा किए गए रचनात्मक और सकारात्मक कार्य से जवाबदेही तंत्र काफी हद तक सुदृढ़ हुआ है।

यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों का सरकार के वित्तीय कारबार में औचित्य बरतने की निरन्तर बढ़ती अपेक्षाओं में सार्थक योगदान रहा है। जनता की सरकारी कार्यवाही में पारदर्शिता की मांग और मेरे विचार से सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, जो कम महत्वपूर्ण नहीं है, प्राक्कलन समिति की मुखरता और सक्रियता के कारण ही है।

मित्रो, प्राक्कलन समिति और विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों के कार्यकरण को देखते हुए इन दोनों समितियों के कार्यकरण में पुनरावृत्ति होने की संभावना है। कभी-कभी विभिन्न समितियों द्वारा विरोधाभासपूर्ण सिफारिशें भी की जा सकती हैं। ऐसा कभी-कभार हुआ भी है। तथापि, यदि दोनों समितियों के पास विचारार्थ एक ही विषय आए तो सचिवालय स्तर पर समुचित समन्वय करके हम ऐसी स्थिति को टाल सकते हैं। प्राक्कलन समिति और अन्य वित्तीय समितियों तथा विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों के बीच विषयों की पुनरावृत्ति के पहलू का अध्ययन करने की दृष्टि से श्री प्रणव कुमार मुखर्जी की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई है। इस समिति का प्रतिवेदन अब लोक सभा और राज्य सभा के पीठासीन अधिकारियों के विचाराधीन है। उक्त प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के सही परिप्रेक्ष्य में अध्ययन के द्वारा ही विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों की तुलना में प्राक्कलन समिति जैसी वित्तीय समितियों की भूमिका स्पष्ट हो पाएगी।

प्राक्कलन समिति की कई उपलब्धियां रही हैं। मैं उन सभी का जिक्र नहीं करना चाहूंगा। मित्रो, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि कई अवसरों पर प्राक्कलन समिति के सुझाव पर सरकार कार्यवाही

करने के लिए सक्रिय हुई है। उदाहरण के लिए, प्राक्कलन समिति की हाल में की गई सिफारिश के अनुसरण में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों के लिए अधिकतम आय सीमा को 24,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए प्रतिवर्ष किया गया है ताकि इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के ऋण आवेदन अस्वीकृत न किए जाएं और इसका लाभ समाज के लक्षित वंचित वर्गों तक पहुंच सके। मैं समझता हूं कि उस समय की प्राक्कलन समिति की यह एक बड़ी उपलब्धि रही। एक अन्य मामले में प्राक्कलन समिति ने "ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं" के बारे में अपने छठे प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में सुझाव दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण शुल्क समान रूप से 3000 रुपए से कम कर 1000 रुपए या इससे कम किया जाना चाहिए। दूरसंचार मंत्रालय (संचार विभाग) ने पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंजीकरण शुल्क तत्काल कम करके समान रूप से 500 रुपए कर दिया चाहे दूरभाष केन्द्रों की क्षमता कुछ भी क्यों न हो। यह एक प्रशंसनीय उपलब्धि है और हमें समिति को साधुवाद देना चाहिए कि उसने अपने कार्यकाल में ऐसी उपयोगी कार्यवाही की।

ये कुछ उदाहरण हैं जो प्राक्कलन समिति की क्षमता और प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्यों में भी यह समिति सक्रिय भूमिका निभा रही है।

मुझे आशा है और विश्वास है कि प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु के कुशल मार्ग निर्देशन में इस सम्मेलन के दौरान विचारों और अनुभवों का सार्थक आदान-प्रदान होगा। मैं यह भी दावे के साथ कह सकता हूं कि विचारों और अनुभवों का यह आदान-प्रदान हमारी समितियों की प्रभावोत्पादकता को और बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे इस सम्मेलन का उद्घाटन करने में अपार हर्ष हो रहा है। मैं कामना करता हूं कि सम्मेलन में होने वाली चर्चा उपयोगी सिद्ध हो।

धन्यवाद।

जय हिंद।

13

याचिका समिति—जनता और विधानमंडल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी*

संसद तथा राज्य विधानमण्डलों की याचिका समितियों के सभापतियों के तृतीय सम्मेलन के इस उद्घाटन समारोह में आज आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। लगभग 16 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किए जा रहे इस सम्मेलन में आकर मुझे बहुत खुशी है। याचिका समितियों का पहला सम्मेलन 1979 में हुआ था। तत्पश्चात् दूसरा सम्मेलन 1986 में आयोजित किया गया और अब 2002 में यह सम्मेलन हो रहा है। अतः, 16 वर्षों के लम्बे अंतराल के बाद इस सम्मेलन के आयोजन पर मैं प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूं।

मैं अभी लोक सभा के महासचिव से पूछ रहा था कि इस सम्मेलन को इतने समय बाद क्यों आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि मेरा विचार है कि ऐसे सम्मेलन प्रतिवर्ष होने चाहिएं ताकि आप सब को एक-दूसरे से चर्चा करने तथा याचिका समितियों के समक्ष आने वाली याचिकाओं का त्वरित निपटान करने हेतु समाधान ढूंढने का मौका मिले। महासचिव ने मुझे बताया कि प्रतिवर्ष कोई एक समिति ऐसा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करती है, और चूंकि समितियां अनेक हैं, अतः इस सम्मेलन के आयोजन में इतना समय लग गया! पर मुझे लगता है कि यह विलम्ब शायद इसलिए हुआ कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब मैं लोक सभा अध्यक्ष बनूं तो वे सम्मेलन कराएं!

बहरहाल, इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। इसमें विभिन्न प्रक्रियाओं पर चर्चा होगी। जैसा संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री राजगोपाल मुझे बता रहे थे, कि प्रक्रिया की प्रभावपूर्णता तथा समितियों के कार्यकरण के दौरान पेश आने वाले विभिन्न मुद्दों पर कार्यसूची के अनुसार चर्चा होनी है। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि ऐसे सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमें इन मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक चर्चा करनी चाहिए क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य है—याचिकाकर्त्ता की समस्या का निराकरण; और यदि यह हो जाता है तो मैं समझूंगा कि यह सम्मेलन सफल रहा।

मैं श्री बसुदेव आचार्य की मामले का निष्पादन करने की क्षमता से परिचित हूं क्योंकि जब मैं भारी उद्योग मंत्री था, वह अनेक अवसरों पर मेरे पास आया करते थे। उस समय वह याची थे और

---

* संसद तथा राज्य विधानमंडलों की याचिका समितियों के सभापतियों के सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर, नई दिल्ली (16 नवम्बर 2002)

मंत्री होने के नाते उनकी याचिका की सुनवाई मेरे जिम्मे थी। मैं एक मित्र से कह रहा था कि वह संसद में सर्वोत्तम याचिकाकर्त्ताओं में से हैं क्योंकि हर दिन जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है, वह खड़े होकर अध्यक्ष के सामने ही याचिका पेश कर देते हैं और इसीलिए, मुझे भरोसा है कि वे याचिकाओं का समाधान ढूंढने का महत्व समझते होंगे। अतः, निश्चित रूप से यह सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा और इससे याचिका समितियों के कार्यकरण में पेश आने वाली कठिनाइयों के हल में भी मदद मिलेगी।

आज संसद एक बहुकृत्यात्मक संस्था बन गई है जिसे विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी होती हैं। यद्यपि संसद का मुख्य कार्य विधान बनाना है, तथापि यह नीति-निर्मात्री की भूमिका भी निभाती है। यह कार्यपालिका के कार्यों की निगरानी भी करती है तथा बजट पारित करने और जन शिकायतों को व्यक्त करने, आदि जैसे दूसरे दायित्वों का निर्वहन भी करती है। संसदीय समितियां विविध दायित्वों के निर्वहन में संसद की प्रभावी ढंग से सहायता करती हैं।

सारे संसार में संसदों द्वारा संसदीय समितियों का गठन एक अत्यंत प्रभावी साधन के रूप में किया गया है जो संसद के कठिन दायित्व निर्वहन में उनकी सहायता करता है। हमारी संसद में भी इस मामले में समितियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और हाल ही में नई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए समिति प्रणाली में भारी बदलाव हुए हैं और उसका विस्तार हुआ है। वर्ष 1993 में विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों की स्थापना एक नई महत्वपूर्ण उपलब्धि है तथा हमारी संसदीय संस्थाओं के इतिहास में एक मील का पत्थर है। मैं सदैव से कहता आया हूं कि यदि इस तरह की समितियां हों तो काम बहुत प्रभावी तरीके से होगा। यदि ये समितियां न हों, तो संसद के लिए जन-शिकायतों पर ध्यान देना और उनकी समस्याओं का निदान करना संभव न हो। अब सभी सरकार कार्यकलाप विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों की व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। यह कहावत कि "संसदीय शासन का तात्पर्य समितियों द्वारा शासन" है, स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संसदीय समितियों की भूमिका के महत्व को दर्शाती है।

मित्रो, संसदीय लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह देश की सर्वोच्च विधि-निर्मात्री संस्था अर्थात संसद के समक्ष अपनी याचिका प्रस्तुत कर सकता है। जन-शिकायतों को दूर करने के लिए विभिन्न देशों ने तरह-तरह की संस्थाएं स्थापित की हैं। स्कैन्डिनेवियन देशों में इसके लिए 'ओमबडस्मैन' संस्था का गठन किया गया है कि जबकि ब्रिटेन तथा न्यूजीलैंड में जन-शिकायतों को दूर करने के लिए 'पार्लियामेंटरी कमिश्नर' नाम से एक संस्था की स्थापना की गयी है। इस संदर्भ में, कि संसद शिकायत निवारण का एक साधन है, भारत में याचिका समिति का महत्व और अधिक हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि याचिका समिति हमारी संसद की सबसे पुरानी समितियों में से एक है। सबसे पहली बार इसका गठन 1924 में 'जन याचिका संबंधी समिति' के रूप में किया गया था। बाद में, इसका नाम बदलकर 1933 में 'याचिका समिति' कर दिया गया।

यहां पर यह बात महत्वपूर्ण है कि 1921 में कौंसिल आफ स्टेट में जब पहली बार इसके लिए प्रस्ताव रखा गया, तो इस प्रयोजनार्थ पेश किये गये संकल्प का आशय कौंसिल आफ स्टेट को जनता

के साथ हुए अन्याय, जन शिकायतों अथवा लोक सेवकों के किसी कार्य अथवा कार्यों अथवा लोक नीति से उत्पन्न निर्योग्यता से संबधित सभी मामलों के बारे में जनयाचिकाएं प्राप्त करने के लिए शक्तिसम्पन्न बनाना था पर तत्काल ऐसा नहीं हो सकता था। इसमें इस बात की भी परिकल्पना की गयी थी कि इस समिति को साक्ष्यों की जांच करने और साक्ष्य का रिकार्ड रखने की शक्ति प्रदान की जाए। परन्तु उस समय यह शक्ति प्रदान नहीं की गयी और इस समिति को सभा के समक्ष लंबित विधेयकों से संबंधित याचिकाओं पर ही विचार करने का अधिकार प्राप्त था—श्री बसुदेव आचार्य आपको यह बता चुके हैं। जिस शक्ति की मांग स्वतंत्रता से पूर्व की अवधि में की गयी थी वह शक्ति याचिका समिति को स्वतंत्रता के पश्चात् प्रदान की गई। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में लोक सभा में याचिका समिति के कार्यक्षेत्र को फरवरी, 1957 में अध्यक्ष के निदेशों के अंतर्गत निदेश संख्या 95 जारी करके और अधिक संगत और प्रत्युत्तरदायी बनाया गया था। इससे समिति ऐसे अभ्यावेदनों का निपटान करने में सक्षम हो गई जो याचिकाओं संबंधी नियमों के अंतर्गत नहीं आते, बशर्ते कि वे शिकायतें भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती हों।

हमारे देश में याचिका के अधिकार को संविधान में मान्यता दी गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 में यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, अभ्यावेदन करने का हकदार होगा। इसीलिए नागरिकों की शिकायतों के निवारण के अत्यंत आधारभूत और संवेदनशील मामले के संबंध में अपने संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में याचिका समिति की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। इस समिति की भूमिका तब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब कार्यपालिका के कार्यों और नीतियों के कारण अनेक प्रकार से नागरिकों के जीवन और उनके हितों का अतिक्रमण होता है।

विधायी निकायों द्वारा गठित याचिका समिति व्यक्तियों, संस्थाओं और अन्य संगठनों की शिकायतों पर सुनवाई करने वाली एक अनूठी समिति है। लोक सभा की याचिका समिति भी याचिकाओं पर विचार करने के अलावा व्यक्तियों और संघों से प्राप्त होने वाले पत्रों, तारों सहित अभ्यावेदनों पर भी विचार करती है। इस प्रकार, इस समिति का कार्यक्षेत्र जन शिकायतों के निवारण के मामले में बहुत व्यापक हो जाता है। वस्तुतः, यह समिति विधानमण्डल और देश की जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इस दृष्टि से जनता में विश्वास की भावना पैदा करने और धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनकर जनता को संसदीय संस्था के नजदीक लाने तथा शिकायत निवारण संस्था के रूप में विधायिका की सकारात्मक छवि बनाने में समिति की प्रमुख भूमिका है।

मित्रो, यदि यह विश्वास की भावना लानी है, तो तीन बातें आवश्यक हो जाती हैं: पहली, निपटान तत्काल होना चाहिए। दूसरी, प्रत्येक सच्ची शिकायत का हल मिले—ध्यान रहे कि ऐसी कोई शिकायत नहीं होती जिसका हल न हो। तीसरी, समिति का प्रतिवेदन यथाशीघ्र तैयार करके सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि ये तीनों बातें पूरी हों तो मैं समझूंगा कि समिति ने अपना दायित्व मुस्तैदी से पूरा किया है।

दुर्भाग्यवश, देश की जनता में शिकायत निवारण तंत्रों की छवि ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, क्योंकि इन संस्थाओं से न्याय पाने में बहुत समय लगता है। इस संबंध में मेरा विश्वास है कि याचिका

समितियां अपने समक्ष आई याचिकाओं और अभ्यावेदनों का यथाशीघ्र निपटान करके हमारे विधानमण्डलों की सकारात्मक छवि बनाने का प्रयास करेंगी। राज्य सभा के महासचिव ने बातचीत के दौरान मुझसे कहा कि यदि तत्काल निपटान न हो तो लोगों का संगठन से विश्वास उठ जाता है। अतः, आवश्यक है कि शिकायत का निपटान तत्काल किया जाए। मुझे बताया गया है कि राज्य सभा की समिति के समक्ष 116 अभ्यावेदन आए और लोक सभा की समिति को 216 अभ्यावेदन प्राप्त हुए। इन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। वस्तुतः, पीड़ित व्यक्तियों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए क्योंकि विलम्ब से मिला न्याय, न्याय नहीं होता। शासन के इलेक्ट्रानिक युग में विधायकों के लिए यह आवश्यक है कि वे कार्यपालिका और अन्य संबंधितों की सहायता से जनता की शिकायतों का तुरंत निवारण करके अन्य संस्थाओं के लिए उदाहरण प्रस्तुत करें। इससे न केवल सरकारी तंत्र और सहायक एजेंसियों के कार्यकरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा बल्कि जनता की नजरों में संसदीय संस्थाओं की छवि भी सुधरेगी।

समिति अपने कृत्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए ऐसे मामलों में प्रशासन और जनता के बीच सम्पर्क स्थापित कर सकती है जहां जनता या कोई व्यक्ति सरकार से मिली राहत से संतुष्ट नहीं है या जिन मामलों में सरकार की ओर से उनकी शिकायतों का पर्याप्त निवारण नहीं हुआ है। समिति को याचिकाओं पर खुले दिमाग से सहानुभूतिपूर्वक यह मानकर विचार करना चाहिए कि प्रत्येक शिकायत का कोई न कोई हल है—जैसा मैंने पहले कहा।

यह आवश्यक है कि याची की शिकायत सुनी जाए और यथाशीघ्र उसे न्याय दिलाया जाए। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि याचिका पर त्वरित कार्रवाई के साथ-साथ याचिका संबंधी प्रतिवेदन भी सभा में शीघ्र प्रस्तुत किया जाए। मंत्रालयों और विभागों से कहा जाना चाहिए कि वे तुरंत कार्रवाई करें और अपने उत्तर देते समय और समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के मामले में समय से कार्रवाई करें। यदि कार्रवाई में विलम्ब होता है तो याचिका से ध्यान हट जाता है और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाता। मेरा विश्वास है कि याचिका समितियों पर शिकायत निवारण प्रणाली को सफल बनाने और हमारी राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने का विशेष उत्तरदायित्व है।

मित्रो, मुझे लोक सभा की याचिका समिति के कुछ प्रतिवेदनों को देखने का अवसर मिला और मैंने पाया कि अनेक क्षेत्रों से संबंधित अनेक मुद्दों के संबंध में समिति से हस्तक्षेप करने की मांग की जाती है। हाल ही में समिति ने जिन मुद्दों पर विचार किया उनमें से जिनकी ओर मेरा ध्यान आकृष्ट हुआ वह इस प्रकार हैं: छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के अनुरोध संबंधी याचिका, जिस पर संसद के दोनों सदनों में लम्बी चर्चा हुई, और मुम्बई में पवई लेक क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए पवई लेक को अतिक्रमण से बचाने के अनुरोध संबंधी याचिका जिसका उल्लेख श्री बसुदेव आचार्य ने किया। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे इस प्रकार हैं: रेलवे के कुछ सेक्शनों पर पर्याप्त रेल सुविधाएं उपलब्ध कराना, उड़ीसा में श्यामाचरण हाल्ट स्टेशन के प्लेटफार्म को ऊंचा करना, अहमदपुर और कटवा के बीच रेल सेवाएं पुनः आरंभ करना, मुम्बई में भांडुप और मुलुंड रेलवे स्टेशनों

के बीच नाहुर में एक नए रेलवे स्टेशन का निर्माण, पूर्व रेलवे के बंदेल-कटवा सेक्शन का दोहरीकरण, रेलवे के सभी डिवीजनों में नैमित्तिक श्रमिकों के वर्तमान रजिस्टर की समुचित देखरेख व इन्हें अद्यतन बनाना। फर्जी विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि को रोकने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा उपाय करने के बारे में भी याचिका थी जिस पर याचिका समिति ने ध्यान दिया। एक और याचिका जिसमें कुर्ला और माहुल के बीच विद्यमान रेल लाइन पर यात्री यातायात की अनुमति का अनुरोध किया गया था सरकार ने कुर्ला-ट्रांबे लाइनों की यातायात आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिए नया सर्वेक्षण करना स्वीकार किया है। यह दर्शाता है कि कुछ मामलों में याचिका समिति ने प्रभावपूर्ण कार्य किया है और सरकार से कार्य निष्पादित कराया है।

ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो सार्वजनिक उपयोग के क्षेत्र में समिति की कार्यक्षमता और प्रासंगिकता और एक आम आदमी के लिए इसके महत्व को दर्शाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्यों में भी याचिका समितियां जनता की शिकायतों का निवारण करने में और कल्याण संबंधी मुद्दों की ओर ध्यान देने के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

मैं आपको सचेत कर रहा हूं कि याचिका समितियों को विविध मुद्दों से संबंधित अधिकाधिक याचिकाओं और अभ्यावेदनों पर विचार करना पड़ सकता है और इन समितियों का कार्यभार अधिक बढ़ सकता है। वैश्वीकरण और उदारीकरण के इस युग में सरकारें और विधानमण्डल अनेक नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जिनमें से कुछ चुनौतियों को याचिकाओं के रूप में समितियों के समक्ष लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए लोक सभा की याचिका समिति इस समय नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी (नाल्को) के विनिवेश के मुद्दे की जांच कर रही है जो वर्तमान संदर्भ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। मैं आशा करता हूं कि समिति इस मुद्दे की सही परिप्रेक्ष्य में जांच करेगी और तर्कसंगत रिपोर्ट देगी।

साक्षरता की बढ़ती हुई दर, सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति और संसदीय कार्यवाही के दूरदर्शन और रेडियो से प्रसारण—से जनता में अधिक जागरूकता आई है, जिससे इन समितियों के कार्य में और अधिक वृद्धि हो सकती है। मुझे विश्वास है कि हमारी समितियां वर्तमान शताब्दी की इस नई चुनौती का सामना कर सकेंगी और जनता की शिकायतों का सफलतापूर्वक निवारण कर सकेंगी।

मित्रो, संसदीय समितियों के समक्ष विद्यमान गंभीर कार्य को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए अच्छे नेतृत्व और निष्ठावान सदस्यों की आवश्यकता होती है। यह अत्यंत संतोष की बात है कि दो प्रतिष्ठित, दीर्घ अनुभवी सांसद लोक सभा और राज्य सभा की याचिका समितियों के सभापति हैं। मुझे विश्वास है कि श्री बसुदेव आचार्य जी और श्री पी.जी. नारायणन जी के नेतृत्वकारी गुणों और सदस्यों की गहन निष्ठा के होते हुए संसद में प्राप्त याचिकाओं और अभ्यावेदनों पर समुचित और सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। मुझे यह भी विश्वास है कि हमारे राज्य विधानमण्डलों की याचिका समितियों के सभापति और सदस्य भी उत्कृष्ट गुणों और समर्पण की भावना वाले व्यक्ति हैं।

यह जानकर मेरा उत्साहवर्धन हुआ है कि राज्य सभा की याचिका समिति ने अभी तक 116 याचिकाओं की जांच की है और लोक सभा की याचिका समिति ने 160 याचिकाओं की जांच की है। इसके अतिरिक्त, लोक सभा की याचिका समिति ने विभिन्न मुद्दों पर प्राप्त बहुत से अभ्यावेदनों की भी जांच की है।

मैं इस अवसर पर श्री पी.जी. नारायणन जी और श्री बसुदेव आचार्य जी तथा उनकी समितियों के सदस्यों द्वारा किए गए अत्यधिक सराहनीय कार्य के लिए उन्हें बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि राज्य विधानमण्डलों की याचिका समितियों ने भी उतना ही सराहनीय कार्य किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में और मानवाधिकारों के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता के कारण यह जरूरी हो गया है कि शिकायतों का निपटान करने के लिए समिति प्रणाली को अधिक प्रत्युत्तरदायी और चुस्त-दुरुस्त बनाया जाये। यह भी उतना ही आवश्यक है कि सरल और अनुकूल प्रक्रियाएं अपनाकर समिति के समय का इष्टतम उपयोग किया जाए। यह भी अनिवार्य है कि संसद तथा राज्य विधानमण्डलों की इन समितियों के कार्यकरण और उनके अस्तित्व के प्रति अधिक से अधिक लोगों और संस्थाओं में जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए।

वस्तुतः मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि सम्मेलन की कार्यसूची में आपने ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल किए हैं जिनपर विचार-विमर्श करके समितियों के कार्यकरण को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी। इस संबंध में 'समिति द्वारा महत्वपूर्ण विषयों का त्वरित निपटान', 'सरकार द्वारा प्रतिवेदन भेजने में हुआ असाधारण विलम्ब', 'जनहित के मुद्दों का निपटान करने के लिए याचिका समितियों को एक प्रभावी साधन कैसे बनाया जा सकता है'; जैसे विषयों का विशेष महत्व है। मुझे विश्वास है कि प्रतिभागियों द्वारा अपने विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान से समिति के कार्य को अधिक प्रभावी बनाने के लिए वांछित परिवर्तन किए जा सकेंगे।

मित्रो, याचिका समितियां इस दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करती हैं कि सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि विभिन्न क्षेत्रों से बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे समितियों के समक्ष आएंगे और समितियां तथा सरकार और अन्य संबंधित एजेंसियां बिना किसी विलम्ब के इन मुद्दों पर ध्यान दे सकेंगी।

14

संसद और मीडिया के बीच संतुलित संबंधों की अनिवार्यता*

उड़ीसा विधान सभा द्वारा उत्कल विश्वविद्यालय के मीडिया अध्ययन संस्थान के सहयोग से "प्रेस की स्वतंत्रता और सदस्यों के विशेषाधिकार" विषय पर आयोजित की जा रही राष्ट्रीय विचारगोष्ठी के उद्घाटन अवसर पर आपके बीच आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं इस विचारगोष्ठी के आयोजकों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने समकालीन प्रासंगिकता के इस विषय पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है।

प्रेस आधुनिक राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है। यह जनमत, समाचारों और विचारों के प्रसार के लिए मानक वाहक है। प्रेस की स्वतंत्रता को सभी लोकतांत्रिक देशों में मूलभूत स्वतंत्रता के रूप में मान्यता दी गई है। यह या तो स्पष्ट रूप में अलग से उल्लिखित है अथवा नागरिकों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्निहित भाग के रूप में दी गई है। यह किसी भी लोकतांत्रिक समाज की आंतरिक शक्ति और गतिशीलता का एक अभिन्न अंग है। स्वतंत्र प्रेस के बिना लोकतंत्र के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। किसी भी ऐसे लोकतांत्रिक राजनीतिक समाज या सरकार में जो लोगों की सहमति पर टिके हैं, स्वतंत्र वाद-विवाद और विचारों के स्वतंत्र आदान-प्रदान की व्यवस्था होनी चाहिए। स्वतंत्र चर्चा और रचनात्मक आलोचना के द्वारा ही सरकार लोगों की इच्छा के प्रति प्रत्युत्तरदायी रहती है।

प्रेस की स्वतंत्रता में सामान्यत: सरकार की आलोचना करने और विमत व्यक्त करने का अधिकार शामिल है और मुझे खुशी है कि प्रेस की स्वतंत्रता के इस पहलू को पूरी तरह से समझा गया है और लागू किया गया है। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। विमत की अभिव्यक्ति से भी बढ़कर कुछ और सकारात्मक होना चाहिए। इस स्वतंत्रता के साथ, एक अन्य धारा भी होनी चाहिए, अर्थात् संलग्नता; सहानुभूतिपूर्ण समझ; वस्तुनिष्ठ ज्ञान; ईमानदारी और मेहनत से किये गये शोध और जांच की धारा। प्रेस की स्वतंत्रता तभी मूल्यवान होती है जब उसमें वस्तुनिष्ठता और उत्तरदायित्व हो तथा उसका उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों और कर्त्तव्यों के बारे में जागरूक बनाना हो। उत्तरदायित्व के बिना स्वतंत्रता लाइसेंस बन कर रह जाती है।

---

* मीडिया अध्ययन संस्थान, द्वारा उड़ीसा विधान सभा के सहयोग से "प्रेस की स्वतंत्रता और सदस्यों के विशेषाधिकार" विषय पर आयोजित राष्ट्रीय विचारगोष्ठी के अवसर पर, भुवनेश्वर (30 नवम्बर 2002)

दुर्भाग्यवश, कभी-कभी प्रेस, प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में, चाहे वे राजनीतिज्ञ हों, फिल्म स्टार हों, खिलाड़ी हों या कोई और, खबरों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती है और सारवान मुद्दे या खबरें पृष्ठभूमि में चली जाती हैं। क्या इससे बचना नहीं चाहिए?

कभी-कभी, कुछ समाचार पत्रों की प्राथमिकताएं एकतरफा होती हैं? 27 नवम्बर, 2002 को, भारत की संसद के स्वर्ण जयंती समारोहों के भाग के रूप में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ संसद सदस्यों का एक समूह चित्र लिया गया था। वास्तव में इस चित्र को प्रेस में व्यापक कवरेज मिलनी चाहिए थी। इसकी बजाए कुछ समाचार पत्रों ने वह फोटो छापा जिसमें एक सांसद को पानी के कुण्ड में गिरे हुए और लोक सभा सचिवालय के वाच एण्ड वार्ड स्टाफ द्वारा उन्हें बाहर निकालने में सहायता करते हुए दिखाया गया है। क्या यह फोटो इतना महत्वपूर्ण था? मैं यह आपके निर्णय पर छोड़ता हूं।

एक जिम्मेदार प्रेस को सनसनी फैलाने से बचना चाहिए जबकि दुर्भाग्यवश यह प्रवृत्ति कुछ समाचार पत्रों, विशेषकर जो जिला और राज्य स्तर से प्रकाशित हो रहे हैं, में पैदा होती जा रही है। गैर-जिम्मेदारीपूर्ण लेख और कहानियां जो तथ्यों पर आधारित नहीं हैं, न केवल विदेशों में भारत की छवि को क्षति पहुंचाती हैं बल्कि हमारे अपने लोगों का भी मनोबल गिराती हैं। यद्यपि गलतियों को उजागर करने के लिए स्थान है परन्तु वह दुर्भावनापूर्ण या जान-बूझकर बदनाम करने वाला कार्य नहीं होना चाहिए। यदि प्रेस वस्तुनिष्ठ नहीं है तो इसकी विश्वसनीयता पर आंच आती है। यथार्थता को पूर्ण महत्व दिया जाना चाहिए। नहीं तो गलत समाचार प्रकाशित होंगे।

कहने की आवश्यकता नहीं है कि लोगों को एकजुट करना प्रेस का सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व है। जनहित का अभिरक्षक होने के नाते पत्रकार का महत्वपूर्ण दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि वह पक्षपातपूर्ण और पूर्वाग्रहग्रस्त विचार सामने रखकर समाचार को प्रारंभ में ही दूषित न कर दे। इस बात को ध्यान में रखना होगा कि प्रेस के माध्यम से प्रचार का सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। चूंकि प्रेस जनमत बनाता है इसलिए इसे अपनी शक्ति का प्रयोग जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। प्रेस कितना प्रभावी है इस बात की पुष्टि 1970 के दशक के घटनाक्रम से की जा सकती है। आपातकाल के दौरान प्रेस के एक छोटे से वर्ग ने बड़ी निर्भीक और साहसिक भूमिका निभाई। प्रेस के कारण ही यह संभव हुआ कि आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों को लोगों की जानकारी में लाया जा सका। इसके परिणामस्वरूप तत्कालीन सरकार का पतन हुआ। इसी प्रकार, जब अगली सरकार सत्ता में आई तो इसके अनेक अन्यायों और बदले की भावना को भी प्रेस ने उजागर किया और परिणामस्वरूप जनता ने उस सरकार को भी सत्ताच्युत कर दिया।

गोधरा की घटना जैसे संवेदनशील मुद्दों का विवरण देते समय प्रेस को अत्यधिक संयम से काम लेना चाहिए। कहने की आवश्यकता नहीं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और साम्प्रदायिक सद्भाव से जुड़े मामलों का विवरण अत्यधिक संयम और सावधानी से देना चाहिए क्योंकि किसी भी गलत विवरण का राष्ट्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

प्रेस संसद और जनता के बीच संवाद के माध्यम का भी कार्य करती है। यह संसदीय विधि कार्य और चर्चा का सार लोगों तक पहुंचाती है। यह लोगों को इस बात से अवगत कराती रहती

है कि संसद में क्या हो रहा है। प्रेस के माध्यम से ही संसद को इतना प्रचार मिलता है और प्रेस के माध्यम से ही संसद जानकारी एकत्र करती है जिसकी सहायता से वह कार्यपालिका पर निगरानी रखती है तथा उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्रेस को प्राय: संसद का विस्तार कहा जाता है।

कुछ लोगों की यह धारणा है कि विधायी चैम्बरों के भीतर और बाहर प्रेस की उपस्थिति विधानमंडल की कार्यवाही को प्रभावित करती है।

सभा की कार्यवाहियों में भाग लेते समय सदस्यों और यहां तक कि मंत्रियों के ध्यान में भी प्रेस रहती है। यह दु:ख की बात है कि प्रेस विधानमंडलों में होने वाले हो-हल्ला और अध्यक्ष के आसन के निकट आने वाले सदस्यों के बारे में अधिक समाचार देती है। नियमों का उल्लंघन करने वाले सदस्य जैसे ही सभा से बाहर आते हैं तो प्रेस और इलेक्ट्रानिक मीडिया उनका साक्षात्कार लेते हैं। इस सबसे सभा में अनुचित व्यवहार करने वाले सदस्यों का साहस बढ़ता है। दूसरी ओर सदस्यों द्वारा दिए गए प्रभावपूर्ण और तर्कसंगत भाषणों का विवरण नहीं दिया जाता। जब सदस्य सारा कार्य पूरा करने के लिए देर रात तक और भोजनावकाश के दौरान भी बैठते हैं तो प्रेस इस बात का पर्याप्त विवरण नहीं देती। चैम्बर के बाहर प्रतीक्षारत प्रेसकर्मी शायद ही किसी सदस्य का इस आधार पर साक्षात्कार लेते हैं कि उसने सभा में बहुत अच्छा भाषण दिया था। प्रेस को यह बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि विधानमंडलों की कार्यवाही में आई बाधा को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर न पेश किया जाए और मीडिया की प्रस्तुति संतुलित हो जिसमें सभा में वास्तव में निपटाए गए कार्य का सकारात्मक पहलू भी शामिल हो। ससंदीय कार्य के सकारात्मक पहलू के बारे में जनता को बताया ही नहीं जाता।

मित्रो, संसद के साथ प्रेस के संबंध को समझने के लिए संसदीय विशेषाधिकारों के प्रश्न को समझना होगा। सदस्यों को मिले संसदीय विशेषाधिकार लोकतंत्र के सुचारू एवं प्रभावी कार्यकरण के लिए आवश्यक हैं। संविधान द्वारा संसद को सौंपे गए कृत्यों के सुचारू संचालन के लिए ये आवश्यक हैं। सदन और सदस्यों के विशेषाधिकार संबंधी उपबंध संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में दिए गए हैं। उनका उद्देश्य सरकारी गतिविधियों की स्वस्थ प्रेस चर्चा रोकने का नहीं है बल्कि इन विशेषाधिकारों को बनाए रखने का उद्देश्य ही हमारे विधानमंडलों की स्वतंत्रता, प्राधिकार, गरिमा और पावनता की रक्षा करना एवं सदस्यों को बिना बाधा के अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने देना है।

आप सब को पता ही होगा कि प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत दिए गए वाक् स्वातंत्र्य के मूल अधिकार में शामिल है। 'इंडियन एक्सप्रेस' समाचार पत्र बनाम भारत संघ के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि यद्यपि अनुच्छेद 19 में 'प्रेस की स्वतंत्रता' का उल्लेख नहीं है तथापि अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत इसका समावेश है।

चूंकि यह विचारगोष्ठी प्रेस की स्वतंत्रता और सदस्यों के विशेषाधिकारों के बारे में है, अत: इस संबंध में सदस्यों के विशेषाधिकारों के बारे में जानना वांछनीय है। संविधान में संसद और राज्य विधानमण्डलों के सदस्यों के लिए वाक् स्वातंत्र्य की गारंटी दी गई है।

संविधान के अनुच्छेद 105 में कहा गया है:

(1) इस संविधान के उपबंधों के और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, संसद में वाक् स्वातंत्र्य होगा।

(2) संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

राज्य विधानमण्डलों के सदस्यों के संबंध में इसी प्रकार के उपबंध अनुच्छेद 194 में दिए गए हैं।

सभा के सदस्यों का वाक् स्वातंत्र्य पूर्णत: संविधान के ऐसे उपबंधों के अधीन है जो संसद की प्रक्रिया तथा सभा के स्थायी आदेशों को विनियमित करते हैं। इस संद्रंर्भ में मैं प्रसिद्ध *तेज किरण जैन* मामले का उल्लेख करना चाहूंगा।

वर्ष 1969 में तेज किरण जैन तथा अन्यों ने अस्पृश्यता के बारे में तथा राष्ट्रगान के कथित अपमान के संबंध में पुरी के शंकराचार्य के कथित वक्तव्य के संबंध में ध्यानाकर्षण सूचना संबंधी कार्यवाही के दौरान 2 अप्रैल, 1969 को लोक सभा में की गई किन्हीं महत्वपूर्ण टिप्पणियों के संबंध में तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष, श्री नीलम संजीव रेड्डी तथा चार अन्य संसद सदस्यों के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया था। 22 जुलाई, 1969 को एक सदस्य ने श्री जैन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग का प्रश्न उठाया। तदुपरान्त, महान्यायवादी द्वारा उच्च न्यायालय को यह इंगित किए जाने पर कि अनुच्छेद 105(2) के रहते हुए ऐसा कोई मुकदमा ग्रहण नहीं किया जा सकता, उच्च न्यायालय ने मुकदमा खारिज कर दिया। तथापि, श्री जैन ने उच्चतम न्यायालय में अपील की।

इस बीच यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया जिसने उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील का निपटान किए जाने तक मामले पर विचार किया जाना स्थगित रखा। 8 मई, 1970 को उच्चतम न्यायालय ने अपील को रद्द करते हुए टिप्पणी की और मैं उसे उद्धृत करता हूं:

> यह अनुच्छेद अन्य बातों के साथ-साथ "संसद में ... कही गई किसी बात" के संबंध में उन्मुक्ति प्रदान करता है। "किसी बात" शब्द की सबसे अधिक व्याप्ति है और यह शब्द "प्रत्येक बात" का समतुल्य है। एकमात्र सीमाबद्धता "संसद में" शब्द से उत्पन्न होती है जिसका तात्पर्य है संसद की बैठक के दौरान और संसद की कार्यवाही के दौरान। एक बार यह प्रमाणित होने पर कि संसद की बैठक जारी थी और उसकी कार्यवाही चल रही थी, उस कार्यवाही के दौरान कही गई किसी बात के आधार पर किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के लिए उन्मुक्ति प्राप्त है। वे जो कुछ कहते हैं, वह केवल संसद के नियमों के अनुशासन, सदस्यों की सद्‌बुद्धि एवं अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही नियंत्रण के अध्यधीन है। इस मामले में न्यायालयों का कोई हस्तक्षेप नहीं है और वास्तव में यह होना भी नहीं चाहिए।

बाद में, विशेषाधिकार समिति ने निर्णय दिया कि संसद के किसी सदस्य द्वारा संसद में अथवा उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कार्यवाही शुरू करना विशेषाधिकार भंग तथा सभा की अवमानना है। तथापि, इस किस्म का यह पहला मामला होने के कारण समिति का मत था कि इस मामले में आगे कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

संसद की किसी भी सभा की कार्यवाही के प्रकाशन, यदि ऐसा प्रकाशन सभा द्वारा अथवा सभा के प्राधिकार से किया जाता है, से संबंधित सभी व्यक्तियों को संविधान के अधीन किसी भी न्यायालय में कार्यवाही से पूर्ण उन्मुक्ति प्रदान की गई है। यह उन्मुक्ति किसी समाचारपत्र में संसदीय कार्यवाहियों की रिपोर्टों के प्रकाशन भले ही इसे किसी संसद सदस्य या अन्य किसी व्यक्ति ने प्रकाशित किया हो, के संबंध में लागू नहीं होती जब तक कि सभा द्वारा ऐसे प्रकाशन को स्पष्ट रूप से प्राधिकृत न किया गया हो। तथापि, संसद की कार्यवाहियों तथा समिति के प्रतिवेदनों के प्रकाशनों के संबंध में संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण) अधिनियम, 1977 तथा संविधान के अनुच्छेद 361(क) के अधीन सांविधिक संरक्षण प्रदान किया गया है बशर्ते कि ऐसी रिपोर्टें जनहित में हों तथा विद्वेष की भावना से प्रकाशित न की गई हों।

उपर्युक्त संरक्षण इस समग्र सीमा में रहते हुए प्रदान किया गया है कि सभा को इसके वाद-विवाद अथवा कार्यवाही के प्रकाशन के नियंत्रण की, और, यदि आवश्यक हो तो इसके प्रकाशन का प्रतिषेध करने तथा अपने आदेशों के उल्लंघन के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है।

किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी रीति से सभा की गोपनीय बैठक की कार्यवाही या उसमें लिए गए विनिश्चयों का प्रकटन जब तक कि सभा गोपनीय रखने पर लगे प्रतिषेध को हटा नहीं लेती है, सभा का घोर विशेषाधिकार भंग माना जाता है।

यदि किसी संसदीय समिति की कार्यवाही, साक्ष्य या दस्तावेजों के सभा में पेश किए जाने से पहले उसकी कार्यवाही या उसके सामने दिए गए साक्ष्य या उसके सामने पेश किए गए दस्तावेजों के किसी अंश का प्रकाशन कर दिया जाए तो वह सभा का विशेषाधिकार भंग तथा अवमानना है।

सभा के कार्यवाही वृतांत से निकाले गए अंशों को प्रकाशित करना सभा के विशेषाधिकार का भंग तथा इसकी अवमानना है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं यहां एक ओर रोचक और ऐतिहासिक मामले का उल्लेख करना चाहता हूं।

मई, 1957 में बिहार विधान सभा के एक सदस्य ने बजट पर सामान्य चर्चा में अपने भाषण के दौरान कतिपय आलोचनात्मक टिप्पणियां कीं। एक सदस्य द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाए जाने पर अध्यक्ष ने भाषण के कुछ भाग को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया। *सर्चलाईट* ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें भाषण का कार्यवाही वृत्तांत से निकाला गया भाग भी अंतर्विष्ट था।

तदनन्तर, विधान सभा के एक सदस्य ने *सर्चलाईट* के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी तथा मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया। विशेषाधिकार समिति के निदेश पर

सर्चलाईट के संपादक, श्री एम.एस.एम. शर्मा को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि नियम का उल्लंघन करने वाले प्रकाशन के कारण विशेषाधिकार भंग के लिए उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही किए जाने की सिफारिश क्यों न की जाए।

सर्चलाईट के संपादक ने भारत के उच्चतम न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याचिका दायर की। उन्होंने उच्चतम न्यायालय में तर्क दिया कि उक्त नोटिस तथा विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य के मूल अधिकार का उल्लंघन है।

अनुच्छेद 194 के खण्ड (1) का निर्वचन करते हुए उच्चतम न्यायालय ने 12 दिसम्बर, 1958 को दिए गए निर्णय में टिप्पणी की और मैं उसे उद्धृत करता हूं:

> हमारे विचार से सामंजस्यपूर्ण संरचना का सिद्धांत स्वीकार किया जाना चाहिए और इस प्रकार विरचित होने पर अनुच्छेद 19(1)(क) के उपबंध जोकि सामान्य प्रकार के हैं, अनुच्छेद 194(1) और इसके खण्ड (3) के उत्तरवर्ती भाग जोकि विशिष्ट हैं, के अध्यधीन होंगे।

न्यायालय ने आगे यह टिप्पणी की:

> "ऐसी परिस्थिति में पूरे भाषण की रिपोर्ट तथ्यत: सही होने पर भी कानूनी रूप से विकृत और अयथार्थ रिपोर्ट मानी जाएगी तथा किसी भाषण की ऐसी विकृत और अयथार्थ रिपोर्ट अर्थात् सभा में अध्यक्ष द्वारा पारित आदेशों का अल्पीकरण करते हुए, निकाले गए अंशों के प्रकाशन को प्रथम दृष्टया नियमों का उल्लंघन करने वाले समाचार के प्रकाशन से उत्पन्न सभा का विशेषाधिकार भंग माना जाए।"

सभा अथवा उसकी समितियों के स्वरूप या कार्यवाही अथवा सभा के किसी सदस्य के बारे में संसद सदस्य के रूप में उसके चरित्र अथवा आचरण पर आक्षेप करने वाला कोई भाषण देना अथवा अपमानजनक लेख मुद्रित अथवा प्रकाशित करना सभा के विशेषाधिकार का भंग और सभा की अवमानना है। इस संदर्भ में *ब्लिट्ज* मामला स्मरणीय है।

20 अप्रैल, 1961 को लोक सभा के एक सदस्य ने अप्रैल 1961 में प्रकाशित बम्बई की एक साप्ताहिक समाचार पत्रिका ब्लिट्ज में 'द कृपलानी इम्प्रीचमैंट' शीर्षक से एक समाचार तथा सांसद श्री जे.बी. कृपलानी के एक चित्र के प्रकाशन के संबंध में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया। इस लेख में सांसद द्वारा सभा में दिए गए उनके भाषण के विरुद्ध कुछ मानहानिकारक शब्दों का प्रयोग किया गया था। मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया।

समिति का मत था कि आक्षेपकारी समाचार विशेषाधिकार भंग तथा सभा की अवमानना है।

तथापि, साप्ताहिक के संपादक ने संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर की। प्रार्थी ने *सर्चलाईट* मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए पूर्व निर्णय

पर पुनर्विचार किए जाने की प्रार्थना की। किंतु उच्चतम न्यायालय ने मामला खारिज कर दिया। बाद में *ब्लिट्ज* के संपादक को सभा न्यायालय (बार आफ द हाऊस) में बुलाया गया तथा उनकी भर्त्सना की गई।

संसद में अथवा इसकी समिति में कही गई कोई भी बात अथवा दिए गए किसी मत के बारे में पूर्ण विशेषाधिकार दिया गया था ताकि सदस्य अपनी बात कहते हुए डरे नहीं और स्वतंत्र रूप से अपने विचार अभिव्यक्ति करें। इस प्रकार सदस्यों को किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की कार्यवाही से पूर्ण सुरक्षा दी गई है। मैं यहां भूपेश गुप्त के मामले का उल्लेख करना चाहूंगा।

26 मार्च, 1969 को राज्य सभा के एक सदस्य, श्री भूपेश गुप्त ने पंजाब विनियोग विधेयक, 1968 की एक फोटोप्रति की ओर सभा का ध्यान दिलाया जिसमें विधेयक पर पंजाब विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के बिना ही राज्यपाल ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए थे। बाद में उपर्युक्त विधेयक की मूल प्रति की कथित चोरी के मामले की छानबीन के संबंध में चण्डीगढ़ के एक पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ किए जाने पर श्री भूपेश गुप्त ने यह मामला सभा में उठाया और कहा कि पुलिस अधिकारी द्वारा इस प्रकार उनके पास आना एक सांसद के कार्य में गंभीर हस्तक्षेप किए जाने के समान है और वस्तुतः सभा के विशेषाधिकार भंग का गंभीर मामला है।

मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया जिसका मत था कि संसद सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात अथवा किए गए किसी कार्य की संसद से बाहर की जाने वाली जांच सदस्य के रूप में उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन के अधिकार में गंभीर हस्तक्षेप माना जाएगा।

तथापि, न्याय प्रशासन में सहायता के लिए समिति द्वारा एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके अनुसार जांच एजेंसियों को सीधे सदस्य के पास नहीं जाना चाहिए अपितु गृह मंत्री तथा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से उन तक पहुंचना चाहिए और यदि सदस्य अपने विशेषाधिकारों के साथ कोई समझौता किए बिना उनकी मदद करना चाहता है तो अच्छी बात है और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो जांच एजेंसियों को छानबीन का कोई दूसरा तरीका खोजना चाहिए।

हाल में ऐसी ही प्रक्रिया तब अपनाई गई जब एक संसद सदस्य, श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने विनिवेश के मुद्दे पर मंत्रिमण्डल सचिव द्वारा कथित लिखित पत्र का सभा में उल्लेख किया और बाद में यह कथित पत्र जाली निकला।

मित्रो, महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संस्थाएं होने के नाते संसद और प्रेस के संबंध न तो मित्रवत हो सकते हैं और न ही शत्रुवत। दोनों संस्थाओं के संबंध सम्यक संतुलन के हैं।

संसद और मीडिया के बीच संतुलित संबंध महत्वपूर्ण भी हैं क्योंकि दोनों संस्थाओं का लक्ष्य लोकतंत्र को सुदृढ़ करना है भले ही इनकी कार्य पद्धतियां भिन्न-भिन्न हैं। एक संतुलित संबंध तभी संभव है जब दोनों संस्थाओं को एक-दूसरे की भूमिकाओं, कर्त्तव्यों और कृत्यों का ज्ञान, समझ-बूझ और बोध हो। विधायकों तथा मीडिया के सदस्यों को इसे समझना चाहिए।

15

सुशासन और विकास को बढ़ावा देने में विधायकों और प्रचार माध्यमों की भूमिका*

सर्वप्रथम, मैं मंच पर उपस्थित सभी विशिष्टजनों का और आप सबका स्वागत करता हूं। भारत में विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों के महत्वपूर्ण सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि आज हम जहां एकत्रित हुए हैं वहां मैंने अपने जीवन के घटनापूर्ण 25 वर्ष बिताए हैं। मैं अपनी स्मृतियों के बारे में बात कर रहा था। सौभाग्यवश, आज इन स्मृतियों के साथ, इसी भवन में मेरे साथ दोनों ओर बैठने वाले व्यक्ति भी मौजूद हैं। जब मैं इस सदन का सदस्य था जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे वित्त मंत्री थे और जब मैं मुख्यमंत्री था तो श्री छगन भुजबल विपक्ष के नेता थे, हम सभी इसी भवन में एक साथ बैठते थे। इसलिए आज मैं वास्तव में खुश हूं क्योंकि मैं न केवल उस भवन में हूं जिसके साथ मेरी अनेक स्मृतियां जुड़ी हैं, बल्कि उन व्यक्तियों के साथ हूं जिनके साथ बिताए गए क्षणों की अनेकानेक स्मृतियां मेरे मन में हैं। लोकतंत्र हमेशा से रोचक रहा है क्योंकि लोकतंत्र में दोस्त और दुश्मन दोनों होते हैं। इसमें आप से सहमत, असहमत होने वाले दोनों तरह के लोग होते हैं। इसलिए, कहा गया कि लोकतंत्र चर्चा का विषय है। आप सब जानते ही हैं कि 'आज के मित्र कल शत्रु हो जाते हैं और आज के शत्रु कल मित्र हो सकते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष का उल्लेख नहीं कर रहा हूं लेकिन राजनीति में ऐसा होता है और इसलिए आज का समूचा राजनीतिक परिदृश्य रोचक हो गया है।'

मित्रो, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम सभी के लिए यह बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है। नई सहस्राब्दि का आगमन हो गया है और इस अवसर पर सिंहावलोकन कर सकते हैं। साथ ही हम भविष्य पर भी विचार कर सकते हैं। हम अपने कार्यकलापों का मूल्यांकन कर सकते हैं और भारत की संसद की स्वर्ण जयंती मनाते समय हमने यही किया था। यह संयोग की बात है कि पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के मंच ने 1921 में अपनी यात्रा शुरू की थी और आज इसने बयासी वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसलिए यह भी बहुत दिलचस्प बात है कि जिस संगठन ने बयासी वर्षों तक कार्य किया

* भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 66वें सम्मेलन के बाद "भारतीय विधानमंडलों की स्वर्ण जयंती—सुशासन और विकास को बढ़ावा देने में विधायकों और प्रचार माध्यमों की भूमिका" विषय पर आयोजित संगोष्ठी में, मुम्बई (6 फरवरी 2003)

है उसने हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे की बहुत सेवा की होगी। हमने 1972 में पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के साथ ही यह परम्परा आरंभ की थी और उस क्रम में यह 26वीं संगोष्ठी है। हमने पिछले 30 वर्ष के दौरान अपनी संगोष्ठियों में अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा की है।

मित्रो, यह आत्मनिरीक्षण करने और साथ मिलकर चलने का अवसर है। मेरा विश्वास है कि स्वर्ण जयंती समारोहों, विशेषत: अंतरराष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन की चर्चाओं, में अधिकतर अध्यक्षों ने भाग लिया होगा। उसमें हम दो महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर पहुंचे थे। एक, यह कि संसदीय लोकतंत्र विश्व के लिए सर्वोत्तम है और हमें सर्वत्र एकजुट होकर लोकतंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए। आतंकवादियों की गतिविधियों को देखते हुए यह और भी अधिक जरूरी हो गया है कि हम देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होने का प्रयास करें।

दूसरी बात, इस बारे में है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सौभाग्य से, बहुत ही स्पष्ट रूप से यह निर्णय किया गया था कि हमारा लक्ष्य लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना है। जनता, विशेषकर जनसाधारण और पद-दलितों के कल्याण के अलावा और कोई लक्ष्य हो ही नहीं सकता। संसद के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमने नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में इसी पर चर्चा की थी।

प्रतिनिधियों ने चर्चा के दौरान इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों में शामिल हैं—कार्यपालिका की उत्तरदायिता के तंत्र को मजबूत बनाना, लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना, राज्य के विभिन्न अंगों के बीच सद्भावपूर्ण संबंध कायम करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अनिवार्यता; समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करना और स्वतंत्र प्रेस तथा सतर्क मीडिया का महत्व। मैं समझता हूं कि यही लोकतंत्र का सार है। मेरे विचार से शायद ये सुशासन के प्रमुख सिद्धांत हैं जिनके लिए हम सभी को समृद्ध और संगठित भारत का निर्माण करते समय प्रयास करने चाहिएं।

आगे बढ़ने से पहले मैं आज चर्चा के लिए चुने गए विषय का उल्लेख करना चाहता हूं जिसे पहली बार चर्चा के लिए चुना गया है और यह विषय है 'सुशासन और विकास को बढ़ावा देने में विधायकों और प्रचार माध्यमों की भूमिका'। इसके साथ यह पूर्व मान्यता जुड़ी है कि विधायकों के रूप में हमारी और प्रचार माध्यमों की महाराष्ट्र सहित पूरे देश में सुशासन स्थापित करने में दिलचस्पी है। अत: मेरे लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले मैं 'सुशासन' के पारिभाषिक पहलू पर बात करूं।

सुशासन क्या है? मित्रो, 'सुशासन' शब्द पूरे विश्व में सरकारी कार्यकरण का मानदंड बन गया है। यद्यपि इस शब्द का अर्थ, विकास के विभिन्न चरणों वाले समाजों की विकास व्यवस्था में भिन्न-भिन्न है। मेरे विचार से यह अपने-आप में कोई नई अवधारणा नहीं है क्योंकि जनता के कल्याण हेतु प्रभावी शासन को सुविधाजनक बनाना हमेशा से ही प्रत्येक देश का आदर्श वाक्य रहा है। सुशासन को विकास की रणनीतियों के केन्द्र में लाने का कार्य, इस अवधारणा पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय और आर्थिक संस्थाओं द्वारा दिए जा रहे बल के फलस्वरूप संपन्न हुआ है। जहां तक विकासात्मक सहायता के नियतन का संबंध है, कतिपय प्रमुख तत्व ऐसे हैं जिन्हें अच्छे शासन में स्थान दिया गया है और

जिन्हें, मोटे तौर पर, विकसित तथा विकासशील विश्व द्वारा मान्यता दी गयी है। मैं 'सुशासन' को परिभाषित करने का प्रयास कर रहा हूं। मोटे तौर पर, ये तत्व इस प्रकार हैं: सरकार की जवाबदेही और विधिमान्यता, विधि के शासन और मूल मानवाधिकारों के प्रति सम्मान, सामाजिक तथा आर्थिक विकास का समान और समग्र संवर्धन, तथा पारदर्शी और सहमतिपरक प्रशासन।

मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे, जिन्हें प्रशासक और मंत्री के रूप में 16 वर्ष का लम्बा अनुभव है, यहां पर हैं। इस सम्मानित सदन की जानकारी के लिए मैं यहां पर बहुत ही सरल तरीके से यह बताना चाहता हूं कि सुशासन क्या है। 'सुशासन' ऐसी 'अच्छी सरकार' का नाम है जो संवेदनशील हो, प्रभावी हो, त्वरित हो, सबके साथ समान व्यवहार करे; जिम्मेवार और अनुक्रियाशील हो—जो इन दिनों दुर्लभ वस्तु बन गई है—और सबसे बढ़कर, सुशासन एक ऐसी सरकार है जो मानवीय दृष्टिकोण रखती है। और जब तक सरकार मानवीय दृष्टिकोण वाली न हो और प्रत्येक मुद्दे को मानवीय दृष्टिकोण से न समझती हो, तब तक उस सरकार का कोई अर्थ नहीं है।

श्री सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण पद को सुशोभित कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वह संवेदनशील, त्वरित, सबके लिए समान, उत्तरदायी, अनुक्रियाशील और मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं। मुझे विश्वास है कि यदि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सुशासन चाहते हैं तो महाराष्ट्र सरकार अनेक क्षेत्रों में सदैव अपनी स्थिति सर्वोपरि बनाए रखने में सफल रहेगी। इस विषय में श्री सुशील कुमार शिंदे के बारे में मैं पूर्णत: आश्वस्त हूं।

यह कार्य कैसे किया जा सकता है? किसी ने मुझसे प्रश्न किया था कि आप यह आशा किस प्रकार कर सकते हैं कि सुशासन सुनिश्चित करने में विधायक की कोई भूमिका हो सकती है? इसलिए, मैंने अपने भाषण में उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया कि विधायक किस प्रकार प्रभावी हो सकते हैं। यहां अनेक विधायक बैठे हैं और उनमें से कई मुझसे अधिक अनुभवी हैं। लेकिन फिर भी मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि यदि कोई विधायक वास्तव में अच्छा विधायक बनना चाहता है तो उसकी भूमिका भी बहुत प्रभावी हो सकती है। संसदीय प्रणाली में, सुशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती जन आकांक्षाओं और कार्यनिष्पादन प्रणाली के बीच के अंतर को पाटना है। इस परिप्रेक्ष्य में, विधायक जनता और सरकार के बीच प्रमुख संपर्क सूत्र की भूमिका अदा कर सकता है।

एक विधायक का मूलभूत उत्तरदायित्व विधान सभाओं में या विधान परिषदों में आम आदमी की आवाज उठाना है। लोकतंत्र—जिसे जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन प्रणाली माना जाता है—की छवि विधानमंडलों पर निर्भर करती है और विधानमंडलों की छवि विधायकों की छवि पर निर्भर करती है। इस मुद्दे को मैंने विशेष रूप से इसलिए उठाया है क्योंकि दुर्भाग्यवश विधायकों की छवि में गिरावट आ रही है। मुझे विश्वास है कि आपने अक्सर सुना होगा कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, लोग विगत के कुछ ही संसद सदस्यों और विधायकों का हमेशा उल्लेख करते हैं और उनकी तुलना मौजूदा संसद सदस्यों और विधायकों से करते हैं। मेरा यह मत है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का अस्तित्व और उनकी सफलता विधायकों की अपने कर्त्तव्यों और

उत्तरदायित्वों के प्रति प्रतिबद्धता की भावना पर निर्भर करती है। विधायक का व्यवहार न केवल सदन में अच्छा होना चाहिए बल्कि सदन के बाहर भी उसकी छवि अच्छी होनी चाहिए। जैसाकि विधान परिषद के माननीय सभापति ने उल्लेख किया है, आम आदमी विधायकों की तुलना भगवान से करते हैं और उन्हें आम आदमी से अधिक बुद्धिमान समझा जाता है। इस प्रकार, जनप्रतिनिधियों से बहुत आशाएं और अपेक्षाएं हैं।

जैसा मैंने पहले कहा, कार्यपालिका की निगरानी सुशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि सरकार की प्रत्येक नीति, निर्णय और कार्रवाई का प्रभाव नागरिकों के जीवन पर पड़ता है। दुर्भाग्यवश, कुछ विधायक इस बात को नहीं समझते कि उनके प्रत्येक नीति, निर्णय और कार्रवाई का प्रभाव नागरिकों के जीवन पर पड़ता है। दुर्भाग्यवश, कुछ विधायक इस बात को नहीं समझते कि उनके प्रत्येक कार्य से आम जनता के हित प्रभावित होते हैं जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर चाहे वह उनके निवार्चन क्षेत्र के लोग हों या राज्य के हों या संपूर्ण देश के। लोग सरकार का सम्मान तभी करते हैं जब वह जवाबदेह होती है और जब उनके प्रतिनिधि निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से भागीदारी कर पाते हैं। निश्चित रूप से कोई विधिमान्यता नहीं हो सकती है। यदि सत्तासीन लोक जवाबदेह न हों या असहमति के स्वरों को सहन न करें। ऐसी बहुत सी संसदीय प्रक्रियाएं और साधन हैं जिनके माध्यम से सदस्य लोगों की शिकायतें उठा सकते हैं, महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, कार्यपालिका से जानकारी मांग सकते हैं और शीघ्रता से कार्य करना सुविधाजनक बना सकते हैं। मैंने सदन में देखा है कि बहुत से सदस्य मेरे पास आकर बताते हैं कि उन्हें सदन में अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलता। मुझे यहां पर उपस्थित विधायकों को यह समझाते हुए खुशी हो रही है कि यदि आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार हैं तो आपको सदन में बोलने के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। यदि आपने नियमों को स्वयं पढ़ा हो और उपयोग में लाए जाने वाले साधनों को समझने का प्रयास किया हो तो आपको यह शिकायत कभी नहीं होगी कि आपको सदन में बोलने का समय नहीं मिलता। ऐसे अनेक साधन हैं, जिनका यदि आप उपयोग करना शुरू कर दें तो आपको अपनी बात कहने के पर्याप्त अवसर मिल सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि आप ऐसी बहुत सी शिकायतें उठा सकते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और कार्यपालिका से अपेक्षित जानकारी मांग सकते हैं।

समितियों, विशेषतः विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों, की भूमिका भी महत्वपूर्ण बन गई है। समितियां, प्रशासन को जिम्मेदार बनाती हैं। समितियों के माध्यम से आप प्रशासन को जिम्मेवार ही नहीं, जवाबदेह भी बना सकते हैं। कार्यपालिका के अधिकारियों को समितियों के समक्ष बुलाया जाता है और समितियां प्रत्येक विधायक को अधिकारियों से जवाब-तलब करने का अवसर देती हैं, यदि वे ऐसा चाहें। अतः, समिति प्रणाली बहुत ही सफल रही है। साथ ही, मैं यह बताना चाहता हूं कि लोक सभा में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति की स्थापना यह जानने के लिए की गई है कि योजना के लिए विनिर्दिष्ट धनराशि खर्च की गई है या नहीं, अधिकारी संसद सदस्य निधि से धनराशि खर्च कर रहे हैं या नहीं। कुछ राज्य विधानमण्डलों में भी ऐसा किया गया है। मुझे यह नहीं पता कि महाराष्ट्र में ऐसा किया गया है या नहीं। यदि ऐसा नहीं किया गया है

तो विधान सभा सदस्य कोष से राज्य विधान सभा के सदस्यों के काम अधिकारियों के माध्यम से कराने में सहायता करने के लिए एक समिति होनी चाहिए। इस प्रकार की समिति सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। सुशासन में समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण भी शामिल होता है। हमारी मान्यता है कि अच्छे शासन के लिए कमजोर वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित किया गया है जिससे अधिक भागीदारी वाले लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त हुआ है जोकि सुशासन का एक अन्य घटक है। संविधान के इन संशोधनों से हमारे प्रतिनिधिक निकायों में दस लाख से भी अधिक महिलाओं को लाने में सहायता मिली है। महिला सशक्तीकरण संबंधी संसदीय समिति का गठन भारतीय संसद की एक अन्य प्रशंसनीय पहल है। लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थानों के आरक्षण का प्रस्ताव करने वाला एक विधेयक विचाराधीन है। इस विधेयक के पारित हो जाने पर यह देश में सहभागितापरक लोकतंत्र की दिशा में एक अन्य प्रयास होगा। मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां विशेष संकल्प पारित करके महिला आरक्षण विधेयक का निर्विरोध समर्थन किया गया और इसे अब यह विधेयक केन्द्र सरकार को भेज दिया गया है। इस राज्य ने यह कर दिखाया है। मैं यह चाहता हूं कि अन्य राज्य भी ऐसा ही करें। वे संकल्प पारित करें और दबाव बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि केन्द्र सरकार, विशेषत: संसद द्वारा महिला विधेयक को यथाशीघ्र लाया जाए।

हम यह जानते हैं कि लोकतंत्र के सफल कार्यकरण के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में अधिक पारदर्शिता पर पहले से भी कहीं ज्यादा बल दिया जा रहा है। इसे महसूस करते हुए हमारी संसद ने प्रत्येक सभा में आचार समितियों का गठन करके नैतिक मूल्यों को समुचित महत्व दिया है। कुछ विधानमंडलों ने भी आचार समितियां गठित की हैं। आचार समिति एक ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि विधायक अच्छे वातावरण में रहें और ये समितियां सात राज्यों, नामत: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा में गठित कर ली गई हैं। मैं अन्य राज्यों से भी अनुरोध करता हूं कि इनका अनुसरण करें और यथाशीघ्र आचार समितियों का गठन करें।

हमारी संसद और विधानमंडल जनता की आकांक्षाओं के प्रति अत्यधिक अनुक्रियाशील हैं। पिछले 50 वर्षों में, राज्य व्यवस्था और समाज के सरोकार वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए सामाजिक और आर्थिक कल्याण वाले कई विधेयक पारित किए गए हैं। समाज के उपेक्षित वर्गों के लाभार्थ विशेष रूप से कुछ संस्थाएं बनायी गयी हैं इनमें से कुछ संस्थाओं के नाम इस प्रकार हैं: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग आयोग, इत्यादि।

जवाबदेही की एक और संस्था लोकपाल है। यह संसद के विचाराधीन है। राज्यों में, 'लोकायुक्त' संस्था पहले से ही काम कर रही है। हाल ही में, संसद ने सूचना की स्वतंत्रता संबंधी विधेयक पारित

किया है। इस कानून से प्रशासन में और अधिक खुलापन और पारदर्शिता आएगी तथा इससे नागरिक लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन किसी भी सूचना को प्राप्त कर सकेंगे।

मित्रो, गैर-सरकारी सदस्यों की भूमिका को भी नहीं नकारा जा सकता। मैंने यह देखा है कि सदन में अपने तर्कयुक्त और जोरदार भाषणों के दम पर गैर-सरकारी सदस्य कई बार सरकार के निर्णयों को बदलवाने में सफल रहे हैं। मैं यहां सभी का नामोल्लेख नहीं कर पाऊंगा किंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना आजाद, बैरिस्टर नाथ पै, भूपेश गुप्त, इन्द्रजीत गुप्त, मधु लिमये, हीरेन मुखर्जी, एन.जी. रंगा, जैसे कुछ दिग्गज नेताओं के नाम लेना चाहता हूं, ये कुछ ऐसे संसद सदस्य हैं जिन्होंने सरकार को प्रभावित किया। ऐसा नहीं है कि सदस्य ने कहा हो कि उसका दल छोटा है इसलिए उसे बोलने का अवसर ही नहीं मिला। यदि आप वास्तव में अच्छे वक्ता हैं, और पूरी तैयारी के साथ बोलते हैं तो आपको सदन में बोलने का अवसर हमेशा मिलेगा। इसलिए, यह आवश्यक है कि विधायक तैयारी करें और अपने प्रश्न इस तरीके से उठाएं कि वे जो कुछ भी कहें, सरकार को उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी पड़े।

मैं अनुभव करता हूं कि ऐसे मुद्दों पर विधायकों को अपने पूर्वाग्रहों को, यदि कोई हो, त्याग देना चाहिए और अच्छे शासन के लिए एकजुटता दिखानी चाहिए। सुशासन सरकार तक ही सीमित गतिविधि नहीं है। प्रत्येक विधायक को सुशासन सुनिश्चित करने में भागीदारी करनी होती है। विपक्षी दलों के सदस्यों को देश के विकास के लिए सरकार के प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। इसी तरह, सत्तासीन दल या दलों को भी विपक्ष की ओर से आने वाले रचनात्मक सुझावों की ओर ध्यान देना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसा दोनों पक्षों की ओर से किया जाना चाहिए। विपक्ष को सरकार को अच्छे सुझाव देने होते हैं और सरकार के अच्छे कार्यों पर सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होती है। सरकार को भी गंभीर रहकर सांसदों की बात सुननी चाहिए। एक नयी प्रवृत्ति, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, यह है कि सदस्यगण सभा में तो काफी गंभीरतापूर्वक कोई बात कहते हैं—मैं यहां महाराष्ट्र राज्य का उल्लेख नहीं कर रहा हूं—पर सरकार उनके अच्छे सुझावों पर कार्यवाही नहीं करती। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि कोई सदस्य—चाहे वह सत्तापक्ष का हो या प्रतिपक्ष का—जो भी अच्छा सुझाव दे, सरकार को उस पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए, उसे मंत्रिमण्डल के सामने रखना चाहिए तथा इस संबंध में विधानमण्डलों और संसद में विधेयक लाने चाहिए। यहां पर मैं एक व्यक्तिगत उदाहरण देता हूं—महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में मैंने मलिन बस्तियों में रहने वालों तथा ध्वनि-प्रदूषण से संबंधित मुद्दों को सभा में जोरदार ढंग से उठाया था। उस समय मैं विधान परिषद का सदस्य था। मुझे स्मरण है कि मैंने सभा में उपभोक्ता-अधिकारों का मुद्दा भी उठाया था। परिणाम यह हुआ कि दोनों मामलों में—ध्वनि-प्रदूषण के मामले में व उपभोक्ता-अधिकारों के मामले में भी—सरकार बाद में अपनी ओर से विधेयक लाई। अतः, एक अच्छी सरकार सदैव अच्छे विचारों को स्वीकार करती है।

मित्रो, जैसाकि मैंने कहा, कि सभा में मुद्दे उठाने के लिए संसद सदस्यों के पास विभिन्न प्रक्रियात्मक साधन होते हैं। विधायी मामलों में यह सच है कि कार्यपालिका का हाथ निश्चित रूप

से ऊपर होता है तथापि यह भी सच है कि गैर-सरकारी सदस्य संसद के विचार के लिए अनेक विधेयक प्रस्तुत करते हैं। अब तक ऐसे गैर-सरकारी सदस्यों के चौदह विधेयकों का संसद में अधिनियमन हुआ है, उसमें से नौ को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था और परिणाम बुरा नहीं रहा है। मुझे स्मरण है कि महाराष्ट्र विधान परिषद में भी, श्री दत्ता तम्हाणे ने एक विधेयक पेश किया था और सभा ने उसे उसी रूप में स्वीकार करके कार्यान्वित भी किया। अतः, कई बार सदस्य अच्छा विधेयक लाते हैं—और उसे उसी रूप में स्वीकार भी किया जा सकता है, या फिर सरकार ही बाद में कोई सुबद्ध व्यापक विधेयक ला सकती हैं। मैं कुछ ऐसे विधेयकों का जिक्र कर रहा हूं जिन्हें संसद में गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा पेश किया गया और जिन्हें सरकार ने स्वीकार किया। गैर-सरकारी सदस्य श्री फिरोज गांधी द्वारा लाया गया संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण) विधेयक, 1956, इतनी महत्वपूर्ण प्रकृति का था कि सरकार ने इसका पूर्ण समर्थन किया और 26 मई, 1956 को इसे पारित कर दिया। गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा लाए गए विधेयकों के बाद सरकार जिन विधेयकों को लेकर आई, उनमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954; स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956; प्रेस परिषद अधिनियम, 1965; संविधान की नौवीं अनुसूची में भूमि सुधारों के लिए कतिपय उपाय करने वाला संविधान (29वां संशोधन) अधिनियम, 1972; और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990, शामिल हैं। हाल ही में अधिनियमित 'सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम' का मूल अप्रैल, 2000 में श्री सुबोध मोहिते द्वारा लोक सभा में पुरःस्थापित किए गए 'सूचना की स्वतंत्रता विधेयक' में खोजा सकता है जिसके बाद सरकार ऐसा विधेयक लाई। इससे पूर्व श्री सत्य गोपाल मिश्र ने 1985 में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के आशय वाले संविधान संशोधन विधेयक को पुरःस्थापित किया था। राजीव गांधी सरकार इसके तुरंत बाद अपना विधेयक लेकर आई जिसका बाद में अधिनियमन किया गया। वर्ष 1992 में शिशु दुग्ध स्थानापन्न, फीडिंग बोतल और शिशु खाद्य पदार्थ (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण) अधिनियम, के पीछे श्री राम नाईक का मार्गदर्शन था। उन्होंने इस मामले पर गैर-सरकारी सदस्य विधेयक पुरःस्थापित किया था, जिसके कारण सरकार को अपना विधेयक लाने पर बाध्य कर दिया। इसी प्रकार, श्री बसुदेव आचार्य ने अपने गैर-सरकारी सदस्य विधेयक के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने की दिशा में विधान बनाने के लिए बाध्य किया। यह विधेयक कितना महत्वपूर्ण था। अतः, यह कहना गलत होगा कि विधायकों को कोई अवसर नहीं मिलता। यदि वाकई सदस्य यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राष्ट्रहित में सरकार अपने निर्णयों को परिवर्तित करे, तो वे गैर-सरकारी सदस्य विधेयक पेश करके भी ऐसा कर सकते हैं।

अगली बात मीडिया की भूमिका के बारे में है। मीडिया प्रभावी कैसे बने? केवल विधायकगण की ही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, वरन मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। विश्व के किसी अन्य देश की भांति भारत में भी राज्य व्यवस्था एक नाजुक दौर से गुजर रही है। सार्वजनिक जीवन वाले लोगों पर जनता की पैनी नजर रहती है क्योंकि लोगों में जागरूकता बढ़ी है, उन्हें व्यवस्था से अधिकाधिक अपेक्षाएं हैं, मीडिया द्वारा अपने विभिन्न रूपों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए व्यापक भूमिका निभाई जा रही है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रबुद्ध लोकतंत्र के निर्माण में

प्रबुद्ध समाज का पर्याप्त योगदान रहता है। इसलिए आज आवश्यकता है प्रबुद्ध लोकतंत्र की। वस्तुतः प्रबुद्ध मीडिया हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। मीडिया जनता और नेतृत्व के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है जो निर्णय लेने वालों को समाज की नब्ज समझने में सहायता करती है। यही कारण है कि हरेक अच्छे प्रशासक, हरेक अच्छे मंत्री को सुबह चाय का प्याला भले ही न मिले पर, मुझे लगता है कि—पढ़ने के लिए अखबार तो जरूर ही चाहिए। मीडिया के जरिए वह जनता की राय जान पाता है, जनता की नब्ज पकड़ पाता है। अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मीडिया का कार्य क्या है? मीडिया जनता को हमारी विधायिका के कार्यकलापों तथा सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी देता है। वह निर्णय लेने वालों को विशिष्ट मुद्दों, कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में समाज की भावनाओं से अवगत कराकर जानकारी उपलब्ध कराने के तंत्र के रूप में भी कार्य करता है। कई बार मीडिया में आलोचना की वजह से सरकार के निर्णय बदले भी जाते हैं। कभी-कभी लोग सरकार के खिलाफ अदालत में भी चले जाते हैं। किंतु, अधिकांश बार, यदि अखबारों में किसी मामले की आलोचना हो तो इसके अपने अलग परिणाम होते हैं। यह अत्यावश्यक है कि हम सभी संसदीय संस्थाओं के सुचारू कार्यकरण में मीडिया की भूमिका को विधानमंडल के उत्तरदायित्व को सही परिप्रेक्ष्य में देखें ताकि मीडिया स्वतंत्र वातावरण में कार्य कर सके।

मेरा विश्वास है कि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे आगे विचार-विमर्श के दौरान ध्यान में रखा जाएगा। मैं कई उदाहरण दे सकता हूं, परन्तु बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं समझता हूं कि आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि स्वतंत्र मीडिया आज की एक अत्यावश्यकता है। संविधान में भी इसका प्रावधान है। प्रेस की शक्ति इसकी स्वतंत्रता में निहित है, पर इसे प्राप्त कैसे किया जाए? मेरे विचार से आत्मसंयम अनुशासन का सर्वोत्तम रूप है। हमने मीडिया के लोगों को विभिन्न सुविधाएं दी हैं ताकि वे संसद और राज्य विधानमण्डलों की कार्यवाही का सच्चा और वस्तुपरक विवरण दे सकें। संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही का दूरदर्शन और रेडियो से प्रसारण किए जाने से ये संस्थाएं जनता के और अधिक नजदीक आ गयी हैं।

अतएव, यह आवश्यक है कि जनहित में विधायिका एवं मीडिया के बीच हमेशा सौहार्दपूर्ण संबंध हो। हमारे जैसे संसदीय लोकतंत्र में मीडिया तथा संसद को परस्पर पूरक भूमिका निभानी होगी। मीडिया को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी जानकारी जनता के पास पहुंचे उसमें सत्यता हो। कभी-कभी सनसनीखेज समाचारों, संसद तथा विधानमंडलों की सभाओं में शोर-गुल, अव्यवस्था तथा बहिर्गमन को व्यापक कवरेज दी जाती है तथा विकास संबंधी मामलों पर कई महत्वपूर्ण वाद-विवादों को हाशिये पर कर दिया जाता है या इनकी उपेक्षा कर दी जाती है।

अध्यक्ष बनने के बाद से ही मैं यह कहता रहा हूं कि मीडिया तथा संसद को विधान सभाओं से अच्छे वाद-विवाद का व्यापक कवरेज करके विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यदि ऐसा हो जाए तो मुझे विश्वास है कि संसद और विधान सभाओं के संपूर्ण रुख को ही बदला जा सकता है। विधायक और मीडियाकर्मी दोनों को ही विशेषाधिकार दिए गए हैं और यह आवश्यक है कि इन विशेषाधिकारों का प्रयोग सावधानीपूर्वक किया जाए।

प्रैस संसदीय लोकतंत्र के प्रभावी कार्यकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसा भी हुआ है जब विधानमंडलों में उठाए गए मुद्दे समाचार-पत्रों में मुख्य समाचार बन गए। खोजी पत्रकारिता के इस युग में समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों, विवरणों का सदस्यों द्वारा विधानमंडलों के भीतर उल्लेख किया जाता है ताकि विधायिका के प्रति कार्यपालिका की उत्तरदायिता सुनिश्चित की जा सके। इस तरह, प्रैस के बारे में कहा जा सकता है कि यह सुशासन सुनिश्चित करने में विधानमंडलों की सहायता करने में स्वत:स्फूर्त भूमिका निभा रही है।

मित्रो, मैं इस मुद्दे पर और अधिक विचार नहीं करना चाहता। इसलिए, मैं विधानमण्डलों की अच्छी छवि प्रस्तुत करने के महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आता हूं। यह भी महत्वपूर्ण है कि मीडिया हमारे विधानमंडलों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों की सही छवि प्रस्तुत करे। इसके लिए जरूरी है कि विधानमंडल और लोक सेवक जनता की ऊंची अपेक्षाओं के अनुरूप खरे उतरें और अपने कर्त्तव्यों, जिम्मेदारियों का निर्वाह अधिक गरिमापूर्ण तरीके से करें, तभी हमारे विधानमंडलों की सही छवि लोगों के सम्मुख प्रस्तुत की जा सकेगी। यह जरूरी है क्योंकि हम न तो लोगों का निरादर कर सकते हैं और न ही उन्हें निराश कर सकते हैं। इसलिए हमें इस बारे में सजग रहना चाहिए। संपूर्ण विश्व में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है कि विधायी निकायों की छवि में किस प्रकार सुधार किया जाए और विधान मंडलों और मीडियाकर्मियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध कैसे स्थापित किए जाएं।

अच्छे शासन और विकास के कार्य में मीडिया की भी बड़ी हिस्सेदारी है। यदि मीडिया सदन में दिए जाने वाले अच्छे भाषणों को व्यापक कवरेज दे, तो वह राष्ट्र और संसदीय लोकतंत्र की संस्थानों की बड़ी सेवा करेगा। मैं यह मानता हूं कि यह तभी होगा जब मीडिया सदन के शोर-गुल की बजाय अच्छे भाषणों की अच्छी कवरेज प्रस्तुत करेगा। यदि ऐसा हो जाए तो समस्या का काफी सीमा तक समाधान हो सकता है।

विधायकों को बेहतर ढंग से कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए संसद ने 'उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार' आरंभ किया है। अभी तक जिन छ: संसद सदस्यों को यह पुरस्कार मिला है उनके नाम हैं—सर्वश्री इन्द्रजीत गुप्त, अटल बिहारी वाजपेयी, चन्द्रशेखर, सोमनाथ चटर्जी, प्रणव मुखर्जी और जयपाल रेड्डी। कुछ राज्य विधानमंडलों ने भी इस प्रकार के पुरस्कार देना आरंभ किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने से विधायकों को अपने कार्य-निष्पादन में प्रोत्साहित करके समग्र रूप से सदन में वाद-विवाद का स्तर ऊंचा करने में सहायता मिलेगी।

मुझे ज्ञात हुआ है कि इस विधानमंडल ने भी सकारात्मक ढंग से कार्यवाही की जानकारी देने के लिए पत्रकारों को भी पुरस्कार देना आरंभ किया है ताकि जनता को सुशासन मिले और जनता का व्यापक हितसाधन किया जा सके। मैं समझता हूं कि अन्य विधानमण्डलों द्वारा भी इस प्रकार के पुरस्कार आरंभ किये जाने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने से विधानमण्डलों के कार्यकरण के सकारात्मक पहलू की संतुलित और पूर्वाग्रह रहित रिपोर्टिंग के द्वारा सुशासन और राष्ट्र निर्माण के कार्य में मीडिया की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित होगी। विधानमंडल और मीडिया के बीच सद्भावपूर्ण संबंधों की बहुत आवश्यकता है।

जनवरी, 2000 में ''संसद और मीडिया : प्रभावी संबंधों की रचना'' विषय पर आयोजित नई दिल्ली सम्मेलन का संदेश अप्रैल 2002 में केपटाऊन में हुए सम्मेलन में पहुंचाया गया। इस सम्मेलन में पूर्ण रूप से जागरूक लोकतंत्रों को विकसित करने के लिए समाज को दिशानिर्देश देने संबंधी सिद्धांतों को स्वीकार किया गया तथा यह प्रस्ताव किया गया कि संसद और मीडिया इस संबंध में विशिष्ट रूप से कार्यवाही करें। इसलिए, दोनों के बीच अच्छे संबंध आज का मुख्य विषय है।

मित्रो, संसद और मास मीडिया लोकप्रिय भावनाओं और संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने के सर्वाधिक शक्तिशाली मंच हैं। दोनों में सार्वजनिक उत्तरदायित्व के प्रति अच्छी समझ होनी चाहिए। ये जनता, समाज और देश के प्रति जवाबदेह होते हैं। दोनों का अस्तित्व सार्वजनिक साधन के लिए है और ये दोनों ही संसदीय लोकतंत्र की सफलता और उसके सुचारू कार्यकरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि ये दोनों प्रभावी अंग राष्ट्रीय प्रयास में एक-दूसरे की भूमिका के महत्व को समझते हुए उसकी सराहना करें तो लोकतांत्रिक शासन की सफलता में बहुत सहायता मिलेगी। प्रतिनिधिक संस्थाओं और मीडिया को अपने-अपने क्षेत्रों में अपने दायित्वों से कोई समझौता किए बिना सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने चाहिए। इस सौहार्द को कैसे बढ़ावा दिया जाए यह हम सबके लिए सर्वाधिक महत्व का विषय है।

मित्रो, मैं आशा करता हूं कि इस संगोष्ठी में किया गया विचार-विमर्श इस विषय के विभिन्न आयामों पर नए विचार और नए परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करेगा। मैं कामना करता हूं कि इस चर्चा से उत्कृष्ट परिणाम निकले और आम आदमी के हित में मीडिया और जन-प्रतिनिधियों के बीच अंततः सद्‌भावपूर्ण संबंध बनें। धन्यवाद।

नमस्कार, जयहिंद।

16

प्रेस—जनता और राजनैतिक नेतृत्व के बीच महत्वपूर्ण कड़ी*

मेरा नागपुर आना चाहे थोड़े समय के लिए ही हो, मेरे लिए सदैव प्रसन्नता का विषय रहा है। लोक सभा अध्यक्ष के अत्यावश्यक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भले ही मुझे नई दिल्ली जाना पड़ा हो, फिर भी मैं सदैव इस बात का ध्यान रखता हूं कि अपने गृह राज्य के लोगों के सम्पर्क में रहूं। इसीलिए आज इस समारोह में स्वयं को आप सब लोगों के बीच पाकर वास्तव में मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं *शिवसत्ता* पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के लिए आयोजकों का धन्यवाद करता हूं और उन्हें इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आपके समक्ष इस विषय, अर्थात् *लोकतंत्र और पत्रकारिता* पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है। वास्तव में यह विषय उन सभी लोगों के लिए अत्यधिक रुचि का है जो सार्वजनिक जीवन से जुड़े हैं।

हम आज लोकतंत्र और सूचना के निर्बाध प्रवाह के युग में रह रहे हैं। विगत लगभग दो दशकों में लोकतंत्र सार्वभौमिक आदर्श बन गया है। लोकतंत्र का मूल तत्व क्या है तथा लोकतंत्र में पत्रकारिता की क्या भूमिका है? वास्तव में लोकतंत्र का आधारभूत तत्व यह है कि ''यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें संप्रभुता जनता में निहित होती है।'' अब्राहम लिंकन के अमर शब्दों में यह 'जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए' शासन व्यवस्था है। अत: लोकतंत्र जनता की आवाज है।

हमारे देश में लोकतंत्र प्राचीन काल से ही 'ग्राम सभाओं' और 'ग्राम समितियों' के रूप में पल्लवित और पुष्पित होता रहा है। आज, हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ से ऊपर है जहां, विभिन्न भाषा-भाषी, विभिन्न राजनीतिक विचारधारा वाले और विभिन्न क्षेत्रों के लोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भाग लेते हैं। यह बहुआयामी विविधता ही अपने आप में हमारे देश में लोकतंत्र के लिए मूलभूत चुनौती है। हमने इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है और हमें गर्व है कि यहां विगत पचास वर्षों से लोकतंत्र निर्बाध गति से चल रहा है। इन वर्षों में तैयार हुए आधार ने हमारे लोकतंत्र को और अधिक परिपक्व, अधिक विवेकपूर्ण और जनता की इच्छाओं व आकांक्षाओं के और अधिक अनुरूप बनाया है। समाचार पत्रों ने इन कार्यों को सुगम और सुचारू बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

* हिन्दी दैनिक 'शिवसत्ता' द्वारा शिवसत्ता पुरस्कार प्रदान करने के अवसर पर ''लोकतंत्र और पत्रकारिता'' विषय पर बोलते हुए, नागपुर (1 अगस्त, 2003)

जैसाकि आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र को शक्ति राजनैतिक सत्ता से प्राप्त होती है और लोकतंत्र के पोषण और संरक्षण के लिए राज्य व्यवस्था को जवाबदेह, पारदर्शी और संवेदनशील होना होगा। आज के समय में जनता की जागरूकता, व्यवस्था से उसकी अधिक अपेक्षाओं, और जवाबदेही सुनिश्चित करने में प्रेस की सकारात्मक भूमिका के कारण सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों, विशेष रूप से राजनीतिज्ञों, पर जनता की पैनी नजर रहती है। हम सब जानते हैं कि एक जीवंत लोकतंत्र के कार्यकरण के लिए प्रेस के समर्थन की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र को कायम रखने और इसके समर्थन के लिए स्वस्थ प्रेस के बिना हम स्वस्थ संसदीय लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। थॉमस जेफरसन के ये शब्द लोकतंत्र में समाचार पत्रों के महत्व को स्पष्ट करते हैं: "यदि इस बात का निर्णय मुझ पर छोड़ दिया जाए कि क्या सरकार समाचारपत्रों के बिना हो अथवा बिना सरकार के समाचारपत्र हों, तो दूसरे विकल्प को वरीयता देने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी।"

जागरूक जनता निस्संदेह लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार है। बल्कि, मैं कहना चाहूंगा कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यही हमारा सबसे बड़ा साधन है। हमारे दैनिक जीवन में अपनी पहुंच, प्रभाव तथा सहभागिता के कारण प्रेस समाज के प्रति, और विशेष रूप से राजनीति तथा राजनीतिक संस्थाओं के प्रति, जनसामान्य के दृष्टिकोण को स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निस्संदेह, एक जागरूक लोकतंत्र के विकास में एक जागरूक समाज का बहुत अधिक योगदान होता है।

हमारे जैसे संसदीय लोकतंत्र में यह देखा गया है कि राजनीतिक नेताओं और पत्रकारों की भूमिका अनुपूरक होती है क्योंकि दोनों का कार्यक्षेत्र-अर्थात् जनता, एक ही है। दोनों को ही बहु आयामी भूमिका निभानी होती है अर्थात् सुशासन और कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना, राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना, समाचारों और जानकारी का प्रचार-प्रसार, मत और दृष्टिकोण विकसित करना और आमतौर पर समाज को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों की स्पष्ट समझ विकसित करना होता है। दोनों ही जनता की आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करते हैं, दोनों में जिम्मेदारी की गहन भावना होती है और दोनों ही अनिवार्यत: सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में सहभागी होते हैं। इसलिए उनके संबंधों में कुछ हद तक टकराव अपरिहार्य है क्योंकि दोनों ही जनसामान्य के प्रति उत्तरदायी हैं। जवाबदेही लोकतंत्र का मूल तत्व है और जवाबदेही के लक्ष्य को पूरी तरह तभी प्राप्त किया जा सकता है जब पारदर्शिता हो। दूसरे शब्दों में कहें, तो पारदर्शिता तब तक संभव नहीं हो सकती जब तक जानकारी का आदान-प्रदान निर्बाध रूप से न हो। इन सभी मामलों में राजनीतिज्ञों और पत्रकारों के बीच एक सहजीवी संबंध है। पत्रकारों के लिए राजनेता एक सूचना-स्रोत है। उसी प्रकार समाचार पत्र भी राजनेताओं के लिए एक सूचना-स्रोत है। दोनों मिलकर जनता को नीतियों, कार्यक्रमों और राष्ट्र के समक्ष आ रही समस्याओं की जानकारी देते हैं तथा उन्हें भलि-भांति समझने में जनता की सहायता करते हैं। इसी से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं।

राष्ट्रीय विकास के इस पहलू का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण यह है कि हमारे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान एक व्यवसाय के रूप में पत्रकारिता ने उत्कृष्ट भूमिका निभाई। हमारे कई महान नेताओं ने अपने

स्वामित्व वाले और अपने द्वारा ही प्रकाशित समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी चिंताओं की अभिव्यक्ति की थी। चाहे वह बाल गंगाधर तिलक का 'केसरी' हो, गोपाल कृष्ण गोखले का 'स्वराज' हो, वीर सावरकर का 'गदर' हो, महात्मा गांधी का 'हरिजन' हो या जवाहरलाल नेहरू का 'नेशनल हैरल्ड', सभी का उद्देश्य एक ही था—ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय जनता को जागरूक बनाना। समाचार पत्र, विशेषत: भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र, हमारे नेताओं के संदेश का प्रसार करने के माध्यम के रूप में उभर कर सामने आए।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रेस का दायरा बहुत ही व्यापक हो गया है और यह विविध भूमिकाओं में अपना कार्य कर रही है। प्रेस को आज सूचना संबंधी मुख्य भूमिका के अलावा जनता के प्रतिनिधि की भूमिका भी निभानी होती है। इसके ऊपर राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर लोगों को शिक्षित करने का सामाजिक दायित्व भी है। गांधी जी ने समाचार पत्रों की भूमिका के बारे में इन शब्दों में अपने उद्‌गार व्यक्त किए थे: ''समाचार पत्र का एक उद्देश्य जनभावनाओं को समझना और उन्हें अभिव्यक्त करना है, दूसरे उद्देश्य लोगों के मन में कतिपय वांछनीय भावनाएं पैदा करना और तीसरा उद्देश्य लोकत्रुटियों को निर्भयतापूर्वक उजागर करना है।'' गांधी जी की यह वक्तव्य स्वतंत्रता की रक्षा, शिक्षा के प्रसार, सामाजिक सुधार और परिवर्तन में समाचार पत्रों के महत्व को रेखांकित करता है।

प्रेस, जनता और राजनीतिक नेतृत्व के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। यह एक दुतरफा सेतु की तरह काम करती है—एक ओर यह सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी जनता तक पहुंचाती है तो दूसरी ओर निर्णयकर्त्ताओं को जनभावनाओं से अवगत कराती है जिससे उन्हें समाज के विचारों को समझने में सहायता मिलती है। इस स्थिति में, एक पत्रकार के रूप में आपको राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देते हुए राजनीतिक व्यवस्था की उपलब्धियों को प्रकाशित करने में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए; और साथ ही, जनता को सरकार या सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्तियों की भूलों और चूकों की जानकारी देने से भी संकोच नहीं करना चाहिए।

समाचार पत्रों को आम आदमी का शिक्षक कहा जाता है। समाचार पत्रों में जो भी छपता है उसका जनसामान्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। समाचार पत्र वस्तुत: जनता और सरकार के बीच सम्पर्क सूत्र होते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से आम जनता को इस बात की जानकारी मिलती है कि उनके आस-पास क्या हो रहा है। ऐसी स्थिति में, पत्रकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी सूचना जनता तक पहुंचे, सच्चाई उसकी प्रमुख विशेषता हो। पत्रकार लोग राय बनाने और राय बदलने का काम करते हैं। वे वस्तुत: राजनीतिक शिक्षक होते हैं और उनके ऊपर जनता की राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है। अत:, रिपोर्टिंग करते समय उन्हें ''असावधान'' नहीं होना चाहिए। ''असावधानी'' से मेरा तात्पर्य यह है कि उनका उद्देश्य सनसनीखेज खबरों की रिपोर्टिंग और उनकी व्यापक कवरेज तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। यहां पर मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। कई बार ऐसा होता है कि पत्रकार अपने मिशन की रौ में बह जाता है। मुद्दे को सनसनीखेज बनाने अथवा समय बचाने के उत्साह में वे कभी-कभी राजनीतिज्ञों के निजी और सार्वजनिक जीवन के बारे में तथ्यों का समुचित रूप से पता लगाए बिना ही कहानियां लिखते रहते हैं। आपको यह स्वीकार

करना चाहिए कि किसी नेता के सार्वजनिक और निजी जीवन के बीच की विभाजन रेखा बहुत पतली होती है। गलत तथ्य दे देने से किसी राजनीतिज्ञ का जीवन बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। बाद में यदि यह पता भी चल जाए कि अमुक राजनीतिज्ञ ने तो कोई गैर-कानूनी काम या बेईमानी नहीं की, तब भी इस प्रकार की गलत बयानी से उसकी प्रतिष्ठा और निष्ठा को पहले ही पर्याप्त क्षति पहुंचने के कारण उसका भविष्य नष्ट हो सकता है। दो-तीन दिन बाद भले ही अखबार के आखिरी पृष्ठ या किसी कोने में खेद व्यक्त कर दिया जाए, लेकिन नुकसान तो हो ही चुका होता है। लोक अक्सर मुख्यपृष्ठ पर छपे सनसनीखेज समाचार पर विश्वास कर लेते हैं और ऐसी विकृत छवि बन जाती है जो सदैव उनके मस्तिष्क में बनी रहती है।

आप सब जानते ही हैं कि हाल के समय में राजनीति के पेशे की प्रतिष्ठा में गिरावट आई है और यह केवल भारत में ही नहीं हुआ है, बल्कि दुनियां भर में ऐसी ही स्थिति है। अब ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें दुर्भाग्यवश राजनीति को हिकारत की नजर से देखा जाने लगा है। मुझे आशंका होती है कि राजनैतिक वर्ग के प्रति जनता के इस तरह के मोहभंग से व्यवस्था कमजोर होगी और इस प्रक्रिया में लोकतंत्र भी निर्बल और शक्तिहीन हो जाएगा। अतः, यह आवश्यक हो जाता है कि राजनैतिक नेतृत्व और पत्रकार एक-दूसरे की विवशताओं को समझें और सौहार्दपूर्ण ढंग से कार्य करें।

इस संदर्भ में, हमारे जैसे एक विकासशील देश में प्रेस की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आप सब जानते हैं कि इस देश में त्रि-स्तरीय शासन व्यवस्था है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सबसे नीचे के स्तर के व्यक्तियों को भी देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सहभागी बनाया जाए। ऐसे में, राज्य की विकासात्मक गतिविधियों के संचालन में क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर के समाचार पत्रों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये समाचार पत्र, विकास-प्रबंधकों के रूप में सरकार के साथ भागीदारी करते हुए, साक्षरता, जनसंख्या-नियंत्रण, रोजगार, गरीबी-उपशमन, महिला-सशक्तीकरण, पर्यावरण आदि विषयों से संबंधित मामलों में और अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। इस बात की अविलम्बनीय आवश्यकता है कि लोगों का ध्यान विभाजक और साम्प्रदायिक मुद्दों से हटाकर राष्ट्र की प्रगति के लिए महत्व रखने वाले अन्य मुद्दों पर केन्द्रित किया जाए। प्रेस का यह सामाजिक दायित्व है कि वह जनता को जागरूक बनाकर उसका मार्ग प्रशस्त करे।

हमारे देश में, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत नागरिकों को प्राप्त 'वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य' के मूल अधिकार में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण) अधिनियम, 1977 के अतंर्गत समाचार पत्रों और अन्य जनप्रचार माध्यमों को, संसद् की कार्यवाही की सारतः सही रिपोर्ट प्रकाशित करने का विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। इसके लिए उनके विरुद्ध किसी प्रकार की सिविल या दांडिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। "प्रेस की शक्ति उसकी स्वतंत्रता में निहित है।" तथापि, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रेस की बहुत कुछ स्वतंत्रता इसके संयम में है; बाहर से थोपे गये संयम में नहीं, अपितु आत्मसंयम में।

संसद और विधानमण्डलों के सदस्य अपने विधायी दायित्वों का निर्वहन निर्भीकता से और प्रभावी ढंग से कर सकें, इस दृष्टि से उन्हें विशेषाधिकार देना आवश्यक है। इससे प्रेस की स्वतंत्रता कम

नहीं हो जाती। तथापि, यह लंबे समय से संसद सदस्यों और मीडिया के बीच टकराव का एक कारण रहा है। मेरे विचार से तो, आत्मसंयम ही सर्वोत्तम अनुशासन है।

लोगों को निर्बाध रूप से जानकारी मिल सके इसके लिए हमने सही रूप में और निष्पक्ष ढंग से संसद तथा राज्य विधानमण्डलों की कार्यवाहियों के प्रसारण हेतु मीडिया कर्मियों को कई सुविधाएं प्रदान की हैं। हाल ही में संसद द्वारा सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम, 2002 इसी उद्देश्य को लेकर अधिनियमित किया गया है ताकि यहां के नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो।

आज के समय में, जब देश के अंदर से और देश के बाहर से इसकी एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा है, तो हमें इसकी एकता को मजबूत करने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करना होगा। यदि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर खतरे के बादल छायेंगे तो मीडिया भी अछूता नहीं रह पाएगा। 13 दिसम्बर को हमारी संसद पर हुआ हमला इस बात की ओर संकेत करता है कि आज हमारे देश को विघटनकारी तत्वों से कितना बड़ा खतरा है। उस दिन संसद परिसर में बड़ी संख्या में मीडियाकर्मियों की मौजूदगी और उनकी पेशे के प्रति दिखायी गयी दिलेरी ने देश के समक्ष सीधा प्रसारण कर यह दिखाया कि किस तरह आतंकवादियों द्वारा हमारे देश की सर्वोच्च संस्था पर एक बर्बर हमला किया गया। हमने एकजुट होकर उस खतरे का सामना किया और उन्हें परास्त किया। हमारे संबंधों में उद्देश्य की एकता की यही भावना परिलक्षित होनी चाहिए।

मैं अभी हाल ही में एक लेख पढ़ रहा था जिसमें जन पत्रकारिता आंदोलन की तुलना अस्सी के दशक के संपूर्ण चिकित्सा आंदोलन से की गई है। इसमें लेखक ने इस बात की ओर संकेत किया है कि लंबे समय से दवाई एक विशेष बीमारी पर ही कारगर साबित हुई है, अर्थात् चिकित्सक बीमारियों और उनके उपचार पर ही ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। लेकिन अस्सी के दशक में संपूर्ण चिकित्सा की अवधारणा के अंतर्गत यह प्रश्न पूछा गया कि क्या चिकित्सकों को अपना ध्यान स्वास्थ्य और स्वास्थ्य कैसे बनाये रखें, इस पर केन्द्रित नहीं करना चाहिए? प्रक्रिया और प्राथमिकता के पुनर्निधारण के फलस्वरूप पोषाहार, व्यायाम और तनाव नियंत्रण पर बल दिया जाने लगा जो आज बहुत आम बात हो गई है। ऐसा नहीं है कि पहले चिकित्सकों को पोषाहार के बारे में पता नहीं था, लेकिन समाज में अपनी भूमिका के बारे में विभिन्न प्रश्न पूछे जाने के कारण विभिन्न नैदानिक प्रक्रिया सामने आई जो केवल चिकित्सकों पर नहीं, बल्कि समुदाय, विद्यालय और व्यक्तियों पर आधारित है और जिसमें कहा गया है कि सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए सब मिलकर कार्य करें। मेरा मानना है कि जन पत्रकारिता आंदोलन भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपना सकता है। समाज में अपनी भूमिका का पुन:निर्धारण करके पत्रकारों को इस बात का पता लगाने में कम समय लगाना चाहिए कि समाज में क्या गलत हो रहा है। यद्यपि, निश्चित रूप से वह भी उनकी एक भूमिका है। इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करें कि वे जिस देश में रहते हैं वे उस देश के स्वास्थ्य को ठीक रखने में सहभागी हों।

मुझे पूरा विश्वास है कि *शिवसत्ता* के मेरे पत्रकार मित्र, जिन्होंने पेशेवर पत्रकारिता को अपनाया है, लोकतंत्र की रक्षा करने और उसे सुदृढ़ करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति पूरी तरह सजग

हैं। मुझे विश्वास है कि वे सत्य और न्याय की मशाल को सदैव रोशन रखेंगे। मैं उन सबकी सफलता की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि वे अपने मनपसंद पेशे में उत्कृष्टता के और ऊंचे मानदंड स्थापित करेंगे।

शिवसत्ता के प्रबंधन ने मुझे शिवसत्ता पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके लिए मैं एक बार फिर उनका धन्यवाद करता हूं।

धन्यवाद।

17

आतंकवाद—सभ्य समाज और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए खतरा*

मैं इस संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस संगोष्ठी का विषय समसामयिक सरोकारों के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। अत: यह उचित ही है कि पीठासीन अधिकारी इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श कर रहे हैं ताकि इस समस्या का समाधान करने में जन-प्रतिनिधियों की भूमिका और उत्तरदायित्व के संबंध में उचित दृष्टिकोण विकसित किया जा सके।

इस वर्ष के दौरान इस विषय को असाधारण महत्व मिला है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की स्थायी समिति ने इस विषय का चयन इसलिए किया है क्योंकि हमारे विचार से जन प्रतिनिधि देश में आतंकवाद पर रोक लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अध्यक्षगण भी सभा में चर्चाओं के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए हमने सोचा कि इस संगोष्ठी में इस विषय पर चर्चा अवश्य की जानी चाहिए। आतंकवाद किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के लिए ही नहीं बल्कि सभ्यता के लिए भी एक खतरा बन गया है। विश्व की सहस्राब्दियों में विकसित समूची सभ्यता खतरे में है। इसलिए, आतंकवाद के संकट पर चर्चा किए बगैर कर्नाटक का सम्मेलन पूरा नहीं होता। यह वस्तुत: हमारे लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है। आतंकवादी, चर्चाओं और विचार-विमर्श के माध्यम से मुद्दों का समाधान नहीं चाहते। वे इन्हें चाकू की नोक पर या बन्दूक से हल करना चाहते हैं। हम इस मुद्दे पर आज इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम सभी लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं। हम चर्चा में विश्वास करते हैं, हम एक-दूसरे को समझने में विश्वास करते हैं। हम समस्याओं का समाधान धमकी और आतंकवाद के माध्यम से करने में विश्वास नहीं रखते। इसीलिए, यह मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया है। विश्व ने अब तक अनेक युद्ध, बीमारियां, मृत्यु और विनाश की पीड़ाएं झेली हैं, मानवता के लिए यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद पनपा है वह वास्तव में चिन्ताजनक है। यदि यह मात्र व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों के विरुद्ध होता तो बात कुछ अलग होती।

संपूर्ण विश्व में यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि आतंकवाद आधुनिक युग में सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। वर्तमान परिदृश्य में, आतंकवादियों के हमले मानवजाति के

---

* भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 65वें सम्मेलन के पश्चात् "आतंकवाद—सभ्य समाज और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए खतरा" विषय पर आयोजित संगोष्ठी में, बंगलौर (22 जून, 2002)

लिए युद्ध से भी कहीं अधिक घातक हो सकते हैं। युद्ध अनुशासित सेनाओं द्वारा लड़े जाते हैं जो ऐसी परिस्थितियों को शासित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों को उचित सम्मान देते हैं जबकि आतंकवादी सभ्य समाज के साथ जिस क्रूरता से पेश आते हैं, उसके बारे में उन्हें कोई पश्चाताप नहीं होता। इस संदर्भ में 1993 में देश की वाणिज्यिक राजधानी मुम्बई में हुए बम विस्फोट एक ज्वलंत उदाहरण थे। यह स्पष्टत: एक आतंकवाद की घटना थी जिसके परिणामस्वरूप लगभग 235 लोग मार दिए गए और हजारों निर्दोष नागरिक घायल हुए तथा इसके साथ ही सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान भी हुआ। आतंकवाद से लोगों के मन में जो भय उत्पन्न हुआ, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता किंतु यह सभ्य जनजीवन के सामाजिक ताने-बाने के लिए भी हानिकारक है। खेद है कि हालांकि हम इस मामले को विभिन्न मंचों पर उठाते रहे हैं, विश्व ने इस ओर तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक वह स्वयं इससे प्रभावित नहीं हुआ।

इन शताब्दियों के दौरान मानवजाति ने समय-समय पर युद्ध, बीमारी, मृत्यु और विनाश जैसे विभिन्न संकटों की पीड़ा झेली है लेकिन उसने उनका सफलतापूर्वक सामना किया है। पिछले 50 वर्षों में, विश्व ऐसे अनेक नाजुक दौर और प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरा है जिनसे कई बार ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने हमें पूर्ण विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है। परन्तु शक्ति-गुटों के ध्वस्त हो जाने और परिणामत: उस शीत युद्ध के समाप्त हो जाने से जिसने संसार को बहुत लंबे समय तक भयातंक में जकड़ रखा था, स्थिति में आशा का संचार हुआ है और मानव-जाति में एक सुखद और सदभावपूर्ण 21वीं शताब्दी की कामना जगी ताकि नई सहस्राब्दि में स्थिरता और सुरक्षा की आशा के साथ नई शुरुआत की जा सके।

इस आशा का एक और सकारात्मक आधार था। पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट शासन समाप्त होने के पश्चात् इनमें से अधिकांश गणराज्यों ने लोकतांत्रिक प्रणाली अपनायी थी। इस घटनाक्रम से पूरे विश्व में लोकतांत्रिक आंदोलन को अत्यधिक बल मिला। इन देशों द्वारा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाये जाने से संवैधानिक उपायों के द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के अलग-अलग विरोधाभासी दावों का निपटान तथा शिकायतों का निवारण करने की सक्षम प्रणाली के रूप में लोकतंत्र की वैधता को काफी मान्यता मिली है।

तथापि, जिस भयावह रूप में आतंकवाद रूपी दानव अपना सिर उठाने लगा, उससे सारी आशाओं पर पानी फिर गया क्योंकि अब यह पहले की तुलना में कहीं अधिक विनाशकारी हो सकता है। धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा पोषित इस नए तरह के आतंकवाद को दुर्भाग्यवश कुछ राष्ट्रों ने अपनी विदेश नीति के अंग के रूप में अपनाकर संस्थागत रूप दे दिया है। इस तरह का आतंकवाद आज स्वतंत्र विश्व में सभ्य समाज तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के अस्तित्व के लिए ही गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा है। तालिबान शासन के अंतर्गत अफगानिस्तान के अनुभव से यह बात प्रमाणित होती है। नागरिक अधिकारों का दमन, लोकतांत्रिक संस्थाओं को समाप्त करना, कट्टरपंथी जीवन शैली आरोपित करना और बामियान बुद्ध की मूर्ति का ध्वंस धर्म प्रेरित उस आतंकवाद के खतरनाक प्रभाव को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है जिसे सीमा पार से सक्रिय सरकारी समर्थन, सहायता और बढ़ावा दिया जाता है।

पहले जब आतंकवाद को किसी सरकार का समर्थन प्राप्त नहीं था, तब इसकी विनाशकारी क्षमता सीमित थी क्योंकि तब यह संघर्ष राज्य व्यवस्था के विरुद्ध हुआ करता था। उन दिनों ऐसे आतंकवादी ही इस कार्य में लिप्त थे जिनका लक्ष्य राजनैतिक व्यवस्था होती थी न कि सामाजिक व्यवस्था जैसा कि वर्तमान परिदृश्य में हो रहा है।

तथापि, 20वीं सदी के अंतिम 25 वर्षों में धार्मिक कट्टरवाद तथा कुछ देशों में सरकार के समर्थन से जिस व्यापक रूप से आतंकवाद पनपा, उससे इस बुराई का स्वरूप ही बदल गया जिसके कारण आज यह मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। एक समय था जब महाशक्तियों के बीच परमाणु युद्ध के खतरे से सभ्यता के संपूर्ण विनाश की भयावह छाया मंडराया करती थी। अंततः मानवता पर मंडरा रहा यह खतरा टला और विश्व ने एक बार फिर राहत की सांस ली। परन्तु आज दुनिया इस बात को समझ रही है कि एक नए किस्म के आतंकवाद का खतरा मंडरा रहा है जो मानवजाति के लिए उससे कम खतरनाक नहीं है।

शासन व्यवस्थाओं की आतंकवाद के साथ संलिप्तता से आतंकवादी संगठनों के लिए अत्याधुनिक हथियारों, उन्नत संचार तंत्र तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी हासिल करना संभव हो गया है जिससे वे उन राज्य व्यवस्थाओं तथा सभ्य समाज को गहरा आघात पहुंचा सकता है जिनके विरुद्ध ये संगठन लड़ रहे हैं। वस्तुतः आज सरकार के समर्थन से आतंकवाद के खतरे में परमाणु आयाम भी जुड़ गया है और अक्सर स्वतंत्र विश्व और इसकी लोकतांत्रिक संस्थाएं ही आतंकवादी हमलों को झेलती हैं, जैसे पिछले साल आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर विधान सभा भवन तथा संसद भवन पर कायराना हमले किए गए थे। मेरे विचार से यह हमला मात्र हमारी संसद पर नहीं था बल्कि हमारे लोकतंत्र पर था। यह बहुत ही गंभीर घटना थी जिसने पूरे देश को हिला दिया था। हमले के समय सभी ने सोचा कि इसका प्रभाव देश की जनता के दिलो-दिमाग पर पड़ेगा और वह झुक जाएगी किंतु ऐसा नहीं हुआ। संसद पर हमले के अगले ही दिन लोक सभा ने एक संकल्प पारित किया जिसमें यह कहा गया था कि: ''यह सभा संसद भवन पर हुए कायराना आतंकवादी हमले की निंदा करती है.... ऐसे हमले से आतंकवाद की बुराई से लड़ने के लिए हमारा निश्चय और भी दृढ़ हो जाता है। आओ, हम सभी देश की सम्प्रभुता और अखंडता की हर कीमत पर रक्षा करने के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करें।''

आतंकवादी ऐसे हमले करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट कर देना चाहते हैं तथा स्वतंत्र विश्व के लोकप्रिय आधार को कमजोर बना देना चाहते हैं। पश्चिमी देशों के उदारवादी दृष्टिकोण वाले राष्ट्रों के वातावरण से अनजाने में ऐसे संगठनों को पनपने के लिए स्थान मिल गया। इस विश्वास से संतुष्ट होकर कि हमलों के लक्ष्य कहीं और हैं, पश्चिमी देशों ने उनके पनपने की पूरी तरह अनदेखी कर दी। विध्वंसकारी संगठनों के प्रति पश्चिम के लोकतांत्रिक देशों की उदार राज्य नीति के लिए यह सबसे विनाशकारी सिद्ध हुआ। भारत जैसे देश, जो ऐसे संगठनों की गतिविधियों से अत्यधिक पीड़ित रहे हैं, ऐसे संगठनों के प्रति शेष विश्व और विशेषकर पश्चिम के देशों के इस रवैये का मुद्दा प्रायः उठाते रहे हैं। भारत इस संकट से लड़ने के लिए विश्व जनमत बनाने में हमेशा अग्रणी रहा है। हमने

संयुक्त राष्ट्र में संकल्प रखे और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सी.पी.ए.) और अंतर संसदीय संघ (आई.पी.यू.) सम्मेलनों में इस मुद्दे को उठाते हुए विश्व से आग्रह किया कि आतंकवाद के विरुद्ध समन्वित युद्ध छेड़ा जाए, क्योंकि यह राष्ट्रों की सीमाओं में भेदभाव नहीं करता और सभी को प्रभावित करता है। ऐसे संगठनों और ऐसी गतिविधियों के विरुद्ध हमारा हमेशा दृढ़ मत रहा है क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में हम पीड़ित हुए हैं और इसलिए भी कि आतंकवाद से हर जगह विकास की प्रक्रिया में बाधा पड़ती है।

दुर्भाग्य से ऐसे विरोधों को तब तक गंभीरता से नहीं लिया गया, जब तक न्यूयार्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की अकल्पनीय तबाही और वाशिंगटन डीसी में पेंटागन हमले के रूप में पश्चिमी देश स्वयं आतकंवादी संगठनों के गंभीर हमलों का शिकार नहीं बन गए। इन घटनाओं ने विश्व को दिखा दिया कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और अत्याधुनिक हथियारों जिनमें रासायनिक, जैव अथवा परमाणु हथियारों तक का खतरा भी शामिल है, की सहायता से आतंकवादियों और उनके सहयोगियों की क्षमता तथा उनकी पहुंच कहां तक हो सकती है।

अब विश्व में तथा अमरीका और ब्रिटेन जैसे देशों में आतंकवाद के बारे में गंभीरता से बातें की जा रही हैं। विश्व राष्ट्र-प्रायोजित आतंकवाद और आतंकवादियों के समर्थकों द्वारा खड़े किए जा रहे खतरों के प्रति सजग हो रहा है। आतंकवादियों के विरुद्ध पूरी ताकत से लड़ाई छेड़ दी गई है। परन्तु, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस लड़ाई में भी इस समस्या की ओर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया है और आज आतंकवाद के नए आयामों ने सभ्य समाज के विरुद्ध युद्ध का रूप ले लिया है। आतंकवाद लोकतांत्रिक देशों के आधारभूत स्तंभों पर आघात पहुंचाना चाहता है क्योंकि उसकी योजना में लोकतंत्र का कोई स्थान नहीं है। वस्तुतः, आतंकवादी लोकतंत्र के इस उदारवादी स्वरूप का ही लाभ उठाते हुए इस व्यवस्था को नष्ट करने में लगे हैं। किसी अन्य राजनीतिक प्रणाली की तुलना में लोकतांत्रिक व्यवस्था ही समाज के विभिन्न वर्गों की शिकायतों को दूर करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त व्यवस्था है। साथ ही एक जिम्मेदार विधानमण्डल, उत्तरदायी कार्यपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रचार माध्यम, जागरूक सिविल अधिकार समूह, प्रतिनिधिक निकायों के लिए होने वाले आवधिक चुनाव आदि वास्तविक शिकायतों को दूर करने में सहायक होते हैं। परन्तु जब आतंकवादियों ने स्वतंत्रता के उस आधार, जिसका प्रतीक उदार लोकतंत्र और उसकी संस्थाएं हैं, पर ही प्रहार किया, तो वस्तुतः यह न केवल हमारे प्रिय आदर्शों के लिए अपितु समस्त सभ्यता के लिए भी एक गंभीर खतरा बन गया है। ऐसी स्थिति में देश का साधारण कानून इस समस्या से निपटने के लिए अपर्याप्त है और स्वाभाविक रूप से इस समस्या से निपटने के लिए कठोर उपायों की आवश्यकता है।

यहां यह ध्यान देना समीचीन है कि जहां कुछ देश दृढ़ निश्चय के साथ आतंकवाद के विरुद्ध भयंकर लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं मानवाधिकारों के उल्लंघन के नाम पर चीख-पुकार शुरू हो जाती है और कहा जाता है कि आतंकवादियों से भी अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी खराब बात यह है कि जो देश आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं उनके साथ कठोरता से नहीं निपटा

जाता है, बल्कि उन्हें हथियार और वित्तीय सहायता आदि मिलती रहती है। ऐसा नरम रवैया होने से उनका साहस और बढ़ता है और वे लोकतांत्रिक देशों में भय का वातावरण पैदा करने की अपनी योजना को आगे बढ़ाते जाते हैं। कुछ लोग गलती से ऐसा समझते हैं कि किसी राष्ट्र की शक्ति और स्थिरता का मापक दूसरे राष्ट्र में अव्यवस्था और अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न करने की उनकी योग्यता है। सीमा पार आतंकवाद का जन्म यहीं से हुआ है। सीमा पार आतंकवाद पर नियंत्रण पाने के लिए ऐसी गलतफहमी को दूर किया जाना चाहिए।

आज विश्व का कोई भी भाग आतंकवाद से अछूता नहीं है। विश्व के अनेक भागों में आतंकवाद अनेक रूपों में प्रकट हुआ है। किंतु इसके परिणामस्वरूप जो हिंसा होती है वह सभ्य समाज और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विरुद्ध एक प्रकार के युद्ध से कम नहीं है और यह युद्ध तब तक सफलतापूर्वक नहीं लड़ा जा सकता जब तक कि नई सोच विकसित नहीं होती है क्योंकि यह युद्ध अनुशासित सेनाओं द्वारा नहीं बल्कि कायरों के गुटों द्वारा लड़ा जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल के समय में हुए अधिकांश आतंकवादी हमलों का उद्‌भव हमारे पड़ोसी देश में हुआ है। वहां से आतंकवादी आश्चर्यजनक रूप से बड़ी आसानी से राष्ट्रीय सीमाएं पार कर जाते हैं। इस प्रकार आतंकवाद ने सीमा पार से राज्य के समर्थन से चलने वाले आतंकवाद का रूप ले लिया है और निर्दोष लोगों की हत्याएं करना आतंकवादी रणनीति का एक हिस्सा बन गया है और आतंकवादी हिंसा का तांडव अक्सर देखने में आ रहा है। हमारे देश में, गत दो दशकों में आतंकवादी हिंसा में लगभग साठ हजार निर्दोष नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। आजादी के बाद पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हमें करने पड़े और उन युद्धों में हमारे जो लोग मारे गए, यह संख्या उनसे कहीं अधिक है। इससे यह बात भली-भांति स्पष्ट हो जाती है कि आतंकवाद का अभिशाप लोकतंत्र पर किस तरह प्रहार कर रहा है।

इससे अधिक शोचनीय बात यह है कि जब भी भारत शांति की पहल करता है, जब भी हम महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं इसे पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादी हिंसा के माध्यम से अवरुद्ध करने का प्रस्ताव किया जाता है। इसी तरह, जब भी विश्व का कोई बड़ा नेता भारत दौरे पर आता है, तो उनके इन दौरों का स्वागत महिलाओं और बच्चों सहित निरपराध लोगों पर आतंकवादी हमले करके किया जाता है। कालूचक में हुआ हमला जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित 33 लोग मारे गए, आतंकवादी संगठनों द्वारा बरपायी गयी मृत्यु और विनाश की दिशा में उठाया गया एक और कदम है। इसी तरह, अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब मार्च, 2000 में भारत के दौरे पर आए, कश्मीर में छित्तीसिंगपुरा में आतंकवादियों द्वारा 30 से अधिक निर्दोष सिखों की हत्या कर दी गई थी। चूंकि जम्मू और कश्मीर विधान सभा के चुनाव होने वाले हैं, हमें आतंकवादी हिंसा का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि आतंकवादी और उनके सहयोगी उस चुनावी प्रक्रिया, जो किसी लोकतंत्र का एक अनिवार्य पहलू है, में बाधा डालने के लिए कृतसंकल्प हैं।

इसलिए, इस समस्या के प्रति हमारी प्रतिक्रिया मजबूत और कठोर होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में सभ्य समाज को सहभागी बनाया जाना चाहिए। यह कानून

एवं व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि यह वैश्विक प्रकृति की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक आयामों वाली समस्या है। लोगों को शिक्षित किए जाने और जनमत तैयार किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में निर्वाचित प्रतिनिधियों और संचार माध्यमों को जनमत तैयार करने और तदनुकूल अनुक्रिया उत्पन्न करने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। जैसाकि मैंने कहां, आतंकवाद के विरुद्ध इस संघर्ष में विशेषकर निर्वाचित प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे संसदविद विभिन्न मंचों पर आतंकवाद के संकट के विरुद्ध सक्रिय अभियान चलाते रहे हैं। वस्तुत: मराकेश में आयोजित पिछले अंतरसंसदीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कराने के लिए सफलतापूर्वक अभियान चलाया। हमारे संसद भवन तथा जम्मू और कश्मीर राज्य विधान सभा पर हुए हमले के बाद पहली बार हम पीठासीन अधिकारियों की यह बैठक हो रही है। यह उचित होगा कि हम सर्वसम्मति से उसी प्रकार एक संकल्प पारित करें जिस प्रकार जम्मू-कश्मीर विधान सभा पर हमले के समय और 14 दिसम्बर, 2001 को लोक सभा ने संकल्प पारित किया था जिसमें हमारी संसद पर आतंकवादी हमले की निंदा की गई थी और जो किसी भी बात से अधिक हमारी जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के साथ-साथ भारतीय लोकतंत्र का सार माना गया है।

मित्रो, मैं आशा करता हूं कि इस संगोष्ठी में हुए विचार-विमर्श से आतंकवाद की समस्या को एक नई दृष्टि से देखने और इसके दानवी षडयंत्रों का एक परिपक्व जवाब देने में सहायता मिलेगी। किन्तु चर्चा यहीं समाप्त नहीं हो जानी चाहिए। प्रस्ताव पारित कर देना ही पर्याप्त नहीं है। हमारे देश की जनता यह महसूस करती है कि आतंकवादियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। हम सब जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उनकी ओर से यह संदेश जाना चाहिए। हमें इस महाविपत्ति के समूल विनाश के लिए राष्ट्र के संकल्प को सुदृढ़ करने हेतु इसे जनता तक ले जाना चाहिए। इस प्रकार हम जनप्रतिनिधियों के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे।

मैं संगोष्ठी का उद्घाटन करने हेतु सहमति देने के लिए कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री, श्री एस.एम. कृष्णा को धन्यवाद देता हूं। मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कर्नाटक सरकार, कर्नाटक विधानमण्डल के पीठासीन अधिकारियों और कर्नाटक विधानमण्डल सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन करने में उनके सहयोग के लिए भी धन्यवाद देता हूं।

धन्यवाद।

18

राष्ट्र और लोकतंत्र के लिए शहीद*

हम आज यहां एक अत्यंत गंभीर अवसर पर एकत्रित हुए हैं। पिछले वर्ष आज ही के दिन हमारी संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। मैं यह कहना चाहूंगा कि वह हमारे राष्ट्रीय और संसदीय जीवन का सबसे दुखद दिन था। हमारी संसद पर हमला न केवल हमारे लोकतंत्र पर हमला था बल्कि विश्व भर में लोकतंत्र के सिद्धांतों और आदर्शों के ऊपर भी हमला था। इसलिए यह सही रहा कि संपूर्ण विश्व में राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों तथा आम जनता, सभी के द्वारा इस हमले की निन्दा की गयी।

हम सब के लिए यह गौरव की बात है कि संसद भवन पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बहादुरी से न केवल देश के तत्कालीन माननीय उपराष्ट्रपति, केन्द्रीय मंत्रियों, दोनों सदनों के माननीय सदस्यों सहित सभा भवन में घिरे हुए सभी लोगों के जीवन की रक्षा की बल्कि इस संस्थान की गरिमा की रक्षा करने के साथ-साथ इस भव्य इमारत की भी रक्षा की। उनमें से कुछ लोगों ने अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करते हुए लोकतंत्र की बलिवेदी पर अपने प्राणों की भी आहुति दे दी। इस अवसर पर हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने इस हमले में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया।

यह बिल्कुल सही है कि संसदीय सचिवालय के कर्मचारियों तथा सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को समुचित ढंग से स्वीकारा तथा माना गया है और इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र अथवा कीर्ति चक्र प्रदान करके सम्मानित किया गया।

जैसाकि आपको मालूम है कि संसद पर आतंकवादी हमले के तुरंत बाद, तत्कालीन अध्यक्ष, माननीय श्री जी.एम.सी. बालयोगी ने उन मृतकों के परिवारों तथा घायलों के कल्याण के लिए कतिपय निर्णय लिए थे, जिन्होंने कार्रवाई के दौरान साहस और निष्ठा के साथ अपना कर्त्तव्य निभाया था। इस कार्यवाही के दौरान जिन नौ व्यक्तियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनके आश्रितों को 10 लाख रु. प्रति व्यक्ति के हिसाब से वित्तीय राहत दी गई तथा हमले में घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को भी एक लाख रु. की राशि दी गई थी।

उस दिन ड्यूटी पर तैनात सभी सुरक्षाकर्मियों को प्रशस्ति-पत्र जारी किए गए। इस कार्रवाई में सक्रिय भूमिका निभाने वाले दस सुरक्षा कर्मियों में से प्रत्येक को आज 50,000 रु. का नकद पुरस्कार दिया जा रहा है।

* भारत की संसद पर हुए आतंकवादी हमले की पहली बरसी पर, नई दिल्ली (13 दिसम्बर 2002)

मैं यहां पर दोनों सदनों के माननीय सदस्यों और राज्य सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा उदारतापूर्वक दी गयी सहायता राशि का भी उल्लेख करना चाहता हूं जो प्रत्येक मृतक के परिवार के लिए 1 लाख रु. से अधिक बैठती है।

जैसा कि आप जानते हैं, शोकसंतप्त परिवारों के सदस्यों को सम्मानजनक जीवन जीने के योग्य बनाने हेतु एक बार सहायता प्रदान किया जाना पर्याप्त नहीं है। अत: यह वांछनीय है कि उनके लिए नियमित आय के स्रोत की व्यवस्था की जाए। यह बड़े संतोष की बात है कि जिन बहादुर शहीदों ने राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनके परिवारों के सदस्यों को सरकार ने बहुत सोच विचार कर पेट्रोल पंप आवंटित करने का निर्णय लिया है।

इस समारोह में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति श्री भैरो सिंह शेखावत द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों (रिटेल आउटलेट) के लिए आशय पत्र शहीदों के निकटतम संबंधियों को सौंपा जाएगा। मैं इस अवसर पर माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, श्री राम नाईक जी को शहीदों के परिवारजनों के लिए रिटेल आउटलेट स्वीकृत करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं कहना चाहूंगा कि संसद परिसर की सुरक्षा सभी संबंधित व्यक्तियों-सुरक्षा एजेंसियों, संसद के वाच एंड वार्ड स्टाफ तथा संसद के सचिवालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस प्रयास में माननीय सदस्यों का सहयोग भी महत्वपूर्ण है। हमें सदैव सजग और सतर्क रहना चाहिए।

धन्यवाद।

श्री मनोहर जोशी 10 मई 2002 को लोक सभा अध्यक्ष
का पद ग्रहण करने के तुरंत पश्चात्

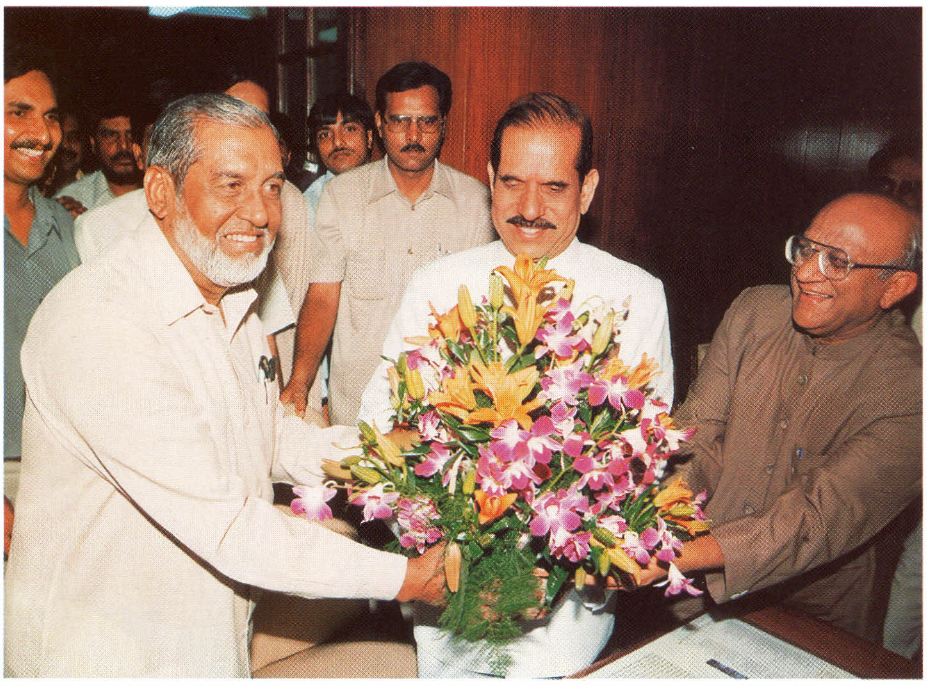

अध्यक्ष के रूप में अपने निर्वाचन के तुरंत पश्चात् लोक सभा के उपाध्यक्ष श्री पी.एम. सईद तथा लोक सभा के महासचिव श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा के साथ

अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात्
अपने परिवार के सदस्यों के साथ

17 फरवरी 2003 को राष्ट्रपति की शोभा यात्रा में

भारत की संसद की स्वर्ण जयंती के अवसर पर 22 जनवरी 2003
को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर
पर राष्टपति की शोभा यात्रा में

भारत की संसद के पचास वर्ष पूरे होने के अवसर पर
आयोजित समारोह में, नई दिल्ली, 13 मई 2002

भारत की संसद के पचास वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह
में *भारत की संसद के पचास वर्ष* नामक पुस्तक का विमोचन
करते हुए, नई दिल्ली, 13 मई 2002

डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण के समारोह में, केन्द्रीय कक्ष, संसद भवन, 25 जुलाई 2003; चित्र में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.एन. किरपाल, निवर्तमान राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन, डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तथा भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति, श्री कृष्ण कांत भी दिखाई दे रहे हैं

भारत की संसद की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर, केन्द्रीय कक्ष, संसद भवन, 22 जनवरी 2003

भारत की संसद की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए, संसदीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 22 जनवरी 2003

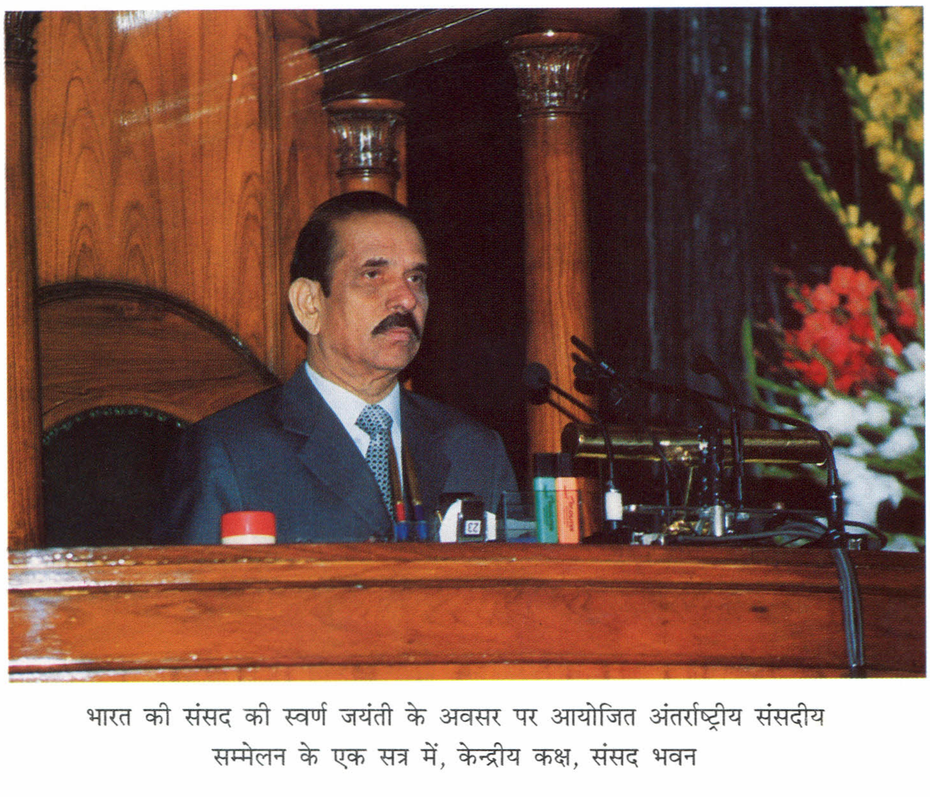

भारत की संसद की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन के एक सत्र में, केन्द्रीय कक्ष, संसद भवन

भारत की संसद की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन के समापन समारोह में, केन्द्रीय कक्ष, संसद भवन, 24 जनवरी 2003

श्री जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर,
संसद भवन, 3 जुलाई 2002

श्री सी.एन. अन्नादुरै की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर,
संसद भवन, 1 अक्तूबर 2002

लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर,
संसद भवन, 1 अक्तूबर 2002

श्री पसुम्पोन मुत्तुरामालिंगा तेवर की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर,
संसद भवन, 1 अक्तूबर 2002

श्री एस. सत्यमूर्ति की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर,
संसद भवन, 1 अक्तूबर 2002

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर के चित्र के अनावरण के अवसर पर,
संसद भवन, 26 फरवरी 2003

छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर,
संसद भवन, 28 अप्रैल 2003

छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अनावरण के पश्चात् उनके जीवनवृत्त संबंधी पुस्तिका के विमोचन अवसर पर, 28 अप्रैल 2003

महात्मा बसवेश्वरा की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर, संसद भवन, 28 अप्रैल 2003

महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर,
संसद भवन, 21 अगस्त 2003

शहीद हेमू कालाणी की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर,
संसद भवन, 21 अगस्त 2003

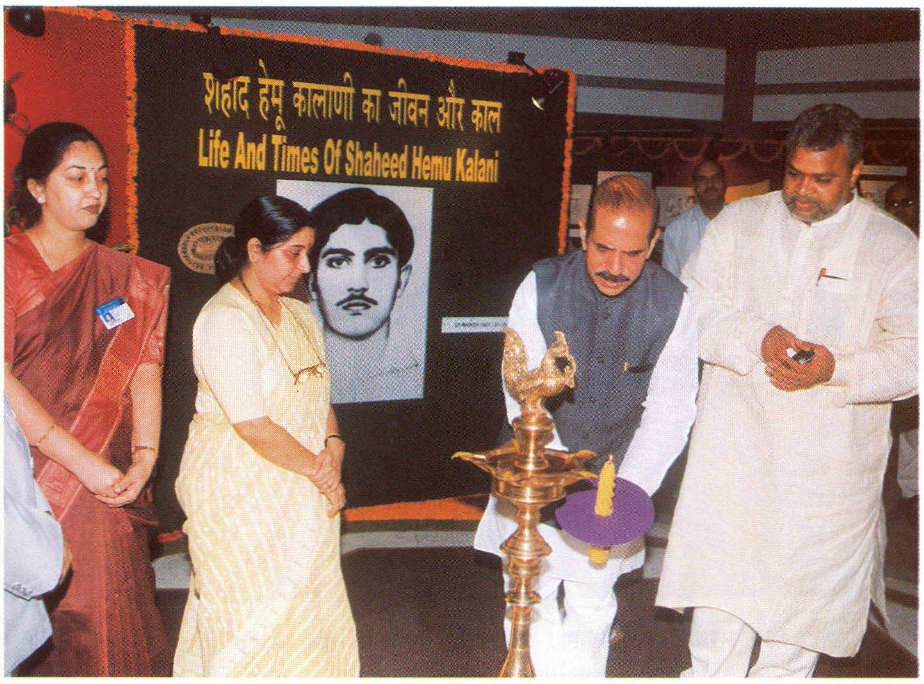

शहीद हेमू कालाणी का जीवन और काल शीर्षक से आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन
करते हुए, संसदीय ज्ञानपीठ, 21 अगस्त 2003

श्री बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय, काजी नजरूल इस्लाम, बाबा खड़क सिंह, डा. के.एम. मुंशी, डा. बी. पट्टाभि सितारमैया पंतुलु और मास्टर तारा सिंह के चित्रों के अनावरण के अवसर पर, संसद भवन, 21 अगस्त 2003

चौधरी देवी लाल की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर,
संसद भवन, 25 सितम्बर 2003

महात्मा ज्योतिराव फुले की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर,
संसद भवन, 3 दिसम्बर 2003

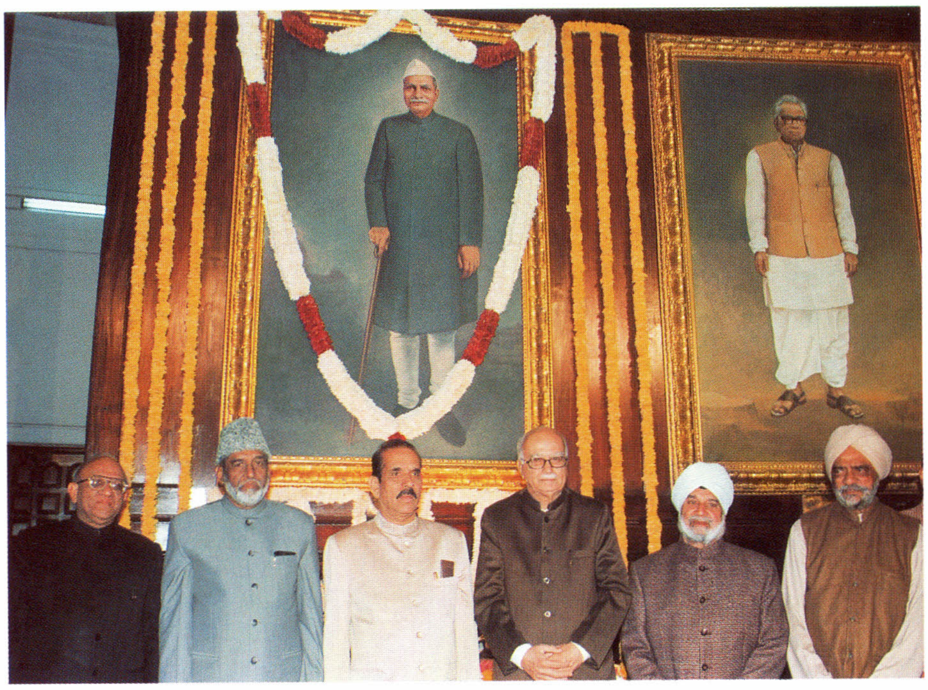

डा. राजेन्द्र प्रसाद की वर्षगांठ पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात्,
केन्द्रीय कक्ष, संसद भवन, 3 दिसम्बर 2002

सरदार वल्लभभाई पटेल की वर्षगांठ पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए,
केन्द्रीय कक्ष, संसद भवन, 31 अक्तूबर 2002

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की वर्षगांठ पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए,
केन्द्रीय कक्ष, संसद भवन, 23 जुलाई 2003

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की वर्षगांठ पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात्,
केन्द्रीय कक्ष, संसद भवन, 9 मई 2003

श्रीमती इंदिरा गांधी की वर्षगांठ पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात्,
केन्द्रीय कक्ष, संसद भवन, 19 नवम्बर 2002

पूर्व लोक सभा अध्यक्ष, श्री जी.एम.सी. बालयोगी की प्रथम पुण्य तिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, संसदीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 3 मार्च 2003

संसद भवन पर आतंकवादी हमले की पहली बरसी पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, 13 दिसम्बर 2002

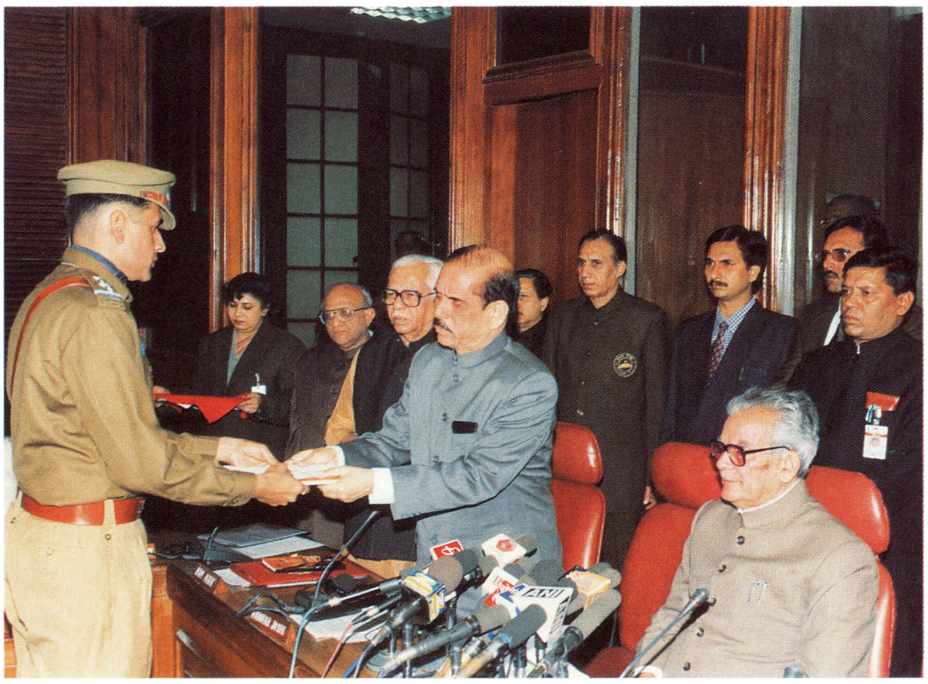

13 दिसम्बर 2001 को संसद भवन पर हमला करने वाले आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले सुरक्षा कर्मियों को नकद पुरस्कार वितरित करते हुए

भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 66वें सम्मेलन में भाषण देते हुए, मुम्बई, 3 फरवरी 2003

संसद और राज्य विधानमंडलों की प्राक्कलन समितियों के सभापतियों
के सम्मेलन में, नई दिल्ली, 14 दिसम्बर 2002

संसद और राज्य विधानमंडलों की याचिका समितियों के सभापतियों के सम्मेलन
में भाषण देते हुए, नई दिल्ली, 16 नवम्बर 2002

संसद और राज्य विधानमंडलों की याचिका समितियों के सभापतियों के सम्मेलन में प्रतिनिधियों के साथ, संसदीय सौध, नई दिल्ली, 16 नवम्बर 2002

एच आई वी/एड्स के बारे में निर्वाचित प्रतिनिधियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर, विज्ञान भवन, नई दिल्ली, 26 जुलाई 2003

''प्रेस की स्वतंत्रता और सदस्यों के विशेषाधिकार'' विषय पर राष्ट्रीय विचारगोष्ठी के उद्घाटन अवसर पर, भुवनेश्वर, 30 नवम्बर 2002

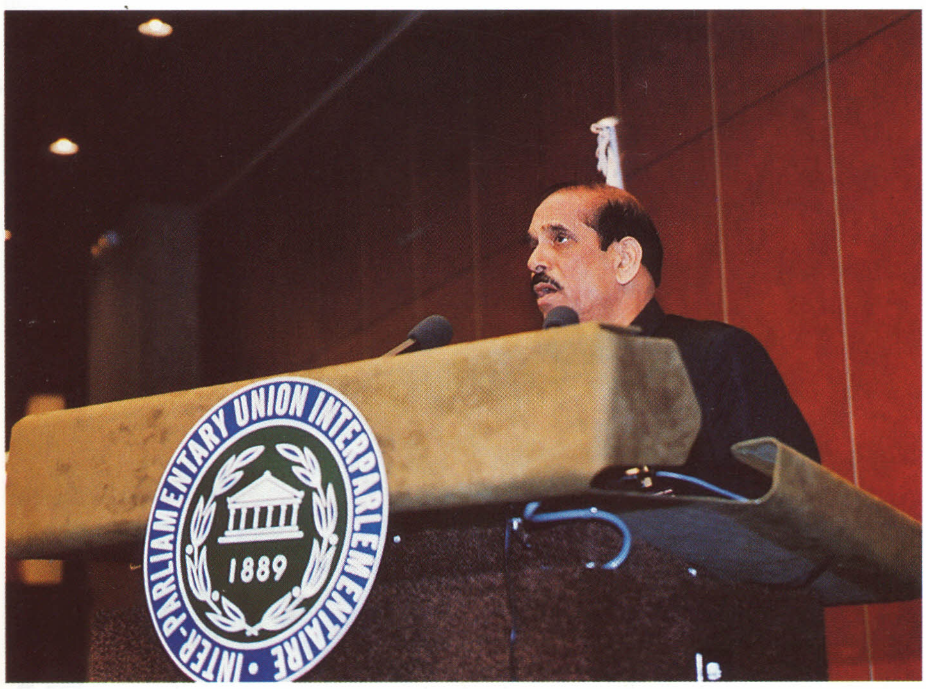

'विकास हेतु वित्तपोषण' विषय पर अंतर-संसदीय संघ के विशेष अधिवेशन में भाषण देते हुए, जेनेवा, 26 सितम्बर 2002

उनचासवें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाषण देते हुए,
ढाका, बांग्लादेश, अक्तूबर 2003

चौदहवीं राष्ट्रमंडल संसदीय विचारगोष्ठी के अवसर पर, हैदराबाद, 22 जनवरी 2003; चित्र में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री एन. चन्द्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश विधान सभा की अध्यक्ष, श्रीमती के. प्रतिभा भारती भी दिखाई दे रही हैं

दो

विकासात्मक संदर्श

19

विकास हेतु वित्तपोषण*

सर्वप्रथम, मैं समसामयिक सार्वभौमिक सरोकार ''विकास हेतु वित्तपोषण'' विषय पर विशेष सत्र का आयोजन करने के लिए अंतर-संसदीय संघ को बधाई देता हूं। इस रिपोर्ट का संकलन कर एक अच्छा काम करने वाले तीनों संकलनकर्त्ताओं को भी मैं बधाई देता हूं।

विकास हेतु विश्व के समस्त देशों, विशेषत: सबसे कम विकसित देशों के वित्तपोषण की चुनौती वस्तुत: विशाल कार्य है। आप जानते ही हैं कि 1980 के दशक का तत्संबंधी 'उत्तर-दक्षिण संवाद' विफल हो गया था। संयुक्त राष्ट्र ने सहस्राब्दि विकास लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिनके तहत गरीबी में 50 प्रतिशत की कमी लाने के लिए 2015 तक प्रतिवर्ष 50 बिलियन अमरीकी डालर की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। इतने बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाना वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

उस समय आशा की एक किरण दिखाई दी जब इस वर्ष मार्च में मैक्सिको स्थित मांटेरी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व के सभी विकसित और विकासशील देश एक मंच पर आए। इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप मांटेरी सहमति के नाम से एक दस्तावेज सामने आया। हालांकि, इस सम्मेलन के निष्कर्ष हमारी आशाओं से कम रहे, किंतु यह सम्मेलन सही दिशा में उठाया गया कदम था।

राजकीय विकास सहायता, विकास के वित्तपोषण हेतु निधियां उपलब्ध कराने का एक प्रमुख स्रोत है। लगभग 50 वर्ष पूर्व अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यह स्वीकार किया कि सम्पन्न देशों को गरीब देशों के विकास की जिम्मेदारी में भागीदारी करनी चाहिए। इस बात पर सहमति बनी कि विकसित देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का 0.7 प्रतिशत भाग विकासशील देशों के विकास के लिए सहायता के रूप में देंगे। अभी राजकीय विकास सहायता विकसित देशों के सकल घरेलू उत्पाद के मात्र 0.22 प्रतिशत के बराबर ही आ रही है। यदि विकसित देश राजकीय विकास सहायता को दोगुना कर 0.50 प्रतिशत कर दें तो संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों में निर्धारित 50 बिलियन डालर की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं को सहायता वितरण के लिए ''सभी के लिए एक समान'' दृष्टिकोण की अपेक्षा देश-वार विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाना चाहिए क्योंकि विभिन्न देश विकास के अलग-अलग चरणों में हैं।

* ''विकास हेतु वित्तपोषण'' विषय पर अन्तर संसदीय संघ के विशेष सत्र के अवसर पर, जेनेवा (26 सितम्बर 2002)

महात्मा गांधी ने जिस संकल्पना का हमेशा प्रचार किया, जिसे उन्होंने स्वयं अपनाया, के अनुरूप सहायता और समर्थन आवश्यकता आधारित होनी चाहिए।

नई सहस्राब्दि में "भारत का एजेंडा" जनता के सशक्तीकरण और उसे गरिमामय जीवन बिताने के लिए सक्षम बनाना है। आर्थिक प्रगति ही राष्ट्रीय आयोजना का एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता। विकासगत उद्देश्यों को सकल घरेलू उत्पाद या प्रति-व्यक्ति आय में वृद्धि मात्र से नहीं बल्कि मानव की खुशहाली और विकास से मापा जाना चाहिए।

पूरा विश्व एक परिवार है। विकसित देश बड़े भाई की तरह और विकासशील देश छोटे भाई की तरह हैं। बड़ों को छोटों पर अनुग्रह करना चाहिए और उन्हें गरिमापूर्ण ढंग से अपने पैरों पर खड़े होने में सहायता करनी चाहिए। यदि विकसित देश व्यापार और वित्त के क्षेत्र में अपनी आर्थिक नीतियों का इस प्रकार अनुसरण करें जो विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक हो तो इस लक्ष्य को भली-भांति प्राप्त किया जा सकता है। भारत जैसे विकासशील देशों के किसानों को प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायता करने के लिए विकसित देश को, विशेषत: कृषि उत्पादों के क्षेत्र में, राजसहायता प्रणाली को समाप्त करना होगा।

किसी भी देश के विकास के लिए शांति एक पूर्वापेक्षा है। आतंकवाद और सीमा-पार से आतंकवाद शांति भंग करता है और विकास प्रक्रिया को चोट पहुंचाता है। आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को पहचान करके उन्हें अलग-थलग करना होगा। उन्हें विश्व समुदाय से मिलने वाली सहायता से वंचित रखा जाना चाहिए।

मुझे आशा और विश्वास है कि इस विशेष सत्र में स्वीकृत किए जाने वाले प्रस्ताव में हमारे सरोकारों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। जिनेवा सम्मेलन, मांटरी सम्मेलन का अगला कदम होगा। मुझे यह भी आशा है कि अंतर-संसदीय संघ सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति पर सतत् गहन निगरानी रखेगा। निगरानी को सख्त और परिणामोन्मुखी बनाना होगा। इस कार्य के लिए अंतर-संसदीय संघ में एक निगरानी प्रकोष्ठ होना चाहिए। अंतर-संसदीय संघ की संसदों के सदस्यों को समय-समय पर इसकी सफलता की जानकारी दिया जाना भी आवश्यक है।

धन्यवाद।

20

पर्यावरण संरक्षण का सामूहिक उत्तरदायित्व*

भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा ''पर्यावरण संरक्षण का सामूहिक उत्तरदायित्व'' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के अवसर पर आप सब के बीच उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है। अत्यधिक सामयिक महत्व के विषय पर मंत्रालय के अधिकारियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाने की पहल करने के लिए मैं अपने मित्र और केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्री श्री टी.आर. बालू जी को बधाई देता हूं। इस अवसर पर मैं इस संगोष्ठी का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किये जाने के लिए आयोजकों का भी धन्यवाद करता हूं।

मित्रो, जैसाकि मैंने पहले कहा इस संगोष्ठी का विषय, बहुत ही सामयिक है। भारत जैसे विकासशील देशों के मामले में तो यह विशेष रूप से प्रासंगिक है। आप जानते ही हैं कि हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले इस महत्वपूर्ण विषय पर पूरे विश्व में बहस छिड़ी हुई है। संयुक्त राष्ट्र की पहलें, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, पर्यावरण और विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1992 पृथ्वी सम्मेलन और एजेंडा 21 तथा सतत विकास संबंधी विश्व शिखर सम्मेलन—सभी ने पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि औद्योगीकरण की दिशा में काम करने के साथ-साथ हम ऐसी नीतियां और कार्यक्रम बनाएं कि हमारे पर्यावरण की पहले वाली निर्मलता बनी रहे।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शीघ्र ही हमारे देश ने औद्योगिक प्रगति और विकास के कार्यक्रम की बड़े पैमाने पर शुरूआत की। उसी समय से विकास के पथ पर अग्रसर हमारे तेज कदम सकारात्मक परिणाम दिखा रहे हैं और हमारी उपलब्धियों को पूरे विश्व ने माना है। हाल के वर्षों में, उदारीकरण और वैश्वीकरण की सहायता से औद्योगिक क्षेत्र में और अधिक विदेशी निवेश हुआ है। ऐसी स्थिति में, औद्योगीकरण की दौड़ पर सावधानी के साथ विराम लगाए जाने की आवश्यकता है। हमें विश्व के अन्य देशों के अनुभवों से सीखना चाहिए और हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए सावधान रहना चाहिए। पर्यावरणीय ह्रास के कु-प्रभाव इतने स्पष्ट हैं कि इस पहलू पर अच्छी जानकारी रखने वाले आप लोगों को इस बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे जिस बात पर बल देना है वह यह है कि पर्यावरण संरक्षण के संबंध में बढ़ रही जागरूकता के बावजूद हमारे देश में और देश के बाहर हम पर्यावरण को क्षति पहुंचते हुए देख रहे हैं। इस स्थिति में, विश्व के

* पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा ''पर्यावरण संरक्षण का सामूहिक उत्तरदायित्व'' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय विचार गोष्ठी के उद्घाटन अवसर पर, नई दिल्ली (13 मार्च 2003)

नागरिक के तौर पर संसद या सरकार में या कार्पोरेट क्षेत्र में अपनी-अपनी भूमिकाओं में, हम सबका विशिष्ट दायित्व पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने का है।

मित्रो, आपको ज्ञात ही है कि पर्यावरण संरक्षण लम्बे समय से हमारी सरकार की आयोजन प्रक्रिया का सहज घटक रहा है। लगभग एक दशक पूर्व 1992 में सरकार ने 'पालिसी स्टेटमेंट फार अबेटमेन्ट आफ पाल्यूशन' जारी किया था। उस वक्तव्य में इतनी बड़ी समस्या से निपटने के लिए बने कानूनों की सीमाओं को स्पष्ट रूप से बताया गया था। इसी वजह से विकास आयोजना में पर्यावरण से जुड़े सरोकारों और आर्थिक पहलुओं को भी शामिल करने का विशद दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। नीति में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र तथा लघु औद्योगिक इकाइयों के समूह स्थापित करने में, प्रदूषण-शमन उपायों को आधार संरचना के एक आवश्यक घटक के रूप में शामिल किया जाएगा। जहां बड़ी और मंझौली औद्योगिक इकाइयां अपने द्वारा उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण के लिए स्वयं जवाबदेह हैं, वहीं हम, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित लघु औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रणकारी उपायों पर अमल करने में सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे नीतिपत्र में ऐसे लोक मानक बनाने के लिए मानदंडों की पुनरीक्षा का प्रावधान है जिनसे कचरा न्यूनतम करने व वस्तुओं को पुन: ढालकर फिर से इस्तेमाल योग्य बनाने की प्रक्रिया को और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु विशिष्ट सीमाएं निर्धारित की जाएंगी।

पर्यावरण और विकास के बीच के अंतर्संबंध को भी हमारी योजना प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्राकृतिक संसाधनों के अनुचित दोहन को रोकने तथा सभी स्तरों पर इनका कुशलतापूर्वक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए समुचित निधि पर स्पष्ट बल दिया गया है। यही कारण है कि इसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा तथा जैव भंडार, जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए संगत नीतिगत उपाय अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में यह बिल्कुल सही कहा गया है कि यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त अनुभवजन्य साक्ष्य मौजूद है कि पर्यावरण संरक्षण आर्थिक विकास के साथ-साथ चले, क्योंकि कोई भी आर्थिक विकास, जो पर्यावरण को नष्ट करे, वस्तुत: और अधिक गरीबी, बेरोजगारी और बीमारी ही उत्पन्न करता है तथा आर्थिक विकास कहलाने लायक नहीं है। इस दृष्टिकोण पत्र में समीचीन रूप से यह भी उल्लिखित है कि अंतिम विश्लेषण में पर्यावरण प्रबंधन और आर्थिक विकास एक ही कार्य योजना के परस्पर सहायक पक्ष ही हैं। खराब पर्यावरण से विकास में कमी आती है, जबकि अपर्याप्त विकास के परिणामस्वरूप पर्यावरण संरक्षण के संसाधनों का अभाव हो जाता है।

भारत की संसद पर्यावरण-ह्रास बढ़ने से उत्पन्न स्थिति की गंभीरता से पूर्णत: अवगत है। उसने पर्यावरण के संरक्षण तथा निराकरण के उद्देश्य से कई विधान बनाए हैं। इनमें से कुछ हैं—वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972; जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974; वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980; वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981; पर्यावरण (संरक्षण)

अधिनियम, 1986; लोक देयता बीमा अधिनियम, 1991; राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995 और राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम, 1997। पर्यावरण की रक्षा के महत्व के बारे में सचेत भारतीय संसद ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण और वन संबंधी समिति गठित की, जो संसद द्वारा 1989 में बनाई गई पहली तीन विषय संबंधी समितियों में से एक थी। तद्नन्तर, 1993 में पर्यावरण संबंधी योजनाओं, नीतियों, विधानों इत्यादि के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के उद्देश्य से विभागों से संबद्ध एक 45 सदस्यीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति बनाई गई। इस समिति ने अब तक संसद में 87 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं।

हमारी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुरूप कतिपय प्राथमिकता वाले मुद्दों का भी पता लगाया है। अपनी ओर से, हमें स्वच्छ प्रौद्योगिकी संवर्धन करने, उत्सर्जन मानकों को मजबूत करने, आर्थिक प्रोत्साहन शुरू करने तथा निगरानी एवं रिपोर्टिंग प्रणाली को मजबूत करने सहित औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रित करने हेतु कतिपय उपाय करने हैं। हमें अपशिष्ट कम करने तथा इसकी उपयोगिता पर भी जोर देना है।

औद्योगीकरण की प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण संरक्षण को महत्व दिए जाने से हम भली-भांति परिचित हैं तथा विगत कुछ दशकों में पर्यावरण संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु हमने विधान, नीतियां तथा कार्यक्रम बनाए हैं। रियो-डि-जनेरियो में 1992 में हुए 'अर्थ सम्मिट' में स्वीकार किए गए एजेन्डा 21 प्रिंसिपल्स की मूल भावना का इन नीतियों में पहले ही समावेश कर लिया गया है। उदाहरणस्वरूप, एजेन्डा 21 के सामाजिक एवं आर्थिक आयामों के संबंध में भारत, ओजोन कम करने वाले पदार्थो को समाप्त करने वाले मांट्रियल प्रोटोकाल, जैव विविधता पर सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला राष्ट्र हो गया है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा केन्द्रीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री के रूप में मैंने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि पर्यावरण संरक्षण को विकास योजना में उच्च प्राथमिकता दी जाये। इसी चिंता के चलते, जब मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, मैंने "स्वच्छ मुम्बई-हरित मुम्बई" के विचार को जन्म दिया तथा हरित क्रांति के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा रहा। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए भी व्यग्र था कि हमारे उद्योगों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलें तथा उद्योगों को पांच तारा सुविधायें कार्यक्रम के अंतर्गत अपशिष्ट के समुचित संग्रहण, इसके शोधन तथा पुनर्रुपयोग, चक्रवातीय जल के निपटान, ठोस अपशिष्टों के निपटान तथा शोधन तथा कबाड़ियों को भूखंडों के आवंटन द्वारा व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु, एक योजना बनाई गई थी। इस प्रतिबद्धता ने मेरा उस समय भी मार्गनिर्देशन किया जब मैं केन्द्रीय भारी उद्योग मंत्री था।

यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि स्रोत पर अपशिष्टों में कमी करके तथा प्रदूषित संसाधन प्रणालियों के त्वरित तथा प्रभावी उपचार से स्वच्छतर उत्पादन व्यवस्था कायम हो सकेगी। मुझे विश्वास है कि निगमित क्षेत्र इस दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। भोपाल गैस रिसाव आपदा तथा अन्य ऐसी औद्योगिक आपदाओं का उल्लेख मात्र हमारे मन में भय पैदा करने के लिए काफी है। निगमित क्षेत्र अपनी जिम्मेवारी मानकर यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं

न हों। औद्योगिक क्षेत्र इस दायित्व के भागी बनें तथा अपनी उत्पादन प्रक्रिया की योजना इस प्रकार बनायें जिससे पर्यावरण को और ज्यादा क्षति न पहुंचे। बल्कि, यह एक सामाजिक दायित्व है जिसे उन्हें स्वीकार करना चाहिए। उनके लिए यह भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि वे यह सुनिश्चित करें कि परिवहन, भंडारण, शोधन तथा निपटान मानदंडों का कठोरता से अनुपालन किया जाए तथा अपशिष्टों के प्रभावी पुनर्चक्रीकरण उपायों को स्वीकार किया जाए।

मित्रो, भारतीय उद्योगों में संसाधन कुशलता में सुधार लाने की पर्याप्त गुंजाइश है। हमें नियमित रूप से अपनी प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने की आवश्यकता है। अप्रचलित प्रौद्योगिकियों के उपयोग से संसाधनों की बड़े पैमाने पर बर्बादी होती है तथा अपशिष्ट सृजन होता है। हमारा उद्देश्य उत्पादन प्रक्रिया के दौरान अपशिष्टों को न्यूनतम करना होना चाहिए तथा जो भी अपशिष्ट सृजन होता है उसका पुनर्चक्रीकरण किया जाना चाहिए। वस्तुत: ऐसी सभी संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि एक औद्योगिक इकाई द्वारा जनित अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग एक अन्य उत्पाद के लिए कच्चे माल के रूप में किया जा सके। हमारे सामने फ्लाई ऐश का उदाहरण है जिसे सामान्य रूप से औद्योगिक क्षेत्रों में डाल दिया जाता है जबकि ईंट के उत्पादन के लिए इसका उपयोग बहुत कारगर ढंग से किया जा सकता है।

मित्रो, सभी लोग उत्तरोत्तर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आर्थिक विकास अवक्रमित पर्यावरण के कमजोर आधार पर ज्यादा देर तक टिका नहीं रह सकता। पर्यावरण की ओर ध्यान दिए बिना औद्योगिक विकास से गंभीर पर्यावरणीय क्षति हो सकती है जिससे वर्तमान और भावी पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होगी। अत: आप सब इस बात से सहमत होंगे कि सतत विकास के लिए एक ऐसी संकल्पना की आवश्यकता है जिससे आर्थिक विकास की मांगों तथा पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता के बीच संतुलन हो सके। अत: हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि आर्थिक कार्यकुशलता, अंतर-पीढ़ी न्याय नीति, सामाजिक सरोकारों और पर्यावरण संरक्षण के तत्वों का संयोजन किया जाए। पर्यावरण संबंधी सरोकारों को निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं। 27 जनवरी, 1994 की पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ई आई ए) अधिसूचना में अप्रैल, 1997 में किये गये एक संशोधन द्वारा जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण विकासात्मक क्रियाकलापों का आकलन अपेक्षित है। सार्वजनिक सुनवाई प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। इस प्रकार कोई भी महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार, आम सुनवाई की यथोचित प्रक्रिया के बाद ही आरंभ किया जा सकता है। इस संदर्भ में पर्यावरण के संरक्षण के लिए विहित पर्यावरण संबंधी मानदंडों तथा पर्यावरण प्रबंधन आयोजना पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यही बात पर्यावरण संबंधी लेखा परीक्षा पर लागू होनी चाहिए जिसे मुख्य उद्योगों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए और इसका अनुपालन किया जाना चाहिए। केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को इन सभी मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है।

मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि पर्यावरण संरक्षण को मात्र प्रदूषण तथा प्राकृतिक संसाधनों के अवक्रमण की रोकथाम ही नहीं समझना चाहिए बल्कि इसे समग्र विकास प्रक्रिया तथा जन कल्याण

के साथ जोड़कर चलना चाहिए। यह बात संतोषजनक है कि कई उद्योगों ने पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों को अपनाया है। यह सुनिश्चित करने के लिए हम सब को मिलजुल कर प्रयास करने चाहिएं कि भावी पीढ़ियां हमारी गलतियों की सजा न भुगतें, और यह तभी सुनिश्चित हो सकता है यदि हम अपने पर्यावरण के बारे में सजग रहें तथा इसकी ओर विशेष ध्यान दें।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह विचार गोष्ठी, जिसमें संबंधित मंत्रालयों, केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अधिकारी तथा उद्योग के सदस्यगण भाग ले रहे हैं, आप सबके लिए एक ज्ञानप्रद अनुभव होगा तथा आपसी चर्चा से इस विषय पर ठोस सुझाव तथा प्रस्ताव प्राप्त होंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विचार गोष्ठी का सहर्ष उद्घाटन करता हूं।

धन्यवाद।

21

समृद्ध व सम्पन्न महाराष्ट्र का स्वप्न*

महाराष्ट्र और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार-संबंध बनाने और बढ़ाने के विशेष इच्छुक महाराष्ट्र के लोगों के व्यापार-सम्मेलन का उद्घाटन करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इसे मैं अपना बड़ा सम्मान और सौभाग्य समझता हूं। यह उचित ही है कि यह सम्मेलन विश्व के सर्वाधिक घटनाप्रधान शहरों में से एक—न्यूयार्क में हो रहा है।

मित्रो, मैं दो दशकों से भी अधिक समय से 'बृहन्महाराष्ट्र मंडल' से काफी निकट से जुड़ा हुआ हूं। मैंने इन सम्मेलनों में कई हैसियतों से भाग लिया है—महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्य के रूप में, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के रूप में और केन्द्रीय मंत्री के रूप में, आज मैं आपके समक्ष विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्वाचित सदन—लोकसभा—के अध्यक्ष की हैसियत से उपस्थित हूं। मुझे कनाडा के कैलगरी में वर्ष, 2001 में आयोजित 'बृहन्महाराष्ट्र मंडल' सम्मेलन की सुखद स्मृति है। इसलिए इस सम्मेलन में पुनः आपके बीच आकर मुझे वास्तव में काफी खुशी हो रही है।

'बृहन्महाराष्ट्र मंडल' की स्थापना 1981 में हुई थी और तब से लेकर अब तक दुनिया भर में इसके केन्द्रों का एक विशाल नेटवर्क बन चुका है। 'महाराष्ट्र' शब्द अपने सही अर्थ में हर जगह विशालता का अहसास कराता है—इसके वासियों के हृदय की विशालता, इसकी विविध और समृद्ध संस्कृति तथा विरासत और इसकी असाधारण उद्यमशीलता। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से महाराष्ट्र ने हर क्षेत्र में काफी प्रगति की है—चाहे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो; चाहे विकास-प्रतिमान हों या कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी अथवा खेल-कूद। हमारा राज्य अति उद्यमी तथा ऊर्जावान लोगों के लिए हमेशा प्रसिद्ध रहा है। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, कोई न कोई सफल महाराष्ट्रवासी आपको अवश्य मिलेगा। अपनी उद्यमशीलता तथा साहस के बूते अनेक महाराष्ट्रवासी दूर-दूर के स्थानों में गये और वहां जाकर बसे हैं। यद्यपि उन्होंने अपने घर बहुत दूर बसाए हैं, फिर भी उन्होंने अपनी परम्परा तथा मूल्यों का सम्मान और आदर बनाए रखा है और अपने मूल निवास के परिवेश से खुद को जोड़े रखा है। 'बृहन्महाराष्ट्र मंडल' के ऐसे सम्मेलन होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है जिससे महाराष्ट्रवासियों तथा इसके अपने सदस्यों में आपसी संबंध और भाईचारे की एक मजबूत कड़ी कायम करने के अनेक अवसर उपलब्ध हो जाते हैं।

---

* बृहन्महाराष्ट्र मंडल के व्यापार सम्मेलन के अवसर पर, न्यूयार्क (3 जुलाई 2003)

इससे पहले कि मैं आगे कुछ कहूं, मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यद्यपि मैं इस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन लोक सभा अध्यक्ष की हैसियत से कर रहा हूं, तथापि, मैं आपसे महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री, पूर्व केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री और, विशेषकर, एक व्यवसायी के रूप में अपने समग्र अनुभव के साथ बात कर रहा हूं।

जैसा कि आपको विदित ही है, विगत 35 वर्षों से मैं एक ऐसे राजनैतिक दल के साथ निकट से जुड़ा हूं जो मराठी जनों के कल्याण के लिए सतत रूप से काम कर रहा है। हमारे दल का पूरा विश्वास है कि जब तक महाराष्ट्रवासी अपना स्वयं का व्यवसाय अथवा उद्योग शुरू नहीं करते, वे अपनी आर्थिक स्थिति नहीं सुधार पाएंगे। इस तरह हम यह मानते हैं कि हमें रोजगार तलाशने के अपने मोह—यदि मुझे इस शब्द का उपयोग करने की इजाजत मिले—को त्यागकर खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन से हरेक महाराष्ट्रवासी को यह संदेश जाएगा कि वह अपने साथ-साथ अन्य बहुत से लोगों को भी रोजगार प्रदान करने की क्षमता रखता है, बजाय इसके कि कहीं भी कैसा भी काम ढूंढ़ता फिरे!

मित्रो, जब भी मैं इस स्थिति पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि नौकरी करने का चाव मराठियों के खून में ही है! वह नौकरी कई कारणों से ढूंढ़ता है: इसमें सुरक्षा और निश्चिंतता का भाव रहता है, काम के घंटे निर्धारित रहते हैं, अधिक धन कमाने में खुद को खपा देने में क्या रखा है, और, ऐसी जिंदगी में कोई जोखिम भी नहीं रहता!! अब, मुझे तो यह एक स्वभावगत समस्या दिखती है! यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा तो आप एक बार मिले इस जीवन का आनंद कैसे उठा पाएंगे? हम सब इतनी मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि, हमें आराम से रहने, अपने परिवार को एक बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने, इस दुनिया की चित्र-विचित्रता का आनंद उठाने और सबसे बढ़कर, अपनी मेहनत का सुफल पाने की आकांक्षा रहती है। परन्तु, कोई यदि यह नहीं देखेगा-सुनेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है तो वह धन कमाने के प्रति आकर्षित कैसे होगा? मेरा तो मानना है कि यदि कोई संपत्तिवान बनने की इच्छा न रखे, तो वह जीवन में सार्थक ढंग से आगे नहीं बढ़ सकता। हमें एक सपना तो रखना ही पड़ेगा—संपत्ति अर्जित करने का सपना; और इसे साकार करने का प्रयत्न भी करना पड़ेगा। इस व्यापार-सम्मेलन को हमारे देश में रह रहे महाराष्ट्रवासियों को एक सुहाना सपना देखने और इसे साकार करने के तरीकों के बारे में प्रेरित करना होगा।

मेरा यह भी विचार है कि हमें दो गलत धारणाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करना होगा पहली, यह कि व्यवसाय करना कठिन होता है; और दूसरी, कि आपको व्यवसाय के लिए खासी रकम चाहिए। व्यवसाय-जगत के अपने लम्बे अनुभव ने मुझे सिखाया है कि व्यापार करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। लेकिन, इसके लिए थोड़ी अलग सोच चाहिए। वास्तव में कठिन तो है—नौकरी छोड़कर व्यापार शुरू करना। यदि आप नौकरी छोड़ने का निश्चय करें, तो फिर व्यापार करने के अलावा आपके पास और कोई चारा भी नहीं बचता। कड़ी मेहनत और थोड़ी खुशकिस्मती से आप एक सफल व्यवसायी बन सकते हैं! और फिर, व्यापार शुरू करने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास अपनी इतनी रकम हो ही—यह राशि आप बैंक, वित्तीय संस्थाओं आदि से भी जुटा सकते हैं।

संक्षेप में कहना यह है कि आपको अन्य स्रोतों से आवश्यक धन जुटाने और उसे बुद्धिमानी से निवेश करने की कला आनी चाहिए। यह कला अनुभव और व्यावहारिकता से आती है। आइए, आज हम यह निश्चय करें कि महाराष्ट्रवासियों की अगली पीढ़ी व्यावसायियों और उद्योगपतियों की हो, जो हमारे राज्य को भारत की आर्थिक महाशक्ति बना दें!

मैंने 'जागतिक मराठी चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज' की स्थापना के समय यही सपना देखा था। मेरा सपना यह रहा है कि दुनिया भर में महाराष्ट्र मूल के उद्यमियों को एकजुट किया जाए और उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक रूप से व्यापार करने के लिए तथा भूमंडलीकरण और उदारीकरण से जुड़ी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

मित्रो, संपूर्ण विश्व में 2 करोड़ से अधिक भारतीय रहते हैं। इनमें से 16 लाख भारतीय-अमरीकी हैं और इन अनिवासी भारतीयों का एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र मूल के लोगों का है। दुनिया भर में बसे महाराष्ट्र मूल के इन लोगों की छवि उत्साही व्यक्तियों की है और उनकी सफलता की गाथा भी श्रेष्ठता प्राप्त करने की उनकी भावना का ही प्रतिफल है। आपने अपनी-अपनी कर्मभूमियों के सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों में जो मूल्यवान योगदान किया है, उसकी सराहना करते हुए हमें गर्व होता है। आपने सच्चे उत्साह से जिस समर्पित भाव और गंभीर प्रयासों का परिचय दिया है, वह महाराष्ट्रवासियों के रक्त में रची-बसी शक्ति का ही प्रतीक है। प्रत्येक मराठी उद्यमी की गाथा साहस, उद्यमिता और नेकनामी की गाथा है। हम आशा करते हैं कि आप यह सदैव ध्यान में रखेंगे कि एक उद्यमी के रूप में आपकी अहम भूमिका यह है कि आप महाराष्ट्र और भारत की अच्छी बातें संपूर्ण विश्व में ले जाएं और उसी प्रकार वहां की अच्छी बातों को भारत और महाराष्ट्र में लाएं।

मित्रो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए सदैव उत्सुक रहता था कि हमारे उद्योगों को बढ़िया सुविधाएं मिलें। इसी दृष्टिकोण से, सामाजिक अवसंरचना को उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, आतिथ्य-सत्कार, गुणवत्तापरक अवसंरचना, व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन तथा बाह्य अवसंरचना के रूप में अत्युत्तम सुविधाएं प्रदान करने की पहल की गई। राज्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के वश मैंने वहां औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'एडवांटेज महाराष्ट्र कांफ्रेंस' आयोजित की। उसी अवधि के दौरान मैंने संचार-संयोजन अर्थात् 'एनीटाइम-एनीहाउ-एनीव्हेयर कनेक्टिविटी' (ए-ए-ए कनेक्टिविटी), के माध्यम से एक नयी सूचना-प्रौद्योगिकी सशक्तीकरण नीति भी शुरू की। तत्पश्चात्, केन्द्रीय भारी उद्योग मंत्री के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान, भारत सरकार द्वारा विदेश में बसे भारतीयों के सहायतार्थ कई अनुकूल योजनाएं तैयार की गईं ताकि वे देश के आर्थिक परिदृश्य की पुनर्रचना में भागीदार बन सकें।

मित्रो, आपको विदित ही है कि स्वतंत्रता के विगत पचपन वर्षों के दौरान भारत में उल्लेखनीय सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हुआ है। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक के आरंभ में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया से आए आर्थिक स्वतंत्रता के जोश ने बहुत बदलाव किया है। इस नीति से न केवल विदेश-व्यापार और उत्साही उद्यमिता की ओर पहुंच और अधिक बढ़ी है, बल्कि प्रक्रियाएं भी सरल हुई हैं जिन्होंने औद्योगिक विकास के लिए एक अनुकूल और मुक्त-व्यापार का वातावरण तैयार किया है। आज हमें विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का गौरव प्राप्त

है और हमारा सकल घरेलू उत्पाद भी विकासशील देशों में दूसरे स्थान पर है। हमने 6 प्रतिशत की विकास-दर प्राप्त कर ली है और अगले पांच वर्षों के लिए हम 8 प्रतिशत विकास-दर प्राप्त करने का लक्ष्य रख रहे हैं। 1960 के दशक में जिस देश में खाद्य संकट की स्थिति दिखती थी, आज वही देश खाद्यान्न का निर्यातक और प्रदाता बन चुका है। हाल ही में हमने सूचना-प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी, कृषि, अंतरिक्ष और ऊर्जा के क्षेत्रों में तेजी से प्रगति की है और ये क्षेत्र 21वीं सदी की नई अर्थव्यवस्था को परिभाषित करते हैं। इलेक्ट्रानिक्स भी भारतीय उद्योग के सबसे तेजी से विकसित होते क्षेत्रों में से एक है। हमारा महत्वाकांक्षी लक्ष्य सन् 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का है!

हमें भली-भांति ज्ञात है कि आप सब अपने पारिवारिक संबंधों, परम्पराओं, संस्कृति और मूल्यों के माध्यम से भारत के साथ भावनात्मक रूप से बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। हमें यह भी पता है कि आप हमारे देश में बेहतर प्रौद्योगिकी तथा निवेश का वातावरण पाने की अपेक्षा करते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज भारत विश्व में सबसे अधिक सक्रियता से विकसित हो रहे बाजारों में से है। हमारे पास 3 करोड़ लोगों का एक विशाल और तेजी से बढ़ता उपभोक्ता-बाजार है। यह अब व्यापक रूप से स्वीकार किया जा चुका है कि हमारी जनशक्ति विश्व की सर्वश्रेष्ठ जनशक्ति के समान है। समय की कसौटी पर खरे उतरे हमारे संस्थान निवेशकों को उनके दीर्घावधिक निवेशों की सुरक्षा के वचन सहित एक पारदर्शी वातावरण प्रदान करते हैं। अनिवासी भारतीयों के लिए व्यापक अवसर हैं—वे साझेदारी या स्वामित्व में सीधे निवेश कर सकते हैं, और भारतीय कंपनियों के शेयरों अथवा ऋणपत्रों के माध्यम से भी निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा, आवासीय तथा भू-संपदा क्षेत्रों सहित उच्च-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश के लिए अनिवासी भारतीयों का स्वागत है! प्रौद्योगिकी-आयात की प्रक्रिया को भी निर्बंधनात्मक विनियमों से मुक्त रखा गया है। अब बहुत से उच्च-प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51 प्रतिशत तक विदेशी-इक्विटी स्वामित्व वाले प्रत्यक्ष निवेश के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार दूरसंचार, सड़क, पत्तन तथा विद्युत जैसे क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देकर आधारभूत ढांचे के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अपनी ओर से तो हम एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें अनिवासी भारतीय अपने साथ व्यापार की नई सोच और आधुनिक प्रबंधन-शैलियां ला सकें ताकि हम विकसित देशों के साथ कदम मिलाकर चल सकें।

मित्रो, आपको इस अवसर पर मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हाल ही में भारत सरकार ने अमरीका, ब्रिटेन और छह अन्य देशों में रह रहे भारतवंशियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने के निर्णय को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, भारतीय मूल के लोगों की भावनाओं का सम्मान और भारत के विकास में सहभागी होने की उनकी इच्छा का आदर करते हुए भारत सरकार ने 'भारतवंशी' (पीपुल आफ इंडियन ओरिजन-पी.आई.ओ.) कार्ड जारी करने की घोषणा की है जो 15 वर्ष तक वैध रहेगा और वीजा-मुक्त सुविधा के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट आर्थिक, शैक्षिक, वित्तीय तथा सांस्कृतिक लाभ भी प्रदान करेगा। आपको विदित ही होगा कि 9 जनवरी अब 'प्रवासी भारतीय दिवस' के रूप में मनाया जाता है। तो, ये सब पहल अनिवासी भारतीयों और उनकी मातृभूमि के बीच सहयोगमूलक तथा पारस्परिक लाभकारी संबंध विकसित करने के लिए की गई हैं। मेरा सुझाव है कि हम वर्ष का कोई एक दिन 'प्रवासी मराठी दिवस' के रूप में भी मनाना शुरू करें!

जब हम भारत और अमरीका, विशेषकर महाराष्ट्र राज्य और अमरीका के बीच, व्यापार की बात करते हैं, तो हमें इस बात का विचार करना चाहिए कि हम किस चीज का निर्यात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत को आज नई प्रौद्योगिकी, रसायन, मुद्रण-मशीनरी, सी.एन.जी. मशीनों इत्यादि की आवश्यकता है, जबकि अमरीका को चमड़े का सामान, सूती वस्त्रों, रत्नाभूषणों, साफ्टवेयर, हार्डवेयर (चिप्स), हस्तशिल्प सामग्री, प्लास्टिक के सामान, रबड़ उत्पाद, इंजीनियरी सामान, जड़ी-बूटियों से बने उत्पादों, इत्यादि की आवश्यकता है। हमें मराठी व्यापारियों द्वारा निर्यातित महाराष्ट्रनिर्मित उत्पादों से अमरीका के बाजार पाट देने की बात सोचनी चाहिए और यह सपना तभी साकार हो सकता है जबकि महाराष्ट्र मूल के अमरीकी अपने महाराष्ट्रवासी बंधुओं द्वारा विनिर्मित अच्छी किस्म के सामान की प्रतियोगी-बाजार से खरीद करें! इसके लिए आवश्यक है कि हमारे उत्पाद सर्वोत्तम किस्म के हों, नवीनतम प्रकार और सबसे सस्ते दाम में उपलब्ध हों तथा निश्चित समय सीमा में प्राप्त हों। अब, खासकर उदारीकरण तथा आर्थिक सुधार की प्रक्रिया के शुरू हो जाने के बाद से, यह बिल्कुल संभव हो गया है।

महाराष्ट्रवासी अपनी ईमानदारी और लगन के लिए दुनियाभर में जाने जाते हैं। वे सीधी बात करने वाले, व्यवहारकुशल और बातचीत में व्यावसायिक दृष्टिकोण रखने वाले होते हैं। हरेक उनकी व्यावसायिक ईमानदारी और कार्यकौशल का लोहा मानता है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि महाराष्ट्रवासियों के साथ व्यापार करके आप पछताएंगे नहीं! मैं इस बात को कुछ ऐसे भी कह सकता हूं: महाराष्ट्रवासियों के साथ व्यापार करना अच्छा और सफल व्यापार होता है। इन सभी कारणों से भारत में आज व्यापार करने की दृष्टि से महाराष्ट्र सर्वोत्तम राज्य है। 'जागतिक मराठी चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज' के शिष्टमंडल में मुम्बई-भारत की व्यापारिक राजधानी, जिसकी जीवन्तता के लिए अक्सर न्यूयार्क से उसकी तुलना की जाती है—के कई प्रख्यात व्यापारी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके साथ व्यापार आपके लिए एक आनंददायी और पारस्परिक लाभकारी अनुभव रहेगा।

मित्रो, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्य मंत्री, वहां के दो पूर्व मुख्य मंत्री और महाराष्ट्र के कुछ सांसद 'बृहन्महाराष्ट्र मंडल सम्मेलन' में उपस्थित हैं। मैं जानता हूं कि आप उनसे अनेक प्रश्न पूछना चाहेंगे और मुझे यह भी पता है कि उन्हें आपकी बातों पर ध्यान देने पर खुशी होगी।

मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। चाहे कोई भी सरकार हो या कोई भी राजनैतिक विचारधारा-आर्थिक सुधार एक सतत प्रक्रिया के रूप में जारी रहेंगे। हम इन आर्थिक सुधारों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और इसके परिणाम आप स्वयं देख सकते हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप में से कुछ लोग लालफीताशाही, भ्रष्टाचार, फैसले में देरी, परियोजनाओं की मंजूरी और अनापत्ति-प्रमाणपत्र जारी करने से जुड़ी दिक्कतों आदि के बारे में संशयग्रस्त होंगे। मैं यह नहीं कहना चाहता कि ऐसी समस्याएं नहीं हैं, किंतु मैं आपको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि विगत कुछ वर्षों के दौरान हम इन समस्याओं को काफी कम करने में कामयाब हुए हैं। मैं यह भी जानता हूं कि भारत की स्थिति को चीन की स्थिति के साथ तुलना करके देखने की भी प्रवृत्ति विद्यमान है। लेकिन यह भी एक वास्तविकता है कि चीन के साथ व्यापार करने में

भी बाधाएं और कठिनाइयां हैं। तथापि, यह उनके लिए अच्छी बात है कि अनिवासी चीनी सदैव अपने देश के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश में रहते हैं। चीन में कई बिलियन डालर का निवेश कराने में इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमें भी भारत में अमरीकी निवेश को प्रोत्साहित कराने के लिए देशभक्ति की ऐसी ही भावना के साथ कार्य करना चाहिए। जहां तक देशभक्ति की बात है, महाराष्ट्रवासियों का कोई सानी नहीं है! अपने लम्बे इतिहास में हमने बार-बार यह सिद्ध किया है। आज के इस 'व्यापार-सम्मेलन' से यह संदेश जाना चाहिए कि आज की तारीख में भारत, और खासतौर पर महाराष्ट्र राज्य, निवेश के लिए सर्वोत्तम स्थल है!

मेरे प्रिय अमरीकावासी महाराष्ट्रीय बंधुजन, भारत और विशेषकर महाराष्ट्र में निवेश हेतु आपके आगमन की प्रतीक्षा में हम हार्दिक स्वागत के लिए तत्पर हैं। आपको हम आपके निवेश पर बढ़िया लाभ की गारंटी देते हैं। हम आपको उत्तम गुणवत्ता और प्रचुर मात्रा के विषय में भी आश्वस्त करते हैं। इस अवसर पर सभी महाराष्ट्रवासियों से मेरी यह अपील है कि आप सब एक-दूसरे का सहयोग करें और एक-दूसरे के प्रयासों में सहायता करें। आखिर, हम सब एक ही बड़े परिवार के भाई-बहन हैं! महाराष्ट्र-परिवार को एक साथ आने, एक साथ सपना देखने, एक साथ काम करने, एक साथ धनार्जन करने और प्रत्येक शाम एक साथ बिताने का फैसला कर लेना चाहिए!!

इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं 'मराठी उद्यमी पुरस्कार' विजेताओं को इस गौरव के लिए बधाई देना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि उनकी सफलता से प्रेरित होकर अन्य लोग भी उनका अनुकरण करेंगे। मैं आयोजकों को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पैनल-सत्रों के लिए विचारोत्तेजक और महत्वाकांक्षी विषय रखे तथा महाराष्ट्र और अमरीका के बीच व्यापार-नेटवर्क बनाने का अवसर प्रदान किया है। मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन में हुई चर्चा नये अवसरों और प्रोत्साहनों पर विचार करने में सहायक होगी और इससे महाराष्ट्र की समृद्धि तथा जीवन्तता के लिए आर्थिक और औद्योगिक नींव तैयार होगी।

धन्यवाद। जय हिंद! जय महाराष्ट्र!

22

खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से ग्रामीण पुनर्निर्माण*

खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। यह जानकर खुशी हुई कि कई संसद सदस्यों के अनुरोध पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इस प्रदर्शनी का आयोजन करके एक स्तुत्य कार्य किया है। मुझे विश्वास है कि इस प्रदर्शनी से संसद-सदस्यों को खादी और ग्रामोद्योग के विधिक कार्यकलापों तथा उत्पाद-श्रृंखला का जायजा लेने का अवसर मिलेगा।

मित्रो, जब से गांधी जी ने खादी और ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देने का कार्य शुरू किया तथा इस आंदोलन को एक नई परिभाषा दी, तभी से इसने भारत के जनमानस में गहरी पैठ बना ली है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खादी और ग्रामोद्योग भारतीयों के लिए एक नया दर्शन तथा उनकी आर्थिक आकांक्षाओं का प्रतीक बन गया।

खादी और ग्रामोद्योग की अवधारणा गांधी जी को अति प्रिय थी तथा भारतीयों के लिए इन उद्योगों की उपयोगिता में उनका पूर्ण विश्वास था। उन्होंने शोषण तथा विदेशी उत्पादों पर निर्भरता समाप्त करने के लिए इसे एक आर्थिक दर्शन के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रत्येक गांव में इनके विकास और प्रचार-प्रसार का समर्थन किया। खादी और ग्रामोद्योग का सिद्धांत लोगों के बीच सहयोग पर आधारित आदर्श और जीवन दर्शन से जुड़ा हुआ था न कि लाभ की भावना से। इसका उद्देश्य पश्चिमी शैली की आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करना न होकर गांवों में लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना था। खादी और ग्रामोद्योग में हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को परिवर्तित करने की संभावना है। खादी और ग्रामोद्योग की अवधारणा स्वदेशी के सिद्धांत का स्वाभाविक अंग है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। भूमंडलीकरण तथा उच्च प्रौद्योगिकी आधारित बड़े पैमाने के उद्योगों के वर्तमान युग में भी भारत में स्वदेशी के सिद्धान्त पर चर्चा हो रही है। आर्थिक प्रगति के संदर्भ में स्वदेशी तथा ग्रामोद्योग की उपयोगिता के बारे में लोगों को जागरूक बनाकर ही इन्हें एक राष्ट्रव्यापी और जनाधारित आर्थिक सिद्धांत बनाया जा सकता है।

---

* खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आयोजित एक विशेष प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर, संसदीय सौध, नई दिल्ली (16 दिसम्बर 2002)

मित्रो, यह एक वास्तविकता है कि गत 50 वर्षों में विकास के लिए किए गए हमारे प्रयासों के बाद भी गांवों में पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। शहरों में प्रगति हुई है तथा वहां समृद्धि आई है जबकि दुर्भाग्यवश ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अभी भी निर्धनता, बेरोजगारी और पिछड़ापन है। कहने की आवश्यकता नहीं कि गांवों में विकास की गति बढ़ाये जाने की आवश्यकता है, जैसा कि गांधी जी का विश्वास था कि भारत गांवों में बसता है। यदि गांव समृद्ध होंगे तो भारत समृद्ध होगा। खादी और ग्रामोद्योगों से हमारे ग्रामीण भाइयों और बहनों को दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के कार्य का अवसर मिलता है। इनसे स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों और सामग्री का उपयोग भी होता है। ऐसी उत्पादन पद्धतियां तथा उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल तथा टिकाऊ हैं। खादी वस्त्र तथा पारम्परिक ग्राम उत्पाद लोकप्रिय होते जा रहे हैं तथा अब इनका निर्यात भी हो रहा है। पर्यावरण के अनुकूल तथा प्रदूषणमुक्त उत्पाद होने के नाते विश्व स्तर पर इनके विपणन की अत्यधिक संभावना है।

आज का युग तकनीक युक्त उद्योगों, सूचना क्रांति और प्रौद्योगिकीय प्रगति का युग है। लेकिन खादी और ग्रामोद्योग भारत जैसे विशाल देश के लिए अभी तक प्रासंगिक बने हुए हैं क्योंकि ये दोनों उद्योग समाज के कमजोर वर्गों की आय का स्रोत बनने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अत्यधिक अवसर भी पैदा कर सकते हैं।

भारत में खादी और ग्रामोद्योग की अपार संभावना को देखते हुए, इस क्षेत्र से संबद्ध सरकारी विभागों तथा अन्य एजेंसियों को उनके उत्पादों को प्रोत्साहन देने तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए यथासंभव प्रयास करने चाहिए। "खादी" शब्द न केवल हाथ से बने वस्त्रों के लिए अपितु पारंपरिक तथा कुटीर आधारित उत्पादों की संपूर्ण श्रृंखला के लिए एक ब्रांड नाम के रूप में उभर रहा है। यह अनिवार्य है कि खादी समूचे विश्व में हो रहे परिवर्तनों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। खादी और ग्रामोद्योग के लिए यह आवश्यक है कि उसका पुनर्गठन किया जाए, उपयुक्त प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए, बेहतर उत्पादन और गुणवत्ता संबंधी मानदंड अपनाए जायें, जोरदार विपणन रणनीति और आधुनिक प्रबंधन तकनीकें अपनाई जायें। लाखों ग्रामीण भारतीयों को यह आशा है कि खादी और ग्रामोद्योग के पुनरुत्थान से उनके जीवन-स्तर में सुधार आ जायेगा। इसके अलावा, खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र का विकास करके ग्रामीण कारीगरों और शिल्पकारों के पारंपरिक ज्ञान और कुशलता को सुरक्षित रखा जा सकता है और उसका उपयोग किया जा सकता है।

खादी और ग्रामोद्योग ने आज 6 मिलियन से भी अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया हुआ है और यह ग्रामीण निर्धनता और बेरोजगारी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र के समक्ष उत्पन्न सभी संकटों का समाधान करने के लिए भरसक प्रयास किए जायें। आवश्यकता इस बात की है कि खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र से जुड़े लोगों को उचित रूप से प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें अपनी इकाइयों का प्रभावी ढंग से संचालन करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किया जाये। खादी उत्पादों का व्यापक प्रचार किया जाए और जनता में खादी उत्पादों के उपयोग के प्रति जागरूकता लाने के लिए जोरदार अभियान चलाया जाये। खादी और ग्रामोद्योग

के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करके, नीतिगत कदम उठाकर और उसके प्रभावी प्रबंधन द्वारा हम भारतीय अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को सुदृढ़ बना सकेंगे और ग्रामीण पुनर्गठन तथा प्रगति सुनिश्चित कर पायेंगे। यह न केवल हमारी लाखों-करोड़ों जनता को आजीविका उपलब्ध कराने के लिए अपितु ग्रामीण और शहरी भारत के बीच विसंगति को कम करने के लिए भी अनिवार्य है। खादी और ग्रामोद्योग के अत्यधिक विकास से सर्वोदय अथवा समस्त जनता का कल्याण होगा जिसे प्राप्त करने का गांधी जी ने सतत् प्रयास किया।

मुझे विश्वास है कि हमारे सांसद अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह समझते हुए, खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र को प्रभावित करने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान में सहायता करके इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे। वे स्वयं खादी उत्पादों के आजीवन संरक्षक बन सकते हैं और लोगों के समक्ष मिसाल पेश कर सकते हैं। मैं भारत में खादी और ग्रामोद्योग के सफल और समृद्ध भविष्य की कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।

धन्यवाद।

23

वस्त्र उद्योग—देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला उद्योग*

मुझे बूटीबोरी में इन्डो-रामा के पालिएस्टर विस्तार परियोजना के शिलान्यास समारोह में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं प्रबंधन को अपनी विस्तार परियोजना का शिलान्यास करने हेतु मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। वर्तमान परियोजना का विस्तार वास्तव में पिछले एक दशक में कम्पनी के व्यावसायिक क्षेत्र में विकास और उन्नति का सूचक है।

मेरे विचार से इन्डो-रामा सिन्थेटिक्स की यह चौथी पालिएस्टर इकाई है, जिससे प्रति वर्ष 180,000 एम.टी. की वृद्धि होगी और इस प्रकार इसकी कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर 500,000 एम.टी. हो जाएगी। जहां तक मैं समझता हूं, कम्पनी की तीन वर्तमान पालिएस्टर इकाइयों की सहयोगी कम्पनियां अमरीका और जापान की 'ड्यूपान्ट' और 'टोयोबो' प्रौद्योगिकी कम्पनियां हैं। मुझे बताया गया है कि जर्मनी से जिम्मेर प्रौद्योगिकी प्राप्त करके प्रस्तावित इकाई से कम्पनी की उत्पादन क्षमता काफी बढ़ जाएगी। इतने कम समय में ही इंडो-रामा सिन्थेटिक्स मिश्रित धागा उद्योग की एक प्रमुख उत्पादक-निर्यातक कम्पनी बन गयी है। कम्पनी अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करके तथा गुणवत्ता और उपभोक्ता की संतुष्टि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से असीम संभावनाओं और विकासशील बाजार का दोहन करने के लिए बनायी गयी नीतियों के लिए प्रशंसा की पात्र है।

मित्रो, मेरे विचार से आज वस्त्र उद्योग के अंतर्गत अनेक आर्थिक गतिविधियां शामिल हो गयी हैं और इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था में इसके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका महत्वपूर्ण है। कपास, सिल्क, ऊन आदि जैसे प्राकृतिक रेशों के अतिरिक्त उद्योग पालिएस्टर, विस्कान नाइलान और एक्रेलिक जैसे अनेक प्रकार के सिन्थेटिक और मानव निर्मित रेशों का भी उपयोग करती है। अत्याधुनिक आधारभूत संरचना का विकास और उसे बनाए रखने से जुड़ी समस्याओं के बावजूद, कम्पनी ने काफी लचीलापन दिखाया है और पर्याप्त विकास किया है। आपको पता होगा कि वर्ष 2000-2001 में इस उद्योग का देश के औद्योगिक उत्पादन में 14 प्रतिशत और निर्यात में 27 प्रतिशत का योगदान रहा। इस महत्वपूर्ण उद्योग के लगभग सभी क्षेत्रों ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। मानव-निर्मित रेशा और धागा क्षेत्र भी वस्त्र उद्योग में इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि इस उद्योग

*इन्डो-रामा पॉलिएस्टर विस्तार परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर, नागपुर (19 दिसम्बर 2002)

में काम आने वाले कच्चे माल के लगभग 39 प्रतिशत हिस्से का उत्पादन मानव-निर्मित रेशा और धागा उद्योग द्वारा किया जाता है।

यदि हम मानव-निर्मित रेशों के नए चलन और उपयोगों का विश्लेषण करें तो हम अवश्य पाएंगे कि पालिएस्टर रेशा, नायलान, एक्रेलिक और विस्कास जैसे अन्य रेशों से आगे निकल गया है। मैं समझता हूं कि पालिएस्टर रेशों की अपनी विशेषताएं होती हैं और इनसे उत्तम लागत/कार्यनिष्पादन अनुपात का अवसर प्राप्त होता है। यह प्रत्यक्ष परिवर्तन पालिएस्टर की बहु उपयोगिता के लाभों, लागत कारक और स्थायित्व के कारण हो रहा है। इसके अतिरिक्त, इसके पारम्परिक उपयोगों के अलावा, मेरे विचार से, हाथ और मशीन से बुने कपड़ों, सिले-सिलाए वस्त्रों और घरेलू वस्त्रों में पालिएस्टर के नए उपयोग विकसित किए जा रहे हैं। पालिएस्टर के इस बढ़ते उपयोग को देखते हुए हम आश्वस्त हो सकते हैं कि एशियाई क्षेत्र पालिएस्टर उद्योग के लिए व्यापक बाजार उपलब्ध कराएगा। मुझे रंचमात्र भी शंका नहीं है कि इंडो-रामा सिन्थेटिक्स भी अपनी विस्तार योजनाओं के माध्यम से अपना विकास निरन्तर बनाए रखने के लिए हर अवसर का लाभ उठाएगा।

मित्रो, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने वस्त्र उद्योग का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए सन् 2000 में राष्ट्रीय वस्त्र नीति बनायी थी। इस नीति का उद्देश्य विश्व वस्त्र बाजार के साथ एकीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए उद्योग को तैयार करना है। व्यापार के लिए विश्व बाजार के और अधिक खुल जाने के साथ ही विकास के नए अवसरों का सृजन हुआ है। विकास के लिए शुरू की गई अनेक पहलों में आधुनिकीकरण और निवेश, कम कीमत पर उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन की क्षमता, वस्त्र उद्योग के विकास के लिए सुदृढ़ और सक्रिय करके आवश्यक परिस्थितियों का सृजन आरंभ कर दिया गया है। यह विश्व बाजार में अधिक हिस्सेदारी निभाने के लिए विश्वसनीय प्रतिस्पर्धा के अतिरिक्त देश के आर्थिक विकास और निरन्तर रोजगार के प्रावधान में महत्वपूर्ण योगदान की दिशा में आगे बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे रिकार्ड से पता चलता है कि मानव-निर्मित रेशा/रेशा धागा (फिलामेंट यार्न) के निर्यात में गत पांच वर्षों में लगभग 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2000-2001 के दौरान मानव-निर्मित रेशे/फिलामेंट यार्न के कुल निर्यात में पालिएस्टर स्टैपल फाइबर और पालिएस्टर फिलामेंट यार्न का 87 प्रतिशत योगदान रहा।

इंडो-रामा सिंथेटिक्स जैसी तेजी से विकास कर रही कम्पनियां अपने नए विचारों, नीतिगत आयोजना, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग और उपलब्ध सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके निश्चित रूप से वस्त्र उद्योग के विकास की गति बढ़ा सकते हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि इंडो-रामा पालिएस्टर विभिन्न क्षेत्रों का पहले से ही ध्यान रख रही है और उपभोक्ताओं के बीच अपने महत्व और गुणवत्ता में वृद्धि करने की पहल की संकल्पना के साथ संगठन बनाने के प्रयोजन से प्रत्येक कदम उठा रही है। मैं इंडो-रामा को गुणवत्ता और उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि के प्रति समर्पण और अपनी स्थापना के पहले वर्ष से ही निर्यात के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने के लिए बधाई देता हूं। इस बात से मैं विशेष रूप से खुश हूं कि इंडो-रामा अपने कर्मचारियों और उनके

परिवार के लोगों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं कम्पनी के प्रयासों विशेष रूप से अपने कर्मचारियों को अच्छी से अच्छी आवासीय, शैक्षिक और मनोरंजन संबंधी सुविधाएं देकर उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना करता हूं। वास्तव में यह संतोष का विषय है कि कम्पनी अपने कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण के माध्यम से जानकारी और व्यक्तिगत विकास के लिए लगातार अवसर उपलब्ध कराती है और उनके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए उनमें उद्यम की भावना विकसित करने का कार्य करती है।

इन्हीं शब्दों के साथ इंडो रामा के लिए इस पालिएस्टर विस्तार परियोजना जिससे कम्पनी और पूरे उद्योग के लाभ के लिए निश्चित रूप से उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, के शिलान्यास कार्यक्रम से स्वयं को सम्बद्ध करके मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं कम्पनी के सतत् विकास और उन्नति की कामना करता हूं।

धन्यवाद।

24

बेकार प्लास्टिक से पेट्रोल तैयार करना—एक अभिनव प्रौद्योगिकी*

नागपुर इंजीनियरिंग कालेज के अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र विभाग की अध्यक्ष और महाराष्ट्र की एक प्रमुख वैज्ञानिक डा. (श्रीमती) अलका जडगांवकर के सफल अनुसंधान कार्य के प्रदर्शन के अवसर पर उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने अपने अध्यवसाय और श्रमसाध्य अनुसंधान से बेकार प्लास्टिक और पुनश्चक्रित प्लास्टिक अपशिष्टों से पेट्रोलियम उत्पादन (ईंधन) तैयार करने की विधि का विकास किया है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि में उन्हें पेट्रोलियम मंत्रालय, उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र (सेंटर फार हाई टेक्नोलॉजी) और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अत्यन्त उत्साह रखने वाले संसद सदस्य श्री सतीश प्रधान से पर्याप्त सहायता और समर्थन मिला है। मैं उन्हें उनकी इस उपलब्धि पर बधाई देता हूं जोकि भविष्य में हमारे देश के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकती है।

श्रीमती अलका की उपलब्धि एक ऐसी उल्लेखनीय सफलता है जिससे प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटान की समस्या का समाधान हो सकता है और इससे लाभप्रद उत्पाद भी तैयार किए जा सकते हैं। प्लास्टिक के अपशिष्ट से पेट्रोल बनाना कई मायनों में वरदान साबित होगा। प्लास्टिक हमारी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुधा प्रयोग में लाए जाने वाला पदार्थ है किंतु इसने पर्यावरणीय समस्याओं को भी जन्म दिया है क्योंकि यह जैविक रूप से नष्ट नहीं होता। आज हमें भारी मात्रा में प्लास्टिक अपशिष्टों का पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित निपटान करने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हर जगह प्लास्टिक के ढेर दिखाई देते हैं और वे जल निकासी व जल प्रणालियों को अवरुद्ध कर रहे हैं तथा पेयजल के स्रोतों और भूजल को प्रदूषित कर रहे हैं। ईंधन बनाने के लिए प्लास्टिक अपशिष्टों के वैकल्पिक उपयोग के स्पष्टतः दोहरे लाभ हैं। यह ईंधन पेट्रोलियम और अन्य हाइड्रोकार्बन आधारित ऊर्जा संसाधनों की हमारी आपूर्ति में बढ़ोत्तरी करेगा। प्लास्टिक अपशिष्ट का ईंधन बनाने में उपयोग करके हम अपनी तेल आयात पर निर्भरता कम कर सकते हैं और जमा होते जा रहे प्लास्टिक अपशिष्ट के संकट से अपने पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। प्लास्टिक पदार्थों से बड़े पैमाने पर ईंधन का उत्पादन करने से रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं श्रीमती अलका को उनकी उपलब्धि पर बधाई देता हूं। इस उपलब्धि ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि 'आवश्यकता आविष्कार की जननी है।'

* बेकार प्लास्टिक से पेट्रोल तैयार करने की प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के अवसर पर, नई दिल्ली (7 मार्च 2003)

श्रीमती अलका ने प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोगी निपटान की विधि का आविष्कार करके इस आवश्यकता को पूरा किया है। स्पष्टत: वह ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित करने में पथप्रदर्शक हैं जिसमें वाणिज्यिक उत्पादन की प्रबल संभावनाएं हैं। आज का यह प्रदर्शन संसद सदस्यों, संचार माध्यमों, वैज्ञानिकों और केन्द्रीय एजेंसियों के लिए श्रीमती अलका के आविष्कार के महत्व को प्रत्यक्ष रूप से देखने का सुअवसर है। हमारे देश के समक्ष खड़ी विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए हमें श्रीमती अलका जैसे उद्यमशील और समर्पित वैज्ञानिकों की आवश्यकता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार की उपलब्धियों से हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे और हमारे लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। मैं उनके समस्त सराहनीय प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं।

धन्यवाद।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण— राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारक*

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से "महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण: 21वीं सदी का स्वरूप" विषय पर हो रहे इस सेमिनार से स्वयं को संबद्ध करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

यह सेमिनार बिल्कुल सामयिक है। समाज के सर्वांगीण विकास में महिलाओं के सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक सशक्तीकरण का महत्व स्वतः स्पष्ट है।

मैंने सेमिनार के विचारार्थ विषयों को देखा है, उसमें महिलाओं के कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को चर्चा के लिए शामिल किया गया है। इनमें से कुछ विषय हैं—'सशक्तीकरण की राह में अवरोध', 'लघु-वित्त योजनाओं के माध्यम से संसाधन-संग्रह', और 'भावी परिदृश्य: अंशधारकों (सरकारी, गैर-सरकारी संगठन, निगमित क्षेत्र, वित्तपोषक एजेंसियां आदि) की भूमिका'। कार्यशाला की कार्यसूची वास्तव में प्रासंगिक है।

महिलाओं को आर्थिक और राजनैतिक रूप से अधिकार संपन्न बनाना वस्तुतः विकास तथा राष्ट्र निर्माण का मूलाधार है। महिलाएं न केवल मानव संसाधन शक्ति का आधा हिस्सा हैं, वरन् वे अपनी जिजीविषा के लिए दैनंदिन संघर्ष की कड़वाहटें भी झेलती हैं। विकास की कोई भी रणनीति जो महिलाओं की भूमिका बढ़ाने की आवश्यकता की उपेक्षा करती है, वह व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास लाने में सहायक नहीं हो सकती। अतः, यह आवश्यक है कि हम विकास की संपूर्ण प्रक्रिया में एक सक्रिय और मूल्यवान घटक के रूप में महिलाओं की भूमिका को पहचानें।

मित्रो, इस तथ्य को दोहराने की आवश्यकता नहीं कि महिलाओं के अधिकारों और आर्थिक हितों का संरक्षण जरूरी है। इस बदलाव को लाने की दिशा में शिक्षा एक उपयोगी औजार है। ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े वर्ग की महिलाओं को शिक्षित करने से उन्हें परम्परागत रूढ़ियों से मुक्त होने और मुख्यधारा में आने में मदद मिलेगी। यदि शिक्षा अधिकार संपन्न बनाती है, तो स्व-रोजगार और अर्थोपार्जन की

*"महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण: 21वीं सदी का स्वरूप" विषय पर सीआईआई, के सहयोग से महिला अधिकारिता संबंधी संसदीय समिति द्वारा आयोजित विचारगोष्ठी के उद्घाटन अवसर पर, नई दिल्ली (1 मार्च 2003)

क्षमता उन्हें अपना भाग्य निर्माता बनाने के लिए आत्मविश्वास प्रदान करेगी। साक्षरता-स्तर में वृद्धि और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी तथा उन्हें भूमि, संपत्ति और अन्य संसाधनों का अधिकार प्रदान करना कुछ ऐसे कदम हैं जो महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक हैं।

महिलाओं के प्रति पक्षपात तथा भेदभावपूर्ण रवैया समानता के मूल सिद्धांत और मानव-गरिमा के प्रतिकूल है। इस स्थिति को सुधारने के लिए हमें परिवार में, उत्पादक तथा अनुत्पादक कार्यक्षेत्र में, अर्थव्यवस्था-प्रबंधन तथा सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की स्थिति तथा भूमिका सुधार कर एक सामाजिक बदलाव लाना होगा। सबसे आवश्यक बात उनके प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने की है। हम ऐसा वातावरण बनाएं कि सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया में महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो सकें। जब तक हम महिलाओं को आर्थिक रूप से समुन्नत और अधिकार संपन्न बनाने के लिए ठोस उपाय नहीं करेंगे तब तक समय-समय पर बनायी जाने वाली नीतियां और कार्यक्रम केवल थोथी घोषणाएं बनकर रह जायेंगे और हमारे संविधान में की गई 'समानता' की बात केवल दिखावा भर रह जाएगी!

भारतीय महिलाओं ने व्यावहारिक रूप से जीवन के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से प्रगति की है। विगत कुछ वर्षों के दौरान, हमने धीरे ही सही, किंतु कुछ ऐसे सुदृढ़ कदम उठाए हैं जिनके माध्यम से महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं। हमारे संविधान में किसी भी किस्म के लैंगिक भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। तथापि, इसके अनेक प्रावधानों का प्रयोजन राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भूमिका निभाना है। संविधान में निहित आदर्शों को साकार रूप देने के लिए भारत की संसद ने सामाजिक-परिवर्तन के अग्रदूत की भूमिका निभाकर बड़ी संख्या में ऐसे विधान पारित किए हैं जिनका लक्ष्य महिलाओं का स्तर ऊंचा उठाना तथा उनका सशक्तीकरण करना है। हमने महिलाओं को समानता प्रदान करने तथा उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955; दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961; समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 और स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 आदि जैसे कई अन्य विधान बनाए हैं।

एक राष्ट्र के रूप में हम महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रति पूर्णत: प्रतिबद्ध हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्र के रूप में भी हमने महिलाओं के प्रति पक्षपात रोकने के लिए सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा, महिलाओं के राजनैतिक अधिकारों संबंधी अभिसमय, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनैतिक अधिकार संबंधी प्रतिज्ञापत्र, महिलाओं के प्रति सभी तरह के पक्षपात-निवारण संबंधी अभिसमय, इत्यादि जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रतिपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

केन्द्र तथा राज्यों में विभिन्न सरकारों ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने और चुनिंदा क्षेत्रों में विकास का सतत् मूल्यांकन करने की दिशा में सराहनीय कार्य कर रहा है। महिलाओं के लिए 'इंदिरा महिला योजना' और 'महिला समृद्धि योजना' आदि महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी संयुक्त संसदीय समिति, महिलाओं को शक्तिसंपन्न बनाने से जुड़े मुद्दों को देखने के लिए एक अन्य संसदीय पहल है।

महिला सशक्तीकरण के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की राजनैतिक शक्ति तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है। इस संबंध में, वर्ष 1993 का 73वां और 74वां संविधान-संशोधन भारतीय महिलाओं की प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इनका उद्देश्य ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के सभी स्थानीय निकायों में निर्वाचित होने वाले कुल स्थानों के एक-तिहाई भाग का आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित करके महिलाओं का राजनैतिक सशक्तीकरण करना है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने से महिलाओं को आगे आने और विकास प्रक्रिया के केन्द्र में रहने का मौका मिला है। संविधान (पचासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 प्रस्तुत करके महिलाओं को राजनैतिक अधिकारिता संपन्न बनाने की दिशा में एक अन्य प्रयास किया गया है, जिसके अंतर्गत संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थान आरक्षित करने की बात है। इसी प्रकार, हाल के वर्षों में, महिलाओं के लिए योजना-नीति 'कल्याण' और 'विकास' के स्थान पर अब नए आयाम को लेकर 'सशक्तीकरण' को प्रमुखता प्रदान की गई है।

यह एक कटु सत्य है कि इन सराहनीय प्रयासों के बावजूद, भारत में महिलाओं को घरेलू उत्पीड़न, सामाजिक अत्याचार और लैंगिक आधार पर भेदभाव जैसी कई विषमताओं से जूझना पड़ रहा है। भूमि, ऋण तथा अन्य उत्पादक संसाधनों के स्वामित्व के मामले में उनकी भूमिका अभी भी नगण्य है। अधिकांश महिला-वर्ग निर्धन है और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के क्षेत्र का लाभ उसे प्राप्त नहीं है। जब तक आर्थिक और सामाजिक रूप से महिलाओं को अधिकार संपन्न नहीं बनाया जाता, तब तक उनकी राजनैतिक अधिकारिता की बात निरर्थक है। ऐसे समाज में, जहां महिलाएं आर्थिक रूप से वंचित हैं, उनकी राजनीतिक समानता की बात करना बेमानी है।

भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया से तीव्र आर्थिक विकास के और रास्ते खुले हैं। नयी आर्थिक नीतियों में इस बात को लक्षित किया गया है कि सभी क्षेत्रों में अधिक वित्तीय अनुशासन व कुशलता और क्षमता-निर्माण हो ताकि आर्थिक और औद्योगिक विकास की गति तेज हो। साथ ही, विकास की ये प्रक्रियाएं देश के समक्ष खासी चुनौतियां भी पेश करती हैं, विशेषकर असहाय महिलाओं जैसे कमजोर तबकों के मामले में—जिनके हितों का संरक्षण अत्यावश्यक है। देश की महिलाओं के आर्थिक स्तर को सुधारे बिना न तो हम भूमण्डलीकरण का लाभ उठा सकते हैं, न ही प्रगति और समृद्धि का स्वप्न देख सकते हैं।

भारत सरकार ने गरीब तबके, विशेषकर गरीब महिलाओं और अनियमित क्षेत्र की महिलाओं, के स्तर को उन्नत करने के उद्देश्य से कई योजनाएं आरंभ करके, सामाजिक क्षेत्रों में सहायता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। इनमें 'राष्ट्रीय महिला कोष' और 'महिला समाख्या' जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। हमारी विकास प्रक्रिया वस्तुत: महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक अधिकारसंपन्नता से संबद्ध है। इस संबंध में हम पश्चिमी-जगत के अनुभव से भी सबक ले सकते हैं जहां महिलाओं का स्तर उन्नत बनाकर और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में अधिकार प्रदान कर उल्लेखनीय प्रगति अर्जित की गई है। हाल ही में, संगठित व्यापार क्षेत्र और उद्योग-जगत में अधिकाधिक संख्या में महिलाएं सामने आई हैं, यह एक स्वागत योग्य बात है। उत्पादन-प्रक्रिया में उनकी भूमिका लगातार

महत्वपूर्ण होती जा रही है। तथापि, उन्हें अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए आवश्यकता-आधारित वित्त, प्रशिक्षण, और क्षमता-निर्माण के क्षेत्र में सहायता और अनुसमर्थन चाहिए। इस ओर भारतीय निगमित क्षेत्र की भूमिका हो सकती है और वह उन्हें सफल उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

इन शब्दों के साथ, मुझे ''महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्तीकरण: 21वीं सदी का स्वरूप'' विषय पर इस सेमिनार का उद्घाटन करते हुए बहुत खुशी हो रही है। आइए, हम महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए लगातार प्रयास करने का संकल्प करें ताकि वे 21वीं सदी में अपना न्यायोचित स्थान प्राप्त कर सकें।

मैं इस सेमिनार की सफलता की कामना करता हूं।

धन्यवाद।

महिलाओं के प्रति संवेदनशील शासन की आवश्यकता*

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सब के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। आरंभ में मैं राष्ट्रीय महिला आयोग तथा आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे "शासन में महिलाएं" जैसे अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल होने का अवसर प्रदान किया।

आज सभी समाजों के समक्ष यह चुनौती है कि एक ऐसी शासन प्रणाली विकसित की जाए जो मानव विकास का संवर्धन, सहायता और पोषण करे। सुशासन को व्यापक रूप से किसी राष्ट्र के कार्यकलापों के संचालन के लिए राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक प्राधिकार का प्रयोग करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब इस बात को स्वीकार किया जाता है कि सुशासन में कई महत्वपूर्ण घटक अवश्य होने चाहिएं। इसमें सहभागिता का अंश होना चाहिए; यह सर्वसम्मति पर आधारित हो; इसे जवाबदेह, पारदर्शी, अनुक्रियाशील, प्रभावी और कार्यकुशल, न्यायसंगत और व्यापक होना चाहिए तथा इसे विधि के नियमों का पालन करना चाहिए। इसमें यह भी परिकल्पित है कि वंचित वर्ग के विचारों को ध्यान में रखा जाए तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में समाज में सर्वाधिक संवेदनशील वर्ग की बात सुनी जाए। अतः, शासन में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता तथा महिलाओं के प्रति संवेदनशील बेहतर शासन ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो विकास और राष्ट्र निर्माण हेतु सुशासन के अनिवार्य अंग हैं।

आज की कार्यशाला का विषय और भी अधिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि महिलाएं विश्व की जनसंख्या का लगभग आधा भाग हैं, फिर भी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी स्तरों पर और विशेषकर किसी राष्ट्र के राजनीतिक जीवन में, अभी भी उनकी उपेक्षा की जाती है। उनकी बौद्धिक क्षमता, निर्वाचकों के रूप में उनके महत्व तथा परिवर्तन लाने के लिए कार्य करने की उनकी क्षमता को अभी भी पूरी तरह पहचाना नहीं गया। इस वर्ष जनवरी में नई दिल्ली में भारत की संसद की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन में विश्वभर से कई प्रतिनिधियों ने लोकतंत्र तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण की राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया था। मेरे विचार से एक ऐसी निर्वाचित संसद, जो समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हो और जो विधान पारित करके

*"शासन में महिलाएं" विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर, नई दिल्ली (7 मार्च 2003)

और सरकार के कार्यों पर निरन्तर निगरानी रखकर जनसामान्य की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने के लिए अपेक्षित शक्ति और साधन रखती हो, लोगों और विशेषकर कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने तथा स्थायी शांति और सुव्यवस्थित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

तथापि, राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता के संबंध में विश्व में वर्तमान स्थिति बहुत उत्साहजनक नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2002 की एक रिपोर्ट के अनुसार, 1999 में विश्व में केवल 16 देशों में महिला सांसदों की संख्या 25% से कुछ अधिक थी, लगभग 22 देशों में शासनाध्यक्ष महिलाएं थीं और वर्ष 2000 तक केवल 16 महिलाएं ही राष्ट्राध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रही थीं। यहां तक कि, जहां महिला मंत्री है, वहां भी यह देखा गया है कि उन्हें कम महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए हैं और सिविल सेवा तथा प्रबंधकीय सेवा में उच्च पदों पर उनका प्रतिनिधित्व अपने पुरुष साथियों की तुलना में काफी कम है। संसद में महिलाओं के अनुपात के संबंध में 'नार्डिक' देश विश्व में सबसे आगे हैं जिनमें महिलाओं का औसत 39.9% है। 'नार्डिक' देशों की संसदों में महिलाओं के इस उच्च अनुपात के कई कारण बताये जा सकते हैं—जैसे कि शिक्षा के समान अवसर, महिलाओं द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के महत्व को स्वीकार करना तथा व्यापक राष्ट्रीय और राज्य नीतियों की स्थापना, जिनका उद्देश्य महिलाओं तथा पुरुषों के लिए पारिवारिक तथा व्यावसायिक उत्तरदायित्वों के बीच सामंजस्य बिठाना है। हमने देखा है कि कई देशों में, इस तथ्य के बावजूद कि लगभग सभी देशों में महिला मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है, राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की संख्या कम है। यदि हम थोड़ा और आगे जायें तो हम पाते हैं कि अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जहां महिलाओं को मत देने और राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय प्रतिनिधिक निकायों में निर्वाचित होने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

समाज में पुरुषों और महिलाओं के लिए पारंपरिक मानदंड तथा परंपरा के अनुसार निर्दिष्ट भूमिका, विगत में महिलाओं की राजनैतिक प्रक्रिया में भागीदारी पर प्रतिबंध लगाने में सहायक थी। यह एक महत्वपूर्ण घटना है कि पिछली सदी में हुए महिला आंदोलनों ने महिलाओं की जीवनशैली में बदलाव लाते हुए और व्यापक सामाजिक तथा राजनैतिक परिवर्तन करते हुए कई बाधाओं पर सफलता प्राप्त की है। कुल मिलाकर महिला आंदोलन का पहला चरण उन अधिकारों को प्राप्त करने पर केन्द्रित था जो पुरुषों को पहले से ही मिले हुए थे, जिनमें नागरिकता का अधिकार, मतदान का अधिकार और शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का काम हाथ में लेने का अधिकार आदि शामिल थे। नये स्वतंत्र विकासशील देशों में ये अधिकार राष्ट्र की स्वतंत्रता के साथ ही मिल गए थे। इन देशों के स्वतंत्रता संग्रामों में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था और राष्ट्रीय परिवर्तन के अपने मंचों पर महिलाओं को एकीकृत करने की आवश्यकता को स्वीकार किया।

साठ के दशक के अंत में और सत्तर के दशक के आरंभ में, महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता के मुद्दे विश्वव्यापी एजेंडे में शीर्ष पर पहुंचने लगे। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया। इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना उस समय घटित हुई जब 1975 में

मैक्सिको शहर में पहला विश्व महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। तदनन्तर 1976-85 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक घोषित किया गया। तभी से महिलाओं और पुरुषों से संबंधित मुद्दे विश्वव्यापी तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रमुख अंग बन गए हैं और ऐसे तीन और विश्व महिला सम्मेलन कोपेनहेगन में 1980 में, नैरोबी में 1985 में, तथा बीजिंग में 1995 में आयोजित किए जा चुके हैं।

यद्यपि विश्व में लिंगभेद के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, तथापि यह भी सच है कि स्त्री-पुरुष समानता प्राप्त करने की कार्यान्वयन प्रक्रिया ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कुछ सीमा तक धार्मिक कारणों से काफी धीमी गति से आगे बढ़ रही है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सीमित करने वाले कुछ कारण यह भी हो सकते हैं—जैसे कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की अपेक्षाकृत अल्प ऐतिहासिक परम्परा और उनमें प्रचार कार्य की अनुभवहीनता, सार्वजनिक चर्चा का अभाव और मीडिया के समक्ष अपने विचार व्यक्त न करना, अनुभव की कमी, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी के प्रति प्रचलित नकारात्मक रवैया, मतदाताओं का महिला उम्मीदवारों में कम विश्वास जताना और उनका समर्थन न करना; महिलाओं द्वारा राजनैतिक जीवन और परिवार में अपनी पारंपरिक भूमिका के बीच सामंजस्य बिठाने में कठिनाई महसूस करना; आर्थिक निर्भरता अथवा वित्तीय साधनों का अभाव होना और सामान्य शिक्षा और विशेष रूप से, राजनैतिक शिक्षा का अभाव होना।

मित्रो, विकसित देशों में इनमें से कुछ बाधाएं अब नहीं रही हैं इससे सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन मिला है जबकि विकासशील देशों में स्थिति इतनी अनुकूल नहीं है। इन देशों में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन और राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। किन्तु, राष्ट्रमंडल देशों में, विशेषत: दक्षिण एशियाई क्षेत्र में महिलाओं ने बेहतर भूमिका निभाई है। विश्व के इस भाग में भारत, श्रीलंका, बांगलादेश और पाकिस्तान में समय-समय पर अनेक दिग्गज महिला नेता हुई हैं। किन्तु, प्रश्न यह है कि क्या इससे इन देशों में महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है?

मित्रो, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, हमारे संविधान ने महिलाओं को समानता ही प्रदान नहीं की बल्कि महिलाओं के लिए सकारात्मक पहल करने के लिए राज्य को अधिकार भी दिए हैं। वयस्क मताधिकार के सिद्धान्त को अपनाकर भारतीय संविधान ने महिला आबादी को देश के शासन में प्रत्यक्ष भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की है।

मित्रो, आपको ज्ञात ही होगा कि वर्तमान लोक सभा में मतदाताओं की संख्या 619 मिलियन थी, जिसमें से महिला मतदाताओं की संख्या 295.7 मिलियन थी, जो विश्व की किसी भी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सर्वाधिक है। लोकतंत्र के प्रति भारतीय महिलाओं की प्रतिबद्धता की जानकारी मात्र मतदान प्रक्रिया में उनकी भागीदारी से ही नहीं, बल्कि उस बढ़ते हुए उत्साह से भी मिलती है जिसके साथ वे देश के विधानमंडलों तथा अन्य प्रतिनिधि निकायों में प्रतिनिधित्व हासिल करने की आकांक्षा रखती हैं। तेरहवीं लोक सभा में 48 महिला सदस्य हैं जिनका प्रतिशत 9.02 है, जो महिलाओं का अब तक का सबसे अधिक प्रतिशत है जबकि पहली लोक सभा के लिए 22 (4.4%) और दूसरी

लोक सभा के लिए 27 महिलाएं निर्वाचित हुई थीं। वर्ष 1952 में राज्यसभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी जो 1980 में सर्वाधिक 29 हो गई थी। वर्तमान में राज्य सभा में 25 महिला सदस्य हैं।

महिला सदस्य हमारी संसद और राज्य विधानमंडलों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सूचना-परक और राष्ट्र निर्माण की भूमिका में महिलाएं राष्ट्रीय एकता और अखंडता की संवर्धक हैं। महिलाएं राष्ट्र की अंत:शक्ति और क्षमता का आधा हिस्सा हैं। अधिकार वाले पदों से उन्हें अलग रखना एक न्यायपूर्ण समाज के विकास को बाधित करना है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी के बिना राजनीतिक प्रक्रिया निश्चय ही इतनी प्रभावी नहीं हो पाएगी जितनी वह हो सकती है या होनी चाहिए।

हमारी संसद ने संविधान में व्यक्त विचारों और आदर्शों को वास्तविकता में बदलने का सतत प्रयास किया है। जहां तक महिलाओं के कल्याण का संबंध है, संसद ने अनेक अभिनव विधान बनाए हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:— (1) बाल विवाह (अवरोध) अधिनियम, 1929; (2) हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956; (3) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956; (4) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961; (5) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961; (6) गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971; (7) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976; (8) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1986; (9) स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986; (10) सती (निवारण) अधिनियम, 1987; और (11) प्रसव पूर्व निदान तकनीक (दुरुपयोग विनियमन तथा निवारण) अधिनियम, 1994 तथा अधिनियम में किए गए परवर्ती संशोधन। इन विधानों का प्रयोजन कार्यस्थल पर, सामाजिक भेदभाव, हिंसा और उत्पीड़न के विरुद्ध तथा बाल-विवाह, दहेज प्रताड़ना से होने वाली मौतों, बलात्कार आदि से महिलाओं को संरक्षण प्रदान करना है।

मित्रो, हमारी संसद ने अप्रैल, 1997 में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी संयुक्त संसदीय समिति बना कर एक अन्य पहल भी की है। इस समिति का गठन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य सभा और लोक सभा में रखे गए समान संकल्पों के फलस्वरूप किया गया था। इस समिति का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है। जिसके अंतर्गत विधान बनाने के प्राय: सभी क्षेत्रों और महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रयोजन से की जाने वाली अन्य कार्यवाहियों को शामिल किया जाता है।

जैसाकि आप सभी जानते हैं, हमारे संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में शासन के निचले स्तरों तक महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इन संशोधनों से महिलाओं को न केवल विकास के मोर्चे पर आगे आने तथा उसके केन्द्र में रहने का मौका मिला है, बल्कि पंचायती राज संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व भी और बढ़ा है। अब संशोधनों से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी निश्चित ही एक बड़े मुकाम पर पहुंची है और लगभग एक मिलियन महिलाओं का राजनीतिक रूप से सशक्तीकरण हुआ है जो विकेन्द्रीकृत शासन संरचना के अधीन विकास-कार्यों में निर्णायक रूप से भागीदारी करने में समर्थ हुई हैं। प्रत्येक पंचायत-चुनाव में ऐसी नई महिला नेत्रियां चुन कर आई हैं जिनके पीछे सक्रिय और मुखर रूप से महिला-वर्ग की सम्मति तथा समर्थन रहा

है। संविधान (पचासीवां संशोधन) विधेयक, 1999, के माध्यम से लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में कम से कम एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव है; यह विधेयक अभी संसद में लंबित है।

राष्ट्रीय महिला आयोग जैसे सांविधिक निकाय की स्थापना महिलाओं के लिए समानता, बराबरी तथा न्याय पाने की दिशा में निश्चित रूप से एक अग्रणी कदम है। इस आयोग का गठन हमारी संसद द्वारा पारित इस आशय के एक विधान के अनुसरण में किया गया था। इस आयोग का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम—''कल के लिए महिलाओं को तैयार करना'' (प्रिपेयरिंग द वूमन फार टुमारो) का उद्देश्य स्पष्ट रूप से उन बालिकाओं को, जो कल की महिलाएं हैं, कानूनी और मानव अधिकारों के प्रति जागरूक बनाकर सशक्त करना है, जोकि राजनीतिक शासन-व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की मुख्य आधारशिला है। फिर, राज्य आयोग भी हैं जो अत्यन्त उत्साहपूर्वक राष्ट्रीय आयोग से मार्गदर्शन प्राप्त कर, अपने-अपने राज्य में महिलाओं की स्थिति के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

भारत में हमने महिलाओं की जरूरतों की ओर विशेष ध्यान दिया है ताकि वे अपने संवैधानिक अधिकारों का लाभ उठा सकें एवं उनका उपयोग कर सकें इस प्रकार लोकतंत्र में उनकी प्रतिभागी भूमिका का मार्ग प्रशस्त होगा। आप सब जानते हैं कि महिलाओं की समानता तथा उन्हें राजनैतिक, आर्थिक और सामजिक जीवन की मुख्य धारा में लाने के मुद्दे विगत 50 वर्षों से राष्ट्रीय कार्य सूची में रहे हैं। केवल राजनीतिक सत्ता में महिलाओं की भागीदारी का सवाल ही प्रमुख मुद्दा नहीं रहा है, बल्कि निर्णय लेने के सभी क्षेत्रों में, यथा, सरकारी निकायों, लोक प्रशासन, न्यायपालिका और निगमों तथा तकनीकी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी गयी है। महिलाओं के सशक्तीकरण के समग्र दृष्टिकोण के प्रति सरकार और संसद की प्रतिबद्धता इस बात में परिलक्षित होती है कि निर्णय की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार सतत प्रयास कर रही है।

मित्रो, यह बात महत्वपूर्ण है कि महिलाओं की क्षमताओं और कार्यकुशलता को लगातार बढ़ाया जाना चाहिए। सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा महिला प्रतिनिधियों को शिक्षित करने, प्रशिक्षण देने तथा शक्ति संपन्न बनाने के लिए सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वे और अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से अपना कार्य कर सकें। इस दिशा में राष्ट्रीय महिला आयोग भी विभिन्न प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यशालाएं आयोजित करके सराहनीय प्रयास कर रहा है।

वस्तुत: आज, हम सब महिला सशक्तीकरण और लैंगिक आधार पर अधिक सुग्राही शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न हैं। केन्द्र सरकार के विभिन्न विभाग और मंत्रालय एक ''महिला घटक योजना'' बनाने में व्यस्त हैं ताकि उनके द्वारा चलाये जाने वाले कार्यक्रमों का कम से कम 30% लाभ महिलाओं को मिलना सुनिश्चित किया जा सके। महिलाओं की प्रगति, विकास और सशक्तीकरण के उद्देश्य से वर्ष 2001 में ''राष्ट्रीय महिला अधिकारिता नीति'' का अनुमोदन किया गया। जैसे कि आप सभी को विदित होगा कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री कृष्णचंद्र पंत की अध्यक्षता में बने

एक महिला एवं बाल कार्यबल ने सिफारिश की है कि सरकारी और गैर-सरकारी विशेषज्ञों की एक अन्तर-मंत्रालय स्थायी समिति, दसवीं योजना की समयावधि के दौरान सतत रूप से, चिन्हित मुद्दों और सरोकारों पर ध्यान दे ताकि राष्ट्रीय संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाई जा सके और आर्थिक विकास की मुख्य धारा में उनका न्यायोचित स्थान सुनिश्चित किया जा सके।

मित्रो, अक्सर सामाजिक समस्याओं के लिए कानूनी उपायों का सहारा लिया जाता है। यद्यपि, यह सुगम विकल्प है किन्तु इससे ऐसे परिणाम नहीं निकलते जो लंबे समय तक कायम रह सकें। जब तक किसी समस्या को उचित तरीके से न समझा जाये और उसके समाधान की जरूरत को न समझ लिया जाये, कानूनी उपाय भर से कोई उपयोगी समाधान नहीं निकल सकता। जरूरत इस बात की है कि महिलाओं के प्रति वर्तमान में जो पूर्वाग्रहयुक्त सोच है उसे बदलने के लिए एकजुट होकर प्रयास हों और विभिन्न गतिविधियों में उन्हें भागीदारी मिले ताकि उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में वे और सक्षमतापूर्वक भाग ले सकें। यहां शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र और निर्वाचन के माध्यम से होने वाली पदस्थापनों में मौका देकर काफी कुछ किया जाना शेष है। इस चुनौतीपूर्ण काम को पूरा करने की प्रक्रिया शिक्षा के क्षेत्र से शुरू होनी चाहिए। सरकार को ऐसी प्रणाली बनाकर महिलाओं के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए जिससे शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसी तरह, बालिका शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं। व्यवसायिक शिक्षा भी, खासकर बालिकाओं के लाभ के लिए, बहुत आवश्यक है। मुझे खुशी है कि इस दिशा में सरकार ने अनेक कार्यक्रम शुरू किये हैं। सिविल सेवा, न्यायपालिका, निगमित क्षेत्र आदि में महिलाओं को विभिन्न पद ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को लघु ऋण की सहज सुलभता तथा महिला उद्यमियों को विशेष सुविधा देने से भी काफी सहायता मिलेगी। ऐसे उपाय होंगे तो शासन व्यवस्था भी लैंगिक आधार पर अधिक संवेदनशील होगी। इन सभी मामलों में राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे आशा है कि शासन में महिलाओं को और अधिक भूमिका देने के मामले पर इस राष्ट्रीय कार्यशाला में ठोस और व्यवहार्य विचार रखे जायेंगे।

इन शब्दों के साथ मुझे "शासन में महिलाएं" विषय पर इस राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए बहुत प्रसन्नता है।

धन्यवाद।

27

सिविल सेवा–भारतीय प्रशासनिक प्रणाली का फौलादी ढांचा*

संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी इस प्रबोधन पाठ्यक्रम में आप के बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस प्रतिष्ठित सेवा के लिए चुने जाने पर मैं आपको बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि आप सभी अपने जीवन में सफल हों।

मित्रो, आपसे मेरा परिचय कराते समय कहा गया था कि मेरी भी क्रिकेट के खेल में रुचि है। हां, मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन हूं। इसलिए, आज मैं खुश भी हूं और दुखी भी। खुश इसलिए हूं कि भारत ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में 200 से अधिक रन बनाये हैं और दुख इस बात है कि सचिन तेंदुलकर 97 रन बनाकर आउट हो गये। यही तो जिन्दगी है। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम निराशा से भी घिर जाते हैं; विशेष रूप से, आप लोगों को, जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा को अपना कैरियर बनाया है, भविष्य में कई बार इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा।

आप लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आप सभी को मालूम है कि शास्त्री जी 'निष्काम कर्म' के लिए विख्यात थे। वह प्रधान मंत्री के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और अपने संयम, सरलता और त्याग के लिए प्रसिद्ध थे। मुझे विश्वास है कि जिस संस्थान से आपने प्रशिक्षण लिया है, उस संस्थान का केवल नाम ही आपको उन सभी गुणों के लिए प्रेरित करेगा, जो शास्त्री जी में थे।

आप सभी जानते हैं कि हाल ही में भारत की संसद ने पचास वर्ष पूरे किए हैं और हमने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन आयोजित करके इसकी स्वर्ण जयंती मनाई थी। इसमें लगभग 75 देशों ने भाग लिया था। विदेशों से 165 प्रतिनिधि आये थे और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई थी। उनमें से एक विषय संसदीय प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधारों की आवश्यकता पर था ताकि कार्यपालिका की और अधिक जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा सके।

सिविल सेवकों का कार्यक्षेत्र, नि:संदेह उन कई अन्य कार्यक्षेत्रों से भिन्न है जिन्हें युवा वर्ग चुनता है। सिविल सेवा एक प्रकार से भारतीय प्रशासनिक प्रणाली का फौलादी ढांचा है। आपको अपने

---

* भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय प्रणाली और प्रक्रिया संबंधी परिबोधन पाठ्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर, संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो, नई दिल्ली (10 मार्च 2003)

प्रशिक्षण के दौरान संसद और जनसाधारण के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही की अवधारणा के संबंध में बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा को फौलादी ढांचा कहा जाता है क्योंकि लोकतंत्र में सरकार की नीतियां बदलती रहती हैं लेकिन, विशेष रूप से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा संचालित प्रशासन, ज्यों का त्यों बना रहता है। मैं "ढांचा" शब्द से पूर्णत: सहमत हूं क्योंकि यह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का "फौलादी ढांचा" है। उनकी कार्यशैली किसी राजनैतिक दल की विचारधारा से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्हें आम लोगों के हितों का ध्यान रखना होगा। उनको अपने चुने गए कार्यक्षेत्र में अपना कर्त्तव्य भी ईमानदारी के साथ निभाना होगा।

मैं, खास तौर पर, महाराष्ट्र राज्य में और तत्पश्चात् केन्द्र सरकार में विभिन्न पदों पर आसीन रहने के कारण प्रशासन के साथ और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अनेक अधिकारियों के संपर्क में रहा हूं। मैंने अपने जीवन की शुरूआत मुम्बई शहर में बृहन्मुंबई नगर निगम से की। सौभाग्य से मैंने जहां पर भी काम किया, वहां पर मैं शीर्ष पद तक पहुंचा और इसी क्रम में मैं मुम्बई का महापौर भी बना। तत्पश्चात् महाराष्ट्र राज्य में मैंने लगातार 25 वर्षों तक विधान सभा और विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया। मुझे महाराष्ट्र, जो कि एक उन्नत राज्य है, के मुख्य मंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ। उसके बाद, मैं केन्द्रीय भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री के रूप में नई दिल्ली आ गया। इस प्रकार अपने पूरे सार्वजनिक जीवन में, मेरा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ सरोकार रहा।

मित्रो, मैं आपसे जो भी बात कर रहा हूं वह अपने अनुभव से कर रहा हूं और जो उम्मीदें मुझे आपसे हैं वह पिछले कई वर्षों से प्रशासन के साथ काम करके हुई हैं। राजनीतिज्ञों और प्रशासकों का मूल लक्ष्य एक ही है और वह है—लोकतांत्रिक साधनों के जरिये जनता का कल्याण। अपने देश में पिछले 53 वर्षों के अनुभव से हम निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने लोकतांत्रिक कार्यपद्धति अपनाई है और सभी राजनैतिक दलों का एकमात्र लक्ष्य जनता का कल्याण करना है। लोकतांत्रिक प्रणाली के कार्यकरण में कार्यपालिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन में पूरे विश्व से आए हुए प्रतिनिधियों ने समय के साथ-साथ बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप सुशासन में सिविल सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। इसलिए, हमारे सामने प्रश्न उठता है कि सुशासन क्या है? मुझे विश्वास है कि आप लोगों के प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा कई बार यह प्रश्न उठाया गया होगा। सुशासन कैसे स्थापित किया जाए, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर देश भर में चर्चा होती है।

आज शासन के जिस स्वरूप को हम जानते हैं और कार्यान्वित करते हैं, वह लम्बे समय के बाद विकसित हुआ है सुशासन के मामले में हमारे महान देश ने अन्य देशों को पाठ पढ़ाया है। परिवर्तन के साथ निरन्तरता का हमारा उदाहरण अनूठा है। जैसा मैंने कहा, हम सबके समक्ष प्रश्न यह है कि किस प्रकार के शासन को सुशासन कहा जाए? प्रशासकों के रूप में आप सब देश के शासनतंत्र के अंग हैं। एक वाक्य में कहूं तो मैं कहूंगा कि सुशासन भागीदारीपूर्ण, ईमानदार, सहमति परक, जवाबदेह,

पारदर्शी, अनुक्रियाशील, प्रभावी, दक्ष, न्यायसंगत, समग्रतापूर्ण और कानून के नियम का अनुसरण करने वाला होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून के नियम का अनुसरण हो। हम, राजनीति के लोग सुशासन के लिए सदैव प्रशासन पर निर्भर करते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, ईमानदारी सुशासन का एक महत्वपूर्ण घटक है। जब हम ईमानदारी की बात करते हैं तो भारत के नागरिक होने के नाते आपने अनुभव किया होगा कि यह ईमानदारी दुर्लभ वस्तु बन गई है और ईमानदार लोग मुश्किल से ही मिलते हैं। एक पत्रिका में मैंने पढ़ा कि उन्होंने 'ईमानदार' देशों की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण कराया था। पत्रिका के ही किसी व्यक्ति ने कुछ खाली पैकेट लिए और उन पैकेटों में कुछ डालर, अपना नाम, पता और फोन नम्बर लिख दिए। इन पैकेटों को हवाई जहाज से अलग-अलग देशों में गिराया गया। पत्रिका ने प्रतीक्षा की कि कितने लोग पैकेटों को वापिस करते हैं। नार्वे में, उन्होंने पाया कि जिन लोगों को पैकेट मिले थे, उनमें से सभी ने पैकेट लौटा दिए; जापान में 70 प्रतिशत व्यक्तियों ने ये पैकेट उन व्यक्तियों को लौटाए जिन्होंने पैकेट गिराए थे। अमेरिका में 67 प्रतिशत व्यक्तियों ने पैकेट लौटाकर ईमानदारी दिखाई। चीन में लौटाए गए पैकेटों का प्रतिशत 30 था; और मैक्सिकों में यह प्रतिशत 21 था। आप सबको इस बात की जिज्ञासा होगी कि भारत के मामले में क्या हुआ। भारत में पैकेट गिराए ही नहीं गए थे। इसलिए, ईमानदारी का यह प्रश्न हमारे देश पर लागू ही नहीं होता। किन्तु, आप सोच सकते हैं कि पत्रिका द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार कुछ देशों में लोग पूरी तरह ईमानदार थे जबकि कुछ देशों में बेईमानी की स्थिति कल्पनातीत थी। संक्षेप में, मैं यह कहना चाहता हूं कि ईमानदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। आईएएस अधिकारियों के मामले में, मेरा अनुभव यह रहा है कि मैंने उन्हें ईमानदार पाया है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप सब यहां पर उपस्थित हैं, बल्कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने सेवाकाल में ईमानदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका की जवाबदेही की तुलना में प्रशासनिक उत्तरदायित्व ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मौटे तौर पर सरकार के दो कार्यपालक स्कंध होते हैं; एक राजनीतिक नेतृत्व और दूसरा सिविल सेवा। हमारे देश में वस्तुतः पर्याप्त नियम-कानून हैं। मुझे याद है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री टी.एन. शेषन ने सरकार से कभी भी नया कानून बनाने का अनुरोध नहीं किया। वह कहा करते थे कि वर्तमान कानूनी ढांचे में भी वह अच्छा काम कर सकते हैं। अतः सामान्यतया यह बात नहीं है कि कानून अपर्याप्त हैं। देश में बहुत से कानून हैं। प्रश्न इन कानूनों के कार्यान्वयन का है। मुझे याद आता है कि जब मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था तो अधिकारीगण समस्याएं लेकर मेरे पास आते थे। मैं आईएएस अधिकारियों के बीच बैठता था। वे मुझसे कहा करते थे किसी अधिनियम विशेष में संशोधन आवश्यक है या नियमों में परिवर्तन आवश्यक है। राज्य सरकार का प्रमुख होने के नाते मैं तुरंत कार्रवाई करता था। इसलिए, मैं सरकार को, मंत्रियों को यह बताना चाहता हूं कि जब भी कोई आईएएस अधिकारी उनके पास आता है और यह कहता है कि जनहित में अमुक काम आवश्यक है, तो वह किसी नियम को या मंत्रिमंडल के निर्णय को तुरंत बदलवा सकता है। अतः भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यदि कोई अच्छा कार्य करने के इच्छुक हों, तो इसके लिए राजनीतिक स्वीकृति प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं है। सुशासन के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि दोनों के संबंध मधुर और मैत्रीपूर्ण हों। दुर्भाग्यवश, मुझे ऐसा लगता है कि आज

बहुत से राज्यों में प्रशासन तथा राजनीतिक वर्ग के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। अतः भारतीय प्रशासनिक सेवा में सम्मिलित हुए नए अधिकारियों का यह भी दायित्व होगा कि वे राजनीतिज्ञों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कला सीखें। यदि एक बार आप यह निर्णय कर लें और इसे अपना अंतिम लक्ष्य बना लें, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि आपको अपने उच्चाधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना है, तो कुछेक राज्यों को छोड़कर आपके लिए अच्छे संबंध बनाकर रखना कठिन नहीं होगा।

जब हम कार्यपालिका की जिम्मेदारी की बात करते हैं तो इससे हमारा तात्पर्य संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही से होता है। जब हम प्रशासनिक दायित्व की बात करते हैं, तो इससे हमारा तात्पर्य संसद के प्रति तथा इसके माध्यम से लोगों के प्रति सिविल सेवा कर्मचारियों की सृजनात्मक और रचनात्मक जवाबदेही है। इस मुद्दे पर मैंने कई बार विचार किया है कि हम लोगों के कल्याण के लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। इस लक्ष्य को केवल जवाबदेही के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।

सिविल सेवा में कार्य करना हमेशा से एक चुनौतीपूर्ण कार्य माना जाता रहा है। मित्रो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जिस सेवा को स्वीकार करने का निर्णय लिया है, वह वास्तव में चुनौतीपूर्ण है। आप जो कार्य करने जा रहे हैं, वह आसान नहीं है। किन्तु इसके साथ ही आपको लोगों की सेवा करने का संतोष भी मिलता है। लेकिन मैंने ऐसा पाया कि अब युवा वर्ग भारतीय प्रशासनिक सेवा को अपने कैरियर के रूप में चुनने का इच्छुक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे इस कैरियर को चुनने में आने वाली कठिनाइयों को भलीभांति समझते हैं। इन दिनों बहुत से युवाओं को लगता है कि कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाना तथा जितनी जल्दी हो सके, अमेरिका जाना कहीं बेहतर है किंतु वे युवा जो लोगों की सेवा करने का लक्ष्य रखते हैं, निश्चित रूप से भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के कैरियर को चुनेंगे तथा कैरियर तब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब वह वास्तव में कार्य करना शुरू करते हैं।

संसद तथा सिविल सेवा के बीच घनिष्ठ संबंध है किंतु सिविल सेवा तथा संसद के बीच का संबंध मंत्री के माध्यम से होता है। कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसद सदस्यों के पास कई प्रक्रियात्मक साधन उपलब्ध होते हैं जैसे प्रश्न, प्रस्ताव, संकल्प, बजट पर चर्चा इत्यादि। इसके अलावा, संसद द्वारा सरकार के कार्यकरण पर कड़ी निगरानी रखने के लिए हमारे पास एक व्यापक समिति प्रणाली है। इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों को समिति के समक्ष जाकर मंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में बताना होता है। तदुपरान्त कार्यपालिका के अधिकारियों ने समिति को जो कुछ भी बताया हो, संसद सदस्य उसके विषय में प्रश्न पूछते हैं। समिति का कार्यकरण बहुत सफल रहा है। विभागों से सम्बद्ध सत्रह स्थायी समितियां हैं जो लघु संसदों के रूप में कार्य करती हैं क्योंकि इनमें अधिकारियों और निर्वाचित सदस्यों के बीच सीधी चर्चा होती है। समितियों के माध्यम से सिविल सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संसद सदस्यों के सीधे सम्पर्क में आते हैं। इन समितियों में संसद सदस्यों की सीमित संख्या रहती है जो उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं तथा अधिकारियों को इन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। संसदीय कार्यकलापों के चलते सिविल सेवा के अधिकारी सभा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने, किसी चर्चा के दौरान मंत्री के उपयोग हेतु टिप्पण तैयार करने, सभा में दिए जाने वाले

भाषणों तथा अन्य संबंधित मामलों के बारे में तैयारी करने में व्यस्त रहते हैं। अधिकारी समितियों के माध्यम से कार्य करते हैं और अंतत: वे संसद के संपर्क में आते हैं। मैं आपको तीन मूलभूत सिद्धांतों के बारे में बताना चाहूंगा जिन्हें प्रत्येक सिविल सेवा अधिकारी को संसद के साथ संवाद करते समय ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात, संसद को जानबूझकर गलत जानकारी कभी भी न दें क्योंकि यह सिविल सेवा के किसी भी अधिकारी का संभवत: सबसे बड़ा अपराध है। संसद देश की सर्वोच्च संस्था है तथा कागजात में जो कुछ भी हो, वह सब संसद को ईमानदारी से बताया जाना चाहिए।

दूसरी बात, मांगी गई जानकारी संसद को अवश्य दी जानी चाहिए और इसमें विलम्ब नहीं करना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अध्यक्ष बनने के बाद मुझे यह पता चला कि प्रशासक सदैव सही जानकारी देते आए हैं और उन्होंने यह जानकारी यथासंभव समय पर ही उपलब्ध कराई है। अत: जानकारी सही होनी चाहिए और जानकारी सही समय पर दी जानी चाहिए।

तीसरी, बात यह कि यहां की संसद को दी जाने वाली जानकारी संगत और यथार्थ होनी चाहिए। आपने देखा होगा और कई बार अखबारों में भी पढ़ा होगा कि मंत्री जो जानकारी देते हैं, वह संगत नहीं होती और कभी कभार सही भी नहीं होती। कई बार यह संगत इसलिए नहीं होती क्योंकि मंत्री जी ने प्रश्नों और उनके उत्तर को सही ढंग से पढ़ा नहीं होता। इसी कारण मंत्री गलत जवाब देने लगते हैं और उनके उत्तर संगत भी नहीं होते। अध्यक्ष द्वारा अपना नाम पुकारे जाने पर जब मंत्री सभा में उत्तर देने के लिए खड़े होते हैं, उस समय यदि उन्होंने अच्छे ढंग से तैयारी न की हो तो वह गलत जानकारी देने लगते हैं और कई बार उनकी फाइल में दी गई जानकारी अपूर्ण भी होती है। अत: मंत्री जी को पूरी जानकारी देनी होती है। मंत्री जी से भी यह आशा की जाती है कि वह ठीक ढंग से इसका अध्ययन करें। यदि वह सही ढंग से इसका अध्ययन करें तो विपक्षी दलों को यह शिकायत नहीं रहेगी कि मंत्री जी असंगत बातें कह रहे हैं।

आपने हाल ही में, प्रेस में, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के बारे में पढ़ा होगा। इस योजना के अंतर्गत संसद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक धनराशि अनुमोदित की जाती है जिसे सांसद द्वारा अपने क्षेत्र में व्यय किया जाना होता है तथा उनसे अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के हित में इसका समुचित रूप से व्यय किए जाने की अपेक्षा की जाती है। यह धनराशि विकास संबंधी कार्यों के लिए दी जाती है। यह एक नवीन योजना है जिसका उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्रों में जन-केन्द्रित, छोटे पैमाने की अवसंरचनात्मक विकास संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इस समय जब मैं इस मुद्दे पर आपसे बात कर रहा हूं, राज्य सभा में एक चर्चा चल रही है। वे इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं अर्थात् संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। आमतौर पर यह संसद सदस्यों द्वारा व्यय किए जाने वाली निधि के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी निधि विधानसभा के सदस्यों तथा बड़े नगर निगमों के मामले में निगम पार्षदों को भी उपलब्ध है। यह निधि लोकप्रिय हो गई है और अब इसे आलोचनात्मक दृष्टि से भी देखा जा रहा है। वस्तुत: मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह निधि संसद सदस्य के निर्देश के अनुसार ही व्यय की जाती है। अतएव संसद सदस्यों के कमीशन के रूप में धन लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन दुर्भाग्यवश यह एक सार्वजनिक

मुद्दा बन गया है। यह कहा जाता है कि संसद सदस्य कभी-कभी इस राशि से अपना कमीशन लेने की कोशिश करते हैं। मुझे विश्वास है कि इससे संसद सदस्य की गरिमा कम होती है। लोक सभा में इस मुद्दे पर जोरदार चर्चा हुई थी और इस समय राज्य सभा में एम.पी. लैड्स पर एक विशेष चर्चा चल रही है। मुझे विश्वास है कि एम.पी. लैड्स राशि को व्यय करने वाले प्रभारी अधिकारी जब भी सख्त होंगे तो यह राशि उचित रूप से व्यय की जाएगी। मुझे आपको बताना पड़ेगा कि इस मामले में कलेक्टर जिसे जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं इस राशि का आबंटन करने वाला प्रभारी अधिकारी होता है। पैसा जिले को भेजा जाता है तथा जिला मजिस्ट्रेट को यह राशि व्यय करनी होती है। अतएव, किसी भी परिस्थिति में सांसदों द्वारा प्रत्यक्षतः यह राशि व्यय नहीं की जाती है यद्यपि इस बारे में उनके सुझाव स्वीकार किए जाते हैं।

किसी योजना का सफल कार्यान्वयन सांसदों तथा प्रशासकों के संयुक्त तथा सम्मिलित प्रयासों पर निर्भर करता है। अतएव, चूंकि मैं सांसदों के व्यय के संबंध में बात कर रहा हूं, इसलिए मैं कहूंगा कि जो भी अधिकारी किसी जिले में कलेक्टर के रूप में तैनात किया जाता है उसे यह जिम्मेवारी लेनी होगी कि पैसा उचित रूप से व्यय किया जाए तथा कमीशन के रूप में एक भी पैसा न दिया जाए। मैं हमेशा से महसूस करता हूं कि प्रशासनिक अधिकारी को निर्भय होना चाहिए। वे गैर-कानूनी गतिविधियों को रोक सकते हैं बशर्ते कि सख्त हों। जिस दिन आप इस सेवा में आते हैं, आप कहीं भी स्थानांतरण के लिए तैयार रहें। सौभाग्यवश, प्रशासनिक अधिकारियों को इस 'स्टील फ्रेम' में इतनी ज्यादा सुरक्षा दी गई है कि वे निर्भय रहें। देश में कहीं भी जाने को तैयार रहें तथा कभी-कभी विदेश भी जायें। यदि आप स्थानांतरण से नहीं डरते तो कोई भी राजनीतिज्ञ आपको स्थानांतरण से बड़ा दंड दे ही नहीं सकता। आप अपने आपको मानसिक रूप से तैयार कर लें कि आपको कहीं भी भेजा जा सकता है तथा देश के हित में आपको स्पष्ट, ईमानदार तथा निर्भय रहना है।

सिविल सेवा के अधिकारियों की भूमिका वैश्वीकरण की प्रक्रिया के पश्चात् और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। आप सभी जानते हैं कि प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। प्रशासनिक अधिकारियों को भी अधिक प्रतिस्पर्धी होना होगा। पहले प्रतिस्पर्धा इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी आज हो गई है। वैश्वीकरण की उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी है कि राष्ट्र को ज्यादा जिम्मेवार तथा अनुक्रियाशील बनाया जाए। ऐसी कार्य प्रणाली पर कार्य किया जाए जिससे खुलापन तथा पारदर्शिता बढ़े, सार्वजनिक जीवन में भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाए तथा सरकार एवं नागरिकों के बीच के अंतर को समाप्त किया जाए। मैं हमेशा पाता हूं कि अधिकारियों के बीच तथा अधिकारियों एवं नागरिकों के बीच अंतर है। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि यह अंतर समाप्त हो तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों, अधिकारियों तथा नागरिकों के बीच एकता हो। इस लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? अधिकारियों को त्वरित निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें हमेशा अंतिम निर्णय लेने की स्थिति में होना चाहिए। अफसरशाही में मैंने देखा है कि निर्णय लेने में काफी ज्यादा समय लगता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में कई अधिकारी शामिल होते हैं। फाइल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तथा उसमें इतना ज्यादा समय लग जाता है कि लोगों का प्रजातंत्र से विश्वास उठ जाता है।

मित्रो, मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि आप निर्णय लेने में इतने साहसी बनें कि आप जो निर्णय लेना चाहते हों ले लें। मैं प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी की कहानी जानता हूं जो हमेशा त्वरित निर्णय लेते थे। वे निर्णय लेने के लिए जाने जाते थे। आप अवश्य जानते होंगे कि विभाग के नियमों के अनुसार सरकार में हमेशा एक प्रणाली होती है कि 10-15 वर्षों की अवधि के पश्चात् कुछ फाइलें नष्ट कर दी जाती हैं। लेकिन विभाग में एक ऐसे अधिकारी थे जो हमेशा त्वरित निर्णय लेते थे। वह इसके लिए जाने जाते थे। एक फाइल विभाग में आई। यह निर्णय के लिए कई अधिकारियों के यहां गई कि क्या इसे नष्ट कर दिया जाए अथवा इसे सुरक्षित रखा जाए। कोई निर्णय नहीं ले सका। अन्ततः फाइल उस अधिकारी के पास भेजी गयी, जो त्वरित निर्णय लेता था। प्रत्येक ने सोचा कि वह इस पर निर्णय लेगा। जब वह फाइल उस व्यक्ति के पास पहुंची तो उसने फाइल देखी तथा यह टिप्पणी लिखी कि इस फाइल को अवश्य ही नष्ट कर देना चाहिए, परन्तु नष्ट करने से पूर्व इस फाइल की एक प्रति सुरक्षित रख लेनी चाहिए। अब यदि इस प्रकार के निर्णय लिए जायें तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना त्वरित निर्णय था। यही एकमात्र त्वरित निर्णय था जो उन्होंने लिया। अतएव, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक निर्णय के लिए अधिकारी हिचके वरन् उसे मानसिक रूप से तैयार होकर लोगों के हित में त्वरित निर्णय लेना चाहिए।

यहां मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि सरकार के कार्यकरण से संबंधित जानकारी तक सरल तथा व्यापक पहुंच, पारदर्शिता के माध्यम से जिम्मेवारी निर्धारित करने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है कि संसद ने सूचना की स्वतंत्रता विधेयक को हाल ही में पारित किया है। यह विधेयक नागरिकों को और ज्यादा अधिकार तथा विभिन्न सरकारी दस्तावेजों तक और ज्यादा पहुंच प्रदान करता है। प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता तथा जिम्मेवारी का संवर्धन करने के लिए यह नया विधेयक जो पारित कर दिया गया है, बहुत उपयोगी होगा।

जब हम प्रशासनिक अधिकारियों की बात करते हैं तो हम कुशल प्रशासनिक अधिकारियों की बात करते हैं। जब भी मैं आपसे बात कर रहा होता हूं या आपको सम्बोधित कर रहा होता हूं तो हम हमेशा कुशल प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में सोचते हैं। स्थायी प्रशासनिक अधिकारी सरकार की रीढ़ होती है। निष्पक्ष सेवा के लिए दूसरी चीज आचार संहिता होती है जो समता, न्याय, कर्त्तव्यपरायणता, एकनिष्ठा, सहानुभूति, वस्तुनिष्ठता तथा व्यावसायिकता के रूप में इसका मूल अवयव हैं। जल्दी ही, आप न केवल निर्णयों को लागू करने बल्कि हमारे लाखों लोगों की जिंदगियों को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी का पद इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसके निर्णय हमेशा बहुत से लोगों को प्रभावित करते हैं क्योंकि वह केवल निर्णयों को कार्यान्वित ही नहीं करता वरन् निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी होता है। अतएव, कभी-कभी मैं यह महसूस करता हूं कि प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम में परिवर्तन आवश्यक है। यह परिवर्तन अवश्य ही जनोन्मुखी तथा गरीबोन्मुखी होना चाहिए। अंग्रेजों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पूरी तरह से भिन्न थे। अब स्थिति में बदलाव आया है। हमारे जैसे बड़े देश के लिए लोग अधिकारियों की ओर अत्यधिक आशान्वित होकर देखते हैं। अतएव, इस बात पर भी कभी-कभी विचार होना चाहिए कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों के पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए।

मित्रो, जब आपको कठिनाइयां हों तो उस पर कार्यपालिका के साथ विचार-विमर्श करें। जब किसी नीति पर संसदीय मंजूरी प्राप्त हो तो इसे आपको कार्यान्वित करना होगा चाहे आप इससे किसी चरण में सहमत हों या नहीं। यह काफी महत्वपूर्ण है कि प्रशासनिक अधिकारियों को संसद की मंजूरी के अनुसार ही चलना होता है इसलिए इस सर्वोच्च निकाय का अवश्य ही सम्मान होना चाहिए। चाहे कोई पसन्द करे या नहीं, संसद के निर्णय अधिकांश मामलों में अंतिम निर्णय हैं। मेरा यह मत है कि एक सिविल सेवक के रूप में आपको सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं, समाज की समस्याओं तथा लोगों की बढ़ती अपेक्षाओं के प्रति जागरूकता विकसित करनी होगी।

मित्रो, मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि समय के साथ-साथ लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं। इन अपेक्षाओं को कुशल अधिकारियों द्वारा पूरा किया जाना है। इन कुशल अधिकारियों को हमेशा यह समझने की कोशिश करनी होगी कि हमारा देश न केवल लाखों गरीबों का देश है वरन् करोड़ों निरक्षरों का भी देश है। अतएव, आप सबको इन निरक्षर व्यक्तियों का बड़ा भाई बनना होगा, आपको उन्हें समझने की कोशिश करनी होगी तथा यदि वे कतिपय चीजें नहीं समझ पाते, तो आपको उनसे उनकी भाषा में बात करनी होगी तथा आपके सामने लाए जाने वाले मामलों के विषय में उन्हें आश्वस्त करना होगा।

मित्रो, इन शब्दों के साथ मुझे इस परिबोधन पाठ्यक्रम का उद्घाटन करने में अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। मुझे आशा है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी तथा शिक्षाप्रद होगा। मैं कामना करता हूं कि आपके सारे प्रयास सफल हों। धन्यवाद!

28

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा*

आज इस अवसर पर आपके बीच आकर और अपनी बात कहने का मौका पाकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। सर्वप्रथम, मैं उन सभी विदेशी छात्रों को हार्दिक बधाई देना चाहूंगा जो 'सिम्बियोसिस' संस्था से अच्छे परिणामों से उत्तीर्ण हुए हैं। इसके साथ ही मैं यह भी कह दूं कि यह तो उनके कैरियर की शुरुआत भर है। उनके लिए जीवन की असली परीक्षा तो अब आरम्भ हुई है। मुझे विश्वास है कि आप जब अपने इस प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान 'सिम्बियोसिस' के परिसर से बाहर जायेंगे, तो यहां का अनुभव आपको नयी चुनौतियों का सामना करने में काफी काम आएगा।

मैं 'सिम्बियोसिस' समूह की शिक्षा संस्थाओं की गतिविधियों को गहरी रुचि के साथ देखता रहा हूं। 1971 में अपनी स्थापना के बाद से लेकर अब तक, 'सिम्बियोसिस' ने विभिन्न शिक्षण तथा शैक्षिक संस्थानों के जरिए अपनी गतिविधियों को विविधीकृत किया है और न सिर्फ भारत में, बल्कि विदेश में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इन उपलब्धियों तथा उच्च स्तर की शिक्षा करने हेतु सम्मानस्वरूप 'सिम्बियोसिस' इंटरनेशनल एज्यूकेशनल सैंटर को भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालयवत् संस्था का दर्जा दिया गया है। यह वास्तव में इसकी विविध उपलब्धियों का समुचित सम्मान है।

वर्षों से 'सिम्बियोसिस' तथा इसके संस्थान व केन्द्र विद्यार्थियों को कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते रहे हैं। यद्यपि भारत में विश्वविद्यालयों और संस्थाओं की कमी नहीं है लेकिन अच्छे भविष्य की चाह रखने वाले विद्यार्थियों के सामने यह समस्या आती है कि किस तरह अपनी पहुंच के अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें; और यहां 'सिम्बियोसिस' तथा इसके संस्थान योग्य व प्रतिभाशाली छात्रों की मदद के लिए आगे आते हैं। खासकर उन विदेशी छात्रों के लिए यह काफी अच्छी बात है जो भारत में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। 'सिम्बियोसिस' की सोच यह रही है कि लोगों को पढ़ाया नहीं जा सकता, बल्कि वे केवल सीखते भर हैं। 'सिम्बियोसिस' समझकर सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है जो आत्मचिंतन, गवेषणा, व्याख्या और अनुभव के माध्यम से बेहतर तरीके से सम्पादित होती है। इस प्रक्रिया में छात्रों और संस्था के बीच एक सहजीवी या परस्पर लाभकारी संबंध स्थापित होता है। इस संस्थान द्वारा अपने आधुनिक भवनों, छात्रावास-सुविधा, पुस्तकालयों, कम्प्यूटर-प्रयोगशालाओं तथा अनुभवी व सुयोग्य शिक्षकों के

* सिम्बियोसिस संस्था द्वारा अफ्रीकी-एशियाई देशों के विद्यार्थियों को डिग्री/डिप्लोमा प्रदान करने के दीक्षांत-समारोह के अवसर पर, पुणे (24 जून 2003)

माध्यम से उपलब्ध कराई गई आधारभूत सुविधाओं से व्यक्तित्व विकास और शैक्षणिक उत्कृष्टता में काफी सहायता मिलती है। यह संस्थान छात्रों और औद्योगिक घरानों व निगमित क्षेत्र के बीच जो सम्वाद कायम करता है उससे भी इस संबंध में बहुत मदद मिलती है।

'सिम्बियोसिस' के लिए शिक्षा एक समग्र अवधारणा है। शिक्षा के अंतर्गत मूल्यों एवं आदर्शों की उपलब्धि का समावेश होना चाहिए तथा इसका सांस्कृतिक आयाम भी होना चाहिए। तदनुसार, 'सिम्बियोसिस' ने दो संग्रहालय स्थापित किए हैं—एक संग्रहालय डा. बी.आर. अम्बेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, के बारे में है। दूसरा अफ्रीकी-एशियाई सांस्कृतिक संग्रहालय है। यह वास्तव में 'सिम्बियोसिस' की सुविचारित पहल है, विशेषरूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए विदेशी छात्रों की एक बहुत बड़ी संख्या अफ्रीकी-एशियाई देशों से है। यह इस बात को भी दर्शाता है कि भारत तथा 'सिम्बियोसिस' अफ्रीकी-एशियाई क्षेत्रों तथा इसकी समृद्ध तथा विविध संस्कृति को कितना महत्व देते हैं। मुझे विशेषरूप से यह जानकर खुशी हुई है कि संस्थान प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को विदेशी छात्र दिवस के रूप में मनाता है जो पुनः यह सिद्ध करता है कि 'सिम्बियोसिस' विदेशी छात्रों को एकजुट होने तथा उन्हें अपनी प्रतिभाओं, संस्कृतियों तथा मूल्यों का उत्सव मनाने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

मेरे विचार से 'सिम्बियोसिस' के केन्द्र पुणे की मुम्बई से निकटता के कारण यह संस्थान तथा इसके छात्र काभी लाभ की स्थिति में है। भारत के शैक्षिक तथा सांस्कृतिक इतिहास में तथा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पुणे का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि 'दक्कन एजुकेशन सोसायटी' जिसके साथ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जुड़े थे, वह पुणे में ही स्थापित की गई थी। इस सोसायटी ने लोगों के बीच शिक्षा तथा सामाजिक चेतना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक जागृति में पुणे तथा विशेषरूप से लोकमान्य तिलक का योगदान उल्लेखनीय है। इनके कारण ही भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई।

लोकमान्य तिलक एक प्रख्यात विद्वान थे जिनमें पूर्व के प्राचीन मूल्यों तथा पश्चिम की अधुनातन विचारधारा का समन्वय था। जहां हमारे स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती वर्षों के नेताओं ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों से अपील की थी, वहीं तिलक भारत के ऐसे पहले राजनीतिक नेता थे जिन्होंने जनसाधारण तक पहुंच कर उनसे शक्ति प्राप्त की। मैंने तिलक का उल्लेख केवल इसलिए किया क्योंकि वे पुणे तथा इसकी विभिन्न गतिविधियों तथा शैक्षिक संस्थाओं से घनिष्ठ रूप से जुड़े थे।

यह गौरव तथा प्रसन्नता की बात है कि हाल ही में भारत अध्ययन तथा शिक्षा के केन्द्र के रूप में उभर कर सामने आया है। यह बात इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि सात हजार से ज्यादा विदेशी छात्र भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा कला में विभिन्न पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं जिनमें से अकेले पुणे में ही एक हजार से अधिक विदेशी छात्र हैं। यह अपने आप में भारत की मानव संसाधन तथा इसकी सांस्कृतिक तथा शैक्षिक धरोहर की पहचान है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि भारत में हमेशा से विदेशी छात्र आते रहे हैं। इस संबंध

में मैं नालंदा का उल्लेख करना चाहूंगा जो बौद्ध विहार तथा विश्वविद्यालय दोनों था और जो कई शताब्दियों पूर्व अस्तित्व में था। ऐसा माना जाता है कि वहां दस हजार विद्यार्थी तथा भिक्षु रहते थे। नालंदा में चीन और यहां तक कि पश्चिमी एशिया जैसे सुदूर स्थानों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। वे शांति तथा अहिंसा की प्रतिमूर्ति भगवान बुद्ध की शिक्षा के साथ-साथ अपने ज्ञान का संदेश साथ लेकर घर वापस जाते थे। प्राचीन भारत में तक्षशिला ज्ञान का ऐसा ही एक और केन्द्र था जहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर-दूर से विद्यार्थी आते थे।

ऐसे समय जब हमारे प्रधान मंत्री चीन की राजकीय यात्रा पर हैं मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि काफी समय पहले एक महान यात्री ज्ञान की खोज में चीन से भारत आया था उसका नाम ह्वेन्त्सांग था। उसने भारत में ज्ञान प्राप्त करते तथा दूसरों को विशेष रूप से महान विश्वविद्यालय नालंदा में शिक्षा देते हुए कई वर्ष गुजारे। जैसा कि मैंने पहले कहा, प्राचीन काल में भी विभिन्न देशों से ऐसे अनेक विद्वान भारत में शिक्षा केन्द्रों पर आए थे। इस प्रक्रिया में भारत ने उनकी विद्वत्ता का लाभ उठाया तथा अपनी ओर से हमने भी उन्हें वह सब दिया जो हम उनकी विद्वत्ता को और समृद्ध बनाने के लिए दे सकते थे। जब वे अपने-अपने देश लौटे तो उन्होंने भारत, इसकी संस्कृति, मूल्यों तथा यहां के इतिहास के विषय में लिखा तथा भारत का संदेश शेष विश्व में फैलाया। संक्षेप में, वे अपने-अपने देशों में भारत के अनौपचारिक राजदूत बन गए। उन्हीं लोगों की तरह, आप सब भी विभिन्न अफ्रीकी-एशियाई देशों से आये हैं। मुझे आशा है कि आप भी जब वापस लौटेंगे तो हमारे देश के साथ बेहतर तालमेल तथा सहयोग का संवर्धन करने वाले भाग के अनौपचारिक राजदूत होंगे।

इस प्रक्रिया में आप सब अपने-अपने तरीके से विश्व शांति एवं सहयोग को मजबूत बनाएंगे। नि:संदेह यह विश्वव्यापी समुदाय के प्रति सिम्बियोसिस का बहुत बड़ा योगदान है।

शिक्षकों तथा छात्रों के बीच स्वयं को पाना मेरे लिए सदैव सुखद तथा आह्लादकारी अनुभव रहा है। शिक्षण एक ऐसा व्यवसाय है जो आपको युवा होने का एहसास कराता है तथा महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय एक ऐसा परिवेश प्रदान करते हैं ज़िसमें आपको दिल से हमेशा युवा होने का बोध होता रहता है। शिक्षक-छात्र के बीच संवाद न केवल लाभप्रद बल्कि ताजगी तथा स्फूर्ति प्रदान करने वाला होता है। अफ्रीकी-एशियाई देशों के छात्रों की जानकारी के लिए मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि भारत में गुरुकुल की परंपरा रही है जो औपचारिक रूप से विद्यालय से वृहत अर्थ रखता है। गुरुकुल ज्ञान की एक संवाद प्रधान तथा भागीदारीपूर्ण प्रक्रिया है तथा अध्ययन की यह प्रक्रिया समग्र है। यह केवल पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित नहीं है। वेद जैसे धर्मग्रन्थों में संचित हमारा प्राचीन ज्ञान किसी पारलौकिक या रहस्यपूर्ण विषय की शिक्षा नहीं देता वरन् इनमें जीवन का ज्ञान छिपा था। इसमें सांसारिक भौतिकवाद या वैराग्य के संबंध में शिक्षा नहीं दी गई थी बल्कि इसने हमें यह शिक्षा दी कि किस प्रकार गुणों से परिपूर्ण जीवन बिताया जाये तथा जीवन में मानसिक दबाव तथा तनाव पर आध्यात्मिक रूप से किस प्रकार विजय पाई जाये। यही शिक्षा का सार है जो हम आज भी देना चाहते हैं। मैं वास्तव में बहुत खुश हूं कि सिम्बियोसिस नेतृत्व गुरुकुल के माध्यम से हमारे इन्हीं मूल्यों की भावना से कार्य कर रहा है और छात्रों को चरित्रवान, प्रेरणादायक, कर्मठ एवं निर्णय लेने में सक्षम व्यक्ति बना रहा है।

हम सबने कौन सा ज्ञान प्राप्त कर लिया है या आप लोगों ने प्रबंधन की कौन सी दक्षता या तकनीक प्राप्त कर ली है? यह और कुछ नहीं वरन् किसी परिस्थिति विशेष में अपनी बुद्धि का प्रयोग ही है। यह हमें यह सिखाता है कि हम अपने मानव संसाधन तथा भौतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रबंधन किस प्रकार करें तथा मतभेद एवं मानसिक तनाव तथा अवसाद से किस तरह बचें और विकास एवं समृद्धि का किस प्रकार संवर्धन करें। लेकिन यह समृद्धि एवं विकास मानवीय दृष्टिकोण के साथ किया जाना चाहिए। हम अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता तथा समाज के कमजोर वर्गों के प्रति अपने दायित्व से मुख नहीं मोड़ सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सब अपने व्यावसायिक जीवन में इस मूलभूत जीवन दर्शन को हमेशा याद रखेंगे। आपका तथा निगमित क्षेत्र का विवेकयुक्त हित समाज तथा समस्त समुदाय के सर्वांगीण विकास तथा समृद्धि पर ही निर्भर करता है न कि व्यक्ति विशेष या विशिष्ट कारपोरेट या औद्योगिक घराने के सीमित विकास या समृद्धि पर। हमें लाभ के प्रति एकांगी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। जैसाकि मैंने पहले कहा कि लाभ अर्जित करने का मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए।

हमारे प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक बार कहा था विश्वविद्यालय मानवतावाद, सहनशीलता, तर्क, प्रगति, नये विचारों के अन्वेषण तथा सत्य की खोज का प्रतीक होता है। यह मानवजाति का और भी उच्चतर उद्देश्यों के लिए लगातार आगे बढ़ते रहने का नाम है। यदि विश्वविद्यालय अपना दायित्व निभाते हैं तो यह राष्ट्र तथा लोगों के प्रति न्याय होगा। "मुझे विश्वास है कि सिम्बियोसिस में प्रतिष्ठित शिक्षकों ने आप सब के मन-मस्तिष्क में उन उच्च आदर्शों को प्रतिष्ठित कर दिया है जिनसे आप सब जिम्मेवार विश्व नागरिक बन सकें। मेरे विचार से सिम्बियोसिस का मिशन व्यावसायिक, उद्यमितापूर्ण आकांक्षा, प्रतिभा और संकल्प शक्ति से सम्पन्न युवाओं की पहचान करना तथा उन्हें इस प्रकार उत्प्रेरित करना है कि वे उनके चुने हुए क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रेरणादायक नेता बनने के साथ श्रेष्ठ उपलब्धियां प्राप्त करें और सशक्त व प्रेरक आदर्श व्यक्तियों का सृजन कर सकें और दृढ़ निश्चय एवं न्यायसंगत आचरण से परिवर्तन के कारक बनें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग जीवन में इन उच्च आदर्शों का अनुसरण करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुन: उन छात्रों को बधाई देना चाहूंगा जो परीक्षा में सफल रहे हैं तथा जिन्हें डिग्री प्रदान की जा रही है।

धन्यवाद।

29

एच.आई.वी./एड्स के विरुद्ध संघर्ष—सम्मिलित प्रयासों की आवश्यकता*

एच.आई.वी./एड्स संबंधी संसदीय मंच द्वारा आयोजित एच.आई.वी./एड्स के संबंध में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। सर्वप्रथम, मैं आयोजकों को इस बात के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस संगोष्ठी में आमंत्रित कर एक ऐसी समस्या, जो मानवता के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, पर इस सम्मानित सभा के साथ विचार-विनिमय करने का अवसर प्रदान किया। मैं इस संगोष्ठी के संयोजक श्री आस्कर फर्नांडीज, संयुक्त संयोजक श्री किरीट सोमैया तथा राजीव रंजन सिंह और कोर-समूह के सदस्यों के प्रयासों की सराहना करता हूं कि उन्होंने एक बड़ी समस्या के समाधान के लिए अधिक प्रभावी साधन और उपाय ढूंढ़ने के विचार से इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया।

भारत में हम विगत 17 वर्षों से एच.आई.वी./एड्स का प्रकोप झेल रहे हैं। 1986 में इसका पता लगा और तब से यह हमारे देश की सबसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में से एक बनकर उभरी है। वर्तमान में लगभग 40 लाख लोग एच.आई.वी./एड्स से पीड़ित हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) द्वारा कराए गए एक देशव्यापी निगरानी सर्वेक्षण में यह बात साफ तौर पर सामने आई है कि यह रोग देश के प्रायः सभी हिस्सों में फैल रहा है। इससे उच्च प्रजनन-क्षमता वाले 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग को सबसे अधिक खतरा है जिसमें ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है जो इस रोग से ग्रस्त होने के प्रारंभिक दौर में हैं। इस रोग से ग्रस्त व्यक्तियों में लगभग एक चौथाई महिलाएं हैं। इस पृष्ठभूमि में देखें, तो आगे की चुनौतियां काफी विकट और जटिल हैं।

यह दोहराने की आवश्यकता नहीं कि प्रत्येक देश 'सबके लिए स्वास्थ्य' के लक्ष्य के लिए वचनबद्ध है। इसी प्रकार हम भी हैं। मैं यह जानकर प्रसन्न हूं कि एच.आई.वी./एड्स के उन्मूलन की आवश्यकता को एक प्रमुख रणनीति के तौर पर मान्यता देते हुए नाको के तत्वावधान में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है—एच.आई.वी./एड्स से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत की क्षमता में दीर्घकालिक आधार पर वृद्धि। यह परियोजना इस समय अपने द्वितीय चरण में है। हमारी राष्ट्रीय एड्स निवारण तथा नियंत्रण नीति में

* एच.आई.वी./एड्स के संबंध में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन अवसर पर, नई दिल्ली (26 जुलाई 2003)

वर्ष 2007 तक इस महामारी की विभीषिका को थामना परिकल्पित है और उस समय तक नये संक्रमणों की संख्या शून्य कर देने का लक्ष्य है। हम इस बात पर संतोष प्रकट कर सकते हैं, हमने एच.आई.वी./एड्स के विषय में जन जागरूकता, बुनियादी आधारसंरचना का विकास, उत्तम दर्जे के कण्डोमों की उपलब्धता, सुरक्षित रक्त भंडार तथा रक्त उत्पाद इत्यादि जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमने सफलता पाई है।

उपलब्धियां तो हैं, फिर भी अभी इस क्षेत्र में काफी कुछ किए जाने की आवश्यकता है। अभी भी कई खाइयां पाटनी हैं और कई बातें सीखनी हैं। यह सच्चाई है कि भारत दुनिया में दूसरा ऐसा देश है जहां एड्स मामलों की संख्या सबसे ज्यादा है और यही बात हमारी रणनीति में एक व्यावहारिक बदलाव लाने की तात्कालिक आवश्यकता को रेखांकित करता है।

मित्रो, हमारे देश में 85 प्रतिशत एच.आई.वी. संक्रमण यौन संपर्क जनित हैं। संभवतया इसका कारण समाज में सुरक्षित यौन संबंध के बारे में सामान्य जागरूकता की कमी है। इसके अंतर्गत न केवल यौनकर्मी जैसे उच्च जोखिम वाले समूह में आते हैं बल्कि नौजवान और प्रवासी व्यक्ति जैसी आम जनता पर भी इसका खतरा मंडराता रहता है। संक्रमितों में अधिकांश महिलाएं हैं चूंकि वे कई सामाजिक-सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकारों से वंचित हैं फलस्वरूप कई बार तो उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ भी असुरक्षित यौन संपर्क के लिए बाध्य होना पड़ता है। यौन संक्रमणजनित रोगों से आम तौर पर और खासतौर पर एच.आई.वी./एड्स ग्रस्तता से जुड़े सामाजिक लांछन से वातावरण इतना प्रतिकूल हो जाता है कि सरकार की निर्णायक कार्यवाहियां अधिक कारगर नहीं हो पाती हैं। इससे महिलाओं को अत्यधिक संक्रमणशील होने के कारण उत्पन्न होने वाले रोग का खतरा और अधिक बढ़ गया है और वह रोग प्रवण होती जा रही हैं।

इस प्रकार की पृष्ठभूमि में, एड्स विषाणु के बारे में जागरूकता, संक्रमण के तरीकों तथा इससे बचने के उपायों के प्रति सचेत रहने, स्वयंसेवी परामर्श तथा परीक्षण, सुरक्षित व्यवहारिक आदतों को अपनाना आदि को निश्चित रूप से हमारी निवारण व नियंत्रण रणनीति में शामिल करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, कंडोम के इस्तेमाल को बढ़ावा देना विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि असुरक्षित यौन संपर्क के जरिए एच.आई.वी./एड्स का संक्रमण रोकने का केवल यही एकमात्र प्रभावी उपाय है। मैं इस मामले में थाईलैण्ड का उदाहरण देना चाहूंगा जहां कंडोम के उपयोग की सार्थकता साफ जाहिर है। थाईलैण्ड में एच.आई.वी. संक्रमण के तेजी से फैलाव के मद्देनज़र, कंडोम के उपयोग को प्रोत्साहन देने की मंशा से एक देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों से लेकर पेशेवर यौनकर्मियों तक को जागरूक किया गया जिसके फलस्वरूप थाईलैण्ड में एच.आई.वी. संक्रमण दर काफी कम हो गई। मुझे यह जानकर बहुत संतोष हुआ है कि हमारी एड्स निवारण तथा नियंत्रण नीति में भी निवारक उपाय के बतौर कंडोम के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई है। यहां पर मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि सामाजिक विपणन के माध्यम से कंडोम की आसान उपलब्धता तो सुनिश्चित की ही जाए, इस बात पर भी जोर दिया जाए कि कंडोम अच्छी किस्म के हों और उनके असरदार होने की भी गारंटी हो।

मित्रो, एच.आई.वी./एड्स से मुकाबला करने की हमारी रणनीतियों के अंतर्गत विशेष चिंता का विषय हमारी आबादी का वह बड़ा हिस्सा है, जो 25 वर्ष से कम आयु वर्ग का है। अनेक अध्ययन और सर्वेक्षण दर्शाते हैं कि यह विशिष्ट वर्ग यौन-संक्रमित रोगों और एच.आई.वी. संक्रमण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील के तौर पर उभर रहा है। इन्हें इस भयानक बीमारी का शिकार बनने से कैसे रोका जाये, यह हमारे समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। यहां पर मुझे एक आशा की किरण दिखाई देती है कि हमारे युवा वर्ग को एच.आई.वी. के खतरों से आगाह करने वाली यौन शिक्षा प्रदान की जाए और उन्हें सही जीवन-शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। दुर्भाग्य से हमारे देश में यौन शिक्षा की बात को अभी तक व्यापक मान्यता नहीं मिली है। मेरा दृढ़ मत है कि अब इसे स्वीकार्य होना चाहिए। एच.आई.वी. के प्रति जागरूकता और राष्ट्रव्यापी यौन शिक्षा कार्यक्रम वक्त की पुकार है। यदि युगाण्डा अपने युवावर्ग को मुख्यत: यौन शिक्षा प्रदान कर एच.आई.वी. नव संक्रमितों का प्रतिशत 30 प्रतिशत से कम करके 6.1 प्रतिशत तक लाने में सफल हो सकता है, तो हम क्यों नहीं?

हमारी एड्स निवारक/नियंत्रण रणनीति में भी यह सुनिश्चित हो कि अन्य तरीकों से एच.आई.वी. वायरस के संक्रमण की संभावना में किस प्रकार प्रभावी ढंग से कमी लाई जाए। रक्त तथा रक्त उत्पादों की सुरक्षा प्रवर्तन, एच.आई.वी. जांच हेतु रक्त का अनिवार्य परीक्षण, जीवाणुरहित सुई, उपस्कर की बढ़ती हुई उपलब्धता तथा पहुंच, एजिनोथइमिडाइन तथा नेवीरापाइन जैसी पश्च विषाणु रोधी को कम समय के लिए देकर मां से बच्चे में संक्रमण रोकना जैसे हानि कम करने वाले कार्यक्रम एच.आई.वी./एड्स को रोकना हमारे प्रयास का अभिन्न घटक होना चाहिए।

एच.आई.वी./एड्स के पीड़ितों की अच्छी देखभाल हमारा राष्ट्रीय कर्त्तव्य है। हम अस्पताल तथा घर दोनों जगहों पर एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित लोगों की देखभाल तथा सहायक सेवाओं में सुधार के प्रति कटिबद्ध हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, यह पाया गया है कि यद्यपि एच.आई.वी./एड्स क्या है तथा यह कैसे होता है, के बारे में जानकारी के स्तर में सुधार तो हुआ है तथापि यह जानकारी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। एड्स को आज भी बहुत लोगों के द्वारा छुआछूत की बीमारी के रूप में जाना जाता है। मुझे याद है, मैंने एक एड्सग्रस्त व्यंक्ति के बारे में कहा था कि मृत्यु के समय उससे किस प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके पार्थिव शरीर को लेने उसके परिवार के लोग नहीं आए। उसका शरीर प्लास्टिक से ढका गया था। शवगृह में कर्मचारियों को जैसे ही पता चला कि उसकी मृत्यु एड्स के कारण हुई है उन्होंने उसके शरीर को उठाने से मना कर दिया। शवदाह स्थल पर उसके संबंधी उसके पार्थिव शरीर के पास नहीं गए। महिलाओं के साथ तो भेदभाव और भी ज्यादा है। सुन्दरी नामक युवती की घटना, याद करते हुए मैं दुखी महसूस करता हूं कि हालांकि उसको एच.आई.वी. संक्रमण अपने पति से मिला तथापि उसके पति की मृत्यु के पश्चात् उसके अपने परिवार वालों ने उसके साथ काफी भेदभाव किया। उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने उससे बात करनी छोड़ दी तथा उसे रसोई तक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। एक अन्य मामले में एक एच.आई.वी. पाजिटिव महिला को यह सोचते हुए अपने बच्चों के ज्यादा करीब नहीं जाने दिया गया कि वह बच्चों के माध्यम से अपने ससुराल वालों को संक्रमित कर देगी।

मरीजों को कभी-कभी उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। कुछ मामलों में तो एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों से रोजगार छीन लेने तक के मामले सामने आए हैं। एक बार मैंने एक नाई के बारे में पढ़ा था जिसने ईमानदारीपूर्वक अपने नियोजक को यह बता दिया था कि जांच में उसके एच.आई.वी. पाजिटिव होने की पुष्टि हुई है। किसी भी प्रकार से उसकी सहायता करने की बजाय नियोक्ता ने उसे चले जाने को कहा ताकि ग्राहकों को इस बात का पता न चले वरना इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। नियोजक की मुख्य चिंता यह थी कि उसके कर्मचारी पर लगे बीमारी के कलंक के कारण वह अपने ग्राहकों को खो देगा तथा उसे व्यापार में हानि होगी।

एड्स पीड़ितों के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की चुनौती है। एड्स पीड़ित को अछूत नहीं माना जाना चाहिए। एच.आई.वी. संक्रमण के संबंध में केवल स्पष्ट जानकारी ही आधारहीन भय तथा मिथक को समाप्त कर पाएगी। हमारा प्रयास भी एड्स मरीजों को चिकित्सीय, मानवीय, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक तथा आर्थिक सहयोग देते हुए सम्मानपूर्वक जीवन सुनिश्चित करने वाला सहज वातावरण तैयार करने की ओर निदेशित होना चाहिए।

इस तथ्य के बावजूद कि एड्स नामक महामारी लगभग दो दशक से हमारे देश में विद्यमान है, हमारे यहां एड्स/एच.आई.वी. के लिए उपचार के विकल्प प्रारंभिक चरण में हैं। बहुऔषध पश्च विषाणु रोधी उपचार जिसे 'काकटेल उपचार' के रूप में जाना जाता है, उपचार न होकर संक्रमित व्यक्ति की जीवन अवधि का विस्तार करने का उपाय भर है। तथापि अधिकांश मरीज यह उपचार अत्यंत खर्चीला होने के कारण इसे खरीद नहीं सकते हैं। इसके अलावा, मरीज को यह खर्च अनिश्चित काल तक वहन करना पड़ता है। इस समय, जीन विज्ञान तथा संबंधित क्षेत्रों में अद्यतन प्रौद्योगिकीय प्रगति ने स्थायी उपचार की खोज के क्षेत्र में नई आशा जगा दी है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी राष्ट्रीय एड्स निवारण तथा नियंत्रण नीति ने आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी जैसी देशी चिकित्सा पद्धतियों में पश्च विषाणु रोधी औषधियों की लागत का प्रभावी विकल्प खोजने पर बल देने की आवश्यकता महसूस की है। इस संबंध में एक और संतोषजनक तथ्य यह है कि होम्योपैथी तथा सिद्ध चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान परियोजनाओं के उत्साहवर्द्धक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।

इन पद्धतियों में एच.आई.वी./एड्स से लड़ने की तात्कालिकता अवश्य आनी चाहिए। इसे विधायिका और सरकार से लेकर स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों तक जन-सामान्य के स्तर तक जाना चाहिए। इस विषय में सभी की दृढ़ तथा संवेदनशील भागीदारी की आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में, निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे एच.आई.वी./एड्स से संबंधित मुद्दों का योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों में समावेश करने और एच.आई.वी./एड्स की समस्या का समाधान करते हुए इसकी रोकथाम और उपचार संबंधी रणनीतियों के पक्ष में व्यवहारगत एवं दृष्टिकोणगत परिवर्तन लाकर इसे जन आन्दोलन का रूप देने की दृष्टि से बेहतर स्थिति में हैं।

हमारी संसद के उन सदस्यों के प्रयास जिन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में एड्स चेतना कार्यक्रम चलाने में पहल की है सचमुच प्रशंसनीय है। यह जानना वास्तव में उत्साहवर्द्धक है कि इस मानवीय कार्य के लिए वे अपनी वार्षिक निर्वाचन विकास निधि के एक भाग का उपयोग कर रहे हैं।

श्री आस्कर फर्नांडीज और श्री किरीट सोमैया के उदाहरण अनुकरणीय हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक नगर स्तर पर तथा राष्ट्र स्तर पर एड्स नियंत्रण हेतु अभियान चला रखा है। मुझे विश्वास है कि इस अभियान में जान फूंकने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन एच.आई.वी./एड्स पर स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तरों पर विभिन्न विधायी निकायों में हमारे जन प्रतिनिधियों तक पहुंचने तथा उनके माध्यम से आम लोगों तक पहुंचने में मील का पत्थर साबित होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं एच.आई.वी./एड्स पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्‌घाटन करते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। मुझे आशा है कि यह सम्मेलन हमारे लोगों को एच.आई.वी./एड्स के खतरे के प्रति और ज्यादा जागरूक बनाएगा। मुझे विश्वास है कि एच.आई.वी./एड्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने की प्रतिबद्धता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई को अवश्य ही राष्ट्रीय आन्दोलन बनाने में सहायक होगा। मैं सम्मेलन के आयोजकों की उनके ईमानदारीपूर्वक किए गए प्रयासों के लिए सराहना करता हूं तथा उनके प्रयासों के लिए सफलता की कामना करता हूं।

धन्यवाद।

30

एड्स का मुकाबला करने के लिए वैश्विक एकजुटता को प्रोत्साहन*

एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम हेतु जानकारी के प्रसार के संबंध में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका को प्रोत्साहित करने के बारे में दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के सांसदों के सम्मेलन के अवसर पर आज यहां आप सबके बीच उपस्थित होकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। सबसे पहले, मैं जनसंख्या और विकास संबंधी भारतीय सांसद संघ तथा जनसंख्या और विकास संबंधी एशियाई सांसद मंच को इस ज्वलंत विषय पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन करने के लिए बधाई देता हूं।

मित्रो, एच.आई.वी./एड्स धीमी गति से चलने वाली और मनुष्यों को मानवाधिकारों के सक्रिय आनंद से वंचित करने वाली एक ऐसी आपदा है जिसे मानव जीवन और मानवीय गरिमा के लिए गंभीर चुनौती मानते हुए वैश्विक आपात स्थिति पर आपात घोषित किया गया है। आज सम्पूर्ण विश्व एक ऐसी महामारी को फैलने से रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है जिसने विश्व भर में करोड़ों लोगों को संक्रमित किया है। वर्ष 2002 के अंत तक, यह अनुमान लगाया गया था कि विश्व भर में एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित 42 मिलियन लोग हैं और इनमें भी 15-24 वर्ष के आयु वर्ग के लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं। इसका सबसे बुरा प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ा है क्योंकि अधिकतर नए संक्रमण 15-49 वर्ष के सर्वाधिक यौन सक्रिय और उत्पादक आयु वर्ग के लोगों को संक्रमित कर रहे हैं और सबसे अधिक दुख की बात यह है कि संक्रमित लोगों में बहुत बड़ा हिस्सा महिलाओं का है।

एशिया में एच.आई.वी./एड्स महामारी पर नियंत्रण पाने के अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं। कम्बोडिया, म्यांमार और थाइलैण्ड को छोड़कर अधिकतर एशियाई देशों में एच.आई.वी. ग्रस्त लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। भारत और चीन दोनों देशों में करोड़ों लोग (भारत में लगभग 4.5 मिलियन) गंभीर स्थानीय महामारियों से पीड़ित हैं। यदि तुरन्त उपाय नहीं किए गए तो अन्य दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी इस बीमारी के तेजी से फैलने के खतरे की चेतावनियां दे दी गई हैं।

* एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम हेतु जानकारी के प्रसार के संबंध में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के सांसदों के सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर, नई दिल्ली (1 अगस्त 2003)

हाल के समय में और किसी भी बीमारी ने जनता में इतनी अधिक चिन्ता नहीं जगाई है जितनी एच.आई.वी./एड्स की महामारी ने। इस महामारी का मुकाबला करने के लिए समन्वित और सतत प्रयासों की आवश्यकता को समझते हुए हम इस संकट से अपने-अपने समाजों को मुक्त करने का भरसक प्रयास करते रहे हैं। किन्तु, आज की तारीख में हमारे प्रयास जिस पैमाने पर और जिस गति से चल रहे हैं वह इस महामारी को रोक पाने के लिए अपर्याप्त हैं। कुछ प्रश्न जो हमसे उत्तर मांगते हैं, वे हैं: क्यों? दोष कहां पर है? क्या-क्या खामियां हैं? हमें और क्या करने की जरूरत है? हम अपनी विफलताओं/कमियों पर कैसे विजय पाएं?

तात्कालिक कार्रवाई की स्पष्ट रूप से आवश्यकता है। हमें चाहिए कि सामाजिक एकजुटता के लिए हम अपने कर्त्तव्यों को पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ तेजी से चलाएं। बचाव, उपचार और परिचर्या संबंधी प्रयासों का विस्तार करके हम आने वाले दशक में लाखों व्यक्तियों को होने वाले एच.आई.वी. संक्रमण को रोक पाएंगे और लाखों लोगों की जानें बचा सकेंगे। निर्णायक महत्व की वह कमजोरी है जिसके कारण कुछ लोगों को इस रोग से ग्रस्त होने की संभावना रहती है क्योंकि गरीबी, भय, मिथक, निरक्षरता, असमानता, विस्थापन आदि जैसे कारणों से युवा, प्रवासी और गरीब महिलाओं के संक्रमित होने की आशंका अधिक रहती है। एच.आई.वी./एड्स से संक्रमण की आशंका वाली आबादी को बचाने के लिए सस्ते और सघन प्रयास महत्वपूर्ण हैं। साथ ही एच.आई.वी./एड्स के बारे में सभी जगह जागरूकता होना और आम जनता को यह बताया जाना कि उन्हें एच.आई.वी./एड्स से स्वयं को और एक-दूसरे को बचाने के लिए क्या करना है और उन्हें तत्संबंधी सेवाएं भी उपलब्ध कराया जाना भी इतना ही महत्वपूर्ण है। अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि जब तक खतरे और असुरक्षा के पहलुओं पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता तब तक दीर्घकालिक और प्रभावी उपाय करना संभव नहीं है। संक्रमण का खतरा कम होने से महामारी की गति धीमी होती है जबकि असुरक्षा वाले पहलुओं के कम होने से संक्रमण का खतरा और महामारी का प्रकोप समाप्त होता है।

मित्रो, देश में एच.आई.वी. संक्रमण का पहला मामला प्रकाश में आने के तुरंत बाद भारत सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण उपायों की शृंखला शुरू कर दी, जिन्हें फिलहाल राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना के तहत चलाया जा रहा है। जानकारी, शिक्षा और संवाद, रक्त संबंधी सुरक्षा, स्वैच्छिक परामर्श और परीक्षण, आदि के माध्यम से अपनी जनता को एच.आई.वी. संक्रमण से बचाना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। संक्रमणग्रस्त लोगों को उपचार, परिचर्या और सहायता वाली सेवाएं प्रदान करना भी हमारी रणनीति का महत्वपूर्ण अंग है।

राष्ट्रीय एड्स निवारण और नियंत्रण नीति, 2002 में वर्ष 2007 तक नए संक्रमणों को समाप्त करने के लिए संक्रमण स्तर को प्रभावी तरीके से रोकने का लक्ष्य रखा गया है। इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए गत वर्ष एक व्यापक राष्ट्रीय रक्त नीति जारी की गई थी जिसमें अच्छी निर्माण प्रणाली सुनिश्चित करने के अलावा रक्त बैंक संचालन के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।

मित्रो, स्थायी उपचार के अभाव में, रोकथाम ही मुख्य सहारा रह जाता है। सबसे अधिक दुख की बात तो यह है कि सभी नए एच.आई.वी. संक्रमणों का लगभग एक तिहाई हिस्सा 15 से 24 वर्ष की उम्र के युवा लोगों में होता है। व्यापक रूप से माना जाता है कि यौन संबंधों के जरिए होने

वाला एच.आई.वी. संक्रमण का होना चिंता का मूल कारण है। इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि यौन संबंधों के माध्यम से संक्रमित बीमारियां जो इस आयु वर्ग में सामान्य हैं, एच.आई.वी. संक्रमण की संभावनाओं को भी बढ़ाती हैं। फिर भी, उन्हें उनके स्वास्थ्य तथा बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी तथा सेक्स संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं से अक्सर वंचित रखा जाता है। कुछ लोग विशेष रूप से कठिन स्थितियों में रह रहे हैं जिससे उनमें एच.आई.वी. संक्रमण की संभावना और बढ़ जाती है। शारीरिक तथा सामाजिक व सांस्कृतिक दोनों ही कारणों से युवा लड़कियों में संक्रमण होने की संभावना और भी अधिक रहती है।

इस परिप्रेक्ष्य में तत्काल स्वास्थ्य और यौन शिक्षा तथा एच.आई.वी. संदेश के साथ चर्चा, स्वैच्छिक परामर्श और परीक्षण तथा कंडोम के प्रयोग को बढ़ावा देने जैसे सुरक्षित व्यावहारिक कार्यकलापों को अपनाने, इत्यादि जैसे उपाय और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमें लोगों, विशेषरूप से युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। इस संबंध में, भारत सरकार ने देश भर में स्कूल एड्स शिक्षण कार्यक्रम तथा विश्वविद्यालय एड्स वार्ता कार्यक्रम शुरू किया है। जागरूकता के स्तरों को बढ़ाने के अलावा, ये कार्यक्रम पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करते हैं, साथियों के दबाव को रोकने में युवाओं को कुशल बनाते हैं तथा सुरक्षित एवं जिम्मेवार जीवन पद्धति विकसित करते हैं।

एच.आई.वी. महामारी को रोकने में सामाजिक-सांस्कृतिक, पारिवारिक, नैतिक तथा धार्मिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए प्रत्येक देश को एच.आई.वी./एड्स के प्रसार के लिए जिम्मेवार भ्रांतियों, चुप्पी, सामाजिक लांछन तथा भेदभाव को दूर करते हुए हम भारत के लोग एड्स पर बार्सीलोना में जुलाई 2002 में हुए 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में की गई इस अपील की हार्दिक प्रशंसा करते हैं कि एच.आई.वी. के बारे में कोई कानून बनाते समय मानव तथा नागरिक अधिकारों हेतु समुचित सुरक्षोपायों के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों का सुगम उपयोग अवश्य सुनिश्चित किया जाए।

इसके अलावा, यौन संबंध से भिन्न माध्यमों से एच.आई.वी. की संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए रक्त तथा रक्त उत्पादों की सुरक्षा लागू करना, आदि कुछ मुख्य कार्य हैं जिन्हें इस महामारी को रोकने तथा इससे लड़ने हेतु हमारे दृष्टिकोण में व्यापक रूप से शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

संक्रमण रोकने तथा संक्रमित लोगों को बचाने का कार्य साथ-साथ चलता है। ऐसा देखा गया है कि एच.आई.वी./एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के साथ भेदभाव उन्हें चिकित्सीय तथा घरेलू उपचार, देखभाल तथा सहायता सेवाओं की पहुंच से वंचित रखते हैं तथा प्रभावी समाधान को रोकते हैं। इस वंचना को दूर करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक मेरे विचार से यह है कि एच.आई.वी./एड्स वाले लोगों के शिक्षा तथा रोजगार और जानकारी तथा स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं तक पहुंच के अधिकारों को संरक्षण देते हुए उन्हें और अधिक संख्या में साथ लेकर एड्स के प्रति लड़ाई को मानवीय स्वरूप प्रदान करना है। ये ही लोग अपने व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं जो महामारी को रोकने में हमारी योजना

तथा रणनीति को काफी अधिक मजबूती प्रदान कर सकता है। विशेष प्रकार की वायरस रोधी चिकित्सा प्रणाली सहित टीकों, जीवाणुनाशकों, औषधियों तथा नई-नई प्रौद्योगिकियों की बढ़ती उपलब्धता तथा उनका खर्च वहन करने की क्षमता से इस दिशा में गति और तेज होगी।

एक विशेष चिंता की बात यह भी है कि एच.आई.वी. वायरस को पूर्णतः दूर करने वाले या संक्रमण को रोकने वाले टीके के रूप में कोई प्रभावी चिकित्सा नहीं है। जहां तक विशेष प्रकार की वायरस रोधी चिकित्सा का संबंध है, तो केवल इसका खर्चा ही चिंता का विषय नहीं है अपितु यह भी एक तथ्य है कि उक्त चिकित्सा पद्धति रोग का उपचार नहीं है, उपचार तो जीवन-पर्यन्त चलता है तथा इसके कारण पड़ने वाले अन्य दुष्प्रभावों पर लगातार निगरानी रखने की आवश्यकता है तथा उपचार केवल मरीज की आयु बढ़ाने में सहायक होता है। प्रभावी उपचारों को विकसित करने के लिए नया तथा आविष्कारी दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है। मैं यहां होमियोपैथी के अलावा आयुर्वेद, यूनानी तथा सिद्ध जैसी चिकित्सा की स्वदेशी पद्धतियों में आशा की किरण देखता हूं।

मैं यह जानकर खुश हूं कि एच.आई.वी. की उपकिस्म ग, जो हमारे देश में प्रमुख रूप से व्याप्त हैं, के दबाव से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एड्स टीका पहल के साथ सहयोग के रूप में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद स्वदेशी एच.आई.वी. टीका विकसित करने का कार्य मिलकर कर रहे हैं। इन अनुसंधानों को शीघ्रातिशीघ्र आगे बढ़ाया जाए।

मित्रो, मेरा यह मानना है कि आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि एच.आई.वी./एड्स की समस्या से निबटने के लिए क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूत करने के मूलभूत महत्व से कोई भी इंकार नहीं कर सकता है। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि विशिष्ट दक्षताओं तथा संसाधनों, तकनीकी तथा व्यावसायिक विशेषज्ञता, आवश्यक दवाओं, टीकों, जीवाणुनाशकों इत्यादि को विनिमय किया जाए। भारत की नीति सदैव इस रोग का मुकाबला करने के लिए विश्व को एकजुट करने की रही है। नशीली दवाओं के सेवन, श्रमिक प्रवासन, महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार जैसे क्षेत्र पारीय मुद्दों के कारण यह और भी आवश्यक हो जाता है। इसी बात को स्वीकार करते हुए, जून 2001 में संयुक्त राष्ट्र के विशेष अधिवेशन में स्वीकृत एच.आई.वी./एड्स संबंधी प्रतिबद्धता की घोषणा वैश्विक संकट-वैश्विक कार्यवाही (जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं) में मानवजाति के समक्ष उत्पन्न इस खतरे का मुकाबला करने और इस पर काबू पाने के लिए सरकारी, अन्तर सरकारी संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, चिकित्सीय और वैज्ञानिक संस्थाओं, व्यापार जगत, सांसदों, धार्मिक नेताओं इत्यादि के बीच सुदृढ़ भागीदारी का आह्वान किया गया है। आज इस बात की जरूरत है कि सब लोग आगे आएं तथा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर सक्रियता से विचार करें ताकि विश्व को एच.आई.वी./एड्स की विभीषिका से मुक्त किया जा सके।

एच.आई.वी./एड्स मात्र नीतिगत मुद्दा ही नहीं रहा। एच.आई.वी./एड्स का मुकाबला करने में सरकार के प्रयास तभी सफल हो सकते हैं जब इसके प्रयासों में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और

राजनीतिक क्षेत्रों के नेताओं की भी पूर्ण तथा सक्रिय सहभागिता हो। इसी संदर्भ में बहुत से अफ्रीकी देशों तथा करिबियन और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों के देशों ने सफलतापूर्वक दिखा दिया है कि एच.आई.वी./एड्स की विभीषिका के विरुद्ध लड़ाई में राजनीतिक नेतृत्व और राजनीतिक इच्छाशक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। युगांडा के राष्ट्रपति योवरी मुसेवेनी का उदाहरण अनुकरणीय है जिन्होंने देश में व्याप्त एच.आई.वी./एड्स समस्या को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया तथा इसके विरुद्ध मिलकर प्रयास करने की वचनबद्धता व्यक्त की। समाज के विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों, जैसे राजनीतिक, सामुदायिक और धार्मिक नेताओं को इस कार्य में सम्मिलित किया गया। एड्स कार्यक्रम के सतत कार्यान्वयन के द्वारा कम्पाला में गर्भवती महिलाओं में इस रोग की व्याप्ति जो 1992 में 29.5 प्रतिशत थी, वर्ष 2000 में घटकर 11.25 प्रतिशत रह गई।

हमें इस लड़ाई को जीतना है। एच.आई.वी./एड्स के साथ जुड़े कलंक, भेदभाव और बहिष्कार के विरुद्ध लड़ने तथा जनसामान्य को शिक्षित करने के सभी संभव प्रयास किए बिना हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। इस अवसर पर मैं सांसदों से विशेष अपील करना चाहूंगा जो एच.आई.वी. से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी कार्य के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और विश्व स्तर पर भागीदारी स्थापित करने में केन्द्रीय भूमिका निभा सकते हैं। उनके दर्जे और दायित्वों के स्वरूप को देखते हुए निर्वाचित प्रतिनिधिगण निर्णय लेने वालों, योजना तैयार करने वालों तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को सजग बनाने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। निर्वाचित प्रतिनिधिगण ऐसी नीतियां, कार्यक्रम और विधान विकसित करने में मदद कर सकते हैं जिससे लोगों की वर्तमान और बदलती जरूरतों की पूर्ति हो सके। इसके अतिरिक्त हम जनमत को प्रभावित करने तथा इस रोग का निदान करने और साथ ही इसके प्रभावी निवारण के लिए अनुकूल दृष्टिकोण विकसित करने की अनूठी स्थिति में हैं। आइए हम स्वयं को एच.आई.वी./एड्स के अभिशाप से मुक्त एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए समर्पित करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सम्मेलन का सहर्ष उद्घाटन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि यहां होने वाले विचार-विमर्श से एच.आई.वी./एड्स की विभीषिका के विरुद्ध हमारे अभियान को मदद मिलेगी। इस सम्मेलन की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं।

धन्यवाद।

31

सबके लिए त्वरित और सार्थक न्याय सुनिश्चित करना*

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकार्ड एसोसिएशन द्वारा 'न्याय तक पहुंच' (एक्सेस टु जस्टिस) विषय पर आयोजित अखिल भारतीय सेमिनार के समापन-सत्र के अवसर पर आज आप सबके बीच उपस्थित होना वास्तव में मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। एक ऐसे विषय पर-जो सबके लिए महत्वपूर्ण है, विचार-विमर्श में भाग लेते हुए मुझे हर्ष है। मैं एसोसिएशन को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर इस सम्माननीय सभा के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने हेतु आमंत्रित किया।

आप सबको मालूम है कि 'स्वतंत्रता, समानता और न्याय' लोकतांत्रिक शैली की जीवन पद्धति के तीन केन्द्र बिन्दु हैं। हमारे प्राचीन धर्मग्रंथ 'ऋग्वेद' में भी इसे बहुत मान्यता दी गयी है; मैं उसी को उद्धृत कर रहा हूं-"न कोई बड़ा है और न कोई छोटा है, सभी इंसान बराबर हैं। सभी भाई-भाई हैं, सबको सबके कल्याण के लिए मिलकर प्रयास करने चाहिएं।"

हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप, हमारे संविधान की प्रस्तावना में यह आवश्यक पूर्वापेक्षा की गयी है कि नागरिकों को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए अवसर मिलें। प्रस्तावना में देश के सभी नागरिकों को 'सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय' तथा 'प्रतिष्ठा और अवसर की समानता' सुनिश्चित करने का वचन दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 39 'क' में प्रावधान है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो।

हमारे देश में संवैधानिक शासन कानून के नियम पर आधारित है। हमारे देश में संवैधानिक आदेश के अनुसार सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं और, साथ ही, सभी को कानून से समान संरक्षण प्राप्त हैं। अपने व्यापक तथा विविधीकृत अधिकार-क्षेत्र से युक्त हमारी न्यायपालिका, राजकीय प्राधिकार के स्वेच्छाचारपूर्ण प्रयोग पर अंकुश लगाने तथा नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करने के अपने साधारण कर्त्तव्यों के निष्पादन के अलावा संविधान के अभिभावक की भूमिका भी निभाती है। याचिकाओं से संबंधित अनुच्छेद 32 तथा 226 में राज्य द्वारा की गई भूल-चूकों के विरुद्ध नागरिकों

* सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकार्ड एसोसिएशन द्वारा 'न्याय तक पहुंच' विषय पर आयोजित विचारगोष्ठी में विदाइ भाषण, नई दिल्ली (27 अप्रैल 2003)

के किसी मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु वचनबद्ध तथा त्वरित न्यायिक समाधान का उपबंध है। मौलिक अधिकार के अतिक्रमण की दशा में, पीड़ित व्यक्ति को सीधे उच्चतर न्यायपालिका से समाधान मांगने का अधिकार है।

इस बात को शायद ही दोहराने की जरूरत है कि जहां तक कानून के शासन को कायम रखने और उसके निर्वहन का प्रश्न है, इसमें न्यायपालिका और विधिक-समुदाय की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम है। अपने युगान्तरकारी फैसलों और पीड़ितों को राहत पहुंचाने के माध्यम से न्यायपालिका सदैव नागरिकों के अधिकारों के संरक्षक तथा न्याय के दुर्ग की भूमिका अदा कर रही है। हमारी अदालतें न्याय करने के मामले में उदार हैं। सुरक्षा विहीन, निर्धन, जरूरतमंद तथा समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को न्याय प्रदान करने की दृष्टि से, प्राप्त पत्रों को ही याचिका मानने की परिपाटी हमारी अदालतों द्वारा की जा रही बहुमूल्य लोक सेवा का पर्याप्त प्रमाण है।

जनहित याचिका प्रणाली को समुन्नत करने से अधिकारिता के सिद्धांत की पुनर्व्याख्या ने निर्धन और जरूरतमंदों तक न्याय की पहुंच का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अनेक बार, न्यायालयों ने कई विभिन्न विषयों पर जनहित याचिकाएं स्वीकार कर मानवाधिकारों के संरक्षण का दायित्व निभाया है। उदाहरण के लिए आप पब्लिक स्कूलों में फीस-दरें, राजधानी में प्रदूषणमुक्त जन-परिवहन-व्यवस्था, उद्योगों को दिल्ली के आवासीय क्षेत्रों से बाहर पुन: स्थापित करने, सड़कों और गलियों में अतिक्रमण हटाने, स्वच्छता तथा साफ-सफाई बनाए रखने आदि मामलों को ले सकते हैं। इससे दिल्ली की स्वच्छता तथा सौंदर्य बढ़ा है। पटना में जल-आपूर्ति की स्थिति में सुधार, दून घाटी में अनधिकृत खनन की समस्या, बालश्रम, बंधुआ श्रमिक, महिलाओं का अवैध व्यापार, स्कूल-बसों में बच्चों के आवागमन में सुरक्षा संबंधी मानदण्ड और पर्यावरण-संरक्षण ऐसे कुछ अन्य मुद्दे हैं जिन पर न्यायालयों ने जनहित याचिकाएं स्वीकार कर आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।

न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए एक और ठोस कदम के रूप में सरकार द्वारा 1980 में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती की अध्यक्षता में कानूनी सहायता योजना कार्यान्वयन (सीआईएलएएस) समिति का गठन किया जाना है। परिणामस्वरूप, आज पूरे देश में कानूनी सहायता तथा परामर्श बोर्ड बन गए हैं। कानूनी सहायता सेवाओं का आशय जनसाधारण, विशेषरूप से निरक्षर तथा गरीब नागरिकों की सहायता करना है ताकि उन्हें त्वरित आर्थिक तथा कानूनी सहायता या तो उचित लागत पर या सरकारी खर्चे पर मिल सके। अ.जा., अ.ज.जा., महिलाओं, बच्चों तथा शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के संदर्भ में इस सेवा का लाभ पाने के लिए पात्रता के रूप में कोई आय सीमा लागू नहीं है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 30 सितम्बर, 2002 तक महिलाओं, बच्चों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के अलावा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के समुदाय के लोगों सहित लगभग 43 लाख व्यक्ति कानूनी सहायता सेवाओं से लाभान्वित हुए हैं।

इसमें अपेक्षित गति तब आई जब संसद ने 1987 में लोक अदालत संस्था को सांविधिक सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया। लोक अदालतें तथा उपभोक्ता मंच विश्वासोत्पादक और समन्वयपूर्ण प्रयासों के माध्यम से विवादों का वैकल्पिक समाधान करने की दिशा में पूर्णत: प्रभावी तंत्र सिद्ध हुए हैं। ये दोनों संस्थाएं न केवल नियमित न्यायालयों में बकाया मामलों की संख्या में कमी लाने में सहायक रही हैं बल्कि न्याय को आसान और मितव्ययी ढंग से गरीब तथा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया है। उन्होंने बड़ी संख्या में विवादों का निपटारा किया है तथा लोगों को त्वरित न्याय प्रदान किया है। 30 सितम्बर, 2002 तक लगभग 1.43 करोड़ विवादों को लोक अदालतों के मंच से सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया गया तथा पूरे देश में विभिन्न उपभोक्ता मंचों द्वारा 15.48 लाख शिकायतों का समाधान किया गया। मेरे विचार से, ये आंकड़े बहुत अच्छे प्रभावी हैं।

इन आंकड़ों के बावजूद, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि विद्यमान ढांचा अभी भी समय की आवश्यकताओं के अनुसार न्याय प्रदान करने में पर्याप्त सिद्ध नहीं हो रहा है। पुरानी कहावत है कि "न्याय में देरी न्याय का नहीं मिलना है"। दुर्भाग्यवश अपवाद की बजाए एक मानदंड बनती जा रही है। एक ओर जहां विभिन्न कारणों से न्यायपालिका के कृत्यों का विस्तार होता जा रहा है, वहीं न्याय मिलने में विलंब तथा गिरते हुए मानदण्डों के कारण लोगों की नजर में न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आज विश्व में हमारा देश वकीलों की सर्वाधिक संख्या के संबंध में दूसरे स्थान पर है। लेकिन फिर भी न्याय मंथर गति से चल रहा है। हमारे न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या करोड़ों में है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 2.43 करोड़ है। वस्तुत: यह बहुत बड़ी संख्या है। इनमें से, लगभग 36 लाख मामले हमारे उच्चतर न्यायालयों में लंबित हैं। प्रत्येक दिन काफी बड़ी संख्या में नए मामले इसमें और जुड़ जाते हैं। नए दर्ज होने वाले मामलों की संख्या काफी अधिक है तथा निपटाए जाने वाले मामलों की संख्या काफी कम है। हमारे लोगों के एक बहुत बड़े वर्ग में घोर अज्ञानता, अत्यधिक गरीबी, भुखमरी तथा अन्य प्रकार की विपन्नता से स्थिति और भी बिगड़ रही है। उनके लिए स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के उच्च आदर्श अभी भी दिवास्वप्न की तरह हैं।

न्यायिक विलंबों के बारे में बोलते हुए मुझे विलियम एल. प्रोजर की पुस्तक 'दि ज्यूडिशियल ह्यूमरिस्ट' में उद्धृत एक घटना याद आती है। ऐसा हुआ कि अमेरिकी न्यायालय में एक मामला 14 वर्षों से लंबित था। इसकी सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का दुर्भाग्यवश निधन हो गया तथा मामले की फाइल ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इस अवधि के दौरान मुकदमेबाजी के विषय से संबंधित कई हित बदल गए तथा वादी अथवा प्रतिवादी की ओर से मामले में 80 अटार्नी (वकील) जुड़ गए थे। जब अल्प नोटिस पर मामला सुनवाई के लिए संबंधित अटार्नी के पास आया तो एक को छोड़कर उक्त किसी भी अटार्नी को यह याद नहीं रहा कि उनके मुवक्किल का नाम श्री डैरियस ग्रीन था। नए न्यायाधीश ने वकील से लिखित रूप से अपना यह समावेदन रिकार्ड करने के लिए कहा कि

मामले की सुनवाई शुरू हो, ताकि क्लर्क अगली सुनवाई की तारीख तय कर सकें। जब संबंधित वकील कोर्ट क्लार्क के डेस्क से चले गए तो उपस्थित दूसरा वकील उनके पास आया और खुशी से उनसे हाथ मिलाया और फिर उनकी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा: ''कृपया श्री ग्रीन को विनम्रतापूर्वक मेरी याद दिलाने का कष्ट करना।'' ''मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं'', उन्होंने तत्काल कहा, ''वह मर चुके हैं।'' ''अच्छा! वे मर गए हैं। मैंने सोचा कि आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? वकील ने तुरंत जवाब दिया ''जी हां। मैं उनकी विल का निष्पादक हूं।''

मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि विलंब से न केवल न्याय बल्कि कानून का दरवाजा खटखटाने वाले भी कभी-कभी मर चुके होते हैं। वास्तव में कई बार न्यायालय के मामले भी आश्चर्यजनक होते हैं।

न्यायिक विलंबों की ऐसी स्थिति में हमें अपनी न्यायिक प्रणाली का पुनर्गठन करने और उसमें सुधार करने हेतु निश्चित रूप से आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। न्याय सभी लोगों की न्यूनतम सामान्य आवश्यकता है। इसके साथ कई महत्वपूर्ण अर्थ जुड़े होते हैं। यह जीवन को सुरक्षा, स्वतंत्रता तथा खुशियां प्रदान करता है। यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि सभी को समय पर न्याय मिले? सबको समय पर न्याय कैसे मिले? व्यवस्था में लोगों का विश्वास कैसे बरकरार रखा जाए? ये कुछ ऐसे संगत प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें खोजने हैं।

मित्रो, न्यायपालिका की अक्सर इसलिए आलोचना की जाती है कि वह राज्य के दूसरे अंगों अर्थात् विधानमण्डल और कार्यपालिका की तुलना में सक्रिय भूमिका निभा रही है। न्यायपालिका द्वारा जनहित वादों को स्वीकार करने के कारण अन्य अंगों के अधिकार क्षेत्र में न्यायिक हस्तक्षेप का आरोप लगा है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, राज्य के तीनों अंग अपने-अपने संबंधित क्षेत्र में सर्वोच्च हैं। किंतु उन्हें 'सर्वजनहिताय' के सांझे उद्देश्य के लिए पूर्णत: समरसतापूर्वक काम करना है। यदि राज्य का कोई अंग अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहता है तो इस बात की संभावना बनी रहती है कि दूसरा अंग समस्या का अपनी तरह से समाधान लेकर आएगा। तथापि, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि राज्य के तीनों अंगों के बीच कोई अंतर्निहित द्विभाजन नहीं है। उनकी भूमिकाएं एक-दूसरे की पूरक-संपूरक हैं। यह वैसा ही है जैसाकि होना चाहिए।

मित्रो, मैं यह कहना चाहता हूं कि विधिक क्षेत्र के लोगों का विभिन्न क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हमारे वकीलों ने स्वतंत्रता संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, आसफ अली, सर तेज बहादुर सप्रू—कुछ ऐसे नाम हैं, जिन्होंने आजादी की मशाल को थामे रखा। इनमें से प्रत्येक के अंदर का जो वकील था उसने उन्हें ब्रिटिश शासन की दमनकारी प्रकृति को पहचानने और इसके खिलाफ विद्रोह के लिए प्रेरित किया। जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई और हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया तो हमारे लगभग 30 प्रतिशत सांसद विधि व्यवसाय के प्रतिनिधि थे। पहली लोक सभा में रिकार्ड 153 सदस्य विधि व्यवसाय वाले थे। हालांकि, बाद में उनकी संख्या घटने लगी। शायद ऐसा

बदलती हुई सामाजिक वास्तविकताओं के कारण हुआ क्योंकि हमारी राज्य व्यवस्था में कई अन्य वर्गों और व्यवसायों के लोगों ने अधिक भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। वर्तमान लोक सभा में 66 सदस्य विधि व्यवसाय के हैं जो इसके कुल सदस्यों का 12.24 प्रतिशत है। हालांकि, उनकी उपस्थिति पहले जैसी नहीं है किंतु ये अधिवक्ता सदस्य कानूनों के अधिनियमन और उनकी व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। अधिवक्ता सदस्य, चाहे संसद में हों या राज्य विधानमंडलों में हो, वे विधान की गुणवत्ता सुधारने में अपना योगदान करते हैं। हालांकि इन विधानों का प्रारूप कार्यपालिका ही तैयार करती है किंतु विधानमंडल का परिवेश उनका परिष्कार करता है और ये सदस्य नए विधान की विषय-वस्तु और रूपरेखा पर अपनी छाप छोड़ते हैं।

राज्य का एक और अंग जो जनकल्याण के प्रति इतना ही और शायद इससे भी अधिक सरोकार रखता है और वह देश की सर्वोच्च विधायी संस्था—संसद है। प्रातिनिधिक स्वरूप से युक्त इस संस्था का मूल कार्य विधान बनाना है। मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि संसद अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह बड़ी ईमानदारी और उद्यमशीलता से कर रही है। हाल के महीनों में, विशेषत: 13वीं लोक सभा के पिछले सत्र के दौरान पूरे किए गए विधायी कार्य इस तथ्य के साक्षी हैं। इस सत्र ने इस मायने में नया रिकार्ड बनाया है कि पिछले तीस वर्षों में किसी भी शीतकालीन सत्र में सभा में इतना कार्य नहीं हुआ जितना इस सत्र में हुआ। पिछले एक वर्ष के दौरान हमारी संसद ने अन्य विधायी कार्यों के अलावा 87 विधेयक पारित किए। वस्तुत: संसद जन आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को मूर्तरूप देती है और जनता और प्रशासन के बीच की कड़ी है। यह अधिकतम उपलब्धि केवल तभी हासिल कर सकती है जब देश के शासन में संलग्न अन्य संस्थाओं के साथ सामंजस्य रखकर काम करे। मेरा यह विश्वास है कि यदि राज्य के सभी अंग एकचित्त होकर, अनुशासन, समर्पण और निष्ठा से काम करें तो कायाकल्प हो सकता है।

एक विधायक और वकील का काम एक समान होता है। दोनों ही जनता के लिए कार्य करते हैं। एक विधायक मूलत: जन शिकायतों के निवारण के लिए काम करता है और एक वकील जनता को न्याय दिलाने के लिए काम करता है—हां, लेकिन फीस लेकर और कई बार यह फीस बहुत अधिक होती है। न्याय पाना बहुत महंगा होने के कारण एक आम वादी के लिए यह बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे एक चुटकुला याद आता है: यह कहा जाता है कि कोई वादी मुकदमा लड़ने के लिए कार में जाता है; यदि वह मुकदमा जीत भी जाए तो वह साइकिल पर ही लौट पाता है क्योंकि उसे फीस और दूसरे भारी भरकम प्रभार जो देने होते हैं।

दूसरा चुटकुला जो मुझे याद आता है कि एक आदमी अपने पड़ोसी दोस्त से बातचीत करने जाता है, जो वकील होता है: "यदि आपके पड़ोसी का कुत्ता आपके जूते काट दे तो आप क्या करेंगे?" वकील ने जवाब दिया: "मैं उससे तत्काल नये जूते मांगूंगा या फिर उस पर मुकदमा कर दूंगा।" पड़ोसी ने जवाब दिया: "मुझे यह सुनकर खुशी हुई क्योंकि वह कुत्ता आपका ही था जिसने

मेरे जूते काट दिए।" वकील ने उस जूते के लिए अपने पड़ोसी को राजी-खुशी 500 रु. दे दिये। अगले ही हफ्ते पड़ोसी को डाक से एक भारी-भरकम बिल मिला जिस पर लिखा हुआ था "मेरी सलाह देने की फीस!"

मित्रो, आइये मजाक छोड़ें, न्यायिक पद्धति की कार्य संस्कृति में अपेक्षित 'व्यवहारगत परिवर्तन' की भूमिका का वर्तमान परिदृश्य में काफी महत्व है। कार्य संस्कृति में बदलाव लाने के लिए वकीलों, न्यायाधीशों तथा मुकदमा दायर करने वाले लोगों का सहयोग और उनकी सहभागिता अपेक्षित होती है। मेरा पक्का विश्वास है कि इस व्यवसाय की पावनता तथा इसकी मर्यादा कायम रखने का दायित्व मुख्यत: वकीलों पर ही है। विधिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग, न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को सुदृढ़ बनाने और उसे बरकरार रखने में निश्चित रूप से योगदान कर सकते हैं।

न्याय प्रशासन के बारे में मेरे एक वकील मित्र ने एक बार रोचक टिप्पणी की थी। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। लेकिन फिर भी मैं यह महसूस करता हूं कि उनकी टिप्पणी आपको सुनाने लायक है। उन्होंने कहा: "अमरीका में उन सभी कार्यों की अनुमति है जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं हैं। जर्मनी में वे सभी कार्य प्रतिषिद्ध हैं जो विधि द्वारा अनुमत्य नहीं हैं। चीन में विधि द्वारा अनुमत्य होने के बावजूद भी सभी कार्य प्रतिषिद्ध है। भारत में हम ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं जहां ऐसा प्रत्येक कार्य, जो विधि द्वारा अनुमत्य नहीं है, करना अनिवार्य होता है।"

आइये हम सब मिलकर इस प्रकार के मिथक को दूर करने का प्रयास करें।

शीघ्र न्याय की व्यवस्था के लिए आवश्यकता इस बात की है कि न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। इस प्रणाली में जन-आस्था को बहाल करने के लिए आवश्यक है कि न्यायालयों को सुगम्य बनाया जाए और मामलों का शीघ्र निपटान किया जाए। इस दिशा में एक कदम यह उठाया जा सकता है कि उप-न्यायालयों के वित्तीय क्षेत्राधिकार का विस्तार किया जाए क्योंकि वे न्यायप्रार्थी के घर के निकट होते हैं। एक अन्य कदम यह हो सकता है कि वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाए जिसमें माध्यस्थम, सुलह, मध्यस्थता, लोक अदालत, उपभोक्ता मंच आदि शामिल हैं। इससे नियमित अदालतों के बोझ को कम करने में निश्चित रूप से काफी सहायता मिलेगी।

आज का युग कम्प्यूटरीकरण का युग है। यह गति और कार्यकुशलता का पर्याय है। इसका सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों ही क्षेत्रों में प्रयोग बढ़ता जा रहा है। न्यायालयों के लिए भी इसका व्यापक प्रयोग करना आवश्यक है। मुझे बताया गया है कि हमारे देश के उच्चतम न्यायालय में इस संबंध में कुछ कार्य किया जा चुका है। विनिर्णयों का कम्प्यूटरीकरण, विधिक डाटा बैंक के माध्यम से निर्णय विधि तथा अन्य कानूनी राय की सहज उपलब्धता जनसाधारण को शीघ्र न्याय दिलाने में निश्चित रूप से सहायक होंगे।

अंत में, मैं इस बात पर बल देता हूं कि कानून वही है जो विधिनिर्माता बनायें, जिन पर वकील तर्क-वितर्क करें और जो न्यायाधीश प्रतिपादित करें। किसी मामले की सफलता के लिए यह अपेक्षित है कि उसका समयबद्ध रूप से समाधान करने के लिए नये लोकाचार विकसित किए जाएं ताकि पीड़ित व्यक्ति को शीघ्र तथा उचित न्याय दिलाया जा सके। एक अच्छे अधिवक्ता को इसके लिए सदैव प्रयास करना चाहिए।

धन्यवाद।

भारत के राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के साथ

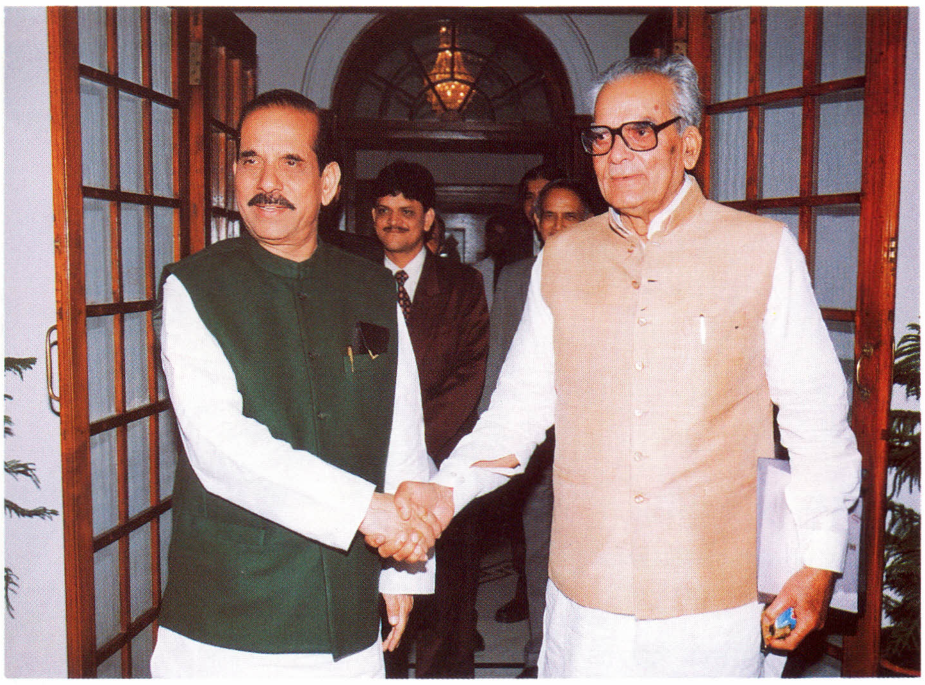

भारत के उप-राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति,
श्री भैरों सिंह शेखावत के साथ

श्री मनोहर जोशी और श्रीमती अनघा जोशी प्रधान मंत्री,
श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ

शिव सेना प्रमुख श्री बालासाहेब ठाकरे के साथ

श्री बालासाहेब ठाकरे श्री मनोहर जोशी का अभिनंदन करते हुए

श्री प्रमोद महाजन के साथ

श्रीमती सुषमा स्वराज के साथ

लोक सभा के उपाध्यक्ष, श्री पी.एम. सईद के साथ

श्री शरद पवार, श्री नारायण राणे, श्री वेद प्रकाश गोयल, श्री प्रफुल्ल पटेल और श्रीमती शबाना आजमी के साथ

महाराष्ट्र के निर्वाचित संसद सदस्यों द्वारा स्वागत के अवसर पर

श्री राम नाईक और श्री वसंत साठे के साथ

तीन

अंतर-संसदीय सहयोग

भारत और क्रोएशिया—सहयोग की व्यापक संभावना*

मेरे और मेरे संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों के लिए आज यहां उपस्थित होना वास्तव में सम्मान और सौभाग्य की बात है। सर्वप्रथम, मैं आपके उदारतापूर्ण उद्‌गारों और सुरुचिपूर्ण आतिथ्य सत्कार के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं इस अवसर पर भारत की जनता और संसद की ओर से क्रोएशिया के मित्र देशवासियों और संसद को बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं।

मित्रो, हाल के कुछ वर्षों में आपके देश में जो अपूर्व घटनाक्रम रहा है, उसे हमने गहरी दिलचस्पी और सराहना की दृष्टि से देखा है। एक दशक से भी कम समय में क्रोएशिया ने अपनी लोकतांत्रिक इमारत को सुदृढ़ किया है। हम भारतवासियों के लिए लोकतंत्र लम्बे समय से एक जीवन-पद्धति रही है। वस्तुत:, भारतीय संसद ने 13 मई को अपनी स्वर्ण जयंती मनायी थी। विगत पचास वर्षों में हमारे देश ने विभिन्न क्षेत्रों में तीव्र प्रगति करते हुए स्वयं को विश्व के सबसे बड़े कार्यशील लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया है।

मित्रो, भारत और क्रोएशिया के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध भूतपूर्व संघीय समाजवादी यूगोस्लाविया गणराज्य के समय से हैं। जब हमारे दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए तो क्रोएशिया ने दक्षिण एशिया में अपना पहला रेजिडेंट मिशन नई दिल्ली में खोला था। भारत भी क्रोएशिया के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है और जगरेब में 1996 में पहले भारतीय मिशन की स्थापना के पश्चात् दो वर्ष से भी कम समय में ही अपने प्रतिनिधित्व का दर्जा बढ़ाकर राजदूत स्तर का कर दिया।

तब से हमारे मैत्री संबंध संतोषजनक ढंग से बढ़ रहे हैं तथा दोनों देश परस्पर और निकट आते जा रहे हैं। द्विपक्षीय निवेश प्रोन्नति और संरक्षण तथा स्वापक पदार्थों के अवैध व्यापार, संगठित अपराध और आतंकवाद का मुकाबला करने संबंधी दो महत्वपूर्ण समझौते किये गये हैं। अपने पारंपरिक संबंधों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ हमें भारत-क्रोएशिया के बीच व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में विकास की व्यापक संभावनाएं दिखायी देती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, भेषज तथा खाद्य प्रसंस्करण

* क्रोएशिया की संसद के प्रेजिडेंट, महामहिम श्री जलातको टोमसिक द्वारा भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में दिए गए भोज के अवसर पर, जगरेब, क्रोएशिया (9 जुलाई 2002)

कुछ ऐसे आशाजनक क्षेत्र हैं जहां हम परस्पर लाभकारी आदान-प्रदान कर सकते हैं और अपने आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ बना सकते हैं। भारत-क्रोएशिया की व्यापार और आर्थिक सहयोग संबंधी संयुक्त समिति की स्थापना से विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देने में सहायता मिल सकती है।

जगरेब विश्वविद्यालय में पिछले सत्तर वर्षों से भी अधिक समय से कार्य कर रहे भारतीय अध्ययन केन्द्र (सेंटर फार इन्डोलॉजी) से हमारे सांस्कृतिक संबंध भली-भांति प्रतिबिम्बित होते हैं। जुलाई, 2001 में दोनों देशों के बीच एक सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर किये गये हैं।

भारत का यह मानना है कि जब तक लोकतांत्रिक देशों के समक्ष उत्पन्न आतंकवाद की विभीषिका के खतरे का प्रभावी ढंग से मुकाबला नहीं किया जाता, तब तक चाहे कितने ही मानवीय प्रयास तथा आपसी सहयोग क्यों न किए जाएं, शांति तथा समृद्धि नहीं लाई जा सकती। 13 दिसम्बर को भारत की संसद पर और 1 अक्तूबर 2001 को जम्मू और कश्मीर राज्य विधानमंडल पर हुए आतंकवादी हमलों ने यह दिखा दिया है कि आतंकवादी और उनके सहयोगी अपने घृणित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों और राजनैतिक नेतृत्व को निशाना बनाते हैं। अमरीका में 11 सितम्बर को हुआ आतंकवादी हमला इस बात का संकेत था कि आतंकवाद समूचे विश्व में फैल रहा है। भारत इस बढ़ती विभीषिका और विशेष रूप से सीमापार आतंकवाद के खतरे के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर निरंतर बल देता रहा है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई केवल आतंकवाद का कहर फैलाने वालों तक ही सीमित न हो अपितु इसमें उन देशों को भी घेरा जाना चाहिए जो उन आतंकवादियों को प्रश्रय देते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1373 को सभी प्रकार के आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के बारे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दृढ़ निश्चय का परिचायक मानते हैं।

महामहिम, हमारे संबंध सरकारी स्तर पर संपर्कों और संवादों के अलावा, दोनों देशों के सांसदों द्वारा एक-दूसरे देश की यात्राओं द्वारा भी पोषित हुए हैं। हम भारतवासियों ने क्रोएशिया में बहुदलीय संसदीय प्रणाली के सफल विकास को गहरी रुचि के साथ देखा है। हम आपके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इससे इस क्षेत्र के यूरो-अटलांटिक ढांचे में एकीकरण की प्रक्रिया सुगम बनेगी।

देवियो और सज्जनो, अब मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप भी मेरे साथ क्रोएशिया की संसद के प्रेजिडेंट, महामहिम श्री जलातको टोमसिक के सुख एवं स्वास्थ्य, क्रोएशिया की जनता की प्रगति और समृद्धि की खातिर तथा दोनों देशों के बीच बढ़ती मैत्री और सद्भाव के लिए मंगल कामना करते हुए प्रीति भोज का आनन्द लें।

धन्यवाद।

33

भारत और सूरीनाम—घनिष्ठ संबंध*

सूरीनाम की राष्ट्रीय असेम्बली के माननीय अध्यक्ष, हमें अपने देश में आपका और आपके संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

राज्य सभा की उपसभापति, मंत्रीगण और संसद सदस्यों सहित हमें आपका स्वागत करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है।

भारत और सूरीनाम के बीच की दूरी यद्यपि बहुत अधिक है किन्तु हमारे संबंध अत्यंत प्रगाढ़ हैं। सूरीनाम की एक-तिहाई आबादी भारतीय मूल की है। इसलिए, हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच हमेशा से ही बड़ा स्नेह रहा है। मैं एक बार फिर सभी की ओर से आपका स्वागत करता हूं।

माननीय अध्यक्ष अंग्रेजी ही नहीं बल्कि हिन्दी भी बोलते हैं। इस प्रकार, हम भाषा की दृष्टि से भी जुड़े हुए हैं। निरन्तरता हमारे सांस्कृतिक संबंधों का गुण रहा है। दोनों देशों के बीच आपसी समझ रही है। आपका देश हमारे देश की तुलना में छोटा हो सकता है पर हमारे अच्छे द्विपक्षीय संबंध हैं। हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों और कुछ सीमा तक व्यापार के क्षेत्र में भी संबंध हैं। मुझे ज्ञात है कि दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि समय के साथ इसमें भी वृद्धि होगी। सूरीनाम में 1978 में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना की गई थी। वर्ष 1978 से यह केन्द्र नृत्य, तबला, गायन, वाद्य संगीत समारोहों का आयोजन कर रहा है। यह केन्द्र योग और हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने में भी गहरी रुचि ले रहा है।

महामहिम, आपका देश 1975 में स्वतंत्र हुआ। तब से अब तक सूरीनाम ने जो प्रगति की है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। आपके देश ने भी हमारे देश में अनेक वर्षों से अपनाई जा रही संसदीय लोकतंत्र पद्धति का विकल्प चुना है। महामहिम, आपको ज्ञात ही होगा कि इस वर्ष हम अपनी संसद की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। हमारे और आपके देश में यह समानता है कि दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों, विधि के शासन और जन आकांक्षाओं की सर्वोच्चता में हमारे समान विश्वास ने हमारे संबंधों को और अधिक सुदृढ़ किया है।

---

* सूरीनाम की राष्ट्रीय असेम्बली के अध्यक्ष, महामहिम श्री रामदीन सरजू के नेतृत्व में आए सूरीनाम के संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में आयोजित भोज के अवसर पर, नई दिल्ली (9 अगस्त 2002)

सूरीनाम के महामहिम राष्ट्रपति श्री रूनाल्डो रोनाल्ड विनितियान का हमारे देश की यात्रा करने का प्रस्ताव है। हमें अपने देश में उनका स्वागत करते हुए बहुत प्रसन्नता होगी। भारत बेसब्री से अपने देश में उनकी यात्रा की प्रतीक्षा कर रहा है।

दोनों देशों के बीच प्रतिवर्ष कृषि और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ोत्तरी हो रही है। विश्व शांति और सुरक्षा को सुदृढ़ करने के संबंध में हमारे विचारों में समानता है। आपको ज्ञात है कि भारत पिछले कई वर्षों से आतंकवाद का शिकार हो रहा है। जहां भी संभव हो हमें आतंकवाद के मुद्दे को अवश्य उठाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की भारत की दावेदारी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर हमारे दृष्टिकोण का सूरीनाम ने सदैव समर्थन किया है, इसके लिए हम आपकी सराहना करते हैं। मैं एक बार पुन: सभी की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए हमारे देश का समर्थन किया है। इसलिए आपकी यह यात्रा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।

संसदीय सहयोग दोनों देशों की जनता के बीच संबंध बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण आयाम है। हमारे दोनों देशों के सांसदों का एकजुट होना निस्संदेह महत्वपूर्ण है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश के और आपके देश के लोग आपस में जल्दी-जल्दी बैठक करें। इसलिए, आपकी भारत यात्रा से सूरीनाम और भारत की जनता की आपसी समझ को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। मैं एक बार पुन: आपका स्वागत करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ आइए सूरीनाम की राष्ट्रीय असेम्बली के अध्यक्ष, महामहिम श्री रामदीन सरजू और सूरीनाम संसदीय शिष्टमंडल के अन्य सम्माननीय सदस्यों के सुख और स्वास्थ्य तथा दोनों देशों के बीच बढ़ रही मैत्री और सहयोग की कामना करते हुए मैं अब आप सभी को भोज के लिए आमंत्रित करता हूं।

धन्यवाद।

34

भारत और मैक्सिको–सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश*

मैक्सिको के चैम्बर आफ डिपटीज की प्रेसिडेंट, महामहिम श्रीमती बीट्रिज पारडिस तथा मैक्सिको के संसदीय शिष्टमंडल के अन्य गण्यमान्य सदस्यगण! मुझे श्रीमती बीट्रिज पारडिस और मैक्सिको के संसदीय शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों का स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। मुझे आशा है कि हमारे देश में आप सबको पूर्ण आदर सत्कार मिल रहा होगा।

मैक्सिको और भारत के संबंध अत्यंत मधुर हैं तथा सद्‌भावना, मैत्री और सहयोग की भावना से ओत-प्रोत हैं। मेरे पूर्ववर्ती, स्वर्गीय श्री बालयोगी ने मई 2001 में आपके देश की यात्रा की थी। मुझे विश्वास है कि अब आपके शिष्टमंडल की इस यात्रा से हमारे दोनों देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और गति देने में सहायता मिलेगी। महामहिम! मुझे प्रसन्नता है कि आप उपयुक्त समय पर हमारे देश पधारी हैं।

विगत दशक से, हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक उदारीकृत अर्थव्यवस्था है। इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं।

मैक्सिको वैश्विक आर्थिक मुद्‌दों में गहरी रुचि लेता है। मैं कह सकता हूं कि हमें अपने दोनों देशों के बीच संबंधों को और अधिक बढ़ाने की संभावना पर चर्चा करनी चाहिए। मुझे खुशी है कि भारत-मैक्सिको संयुक्त आयोग विद्यमान है, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। मुझे यह भी याद है कि भारतीय उद्योग परिसंघ और 'चैम्बर्स आफ युनाइटेड मैक्सिकन स्टेट्स' के बीच वर्ष 1996 में एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। हमारे दोनों देशों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि के क्षेत्रों में उन्नति की है। परस्पर सद्‌भाव के लिए, यह आवश्यक है कि हम आपसी सहयोग और आगे बढ़ाएं।

मुझे आशा है कि मार्च, 1996 में हस्ताक्षरित पर्यटन सहयोग समझौता और फरवरी, 1996 में हस्ताक्षरित दूरसंचार संबंधी समझौता ज्ञापन तथा हमारे द्वारा हस्ताक्षरित ऐसे अन्य अनेक समझौतों के कार्यान्वयन से, संबंधित क्षेत्रों में और अधिक संवाद होगा।

---

* मैक्सिको के चैम्बर आफ डिपटीज की प्रेजिडेंट, महामहिम श्रीमती बीट्रिज पारडिस के नेतृत्व में आए मैक्सिको के संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में आयोजित भोज के अवसर पर, नई दिल्ली (30 जुलाई 2002)

मैंने अपराह्न में आपसे अनुरोध किया था कि मैक्सिको में विज़ा शर्तों में ढील दी जानी चाहिए। मैं आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

चूंकि संसदीय संस्थाएं हमारी शासन व्यवस्थाओं के प्रमुख केन्द्र हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी संसदों और सांसदों के बीच ऐसे और आदान-प्रदान तथा संवादों को प्रोत्साहन दें। हमारे समक्ष उपस्थित मुद्दों और चुनौतियों के बारे में एक दूसरे के सरोकारों, आकांक्षाओं और अवधारणाओं को भली-भांति समझने और महत्व देने तथा हमारे दोनों देशों के देशवासियों के बीच सम्पर्क बढ़ाने के लिए ऐसे संवाद महत्वपूर्ण हैं।

हमारे दोनों देशों की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने संबंधों को और बढ़ाएं। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि आप हमारे देश आयीं हैं।

आइये, अब हम मैडम बीट्रिज पारडिस तथा मैक्सिको के संसदीय शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों के स्वास्थ्य और खुशहाली तथा मैक्सिकोवासियों की प्रगति और समृद्धि के लिए और दोनों देशों के बीच बढ़ती मैत्री और समझ की खुशी में भोजन का आनन्द लें।

भारत और कनाडा—व्यापक सहयोग में वृद्धि*

हम सभी की ओर से और अपने देशवासियों की ओर से कनाडा की सीनेट के स्पीकर महामहिम श्री डेनियल हेज़ का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मुझे विश्वास है कि आपकी यात्रा हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। कनाडा और भारत लम्बे समय से एक दूसरे के काफी निकट रहे हैं। मुझे कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लीस्टर पियर्सन की भारत-यात्रा और पंडित जवाहर लाल नेहरू की कनाडा-यात्रा का भी स्मरण है। महामहिम, हमारे लिए, आप कनाडा से हमारे देश की यात्रा पर आए अति विशिष्ट अतिथि हैं। मुझे स्मरण है कि पंडित नेहरू के कार्यकाल के दौरान हमारे दोनों देशों के बीच राजनैतिक न्याचार का दौर चला और अनेक राजनैतिक गतिविधियां आरंभ हुई। तत्पश्चात्, कुछ विशिष्टजनों ने हमारे देश की यात्रा की; किंतु आपके उप-प्रधानमंत्री तथा वित्तमंत्री, श्री जान मैनले की जनवरी, 2002 में भारत-यात्रा और सितम्बर, 2002 में हमारे विदेश मंत्री, श्री यशवंत सिन्हा की कनाडा-यात्रा ने हमारे संबंधों को एक नयी गति प्रदान की है, और मुझे विश्वास है कि इससे हमारे दोनों देशों का राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संपर्क और बढ़ेगा।

महामहिम, आपको ज्ञात ही है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यदि मैं विगत पांच वर्षों के दौरान सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्रों में हमारी संसद की उपलब्धियां गिनाऊं, तो मैं यहीं कहूंगा कि ये उपलब्धियां निस्संदेह सर्वोत्कृष्ट हैं। भारत और कनाडा की समान मान्यताएं हैं। दोनों ही देश शांति, लोकतंत्र और मानवाधिकारों का समर्थन करते हैं। वास्तव में, हम आतंकवाद की लड़ाई में भी मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि 1987 में एक प्रत्यर्पण संधि और 1994 में एक पारस्परिक-विधिक सहायता-संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि हाल ही में, हमने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त कार्य दल का गठन भी किया है। इससे स्पष्ट है कि हम समान उद्देश्य और साझे हित के लिए काम कर रहे हैं।

कनाडा के निर्यात विकास निगम ने भारत को तीन प्रमुख बाजारों में से एक के रूप में चिन्हित किया है और इसलिए, कनाडा और भारत के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ना तय है। भारत के बैंकिंग, बीमा, अभियांत्रिकी, परामर्श सेवा और वित्तीय सेवा जैसे क्षेत्रों में कनाडा का निवेश बढ़ा है। हमारे

* कनाडा की सीनेट के स्पीकर, महामहिम श्री डेनियल हेज़ के नेतृत्त्व में आए कनाडा के संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में दिए गए भोज के अवसर, पर नई दिल्ली (18 नवम्बर 2002)

विचार से, कनाडा उत्तरी अमेरिका का प्रवेश द्वार है तथा कनाडा भी दक्षिणी तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में अपने प्रवेश-द्वारा के रूप में भारत का इस्तेमाल कर सकता है। मुझे स्मरण है कि आपके अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री श्री पियरे एस. पैटीग्रयु, जिनके नेतृत्व में एक विशाल प्रतिनिधिमण्डल यहां आया था, ने वर्ष 2003 के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने की बात की थी। मैं कहना चाहूंगा कि आपकी इस यात्रा से इस दिशा में और प्रगति हो सकती है। भारत, कनाडा में सूचना-प्रौद्योगिकी, सामरिक गठबंधन, पेट्रो-रसायन और आटोमोबाइल उद्योग की सहायक इकाइयों के क्षेत्र में निवेश कर सकता है। दूसरी तरफ, कनाडा यहां विद्युत और ऊर्जा, तेल और प्राकृतिक गैस तथा बीमा क्षेत्र—जोकि कनाडा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय है—के साथ-साथ वित्तीय क्षेत्रों में निवेश कर सकता है।

एक-दूसरे के यहां संसदीय शिष्टमंडलों की यात्रा से काफी सहायता मिलेगी। मैं कहना चाहूंगा कि 'संसदीय ग्रुप' बनाने का विचार—जिसके बारे में मैंने आपसे उस समय बात की थी जब आज आप संसद भवन में मेरे कार्यालय आए थे—लाभदायक हो सकता है। मैं एक बार फिर यह बात दोहरा रहा हूं कि कनाडा और भारत के बीच ऐसा ग्रुप गठित किया जा सकता है, क्योंकि भारत की जनता वास्तव में कनाडा के साथ बेहतर संबंधों की पक्षधर है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं, कनाडा की सीनेट के स्पीकर, महामहिम श्री डेनियल हेज़ और श्रीमती हेज़, तथा कनाडा के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यगणों के स्वास्थ्य एवं समृद्धि तथा भारत एवं कनाडा की जनता के बीच मैत्री की कामना करते हुए आपको भोज के लिए आमंत्रित करता हूं।

भारत और तुर्की—दृढ़ संबंधों को प्रोत्साहन*

भारतवासियों और भारत की संसद की ओर से अपने देश में आपका स्वागत करते हुए मुझे हर्ष है। महामहिम, आप नवम्बर, 2002 में तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेम्बली के स्पीकर पद पर आसीन हुए और यह हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे देश की यात्रा पर आए हैं। मुझे विश्वास है, आपकी भारत-यात्रा के दौरान आपको और आपके शिष्टमंडल के सदस्यों को भारत की बहुजातीय, बहुधर्मी और बहु-सांस्कृतिक परंपरा की झांकी देखने का अवसर मिलेगा।

महामहिम, भारत और तुर्की का संबंध काफी पुराना है। हम सभी को याद है कि हमारे महान नेता महात्मा गांधी ने आपके स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था और उस समय भारत की जनता का इस हेतु आह्वान किया था। गांधी जी ने उस समय इस आंदोलन की सहायता के लिए और अंकारा स्थित आपके देश के संसद भवन के निर्माण के लिए भी भारत की जनता से धनराशि एकत्र की थी। यही नहीं, आपके देश के महान नेता कमाल अतातुर्क भारत में इतने लोकप्रिय रहे हैं कि भारत सरकार ने उनके नाम पर दिल्ली में एक सड़क का नामकरण किया है। अपनी संसद के माननीय सदस्यगणों के सूचनार्थ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि तुर्की में एक सड़क का नाम हमारे देश के विख्यात कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर है।

महामहिम, आपको विदित है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। विगत 52 वर्षों, में हमारे देश में लोकतंत्र सशक्त हुआ है क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पर हमारे देश की जनता का पूरा विश्वास है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के शीर्ष पर भारत के राष्ट्रपति और संसद के दो सदन अर्थात्, लोक सभा और राज्य सभा हैं। प्रधान मंत्री देश की कार्यपालिका का प्रमुख होता है।

महामहिम, आपके देश और हमारे देश में कई समानताएं हैं। उदाहरणार्थ, दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं और दोनों ऐसे धर्मों को मानते हैं जो हमें एक-दूसरे के करीब लाते हैं।

मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि हमारे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 400 मिलियन डालर तक पहुंच गया है। मैं जानता हूं कि यह कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। दोनों

* तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेम्बली के स्पीकर, महामहिम श्री बुलेन एरिंक के नेतृत्व में आए तुर्की के संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में आयोजित भोज के अवसर पर, नई दिल्ली (16 दिसम्बर 2002)

देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आपकी यात्रा से न केवल आर्थिक अपितु हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत होंगे।

इस अवसर पर यह घोषणा करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हमने अपनी संसद में एक 'भारत-तुर्की मैत्री ग्रुप' बनाने का निर्णय लिया है। भारत की संसद के माननीय सदस्य श्री एस. जयपाल रेड्डी इस प्रस्तावित ग्रुप के अध्यक्ष होंगे। हमारी संसद के एक अन्य सदस्य श्री विजय दर्डा इस ग्रुप के उपाध्यक्ष होंगे। दूसरे उपाध्यक्ष श्री रामचन्द्रा बैंदा होंगे। इस ग्रुप में कुल 30 सदस्य होंगे—20 लोक सभा से और 10 राज्य सभा से। मुझे आशा है कि यह ग्रुप बहुत सक्रिय रहेगा तथा तुर्की और भारत के संबंधों का और संवर्द्धन करेगा।

महामहिम, इससे पूर्व कि मैं अपनी बात पूरी करूं, मैं कामना करता हूं कि हमारे देश में आपका प्रवास सुखद और आनंदमय हो। मुझे ज्ञात है कि कल आप हमारे देश के सभी शीर्षस्थ नेताओं से मिल रहे हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि आपकी यह यात्रा हमारे लिए और आपके लिए भी सार्थक होगी।

मित्रो, अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हम महामहिम श्री बुलेन एरिंक और तुर्की के संसदीय शिष्टमंडल के विशिष्ट सदस्यगणों के सुख-स्वास्थ्य की कामना के साथ भोज का आनन्द लें।

भारत और चीन—सहयोग के असीम अवसर*

आज मुझे और भारतीय शिष्टमंडल के सदस्यों को बीजिंग के ऐतिहासिक नगर में आने पर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मैं सर्वप्रथम आपको हमारा हार्दिक स्वागत और सत्कार करने के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं।

महामहिम, भारत और चीन के बीच प्राचीन काल से गहन और घनिष्ठ संबंध रहे हैं। हाल के वर्षों में भारत और चीन द्वारा उच्चस्तरीय द्विपक्षीय यात्राओं के माध्यम से अपने संबंधों में नयी ऊर्जा का संचार करने के लिए प्रयास किए गए हैं। इन यात्राओं के दौरान हमारे देशों के बीच कई समझौता-ज्ञापनों और करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे हमारे संबधों को बहुआयामी बनाने की प्रक्रिया का पता चलता है।

मित्रो, विश्व में भारत और चीन दो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं और उनमें कई समानताएं हैं। हमारे समक्ष विकास संबंधी समान चुनौतियां हैं। हम दोनों देशों के विकास के लिए और अपने नागरिकों का बेहतर जीवन-स्तर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विगत कुछ दशकों के दौरान चीन ने विभिन्न क्षेत्रों में काफी प्रगति की है। भारत ने भी सूचना-प्रौद्योगिकी, शिक्षा, आधारभूत ढांचे का विकास, इत्यादि विविध क्षेत्रों में लगातार प्रगति की है। वास्तव में हमारे बीच सहयोग की अपार संभावनाएं और असीम अवसर हैं। हम एक-दूसरे से और अधिक परामर्श तथा सहयोग करते हुए अपने देशों में विकास की गति तेज कर सकते हैं।

महामहिम, द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने में आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाल के वर्षों के दौरान भारत और चीन ने भी विश्व-परिदृश्य में अपने को ढालते हुए आर्थिक सुधारों को अपनाया है। अब इन सुधारों का लाभ सामने आ रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं, कि नैसर्गिक वास्तविकताओं तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाने से हमारे दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग के विपुल अवसर उपलब्ध हुए हैं। भारत और चीन प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों, वैज्ञानिक जानकारी व तकनीकों तथा बड़े घरेलू बाजारों से सम्पन्न हैं, और इससे हमें परस्पर सहयोग करने तथा बाजार संबंधी अर्थव्यवस्था में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव का इस्तेमाल करने का मौका मिला है।

* द पीपुल्स रिपब्लिक आफ चाइना की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के वाइस चेयरमैन, महामहिम श्री जियांग झेन्हुआ द्वारा भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में आयोजित भोज के अवसर पर, बीजिंग, चीन (7 जनवरी 2003)

महामहिम, संसदीय संपर्क को हम अपने राजनैतिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण आयाम मानते हैं। इस तरह के संपर्क से जनप्रतिनिधि एक-दूसरे के विषयों, उद्देश्यों तथा प्राथमिकताओं को समझ सकते हैं। जनवरी, 2001 में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के अध्यक्ष महामहिम श्री ली पेंग भारत आए थे। इससे हमें काफी सारे मुद्दों पर एक-दूसरे के साथ विचार-विमर्श करने का अवसर मिला। हमने इस यात्रा के दौरान संसद सदस्य स्तर पर नियमित संवाद करने तथा परस्पर घनिष्ठ सहयोग सुनिश्चित करने के लिए 'भारत-चीन संसदीय मैत्री ग्रुप' का गठन किया। मुझे विश्वास है कि भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की इस यात्रा से हमारी मैत्री और मजबूत होगी तथा विविध क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा।

देवियो और सज्जनो, अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के उपाध्यक्ष महामहिम जियांग झेन्हुआ की दीर्घायु और प्रसन्नता तथा भारत और चीन की जनता की प्रगति एवं समृद्धि तथा इन दोनों देशों की दीर्घकालीन स्थायी मैत्री की कामना करते हुए भोज का आनंद लें।

धन्यवाद।

38

भारत और कोरिया गणराज्य—सहयोग के नये साहचर्य का सृजन*

मेरे शिष्टमंडल का और मेरा गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे सिओल में आकर और आप लोगों से मिलकर अपार हर्ष हो रहा है। हमारा मार्गस्थ स्वागत करने की आपकी सहृदयता हम दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों की अभिव्यक्ति है।

भारत और कोरिया के बीच संबंध प्राचीन काल से है। चौथी शताब्दी से ही बौद्ध धर्म हमारी दो सभ्यताओं के बीच एक स्थायी कड़ी बना हुआ है। प्रथम शताब्दी में भारत की एक राजकुमारी हुर हवांग हो की अयोध्या से 'लैंड आफ मारनिंग काम' की यात्रा और काया साम्राज्य के सम्राट किम सु-रो के साथ उसके विवाह के अभिलेख हमारे दोनों देशों के बीच के प्राचीन संबंधों को दर्शाते हैं।

कोरिया थोड़े समय में ही भारी प्रगति करके एक समृद्ध देश और समाज बन गया है, उसकी हम भारतवासी सराहना करते हैं। विगत दो दशकों में भारत ने भी विश्व की तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में अपना स्थान बना लिया है, यद्यपि, बाहर से देखने पर हमारी आर्थिक प्रगति की रफ्तार और उसकी गतिशीलता परिलक्षित नहीं होती।

भारत और कोरिया न केवल एक ही महाद्वीप में स्थित हैं अपितु इन दोनों देशों के लोकतंत्र और मानव स्वतंत्रता के मूल्यों में भी समानता है। हम दोनों देशों के बीच संसदीय संबंध बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प हैं। हम आपकी भारत यात्रा की प्रतीक्षा में हैं।

हमारी आर्थिक सहभागिता तो पहले से ही है जो काफी उपयोगी है। परन्तु भारत और कोरिया के बीच सहयोग के नये साहचर्य का सृजन करने के लिए नई शताब्दी में मिलने वाले अवसरों का भी उपयोग होना चाहिए। भारत कोरिया गणराज्य के साथ मैत्री, सहयोग और सहभागिता के दीर्घावधिक तथा व्यापक संबंध स्थापित करना चाहता है।

महामहिम, अब मैं सभी गण्यमान्य अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि हम कोरिया गणराज्य की मित्रवत् जनता के कल्याण और समृद्धि तथा भारत और कोरिया गणराज्य के बीच मैत्री और सहयोग बढ़ाने की मंगलकामना करते हुए भोज का आनंद लें।

धन्यवाद।

---

* कोरिया गणराज्य की नेशनल असेम्बली के स्पीकर, महामहिम श्री पार्क क्वान योंग द्वारा भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में दिए गए रात्रिभोज के अवसर पर, सिओल, कोरिया गणराज्य (4 जनवरी 2003)

39

भारत और केन्या—घनिष्ठ व सौहार्दपूर्ण संबंध*

आज शाम आप सबके बीच आकर मुझे और मेरे शिष्टमंडल को बहुत प्रसन्नता हो रही है।

यह एक निर्विवाद तथ्य है कि भारत के सामान्यत: अफ्रीकी देशों से और विशेषत: केन्या से सदैव घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। हमने सदैव जातीय भेदभाव का विरोध किया है और उपनिवेशवाद को समाप्त करने का समर्थन किया है। कई अफ्रीकी देशों ने गुट-निरपेक्ष आंदोलन, जिसने अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भाव कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, की स्थापना में सहयोग किया था। राष्ट्रमंडल, अफ्रीकी बंधुओं के साथ सतत संवाद स्थापित करने हेतु एक अन्य मंच है।

विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले भारतीय समुदाय ने उन देशों को अपने देश की भांति अपना लिया है। हम सबको इस बात का गर्व है कि न तो समय का अंतराल तथा न ही अपने पूर्वजों की भूमि व नए घरों के बीच की दूरी भारत मां और विदेशों में रह रही उसकी संतान के गहरे रिश्ते को तोड़ पाई है। यह गर्व का विषय है कि केन्या में रहने वाले भारतीय समुदाय ने केन्या और इसकी संस्कृति को समृद्ध बनाने में अत्यधिक योगदान किया है। केन्या में रहने वाले भारतीय समुदाय को केन्या के समाज और उसकी अर्थव्यवस्था में किए गए योगदान के लिए पहचान और मान्यता तभी मिलेगी जब वह अपने आपको कुशल, पेशेवर, जागरूक और प्रबुद्ध समुदाय के रूप में प्रदर्शित करेगा। विदेशों में भारतीय लोगों की सफलता सुविख्यात है। विदेशों में रहने वाले भारतीय भी भारत में रहने वाले अपने भाई-बहनों के समान ही देश की सभ्यता की विरासत के उत्तराधिकारी हैं। हमें इस बात का गर्व है कि आपने केन्या में अपना स्थान बनाते समय भी अपनी विशिष्ट पहचान को कायम रखा है। केन्या में रह रहे भारतीयों और केन्या के लोगों के बीच सांस्कृतिक सम्पर्क हमारे दोनों देशों के बीच एक-दूसरे के इतिहास, समाज, परम्पराओं, वैचारिक प्रक्रियाओं और जीवन पद्धतियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

मित्रो, भारतीय मूल के लोग देश के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के उत्साहपूर्ण कार्य में भागीदार बनने के लिए तत्पर हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में आर्थिक सुधारों के पिछले दशक में भारतीय

---

* केन्या में भारत के उच्चायुक्त द्वारा भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में आयोजित रात्रिभोज के अवसर पर, नैरोबी, केन्या (10 फरवरी 2003)

मूल के लोगों द्वारा दिए गए सहयोग से हम बहुत उत्साहित हुए हैं और इस प्रकार उन्होंने एक नए भारत के उदय में योगदान किया है।

आज भारत सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, आदि जैसे कई ऐसे क्षेत्रों में उस प्रौद्योगिकीय क्रांति की दहलीज पर खड़ा है, जो इक्कीसवीं सदी की नई अर्थव्यवस्था को परिभाषित करते हैं। विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोग भारत में इन क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त योगदान कर सकते हैं।

इस अवसर पर मैं अपने उच्चायुक्त श्री तिवारी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे सम्मान में इस रात्रि भोज का आयोजन किया है।

धन्यवाद।

भारत और जाम्बिया—प्रगति में भागीदार*

मित्र देश जाम्बिया की सद्भावना यात्रा पर आना मेरे और और मेरे शिष्टमंडल के लिए अत्यधिक प्रसन्नता की बात है। भारत और जाम्बिया के बीच घनिष्ठ संबंध ऐतिहासिक हैं तथा ये संबंध दोनों देशों के स्वतंत्रता प्राप्ति से भी पहले के हैं। हमारे दोनों देशों के नेताओं ने उपनिवेशवाद, रंगभेद और जातीय असमानता के विरुद्ध मिलकर लड़ाई लड़ी है।

यह हमारे लिए अत्यधिक गर्व की बात है कि जाम्बिया के अनेक शीर्षस्थ नेताओं, जैसे साइमन कापवेपवे, डेनियल लुसोलो और नालुमिनो मुंडिया, जो आगे चलकर जाम्बिया के उप-राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री बने, ने भारत में ही पढ़ाई की। जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति, डा. कैनेथ कौंडा, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और विशेषरूप से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रेरणा ग्रहण की, ने अपने शासनकाल में भारत की दस से भी अधिक बार यात्रा की। प्रत्युत्तर में भारत की ओर से भी हमारे राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा अन्य शीर्षस्थ विशिष्ट जनों ने जाम्बिया की यात्रा की। राष्ट्रपति कौंडा के शासनकाल के दौरान लगभग 6000 भारतीय विशेषज्ञ जाम्बिया सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में कार्य करते थे और जाम्बिया, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आई टी ई सी) कार्यक्रम के अंतर्गत भारत से सर्वाधिक सहायता प्राप्त करने वाला देश बन गया।

वर्ष दर वर्ष दोनों देशों के बीच विकसित ऐतिहासिक संबंध हमारे द्विपक्षीय संबंधों का आधार रहे हैं। आज, भारत और जाम्बिया प्रगति में और परस्पर हितों के अनेक क्षेत्रों में भागीदार हैं। हाल के वर्षों में भारत और जाम्बिया ने विविध क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाया है। यह अत्यधिक संतोष और प्रसन्नता की बात है कि जाम्बिया में सर्वाधिक निवेश करने वाले देशों में भारत पांचवें स्थान पर है जो दोनों देशों के बीच आर्थिक क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग का सूचक है। नि:शस्त्रीकरण, परमाणु अप्रसार, लोकतंत्र को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसे मुद्दों पर भी हमारे विचारों में काफी समानता है।

भारत ने जाम्बिया के साथ अपनी तकनीकी विशेषज्ञता बांटने का प्रयास किया है। विगत दशकों में 2000 से भी अधिक जाम्बियाई छात्रों को भारतीय विश्वविद्यालयों और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया है। हमारे दोनों देशों के बीच राजनैतिक, रक्षा, आर्थिक तथा

* भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में जाम्बिया की नेशनल असेम्बली के स्पीकर, महामहिम श्री म्वानाम्वाम्बवा द्वारा दिए गए भोज के अवसर पर, लुसाका, जाम्बिया (13 फरवरी 2003)

तकनीकी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की सुदृढ़ परंपरा जारी है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि जाम्बिया के महामहिम राष्ट्रपति आगामी अप्रैल माह में भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे।

यद्यपि सरकारी और निजी क्षेत्र के स्तर पर सुदृढ़ संपर्क विकसित हुए हैं, परन्तु दोनों देशों के सांसदों के बीच संवाद को बढ़ावा देने में हम पीछे रह गए हैं। हमारा विश्वास है कि दोनों लोकतांत्रिक देशों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच सद्भावना और आपसी समझ-बूझ बढ़ाने के लिए इस प्रकार के संवाद/यात्राएं अनिवार्य हैं। मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष से हम इनमें तेजी लाए हैं। पिछले माह हमें भारतीय संसद के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित अंतरराष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन में जाम्बिया से आए दो-सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल की मेजबानी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लगभग 75 देशों से आये प्रतिनिधियों ने इस तीन-दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया जिसमें सांसदों से सरोकार रखने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। विश्वभर के संसदविद् इस बात पर एकमत थे कि समाज में परिवर्तन लाने, वैश्विक समुदाय के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने और सर्वत्र शांति तथा समृद्धि लाने में संसद और सांसदों की महती भूमिका है। हम यह मानते हैं कि इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सांसदों के बीच अधिकाधिक संवाद होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम निकट भविष्य में आपसी सुविधाजनक समय पर एक संसदीय शिष्टमंडल के साथ आपकी भारत यात्रा की प्रतीक्षा करेंगे। हमारा मानना है कि इन यात्राओं से दोनों देशों के बीच विद्यमान घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे और परस्पर लाभकारी सहयोग बढ़ेगा। मैं अपने शिष्टमंडल के आतिथ्य के लिए आपका धन्यवाद करते हुए, आपसे और यहां उपस्थित अन्य विशिष्ट जनों से अनुरोध करता हूं कि आइये, हम दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के स्वास्थ्य और सुख की और यहां उपस्थित सभी जनों के स्वास्थ्य और कल्याण की तथा भारत-जाम्बिया मैत्री सुदृढ़ बनाने की मंगल कामना करते हुए प्रीतिभोज का आनन्द लें।

41

भारत और जाम्बिया—बढ़ता सहयोग*

मैं और मेरा शिष्टमण्डल आज यहां जाम्बिया के अपने मित्रों के बीच आकर अत्यंत प्रसन्न हैं। दो लोकतांत्रिक देश होने के अलावा, भारत और जाम्बिया अच्छा पड़ोसी होने, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने; सद्भाव, समझ-बूझ तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाने के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता सहित एक बहुसांस्कृतिक विश्व-व्यवस्था का अनुमोदन और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष जैसे अनेक समान उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं। हम जातिगत असमानता और रंगभेद मिटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और अन्य दक्षिण अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए जाम्बिया के मित्रों को बधाई देते हैं।

अपनी स्वतंत्रता के समय से ही भारत लोकतंत्र और संवाद के प्रति प्रतिबद्धता रखकर, राष्ट्रीय एकता मजबूत करने और आर्थिक और सामाजिक विकास संबंधी समस्याएं सुलझाने के अथक प्रयास करता रहा है। वृहत्-अर्थव्यवस्थागत स्थिरता प्राप्त करने, खाद्यान्न व दुग्ध-उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने, एक सुविकसित औद्योगिक आधार का निर्माण करने तथा विश्वस्तरीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी-संस्थानों और अकादमी संस्थानों की स्थापना करने तथा सूचना-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से प्रगति करने के कारण हम अपनी जनता का जीवन-स्तर सुधारने में समर्थ हुए हैं। भारत को आज विश्व की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और क्रयशक्ति-साम्य आधार पर ऐसी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है; विगत 11 वर्षों के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था की औसत वार्षिक विकास-दर लगभग 6 प्रतिशत रही है।

जाम्बिया की मित्र जनता के साथ अपनी विशेषज्ञता की साझेदारी भारत के लिए बड़े संतोष की बात है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि अनेक भारतीय सरकारी तथा निजी क्षेत्र की कंपनियां जाम्बिया में पारस्परिक-लाभ के सहकारी क्रियाकलापों में संलग्न हैं। मुझे यह जानकर भी प्रसन्नता हुई है कि अनेक भारतीय कंपनियां अब जाम्बिया में निवेश कर रही हैं और हमारा आपसी व्यापार प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि इस वर्ष के अंत में जब जाम्बिया के राष्ट्रपति भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे, तो हमारे दोनों देशों की सरकारें राजनैतिक, आर्थिक और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की नयी संभावनाओं पर विचार-विमर्श करेंगी।

---

* भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में जाम्बिया में भारत के उच्चायुक्त द्वारा आयोजित स्वागत समारोह के अवसर पर, लुसाका, जाम्बिया (12 फरवरी 2003)

मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे शिष्टमंडल की इस यात्रा से दोनों देशों के सासंदों के बीच संवाद तथा एक-दूसरे की विचारधारा की समझ और बढ़ेगी। हम आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष, गरीबी-उन्मूलन, एच.आई.वी./एड्स के विरुद्ध अभियान, आर्थिक व सामाजिक विकासगत समस्याओं तथा पर्यावरण-संरक्षण जैसी साझी समस्याओं पर एक-साथ काम कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि हम संयुक्त प्रयास कर इन चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपट सकते हैं, जैसाकि हमने पहले भी किया है।

अंत में, इस शाम हमारे बीच आने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं अब आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हम यहां उपस्थित सभी व्यक्तियों के सुख-स्वास्थ्य तथा भारत-जाम्बिया मैत्री सुदृढ़ बनाने की मंगल कामना करते हुए प्रीतिभोज का आनंद लें।

अनिवासी भारतीय—हमारे सांस्कृतिक दूत*

मुझे और मेरे शिष्टमंडल के सदस्यों को इस स्वागत समारोह में आमंत्रित करने के लिए मैं भारतीय समुदाय की सद्भावना की अत्यधिक सराहना करता हूं। आप सबके बीच आकर मुझे वास्तव में बहुत खुशी हो रही है।

मित्रो, सामान्यतया अफ्रीकी क्षेत्र के साथ और विशेष रूप से जाम्बिया के साथ हमारे संबंध लम्बे समय से हैं और समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। वस्तुतः अफ्रीका महाद्वीप के साथ हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण कारक जाम्बिया की विशेष और अद्वितीय स्थिति का होना है। निस्संदेह, भारत और जाम्बिया के बीच पर्याप्त सद्भावना है जो गहरी सूझ-बूझ और मैत्री में मुखरित होती है। इस राष्ट्र के नेताओं ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम, विशेषतः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा-आंदोलन से बहुत प्रेरणा ली है। हमारे अनेक आदर्श समान हैं और हमने उपनिवेशवाद और रंगभेद की समाप्ति तथा गुट-निरपेक्षता की नीति पर मिलकर काम किया है। हमने नव स्वतंत्रता प्राप्त अफ्रीकी राष्ट्रों की आर्थिक और तकनीकी सहायता के लिए मिलकर कार्य किया है। भारत ने जाम्बिया के त्वरित आर्थिक और तकनीकी विकास के लिए पूरे मन से सहायता की है और बदले में जाम्बिया ने हमारे लिए महत्व के अनेक मुद्दों पर पूर्ण समर्थन और सहयोग किया है। इस समय, निरस्त्रीकरण, परमाणु-अप्रसार, लोकतांत्रिक विकास, सीमा पार से आतंकवाद जैसे अनेक मुद्दों और व्यापार, विकास और उरुग्वे समझौतों संबंधी मुद्दों पर दोनों देशों के बीच विचारों में काफी समानता है।

मित्रो, यहां पर इस बात का उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि आज भारतीय मूल के लगभग 20 मिलियन लोग विश्व के विभिन्न भागों में रह रहे हैं। हालांकि, वे विदेशी भूमि पर बस गए हैं और उन्होंने अलग-अलग संस्कृतियों को अपना लिया है, फिर भी उन्होंने अपनी मातृभूमि से संबंध बनाए रखा है। उन्होंने मेजबान देशों के समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने में बहुत योगदान किया है। इस बात पर मुझे वास्तव में गर्व है कि आप विदेशों में बसे इन महान भारतीयों का हिस्सा हैं।

इस समय जाम्बिया में भारतीय समुदाय के लगभग 13,000 व्यक्ति हैं जो छोटे-छोटे व्यवसायों में लगे हुए हैं। इसके अलावा, अध्यापक, चिकित्सक आदि बहुत से पेशेवर भारतीय भी जाम्बिया में काम कर रहे हैं। आपके अद्वितीय योगदान से जाम्बिया के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में

* भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित स्वागत समारोह के अवसर पर, लुसाका, जाम्बिया (11 फरवरी 2003)

बहुत लाभ मिला है और इसको जाम्बिया में उच्चतम स्तरों पर भी स्वीकार किया गया है। साथ ही मेजबान देश के साथ अपने को आत्मसात करते हुए भी आपने भारत के साथ सांस्कृतिक, आर्थिक और अध्यात्मिक संबंध कायम रखकर भारत की उन्नति में भी योगदान किया है। आपने दुनिया के इस हिस्से को हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराया है क्योंकि आपके माध्यम से ही जाम्बिया के लोग हमारे लोगों, हमारी संस्कृति और हमारे समाज के बारे में जान सके हैं।

प्रत्येक आप्रवासी समुदाय के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती होती है, वह मेजबान देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन से सामंजस्य बिठाने के साथ-साथ अपनी सभ्यता की धरोहर को संजोए रखने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने की होती है। जाम्बिया में रहने वाले भारतीय समुदाय ने वर्षों से यह नाजुक संतुलन बनाए रखा है। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि यहां के स्थानीय भारतीय संगठन और भारतीय समुदाय शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा प्रायोजित भारतीय सांस्कृतिक दलों की यात्राओं का समय-समय पर आयोजन करते रहे हैं। आपके सहयोग और समर्थन से इन दलों के प्रदर्शन से भारत को एक महान सांस्कृतिक देश के रूप में प्रस्तुत करने में मदद मिली है क्योंकि जाम्बिया के लोगों ने इन्हें बहुत पसंद किया है।

जहां तक अर्थव्यवस्था का संबंध है, भारत और जाम्बिया ने हाल के वर्षों में विविध क्षेत्रों में परस्पर सहयोग बढ़ाया है। भारत की प्रौद्योगिकीय विशेषज्ञता और जाम्बिया की कृषि, पर्यटन और औद्योगिक संभावनाएं दोनों देशों के बीच सहयोग के व्यापक अवसर प्रदान करते हैं। भारत ने जाम्बिया की समाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए काफी आर्थिक सहायता प्रदान की है। जाम्बिया की सरकार के अनुरोध पर अस्सी के दशक में बड़ी संख्या में भारतीय विशेषज्ञों को जाम्बिया में तैनात किया गया था। तभी से यहां रह रहे भारतीय समुदाय ने महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के संचालन में मदद की है तथा स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित भी किया है। हमारे बीच 40 मिलियन डालर मूल्य का द्विपक्षीय व्यापार होता है, जिसमें 26 मिलियन डालर मूल्य का निर्यात और 14 मिलियन डालर मूल्य का आयात होता है। भारतीय कंपनियों ने जाम्बिया के अनेक क्षेत्रों में निवेश किया है और हमारे तीन बैंकों—बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ बड़ौदा और सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने जाम्बिया सरकार के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित किए हैं। चूंकि हमने मंत्रिस्तरीय संयुक्त आयोग की स्थापना करके द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को संस्थागत रूप दिया है, इसलिए हमारे दोनों देशों के बीच आर्थिक भागीदारी और अधिक सुदृढ़ हुई है। इस समस्त प्रयास में आप एक उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहे हैं और मुझे आशा है कि आने वाले वर्षों में आर्थिक क्षेत्र में आपकी सक्रिय भागीदारी बनी रहेगी।

मित्रो, अफ्रीका संक्रमण काल से गुजर रहा है और बीते कल की बात पीछे छोड़ते हुए लोकतंत्र और आर्थिक सुधारों के माध्यम से तेजी से एक उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। भारत को अपने अनूठे विकासीय अनुभव और महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों से गुजर रहे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में इस महाद्वीप के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में मुख्य भूमिका निभानी है। विश्व के इस भाग में रहने वाले आप सभी यहां पर हमारे देश में प्रतिनिधि हैं और अफ्रीका महाद्वीप के साथ भविष्य में हमारे संबंधों को आगे बढ़ाने में स्वाभाविक रूप से सेतु का काम करने वाले हैं।

मुझे आशा है कि आप लोग दोनों राष्ट्रों के बीच सतत सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित करने में सहयोग और समर्थन देते रहेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं भरपूर आतिथ्य सत्कार के लिए एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं।

43

भारत और ग्रीस—प्राचीन काल से मित्र*

यूनानी संसद के प्रेजिडेंट, महामहिम श्री अपोसतोलोस काकलामनिस, यह मेरे लिए अत्यधिक गर्व और विशेष सम्मान की बात है कि मुझे, भारत की जनता और संसद की ओर से तथा स्वयं अपनी ओर से आपका और आपके शिष्टमंडल के गण्यमान्य सदस्यों का हार्दिक स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे आशा है कि आपकी यह यात्रा भारत और ग्रीस के बीच संबंध सुदृढ़ करने में सहायक होगी।

मित्रो, भारत और ग्रीस उन लोगों के दिलों और दिमाग में गहरे भाव जगाते हैं जो मानवीय इतिहास, सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत के बारे में विचार करते हैं। हमारे दोनों देश मानवीय सभ्यता के विकास-स्थल रहे हैं और दोनों ही देशों में अविच्छिन्नता की ऐसी भावना भरी है जिसने दोनों देशों को एक विशेष स्वरूप, सुस्पष्ट विशिष्टता और आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा सौंदर्यपरक मूल्य प्रदान किया है।

भारत और ग्रीस के बीच चिरकाल से संबंध रहे हैं। हमारे इन दो देशों के बीच विचारों और ज्ञान का सतत आदान-प्रदान सदियों से चला आ रहा है। भारत-यूनानी सांस्कृतिक संवाद का विकास और संयोजन भारत में अनेक सदियों तक चलता रहा और ये संबंध सम्राट अशोक के शासन काल के दौरान विशेष रूप से विकसित हुए। भारतीय कला और मूर्तिकला पर यूनानी प्रभाव स्पष्ट रूप से गांधार और मथुरा कला शैली की ग्रीस-बौद्ध मूर्तिकलाओं में और भारतीय ज्योतिष विज्ञान में राशिचक्र प्रतीकों की शुरूआत में भी परिलक्षित होता है। प्राचीन काल से ही व्यापार हमारे संबंधों का महत्वपूर्ण आधार रहा है। चूंकि उस समय पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार फल-फूल रहा था, इसलिए भारत से मसाले और रेशम ग्रीस भेजे जाते थे। भारत की यात्रा करने वाले मेगस्थनीज जैसे यात्री और इतिहासकारों ने प्राचीन भारत के बारे में विस्तारपूर्वक लिखा है।

हमारे सांस्कृतिक संबंध और अन्य संपर्क विगत कई सदियों के दौरान विकसित हुए हैं। परम्परागत भारतीय ज्ञान के प्रथम ख्यातिप्राप्त यूरोपीय ज्ञाताओं में से एक थे ग्रीस के श्री दिमित्रिओस गालानोस, जो अठारहवीं शताब्दी में भारत आये और उन्होंने यहां लगभग 47 वर्ष बिताये। उन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और कई भारतीय गौरव ग्रंथों का ग्रीक भाषा में अनुवाद भी किया।

---

* यूनानी संसद के प्रेजिडेंट, महामहिम श्री अपोसतोलोस काकलामनिस के नेतृत्त्व में आये यूनानी संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में आयोजित भोज के अवसर पर, नई दिल्ली (17 फरवरी 2003)

संपूर्ण विश्व ग्रीस की सभ्यता से अत्यधिक प्रभावित रहा है। प्राचीन ग्रीस विश्व की जानी-मानी सर्वाधिक उन्नत सभ्यताओं में से एक था। होमर और इलियड के महान महाकाव्य ग्रीस सभ्यता के कुछ ऐसे बहुमूल्य रत्न हैं जिनसे आधुनिक विश्व अत्यधिक लाभान्वित हुआ है। प्राचीन ग्रीस उत्पन्न दर्शनशास्त्र और राजनैतिक विचारधारा ने राजनैतिक व्यवस्थाओं का विकास करने में आज तक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

मित्रो, भारत और ग्रीस में कई समान विशेषताएं हैं। दोनों ही देश लोकतंत्र, मानवीय मर्यादा, बहुलावाद और विधिसम्मत शासन के प्रति वचनबद्ध हैं और विभिन्न मुद्दों पर दोनों देशों का समान दृष्टिकोण है। एक ओर, जहां हमें समेकित और संतुलित विकास में तेजी लाने की चुनौती का सामना करना है, वहीं दूसरी ओर, हमें इसका विरोध करने वाली ताकतों से संपूर्ण विश्व में लोकतंत्र के लिए उत्पन्न होने वाले खतरे के प्रति अत्यधिक चौकस रहना होगा। भारत और ग्रीस समता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक नई विश्व व्यवस्था का निर्माण करने के लिए एक साथ कार्य कर सकते हैं।

राजनैतिक और सरकारी स्तरों पर विचारों के नियमित आदान-प्रदान से द्विपक्षीय संबंधों में तेजी कायम रखी गई है। वर्ष 1998 में राष्ट्रपति स्टीफेनोपुलस की और फरवरी 2001 में प्रधानमंत्री कोस्तास सिमितिस की भारत यात्रा अत्यधिक संतोषजनक रही जिसके परिणामस्वरूप कृषि, रक्षा और पर्यटन के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ग्रीस के विदेश मंत्री की दिसम्बर 2000 और नवम्बर 2001 में भारत यात्रा और हमारे विदेश मंत्री द्वारा हाल ही में जनवरी 2003 में की गई एथेंस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों की सूक्ष्म पुनरीक्षा और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सरोकार से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया है।

इस संदर्भ में, ठोस द्विपक्षीय संबंध बनाने में दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच संसदीय शिष्टमंडलों द्वारा एक-दूसरे के देश की यात्रा का विशेष महत्व रहा है। यह बड़े संतोष की बात है कि श्रीमती मारिया अरसेनी, संसद सदस्य के नेतृत्व में ग्रीस के संसदीय शिष्टमंडल ने 21 से 27 जनवरी 2003 तक भारत की संसद के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया। इस प्रकार के संपर्क भारत और ग्रीस के बीच उच्चस्तरीय विचार-विनिमय की समृद्ध परम्परा के अनुरूप हैं और ये ग्रीस के सांसदों और भारत में उनके साथी विधायकों के बीच संवाद के उत्कृष्ट अवसर प्रदान करते हैं। हम यूरोपीय संसद के सदस्यों के भारत के साथ संवाद को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। अभी तक यूरोपीय संसद के दो शिष्टमंडल भारत आए हैं।

द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने में आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की काफी गुंजाइश है क्योंकि यह विद्यमान संभावना के अनुरूप नहीं है। भारत द्वारा शुरू की गई आर्थिक उदारीकरण की नीति ने भारत और ग्रीस के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग में वृद्धि के अत्यधिक अवसर प्रदान किए हैं। हमारे दोनों देशों के बीच पारंपरिक संपर्कों को कायम और पोषित करना होगा और नये संपर्कों की स्थापना की आवश्यकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, मैं ज्ञान आधारित उद्योगों—चाहे वह सूचना प्रौद्योगिकी हो, जैव-प्रौद्योगिकी हो, फार्मा अथवा रसायन हो, में सहयोग के महत्व का उल्लेख करना चाहता हूं। इन उद्योगों में स्वाभाविक रूप से स्थितियां भारत के अनुकूल हैं और परस्पर सहयोग इक्कीसवीं सदी में हमारे बीच संबंध का आधार बन सकता है।

विश्व मानदंडों के अनुरूप इंजीनियरिंग वस्तुओं का उत्पादन करने वाला भारतीय उद्योग, अपने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय आधार के साथ ग्रीस की अर्थव्यवस्था में बिना किसी भेदभाव के समान स्तर पर भाग लेना चाहता है। ग्रीस की अर्थव्यवस्था के विकास और बाल्कन क्षेत्र में इसकी गतिशील भूमिका से भारतीय कंपनियों को संयुक्त उद्यमों की स्थापना, तकनीकी सहयोग और तीसरी दुनिया के देशों को निर्मित वस्तुओं की आपूर्ति के रूप में ग्रीस की कंपनियों के साथ सहयोग करने के सर्वोत्तम अवसर प्राप्त होंगे। भारत की ग्रीस के साथ अधिकाधिक आर्थिक सहयोग करने की सतत इच्छा के कारण ही सितम्बर, 2002 में जब हमारे रक्षा राज्य मंत्री ने ग्रीस की यात्री की थी। हमने 'डिफेंडरी 2002' प्रदर्शनी में भाग लिया। हम ग्रीस के साथ न केवल द्विपक्षीय आधार पर अपितु एक बड़े यूरोपीय बाजार के संदर्भ में भी अधिक स्थायी आर्थिक सहयोग चाहते हैं।

महामहिम, हम आपको ग्रीस के जनवरी 2003 से यूरोपीय संघ का अध्यक्ष बनने पर बधाई देते हैं। भारत यूरोपीय संघ के साथ अपनी सामरिक और आर्थिक भागीदारी को अत्यधिक महत्व देता है। हाल ही के वर्षों में भारत-यूरोपीय संघ के बीच संबंधों का नियमित रूप से सकारात्मक विकास हुआ है। इससे पता चलता है कि हम दोनों देश चाहते हैं कि हम राजनैतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में अपने समकालीन संबंधों को सामरिक दृष्टि से और मजबूती प्रदान करें। भारत और यूरोपीय संघ की नींव लोकतंत्र के सिद्धांतों पर रखी गयी है और दोनों ही विविधता में एकता के उस विशेष स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं जोकि आज के विश्व में इतना अधिक जरूरी हो गया है। चूंकि भारत और यूरोपीय संघ दोनों ही विश्व शांति और स्थिरता के प्रति वचनबद्ध हैं, इसलिए ये नई सहस्राब्दी में जटिल और परिवर्तनशील वैश्विक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमने अक्तूबर 2002 में डेनमार्क के राष्ट्रपति के नेतृत्व में भारत-यूरोपीय संघ के तीसरे शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। हाल ही में हमारे विदेश मंत्री के एथेंस में यूरोपी संघ ट्रोइका के साथ हुए संवाद से भारत-यूरोपीय संघ के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर उपयोगी विचार-विनिमय हो सका है। महामहिम, यूरोपीय संघ में ग्रीस भारत का एक महत्वपूर्ण साझीदार है। हम आशा करते हैं कि हमारे सरोकारों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में हमें ग्रीस से सदैव समर्थन मिलता रहेगा और इनपर परस्पर सहमति बनी रहेगी।

देवियो और सज्जनो, अब मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आइए, हम सब मिलकर महामहिम श्री अपोसतोलोस काकलामनिस और ग्रीस के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों के कल्याण और स्वास्थ्य, भारत तथा ग्रीस की जनता की समृद्धि और हमारे दोनों देशों तथा देशवासियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध अधिकाधिक बढ़ने की मंगलकामना के साथ भोज का आनन्द लें।

धन्यवाद।

भारत और पोलैंड—निरन्तर बढ़ती मैत्री*

मैं, अपनी तथा अपने शिष्टमंडल की ओर से इस आतिथ्य-सत्कार के लिए तथा दक्षिण मध्य एशिया संबंधी पोलैंड संसदीय ग्रुप की प्रिसीडियम (स्थायी समिति) से भेंट का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। हम प्रिसीडियम और सेज्म के सदस्यों द्वारा भारत और दक्षिण एशियाई क्षेत्र के साथ बेहतर समझ-बूझ कायम करने और संबंधों को मजबूत बनाने में गहरी रुचि दिखाने और महत्वपूर्ण योगदान देने की सराहना करते हैं।

जैसाकि आप सब जानते हैं, आज विश्वभर के देशों के बीच परस्पर सम्बद्धता और निर्भरता बढ़ी है। हम आज पहले से कहीं अधिक सार्वभौमिक और एकीकृत हुए हैं जिससे द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग और संवाद के नए आयाम स्थापित हुए हैं। विश्व के किसी एक भाग की स्थिति का अन्य देशों और क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ता है। विश्व के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का सभी राष्ट्रों को मिलकर सामना करना है। भारत और पोलैंड के बीच परम्परागत रूप से बहुत घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। भारत और पोलैंड संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से सहयोग करते हैं। हाल के वर्षों में विश्व में क्षेत्रीय सहयोग काफी बढ़ा है। दक्षिण एशिया सहित विभिन्न क्षेत्रों के देशों ने बेहतर सहयोग और मैत्री के लिए क्षेत्रीय संघ बनाए हैं। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) क्षेत्रीय सहयोग स्थापित करने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है।

निरन्तरता और राष्ट्रीय सहमति की मजबूत नींव पर आधारित भारत की विदेश नीति निरन्तर परिवर्तनशील अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय परिदृश्य तथा चुनौतियों के प्रति रचनात्मक रही है। भारत ने दक्षिण एशियाई और मध्य एशियाई क्षेत्रों में जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभाई है और राष्ट्रों के बीच सद्भाव कायम करने में सहायता की है। आज, ये दोनों क्षेत्र आतंकवाद समाप्त करने के चुनौतीपूर्ण कार्य में लगे हैं। हम अफगानिस्तान में शांति और स्थायित्व की बहाली और आतंकवाद के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय समुदाय से प्राप्त समर्थन की सराहना करते हैं। भारत अनादिकाल से शांतिप्रिय देश रहा है। गांधी जी का देश होने के नाते हम सदैव शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, अहिंसा और सहिष्णुता में विश्वास करते हैं। पोलैंड की जनता में भारत के रहस्यवाद, दर्शन, प्राचीन सभ्यता और समृद्ध और

* दक्षिण मध्य एशिया संबंधी पोलैंड के संसदीय ग्रुप की प्रिजीडियम के चेयरमैन द्वारा भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में दिए गए मध्याह्न भोज के अवसर पर, वारसा, पोलैंड (23 मई, 2003)

संस्कृति के प्रति विशेष आकर्षण और झुकाव रहा है। हमें आवश्यकता पड़ने पर पोलैंड की मित्र जनता के समर्थन का भरोसा है।

देवियो और सज्जनो, अब मैं आप सबसे अनुरोध करुंगा कि आइये, अब हम सब पोलैंड और भारत की जनता की प्रगति और समृद्धि तथा पोलैंड और भारत के बीच मैत्री, सहयोग और संवादों में निरन्तर वृद्धि की कामना करते हुए भोज का आनन्द लें।

धन्यवाद।

45

भारत और पनामा—दीर्घकालीन मैत्री का और सुदृढ़ीकरण*

पनामा की यात्रा मेरे और मेरे शिष्टमंडल के लिए गौरव की बात है। मैं अपने साथ पनामा की जनता और पनामा की राष्ट्रीय असेम्बली के लिए भारत की जनता और भारत की संसद की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। प्रेजीडेंट महोदय, मुझे तथा मेरे शिष्टमंडल के सदस्यों को दिए गए आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि हमारी यात्रा भारत और पनामा के बीच मैत्री और समझौतों को नई शक्ति प्रदान करने में काफी सहायक होगी।

इस समय जबकि पनामा अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मना रहा है, मैं अपने शिष्टमंडल के साथ पनामा आकर विशेष रूप से गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इस अवसर पर हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

हमारे प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि "हालांकि भारत और लातीनी अमरीका के बीच भौगोलिक दूरी काफी है परन्तु हम एक-दूसरे के बहुत निकट हैं।" भौगोलिक दूरी को दूर करने के लिए हमें अपनी मानसिकता तदनुरूप बनानी होगी। हम ऐसा कैसे करेंगे? विश्व की जनता के बीच सीधे संपर्क के माध्यम से ऐसा होगा। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रह रहे लोगों की चिन्तन प्रक्रिया और सांस्कृतिक विकास में कई समानताएं हैं। अनुभवों और विचारों का आदान-प्रदान लोगों को निकट लाएगा और उन्हें सहृदय तथा प्रबुद्ध बनाएगा ताकि विश्व उस तनाव और हिंसा से मुक्त हो सके जो हमें आज भोगना पड़ रहा है।

पिछले दिनों हमारे बीच कई वार्ताएं हुई हैं। पनामा के वाणिज्य दूत के रूप में रोगेलिओ सिनान भारत आए जिनका मुख्यालय कोलकाता में था। वह भारत में पनामा के सांस्कृतिक राजदूत बन गए। उन्होंने भारत में दूर-दूर तक यात्राएं कीं और हमारे बहुआयामी जन-जीवन के बारे में गहन जानकारी प्राप्त की। वह 'पंचतन्त्र' की कहानियों के अतिरिक्त रवीन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं तथा 'रामायण'

* पनामा की राष्ट्रीय असेम्बली के प्रेजीडेंट महामहिम श्री कार्लोस रेमन अल्वाराडो द्वारा भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में आयोजित भोज के अवसर पर, पनामा (7 जुलाई 2003)

और 'महाभारत' जैसे हमारे महाकाव्यों से बहुत प्रभावित हुए। भारत के बारे में रोगेलिओ ने जो कहा था,—मैं उसे उद्धृत करता हूं—

> भारत सदैव प्राचीन और अर्वाचीन रहा है। उसका आश्चर्यजनक सामाजिक रूपान्तरण अविश्वसनीय है। मानव कल्याण के लिए विशेष रूप से कृषि और पोषाहार के क्षेत्र में हासिल किया गया बहुमुखी विकास सर्वाधिक प्रशंसनीय है। लेकिन अभी भी मेरा यह मानना है कि भारत को अपनी उन अनिवार्य विशेषताओं को नहीं छोड़ना चाहिए जिनकी वजह से वह एक सुनिश्चित मानवीय मूल्यों की यथार्थता के देश के रूप में जाना जाता है।

पनामा के साथ भारत के विशेष संबंध 19वीं सदी से हैं जब भारत के बहुत से लोगों ने पनामा की ओर प्रस्थान किया था। 1840 के दशक में कोलन-पनामा रेललाइन के निर्माण के दौरान जब पहला भारतीय दल पनामा पहुंचा, तब से यहां का भारतीय समुदाय निरन्तर बढ़ रहा है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि पनामा शहर, पनामा विश्वविद्यालय और सिटी आफ डेविड ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने उपनिवेशवादी शासकों के विरुद्ध सफल, अहिंसक आंदोलन चलाया, की प्रतिमा लगायी है।

हाल ही में पनामा के पहले उपराष्ट्रपति, श्री अरूतुरो वलैरिनो की फरवरी 2001 में की गई भारत यात्रा हमें याद है। इस यात्रा के दौरान, अनेक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए थे जिनमें कृषि संबंधी शोध और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए कृषि मंत्रालय, भारत सरकार और कृषि विभाग मंत्रालय, पनामा गणतंत्र के बीच हुआ सहयोग शामिल किया गया था। हमारे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भारत और पनामा के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग संबंधी समझौता भी हुआ था। जून 2001 में हमारे विदेश राज्य मंत्री श्री कृष्णम राजू और फरवरी 2003 में विदेश राज्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह की पनामा यात्राओं ने हमारे संबंधों को नया आयाम दिया है।

महामहिम, हम पनामा के साथ हुई आर्थिक संबंधों में वृद्धि को दोनों देशों के परस्पर लाभ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। भारत और पनामा के साथ द्विपक्षीय व्यापार यद्यपि मात्रा में कम है फिर भी गत वर्षों से इसमें निरन्तर वृद्धि हुई है। इस समय हमारा वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार 52.1 मिलियन डालर से भी अधिक है। तथापि, हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे दोनों देशों के बीच व्यापार में और वृद्धि की पर्याप्त संभावनाएं हैं। यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि भारतीय मूल के लोग पनामा में केवल व्यापारिक क्षेत्रों में ही आगे नहीं हैं बल्कि सरकार में भी महत्वपूर्ण पदों पर हैं।

महामहिम, हम हमेशा लोकतंत्र, शांति और स्थायित्व तथा राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहन देने का प्रयास करते रहे हैं। भारत सभी विवादास्पद मुद्दों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने में विश्वास रखता है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि आतंकवाद और हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। सरकारों द्वारा समर्थित आतंकवाद विश्व के अनेक भागों में लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है। इस दुष्चक्र को रोकने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने चाहिएं। आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं के प्रति पनामा द्वारा दर्शायी गयी चिंता का हमारे लिए बहुत महत्व है। चूंकि भारत और पनामा लोकतंत्र, शांति और विकास के प्रति समर्पित हैं इसलिए वे न्यायसंगत, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण

और वास्तविक लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था की स्थापना में एक-दूसरे को सहयोग दे सकते हैं। आज के बदले हुए अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में यह आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्व की अन्य एजेंसियों को समय के अनुरूप बदला जाए और उनके स्वरूप तथा कार्यकरण को अधिक लोकतांत्रिक बनाया जाए। हमें एक-दूसरे के हित तथा विश्व की बेहतरी के लिए इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में पनामा जैसे मित्र राष्ट्रों से सकारात्मक समर्थन और सहयोग की अपेक्षा है। हमारा मानना है कि जब भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन हो तो उस समय इसमें भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। इस संबंध में पनामा का समर्थन पाकर हमें प्रसन्नता होगी।

मित्रो, संसदीय शिष्टमंडलों के आदान-प्रदान से दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध प्रगाढ़ होंगे। मुझे आशा है और विश्वास भी है कि भारतीय शिष्टमंडल की पनामा यात्रा से दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग का मार्ग निरन्तर प्रशस्त होगा।

मित्रो, हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि पनामा में दोनों देशों की संसदों के बीच संवाद का माध्यम स्थापित करने के लिए 'भारत-पनामा संसदीय मैत्री संघ' गठित किया जा रहा है।

आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमने भी भारत की संसद में दोनों देशों के बीच विधायी अनुभवों के आदान-प्रदान और मैत्री संबंधों को सुगम और सुदृढ़ बनाने हेतु संसद के दोनों सदनों के 30 सदस्यों वाले भारत-पनामा संसदीय मैत्री ग्रुप के गठन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। प्रस्तावित मैत्री ग्रुप में यहां आए हमारे शिष्टमंडल के सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा।

देवियो और सज्जनो, अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आइए, हम सब पनामा की राष्ट्रीय असेम्बली के महामहिम प्रेजीडेंट, कमीशन आफ एक्सटर्नल रिलेशन्स के महामहिम प्रेजीडेंट, पनामा की नेशनल असेम्बली के सदस्यों के स्वास्थ्य और कल्याण तथा पनामा की सुख-समृद्धि और दोनों देशों के बीच दीर्घकालीन मैत्री की शुभकामनाओं के साथ भोज का आनन्द लें।

धन्यवाद।

46

भारत और रूसी फेडरेशन—द्विपक्षीय संबंधों के नये आयाम*

मुझे भारत-रूस संसदीय आयोग के दूसरे सत्र के लिए मास्को आकर अपार हर्ष हो रहा है। 1998 में गठित भारत-रूस अंतर-संसदीय आयोग एक संयुक्त स्थायी निकाय है, जिसकी स्थापना रूसी फैडरेशन की फेडेरल असेम्बली के स्टेट ड्यूमा तथा भारत गणतंत्र की संसद की लोक सभा (हाउस आफ द पीपुल) द्वारा की गई है। आयोग के चार्टर में उसके लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत और रूसी फेडरेशन के बीच राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संबंधों को कायम रखना और अंतर-संसदीय संपर्कों के सतत् विकास—खासकर स्टेट ड्यूमा और लोक सभा के मध्य विचार-विमर्श के आयोजन, पारस्परिक आदान-प्रदान तथा सहयोग के लिए अनुकूल स्थितियों का सृजन करना शामिल है। विगत वर्षों में इससे हमारे राजनीतिक संपर्कों में मदद मिली है और इसने हमारे द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य किया है।

आज हम ऐसे दो मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने में विशेष महत्व रखते हैं। पहला मुद्दा है—"भारत और रूस के बीच आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों का परिदृश्य" और दूसरा, "अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में परस्पर सहमति से कार्यवाही"।

द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तथापि, यह एक कटु सच्चाई है कि हमारे दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापारिक और आर्थिक संबंध अपनी वास्तविक सम्भावना के अनुरूप नहीं हैं।

विगत दो वर्षों से भारत से रूस को निर्यात की जाने वाली कतिपय पारम्परिक वस्तुओं की मात्रा में उत्तरोतर कमी हुई है। यह कमी विशेष रूप से तम्बाकू और चाय के मामले में आई है। जिन अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं के निर्यात में कमी आयी वे हैं—औषधियां, फार्मास्यूटिकल्स एवं फाइन केमिकल्स, सूती वस्त्र, प्रसाधित सामग्री, तैयार माल (मेड-अप्स), प्लास्टिक तथा लिनोलियम के उत्पाद, चमड़े का सामान, मसाले तथा फुटवियर छोड़कर अन्य रबर से बने उत्पाद। रूस से जिन प्रमुख वस्तुओं के आयात में अत्यधिक कमी हुई है, वे हैं—लोहा व इस्पात, मुद्रित पुस्तकें, समाचारपत्र व

---

* भारत-रूस संसदीय आयोग की बैठक में, मास्को, रूस (17 सितम्बर 2003)

पत्र-पत्रिकाएं, परिवहन संबंधी उपकरण, इलेक्ट्रानिक सामान, अकार्बनिक रसायन, धातु, लौह-अयस्क तथा मैटल स्क्रैप, प्राइमरी इस्पात तथा ढलवां लोहे की वस्तुएं, प्रोजेक्ट गुड्स, आदि।

चूंकि अधिकांश द्विपक्षीय व्यापार रुपया ऋण भुगतान योजना के जरिए होता है, अत: दोनों पक्षों को वर्ष 2005 के बाद के व्यापारिक परिदृश्य पर जबकि अधिकांश ऋण चुकता हो चुका होगा— गंभीरता से विचार करना होगा।

नवम्बर, 2001 में हमारे प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की रूसी फेडरेशन की यात्रा के दौरान रूस ने तेल व ऊर्जा तथा जलविद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं में रुचि दिखाने के अलावा तेल व ऊर्जा क्षेत्र के अत्याधुनिक उपकरणों की आपूर्ति की इच्छा भी व्यक्त की थी। दिसम्बर 2002 में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग सुदृढ़ करने और इसे बढ़ाने संबंधी घोषणा पर भारत और रूसी फेडरेशन के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग को सुदृढ़ करने और बढ़ाने के बारे में विचार प्रस्तुत किए गए हैं। दोनों देशों ने इस दिशा में अनेक कदम उठाने का निर्णय लिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ द्विपक्षीय निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, इसका संवर्धन और संरक्षण करना तथा व्यापारिक संगठनों को वित्तीय संस्थाओं का पूर्ण समर्थन प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना शामिल है। इस सहयोग में मानव संसाधन विकास, रूस में भारतीय वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं खोलना, परिवहन संपर्कों और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, पर्यटन को बढ़ावा देना, दूरसंचार, ऊर्जा और अन्तरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग शामिल होगा। अन्य कदमों में सीमा शुल्क प्रशासन को सुचारू बनाना, राष्ट्रीय मानकीकरण को संगत बनाना, शक्तियां प्राप्त शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान तथा एक संयुक्त उद्यम निधि की स्थापना की संभावनाओं पर विचार करना शामिल है। पारम्परिक वस्तुओं के अतिरिक्त व्यापार के मामले में विविधीकरण के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय और सांस्कृतिक सहयोग संबंधी भारत-रूस अन्तर-राजकीय आयोग जिसके बारह कार्यदल इन क्षेत्रों की सभी प्रकार की गतिविधियों से संबंधित हैं, ने भी इन क्षेत्रों में सहयोग में हमारा मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इस आयोग का नौवां अधिवेशन 15 और 16 मई 2003 को मास्को में आयोजित किया गया था। आयोग ने दिसम्बर 2002 में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में भारत-रूस सहयोग के सुदृढ़ीकरण के संबंध में हस्ताक्षरित घोषणा को कार्यान्वित करने के लिए सिफारिशें स्वीकार कीं। आयोग ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट कदम उठाने की सिफारिश भी की है।

इस क्षेत्र में हमारे संबंधों में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना तेल और प्राकृतिक गैस निगम विदेश द्वारा सखालिन-I के विकास हेतु 1.7 बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक राशि का निवेश है जो रूस के प्रशांत महासागरीय तट पर सखालिन क्षेत्र में तेल और गैस भण्डारों का उपयोग करने वाले अंतरराष्ट्रीय संघ का एक भाग है। यह विदेश में किए गए सबसे बड़े भारतीय निवेश होने के साथ-साथ हाल के वर्षों में रूस में किए जाने वाले सबसे बड़े विदेशी निवेशों में से एक भी है। इसके

अतिरिक्त भारत के कुंडनकुलम में एक नाभिकीय विद्युत केन्द्र निर्माण में रूस का निवेश भारत में किए गए सबसे बड़े निवेशों में से एक है।

रुपया-रूबल व्यापार समझौता समाप्त होने के प्रभाव को कम करने के लिए भारतीय बैंकों द्वारा रूसी बैंकों में कुछ ऋण सुविधाएं शुरू की गई हैं जिसका रूसी व्यापारी पूरा लाभ ले सकते हैं। भारत में हम रुपया-रूबल भुगतान अधिशेष का उपयोग भारत में रूस द्वारा किए जाने वाले निवेश हेतु करने के इच्छुक हैं।

रुपया ऋण का उपयोग भारत में निवेश के लिए किए जाने के विषय पर दिसम्बर 2002 में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान उनसे भारत के विदेश मंत्री द्वारा चर्चा की गई थी और पुनः मई 2003 में हमारे विदेश मंत्री के रूस के दौरे के दौरान इस पर चर्चा हुई थी। मई 2003 में हमारे विदेश मंत्री की रूस यात्रा के दौरान रूस के वित्त मंत्री श्री कुद्रिन ने बताया था कि रूस वर्ष 2004 और 2005 के लिए वर्तमान व्यवस्था को जारी रखते हुए. वर्ष 2006 से रुपया ऋण कोष का इक्विटी के रूप में उपयोग करने का इच्छुक है। इस प्रक्रिया को तुरंत शुरू किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन हेतु एक कार्य बल गठित करने का सुझाव दिया गया है और इस मामले में एक समझौते की सिफारिश करने के लिए शीघ्र ही इसकी बैठक होगी।

हमें रूसी फेडरेशन के उप विदेश मंत्री श्री अलेक्सी डेनीसोव का मार्च 2003 में नई दिल्ली में स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस यात्रा के दौरान आर्थिक और विश्व व्यापार संगठन संबंधी मुद्दों पर द्विपक्षीय विचार-विमर्श हुआ और दोनों देशों ने द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापार संबंधों की वर्तमान स्थिति की पुनरीक्षा की थी। इस बात पर सहमति थी कि आर्थिक तथा व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सहयोग के नये क्षेत्रों का पता लगाया जाए। ऊर्जा क्षेत्र, विशेष रूप से तेल और गैस तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई। भारत ने रूसी फेडरेशन को विश्व व्यापार संगठन में शीघ्र शामिल किये जाने के मुद्दे पर अपना समर्थन देने की बात दोहरायी। रूस ने इस बात पर बल दिया कि भारत विश्व व्यापार संगठन का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और रूस को उसमें शामिल करने संबंधी द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर करने से रूस को अन्य देशों के साथ बातचीत करने में आसानी होगी।

आज जिस एक और विषय पर चर्चा की जा रही है—वह है आतंकवाद की विभीषिका। भारत और रूसी फेडरेशन दोनों ही अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के शिकार हुए हैं। भारत के जम्मू-कश्मीर राज्य तथा रूसी फेडरेशन के चेचन्या गणराज्य, दोनों ने ही इस विभीषिका का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। नवम्बर 2001 में भारत के प्रधान मंत्री की रूस की यात्रा के दौरान, भारत के प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति पुतिन ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद संबंधी मास्को घोषणा पर हस्ताक्षर किये थे। भारत और रूस ने इस बात को दोहराया है कि विश्वव्यापी आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। दोनों देशों का यह मानना है कि इस खतरे से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर और दीर्घावधि के आधार पर प्रयास किए जाने चाहिएं और जो आतंकवादियों को समर्थन, आश्रय अथवा पनाह देते हैं यह लड़ाई उन देशों के विरुद्ध लड़ी जानी चाहिए। भारत और रूस ऐसी व्यवस्था की स्थापना में अपना पूर्ण सहयोग देना चाहते हैं। दोनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद तथा मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार सहित

उन अन्य पारदेशीय संगठित अपराधों जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, का मुकाबला करने में दिए गए सहयोग पर संतोष व्यक्त किया है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद संबंधी व्यापक कन्वेंशन पर भारतीय प्रारूप का समर्थन किया है। फरवरी 2002 में रूस के विदेश मंत्री ईवानोव के दौरे के अंत में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था जिसमें आतंकवाद, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। दिसम्बर 2002 में राष्ट्रपति पुतिन के दौरे के दौरान आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे जिसके अंतर्गत एक संयुक्त कार्य दल का गठन किया गया है। इस दल की बैठक शीघ्र ही मास्को में होगी।

भारत रूस में चेचन्या तथा अन्य स्थानों में हुई आतंकवादी गतिविधियों की दृढ़तापूर्वक भर्त्सना करता रहा है। भारत ने मार्च-अप्रैल 2003 में जेनेवा में मानवाधिकार आयोग के समक्ष चेचन्या में मानवाधिकार की स्थिति के संबंध में यूरोपीय संघ के संकल्प का भी विरोध किया था। भारत ने यह कहते हुए मतदान करने का स्पष्टीकरण भी दिया था कि चेचन्या में यह स्थिति अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के कारण उत्पन्न हुई है।

रूस ने 25 अगस्त 2003 को मुम्बई में हुए बम विस्फोटों की निंदा की। रूसी विदेश कार्यालय ने भी बम विस्फोटों की निंदा करते हुए वक्तव्य जारी किया। मुम्बई में हुई आतंकवादी गतिविधियों ने एक बार फिर विश्व समुदाय के सभी सदस्यों द्वारा अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की इस विश्वव्यापी विभीषिका का मुकाबला करने में परस्पर सहयोग की आवश्यकता उजागर की है।

मित्रो, इन्हीं शब्दों के साथ मुझे विश्वास है कि भारत-रूस अंतर-संसदीय आयोग भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। निःसंदेह, हमारे संबंधों में संसदविदों की अधिकाधिक भागीदारी और रुचि हमारे दोनों देशों के बीच मैत्री संबंधों को और अधिक मजबूत करेगी।

धन्यवाद।

47

भारत और रूसी फेडरेशन—बहुआयामी संबंध*

रूस की यह यात्रा मेरे और मेरे शिष्टमंडल के सदस्यों के लिए सम्मान की बात है। मैं अपने साथ रूस की जनता तथा रूस की संसद के लिए भारत की जनता तथा भारत की संसद की हार्दिक शुभकामनाएं लाया हूं। महामहिम, मैं अपने तथा अपने शिष्टमंडल के सदस्यों के स्वागत व सत्कार के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे विश्वास है कि हमारी रूस यात्रा भारत और रूस के बीच मित्रता तथा सहयोग की भावना को और अधिक सुदृढ़ करने में सहायक होगी।

हम भारतवासियों ने सदैव मित्रता तथा विश्वास की उस सुदीर्घ परम्परा को निभाया है, जो हमारे दोनों देशों के संबंधों की विशेषता रही है। हम इसे एक अमूल्य विरासत मानते हैं जिसका संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए। विशेष रूप से यह संतोष की बात है कि रूस के साथ हमारे संबंध न केवल शीत-युद्ध के बाद की अवधि की चुनौतियों के बीच कायम रहे बल्कि वे हमेशा नई दिशाओं में बढ़ते और मजबूत होते रहे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे संबंध विशेष हैं तथा राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्र से कहीं बढ़कर हैं।

मित्रो, भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंध बहुआयामी हैं और राजनीति, अर्थव्यवस्था, वाणिज्य, प्रतिरक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में हमारे बीच सहयोग है। कहने की आवश्यकता नहीं कि विविध क्षेत्रों में हमारे ये द्विपक्षीय संबंध न केवल परस्पर लाभप्रद सिद्ध हुए हैं, अपितु विश्वशांति और विश्वसमृद्धि के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में बहुत कारगर रहे हैं।

हमारे दोनों देशों की लोकतंत्र के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता है। समान मूल्यों और आकांक्षाओं के फलस्वरूप हम एक-दूसरे के और निकट आए हैं। यह वास्तव में अत्यधिक संतोष की बात है कि विविध वैश्विक मुद्दों पर भारत और रूस समान विचार और दृष्टिकोण रखते हैं। हम दोनों देश संयुक्त प्रयासों के जरिए अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लोकतंत्रीकरण के साथ-साथ, एक न्यायपूर्ण तथा स्थायी विश्व-व्यवस्था की स्थापना में योगदान कर सकते हैं।

* भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में रूसी फेडरेशन की स्टेट ड्यूमा के स्पीकर, महामहिम श्री गैनेडी सेलेजन्येव द्वारा आयोजित भोज के अवसर पर, मास्को, रूस (17 सितम्बर 2003)

भारत और रूस के बीच नियमित राजनैतिक संपर्क से न केवल विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श करने में सुविधा हुई है, बल्कि इसके कारण हम विश्व में कायम हो रही नयी व्यवस्था के बारे में संयुक्त दृष्टिकोण भी विकसित कर सके हैं। यह उत्साहजनक बात है कि हमारे राजनैतिक संबंधों में संसदीय विचार-विमर्श भी साथ-साथ चल रहा है। कहना न होगा कि संसदीय सहयोग भारत-रूस संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इससे दोनों देशों के राजनैतिक परिदृश्यों से आगे बढ़कर आपसी सहयोग बढ़ाने में सहायता मिली है। नवम्बर 1998 में मास्को में भारत-रूस अंतर-संसदीय आयोग के एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। रूसी फेडरेशन की स्टेट ड्यूमा के महामहिम स्पीकर महोदय, श्री गैनेडी सेलेजन्येव, फरवरी 2000 में आपकी भारत-यात्रा के दौरान ही भारत-रूस अंतर-संसदीय आयोग के प्रथम सत्र का आयोजन किया गया था।

भारत और रूस दोनों ही बहुलता वाले समाज हैं, जहां संस्कृति, धर्म और भाषा की विविधता है। हम इन विविधताओं को शक्ति का स्रोत मानते हैं। यह एक अप्रिय सच्चाई है कि उग्रवाद और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की अस्थिरकारी ताकतें हमारे राजनैतिक तंत्र के समक्ष गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही हैं। भारत और रूस के बीच जून, 1994 में बहुलतावादी समाजों के हितों के संरक्षण के बारे में जिस मास्को घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे, उसमें आतंकवाद, अलगाववाद और ऐसी अन्य बुराइयों से हमारे देशों के समक्ष उत्पन्न खतरों की बात की गई थी और हमारे द्विपक्षीय संबंधों को, शीत-युद्ध के बाद की अवधि में हमारी साझी चिंताओं तथा राष्ट्रीय हितों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा गया था। अपनी विविधताओं को कायम रखने वाले विशाल समाज के रूप में भारत और रूस की चुनौतियां तथा दायित्व समान हैं।

हमें रूसी फेडरेशन के महामहिम राष्ट्रपति, श्री व्लादीमिर पुतिन की कुछ समय पहले दिसम्बर 2002 में की गई भारत-यात्रा का स्मरण है। उस समय आठ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए थे। राष्ट्रपति पुतिन की भारत-यात्रा से पूर्व, नवम्बर 2001 में हमारे प्रधान मंत्री ने रूसी फेडरेशन की यात्रा की थी। कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे दोनों देशों के नेताओं की इन यात्राओं से हमारे निकट संबंधों में एक नयी गति आई है।

मित्रो, हम भारतवासी रूस में भारतीय संस्कृति को मिलने वाले सम्मान और आदर की सराहना करते हैं और हमारे मन में रूसी संस्कृति के प्रति भी ऐसा ही भाव है। हमारा विश्वास है कि दोनों देशों की जनता को नजदीक लाने में बढ़ते हुए सांस्कृतिक आदान-प्रदान का बहुत अधिक महत्व है। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि 'सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम' के अंतर्गत दिसम्बर 1995 में भारत में 'रूसी संस्कृति दिवस' तथा सितम्बर 1996 में रूस में, 'भारतीय संस्कृति दिवस' तथा सितम्बर 1998 में दिल्ली में 'मास्को दिवस' और अक्तूबर 1999 में मास्को में 'दिल्ली दिवस' आयोजित किये गये थे। मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष नवम्बर में नई दिल्ली में एक बार फिर *मास्को दिवस* का आयोजन किया जाएगा।

रूसी विज्ञान अकादमी के 'इंस्टीट्यूट आफ फिलास्फी' में फरवरी 1999 में भारतीय दर्शन की महात्मा गांधी पीठ का औपचारिक उद्घाटन किया गया था। नवम्बर 2001 में माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की रूसी फेडरेशन की यात्रा के दौरान 'स्कूल आफ इंटरनेशनल रिलेशंस', सेंट पीटर्सबर्ग; कजान यूनिवर्सिटी, कजान सिटी; 'फार ईस्टर्न नेशनल यूनिवर्सिटी', ब्लाडीवोस्टक में चार अन्य पीठों की स्थापना किये जाने से और मास्को स्थित 'इंस्टीट्यूट आफ ओरिएन्टल स्टडीज आफ द रशियन एकैडमी आफ साइंस' से भी रूस के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने और बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

इसमें कोई दो राय नहीं कि द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने में आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन वर्षों के दौरान व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग संबंधी अंतर-सरकारी भारत-रूस आयोग अपने अधिकार में आने वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। तथापि, यह हकीकत है कि भारत और रूस के बीच व्यापार का वर्तमान स्तर वास्तविक संभावनाओं के अनुरूप नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत और रूस के पारस्परिक सहयोग से हमारे आर्थिक और वैज्ञानिक सहयोग के लिए व्यापक संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं। सहयोग से होने वाले पारस्परिक लाभ के प्रति पूर्ण जागरूकता हमारे संबंधों को जीवंत सहभागिता में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भारत और रूसी फेडरेशन के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने और उसे सुदृढ़ करने के लिए दिसम्बर 2002 में हस्ताक्षरित संयुक्त आर्थिक घोषणा इस प्रयोजन के लिए व्यापक आधार प्रदान करती है। हमारे दोनों देशों के व्यापारी समुदाय के लिए यह एक चुनौती है।

देवियो और सज्जनो, अब मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप स्टेट ड्यूमा के महामहिम अध्यक्ष, श्री गैनेडी सेलेजन्येव के स्वास्थ्य एवं कल्याण की मंगल कामना के साथ रूसी संसद के सदस्यों, रूस की प्रगति और समृद्धि तथा हमारे दोनों देशों के बीच दीर्घकालीन मित्रता के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए भोज का आनन्द लें।

धन्यवाद।

भारत-रूसी फेडरेशन संबंध—समय की कसौटी पर खरे*

रूसी फेडरेशन के स्टेट ड्यूमा को संबोधित करना मेरे लिए विशेष सम्मान और गौरव की बात है। महामहिम, आपको तथा स्टेट ड्यूमा के गण्यमान्य सदस्यगणों और रूसी फेडरेशन की सरकार व जनता को मैं भारतीय संसद, भारत सरकार तथा वहां की जनता की ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।

इस सम्मानित सभा को संबोधित करते हुए मुझे अत्यधिक हर्ष हो रहा है क्योंकि मैं आज ऐसे मित्रों के सामने खड़ा हूं जो समय की कसौटी पर सदैव खरे उतरे हैं और संकट की घड़ी में हमारा साथ निभाया है। मैं आपके बीच आकर बिल्कुल सहज महसूस कर रहा हूं और इसके लिए मैं रूस की जनता को हृदय से नमन करता हूं।

महामहिम, भारत और रूसी फेडरेशन—दोनों ही एक गौरवपूर्ण इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं। हमारे दोनों देशों के संबंध सदियों पुराने हैं। दोनों ही प्राचीन सभ्यताएं और आधुनिक लोकतांत्रिक देश हैं। दोनों के यहां बहुलवादी समाज हैं। अतः, हमारे अनेक मूल्य और आकांक्षाएं एक जैसी हैं। दोनों ही एक वास्तविक बहुध्रुवीय विश्व का सपना संजोए हैं। भारत-रूस सामरिक भागीदारी दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों की परस्पर-पूरकता और भू-राजनैतिक प्राथमिकताओं पर आधारित है। हमारी समरूपता ने हमें और निकट ला दिया है और वर्षों से हमें एकजुट रखा है।

महामहिम, भारत की जनता के दिलो दिमाग में रूसी फेडरेशन का विशेष स्थान है। हमारे दोनों देशों की जनता के बीच दृढ़ सांस्कृतिक संबंध होने का यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि जहां हिन्दी सिनेमा और राजकपूर तथा नरगिस जैसे सिने कलाकार रूस में अत्यधिक लोकप्रिय हैं, वहां भारत में भी रूसी सर्कस और बैले उतने ही लोकप्रिय हैं। भारत के लोगों के मन पर टॉल्स्टाय और दोस्तोवस्की जैसे रूसी लेखकों का गहरा प्रभाव रहा है। आपके देश के साथ हमारे देश के भावनात्मक संबंध हैं। भारत के सभी राजनीतिक दलों और विचारधाराओं के लोग रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं।

---

* रूसी फेडरेशन की फेडरल असेम्बली के स्टेट ड्यूमा में दिया गया भाषण, मास्को, रूस (17 सितम्बर 2003)

महामहिम, हमें इस बात का गर्व है कि हमारी व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी कार्यशील लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र की जड़ें काफी गहरी हैं और समय की कसौटी पर यह खरा उतरा है। हाल ही में हमने अपनी संसद की स्वर्ण जयंती मनाई है। हमारे देश में संसद जनता का आदर तथा प्रेम पाकर एक ऐसी अनूठी संस्था बन गई है जिसके माध्यम से जनता अपनी आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति करती है, उन्हें साकार करती है; और अपनी समस्याओं को उठाकर उनका समाधान प्राप्त करती है। हमारी संसद हमारी राष्ट्रीय अखंडता का सबसे बड़ा संबल भी है।

महामहिम, वर्तमान भारतीय राजनैतिक प्रणाली का एक अनूठा गुण है—राजनैतिक दलों तथा समूहों का बाहुल्य। बदलते राजनैतिक परिदृश्य तथा समीकरणों के साथ, अब एक शक्तिशाली राजनैतिक दल का ही शासन न होकर अनेक दलों के समन्वित शासन की स्थिति बनती जा रही है। हमारे समाज की विविधता को देखते हुए यह बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। विगत वर्षों में भारतीय संसद, खासकर लोक सभा, के स्वरूप में नाटकीय परिवर्तन देखा गया है और इससे संपूर्ण राष्ट्र के सामाजिक-राजनैतिक घटनाक्रम की अभिव्यक्ति होती है। हाल के वर्षों में लोक सभा में राजनैतिक दलों की संख्या लगातार बढ़ती रही है। वर्ष 1952 में गठित लोक सभा में जहां केवल चार या पांच राजनैतिक दल थे, वहीं वर्तमान लोक सभा में यह संख्या बढ़कर बयालीस तक पहुंच गई है। आज हमारे देश में गठबंधन और सर्वसम्मति की राजनीति का दौर चल रहा है।

हम रूसी फेडरेशन द्वारा नया संविधान अपनाने के बाद वहां हुई प्रगति की अत्यधिक सराहना करते हैं। रूसी फेडरेशन में आगामी ड्यूमा चुनाव लोकतंत्र की प्रगतिशील मजबूती के संदर्भ में हमारे लिए उत्सुकता का विषय है। हमें विश्वास है कि नई ड्यूमा के गठन के बाद भी हमारी महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने पर रूस में मौजूदा राष्ट्रीय सर्वसम्मति जारी रहेगी, जैसाकि विगत में रही है।

यद्यपि भारत और रूसी फेडरेशन में लोकतांत्रिक प्रणाली एक-दूसरे से भिन्न है फिर भी दोनों देशों को अपनी-अपनी शासन व्यवस्था पर गर्व है। जैसाकि आप जानते हैं कि हम इस वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अक्तूबर 2000 में रूसी फेडरेशन के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान भारत और रूसी फेडरेशन के बीच सामरिक भागीदारी संबंधी घोषणा पत्र पर हुए हस्ताक्षर निःसंदेह हमारी मित्रता का एक महत्वपूर्ण मुकाम है। आज सभी स्तरों पर गहन द्विपक्षीय विचार-विमर्श का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण साझेदारी को और मजबूती प्रदान करना है। इस विशेष संबंध को और आगे बढ़ाने पर दोनों देशों में आम सर्वसम्मति है।

रूसी फेडरेशन के महामहिम राष्ट्रपति श्री व्लादिमिर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच प्रतिवर्ष शिखर वार्ताओं के कारण हमारे दोनों देशों के शिखर नेतृत्व के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। राष्ट्रपति श्री पुतिन ने वर्ष 2000 और 2002 में भारत की यात्रा की। इस वर्ष आपके राष्ट्रपति के आमंत्रण पर हमारे प्रधानमंत्री ने सेंट पीटर्सबर्ग शहर की 300वीं जयंती के अवसर पर रूस की यात्रा की और इसी वर्ष नवम्बर माह में वार्षिक द्विपक्षीय शिखर वार्ता के लिए वह रूस की यात्रा करेंगे। आज हमारा पारस्परिक सहयोग हर संभव क्षेत्रों में विद्यमान है। तथापि, हमारे दोनों

देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग न तो अभी मौजूदा संभावनाओं के अनुरूप है और न ही दोनों देशों के महत्वपूर्ण भागीदारी के स्तर को छू पाया है। हमारा विश्वास है और हमें आशा है कि दोनों देशों के बीच अच्छे राजनैतिक संबंधों के मद्देनजर व्यापार और आर्थिक सहयोग को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है।

महामहिम, रूस, भारत और दुनिया के अन्य देशों को आज जिस सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है वह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में गत शताब्दी के अंतिम दशक में हुए भारी परिवर्तनों के साथ पटरी बिठाना है। भारत और रूस दोनों देशों ने एक ऐसी पक्षपातरहित और न्यायपूर्ण सार्वभौमिक व्यवस्था के सृजन की दिशा में प्रयास किए हैं जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समक्ष खड़े खतरों को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून हेतु सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित है।

महामहिम, एक मुद्दा जिससे भारत का विशेष सरोकार है, वह संयुक्त राष्ट्र और विशेषत: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार का मुद्दा है, ताकि आज विश्व की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित किया जा सके। हमें प्रसन्नता है कि रूस ने पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का निरंतर समर्थन किया है। महामहिम, भारत आशा करता है कि भविष्य में भी यह समर्थन मिलता रहेगा।

महामहिम, आतंकवाद, जातीय तथा धार्मिक उग्रवाद और अलगाववाद की ताकतें हम दोनों देशों के समक्ष और पूरे विश्व के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बन गई हैं। भारत और रूस दोनों बहुलवादी लोकतंत्र होने के कारण इस समस्या से अधिक ग्रस्त हैं। भारत में पिछले दो दशकों के दौरान पारदेशीय समर्थन द्वारा पोषित आतंकवादी गतिविधियों के परिणामस्वरूप जान-माल की अत्यधिक हानि हुई है। भारत इस समस्या का मुकाबला अपनी पूरी ताकत से करने के साथ-साथ आतंकवाद के मुद्दे, विशेष रूप से सीमापार आतंकवाद के मुद्दे को सदैव विभिन्न मंचों पर उठाता रहा है।

13 दिसम्बर 2001 को हमारे लोकतंत्र के मंदिर, भारत की संसद पर हुए आतंकवादी हमले से लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा स्वयं लोकतंत्र को खंडित करने के आतंकवादियों तथा उनके सहयोगियों के कायरतापूर्ण इरादों का पता चला। रूस में भी, आतंकवाद ने अनेक लोगों की जानें ली हैं। बड़े खेद की बात है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने अभी हाल तक इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था। आतंकवादी ग्रुपों के पारदेशीय स्वरूप, उनके बढ़ते हुए वित्तीय संसाधन तथा उनके तकनीकी उपकरण की विनाशकारी शक्ति, सभ्य विश्व के लिए अत्यधिक चिंता का विषय बन गए हैं।

भारत और रूस का मत है कि इस खतरे, विशेष रूप से पारदेशीय आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में संगठित अंतरराष्ट्रीय सहयोग की तत्काल आवश्यकता है। दोनों देशों ने संयुक्त प्रयासों के महत्व पर बल दिया है और इस संदर्भ में, दोनों देशों ने भारत द्वारा प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद संबंधी वृहत सम्मेलन और रूसी फेडरेशन द्वारा प्रस्तुत नाभिकीय आतंकवाद संबंधी कृत्यों के दमन संबंधी वृहत सम्मेलन शीघ्र आयोजित किए जाने की मांग की है।

आतंकवादी हमलों के लिए रूसी जनता, रूसी नेताओं तथा सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से निंदा किए जाने और संवेदना व सहानुभूति व्यक्त किए जाने तथा समर्थन देने हेतु हमारे देशवासी अत्यधिक सराहना करते हैं। जब पिछले वर्ष मास्को में निर्दोष नागरिकों से भरे एक थियेटर पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था तो रूस ने दुनिया को दिखा दिया कि दृढ़ संकल्प और त्वरित कार्रवाई के माध्यम से आतंकवादियों से कैसे निपटा जाता है। यद्यपि, इस कार्रवाई में कुछ लोगों की जान जाने का अफसोस रहा, फिर भी इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें तो आतंकवादियों का पूरी तरह से सफाया किया जा सकता है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आप आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारतीय जनता और उनके प्रतिनिधियों को सदैव अपने साथ खड़ा पायेंगे।

रूस और भारत के समक्ष विकास की समान चुनौतियां हैं। हम दोनों ही देश अपनी जनता की अंतर्निहित क्षमताओं को उजागर करके उनकी सही क्षमताओं का लाभ उठाने हेतु अनुकूल वातावरण बनाकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं का विकास और लोगों की समृद्धि की आशा करते हैं। इसीलिए भारत विश्व व्यापार संगठन में रूस के शामिल होने और रूस के वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण का पूर्ण समर्थन करता है। हम, विगत कुछ वर्षों में रूसी अर्थव्यवस्था द्वारा प्राप्त विकास दर की सराहना करते हैं।

महामहिम, चूंकि संसदीय संस्थाएं लोकतंत्र की केन्द्र बिन्दु हैं, इसलिए विचारों और दृष्टिकोणों के नियमित आदान-प्रदान के माध्यम से एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने हेतु संसदीय स्तर पर विचार-विमर्श आवश्यक है। संसदीय स्तर पर हमारे सम्पर्क बहुत पुराने हैं। भारत-रूस अंतर-संसदीय आयोग की स्थापना से बढ़कर इसकी कसौटी और क्या हो सकती है। हमें विश्वास है कि हमारे सांसदों के बीच निरंतर विचार-विनिमय से हमारे दोनों देशों और देशवासियों के बीच मैत्री और सहयोग निश्चित रूप से मजबूत होगा।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व, मैं आप सभी को इस वर्ष दिसम्बर में होने वाले स्टेट ड्यूमा के चुनावों के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं जानता हूं कि इस या उस दल या धड़े की जीत या हार के बावजूद रूसी फेडरेशन में लोकतंत्र की जीत होगी।

हमारे यहां भी अगले वर्ष चुनाव होने हैं। जैसाकि आप जानते हैं, चुनाव हमारे यहां जीवन का एक अंग रहे हैं, यह एक उत्सव जैसा है, जिसमें सभी भाग लेते हैं। चुनावों का परिणाम कुछ भी रहे, हमारी आपसी दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे विश्वास है कि दोनों देशों के हमारे नेता अपने-अपने देशों की जनता के हित में सदैव संपर्क करते रहेंगे। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि भारत और रूस में होने वाले आगामी चुनावों में हम और आप सभी जीत कर आएं तथा अगले वर्ष जब आप भारत आएं तो वहां मैं आपका स्वागत करूं।

धन्यवाद।

चीन के राष्ट्रपति, महामहिम श्री जिआंग जेमिन के साथ,
बीजिंग, 7 जनवरी 2003

भारत के राष्ट्रपति, डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा दिए गए भोज में इस्लामिक ईरान गणराज्य के राष्ट्रपति, महामहिम श्री मोहम्मद खातमी के साथ,
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली, 25 जनवरी 2003

भारत यात्रा पर आए उक्रेन के राष्ट्रपति, महामहिम श्री लियोनिद कुचमा के साथ,
नई दिल्ली, 4 अक्तूबर 2002

चीन के प्रधान मंत्री, महामहिम श्री झू रोंगजी के साथ, बीजिंग, 9 जनवरी 2003

हंगरी के प्रधान मंत्री, महामहिम डा. पीटर मेडगेसे के साथ,
नई दिल्ली, 3 नवम्बर 2003

कनाडा की सीनेट के अध्यक्ष, महामहिम श्री डेनियल फिलिप हेज के नेतृत्व में भारत आए
कनाडा के संसदीय शिष्टमंडल के साथ, नई दिल्ली, 18 नवम्बर 2002

क्रोएशिया की संसद के प्रेजिडेंट, महामहिम श्री जलातको टोमसिक के साथ,
जगरेब, क्रोएशिया, 10 जुलाई 2002

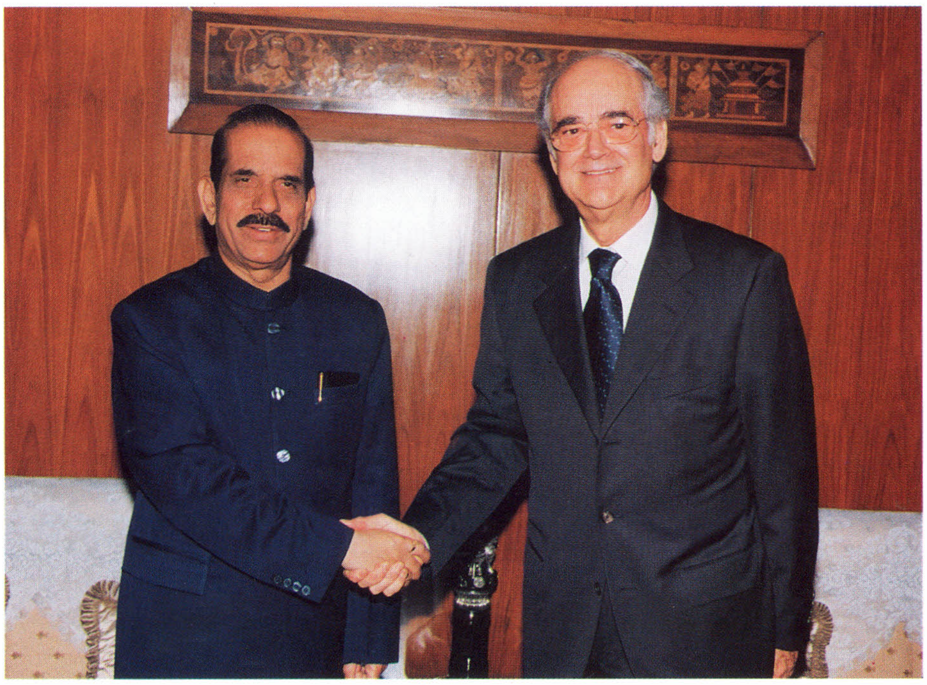

यूनानी संसद (ग्रीस) के प्रेजिडेंट, महामहिम अपोसतोलोस काकलामनिस के साथ,
नई दिल्ली, 17 फरवरी 2003

भारत यात्रा पर आए लाओ जन लोकतांत्रिक गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल के साथ, नई दिल्ली, 22 जुलाई 2003

सूरीनाम संसदीय शिष्टमंडल के नेता और सूरीनाम की नेशनल एसेम्बली के अध्यक्ष, महामहिम श्री रामदीन सरजू के साथ, नई दिल्ली, 9 अगस्त 2002

तुर्की की ग्रांड नेशनल असेम्बली के अध्यक्ष, महामहिम श्री बुलेन एरिंक के नेतृत्व में भारत आए तुर्की के संसदीय शिष्टमंडल के साथ, संसद भवन, 16 दिसंम्बर 2002

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की कार्यकारिणी समिति के चेयरमैन, श्री बॉब स्पेलर के साथ

चार

विविध

49

महात्मा गांधी के संदेश की सार्वभौम प्रासंगिकता*

वारसॉ विश्वविद्यालय ग्रंथागार में महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस शुभ कार्य से दोनों देश भावनात्मक रूप से अधिक निकट आएंगे चूंकि गांधीजी हमारे राष्ट्रपिता हैं और उनका सम्मान वस्तुतः भारत तथा उनके सार्वभौम आदर्शों का सम्मान है। गांधीजी को 'महात्मा' कहा जाता है जिसका अर्थ है—महान आत्मा। उन्हें यह सम्बोधन भारत की एक अन्य विख्यात हस्ती और विश्व कवि, रवीन्द्रनाथ टैगोर का दिया हुआ है। गांधीजी को यह सम्बोधन स्वभावतः ही मिला, क्योंकि वे थे ही महान आत्मा!

मित्रो, इतिहास ऐसे महापुरुषों की कथाओं से भरा पड़ा है जिन्होंने महान कार्य किए। परन्तु, यदि हम इतिहास का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो पाएंगे कि गांधीजी की भांति अपने सिद्धांतों के प्रति अटूट निष्ठा रखने वाले कम ही व्यक्ति हुए हैं। वे अपने देश को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष करने वाले राजनैतिक नेता मात्र नहीं थे। गांधीजी इस मायने में अनूठे हैं कि जिस जीवन-शैली तथा सिद्धांत में, उनका विश्वास था, उसका उन्होंने आजीवन पालन किया। साथ-ही-साथ वे राजनैतिक तथा दार्शनिक कार्यों में भी संलग्न रहे। एक सच्चे संत के लिए आध्यात्मिकता और सांसारिकता में कोई भेद नहीं रह जाता। अतएव, गांधीजी ने अपनी दार्शनिक विचारधारा को राजनैतिक क्षेत्र में भी आधार बनाया और सत्य की खोज करते हुए स्वतंत्रता के लिए संघर्ष भी जारी रखा। आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने जिन उपायों का सहारा लिया, वे प्रायः आध्यात्मिक ही थे। 'अहिंसा' और 'सत्याग्रह' जैसे सिद्धांत, जो गांधीजी की विचारधारा के प्रमुख तत्व थे, एक दमनकारी शासन व्यवस्था के खिलाफ राजनैतिक विरोध के हमारे ऐतिहासिक स्वतंत्रता-प्राप्ति आंदोलन के बुनियादी उपाय बन गए। इस मार्ग से वे कभी हटे नहीं, क्योंकि वे साध्य और साधन दोनों की शुचिता को आवश्यक मानते थे। उन्होंने सदैव इस बात पर जोर दिया कि मात्र साध्य का ही पवित्र होना आवश्यक नहीं, वरन् यह भी आवश्यक है कि साधन भी पवित्र हो। उन्होंने नैतिकता को सत्य के ध्येय की प्राप्ति का अस्त्र माना।

गांधीजी ने एक बार कहा था, "मेरी शक्ति इस बात में है कि मैं दूसरों से वह करने को न कहूं जिसका मैंने अपने जीवन में स्वयं अभ्यास न किया हो।" यही कारण है कि उनका जीवन सदैव सत्य की खोज में लगे एक व्यक्ति का जीवन है और उनकी कथनी व करनी में कोई अंतर नहीं मिलता। इसी कारण गांधीजी की विशेष प्रतिष्ठा है और इसी से वे 'महात्मा' कहलाए।

* वारसॉ विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर, पोलैंड (23 मई 2002)

अलबर्ट आइंस्टीन की श्रद्धांजलि ने गांधी की अद्वितीयता को अविस्मरणीय बना दिया है: आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस पर विश्वास करेंगी कि गांधी जैसा कोई व्यक्ति कभी इस पृथ्वी पर हुआ था! गांधीजी द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान पोलैण्डवासियों की मुसीबतों से अवगत थे और उन्होंने उनके कष्टों को समाप्त करने और दमन को रोकने के लिए आवाज उठाई थी। उन्होंने विश्व में कहीं भी किसी भी प्रकार के दमन के विरुद्ध जनांदोलन को समर्थन देने की पोलैण्ड की जनता की भावना को महत्व देते हुए, नाजीवाद के खिलाफ लड़ाई में उसका समर्थन किया। आज के इस कठिन समय में, जबकि विश्व के सामने अनेक समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं, गांधीजी के विचारों और आदर्शों की सार्वभौम प्रासंगिकता हमें सत्य के पथ का दर्शन करा सकती है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है—वह अहिंसक क्रांति, जिससे 20वीं शताब्दी के अंतिम चरण में पोलैण्ड में एक नये युग की शुरुआत हुई। गांधीजी अत्यंत निर्धन, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों और समाज के सबसे निचले वर्गों की दीन-दशा सुधारने के लिए लगातार काम करते रहे। हिंसा, रक्तपात तथा जातीय और धार्मिक विद्वेष से छिन्नप्राय विश्व को महात्मा गांधी के संदेश को समझने की आज अत्यावश्यकता है। वारसा विश्वविद्यालय के ग्रंथागार में गांधीजी की प्रतिमा के अनावरण को मैं अपनी पोलैण्ड यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण भाग मानता हूं। मुझे विश्वास है कि महात्मा गांधी का शांति, अहिंसा, भाईचारे और सहिष्णुता का संदेश युवा विद्यार्थियों के संवदेनशील मन में अपनी पैठ बनाएगा।

मैं देख रहा हूं कि इस प्रतिष्ठित ग्रंथागार की दृश्य-दीर्घा में *ऋग्वेद, मुण्डकोपनिषद्* और *भगवद्गीता* के उद्धरण अलंकृत हैं। इससे स्वत: ही स्पष्ट है कि पोलैण्ड में भारतीय दर्शन और इतिहास के प्रति कितनी गहरी अभिरुचि है। इसके साथ-साथ, मुझे विश्वास है कि, यहां प्रतिष्ठित गांधीजी की प्रतिमा इस उच्च शिक्षा संस्थान में आने वाले विद्यार्थियों को गांधीजी के बारे में अधिकाधिक पढ़ने तथा उनके सिद्धांतों से लाभान्वित होने के लिए प्रेरित करेगी।

धन्यवाद।

षणमुखानंद सभा—हमारी सांस्कृतिक विरासत की परिरक्षक*

षणमुखानंद ललित कला और संगीत सभा के उद्‌घाटन समारोह में आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस अति प्रतिष्ठित और विशिष्ट संस्था के स्वर्ण जयंती समारोहों के शुभारंभ से सम्बद्ध हो रहा हूं। वर्ष 1944 में अपने आरंभ से ही, इस संस्था ने हमारी संस्कृति और महान भारतीय सभ्यता की विरासत के परिरक्षण, पोषण और संवर्धन हेतु प्रयास किए हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने सांस्कृतिक परम्पराओं को जनसाधारण तक पहुंचाने पर ध्यान केन्द्रित किया है।

षणमुखानंद हॉल मुम्बई का एक प्रमुख स्थल बन गया है। इस हॉल ने हमारे इस महानगर की सांस्कृतिक समृद्धि में योगदान किया है और हमें इस बात पर गर्व और प्रसन्नता है। षणमुखानंद हॉल इस शहर की स्फूर्ति और उत्साह का प्रतीक है और 28 फरवरी 1990 को लगी भीषण आग के बाद इसका पुनरुज्जीवन इस तथ्य को भली-भांति उजागर करता है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इस हॉल का ढांचा सौन्दर्यबोध की दृष्टि से ही आकर्षक नहीं है बल्कि इसकी नींव और समस्त ढांचा भी बहुत मजबूत है। मैं यहां के प्रबंधन को इस विध्वंस से दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ निपटने का पूरा श्रेय देता हूं। उनके प्रयासों के फलस्वरूप ही आज हमारे पास यह एक अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध है जो मुम्बई शहर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बेमिसाल है। यह प्रसिद्ध हॉल पंडित रविशंकर, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, भीमसेन जोशी तथा अनेक अन्य महान विभूतियों की कलात्मक प्रस्तुतियों का साक्षी रहा है।

षणमुखानंद सभा की स्थापना भारतीय संस्कृति के समस्त पहलुओं—संगीत, नृत्य, नाटक और सामाजिक समारोहों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकता के उच्च आदर्श और प्रशंसनीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी की गई थी। यह सभा प्रवचनों और सम्मेलनों का भी महत्वपूर्ण मंच बन गया है। मुझे विश्वास है कि स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान यह सभा मुड़कर अपने बीते दशकों के सफर पर बड़े संतोष और गर्व के साथ दृष्टिपात कर सकती है। हम सभी इस बात से सहमत हैं कि जिन उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए इस सभा की स्थापना की गई थी उन्हें काफी हद तक

* षणमुखानंद ललित कला और संगीत सभा के स्वर्ण जयंती समारोह के उद्‌घाटन अवसर पर, मुम्बई (31 अगस्त 2002)

प्राप्त कर लिया गया है। मुझे लगता है कि सभा अपने स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान अनेक कलात्मक प्रस्तुतियों और गतिविधियों का आयोजन करेगी। सभा का इरादा उच्चस्तरीय आध्यात्मिक सम्मेलन तथा नेत्रविज्ञान पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, महिला और युवा कल्याण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए समारोह, दुर्लभ वाद्य यंत्रों की एक प्रदर्शनी और एक संगीत संगोष्ठी आयोजित करने का है जिसमें दिग्गज संस्कृतिकर्मी भाग लेंगे। सभा द्वारा आयोजित की जाने वाली इन सराहनीय गतिविधियों और कार्यक्रमों के लिए हमारा पूर्ण समर्थन है। मुझे यह जानकर भी प्रसन्नता हुई है कि सभा का एक कला दीर्घा स्थापित करने और अपने सुविख्यात संगीत महाविद्यालय का विस्तार करने का विचार है। पहले से मौजूद चिकित्सा केन्द्र में डायलेसिस इकाई की स्थापना और कुछ अन्य कार्यकलापों की व्यवस्था से यह तथ्य भली-भांति दृष्टिगोचर होता है कि यह सभा शरीर तथा मन और आत्मा के कल्याण पर बराबर ध्यान देना चाहती है।

मित्रो, भारतीय संगीत, नृत्य और नाट्य परम्परा हमारी सभ्यता के केन्द्र बिन्दु हैं। किसी भी सभ्यता का सार और गुणवत्ता उसकी जनता की सांस्कृतिक और कलात्मक रुचियों से जानी जाती है। गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत और ललित कलाओं की समृद्ध परम्परा वाली हमारी भारतीय सभ्यता की धाक पूरे विश्व में है। हमें केवल इस परम्परा के उत्तराधिकारी के रूप में ही गर्व करके नहीं बैठ जाना चाहिए बल्कि इसे बचाए रखने और नई पीढ़ियों को सौंपने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए।

हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध और विविधता भरी है जो हमारी सभ्यता की अंदरूनी ताकत और लचीलेपन की परिचायक है। भारत में शायद ही कोई क्षेत्र या घाटी या पर्वत या समुद्रतट या मैदान हो जहां हमारे विशिष्ट लोक नृत्यों और लोक संगीत की ध्वनि न गूंजती हो। इन नृत्यों के प्रसंग सरल हैं और आम आदमी के जीवन से जुड़े हैं। दूसरी ओर हमारे, शास्त्रीय नृत्यों का धर्म और आस्था से गहरा संबंध रहा है। इनकी विकास यात्रा सदियों तक चली है और इन्होंने भारतीय सांस्कृतिक परम्परा को ऐसी निरन्तरता प्रदान की है जिसने उसे नई स्थितियों के अनुकूल बनाकर और नए प्रभावों को आत्मसात करके लगातार जीवंत बनाए रखा है। तथापि, हमने सदैव शास्त्रीय कलाविधाओं को जनसाधारण के और करीब लाने की आवश्यकता महसूस की है ताकि उनमें देश की सांस्कृतिक विरासत की बेहतर समझ पैदा हो। मुझे इस बात की खुशी है कि सभा ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यह कहा जाता है कि संगीत आत्मा का पुष्टिकारक आधार है। यह मानव को सर्वाधिक शिष्ट बनाने वाले प्रभावों में से एक है। यह मनुष्य में देवत्व का स्फुरण करता है और वस्तुतः ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। संगीत भी सभी हदों के पार जाकर सबको एकीकृत करता है। मनुष्य के प्रत्येक भाव को संगीत में अभिव्यक्ति मिलती है फिर चाहे वह सुख हो, दुख हो या पराक्रम हो। लेकिन,

संगीत का एक व्यावहारिक पक्ष भी है। इस परिप्रेक्ष्य में, मुझे स्वर्गीय राष्ट्रपति डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का स्मरण हो आता है, उन्होंने एक बार कहा था: (मैं उद्धृत करता हूं)

''संगीत का सही उद्देश्य इंद्रियों को आनंदित करना या मस्तिष्क को निदेश देना ही नहीं है बल्कि आपके समूचे अस्तित्व का रूपान्तरण करना और उसे संसार के समस्त सुख-दुख, राग-विराग से ऊपर उठाना है। संगीत की दुनिया में, आप सौन्दर्य का उपासना गृह बनाते हैं और जब आप उसकी उपासना करते हैं तो आप अपना व्यावहारिक कार्य करने की बेहतर प्रेरणा लेकर वापस लौटते हैं। संगीत का वास्तविक प्रयोजन यही है।''

भारतीय संगीत बहुत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण है और इसकी प्रगति और विकास का अविच्छिन्न इतिहास है। हमारे संगीत पर तमाम आंतरिक और बाह्य प्रभाव पड़ते रहे हैं और इसके फलस्वरूप समय-समय पर इसमें बहुत से परिवर्तन आए हैं। प्राचीन भारत में, संगीत जीवन के उपासना और कर्मकांड पक्ष में अपरिहार्य रूप से रचा-बसा था और इसलिए मंदिर के साथ इसका गहरा संबंध था। इसकी धार्मिक और भावनात्मक अपील के कारण ही मुख्यत: जन सामान्य इसको महत्व देता था। हमारे संतों और मनीषियों के संगीत ने भी समाज में समरसता और व्यक्ति में सदाचार बनाए रखने में भी मदद की। संगीत भक्ति का एक महानतम साधन भी रहा है तथा संतों और ज्ञानियों ने संगीत के माध्यम से देवत्व को प्राप्त किया है।

मित्रो, ललित कलाओं को प्रोत्साहन देकर ही हम अपने लोगों का जीवन समृद्ध बना सकते हैं। जो समाज ललित कलाओं का इतना आदर करता हो वह अधर्म और पतित नहीं हो सकता। वस्तुत: कलाओं के सच्चे साधक में किसी भी तरह की संकीर्णता या स्वार्थपरता नहों रह सकती। इसमें कोई संदेह नहीं कि ललित कलाओं का रसास्वादन किए बिना, उनसे आनंदित हुए बिना जीवन निष्प्राण हो जाएगा और उसका सौन्दर्य, आकर्षण तथा लालित्य समाप्त हो जाएगा। कला का कार्य केवल मनोविनोद करना नहीं बल्कि लोगों को प्रबुद्ध, शिक्षित और प्रेरित करना है। कलाकारों का कर्त्तव्य है कि वे लोगों को एक-दूसरे के नजदीक लायें और उनके जीवन को उच्च्व सामाजिक उद्देश्यों से अनुप्राणित कर दें।

भारतीय कला और संस्कृति मात्र समृद्ध और विविधतापूर्ण होने के कारण पुष्पित और पल्लवित नहीं हुई बल्कि अन्य संस्कृतियों से संपर्क रखने से भी यह पुष्पित और पल्लवित हुई है। यहां विभिन्न संस्कृतियों, स्थानिक और सार्वभौमिक तथा भूत और वर्तमान के बीच संश्लेषण की प्रक्रिया चलती रही। हमारे सामने सही तस्वीर तभी आती है जब हम अपने अस्तित्व और अपने आसपास के जीवन की संपूर्णता को स्वीकार कर लेते हैं। हम जीवन को या मानव जाति को न तो आर्थिक और सांस्कृतिक, भौतिक और आध्यात्मिक, प्रयोजनमूलक या सौन्दर्यात्मक, बौद्धिक और भावनात्मक श्रेणियों में बांट सकते हैं और न ही बांटना चाहिए। इन सबके योग से मानव बनता है। भारत आज जो कुछ है वह इसलिए क्योंकि ललित कलाओं को यहां पर जीवन का अंग बनाकर रखा गया। हमें अपनी विरासत का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि वह भारत का भविष्य उज्ज्वल बनाने में सहायक हो। इसी परिप्रेक्ष्य में षणमुखानन्द ललित कला और संगीत सभा जैसी प्रख्यात संस्थाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं आयोजकों को हृदय से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे आमंत्रित किया। बहुत ही सम्यक तरीके से स्वर्ण जयंती मनाने के लिए मैं षणमुखानंद सभा को बधाई देता हूं। मैं कामना करता हूं कि यह सभा जिन उद्देश्यों के लिए बनी है उन्हें प्राप्त करने के अपने भावी प्रयासों में सफलता प्राप्त करे।

धन्यवाद।

51

महाराष्ट्र—भारतीय राज्यों में अग्रणी*

मेरे लिए यह अत्यंत हर्ष की बात है कि मुझे आज आपके साथ मिलकर 'महाराष्ट्र महोत्सव' मनाने का मौका मिला। इस मौके पर मैं भी उतनी ही खुशी महसूस कर रहा हूं जितनी कि आप क्योंकि इस महोत्सव का उद्देश्य हमारे अपने राज्य महाराष्ट्र की समृद्ध और विविध संस्कृति को प्रदर्शित करने का है। यह भी एक सुखद संयोग है कि वह उत्सव गणेश चतुर्थी के समय मनाया जा रहा है। पिछले चार वर्षों से हम लगातार हर वर्ष राजधानी में इस उत्सव का आयोजन करते आ रहे हैं और हर बार इस शहर में उस उत्सव को जितनी सफलता और लोकप्रियता मिली उससे हमारा उत्साह काफी बढ़ा है। यह महोत्सव महाराष्ट्र के वास्तविक स्वरूप को प्रदर्शित करता है और विगत वर्षों के दौरान इसने न सिर्फ नई दिल्ली में बसे महाराष्ट्र के लोगों, अपितु दिल्ली में रहने वाले अन्य राज्यों के लोगों का ध्यान भी अपनी ओर आकृष्ट किया है।

हम सभी यह जानते हैं कि 'महाराष्ट्र' नाम ही अपने-आप में हर दृष्टि से विशालता का द्योतक है—यहां के लोगों की विशाल हृदयता, यहां की विशाल संस्कृति और विरासत, इस राज्य के विकास स्तरों की विशालता, राष्ट्र के जीवन में इस राज्य का विशाल योगदान, आदि। हमारा राज्य आज देश के औद्योगिक और वाणिज्यिक रूप से अग्रणी राज्यों में है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से महाराष्ट्र ने प्रत्येक क्षेत्र में काफी प्रगति की है—चाहे अर्थव्यवस्था हो या उद्योग या फिर विकास—मानक, चाहे संस्कृति हो, अथवा कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी या खेल-कूद। प्राचीन काल से ही महाराष्ट्र का गरिमामय इतिहास रहा है—छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श शासन, पेशवाओं की राष्ट्रभक्ति और लोकमान्य तिलक एवं वीर सावरकर जैसे विख्यात नेताओं का उदय, महाराष्ट्र अनेक सुप्रसिद्ध समाज सुधारकों की जन्मस्थली भी है। संक्षेप में, यह राज्य इसकी विरासत और इसके स्मारक इसके महान इतिहास के गौरव का बखान करते हैं। गणेश चतुर्थी उत्सव जो हम हर वर्ष मनाते हैं, वह विश्व को हमारी उत्कृष्ट सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाने का एक बढ़िया अवसर प्रदान करता है।

महाराष्ट्र अनेक प्रकार से शेष भारत का नेतृत्व करता रहा है। इसके सफल उद्यमियों ने संपत्ति अर्जित कर नये व्यावसायिक प्रतिमान स्थापित किए हैं। इसके कलाकारों और शिल्पियों ने हमारे सांस्कृतिक जीवन को और समृद्ध बनाया है। इसके राजनीतिक नेताओं ने हमारे देश की एकता और अखण्डता में योगदान किया है। इसके खिलाड़ियों ने देश के लिए सम्मान अर्जित किया है। अन्य कई

*'महाराष्ट्र महोत्सव' समारोह के अवसर पर, नई दिल्ली (14 सितम्बर 2002)

बड़े दिग्गज तो हैं ही, पर यदि किसी का नाम बताना हो तो हमारे अपने सचिन तेंदुलकर को ही लीजिए, जो अपनी शानदार क्रिकेट, खेल-प्रतिभा और व्यावसायिक कौशल के बूते दुनिया भर के प्रशंसकों से वाहवाही लूट रहा है। सचिन केवल क्रिकेट खिलाड़ी भर नहीं है; वह एक नये, आत्मविश्वास से भरपूर और सीना तानकर खड़े हुए भारत का प्रतीक भी है। जब भी वह बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरता है तो करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें और आकांक्षाएं उसके साथ होती हैं। उसने क्रिकेट जगत और इस खेल का गौरव तो बढ़ाया ही है हमारे देश और महाराष्ट्र का नाम भी रोशन किया है। मैं इस अवसर पर अपनी और आप सभी की ओर से सचिन को इतनी कम आयु में ही 100वां टेस्ट-मैच खेलने पर हार्दिक बधाई देता हूं—यह निस्संदेह शानदार उपलब्धि है।

मित्रो, इस शाम हमारे बीच महाराष्ट्र के एक और सचिन मौजूद हैं। यह सचिन सिने-जगत का एक बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व है। सिने-कलाकार होने के अलावा वह कला और संस्कृति का संरक्षक है और नौजवान प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए सराहनीय काम कर रहा है। मैं उनके सभी प्रयासों की पूर्ण सफलता की कामना करता हूं।

यह सुविदित है कि भारतीय संस्कृति विविध और बहुआयामी होने के बावजूद पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। विगत पांच हजार वर्षों से भी अधिक समय से हमारी संस्कृति अपनी अनूठी एकता तथा निरंतरता का परिचय देती रही है। यद्यपि हमारी भाषा, धर्म, परम्पराएं, उत्सव तथा परिधान भिन्न-भिन्न हैं, तथापि हमारी संस्कृति की समृद्ध विरासत बाकी दुनिया के लिए कदाचित कौतूहल का विषय रही है। हमारे राष्ट्र का जीवन रंगारंग त्यौहारों, सांस्कृतिक पर्वों और अवसरों की चित्र-विचित्र वर्ण योजना है। यही विशेषता भारत की 'अनेकता में एकता' का परिचय कराने वाली संस्कृति का प्रतीक है। मैं यहां कहना चाहूंगा कि हम सभी को अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत की सराहना करने, उसका संरक्षण करने और उसे बढ़ावा देने—खासकर नृत्य, गीत-संगीत, नाटक और साहित्यक विधाओं के प्रति एक सौंदर्यबोधपरक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। इस तरह हम अपनी राष्ट्रीय संरचना को अपनी एकता व अखण्डता की भावना को भी मजबूत करेंगे।

मित्रो, इसके लिए जरूरी है कि हम अन्य राज्यों के लोगों के सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने, उनकी सराहना करने तथा उन्हें अंगीकार करने के लिए ईमानदारीपूर्ण प्रयास करें। इसके लिए हमें देश के विभिन्न हिस्सों में इस 'महाराष्ट्र महोत्सव' जैसे उत्सवों का आयोजन करना चाहिए। यह उचित ही है कि महाराष्ट्र महोत्सव हमारे देश की राजधानी, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है जो, मेरे विचार से, 'लघु भारत' है—जहां हमारे देश के विभिन्न हिस्सों से आकर लोग बसे हुए हैं। कला, शिल्प और संस्कृति के इस दस-दिवसीय सांस्कृतिक मेले से, महाराष्ट्र के अपने राज्य से दूर आकर बसे लोगों को महाराष्ट्र की उत्कृष्टता को देखने, उसका आस्वादन करने तथा उसकी आनंदानुभूति का मौका मिलेगा। इस 'महोत्सव' जैसे आयोजन केवल औपचारिक अवसर भर नहीं है; वरन् वे भारत की जीवन पद्धति से गहरी जुड़ी परम्पराओं और रीति-रिवाजों का रसास्वादन करने का अवसर हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, ऐसे समारोहों से हमें अपनी संस्कृति और इतिहास को और बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिलता है—जो राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए अत्यावश्यक है।

इस अवसर पर मैं उन सभी कलाकारों का अभिनंदन करता हूं जो इस महोत्सव के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। मैं आयोजन समिति के सभी सदस्यों, खासकर श्री वसंत साठेजी, का तहेदिल से धन्यवाद करता हूं जिनका इस महोत्सव को इतना सफल बनाने में भरपूर सहयोग मिला। मैं विभिन्न कार्यक्रमों के प्रायोजकों और उन सभी को, जो इस महोत्सव से किसी-न-किसी प्रकार से जुड़े रहे हैं, भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आइए, अब इस सुहानी संगीतभरी शाम का आनंद उठाएं।

धन्यवाद।

बागवानी क्षेत्र—फल प्रसंस्करण में नई पहल की आवश्यकता*

इस वाइनरी (मद्य निर्माण शाला) की आधारशिला रखने के लिए आप सब के बीच यहां आकर मुझे आकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार तथा हिमाचल इंडेज लिमिटेड के सभी सदस्यों, विशेष रूप से श्री चौगले को राज्य के किसानों और उत्पादकों के लिए विकास के नए क्षेत्र उपलब्ध कराने हेतु ऐसी पहल करने के लिए बधाई देता हूं।

मित्रो, हिमाचल प्रदेश और विशेषकर कुल्लू अपने मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। फलों से लदे पेड़ों की अनगिनत कतारों से सजी सुन्दर हरित पहाड़ियों का दृश्य वस्तुत: अत्यधिक मनमोहक है। विविध प्रकार की फल सम्पदा से समृद्ध करने में प्रकृति की आप पर विशेष कृपा रही है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हिमाचल प्रदेश को भारत का 'फलों का टोकरा' कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने फल उत्पादन में वृद्धि के लिए बागवानी क्षेत्र का विस्तार करके और इसमें परिवर्तन लाकर प्रकृति के उपहार का पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

फलों की गणना मानव जाति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों में की जा सकती है क्योंकि ये अत्यधिक पोषक होते हैं और इसी नाते अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अनिर्वाय है। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व में फलों के उत्पादन के मामले में ब्राजील के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक देश है। अनुमानत: विश्व के 8 प्रतिशत फलों का उत्पादन हमारे यहां होता है। किंतु दुर्भाग्यवश कुल फल उत्पादन के केवल 1.5 प्रतिशत भाग का ही वाणिज्यिक दृष्टि से प्रसंस्करण किया जाता है। हमारे उत्पादन का एक बड़ा भाग, परिवहन, समुचित उठाई-धराई, भंडारण, प्रसंस्करण सुविधाओं इत्यादि के अभाव में बर्बाद हो जाता है।

उदारीकरण और वैश्वीकरण के वर्तमान परिदृश्य में किसी भी ऋतु में किसी भी देश द्वारा उत्पादित कोई भी फल सभी समय विश्व में सभी स्थानों पर उपलब्ध रहता है। इससे हमारे किसानों और उत्पादकों का कार्य और भी कठिन हो जाता है क्योंकि उन्हें विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करनी होती है। मौसम और भू-भाग संबंधी विषम परिस्थितियों के साथ-साथ भंडारण और परिवहन की अपर्याप्त

*नगवां में वाइनरी की आधारशिला रखने के अवसर पर, मंडी, हिमाचल प्रदेश (15 दिसम्बर 2002)

सुविधाओं के कारण उनकी कठिनाइयां और भी बढ़ जाती हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में फल प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त ढांचा होना चाहिए क्योंकि इससे हमारी अर्थव्यवस्था के दो स्तम्भों—उद्योग और कृषि के बीच महत्वपूर्ण संबंध और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। एक सुदृढ़ और सक्रिय फल प्रसंस्करण क्षेत्र फलों की बर्बादी की मूल समस्या का समाधान करने, उत्पादकों को बेहतर कीमत दिलाने तथा नियोजन के अवसरों के सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

नगवां में अंगूर आधारित वाइनरी (मद्य निर्माण शाला) की स्थापना इस दिशा में एक सही कदम है। यह मात्र व्यावसायिक उद्यम ही नहीं है अपितु जनसामान्य की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक कल्याणकारी उपाय भी है। मैं समझता हूं कि इस वाइनरी का मूल उद्देश्य उत्पादकों को एक वैकल्पिक फसल का विकल्प प्रदान करना है क्योंकि इतने वर्षों में ही एक ही फसल उगाने से फलों की गुणवत्ता और उत्पादन मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस एकक से उत्पादकों को बेहतर मूल्य संवर्धन और लाभ मिलेगा तथा इससे परिवहन और बर्बादी की समस्याओं को कम करने में भी मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, यहां वाइनरी की स्थापना से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और उनके जीवन स्तर के उन्नयन में मदद मिलेगी।

मित्रो, जिस समय हम 'वाइन' की बात करते हैं, हमें विभिन्न प्रकार की समृद्ध फ्रेंच वाइन तथा उनकी श्रेणी और गुणवत्ता का स्मरण हो आता है। संभवत: यह जानकारी आपको रुचिकर प्रतीत होगी कि उन्नीसवीं शताब्दी से पहले खमीर उठाने की प्रक्रिया के द्वारा वाइन तैयार करने के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध थी। ग्रीक वाइन को मिट्टी के बने एम्पोरा (कलशों) में रखते थे तथा रोमवासी वाइन को बेहतर बलूती बैरलों में रखकर अधिक समय तक सुनिश्चित रखते थे। एक लम्बे अर्से अर्थात् 17वीं शताब्दी तक लकड़ी के बैरल (ड्रम) ही प्रमुख मदिरा निर्माण के पात्र रहे जब शीशे की बोतलों के उत्पादन तथा कार्क के ढक्कनों की खोज से वाइन को यथावत परिरक्षित रखने की अवधि एक वर्ष से बढ़कर कई वर्ष हो गई। बाद में 19वीं शताब्दी में लुई पास्चर ने पास्चराइजेशन की प्रक्रिया से विश्व को अवगत कराया जिससे वाइन के गुणवत्ता नियंत्रण में यंत्रीकृत नवीनताएं आई।

आधुनिक काल में वाइन को यदि सीमित मात्रा में लिया जाए तो यह एक स्वास्थ्यकारी पेय पदार्थ माना जाता है। वस्तुत:, 18वीं शताब्दी तक दवाओं में भी वाइन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही। इससे मुझे एक घटना का स्मरण हो आया जिससे वाइन और स्वास्थ्य का सापेक्ष महत्व उजाकर होता है। नवम्बर 1991 में अमेरिका में 'फ्रांसीसी विरोधाभास' (फ्रेंच पेराडोक्स) नामक एक कार्यक्रम प्रसारित किया गया। 'फ्रांसीसी विरोधाभास' शब्द का प्रयोग पहली बार उसी कार्यक्रम में इन तथ्यों के बीच प्रत्यक्षत: असंभावित संबंध का वर्णन करने के लिए किया गया था कि हालांकि फ्रांसीसी, विशेषकर दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में रहने वाले लोग हृदय गति रोकने वाले, धमनियों को अवरुद्ध करने वाली संतृप्त वसा वाला भोजन बहुत अधिक मात्रा में खाते थे, सिगरेट फूंकते थे और बहुत कम कसरत करते थे, फिर भी उस क्षेत्र में विश्व की तुलना में हृदयाघात की दर सबसे कम थी। क्या आप इसके कारण का अनुमान लगा सकते हैं? इसका कारण रोजाना किंतु कम मात्रा में रेड वाइन (लाल शराब) का सेवन है। इस कार्यक्रम के बाद अमेरिका में रेड वाइन के सेवन की होड़ लग गई क्योंकि अमेरिकावासियों ने स्वास्थ्य संबंधी इस संदेश को हृदय से स्वीकार कर लिया।

वापिस भारत की बात करते हुए जब हम विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था के अंतर्गत विश्व बाजार की बात करते हैं, तो हमें अपरिहार्य वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बारे में पूरी तरह सजग होना चाहिए। हालांकि हमारे देश में वाइन उद्योग गुणवत्ता के प्रति सतर्क उद्योग के रूप में स्वयं को साबित करने की शुरुआत कर चुका है, तथापि हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमने इस क्षेत्र में बहुत देर के बाद कदम रखा है और विश्व वाइन बाजार में हमारे प्रवेश का आभास वाइन प्रेमियों और मद्य विज्ञानियों को दिलाने के लिए हमें कड़ा मुकाबला करना होगा। इसके साथ ही विपणन कार्यनीति तथा उत्पादन के पश्चात् भंडारण सुविधाओं का मुद्दा भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। अंत में, पर्यावरणीय मानकों का भी कड़ाई से पालन किए जाने की आवश्यकता है। आशा है कि नगवां में स्थापित की जा रही यह वाइनरी इन सभी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी।

मैं हिमाचल इंडेज लिमिटेड के सभी प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं तथा उन सबको भी बधाई देता हूं जो किसी न किसी तरह इस एकक से लाभान्वित होने जा रहे हैं। यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीस प्रतिशत की भागीदारी राज्य के उत्पादकों को देने का निर्णय लिया है ताकि यह उत्पादकों के अपने लाभ के लिए स्थापित उनका स्वयं का फल प्रसंस्करण एकक बन जाए! मुझे आशा है कि नगवां में वाइन तैयार करने का कार्य उसी गति से आरंभ होगा जिस गति से यह प्रस्ताव संकल्पना के चरण से आधारशिला रखे जाने के चरण तक पहुंचा है। मैं श्री चौगले तथा इस परियोजना के साथ जुड़े अन्य सभी व्यक्तियों को पुन: धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहां आमंत्रित किया तथा इस सुंदर वादी में आज यहां आप सबके बीच उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया। मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही आपकी यह नई वाइन नई बोतलों में विश्व के बाजार में वाइन प्रेमियों को लुभाती नजर आएगी।

धन्यवाद।

एस.एल. किर्लोस्कर—एक दूरदर्शी उद्यमी*

आज भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज, श्री शान्तनुराव किर्लोस्कर के सम्मान में डाक टिकट जारी करने के लिए आयोजित इस समारोह में आकर मुझे हर्ष हो रहा है। डाक टिकटों का अत्यधिक महत्व होता है क्योंकि वे एक अनुकरणीय व्यक्ति के प्रति राष्ट्र के प्रेम और स्नेह का चिरस्थायी प्रतीक होती हैं। वस्तुतः यह उपयुक्त ही है कि डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने श्री किर्लोस्कर के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी करने का निर्णय लिया है और इस अच्छे कार्य के लिए मैं विभाग को बधाई देता हूं।

लगभग पच्चीस वर्ष पूर्व, वर्ष 1969 में भारत सरकार ने किर्लोस्कर कम्पनी समूह के संस्थापक, श्री लक्ष्मण राव किर्लोस्कर के सम्मान में इसी प्रकार का एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया था। उस समय श्री शान्तनुराव किर्लोस्कर को किंचित मात्र भी यह भान नहीं था कि एक दिन कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें भी यह सम्मान देगा। अपने पिता के सुदृढ़ औद्योगिक आधार से अपना सफल शुरू करके श्री एस.एल. किर्लोस्कर ने किर्लोस्कर उद्यम का एक विशाल नेटवर्क खड़ा कर दिया जिसकी शाखाएं सारे विश्व में फैली हुई हैं। उनके प्रेरणादायक और उत्कृष्ट नेतृत्व में किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड का एकल उद्यम विकसित होकर 35 उद्योगों का एक शक्तिशाली समूह बन गया है। आज किर्लोस्कर ग्रुप एक विशाल समहू है जो विद्युत, निर्माण और खनन, कृषि उद्योग और परिवहन, तेल और गैस तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे विविध उद्योगों से सम्बद्ध है।

भारतीय उद्योग के विकास की नींव रखने और इसे शक्तिशाली बनाने का श्रेय ऐसे व्यक्तियों और समूहों के पथप्रदर्शक प्रयासों को जाता है जिन्होंने अपने रचनात्मक उद्यम की स्थापना के लिए असंख्य कठिनाईयों का सामना किया। किर्लोस्कर ग्रुप भी वस्तुतः इसी श्रेणी में आता है। विश्वव्यापी व्यावसायिक वातावरण और उभरते आर्थिक रुखों की चुनौतीपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए स्थापित की गई भारत की प्रथम औद्योगिक टाऊनशिप (नगर-क्षेत्र), किर्लोस्करवाड़ी से लेकर शान्तनुराव किर्लोस्कर के कृपालु दिशानिर्देशन में अभूतपूर्व सफलता की एक महान गाथा के रूप में किर्लोस्कर ग्रुप की शाखाएं आज पूरे विश्व में फैली हुई हैं।

'एसएलके' के नाम से प्रसिद्ध शान्तनुराव एक स्वप्नदृष्टा थे जो अपने स्वप्न को पूरा करने के

* स्वर्गीय श्री एस.एल. किर्लोस्कर के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने के अवसर पर, नई दिल्ली (26 फरवरी 2003)

लिए अपेक्षित कर्मशक्ति और दृढ़ निश्चय से सम्पन्न थे। भारत में औद्योगिक क्रांति के एक प्रतिष्ठित नेता के रूप में उन्होंने यह परिकल्पना की थी जिसे मैं उद्धृत करता हूं:

> ''सामाजिक आस्थाओं, राजनीतिक विचारधाराओं तथा आर्थिक व्यवहारों के बीच इतना अधिक अन्तर्संबंध है कि जब तक सभी व्यक्ति आर्थिक विकास और उत्पादन के प्रति अनुकूल भाव नहीं रखते, हम अपने देश की निर्धनता के उन्मूलन के लक्ष्य में कभी सफल नहीं हो सकेंगे ... हमारे आर्थिक विकास के प्रति मेरा निजी योगदान मेरे पिता के दिखाए इस मार्ग के अनुसार रहा है: उत्पादक कार्य के लिए संगठनों का निर्माण करना तथा समाज के लिए धन-सम्पत्ति का सृजन करना। अपने देश की स्वतंत्रता की चाह रखते हुए ... मैंने भारत की स्वतंत्रता के लिए उस रूप में कार्य करने का निर्णय लिया जिसमें साथ-साथ देश की आर्थिक समृद्धि हेतु योगदान किया जा सके''

'एसएलके' ने हमारे देश में व्यवसाय के विकास को एक नयी दिशा दी। उनका दृढ़ विश्वास था कि अच्छे व्यावसायिक मूल्यों और श्रेष्ठ विशेषज्ञता से चमत्कार हो सकता है। उनके लिए अभियांत्रिकी में उत्कृष्टता कोई गंतव्य नहीं अपितु एक यात्रा थी। उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि उद्योग के दर्शन के मूल में यह विचार निहित है कि सभी औद्योगिक प्रयासों का आस-पास के जन-जीवन तथा समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हमारे विकास में सबकी भागीदारी और स्वीकार्यता होनी चाहिए तथा लक्ष्य प्राप्ति के प्रयासों में सभी को शामिल होना चाहिए। वह इस बात में विश्वास रखते थे कि विकास की कोई सीमा नहीं होती तथा इसके लाभ में हम सब की भागीदारी होनी चाहिए। श्री किर्लोस्कर प्राय: कहा करते थे कि यह परिभाषित करना सरल नहीं है कि एक अच्छा उद्यमी किसे कहा जाए। उन्होंने कहा था और मैं उद्धृत करता हूं, ''एक अच्छा उद्यमी वह व्यक्ति होता है जिसकी भविष्य की कल्पना अपने अन्य साथियों की तुलना में बेहतर और दूरदर्शितापूर्ण हो। एक व्यवसायी के रूप में जितना आपकी कल्पना का विस्तार होता जाएगा, आप उतने ही बेहतर व्यवसायी बनते जाएंगे। आपमें दूरदृष्टि तथा आवश्यक जोखिम उठाने की इच्छा होनी चाहिए।'' इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि उनकी परिकल्पना, ज्ञान, दूरदृष्टि तथा औद्योगिक विकास के प्रति समर्पण भाव और साथ-साथ उनकी असाधारण उपलब्धियों के कारण भारत को विश्व के औद्योगिक देशों में उच्च स्थान प्राप्त है।

'एसएलके' एक सुविख्यात सामाजिक कार्यकर्ता भी थे जो सादगी और सच्चाई में विश्वास रखते थे। उनके लिए उनके कर्मकार सबसे मूल्यवान परिसम्पत्ति थे और उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रयास किए कि औद्योगिक प्रगति के लाभ टाऊनशिप, विद्यालयों, समाज कल्याण संस्थाओं, अस्पतालों, नागरिक परियोजनाओं और पर्यावरणीय सजगता के रूप में कामगारों तक पहुंचे।

शान्तनुराव किर्लोस्कर जैसे व्यक्ति विरले ही होते हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि आज जारी की जा रही यह स्मारक डाक टिकट श्री एस.एल. किर्लोस्कर की प्रेरणादायक जीवनगाथा की स्मृति को चिरस्थायी बनाने में सहायक होगी।

धन्यवाद।

उस्ताद बिस्मिल्ला खां—अपने जीवन काल ही में एक किंवदन्ती*

भारतीय कला, संस्कृति तथा संगीत के प्रचार-प्रसार के लिए समर्पित संगठन-'मधु मुर्छना' द्वारा आयोजित उस्ताद बिस्मिल्ला खां और डा. सोमा घोष की जुगलबंदी के अवसर पर मुझे माननीय प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, संसद के प्रतिष्ठित सदस्यगणों तथा अन्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वस्तुतः भारतीय संगीत की परंपराओं के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि, उस्ताद बिस्मिल्ला खां और डा. सोमा घोष, के सभी प्रशंसकों के लिए यह एक महान अवसर है।

भारत में हमारा इस बात पर गर्व करना उचित है कि हम संगीत, नृत्य एवं नाटक की लम्बी तथा समृद्ध पंरपरा के वारिस हैं। ये साहित्य तथा अन्य ललित कलाओं की सम्पदा के साथ हमारी सभ्यता में रचे बसे हैं। मेरा कहना है कि किसी सभ्यता का सार और गुणवत्ता की माप लोगों की कलात्मक और सांस्कृतिक अभिरूचि है।

उस्ताद बिस्मिल्ला खां संगीत के क्षेत्र के उन विख्यात दिग्गजों के विशिष्ट-मंडल से सम्बन्धित हैं जिनकी प्रतिभा तथा जीवनपर्यंत संगीत के प्रति निष्ठा ने संगीत के क्षितिज का विस्तार किया है। उन्हें शहनाई से ऐसी अत्यंत जटिल स्वर-लहरियां निकालने में महारत हासिल है जिन्हें उनसे पहले असंभव माना जाता था। वे शहनाईवादकों की अपने बाद की सभी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं तथा इस ललित कला में कइयों को प्रशिक्षित किया है। उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा के बल पर एक वाद्य यंत्र के रूप में शहनाई को उच्चतर स्तर तक ऊपर उठाया है। उनका त्रुटिरहित शहनाई वादन मंत्रमुग्ध करने वाला होता है। उन्होंने शहनाई में जो परिष्करण और बदलाव किया है उनका योगदान अमर भारतीय संगीत के खजाने में रहेगा।

उस्ताद बिस्मिल्ला खां उन बिरले संगीतज्ञों में से हैं जो सभी श्रोतागणों को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। जब उस्ताद बिस्मिल्ला खां शहनाई बजाते हैं, तो उनकी शहनाई गा उठती है। जहां उस्ताद रागदरबारी में सिद्धहस्त हैं, वहीं वह ठुमरी, कजरी और चैती में भी उतनी ही उच्च्व कोटि के हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में, उस्ताद बिस्मिल्ला खां द्वारा शहनाई पर बजाई गयी प्रसिद्ध रामधुन तथा भजन 'वैष्णव जन' जैसी भक्तिसंगीत धुनें, अत्यधिक लोकप्रिय हैं।

* बालयोगी सभागार में उस्ताद बिस्मिल्ला खां तथा डा. सोमा घोष द्वारा जुगलबंदी के अवसर पर, नई दिल्ली (7 अगस्त 2003)

उस्ताद बिस्मिल्ला खां ने भारतीय शास्त्रीय संगीत में अद्‌भुत जीवंतता पैदा की है। उन्होंने विश्व के अनेक देशों की यात्रा की है और वहां अपनी कला का प्रदर्शन किया है। उनके अनगिनत शास्त्रीय तथा अर्द्ध-शास्त्रीय संगीत वादनों के अतिरिक्त उनके प्रशंसक आज भी एक हिंदी फिल्म के लिए प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर तथा आकाशवाणी के प्रसिद्ध वायलिन वादक पंडित वी.जी. जोग के साथ उनकी जुगलबंदी को याद करते हैं।

राष्ट्र ने शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्ला खां के योगदान को देखते हुए उन्हें पद्‌मश्री, पद्‌मभूषण, पद्‌मविभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों तथा हाल ही में सबसे बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत रत्न से सम्मानित किया है। एक महान संगीतज्ञ के रूप में, उन्हें 15 अगस्त, 1947 को भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से शहनाई बजाने का गौरव प्राप्त है। आज का यह कार्यक्रम बिस्मिल्ला खां के भारत के राष्ट्रीय जीवन से लंबे काल तक जुड़े रहने का नवीकरण है। वस्तुतः यह कार्यक्रम भारत के लोकतंत्र और हमारी संसद के प्रति सम्मान है।

मैं अब माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस संगीत सभा का उद्‌घाटन करें।

धन्यवाद।

भाग तीन

अध्यक्षपीठ से की गई टिप्पणियां/दिए गए विनिर्णय

जहां तक सभा के अथवा उससे संबंधित किसी मामले का संबंध है, संविधान के संगत उपबंधों और लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों की व्याख्या करना लोक सभा अध्यक्ष का अधिकार भी है और कर्त्तव्य भी। सरकार सहित कोई भी ऐसी व्याख्याओं के मामले में अध्यक्ष से किसी तर्क अथवा विवाद में नहीं पड़ सकता है। अध्यक्ष द्वारा किए गए विनिर्णय और टिप्पणियां पूर्वोदाहरण बनते हैं जिनसे भावी पीठासीन अधिकारियों, सदस्यों और अधिकारियों का मार्गदर्शन होता है। ऐसे पूर्वोदाहरण प्रक्रिया नियमों के रूप में सूत्रबद्ध किए जाते हैं या परिपाटियों के रूप में उनका अनुसरण किया जाता है। अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णय पर, मूल प्रस्ताव के सिवाए, आपत्ति नहीं की जा सकती है। अध्यक्ष अपने निर्णयों हेतु कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

अध्यक्ष श्री मनोहर जोशी द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण विनिर्णय और टिप्पणियां यहां दी गई हैं।

55. सभा की कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने की आवश्यकता

संदर्भ: 16 जुलाई 2002 को अव्यवस्था की स्थिति होने तथा बाध्य होकर सभा को बार-बार स्थगित किए जाने के कारण बैठक का समय नष्ट होने के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय ने यह टिप्पणी की[1]:

टिप्पणी: "माननीय सदस्यो, जब से मैंने अध्यक्ष का पदभार संभाला है, मुझे अंतर-सत्रावधि के दौरान अनेक राजनीतिक नेताओं, सांसदों, मीडिया के लोगों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े कई अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों से संसद के कार्यकरण के बारे में बातचीत करने का अवसर मिला है। इस बातचीत से मेरी यह धारणा बनी है कि अपनी इस सर्वोच्च विधायी संस्था का सुचारू और व्यवस्थित कार्य संचालन सुनिश्चित करने के लिए हमें और प्रयास करने चाहिए। मैंने आप में से कुछ लोगों के साथ इस बारे में चर्चा की है। मैं यह कहना चाहूंगा कि मुझे इस संबंध में बहुत ही उत्साहजनक परिणाम मिले। मैं चाहता हूं कि आज का कार्य औपचारिक रूप से शुरू करने से पहले मैं अपने विचार आपके सम्मुख रखूं।

जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम भारतीय संसद की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। यह उचित अवसर है कि हम अपनी संसदीय परम्परा को सुदृढ़ करने के लिए स्वयं को पुनःसमर्पित करें। इस दिशा में हमारा एक महत्वपूर्ण प्रयास यह होना चाहिए कि हम सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित करें कि सभा की कार्यवाही उन नियमों और प्रक्रियाओं, जिन्हें हमने स्वयं इस प्रयोजन के लिए बनाया है, के अनुसार सुचारू और व्यवस्थित रूप से चले।

---

[1] लोक सभा वाद-विवाद, 16 जुलाई 2002

इस वर्ष के बजट सत्र के दौरान हुई बैठकों के कुल 287 घंटे और 54 मिनट के समय में से 66 घंटे और 35 मिनट का बहुमूल्य समय व्यवधानों के कारण सभा को स्थगित करने से नष्ट हुआ। यह सभा के कुल समय के 23.12 प्रतिशत के बराबर है जो कि एक चिंता का विषय है।

आप इस बात से सहमत होंगे कि बार-बार बाध्य होकर सभा को स्थगित करने से सभा के बहुमूल्य समय के नष्ट होने के अतिरिक्त लोगों की नजरों में संसद की गरिमा कम होती है।

हम सभी इस स्थिति की गंभीरता से चिंतित हैं। अगस्त, 1997 में भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर बुलाए गए लोक सभा के विशेष सत्र के दौरान और 25 नवम्बर, 2001 को नई दिल्ली में "संसद और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों में अनुशासन और शालीनता" विषय पर आयोजित पीठासीन अधिकारियों, मुख्य मंत्रियों, संसदीय कार्य मंत्रियों, दलों के नेताओं और सचेतकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में हमने इन मुद्दों पर चर्चा की है।

दिसम्बर, 2001 में नियम पुस्तिका में एक नया नियम 374क जोड़ा गया जिसमें ऐसे सदस्य के स्वत: निलम्बन का उपबंध है जो सभा में अध्यक्ष के आसन के समीप आता है और वहां बाधा उत्पन्न करता है।

इस प्रकार की प्रशंसनीय पहल किये जाने के बावजूद स्थिति में बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ जैसाकि अव्यवस्था उत्पन्न करने और बाध्य होकर सभा को स्थगित करने के कारण बैठकों के समय के नष्ट होने से स्पष्ट है।

मेरा यह दृढ़ विचार है कि यद्यपि अनुशासन और शालीनता बनाए रखने के लिए नियम विद्यमान हैं फिर भी सदस्यों को स्वेच्छा से अपने पर नियंत्रण रखना चाहिए और सभा के कार्य को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाना सुनिश्चित करना चाहिए। यह बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि हमें उन नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए जिन्हें हमने स्वयं बनाया है। इसमें नियम 374क भी शामिल है जिसमें ऐसे सदस्यों के स्वत: निलम्बन का उपबंध है जो सभा में अध्यक्ष के आसन के समीप आते हैं और वहां गंभीर अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं। आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि अध्यक्षपीठ का यह कर्त्तव्य है कि वह सभा के निर्देशों का अनुपालन करे जो नियमों में दिये गये हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि ऐसे अप्रिय अवसर नहीं आयेंगे और हम निश्चित रूप से अपना कार्य नियमों के अनुरूप कर सकेंगे। मेरी ओर से यह सुनिश्चित करने के लिए भी भरसक प्रयास होगा कि सभा में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए सदस्यों को पर्याप्त अवसर मिले। मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि वह सदस्यों की वास्तविक शिकायतों पर ईमानदारी से शीघ्र ध्यान दे। मेरे विचार से इस तरह के प्रयास हमारे पूर्व अध्यक्ष, श्री जी.एम.सी. बालयोगी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में सभा की कार्यवाही को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए अनथक प्रयास किये।

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों में सभा की बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा पालन किये जाने के लिए शिष्टाचार और आचारण के कतिपय मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। उदाहरणस्वरूप,

नियमों में यह व्यवस्था है कि सदस्यों को ऐसी कोई पुस्तक, समाचार पत्र या पत्र नहीं पढ़ना चाहिए जिनका सभा के कार्य से संबंध न हो; अध्यक्षपीठ और किसी सदस्य, जो भाषण दे रहा हो, के बीच से नहीं गुजरना चाहिए; जब अध्यक्ष सभा को संबोधित कर रहे हों तो सदस्यों को सभा से बाहर नहीं जाना चाहिए; अध्यक्षपीठ के पास स्वयं नहीं जाना चाहिए और अपने भाषण के तुरंत पश्चात् सभा से बाहर नहीं जाना चाहिए। नियमों में सदस्यों से इस बात की भी अपेक्षा की जाती है कि वे सभा में प्रवेश करते या बाहर जाते समय और अपने स्थान पर बैठते या वहां से उठते समय अध्यक्षपीठ के प्रति नमन करें; सदैव अध्यक्षपीठ को संबोधित करें; और सदस्य लाबी में इतना तेज न बोलें या हंसें कि सभा में सुनाई पड़े। ये बहुत ही सरल और साधारण मानदंड हैं लेकिन शिष्टाचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं जिनका सदस्यों को एक दूसरे का और अध्यक्ष जिनका कर्त्तव्य इन मानदंडों का पालन कराना है, का सम्मान करते हुए पालन करना चाहिए।

जैसाकि मैंने पिछले सत्र के अंतिम दिन विदाई टिप्पणी में कहा था कि सभा में मौखिक उत्तर दिये जाने वाले तारांकित प्रश्नों की संख्या में कमी आती जा रही है। तेरहवीं लोक सभा के नौ सत्रों का औसत मात्र 2.52 तारांकित प्रश्न प्रतिदिन रहा है, जबकि प्रत्येक बैठक के लिए कम से कम 20 तारांकित प्रश्न सूची में रखे जाते हैं। धीरे-धीरे इस औसत को बढ़ाना अति आवश्यक है। आपके सहयोग से मेरा यह पूरा प्रयास रहेगा कि इस सत्र के प्रारंभ से यह औसत बढ़कर उत्तर दिये जाने के लिए 5 तारांकित प्रश्न प्रतिदिन हो जाए।

मैं इस बात के लिए भी उत्सुक हूं कि "शून्यकाल" को प्रतिदिन और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं प्रस्ताव करता हूं कि केवल तात्कालिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मामलों को ही "शून्यकाल" के दौरान उठाया जाए। अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित मामले, चाहे वे कितने ही महत्वपूर्ण क्यों न हों, सदस्यों द्वारा निवेदन के माध्यम से नियम 377 के अधीन उठाये जा सकते हैं। मेरा दृढ़ विचार है कि ऐसा करने से "शून्यकाल" को और अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी।

माननीय सदस्यो, आपने सर्वसम्मति से मुझे इस सभा के प्रथम सेवक के रूप में जो सम्मान दिया है, उसे देखते हुए मेरा यह कर्त्तव्य है कि मैं सभा के कार्य का संचालन नियमों के अनुसार सुनिश्चित करूं। इस सर्वोच्च संस्था की गरिमा, मर्यादा और प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए मैं सभा के सभी सदस्यों के सहयोग की अपेक्षा करता हूं। कहने की आवश्यकता नहीं कि दलों के नेताओं, मुख्य सचेतकों और सचेतकों को इस कठिन कार्य में विशेष भूमिका निभानी होगी। अंततः हममें से प्रत्येक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि वह इस महान संस्था के सेवक के रूप में उन लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरे जिन्होंने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें चुना है। यह हमारी संसद के स्वर्ण जयंती वर्ष में देश के करोड़ों लोगों के लिए सबसे उत्तम उपहार होगा।"

56. किसी चर्चा का उत्तर देते समय मंत्री महोदय द्वारा छूट गए बिन्दुओं को सदस्यों द्वारा सभा में विभिन्न साधनों के माध्यम से उठाया जा सकता है

संदर्भ: दिनांक 26 जुलाई 2002 को 'शून्यकाल' के दौरान संसद सदस्यों सर्वश्री रामजीलाल सुमन, प्रियरंजन दासमुंशी, सोमनाथ चटर्जी और बसुदेव आचार्य ने गुजरात के दंगा पीड़ितों के पुनर्वास

और राहत के बारे में 23 जुलाई 2002 को नियम 193 के अधीन हुई चर्चा पर उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, श्री लाल कृष्ण आडवाणी के उत्तर के संबंध में असंतोष व्यक्त किया। सदस्य चाहते थे कि उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उक्त चर्चा के दौरान संसद सदस्यों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दें। इस पर अध्यक्ष महोदय ने यह टिप्पणी[2] की:

टिप्पणी: ''...मैं व्यक्तिगत तौर पर यह महसूस करता हूं कि जब एक मंत्री उत्तर देता है तो उसे संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर देना होता है। मैंने देखा भी है कि अधिकांशत: मंत्री सभा में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि प्राय: ऐसा होता है कि मंत्री पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर देने की स्थिति में नहीं होते हैं। कुछ प्रश्न हमेशा छूट जाते हैं। इसके बाद, जब भी प्रश्न छूटते हैं तो सभा के नियमों, विनियमों और प्रक्रिया के अनुसार माननीय संसद सदस्य कुछ अन्य तरीकों से उन मुद्दों को उठाने के हकदार होते हैं... मैंने सभी नियमों का अध्ययन कर लिया है। मैंने पूर्व-उदाहरण भी देखे हैं क्योंकि जब ये प्रश्न सभा में उठाए गए थे तो मेरे विचार से यह देखना मेरा कर्त्तव्य था कि जिन सदस्यों ने प्रश्न पूछा है उन्हें समुचित उत्तर दिया जाए और अन्य सदस्यों को भी वह सूचना मिल जाए। मुझे ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला कि किन्हीं प्रश्नों का उत्तर छूट जाने पर किसी मंत्री को उनके उत्तर देने के लिए पुन: बुलाया गया हो। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और आप सभी इस बात को जानते हैं कि मैं इस सभा की कार्यवाही के संचालन में नियमों से बंधा हुआ हूं।

मान लीजिए कि कोई माननीय संसद सदस्य कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं और यदि नियमानुसार उन्हें प्रश्न पूछे जाने की अनुमति दे दी जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है... यदि कोई भी संसद सदस्य कोई जानकारी चाहता है तो वह मंत्री महोदय को लिख सकता है और मंत्री हमेशा उन्हें उसका उत्तर दे सकते हैं।

मेरे विचार से इससे अधिक और कुछ नहीं किया जा सकता। ये मेरी टिप्पणियां हैं। यह मेरा विनिर्णय नहीं है।''

57. कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में राज्य मंत्री द्वारा उत्तर दिया जाना

संदर्भ: दिनांक 31 जुलाई 2002 को जब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री ए. राजा तारांकित प्रश्न सं. 242 का उत्तर देने के लिए उठे तो कई सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि प्रश्न काल के दौरान उत्तर देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को सभा में उपस्थित रहना चाहिए। इस पर अध्यक्ष महोदय ने यह टिप्पणी[3] की:

टिप्पणी: ''वे सभी इस नियम से अवगत हैं कि राज्य मंत्री भी कैबिनेट मंत्री की ओर से उत्तर दे सकते हैं... यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि उपमंत्री अथवा राज्यमंत्री उपस्थित रह सकते हैं। मंत्री अथवा राज्य मंत्री जब कभी आवश्यक समझें तो अनुपूरक प्रश्नों के माध्यम से उठाए गए कुछ बिन्दुओं के स्पष्टीकरण के लिए हस्तक्षेप कर सकते हैं। अत: यदि जरूरी हो तो मंत्री भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। किंतु राज्य मंत्री उत्तर देने के हकदार हैं। अत: उन्हें उत्तर देने दीजिए।''

[2] लोक सभा वाद-विवाद, 26 जुलाई 2002

[3] लोक सभा वाद-विवाद, 31 जुलाई 2002

58. सदस्यों का आचरण

संदर्भ: 5 अगस्त 2002 को कई सदस्यों ने पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस बिक्री केन्द्रों के आबंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामला उठाया जिसके फलस्वरूप निरन्तर व्यवधान होने के कारण सभा को स्थगित करना पड़ा। दिनांक 6, 7, 8 और 9 अगस्त 2002 को भी इसी मुद्दे पर निरन्तर व्यवधानों के कारण सभा को स्थगित करना पड़ा।

12 अगस्त 2002 को प्रात: 11 बजे सभा के समवेत होने के साथ ही गई सदस्यों ने देश में पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस बिक्री केन्द्रों के आबंटन में कथित अनियमितताओं के मुद्दे को दोहराते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, श्री राम नाईक के इस्तीफे की मांग की। निरन्तर व्यवधानों के बीच अध्यक्ष महोदय ने यह टिप्पणी[4] की:

टिप्पणी: "माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि वर्तमान सत्र के प्रारंभ होने पर मैंने अपनी आरंभिक टिप्पणी में सभा की कार्यवाही का सुचारू और सुव्यवस्थित ढंग से संचालन सुनिश्चित करने के लिए आत्मसंयम और नियमों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने पर बल दिया था। मैंने यह भी आश्वासन दिया था कि यह मेरा सच्चा प्रयास होगा कि माननीय सदस्यों को सभा में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हों।

... दुर्भाग्यवश देश में पेट्रोल पम्पों के आबंटन के मुद्दे पर 5 अगस्त 2002 को सभा में विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई ... तब से सभा अपनी कोई कार्यवाही सुव्यवस्थित ढंग से नहीं चला पाई।

... मैंने दलों के नेताओं तथा संसदीय कार्य मंत्री के साथ बैठक कर गतिरोध को दूर करने का प्रयास किया। मैंने सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेताओं से अनुरोध भी किया कि वे एक साथ बैठकर इस समस्या का कोई ऐसा समाधान ढूंढे जो सभी को मान्य हो। तथापि, लगता है कि नेताओं द्वारा ऐसा कोई समाधान नहीं खोजा जा सका है।

जैसा कि सभा को इस बात की जानकारी है मैंने किसी भी संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत सभा में इस मुद्दे पर चर्चा करवाने की बार-बार अपनी मंशा जाहिर की। तथापि, प्रमुख विपक्षी दलों का यह विचार था कि जब तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक उनके लिए सभा के सुचारू कार्यकरण में सहयोग प्रदान करना संभव नहीं होगा।

मैं इस रुख के बारे में टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं। तथापि, बिना कोई कार्य किए सभा की कार्यवाही रोज-रोज स्थगित होते रहने के कारण हुई राष्ट्रीय हानि के प्रति में चिन्तित हूं। इस स्थिति में मेरे पास केवल दो ही विकल्प बचते हैं।

... या तो मैं 14 अगस्त तक दो और दिनों के लिए सभा की बैठक के आयोजन की औपचारिकता निभाता रहूं और बगैर किसी कार्यनिष्पादन के दोनों दिन सभा की बैठक स्थगित कर दूं।

... एक अन्य विकल्प के रूप में मैं सभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर सकता हूं ताकि सदस्यगण अपने निर्वाचन-क्षेत्रों में जाकर कुछ रचनात्मक कार्य कर सकें।

[4] लोक सभा वाद-विवाद, 12 अगस्त 2002

जब इस तरह से सभा को चलाना बिल्कुल असंभव हो गया है तो मैं इस आशा से सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करता हूं कि अंतरसत्रावधि में हम सभी इस बात पर गहन चिंतन करें ताकि यह मुद्दा अगले सत्र में न उठे और शीतकालीन सत्र में हम अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ एकत्र हों।''

59. सदस्यों द्वारा सभा की गरिमा बनाए रखना

संदर्भ: 20 नवम्बर 2002 को प्रात: लगभग 11.05 बजे समाजवादी पार्टी के सदस्य सभा के बीचोबीच आये और उत्तर प्रदेश की कतिपय घटनाओं से संबंधित मुद्दा उठाने लगे। इन व्यवधानों के बीच एक सदस्य, धमकी भरे अंदाज में श्री राशिद अलवी की ओर बढ़े। बाद में उसी दिन प्रश्नकाल के पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित टिप्पणी[5] की:

टिप्पणी: ''माननीय सदस्यो, जैसा कि आप जानते हैं, आज जब कुछ सदस्य उत्तर प्रदेश का मुद्दा उठाने का प्रयास कर रहे थे तो एक सदस्य, धमकी भरे अंदाज में माननीय सदस्य, श्री राशिद अलवी की ओर बढ़े। संबंधित सदस्य ने ऐसा व्यवहार न केवल पूरी सभा, अपितु विदेशों से आए गण्यमान्य अतिथियों की उपस्थिति में भी किया जिससे सभा की गरिमा को ठेस पहुंची है। अत: मैं उनके इस व्यवहार की घोर निंदा करता हूं और उन्हें चेतावनी देता हूं कि वह भविष्य में उचित रूप से व्यवहार करें ताकि सभा की गरिमा बनी रहे। मैं आज के कार्यवाही वृत्तांत का भी अवलोकन करूंगा और उसमें वे सभी टिप्पणियां हटा दी जायेंगी जो असंसदीय हैं तथा दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली हैं।''

60. अध्यक्ष महोदय द्वारा जांच के लिए संसदीय समिति का गठन

संदर्भ: नई दिल्ली में 9 दिसम्बर 2002 को संसद सदस्य, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पर हुए हमले के संबंध में दिनांक 10 दिसम्बर 2002 को सभा में विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा की गई मांग के प्रत्युत्तर में अध्यक्ष महोदय ने इस घटना की जांच के लिए श्री विजय कुमार मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक 15 सदस्यीय समिति गठित की। उसी दिन बाद में अध्यक्ष महोदय ने यह टिप्पणी[6] की:

टिप्पणी: ''मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा और सम्मान की निश्चित रूप से रक्षा की जाएगी और उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। समिति गठित की गयी है तथा यह अनुरोध किया गया है कि समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के लिए एक विशेष समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। मैं यह घोषणा करता हूं कि समिति निश्चित रूप से अपना प्रतिवेदन इस सभा में अगले पन्द्रह दिनों में अथवा इस सत्र के समाप्त होने से पहले प्रस्तुत करेगी। समिति इस बीच अंतरिम रिपोर्ट दे सकती है। माननीय गृह मंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि यदि अगले 24 घंटे के दौरान अंतरिम रिपोर्ट आ जाती है तो वह अंतरिम रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि समिति तुरंत कार्य करना प्रारंभ करे, अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत

[5] लोक सभा वाद-विवाद, 20 नवम्बर 2002

[6] लोक सभा वाद-विवाद, 10 दिसम्बर 2002

करें तथा यदि वे किसी विशेष अधिकारी को उत्तरदायी मानते हुए उसके निलंबन की सिफारिश करते हैं तो माननीय गृह मंत्री जी तत्काल तत्संबंधी कार्रवाई करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सभा को यह बताना चाहता हूं कि मैं अध्यक्ष के उत्तरदायित्व को समझता हूं और अध्यक्ष का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह इस मामले को काफी गंभीरता से ले। सर्वोत्तम प्रक्रिया तो यह होती कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया होता। श्री डी.पी. यादव ने श्री कौशिक का दृष्टांत उद्धृत किया था जिसे मैंने पढ़ा है। विशेषाधिकार समिति का निर्णय और अधिक प्रभावी हुआ होता। परन्तु अब चूंकि समिति गठित की जा चुकी है, मैं समिति से अनुरोध करता हूं कि वह तत्काल अपनी बैठक करें तथा इस मामले में कार्रवाई करें।''

61. किसी मंत्री द्वारा अपूर्ण अथवा गलत जानकारी दिया जाना विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं बनता

संदर्भः ''बिहार राज्य हेतु वित्तीय पैकेज के संबंध में सभा को कथित रूप से गुमराह करने के लिए योजना राज्य मंत्री तथा तत्कालीन वित्त और ग्रामीण विकास मंत्रियों के विरुद्ध डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, संसद सदस्य द्वारा 17 मई 2002 को दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना के संदर्भ में अध्यक्ष महोदय ने 11 दिसम्बर 2002 को प्रश्न काल के बाद यह टिप्पणी की[7]:

टिप्पणीः ''यह एक सुस्थापित परम्परा है कि यदि किसी सदस्य अथवा मंत्री द्वारा सभा में कोई वक्तव्य दिया जाता है जिसको कोई अन्य सदस्य असत्य, अधूरा अथवा गलत मानता है तो वह विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं बनता है। विशेषाधिकार का हनन अथवा सभा की अवमानना का मामला बनने के लिए यह सिद्ध किया जाना होता है कि उक्त वक्तव्य न केवल गलत अथवा गुमराह करने वाला था अपितु वह सभी को गुमराह करने के लिए जान-बूझकर दिया गया था। विशेषाधिकार हनन का मामला केवल तभी उठ सकता है जब सदस्य अथवा मंत्री स्वेच्छा से सुविचारित तथा जान-बूझकर गलत तथा झूठा वक्तव्य देता है। इस मामले में मंत्रियों की टिप्पणियों का अवलोकन करने पर मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि मंत्रियों द्वारा सभा को गुमराह नहीं किया गया है, जैसा कि सदस्य ने आरोप लगाया है। तदनुसार, मैंने विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना को अस्वीकृत कर दिया है।''

62. मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्यों में गलती अथवा अशुद्धि इंगित करने की प्रक्रिया

संदर्भः 17 दिसम्बर 2002 को संसद सदस्य, श्रीमती रेणुका चौधरी ने उनके द्वारा 16 अप्रैल 2002 को दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना का मुद्दा उठाया। सदस्य का आरोप था कि भारत सरकार ने केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, हैदराबाद के समक्ष विचाराधीन एक मामले में जो दृष्टिकोण अपनाया, वह 9 मार्च 1994 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2299 के उत्तर के विपरीत था और इससे सभा का विशेषाधिकार भंग हुआ है और सभा की अवमानना हुई है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने यह टिप्पणी[8] की:

---

[7] लोक सभा वाद-विवाद, 11 दिसम्बर 2002

[8] लोक सभा वाद-विवाद, 17 दिसम्बर 2002

टिप्पणी: "श्रीमती रेणुका चौधरी द्वारा दी गई विशेषाधिकार के मामले की सूचनाओं से विशेषाधिकार हनन अथवा सभा की अवमानना नहीं बनती है, क्योंकि उनके द्वारा दी गई सूचनाओं में यह नहीं बताया गया है कि इस सभा का विशेषाधिकार भंग अथवा अवमानना किस प्रकार हुई और किसने ऐसा किया है ... ऐसे मुद्दे अन्य संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से उठाए जा सकते हैं, जैसे निदेश 115 के अंतर्गत सूचना दी जा सकती है, जिसमें मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्यों में गलतियों अथवा अपूर्णता की ओर ध्यान आकर्षित किए जा सकने का प्रावधान है।

वर्तमान परिस्थितियों में श्रीमती रेणुका चौधरी द्वारा दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की चारों सूचनाओं को अस्वीकार करने के अतिरिक्त मेरे पास कोई विकल्प नहीं है।"

63. संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य को समिति से संबंधित मामले पर सभा में बोलने की अनुमति दिया जाना

संदर्भ: दिनांक 20 दिसम्बर 2002 को संयुक्त संसदीय समिति के सभापति द्वारा शेयर बाजार घोटाले के बारे में प्रेस को दिए गए कथित वक्तव्य के बारे में स्पष्टीकरण के दौरान कुछ सदस्यों ने सभा में समिति के सदस्य द्वारा की गई टिप्पणियों पर आपत्ति की। इस पर अध्यक्ष महोदय ने यह टिप्पणी[9] की:

टिप्पणी: पहली बात यह कि, बोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरी बात, मैंने यह सोचा कि मुझे उस सदस्य की बात सुननी चाहिए जिसने समिति के मामले में नहीं बल्कि समिति के सभापति द्वारा दिए गए वक्तव्य के संबंध में नोटिस दिया था। अब उनका मुद्दा उचित है कि नहीं इसका निर्णय तो तभी हो सकता है जब मैं उनकी बात सुनूंगा। यदि मुझे लगा कि यह मुद्दा उठाए जाने योग्य नहीं है तो मैं निश्चित रूप से इसे अस्वीकार कर दूंगा। यदि यह नियमानुसार नहीं होगा तो मुझे ऐसा करने का अधिकार प्राप्त है लेकिन जहां तक नियमों के अनुसार है तो मुझे इस बात की अनुमति देनी होगी। यदि सत्ताधारी दल उनसे सहमत नहीं होगा तो मैं एक सदस्य को बोलने की अनुमति दूंगा और वह इसका विरोध कर सकता है। लेकिन यह मामला संयुक्त संसदीय समिति से संबंधित नहीं लगता है। मेरा प्रश्न यह है कि कई सदस्यों ने 'शून्य काल' हेतु नोटिस दिया है। लगभग 30 से 35 सदस्यों ने 'शून्य काल' के लिए नोटिस दिया है। आज इस सत्र का अंतिम दिन है। यदि आप सभी लोग यह निर्णय ले लें कि आप अपना प्रश्न नहीं उठाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन साथ ही हर व्यक्ति को अपना हाथ नहीं उठाना चाहिए। संयुक्त संसदीय समिति के संबंध में मैं केवल एक ही व्यक्ति को बोलने की अनुमति दूंगा जिसने सूचना दी है और उसके बाद मैं सत्तापक्ष से एक सदस्य को इसका उत्तर देने के लिए अनुमति दूंगा। तत्पश्चात्, हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे बशर्ते आप ऐसा करना चाहें। यदि आप सब इस मामले पर चर्चा करने का निर्णय लेते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब यह बात सभा पर छोड़ी जाती है कि वह क्या करना चाहती है।"

[9] लोक सभा वाद-विवाद, 20 दिसम्बर 2002

64. किसी राज्य विधानमण्डल के सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना को उसी सभा के पीठासीन अधिकारी को सौंपा जाना

संदर्भः 24 अप्रैल 2003 को प्रश्न काल के बाद श्री राम विलास पासवान ने गुजरात के गृह मंत्री के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचनाओं का मामला उठाया जिस पर अध्यक्ष महोदय ने यह टिप्पणी की[10]:

टिप्पणीः "मुझे गुजरात सरकार के गृह मंत्री द्वारा आपके विरुद्ध प्रैस में दिए गए तथाकथित गुमराह करने वाले वक्तव्य के संबंध में, आपकी दिनांक 7 और 24 अप्रैल 2003 की विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जैसा कि आप को ज्ञात है, गुजरात के गृह मंत्री, जिनके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रश्न की सूचनाएं दी गई हैं, गुजरात विधान सभा के सदस्य हैं। यह सुस्थापित परम्परा है कि एक सदन, दूसरे सदन के किसी सदस्य पर अपने अधिकार का दावा या प्रयोग नहीं कर सकता है।

कौल और शकधर के अनुसार, जब संसद के किसी सदस्य द्वारा राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य के विरुद्ध अथवा राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा संसद के किसी सदस्य अथवा दूसरे राज्य के विधानमंडल के सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग अथवा अवमानना की जाती है, तो इस संबंध में परिपाटी यह है कि जब किसी सभा में विशेषाधिकार भंग अथवा अवमानना का ऐसा प्रश्न उठाया जाता है, जिसमें दूसरी सभा का सदस्य अन्तर्ग्रस्त होता है, तो पीठासीन अधिकारी ऐसे मामले को उस विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी के पास भेज देता है जिसका वह सदस्य होता है तथा वह मामले का निपटान उसी प्रकार से करता है जैसे कि वह उसी सभा के सदस्य के विशेषाधिकार भंग का मामला हो।

तदनुसार, मैंने इस मामले को गुजरात विधान सभा के माननीय अध्यक्ष को समुचित कार्यवाही के लिए भेज दिया है और उनसे, इस संबंध में की गई कार्यवाही से हमें सूचित करने के लिए भी कहा गया है।"

65. गलत जानकारी के आधार पर प्रश्न काल के निलम्बन की सूचना गृहीत न किया जाना

संदर्भ : 21 जुलाई 2003 को निधन संबंधी उल्लेख के बाद सर्वश्री प्रियरंजन दासमुंशी, रामजीलाल सुमन, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और श्री जी.एम. बनातवाला ने बाबरी मस्जिद ढहाने के मामले में तीन केन्द्रीय मंत्रियों के विरुद्ध आरोप छोड़ दिए जाने में सी.बी.आई. के कथित दुरुपयोग के बारे में निवेदन किया। उन्होंने यह मांग भी की कि इस मुद्दे पर प्रश्न काल के निलम्बन की उनकी सूचना स्वीकार की जाए। इस पर अध्यक्ष महोदय ने यह टिप्पणी की[11]:

[10] लोक सभा वाद-विवाद, 24 अप्रैल 2003

[11] लोक सभा वाद-विवाद, 21 जुलाई 2003

टिप्पणी : "माननीय सदस्यो, मैंने आज स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं मिलने के तुरंत बाद उन्हें टिप्पणियों के लिए सरकार के पास भेज दिया है। इसके उत्तर में माननीय विधि मंत्री श्री अरुण जेटली ने अभी-अभी मुझे एक पत्र प्रेषित किया है जिसमें उन्होंने यह कहा है:

"अयोध्या मामले में आरोप पत्र के संबंध में सी.बी.आई. और सरकार द्वारा अधिकार के कथित दुरुपयोग के बारे में इस सभा के कई सदस्यों द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं सरकार को प्राप्त हुई हैं।

न्यायालय के विचाराधीन इस मामले की विषयवस्तु की जांच करने के अलावा सी.बी.आई. ने न तो मामले को कमजोर किया है और न ही किसी अभियुक्त के विरुद्ध कोई आरोप छोड़ा है। रायबरेली वाले आरोप-पत्र में धारा 120ख का कोई आरोप ही नहीं था अत: इसे छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता।"

चूंकि सरकार ने यह मामला छोड़ा नहीं है, अत: सदस्यों के पास उपलब्ध सूचना सही नहीं है, अत: मैं प्रश्न काल के निलम्बन के लिए सहमत नहीं हूं।"

66. जब तक सरकार समाचारों की सत्यता स्वीकार न कर ले, उन्हें स्थगन प्रस्ताव के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत नहीं माना जा सकता

संदर्भ: 23 जुलाई 2003 को प्रश्नकाल के पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कुछ केन्द्रीय मंत्रियों के खिलाफ लगाए गए आरोप कथित रूप से वापस लेने के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं की ग्राह्यता के बारे में निवेदन करने की अनुमति दी। तदनुसार, सर्वश्री प्रियरंजन दासमुंशी, विजय कुमार मल्होत्रा, सोमनाथ चटर्जी, रामजीलाल सुमन, राम विलास पासवान, अजय चक्रवर्ती, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, सुदीप बंद्योपाध्याय, जी.एम. बनातवाला, अनिल बसु, विधि और न्याय मंत्री अरुण जेटली तथा संसदीय कार्य मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने निवेदन किया। इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित विनिर्णय दिया[12]:

विनिर्णय: "माननीय सदस्यो, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 58 में यह उपबंध है कि सभा के स्थगन का प्रस्ताव "हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय जिसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की हो, तक सीमित रहेगा।" इस नियम में यह भी उपबंध है कि "प्रस्ताव किसी ऐसे विषय के संबंध में नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णयन के अंतर्गत हो।"

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि किसी स्थगन प्रस्ताव के द्वारा उठाए जाने वाला मामला अन्य बातों के साथ-साथ निश्चित विषय पर होना चाहिए, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला होना चाहिए, यह हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय से संबंधित होना चाहिए और यह तथ्यात्मक आधार पर होना चाहिए।

---

[12] लोक सभा वाद-विवाद, 23 जुलाई 2003

कौल और शकधर ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि "किसी स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर केवल इस आधार पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि वह समाचार-पत्रों में छपे किसी समाचार पर आधारित है, तथापि अध्यक्ष द्वारा उस प्रस्ताव को और अधिक तथ्य उपलब्ध होने के बाद ही स्वीकार किया जाना चाहिए। जब तक सरकार समाचारों की सत्यता स्वीकार न कर ले तब तक उन्हें स्थगन प्रस्ताव के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत नहीं माना जा सकता...। ऐसे विषयों के संबंध में स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता जिनके तथ्यों पर विवाद हो या जिनके तथ्य उपलब्ध न हों। जब सरकार स्थगन प्रस्ताव की सूचना में बताए गए तथ्यों की सत्यता से इनकार करती है, तो अध्यक्ष तथ्यों के संबंध में सरकार की बात को स्वीकार कर लेता है।"

माननीय सदस्यों द्वारा आज दी गई सूचनाएं, निःसंदेह हाल ही में घटित विशिष्ट विषय से संबंधित हैं जिसमें भारत सरकार की जिम्मेदारी निहित है। ये सूचनाएं प्रेस रिपोर्टों पर आधारित हैं। इसी विषय पर 21 जुलाई 2003 को प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को मैंने तथ्यों के लिए सरकार को भेज दिया था और चूंकि सरकार ने इन सूचनाओं के तथ्यों के आधार पर आपत्ति की थी, इसलिए मैंने उन्हें अस्वीकार कर दिया था। आज प्राप्त हुई स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को भी मैंने सरकार को तथ्यों के लिए भेज दिया है। सरकार की टिप्पणी की प्रतीक्षा है।

मैंने विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी अभी-अभी सुना है।

विपक्ष का, संक्षेप में, यह कहना है कि कुछ केन्द्रीय मंत्रियों और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध रायबरेली न्यायालय में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दायर किए गए आरोप-पत्र में षड्यंत्र के आरोप को हटा दिया गया है। सरकार ने इस मुद्दे पर आपत्ति की है।

यह सच है कि यह मामला इस समय रायबरेली न्यायालय के समक्ष लम्बित है और आरोप तय करने के संबंध में तर्क सुने जा रहे हैं। विशिष्ट अपराधों के अंतर्गत आरोपों को तय करने के मुद्दे के बारे में निर्णय न्यायालय द्वारा लिया जाएगा न कि इस सभा द्वारा। यदि सभा में स्थगन प्रस्ताव के रूप में इस विषय पर चर्चा होती है और सभा द्वारा किसी निर्णय पर पहुंचा जाता है तो इससे न्यायालय के प्रभावित होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

जैसाकि मैंने कहा है कि सरकार ने उन तथ्यों, जिन पर सूचनाएं आधारित हैं, पर आपत्ति जताई है। मेरे पूर्ववर्ती विद्वान अध्यक्षों ने अनेक विनिर्णय दिए हैं जहां स्थगन प्रस्ताव में दिए गए तथ्यों पर सरकार द्वारा आपत्ति किए जाने पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया गया।

अतः मैं स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं को अस्वीकृत करता हूं।

तथापि, यदि सभा सहमत हो तथा कार्य मंत्रणा समिति भी सहमत हो तो मैं इस विषय पर अल्पकालिक चर्चा की अनुमति देने के लिए तैयार हूं लेकिन सभा इस मामले में कोई निर्णय नहीं लेगी।

तथापि, जब कभी यह चर्चा की जाती है तो सदस्य इस चर्चा के दौरान कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे इस विषय पर विचार करते समय न्यायालय पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़े।"

तत्पश्चात्, उस दिन के लिए सूचीबद्ध सामान्य कार्य आरंभ किया गया।

67. राज्य सभा के सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना राज्य सभा के सभापति को उपयुक्त कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है

संदर्भ: 13 अगस्त 2003 को प्रश्न काल के पश्चात् श्री जी.एम. बनातवाला ने विधि और न्याय मंत्री, श्री अरुण जेटली पर अयोध्या मुद्दे के संबंध में सभा को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की अपनी सूचना के बारे में निवेदन किया और अध्यक्षपीठ के विनिर्णय की मांग की। इस पर, अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित टिप्पणी की[13]:

टिप्पणी: "मुझे बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में आरोपियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सी.बी.आई. द्वारा हल्का किए जाने के बारे में विधि और न्याय मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा कथित रूप से तथ्यों को दबाने और सदन को गुमराह करने के लिए उनके विरुद्ध श्री जी.एम. बनातवाला और श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

लोक सभा तथा राज्य सभा की विशेषाधिकार समितियों ने 1954 में हुई अपनी संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन में ऐसे मामलों के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की थी जिसमें किसी एक सदन के सदस्य ने कथित रूप से दूसरे सदन के विशेषाधिकार का हनन किया हो। उस प्रक्रिया के अनुसरण में, जब किसी विशेषाधिकार हनन का प्रश्न सदन में उठाया जाता है जिसमें अन्य सदन का सदस्य संलिप्त हो, तो उस सदन का पीठासीन अधिकारी, जिसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया है, उस मामले को उपयुक्त कार्यवाही के लिए दूसरे सदन के पीठासीन अधिकारी को भेज देता है।

इस प्रकार भेजे गए मामले पर, दूसरे सदन का पीठासीन अधिकारी इस मामले का निपटान उसी प्रकार करेगा जैसे कि यह उसी सदन के विशेषाधिकार भंग का मामला हो। तत्पश्चात् पीठासीन अधिकारी उस सदन के पीठासीन अधिकारी को, जिसमें विशेषाधिकार का प्रश्न मूलरूप से उठाया गया था, जांच के बारे में रिपोर्ट, यदि कोई हो, और संदर्भित मामले पर की गयी कार्यवाही से अवगत करायेगा।

लोक सभा तथा राज्य सभा की विशेषाधिकार समितियों की संयुक्त बैठक का प्रतिवेदन 23 अगस्त 1954 को दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया था। यह प्रतिवेदन लोक सभा द्वारा 2 दिसम्बर 1954 को तथा राज्य सभा द्वारा 6 दिसम्बर, 1954 को स्वीकृत किया गया था।

यह मामला 1955 में आयोजित 'भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन' के समक्ष आया, जिसने इस मामले की जांच करने के लिए अध्यक्षों की एक समिति नियुक्त की। भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन द्वारा 17 सितम्बर 1956 को अध्यक्षों की समिति के प्रतिवेदन को स्वीकृत किया गया। प्रतिवेदन में ऐसे मामलों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गयी।

---

[13] लोक सभा वाद-विवाद, 13 अगस्त 2003

समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह टिप्पणी की कि '... एक ऐसी परिपाटी विकसित की जानी चाहिए कि जब किसी भी विधानमंडल में विशेषाधिकार भंग का कोई ऐसा प्रश्न उठाया जाए जिसमें दूसरे विधानमंडल का कोई सदस्य संलिप्त हो, तो पीठासीन अधिकारी उस विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी को यह मामला भेजेगा जिसका वह सदस्य हो और दूसरा पीठासीन अधिकारी इस मामले का निपटान ठीक उसी प्रकार करेगा जैसे कि यह उसी सदन के विशेषाधिकार भंग का मामला हो।'

ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राज्य सभा के सदस्यों के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न राज्य सभा के सभापति को भेजे गए।

हाल ही में, श्री पवन कुमार बंसल, सांसद द्वारा तत्कालीन विनिवेश राज्य मंत्री तथा राज्य सभा के सदस्य श्री अरुण शौरी के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्ष श्री जी.एम.सी. बालयोगी द्वारा 30 अगस्त 2001 को राज्य सभा के माननीय सभापति को भेजी गयी थी।

ऐसे भी कई उदाहरण हैं जहां राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार के प्रश्न सम्बंधित राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों को भेजे गए।

मैंने 23 अप्रैल 2003 को, श्री रामविलास पासवान, सांसद द्वारा गुजरात सरकार के गृह मंत्री के विरुद्ध दिनांक 7 अप्रैल 2003 को दी गयी विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना सम्बन्धी मामले को उपयुक्त कार्यवाही के लिए गुजरात विधान सभा के माननीय अध्यक्ष को भेज दिया था। ऐसे भी कई उदाहरण हैं जहां राज्य के विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा लोक सभा के सदस्यों के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचनाएं लोक सभा अध्यक्ष को भेजी गईं।

वर्तमान मामले में, मैंने श्री अरुण जेटली से उनकी टिप्पणियां भी मांगी हैं। दोनों पक्षों द्वारा मुझे मुहैया करायी गयी सामग्री पर विचार करने के पश्चात् मैंने महसूस किया कि इस मामले में और आगे जांच किए जाने की आवश्यकता है।

चूंकि, श्री अरुण जेटली राज्य सभा के सदस्य हैं, इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि यदि इस मामले पर राज्य सभा के माननीय सभापति विचार करें तो उचित होगा। इसलिए मैंने इस मामले को उपयुक्त कार्यवाही के लिए 1 अगस्त 2003 को राज्य सभा के माननीय सभापति के पास भेज दिया है।''

68. सभा की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले आरोपों को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाला जाना

संदर्भ : 19 अगस्त 2003 को मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते समय श्री प्रभुनाथ सिंह ने विपक्ष की नेता, श्रीमती सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी, आदि के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये थे। इस पर, व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए श्री शिवराज वि. पाटील ने कहा कि नियम 352 और 353 के अधीन, किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध तब तक मानहानिकारक या उसी प्रकृति के अन्य आरोप नहीं लगाये जाने चाहिए जब तक कि उसने पर्याप्त अग्रिम सूचना न दी हो और अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त न की हो। उन्होंने अनुरोध किया कि

श्री प्रभुनाथ सिंह द्वारा लगाये गये आरोपों को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाये। श्री शिवराज वि. पाटील द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न के बारे में विधि और न्याय मंत्री श्री अरुण जेटली, श्री प्रियरंजन दासमुंशी और श्री विजय कुमार मल्होत्रा ने भी निवेदन किया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने टिप्पणी की[14]:

टिप्पणी : "माननीय सदस्यो, नियम 352(दो) में व्यवस्था है कि कोई सदस्य बोलते समय सभा के किसी अन्य सदस्य पर कोई निहित स्वार्थ हेतु लांछन लगाते हुए अभिकथन नहीं करेगा या उसकी सद्भावना पर संदेह व्यक्त करके उस पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाएगा जब तक कि ऐसा करना विचाराधीन प्रश्न या सुसंगत होने के कारण वाद-विवाद के प्रयोजन के लिए अनिवार्यतः आवश्यक न हो। इसलिए पहली शर्त यह है कि क्या यह सुसंगत है अथवा नहीं। यदि माननीय सदस्य पूरी बात की जांच करना चाहते है तो इसकी मांग उन्हें तटस्थ रूप से करनी चाहिए और कोई पक्ष लिए बिना करनी चाहिए। नियम 353, जिसे श्री अरुण जेटली ने भी उद्धृत किया है, में यह उपबंध किया गया है कि किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को भी पर्याप्त अग्रिम सूचना न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके। इसलिए यह आवश्यक है कि सूचना अग्रिम दी जानी चाहिए तथा सूचना मुझे दे दी गई है।

श्री बसुदेव आचार्य कृपया याद रखें कि सूचना उन दोनों ने दी है। मुझे उत्तर के प्रयोजनार्थ उनसे और इस पक्ष से भी सूचना प्राप्त हुई है। नियम 353 के परन्तुक में उपबंध किया गया है कि अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से रोक सकेगा बशर्ते उसकी यह राय हो कि ऐसा आरोप सभा की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोकहित सिद्ध नहीं होता।

माननीय सदस्यो, इस बात का भी ध्यान रहे कि इस सभा के सभी सदस्यों की अपनी गरिमा है तथा प्रत्येक सदस्य को सभा में सभी सदस्यों की गरिमा बनाए रखने की तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक व्यापक जनहित का कोई और विषय प्रभावित न होता हो।

मैं आश्वस्त हूं कि दोनों पक्षों द्वारा लगाए गए आरोप वाद-विवाद के प्रयोजनार्थ न तो आवश्यक है और न ही वे इस सभा में हो रही चर्चा से संबंधित हैं। इन आरोपों का मामला सभा में विचाराधीन मुद्दे का मामला नहीं है।

मैं आश्वस्त हूं कि इन आरोपों को लगाने से कोई लोकहित सिद्ध नहीं होगा। उपर्युक्त के मद्देनजर मैं निदेश देता हूं कि चूंकि आरोप लगाने वाली बातें इस सभा की गरिमा को प्रभावित करेंगी, अतएव उन्हें कार्यवाही-वृत्तांत से निकाला जा सकता है। मैं कार्यवाही-वृत्तांत को पढ़ूंगा और तत्पश्चात् मैं निर्णय लूंगा कि उन्हें कार्यवाही-वृत्तांत में रहने दिया जाए अथवा उन्हें निकाल दिया जाए।

इसलिए, श्री प्रभुनाथ सिंह, आप स्वयं द्वारा लगाए गए आरोपों के अलावा अन्य संगत विषयों पर बात कर सकते हैं।"

[14] लोक सभा वाद-विवाद, 19 अगस्त 2003

69. सदस्यों को सहयोग करना चाहिए और उन्हें अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधियों के रूप में ही नहीं वरन् राष्ट्र के प्रतिनिधियों के रूप में भी कार्य करना चाहिए

संदर्भ: 5 दिसम्बर, 2003 को नियम 193 के अधीन 'रेलवे की भर्ती नीति के कारण असम और देश के कुछ अन्य भागों में हाल ही में हुई हिंसा की घटनाएं' विषय पर चर्चा आरंभ करने से पहले अध्यक्ष महोदय ने टिप्पणी की[15]:-

टिप्पणी: "अब हम आज की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध विषय को चर्चा के लिए ले रहे हैं जिसकी शुरूआत श्री बसुदेव आचार्य जी करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं कुछ टिप्पणियां करना चाहूंगा।

माननीय सदस्यो, रेलवे की भर्ती नीति के कारण असम और देश के कुछ अन्य भागों में हुई हाल की घटनाएं, एक संवेदनशील मुद्दा है और इस पर विषयपरक तथा बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में बहस की जानी चाहिए। जब ऐसे मामलों पर सभा में वस्तुनिष्ठ तरीके से बहस होती है तो लोक प्रतिनिधियों के सामूहिक विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से राष्ट्र को एक निश्चित संदेश जाता है।

अतएव, मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि क्षेत्रीयता और दलीय विचारों से ऊपर उठकर इस मामले पर सकारात्मक और रचनात्मक बहस की जानी चाहिए ताकि बहस के अंत में इस सभा से यह संदेश जाए कि न केवल यह सभा बल्कि संपूर्ण राष्ट्र इस व्यर्थ की हिंसा के खिलाफ एक है।

आज, मैं बड़े उत्तरदायित्व के साथ यह वक्तव्य दे रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि सभा में इस मामले पर शालीनता से बहस होनी चाहिए। पार्टी नेताओं की बैठक में यह भी सुझाव दिया गया था कि चूंकि राष्ट्र की एकता किसी अन्य मामले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, अत: हमें बहस के अंत में एक ऐसा संकल्प लाना चाहिए जोकि पूरे राष्ट्र में यह संदेश प्रेषित करे कि ऐसे मुद्दों पर हम सब एक हैं।

अत:, मेरा उन सभी माननीय सदस्यों, जोकि इस विषय पर आज बोलने जा रहे हैं, से आग्रह है कि यह सारी बहस मर्यादित तरीके से होनी चाहिए और हमें देश में एक उचित संदेश प्रेषित करना चाहिए ताकि देश के किसी अन्य भाग में और हिंसा की घटनाएं न हों। मैं आशा करता हूं कि सदस्य इसमें सहयोग करेंगे और अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधियों के रूप में ही नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रतिनिधियों के रूप में भी निश्चित रूप से कार्य करेंगे।"

70. जब तक सरकार समाचारों की सत्यता स्वीकार न कर ले, उन्हें स्थगन प्रस्ताव के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत नहीं माना जा सकता

संदर्भ: माननीय अध्यक्ष महोदय ने 5 दिसम्बर 2003 को प्रश्नकाल के पश्चात् निम्नलिखित विनिर्णय दिया[16]:-

---

[15] लोक सभा वाद-विवाद, 5 दिसम्बर 2003

[16] लोक सभा वाद-विवाद, 5 दिसम्बर 2003

विनिर्णय: "माननीय सदस्यो, जैसा कि आप जानते हैं कि कल कुछ माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के माध्यम से एक पूर्व केन्द्रीय मंत्री के घूस लेने के मामले में कथित रूप से शामिल होने तथा सरकार के कुछ मंत्रियों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कथित दुरूपयोग किए जाने संबंधी मामले उठाए थे। मैंने इस विषय पर कुछ माननीय सदस्यों और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को भी सुना था।

जहां तक एक पूर्व केन्द्रीय मंत्री के घूस लेने के मामले में कथित रूप से शामिल होने का संबंध है, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि 3 दिसम्बर 2003 को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में अनेक माननीय सदस्यों ने इच्छा व्यक्त की थी कि इस मामले पर प्रधानमंत्री सभा में वक्तव्य दें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि सभा, प्रधानमंत्री के वक्तव्य, जो वह अपनी विदेश यात्रा से वापसी के बाद दे सकते हैं, संबंधी इस मामले पर चर्चा कर सकती है।

इसलिए, मैंने इस मामले को, सरकार के कुछ मंत्रियों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कथित दुरूपयोग संबंधी अन्य मामले से अलग कर दिया है।

जहां तक सरकार के कुछ मंत्रियों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कथित दुरूपयोग के मुद्दे का संबंध है, मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि मैंने नियमों को पढ़ लिया है।"

कौल और शकधर के अनुसार (पृष्ठ 503) किसी स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर केवल इस आधार पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि वह समाचार-पत्रों में छपे किसी समाचार पर आधारित है, तथापि और अधिक तथ्य उपलब्ध होने के बाद ही अध्यक्ष द्वारा उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिए। जब तक सरकार समाचारों की सत्यता स्वीकार न कर ले उन्हें स्थगन प्रस्ताव के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत नहीं माना जा सकता।

चूंकि प्राप्त सूचनाएं प्रेस रिपोर्टों पर आधारित थीं, इसलिए मैंने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से एक तथ्यात्मक टिप्पणी मांगी थी।

यह टिप्पणी प्राप्त हो गयी है। सरकार ने बताया है कि "केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) 16 अक्तूबर 2003 को माननीय प्रधानमंत्री से मिले थे। उस बैठक में, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने विगत एक वर्ष के दौरान आयोग की विभिन्न पहलकदमियों के संबंध में संक्षेप में बताया और सरकारी क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों के मन में सतर्कता के उस अनुचित भय को दूर करने की आवश्यकता पर भी विचार किया, जिसके कारण वे प्राय: स्वयं निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। साथ ही, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने ऐसे विभिन्न उपाय भी सुझाए जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में किए जा सकते हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने कभी भी किसी के नाम का उल्लेख नहीं किया अथवा किसी भी केन्द्रीय मंत्री के बारे में कोई आरोप नहीं लगाया। मंत्रियों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों से धन की मांग करने की कोई शिकायतें नहीं हैं।"

हालांकि, यह विषय सभा में चर्चा करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, फिर भी मैं इस प्रयोजन के लिए समस्त कार्य को स्थगित करना उचित नहीं समझता।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं।"

भाग चार

केन्द्रीय भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री के रूप में दिए गए भाषण

लोक उद्यम—आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भारत के आधार स्तम्भ*

इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के अवसर पर आज प्रातः माननीय प्रधानमंत्री का हमारे बीच होना हमारे लिए सम्मान और गौरव की बात है। मुझे विश्वास है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणास्पद होगी और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हमें प्रोत्साहित करेगी। हमें बदले हुए परिदृश्य में सरकारी उपक्रमों की भूमिका और उनसे सरकार की अपेक्षाओं के बारे में उनके विचार सुनने का सुअवसर प्राप्त होगा। हम उनके मार्गदर्शन के प्रति अत्यधिक आशान्वित हैं।

जबसे मैंने भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय का कार्यभार संभाला है, मैं विभिन्न संयंत्रों का दौरा करता रहा हूं और कर्मचारियों और कामगारों के साथ विचार-विमर्श करता रहा हूं। इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष वे सारी जानकारियां रखना चाहता हूं जो विभिन्न स्तरों पर विचार-विनिमय के दौरान मुझे प्राप्त हुई हैं।

देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में सरकारी उद्यम आधार-स्तंभ सिद्ध हुए हैं। सरकारी क्षेत्र के एककों का स्वतंत्र भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान हैं। इन्होंने बड़े पैमाने पर प्रत्यक्षतः और गैर-सरकारी उद्योगों को प्रोत्साहन देकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। सरकारी क्षेत्र ने अनेक प्रमुख दायित्व निभाए हैं। अपने कर्मचारियों को सुरक्षित रोजगार प्रदान न करा सकने वाले अनेक गैर-सरकारी उद्यमों के मामले में सरकार ने इन हजारों कामगारों के प्रति अपने दायित्व की पहचान की है। इस दायित्व के निर्वाह के लिए इन उपेक्षित गैर-सरकारी उद्यमों को सरकारी क्षेत्र में लेकर हजारों कामगारों को सतत रोजगार दिया गया। इन सब उपलब्धियों के दृष्टिगत आर्थिक संकट के लिए सरकारी उपक्रमों को जिम्मेवार ठहराना कहां तक उचित होगा? क्या यह कहना उचित नहीं होगा कि सरकारी क्षेत्र हमारे देश के आर्थिक विकास का प्रमुख वाहक रहा है? क्या यह कहना उचित नहीं होगा कि सरकारी क्षेत्र हमारी सामाजिक सुरक्षा को गारंटी प्रदान करने वाला रहा है?

सरकारी क्षेत्र में होने वाले घाटे के कारण अक्सर इसकी आलोचना की जाती है। वर्ष 1998-99 में सरकारी क्षेत्र में कुल 235 उपक्रमों में से 127 ने लाभ अर्जित किया और लगभग 106 घाटे में रहे। इन आंकड़ों को यदि अलग से देखें तो निराशा होगी। किन्तु हमें देखना यह है

* लोक उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के सम्मेलन में, नई दिल्ली (1 अप्रैल 2000)

कि गैर-सरकारी क्षेत्र की तुलना में इनकी स्थिति क्या है? क्या गैर-सरकारी क्षेत्र का कार्यनिष्पादन इससे अलग रहा है? इसका उत्तर शायद नकारात्मक होगा? क्या कोई यह कह सकता है कि उत्पाद गुणवत्ता या कुशलता के मामले में सरकार क्षेत्र किसी प्रकार से निजी क्षेत्र से पीछे है? इसलिए मेरा यह मानना है कि कुशलता पर स्वामित्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की तरह ही कुछ सरकारी उपक्रम सक्षम और सफल हैं और कुछ इतने सक्षम और सफल नहीं हैं।

जैसे-जैसे हम नियंत्रित अर्थव्यवस्था से बाजार-संचालित अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ेंगे, हमें और प्रतिस्पर्धी तथा दक्ष बनाने की जरूरत होगी। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को एकाग्र करने तथा हर संभव प्रयत्न करने की जरूरत है। सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के साथ मुलाकातों के दौरान अक्सर मुझे और अधिक स्वायत्तता की मांग सुनाई पड़ती है। मेरे विचार से तो यह औचित्यपूर्ण बात है। तथापि, अधिक जिम्मेदारी व जवाबदेही के साथ ऐसी स्वायत्तता दी जानी चाहिए। मेरा मंत्रालय निश्चित रूप से इस पहलू पर विचार करेगा और इस बारे में जल्दी ही निर्णय लेगा। मेरी राय में, कार्यनिष्पादन में सुधार का तरीका यही है कि अधिक अधिकार जरूर प्रदान किए जाएं, किंतु जिम्मेदारी भी बढ़े और निर्णय भी शीघ्र लिए जाएं।

मुझे लगता है कि विनिवेश और निजीकरण को लेकर कर्मचारियों और श्रमिक वर्ग के मन में चिंता है। मैं उन्हें यह समझाने का प्रयास करता रहा हूं कि विनिवेश का उद्देश्य उनके संगठन को मजबूत करना है। मैंने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया है कि विनिवेश का एक उद्देश्य यह भी है कि उनकी कम्पनी का आधुनिकीकरण हो ताकि वह अर्थक्षम बन सके। दुर्भाग्यवश, आम आदमी कुछ ऐसा सोचता है कि विनिवेश या निजीकरण केवल संसाधन जुटाने की कवायद है। यह गलत सोच दूर की जानी चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री के विचारार्थ यह निवेदन करूंगा कि जहां तक व्यावहारिक हो, किसी कम्पनी के विनिवेश से इकट्ठा धनराशि को उसी इकाई में ही लगा दिया जाना चाहिए। इससे वह कम्पनी स्वयं को आधुनिकीकृत करने, नयी प्रौद्योगिकी अंगीकार करने, आदि में सक्षम हो सकेगी। बदले आर्थिक परिदृश्य के कारण, कुछ कम्पनियों को अपने विविधीकरण की जरूरत है। विनिवेश से प्राप्त धनराशि को विविधीकरण के प्रयोजनार्थ भी प्रयुक्त किया जा सकता है।

मैं विनिवेश तथा निजीकरण को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में उठ रही चिंता पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना को समझ सकता हूं। हालिया दौर में, सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के जेहन में अपनी कम्पनी/इकाई के विनिवेश के संबंध में सरकार की नीति को लेकर अनिश्चितता और व्यग्रता की स्थिति रही है। मुझे लगता है कि इस व्यग्रता के परिणामस्वरूप उनका उत्साह गिर रहा है जो अंततः उनकी दक्षता पर असर डाल रहा है। अतः, इस अनिश्चितता को शीघ्र ही समाप्त किया जाना जरूरी है।

विनिवेश से संबद्ध एक अन्य पहलू को मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारार्थ रखना चाहूंगा। पुरानी कहावत है कि सरकार व्यापार में न पड़े। तथापि, क्या यह कहना सही नहीं है कि सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य रोजगार सृजित करना और उन्हें बनाए रखना है? बेशक, तर्क दिया जा सकता है कि रोजगार तो निजी क्षेत्र भी दे सकता है। लेकिन, तब क्या हो जबकि निजी क्षेत्र किसी कारणवश

ऐसा करने में असमर्थ रह जाए? यदि निजी क्षेत्र में पर्याप्त रोजगार-अवसर उपलब्ध न हो पा रहे हों, तो सरकार रोजगार के अवसर सृजित करने के अपने एक प्राथमिक दायित्व को कैसे पूरा करे? अतः, यह आवश्यक हो जाएगा कि रोजगार-अवसरों के सृजन की दृष्टि से कुछ सरकारी उपक्रमों की स्थिति सुधारने हेतु उनमें निवेश किया जाए।

कतिपय सरकारी उपक्रमों को अर्थक्षम बनाए रखने की दृष्टि से उनका पुनर्गठन आवश्यक हो गया है। श्रमशक्ति का पुनर्गठन भी इसी अभ्यास का एक अंग है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका रोजगार ही समाप्त कर दिया जाएगा। बल्कि इससे तो और अधिक उत्पादनशील, अधिक लाभप्रद और प्रयोजनमूलक रोजगार दिया जा सकता है और दिया जाना भी चाहिए। कर्मचारियों के हितों का हमें विशेष ध्यान है और हर स्थिति में उनकी सुरक्षा की जाएगी। सरकार ने एक नयी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना बनाई है जो पूर्ववर्ती-योजना की अपेक्षा अधिक फायदेमंद और आकर्षक है। इस नयी योजना के अनुसार, लाभार्जक सरकारी उद्यमों के कर्मचारी को प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए, प्रतिपूर्ति के रूप में 60 दिन के वेतन की पेशकश की जाएगी। सीमांत रूप से लाभ कमाने वाली कम्पनियां अथवा घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रम गुजरात सरकार द्वारा विकसित माडल अपना सकते हैं जिसमें और बेहतर सुरक्षा चक्र प्रदान किया गया है। तकनीकी रूप से रुग्ण घोषित उद्यमों को सरकार द्वारा अनुमोदित स्वैच्छिक वियोजन योजना का लाभ दिया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन छंटनी प्रतिपूर्ति की बजाय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के सभी लाभ मिलते हैं। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष अपने वर्तमान रूप में अब नहीं रहेगा। इसका पुनर्गठन किया जा रहा है और इसे लोक उद्यम विभाग को सौंपा जा रहा है। सभी श्रेणी के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ लेने वाले कामगारों के पुनःप्रशिक्षण और पुनःनियोजन हेतु निधियां नियत की जाएंगी ताकि भविष्य में उनके लिए काम और वैकल्पिक रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। अब सुरक्षित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का प्रस्ताव किया जा रहा है। ऐसी भविष्यगामी योजना तैयार की गई है जिसके तहत कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर और अपेक्षाकृत अधिक लाभकारी नियुक्तियों की संभावनाओं का विकल्प दिया जाता है। लोक उद्यम विभाग शीघ्र ही पुनः प्रशिक्षण और पुनः नियुक्ति योजना के प्रभावी संचालन हेतु तौर-तरीके निर्धारित करेगा।

अंत में, मैं यहां उपस्थित सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से अपील करता हूं कि इस दिन के लिए निर्धारित तकनीकी सत्रों के बाद हम प्रधानमंत्री जी को क्रियाविधियों और निर्णयन प्रक्रियाओं में संशोधनों के सुझाव वाला लघु पत्र सौंपे। हम, उनसे यह भी अनुरोध करें कि मात्र पिछले कार्यनिष्पादन के आधार पर ही कोई कार्रवाई न करें और उन्हें स्वस्थ लोक उद्यमों वाले उज्जवल भविष्य का विश्वास दिलाएं। आइए, हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के साथ एक ऐसे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें जिसमें हम कहें कि एक या दो वर्ष की युक्तिसंगत अवधि में हम अपने कार्यनिष्पादन में सुधार करेंगे अन्यथा हम परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं।

72

कार्पोरेट पुनर्गठन—आर्थिक सुधारों का प्रमुख अंग*

मुझे 'कार्पोरेट पुनर्गठन' विषयक विचारगोष्ठी का उद्घाटन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। कार्पोरेट पुनर्गठन किसी भी संगठन में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले परिवर्तनों की पहचान और कार्यान्वयन का महत्वपूर्ण साधन है। आज समूचा विश्व विशेषत: व्यापारिक नियंत्रणों में कमी के कारण विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के पारस्परिक संपर्क के परिणामस्वरूप आर्थिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। इसके परिणामस्वरूप, देश, संस्थाएं, संगठन और उद्योग इस स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न तौर-तरीकों की तलाश कर रहे हैं। अनेक अर्थव्यवस्थाओं में विकास में अग्रणी रहने वाले सरकारी क्षेत्र में गत कुछ वर्षों में बहुत से परिवर्तन आए हैं। सच कहें तो इसे संक्रमण की स्थिति में कहा जा सकता है। लोक उद्यमों संबंधी 'कार्पोरेट पुनर्गठन' विषयक मौजूदा संगोष्ठी कार्पोरेट पुनर्गठन के मूलभूत मुद्दों पर विचार-विनिमय करने और आर्थिक विकास के समग्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित परिवर्तनों हेतु रणनीतियों की पहचान करने के लिए एक उपयोगी मंच के रूप में काम करेगी। भारत में सरकारी क्षेत्र बड़े परिवर्तन की दहलीज पर है। वर्ष 1991 में औद्योगिक और आर्थिक सुधारों, विशेषत: सरकारी क्षेत्र में सुधारों के बाद देश अब अगले चरण के सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए तत्पर है। इनसे देश के सरकारी क्षेत्र के मूलभूत ढांचे और कार्यनिष्पादन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा।

मुझे इस बात की खुशी है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने लोक उद्यमों के कार्पोरेट पुनर्गठन के महत्व को समझा है और यह मेरे मंत्रालय के अधीन लोक उद्यम विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजना का वित्तपोषण कर रहा है। यूएनडीपी परियोजना ने लोक उद्यमों को बचाए रखने और बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की है। यह परियोजना सरकारी उपक्रमों में चल रहे सुधारों का परिष्कार करने के अलावा केन्द्र के सरकारी उपक्रमों के लिए नई नीतिगत पहल निर्धारित करने में अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होगी।

मुझे खुशी है कि इस परियोजना का विस्तार राज्यों के सरकारी उपक्रमों तक है। पूरे देश में राज्य स्तर के सरकारी उपक्रमों की दशा चिंता का विषय है और इसमें सुधार की आवश्यकता है ताकि ये भी राष्ट्र की परिसम्पत्तियां बन सकें। इनके कार्यनिष्पादन में सुधार से राज्य सरकारें घाटे में चलने वाली इकाइयों के वित्तपोषण के बोझ से बचेंगी और इन इकाइयों को लाभकारी इकाइयों में बदल

*'कार्पोरेट पुनर्गठन' संबंधी राष्ट्रीय विचारगोष्ठी के उद्घाटन सत्र के अवसर पर, मुंबई (3 सितम्बर 2001)

सकेंगी। मुझे विश्वास है कि केरल के तीन चुनिंदा सरकारी उपक्रमों का पुनर्गठन संबंधी कार्य अन्य राज्यों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होगा।

प्रथम योजना के आरंभ से ही केन्द्र के सरकारी उपक्रमों का उपयोग आर्थिक और औद्योगिक विकास, क्षेत्रीय विकास संतुलन, रोजगार सृजन, ढांचागत विकास और विकास हेतु संसाधन जुटाने वाले साधनों के रूप में किया गया है। राष्ट्र की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय व्यापक रूप में यह स्वीकार किया गया कि निजी क्षेत्र में राष्ट्र के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे का निर्माण करने के लिए संसाधनों की कमी है। इसलिए, इन सब गतिविधियों के लिए संसाधनों का सृजन किया गया और सरकारी क्षेत्र ने राष्ट्र के औद्योगिक और ढांचागत निर्माण की जिम्मेवारी संभाली। इसमें उपभोक्ता और सेवा क्षेत्रों में सामरिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना और निजी क्षेत्र की रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का अधिग्रहण शामिल था। इस प्रकार, सरकारी उपक्रमों ने वह आधार उपलब्ध कराया जिसे अब निजी क्षेत्र द्वारा विकसित और सुदृढ़ किया जा सकता है।

हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि सरकारी उपक्रमों का कार्य निष्पादन अलग-अलग स्तर का रहा है और इसके विविध कारण हैं। कुछ रुग्ण सरकारी उपक्रमों को सरकार ने मूलत: कामगारों का रोजगार बचाने के लिए अपने अधिकार में लिया था। इनमें से अधिकतर अपनी रुग्णता से उबर नहीं पाए और रुग्ण ही बने रहे। हमारे पास बहुत अच्छा काम करने वाले उपक्रम हैं किंतु उनमें से अधिकतर सरकारी एकाधिकार वाले उपक्रमों के रूप में काम करते हैं। कुछ ऐसे सरकारी उपक्रम हैं जो राष्ट्र का गौरव रहे हैं किंतु अब वे घाटे में चल रहे हैं। सरकारी उद्यमों का कार्यनिष्पादन जैसा भी रहा हो किंतु इन्होंने देश की अच्छी सेवा की है, आधुनिक उद्योग लगाए हैं और नई प्रौद्योगिकियों की शुरूआत और इनका विकास किया है। इन्होंने ऐसे क्षेत्रों में काम किया है जिनमें निजी क्षेत्र का काम नहीं किया और इन्होंने सदैव जनहित में काम किया है।

जिस आर्थिक वातावरण में योजनाकारों ने सरकारी क्षेत्र की नीतियां बनाई थीं अब उसमें परिवर्तन आ चुका है। हम आर्थिक सुधारों और वैश्वीकरण के माध्यम से लाइसेंस प्रणाली की समाप्ति, पाबंदियां हटाए जाने, शुल्कों में कमी, राजसहायता में कमी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में उदारता, आदि के रूप में परिवर्तन देख चुके हैं। इस सबके कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था के तहत, भारत, विश्व बाजार से तेजी से जुड़ रहा है और हम चाहें या न चाहें, प्रतिस्पर्धा का दौर बना ही रहेगा। सरकारी क्षेत्र के कामगारों, श्रमिक संघों और प्रबंधकों को परिदृश्य में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के अनुसार कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत है। घरेलू बाजारों से ही नहीं बल्कि विश्व के सभी भागों से प्रतिस्पर्धा होने के कारण सरकारी उपक्रमों पर अपना कार्यनिष्पादन सुधारने और सतत कार्यक्षमता विकसित करने का दबाव कई गुना बढ़ गया है। वैश्वीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा कड़ी हो गई है और यह एक ही कारक कंपनियों की अर्थक्षमता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। सरकारी उपक्रमों के प्रतिस्पर्धियों के उत्पाद प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने और उनके अति उत्साही विपणन के कारण सरकारी उपक्रमों के उत्पादों की बाजार में हिस्सेदारी लगातार कम हो रही है और इसके परिणामस्वरूप बहुत से सरकारी उपक्रमों का अस्तित्व खतरे में आ गया है।

केन्द्र के लगभग 240 सरकारी उपक्रमों में से आधे से कुछ अधिक उपक्रम लाभ अर्जित कर रहे हैं जबकि शेष घाटे में चल रहे हैं। बदले हुए आर्थिक वातावरण में लाभ अर्जित करने वाले सरकारी उपक्रमों को भी प्रतिस्पर्धा में बने रहने और अपने अस्तित्व को बचाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बहुत कम लाभ अर्जित करने वाले और घाटे में चलने वाले सरकारी उपक्रमों के बारे में कई क्षेत्रों में यह आशा अब तेजी से कम होती जा रही है कि वे प्रतिस्पर्धा में बने रहेंगे और अपनी अर्थक्षमता बरकरार रख पाएंगे। सरकार की नीति सामरिक दृष्टि से कम महत्व वाले सरकारी उपक्रमों से सरकार की हिस्सेदारी का विनिवेश करना है। इसका उद्देश्य नई प्रौद्योगिकी लाना, विदेशी बाजार के लिए पहुंच आसान बनाना और साथ ही प्रबंधकीय विशेषज्ञता लाना है। लम्बे समय तक अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए यह सब महत्वपूर्ण है। इस श्रेणी में आने वाले सरकारी उपक्रमों के प्रबंधकों और कामगारों द्वारा मामले की गंभीरता को समझे जाने और इस परिवर्तन में आवश्यक सहयोग दिए जाने की आवश्यकता है।

भारत एक विशाल देश है और विश्व की जनसंख्या का छठा भाग यहां रहता है। संविधान के तहत सरकार के अनेक दायित्व और कर्त्तव्य हैं। गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य परिचर्या, शिक्षा, पेयजल आपूर्ति और ग्रामीण आवास कुछ प्रमुख सरोकार हैं। इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता है किंतु अपर्याप्त संसाधनों के कारण इस क्षेत्र के लिए पर्याप्त निधियां नियत करने में कठिनाइयां आती रही हैं। सामाजिक क्षेत्र का उत्तरदायित्व मूलत: सरकार के ऊपर है। सरकार सामाजिक क्षेत्र के लिए आबंटन बढ़ाना चाहती है और सरकारी क्षेत्र के लिए बजटीय सहायता समाप्त करना चाहती है। मेरे पास जो आंकड़े हैं उनसे यह ज्ञात होता है कि पिछले नौ वर्षों (1992-93 से 2000-01) में मात्र केन्द्र के सरकारी उपक्रमों को 67,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता प्रदान की गई है। यह तर्क दिया जा सकता है कि इस राशि का उपयोग सामाजिक क्षेत्रों के विकास के लिए किया जा सकता था।

सरकार का दृष्टिकोण सदैव रुग्ण सरकारी उपक्रमों को अर्थक्षम बनाने की सभी संभावनाओं का पता लगाने का रहा है। सरकार ने अर्थक्षम बनाने के कई पैकेज स्वीकृत किए हैं। इकाइयों को बंद करने का विकल्प तभी चुना जाता है जब अन्य सभी विकल्प समाप्त हो जाएं। किंतु, सफलता की ऐसी घटनाएं बहुत कम हैं। प्रबंधकों की ओर से अपेक्षित संगठनात्मक परिवर्तन लाने में असफल होना या आर्थिक वातावरण अथवा ये दोनों पहलू इसका कारण हो सकते हैं। सरकारी उपक्रमों के प्रबंधकों में अक्सर अपने खराब कार्यनिष्पादन का दोष बाहरी वातावरण में ढूंढ़ने की प्रवृत्ति होती है। किंतु यह आधा सच ही है। हमें यह समझना होगा कि वर्तमान परिदृश्य में व्यापारिक वातावरण पर हमारा नियंत्रण बहुत ही कम रह गया है। अत: इस कठिनाई के रहते हमें सर्वोपयुक्त समाधान का पता लगाने और उसे लागू करने की आवश्यकता है।

सरकारी उपक्रमों के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए अनेक उपायों का कार्यान्वयन शुरू किया गया है। इनके परिणाम मिले-जुले रहे हैं। कुछ सरकारी उपक्रमों के प्रबंधनों ने नवरत्न और मिनी रत्न योजनाओं, समझौता ज्ञापन, बोर्डों का व्यावसायीकरण, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, आदि जैसी

नीतिगत पहलों का लाभ उठाया है। कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जिनमें कुछ नवरत्न/मिनी रत्न सरकारी उपक्रमों ने प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन अनेक संयुक्त उद्यम लगाए हैं। इसी प्रकार, कुछ सरकारी उपक्रमों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के माध्यम से अपनी अतिरिक्त श्रमशक्ति को युक्तिसंगत बनाया है तथा अन्य उपाय भी किए हैं और इसके परिणामस्वरूप उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने में मदद मिली है। दुर्भाग्यवश, कुछ अन्य ऐसे सरकारी उपक्रम हैं जो इन सुधारात्मक उपायों का लाभ उठाने में अक्षम रहे हैं। सुधारों की सफलता या असफलता काफी हद तक प्रबंधकों के कार्यनिष्पादन पर निर्भर करती है। प्रतिस्पर्धी बाजार में एक प्रतियोगी के रूप में बने रहने के लिए प्रबंधकों को व्यापारिक वातावरण में तेजी से हो रहे परिवर्तनों से कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता है।

रोजगार सृजन के उद्देश्य को प्राप्त करने के क्रम में अनेक सरकारी उपक्रम अतिरिक्त श्रम शक्ति के बोझ तले दब गए थे। प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप, लाभ में कमी आई है। अतिरिक्त श्रम शक्ति ने सरकारी उपक्रमों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया है। अन्य उपायों के साथ-साथ औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन कार्यवाही या उपक्रमों को बंद किए जाने की स्थिति में अतिरिक्त कामगारों पर आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का प्रस्ताव किया था। इस योजना में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अलावा सरकारी उपक्रमों के प्रबंधकों के पास अतिरिक्त श्रम शक्ति को कम करने के लिए अपने प्रशासनिक मंत्रालयों को सिफारिश भेजने और सेवानिवृत्ति की आयु घटाकर 58 वर्ष करने का विकल्प है। ठेका श्रम के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में भी हाल में अपने समाचारपत्रों में पढ़ा होगा। इससे उत्पादकता में सुधार लाने और सरकारी उपक्रमों को अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने में सहायता मिलनी चाहिए।

तेजी से बदलते आर्थिक वातावरण के संदर्भ में और सामरिक परिवर्तन के लिए सरकारी उपक्रमों के तैयार रहने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आज यहां एकत्र हुए विशिष्टजन इस संगोष्ठी में काफी रुचि लेंगे। मुझे विश्वास है कि यहां सार्थक चर्चा होगी और मैं इस संगोष्ठी में की जाने वाली सिफारिशों को जानने के बारे में उत्सुक हूं।

पूंजीगत माल के सुदृढ़ ढांचे के विकास की अनिवार्यता*

'पूंजीगत माल संबंधी नीति मंच' के बारे में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन एवं वार्षिक सत्र के अवसर पर उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। हाल के वर्षों में उद्योग-जगत में सामान्य रूप से और पूंजीगत माल के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य-निष्पादन के संदर्भ में इस सत्र की महत्ता बढ़ जाती है।

1951 में इस संबंध में आयोजना-प्रक्रिया के प्रारम्भ से ही हमारी औद्योगिक नीति का मूल बिंदु एक मजबूत और सक्रिय इंजीनियरी और पूंजीगत माल क्षेत्र का विकास रहा है। आज, भारत उन चंद विकासशील राष्ट्रों में है जिनके पास अभियांत्रिकी और पूंजीगत माल का मजबूत आधार है और अब उद्योग जगत के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से जटिल तथा अत्याधुनिक मशीनरी तथा उपस्करों के विनिर्माण के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर है।

पिछले दस वर्षों के दौरान, भारत विश्व में दस तीव्रतम गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था वाले देशों में से एक बनकर उभरा है। उदारीकरण का मार्ग अपनाने से पूर्व, लगभग 40 वर्षों तक हम केवल 3.5 प्रतिशत के आसपास की विकास-दर ही प्राप्त कर पा रहे थे। अब हम उच्चतम विकास-दरों के रास्ते पर चल पड़े हैं। तथापि, पिछले दो वर्षों के दौरान औद्योगिक विकास में गिरावट का रुख दिखाई दिया, जिसका मुख्य कारण एक तरफ तो निवेश में कमी, तथा दूसरी ओर उद्योग जगत का नये वातावरण में स्वयं को समायोजित करने में असमर्थ होना था। पूंजीगत माल के विकास की स्थिति अभी भी खराब ही है। अप्रैल-जनवरी, 2001-2002, की अवधि में इसमें गिरावट दर्ज हुई है। मेरी दृष्टि में यह एक अस्थायी दौर है और जैसे-जैसे उद्योग-जगत नये आर्थिक वातावरण के अनुरूप ढलता जाएगा, वैसे-वैसे स्थिति में सुधार होता जाएगा।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में 8 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद विकास-दर का अनुमान लगाया गया है। इसके लिए औद्योगिक क्षेत्र को 10 प्रतिशत से अधिक दर से विकास करने की आवश्यकता होगी। तथापि, नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की औसत विकास दर केवल 7 प्रतिशत के लगभग रही। मुझे बताया गया है कि पूंजीगत माल के मामले में, भारतीय उद्योग परिसंघ ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2001-2002 में कुल उत्पादन 1,26,430 करोड़ रु. से बढ़कर वर्ष

---

* भारतीय उद्योग परिसंघ, द्वारा आयोजित पूंजीगत माल संबंधी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीति मंच के राष्ट्रीय सम्मेलन एवं वार्षिक सत्र के अवसर पर, नई दिल्ली (27 अप्रैल 2002)

2006-2007 में 2,31,912 करोड़ रु. तक पहुंच जाएगा। यह अनुमान 8 प्रतिशत की लक्षित सकल घरेलू उत्पाद विकास-दर के मुकाबले लगभग 13 प्रतिशत की मिश्रित विकास-दर मानकर लगाया गया है।

इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय उद्योग-जगत और विशेषकर पूंजीगत माल क्षेत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रतिस्पर्धा के व्यापक-स्तरों पर घरेलू उद्योग अपनी कितनी पहुंच बनाते हैं। इसके लिए वर्तमान क्षमताओं का पूरा-पूरा उपयोग करने और उपभोक्ता-आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए नई प्रौद्योगिकी व तकनीकों के जरिए उनका पुन: निर्धारण करने हेतु एक व्यापक और संगठित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होगी। एशिया में हमारे पड़ोसी देशों, विशेष रूप से चीन ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान अत्यधिक प्रगति की है। वर्ष 1978 में चीन का व्यापार 78 बिलियन अमरीकी डालर था जो 1997 में बढ़कर 324 बिलियन अमरीकी डालर हो गया, और इसके साथ ही वह विश्व का दसवां सबसे बड़ा व्यापारिक देश बन गया है। आज चीनी उद्योग-जगत उत्कृष्ट गुणवत्ता, वित्त, विपणन के क्षेत्र में नवीनतम प्रबंधकीय व्यवहार, मानव-संसाधन प्रबंधन, इत्यादि के साथ विश्वस्तरीय निर्माणशक्ति का दम भरने लगा है। कुछ समय पूर्व मुझे राष्ट्रपति के शिष्टमण्डल के एक सदस्य के रूप में और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के रूप में भी, चीन जाने का अवसर मिला। मैं उनकी इस बात से काफी प्रभावित हुआ कि वे लोग विश्व में सर्वोत्कृष्ट बनने की आकांक्षा रखते हैं। भारतीय उद्योग अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए संभवत: उनकी कुछ पद्धतियों को अपना सकता है।

भारत को इस बात का फायदा है कि हमारे यहां प्रतिस्पर्धी दरों पर तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध हैं, तथापि, कुल मिलाकर देखो तो हमारी अर्थव्यवस्था और विशेष तौर पर उद्योग इस लाभदायक स्थिति का फायदा नहीं उठा पाए हैं। केवल सूचना-प्रौद्योगिकी तथा अत्यधिक श्रम साध्य उद्योग ही इसका सीमित लाभ उठा पाए हैं। विद्युत, दूरसंचार, सड़क, आदि जैसे क्षेत्रों में अपार अवसर हैं। सड़क संबंधी आधारभूत ढांचा यातायात के दबाव और वाहनों की संख्या से निपटने के लिए बिल्कुल ही अपर्याप्त है। इसी तरह, देश में लगभग 20 मिलियन आवासीय इकाइयों की कमी है। अगले पांच वर्षों में इन क्षेत्रों में 10 लाख करोड़ रु. से अधिक के निवेश की आवश्यकता है। इससे निर्माण-उपकरण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। सरकार आधारभूत ढांचा संबंधी परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने की आवश्यकता के महत्व को समझती है। हम विलम्ब को न्यूनतम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आगे स्थिति में सुधार होगा।

सरकार आधारभूत ढांचा क्षेत्रों के विकास के लिए संसाधन मुहैया कराती रही है। तथापि, बजटीय अवरोध संसाधनों की उपलब्धता को सीमित कर देते हैं। सरकार आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में सरकारी निवेश के पूरक के रूप में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के प्रयास कर रही है। तथापि, निवेश की गति दूरसंचार के क्षेत्र को छोड़कर काफी कम रही है। आधारभूत ढांचे के विकास के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी आकर्षित करने के उद्देश्य से जो कतिपय उपाय किये जाने का विचार है, वे हैं—एक आधारभूत ढांचा क्षेत्र इक्विटी कोष का सृजन, ऋण वित्त पोषण के समन्वय

हेतु एक *संस्थागत तंत्र*, देश में *आधारभूत ढांचो में सुधार करने की दृष्टि से निजी और सरकारी क्षेत्र* की साझेदारी की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना, इत्यादि। सरकार एक सहयोगी की भूमिका में काम करेगी और न केवल आधार ढांचे के क्षेत्र अपितु संपूर्ण विनिर्माण के क्षेत्र के विकास और वृद्धि के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराएगी।

विकासशील देशों की सफलता के इतिवृत्त को देखने से पता चलता है कि केवल निर्यात के जरिए ही उच्च वृद्धि-दर प्राप्त की जा सकती है। अध्ययनों से यह भी पता लगता है कि खुली और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं संकीर्ण अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक तेजी से विकसित होती हैं। नयी विश्व व्यवस्था में आर्थिक विकास, सामाजिक और आर्थिक आधारभूत ढांचे एवं स्वस्थ व्यापारिक माहौल पर आधारित है। इन दोनों सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्तरों पर विशेष आर्थिक क्षेत्रों की परिकल्पना की गई है जिससे निर्यातोन्मुख विकास को आवश्यक गति मिलेगी। जैसाकि आप सभी जानते हैं कि विशेष आर्थिक क्षेत्र वस्तुतः ऐसे विदेशी क्षेत्र हैं जहां पर आयात और निर्यात के लिए न्यूनतम नियम-विनियम लागू होते हैं। केवल कतिपय नीतिगत क्षेत्रों को छोड़कर विशेष आर्थिक क्षेत्रों में सभी विनिर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए, स्वतः शतप्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को मंजूरी दे दी गयी है। मुझे उम्मीद है कि उद्योग देश में विकास की गति तेज करने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे इन उपायों का लाभ उठाएगा।

निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से आटो (वाहन) उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें काफी सम्भावनाएं हैं। नयी आटो नीति की घोषणा के साथ ही इस क्षेत्र को और अधिक उदार बना दिया गया है और भारत में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा आटो उद्योग के प्रोत्साहन का लक्ष्य लेकर तथा इसे विश्वस्तरीय आटो कलपुर्जों के एक प्रमुख निर्माता एवं छोटी कारों के विनिर्माण के एक अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र (हब) के रूप में विकसित करते हुए, यह उद्योग एक बड़ी छलांग लगाने को तैयार है। सरकार आटो क्षेत्र के बारे में नये उत्सर्जन तथा सुरक्षा-मानकों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न केंद्रों पर परीक्षण-सुविधाएं देकर सहयोगकर्त्ता के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है।

मुझे शुल्क मुक्त आयात (जीरो ड्यूटी इम्पोर्ट) के मुद्दे पर कई अभ्यावेदन मिले हैं। उर्वरक, विद्युत आदि कुछ क्षेत्रों के मामले में पूंजीगत सामान के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति के मुद्दे पर मेरा मंत्रालय वित्त मंत्रालय के संपर्क में है। प्रमुख क्षेत्रों में लगाई जा रही परियोजनाओं की लागत के बारे में सरकार की चिंता को देखते हुए इस मुद्दे की जटिलता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। साथ ही, सरकार पूंजीगत माल क्षेत्र के विकास और वृद्धि के बारे में भी सचेत है। जैसाकि आपको मालूम है इस मुद्दे पर शीर्ष स्तरों पर ध्यान दिया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इस बातचीत से कोई सकारात्मक हल निकलेगा। इसी तरह, कच्चे माल पर भी आयात शुल्क घटाने की लगातार मांग की जाती रही है। कुछ विसंगतियों पर ध्यान दिया गया है। आपको विदित ही होगा कि श्रम-सुधारों के बारे में, सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा ठेका-श्रमिक कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है। संशोधन-विधेयकों को शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

मैं आयोजकों, भारतीय उद्योग परिसंघ के पदाधिकारियों—श्री गोयनका, श्री मजूमदार और इस सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य प्रतिभागियों का आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं।

भारतीय आटोमोबाइल उद्योग—वैश्वीकरण की चुनौतियों से रूबरू*

"वैश्वीकरण और इसके प्रभाव: एशियन आटोमोबाइल उद्योग पर फोकस" विषय पर भारतीय आटोमोबाइल विनिर्माता सोसाइटी के तीसरे वार्षिक सम्मेलन के अवसर पर आज यहां उपस्थित होकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले, मैं आज के सम्मेलन के लिए बहुत ही उपयुक्त विषय चुनने के लिए भारतीय आटोमोबाइल विनिर्माता सोसाइटी को बधाई देता हूं। आज वैश्वीकरण, बाजार सुलभता, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.), आदि प्रचलित शब्द बन गए हैं। आज जब हमने मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिए हैं, इस सम्मेलन का आयोजन और भी प्रासंगिक बन गया है।

यदि हम भारत में आटोमोबाइल उद्योग के इतिहास पर नजर डालें तो हमें गर्व होता है। हमारा यह उद्योग दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के सबसे पुराने आटोमोटिव उद्योगों में से है और हमने पहली यात्री कार 1940 के दशक के प्रारम्भ में ही बना ली थी। भारतीय उद्योग के कुछ दिग्गज टाटा, बिड़ला, बजाज और महिन्द्रा सभी इसी क्षेत्र से हैं और इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में विशाल सुविधाओं का सृजन करके देश का नाम रोशन किया है। उनकी कम्पनियों और ऐसी ही अनेक कम्पनियों ने देश में अनुसंधान और विकास सुविधाओं का सृजन करने के लिए विगत वर्षों में बड़ी धनराशि का निवेश किया है।

आप सबको ज्ञात ही होगा, हाल के वर्षों में भारतीय आटोमोबाइल उद्योग में भारी उतार-चढ़ाव आया है। इस उद्योग में वर्ष 1998 में वृद्धि दर लगभग तीन प्रतिशत थी जो वर्ष 1999 में 15 प्रतिशत तक पहुंच गयी। कड़े उत्सर्जन मानदंडों और इनके फलस्वरूप कीमतों में हुई वृद्धि जैसी कुछ घटनाओं से वर्ष 2000 में इसमें पुन: कमी आई। इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वर्ष 2001 में कई बड़ी वित्तीय रियायतों की घोषणा की। सरकार इस तथ्य से पूरी तरह सहमत है कि उसकी वित्तीय नीतियों का इस क्षेत्र पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत स्वयं को विश्व व्यापार व्यवस्था से जोड़ रहा है। पिछले छह महीने आटोमोबाइल उद्योग सहित अनेक उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। अवरुद्ध और प्रतिबंधात्मक व्यापार नीति से आगे निकलकर हमने आयात को पूरी तरह खोल दिया है। मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अर्थ-व्यवस्था को पूरी तरह उदार बनाने और मात्रात्मक प्रतिबंधों के हटाए जाने के बावजूद आंकड़े घरेलू उत्पादन में अस्थिरता का कोई संकेत नहीं देते।

* भारतीय आटोमोबाइल विनिर्माता सोसाइटी के तीसरे वार्षिक सम्मेलन में, नई दिल्ली (5 सितम्बर 2001)

एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन यह आया है, कि अब यह क्षेत्र राजकीय नियंत्रण वाले क्षेत्र के स्थान पर बाजार द्वारा संचालित क्षेत्र बन गया है। ग्राहक अपने धन का मूल्य चाहता है और ऐसा एशिया सहित पूरे विश्व में हो रहा है। इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएं अब सरकारी नियंत्रण के अधीन नहीं हैं। वे बाजार की शक्तियों द्वारा संचालित हैं। इस पूरे क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण कम हो रहा है और यह पूरी तरह बाजार व्यवस्था से संचालित हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप, यह उद्योग श्रम-बहुल उद्योग से प्रौद्योगिकी संचालित उद्योग की ओर कदम बढ़ा रहा है। वास्तव में, सभी विनिर्माण प्रक्रियाओं से श्रमिकों की संख्या पहले की अपेक्षा कम हो रही है और सहायक सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा हो रहे हैं। इसे देखते हुए, एशियाई देश तेजी से उच्च-प्रौद्योगिकी वाले देश बनते जा रहे हैं।

मैं उद्योग जगत को अवसर के अनुरूप कदम उठाने और सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर नई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अपना कर स्वयं को तैयार करने के लिए बधाई देता हूं। मैं जानता हूं कि आज भारतीय दो-पहिया वाहन विश्व में सबसे कड़े उत्सर्जक मापदंडों को पूरा करते हैं।

तथापि, अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। हमारे लिए उचित होगा कि अब हम यह जानें कि ऐसी ही परिस्थिति में अन्य एशियाई देशों के साथ क्या हुआ। मैं मानता हूं कि यहां उपस्थित विभिन्न एशियाई देशों से आए विशेषज्ञ आज दिन में होने वाले सत्रों में अपने अनुभवों से हमें अवगत कराएंगे। मुझे विश्वास है कि विचार-विमर्श से हमें भविष्य की योजना बनाने के बारे में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होगा।

मेरे विचार से प्रतिस्पर्धा तथा व्यापार में टिके रहने के लिए आटोमोबाइल उद्योग को डिजाइन, गुणवत्ता तथा प्रक्रिया नियंत्रण, इत्यादि के संबंध में योजना बनाने तथा अभिनव विचारों का सृजन करने की आवश्यकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अनुसंधान और विकास सुविधाएं परस्पर जुड़े विषय होने चाहिए। इसमें नए उत्पादों, प्रक्रियाओं तथा सेवाओं के विकास में तकनीकी, विपणन तथा आर्थिक दक्षता शामिल होनी चाहिए।

आटोमोबाइल उद्योग मेरा अत्यंत पसंदीदा क्षेत्र है। महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री के रूप में, मैं इस उद्योग से काफी नजदीक से संबद्ध रहा हूं। व्यक्तिगत तौर पर, यह उद्योग मुझे बचपन से ही आकर्षित करता रहा है। मुझे आज भी वह क्षण अच्छी तरह याद है जब मैंने अपनी पहली कार खरीदी थी। आपको संभवतः याद होगा कि उस समय एक कार या स्कूटर खरीदने के लिए लोगों को बड़ा लम्बा और धैर्यपूर्वक इंतजार करना होता था। आज तो ग्राहक के पीछे-पीछे चलकर उसे (वाहन) खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। वह भी अपने धन के बदले उत्तम वस्तु चाहता है। शीतल पेय उद्योग में व्याप्त कड़ी प्रतिस्पर्धा की ही तरह भारत के आटो उद्योग में भी कीमत को लेकर मुकाबला चल रहा है और आखिरकार जीत ग्राहक की होनी है। ऐसा होना भी चाहिए और आटोमोबाइल क्षेत्र में यही होता दिख भी रहा है।

आटोमोबाइल क्षेत्र में काफी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। आज हमारे यहां जनरल मोटर्स, फोर्ड, मर्सिडीज बेंज, वोल्वो, होण्डा, टोयोटा, सुजुकी, फिएट, हुंडई, डेबू आदि जैसी कुछ बेहतरीन

कम्पनियां अपना विनिर्माण-कार्य कर रही हैं। आज ग्राहक के सामने काफी सारे ब्रांडों के उत्पाद हैं। उसे अब वाहनों का आयात करने की आवश्यकता नहीं है। इस उद्योग की आज की हालत और बीते कल की हालत एक जैसी नहीं है।

विश्व भर के आटो उद्योग को वर्धित सुरक्षा तथा पर्यावरण-अनुकूलता की चुनौतियों का सामना करना होगा। इन दोनों क्षेत्रों में और अधिक गहन तथा विस्तृत अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए सतत प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। वैकल्पिक ईंधन के मुद्दों को भी हल किए जाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आटोमोबाइल वाहन अधिक पर्यावरण-अनुकूल रहें और आम आदमी की पहुंच के भीतर भी बने रहें। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि भारतीय आटोमोबाइल उद्योग इन दो पहलुओं के बारे में वैश्विक विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास कर रहा है।

अब विनिर्माताओं को घरेलू सीमाओं से आगे देखना चाहिए तथा अपने उत्पादों के लिए अन्य देशों में भी बाजार का निर्माण करना चाहिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हमारी सरकार इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव सहायता देगी।

यह आम धारणा है कि आटोमोबाइल उद्योग का कार्यनिष्पादन इस वर्ष अच्छा नहीं है। भारत में आर्थिक मंदी ने आटोमोबाइल उद्योग को भी प्रभावित किया है। तथापि, विगत में हमने सदैव भारतीय आटोमोबाइल उद्योग की हर स्थिति से उबरने की शक्ति को देखा है और मुझे विश्वास है कि आप गिरावट की वर्तमान प्रवृत्ति को रोक पाने में सफल होंगे। वाहनों की मांग बढ़ना तय है। हमें आशा है कि चालू वर्ष के उत्तरार्द्ध में आटोमोबाइल उद्योग का कार्यनिष्पादन बेहतर रहेगा। इस उद्योग के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से आप सरकार को अपना महत्वपूर्ण सहयोगी मानकर चलें। प्रभारी मंत्री के रूप में मैं आपको सदैव पूर्ण सहायता देने का आश्वासन देता हूं।

यह धारणा सही नहीं है कि आटोमोटिव उद्योग केवल अमीर लोगों के लिए ही है। इस उद्योग का लगभग 45,000 करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार है तथा सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान लगभग 4 से 5 प्रतिशत है और यह उद्योग एक करोड़ से भी अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। इस्पात, पेंट, रबड़ इत्यादि जैसे कई अन्य क्षेत्र भी आटो उद्योग पर काफी सीमा तक निर्भर करते हैं। इसके अलावा, आटोमोबाइल उद्योग अर्थव्यवस्था के लिए प्रौद्योगिकी प्रेरक तथा विकास वाहक बना रहेगा।

इस परिप्रेक्ष्य में हम आटोमोबाइल उद्योग क्षेत्र में निवेश का स्वागत करते हैं। हम विभिन्न स्तरों पर करों के हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिए ब्याज दरों में कमी, कर ढांचे का युक्तिसंगतीकरण तथा अप्रैल, 2002 में मूल्य वर्धित कर लागू करने जैसे विभिन्न कदम उठाकर निवेश के लिए बेहतर वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार ने हाल के वर्षों में आधारभूत ढांचे संबंधी परियोजनाओं में निवेश बढ़ा दिया है। मुझे विश्वास है कि इससे समग्र आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

आज विश्व आटोमोटिव उद्योग दो प्रमुख रुझान दर्शा रहा है अर्थात् उद्योग ढांचे को मजबूत करना तथा कार निर्माण प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन। आजकल समेकित संघटकों तथा उप-प्रणालियों की "प्रणाली आपूर्ति" का प्रचलन हो गया है जिसमें विशिष्ट छोटे संघटकों की आपूर्ति वाहन निर्माताओं के बजाय प्रणाली समेककों को की जा रही है। भारत इन वैश्विक रुझानों से अछूता नहीं रह सकता है।

इससे वाहन उद्योग पर वैश्विक विनिर्माताओं के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा, मार्जिन पर दबाव, उप-इष्टतम स्तर पर प्रचालन की बढ़ती हानियों इत्यादि के रूप में कई प्रभाव पड़ेंगे। मैं भारतीय आटोमोबाइल निर्माताओं से अनुरोध करता हूं कि सफल होने के लिए वे अपनी रणनीतिक दृष्टिकोण का चयन सावधानीपूर्वक करें। इस उद्योग को इलेक्ट्रानिक्स, डिजाइनों, उपभोक्ता रुझान, इत्यादि के बढ़ते प्रयोग सहित पूर्णतः बाजार सिद्धांतों, प्रौद्योगिकी आविष्कारों के आधार पर कार्य करना होगा। एक विनिर्माता के रूप में सफल होने के लिए आपको कम मूल्य पर गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्रदान करनी होती। आप इस बात से सहमत होंगे कि केवल कम लागत पर निर्माण करने वाले ही इस झंझावात में टिक पाएंगे।

धन्यवाद।

भारतीय आटोमोबाइल उद्योग—भावी चुनौतियां*

"आटोमोटिव उद्योग में विश्वस्तरीय विनिर्माण प्रौद्योगिकियां" संबंधी इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के अवसर पर आप सब के बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। सर्वप्रथम, मैं आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं।

हम सभी पिछले एक दशक में भारतीय आटोमोबाइल उद्योग के आश्चर्यजनक रूप से हुए तीव्र विकास के साक्षी हैं। विगत कुछ वर्षों के दौरान सरकार की नीतियों के चरणबद्ध उदारीकरण तथा भारत की खुली अर्थव्यवस्था से देश के आटोमोबाइल उद्योग के संपूर्ण परिदृश्य में तीव्र बदलाव आया है। उपभोक्ताओं के लिए जो उद्योग पहले केवल दो प्रकार की यात्री कारों का ही विकल्प पेश करता था, अब उसमें लगभग उन सभी विश्वस्तरीय आटोमोबाइल विनिर्माताओं ने प्रवेश कर लिया है जो सर्वाधिक उन्नत प्रौद्योगिकी वाले कुछ ऐसे वाहनों का निर्माण कर रहे हैं जिनका साथ-ही-साथ समूचे विश्व बाजार में विपणन किया जा रहा है। भारत में आटो उद्योग में 50,000 करोड़ से भी अधिक राशि का निवेश किया गया है जिसका वार्षिक कारोबार इस निवेश राशि से कहीं अधिक है। आज उपभोक्ता के समक्ष केवल कारों के ही 50 से भी अधिक माडल और डिजाइन उपलब्ध हैं। हाल के वर्षों में प्रतिवर्ष 7.2 मिलियन वाहनों से भी अधिक की अधिष्ठापित क्षमता सृजित की गई है। भारत में पूरे विश्व की अद्यतन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहनों का निर्माण किया जाता है। आटोमोबाइल उद्योग देश के औद्योगिक उत्पादन में लगभग 5 प्रतिशत योगदान देते हुए अर्थव्यवस्था के लिए प्रौद्योगिकी वाहक तथा विकास का माध्यम बना हुआ है और यह प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से एक करोड़ से भी अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है।

तथापि, उन्नत प्रौद्योगिकी पर आधारित आटोमोबाइल उद्योग के विकास के परिणामस्वरूप कतिपय चुनौतियां सामने आई हैं। चूंकि देश में वाहनों की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, इसलिए पर्यावरणीय तथा सुरक्षा संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। वर्तमान सड़क अवसंरचना भी एक बाधा है। सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या, पर्यावरणीय दबाव तथा सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के साथ-साथ उपभोक्ताओं की बढ़ती अपेक्षाएं और कड़ी प्रतिस्पर्धा विनिर्माताओं को वाहनों की बनावट और सुन्दरता संवारने के साथ-साथ प्रौद्योगिकियों को तीव्र गति से उन्नत करने के लिए बाध्य कर रही हैं।

* आटोमोटिव उद्योग में विश्वस्तरीय विनिर्माण प्रौद्योगिकियों संबंधी छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर , नई दिल्ली (16 जनवरी 2002)

पेट्रोल चालित वाहनों के लिए उत्सर्जन संबंधी पहला भारतीय विधान वर्ष 1991 में और डीजल चालित वाहनों के लिए 1992 में बना है। इसे वर्ष 1996, 1998 और 2000 में उत्तरोत्तर कठोर बनाया गया है। भावी उत्सर्जन मानदंडों के लिए भावी रूपरेखा को वाहन ईंधन संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार अब अंतिम रूप दिया गया है। अप्रैल, 2005 में संपूर्ण भारत में यूरो-दो के समतुल्य उत्सर्जन मानदंड तथा सात महानगरों में यूरो-तीन के समतुल्य उत्सर्जन मानदंड लागू होंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय आटोमोबाइल उद्योग ने समय की अपेक्षा के अनुरूप कार्य किया है और महानगरों में यूरो-दो संबंधी मानदंडों को पूरा करने हेतु अपनी निर्माण संबंधी सुविधाओं में परिवर्तन किया है। मुझे बताया गया है कि हम देश से यूरो-तीन और यूरो-चार कोटि के वाहनों का यूरोप में निर्यात करने जा रहे हैं। यह इस बात का द्योतक है कि आटोमोबाइल उद्योग ने संपूर्ण विश्व में विद्यमान और भारत में अब अपनाए जा रहे उत्सर्जन तथा सुरक्षा संबंधी मानदंडों के अनुरूप अपने को ढालने के लिए बड़ी पहल की है।

भारतीय आटोमोबाइल क्षेत्र में अद्यतन प्रौद्योगिकी के समावेश ने विश्व स्तर के उत्पादों का निर्माण करने में हमारी सहायता की है, उपभोक्ताओं के समक्ष विभिन्न विकल्प प्रस्तुत किये गये हैं और विश्व आटो बाजार में और अधिक प्रभावी भागीदारी करने में देश की क्षमता में वृद्धि हुई है। इसके साथ-ही-साथ, भारतीय वाहन पुर्जा उद्योग ने भी काफी प्रगति की है और अब यह समूचे विश्व में प्रमुख आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ रहा है। इस प्रौद्योगिकीय प्रगति से भारतीय अर्थव्यवस्था को अत्यधिक आर्थिक लाभ पहुंचा है और एक बार विश्व आर्थिक बाजारों में वर्तमान मंदी का दौर समाप्त हो जाने पर इन लाभों का पूर्ण परिणाम प्राप्त होगा।

अब मैं आज के इस सम्मेलन की विषयवस्तु पर आता हूं। आटोमोटिव प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय झुकाव इस ओर है:

* ईंधन की कम खपत तथा सुरक्षा में सुधार।
* अपेक्षाकृत कम तथा हल्के पुर्जों का उपयोग करना।
* उत्पाद का पुनर्चक्रीकरण।
* विकास-समय को कम करने के लिए कम्प्यूटर-आधारित डिजाइन और इंजीनियरी (सीएडी/सीएई)।

इलैक्ट्रानिकी, विभिन्न पुर्जों की कार्यक्षमता के विषय में जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ उत्सर्जन नियंत्रण में प्रमुख भूमिका निभा रही है। नौवाहन तथा मार्गनिर्देशन प्रणालियों में इलैक्ट्रानिकी की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। वैकल्पिक ऊर्जा चालित वाहनों, विशेष रूप से फ्यूल सैल, सीएनजी, एलपीजी चालित वाहनों का भी महत्व बढ़ जाएगा।

वाहनों के निर्माण में प्रौद्योगिकी का भी निर्णायक प्रभाव पड़ रहा है। विभिन्न माडलों के निर्माण में समान बुनियादी ढांचे का प्रयोग किया जा रहा है ताकि नये माडलों की कीमत कम रखी जा सके और उन्हें बाजार में पेश करने में लगने वाले अग्रिम समय को कम किया जा सके। एक ही स्थान

पर निर्माण की समस्त सुविधाएं प्रदान किए जाने की पहले की संकल्पना के स्थान पर अब धीरे-धीरे पुर्जों और उनके हिस्सों को बाहर से संयोजित करवाने (असैम्बली), का चलन आता जा रहा है। प्रमुख पुर्जा-विनिर्माता अब पुर्जों के प्रमुख संयोजनकर्त्ता बन रहे हैं। प्रौद्योगिकी के कारण दुकानों (शाप फ्लोर) में भी काफी बदलाव आया है। वे दिन गए जब दुकानों पर अत्यधिक माल रखा जाता था। संयोजनकर्त्ता और पुर्जा विनिर्माता के बीच अब एक सीधा संपर्क जुड़ गया है जिससे पुर्जे समय पर तथा संयोजनकर्त्ता की मांग के अनुरूप मिल जाते हैं। नवीनतम तकनीकों के आगमन के साथ ही दुकानों की कार्यपद्धति में भी व्यापक परिवर्तन आ रहे हैं।

उत्सर्जन तथा सुरक्षा संबंधी नवनिर्मित मानदंडों को पूरा करने के लिए आटोमोबाइल प्रौद्योगिकी में तीव्रगामी विकास के लिए परीक्षण तथा प्रमाणन सुविधाओं का उन्नयन अपेक्षित है। लेकिन दुर्भाग्यवश, परीक्षण सुविधाओं में निवेश उस गति से नहीं हो पाया है जिस गति से नये विनियम अधिसूचित किये जा रहे हैं। यह उद्योग देश में परीक्षण और अनुसंधान तथा विकास सुविधाओं के क्षेत्र में निवेश में वृद्धि करने की सतत मांग करता रहा है। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम, दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान, देश में आटोमोबाइल क्षेत्र में परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं को पर्याप्त रूप से बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार का विचार उद्योग की सक्रिय सहायता से दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान 750 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इन सुविधाओं को आधुनिक बनाने तथा इनका विस्तार करने का है। दो नये परीक्षण केन्द्रों की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है—एक देश के उत्तरी भाग में तथा दूसरा दक्षिणी भाग में। इन केन्द्रों में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुझे विश्वास है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी पहुंच बेहतर होगी और उन बेहतर प्रौद्योगिकियों का भी संवर्धन होगा, जो विशेष रूप से भारत के लिए उपयुक्त हैं तथा हमारी स्थानीय आवश्यकताओं को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करती हैं।

मैं कुछेक ऐसे क्षेत्रों पर भी बल देना चाहता हूं जिनके संबंध में उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं उद्योग से अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र में तेजी लाने का आग्रह करता हूं। उद्योग द्वारा अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में उच्च प्रतिबद्धता सुनिश्चित किए जाने की तात्कालिक आवश्यकता है जो इस समय बिक्री कारोबार के 0.2 प्रतिशत से कम है जबकि विकसित देशों में यह 3-4 प्रतिशत है। वैकल्पिक ईंधन, आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्य पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना चाहिए और अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए, जो केवल बेहतर प्रौद्योगिकी तथा गुणवत्ता के माध्यम से ही संभव है। हमें एक ओर जहां किसी भारतीय उत्पाद को पूर्णतः विश्व-मानदंडों के अनुरूप बनाने तथा भारत को वाहनों और पुर्जों के निर्यात का केन्द्र बिन्दु बनाने के लिए सतत रूप से कार्य करना होगा, वहीं इसके साथ-साथ हमारा अनुसंधान एवं विकास कार्य, हर दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मानदंडों को पूरा करने पर भी केन्द्रित होना चाहिए जिससे हम विश्व बाजार में सफलतापूर्वक अपनी पैठ बना सकें। हमें कम दरों पर उपलब्ध श्रमशक्ति तथा तकनीकी रूप से कुशल प्रचुर जनशक्ति के अपने प्रतिस्पर्धात्मक फायदों का

सफलतापूर्वक दोहन करना होगा। बेहतर परिवहन आयोजना के लिए सूचना प्रौद्योगिकी तथा टेलीमेटिक्स में हमारी ताकत का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए।

विश्वव्यापी नेतृत्व के लिए हमें 'प्रौद्योगिकी लहर' उत्पन्न करने की आवश्यकता है। भावी उत्पाद प्रौद्योगिकियों का पता लगाने के लिए उद्योग-क्षेत्र तथा सरकार को एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए और फिर विश्व में अग्रणी होने के लिए एक 'प्रौद्योगिकी लहर' के अनुरूप कार्य करना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रयास में सरकार की ओर से आपको मेरा पूर्ण समर्थन मिलेगा।

अगले एक दशक में उद्योग क्षेत्र तथा सरकार को एक साथ मिलकर उत्सर्जन, ईंधन की बचत तथा सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के क्षेत्रों में सर्वाधिक ध्यान देते हुए अपने प्रयास जारी रखने चाहिएं।

अपनी बात समाप्त करते हुए, मैं दोबारा यह कहूंगा कि प्रौद्योगिकी तथा लागत, दोनों दृष्टियों से आटोमोबाइल उद्योग को प्रतिस्पर्धी बने रहने की आवश्यकता है। इस व्यवसाय में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए आटोमोबाइल उद्योग को डिजाइन, गुणवत्ता, प्रक्रिया नियंत्रण इत्यादि से संबंधित योजना बनाने तथा अभिनव विचारों का समावेश करते रहने की आवश्यकता है। हमें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अनुसंधान तथा विकास सुविधाएं एक-दूसरे से पूरी तरह जुड़े होने चाहिएं। नये उत्पादों/प्रक्रियाओं/सेवाओं का विकास करने के लिए उनमें तकनीकी विपणन तथा आर्थिक कुशलता भी शामिल होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि आज इस सम्मेलन में हुआ विचार-विमर्श भारतीय आटोमोबाइल विनिर्माताओं को ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता प्रदान करेगा जिन पर उन्हें तत्काल ध्यान देना चाहिए और जो उन्हें न केवल प्रौद्योगिकीय दृष्टि से अधिक प्रतिस्पर्धाक्षम बनाएगा बल्कि प्रौद्योगिकी को और अधिक सस्ता किया जा सकेगा। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि आने वाला कल उन्हीं उत्पादकों का होगा जो कम लागत पर गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराएंगे।

धन्यवाद।

76

नई चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकारी उपक्रमों का पुनर्गठन*

आज आप सब के बीच यहां उपस्थित होकर भारी उद्योग के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत में एक ऐसी औद्योगिक नीति को अपनाया जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना और उद्योग को अत्यधिक महत्व दिया गया। ऐसा इस कारण हुआ कि जब हम औद्योगिकीकरण के पथ पर अग्रसर हुए, तो उस समय देश में वस्तुओं की मांग और सेवाओं में अंतर था तथा इतने उद्योग नहीं थे।

उस समय यह माना जाता था कि आर्थिक आत्मनिर्भरता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है तथा ऐसी स्थिति देश की संप्रभुता और स्वायत्तता के लिए भी हानिकारक हो सकती है। अत: निम्नलिखित उद्देश्यों से सरकारी क्षेत्र के विकास को महत्व दिया गया:

* आर्थिक विकास के लिए अवसंरचना का विकास तथा देश में त्वरित आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना;
* रोजगार के अवसरों का सृजन तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना;
* स्थानीय उद्योगों के विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का सृजन करना;
* उचित लाभ अर्जित करके विकास के लिए निवेश योग्य संसाधन जुटाना; तथा
* निजी हाथों में आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को कम करना।

भारत में अधिकांश भारी उद्योग सरकारी क्षेत्र में हैं। संसद द्वारा देश में समाजवादी प्रणाली अपनाने के संकल्प को स्वीकार किए जाने के बाद, 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में सरकारी क्षेत्र द्वारा अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जाने की व्यवस्था की गई। भारी निवेश की सहायता से सरकारी क्षेत्र चार दशक से भी अधिक समय तक अर्थव्यवस्था में शिखर पर बना रहा। कई वर्षों में यह क्षेत्र प्रौद्योगिकीय क्षमता, सुप्रशिक्षित कार्यबल, तकनीकी कौशल, इत्यादि विकसित कर सका। इसके परिणामस्वरूप, औद्योगिक राष्ट्रों में देश का दर्जा काफी ऊंचा हुआ है।

---

* भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ बैठक में, नई दिल्ली (18 नवम्बर 1999)

लेकिन समय बीतने के साथ सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कई समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं जिसमें निम्न उत्पादकता, खराब परियोजना प्रबंधन, उच्च लागत, कर्मचारियों की अधिक संख्या, प्रौद्योगिकी उन्नयन का अभाव तथा अनुसंधान एवं विकास पर अपर्याप्त ध्यान दिया जाना आदि शामिल है। इन समस्याओं तथा अन्य आर्थिक मजबूरियों के चलते सरकार द्वारा जुलाई 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रति जो नया दृष्टिकोण अपनाया गया उसमें मुख्यत: महत्वपूर्ण तथा उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादन इकाइयों पर विशेष ध्यान दिया गया तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में अलग-अलग मात्रा में विनिवेश करने पर बल दिया गया। लम्बे समय से रुग्ण पड़े सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पुन: चालू करने के लिए उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने हेतु उनका मामला औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजा गया। नि:संदेह इसमें कामगारों की सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान भी शामिल था। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार लाने हेतु प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण पर भी विचार किया गया। वास्तव में, नई औद्योगिक नीति की घोषणा का आशय दशकों पुरानी कमान अर्थव्यवस्था से नयी दिशा में परिवर्तन करना था। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए बजटीय सहायता को कम किया गया तथा सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या को भी 17 से घटाकर 4 कर दिया गया।

सरकारी क्षेत्र ने देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का कारोबार 1995-96 में 1,73,948 करोड़ रुपये से बढ़कर 1997-98 में 2,23,047 करोड़ रु. हो गया। कर के उपरांत लाभ 9594 करोड़ रु. से बढ़कर 13,725 करोड़ रु. हो गया। इस अवधि के दौरान केन्द्रीय राजकोष में उनका अंशदान 16,129 करोड़ रु. से बढ़कर 18,547 करोड़ रु. हो गया। तथापि, सरकारी क्षेत्र के 236 उद्यमों में से 100 उद्यमों को घाटा हो रहा है तथा इनमें से कुछ को रुग्ण घोषित कर दिया गया है और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेज दिया गया है।

हाल के वर्षों में, सरकार ने महसूस किया कि अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका में कटौती अनिवार्य है। विचारों में यह परिवर्तन निजी क्षेत्र में प्रबंधन प्रतिभा की परिपक्वता के कारण आया है। सरकारी क्षेत्र की कार्यकुशलता बढ़ाने की आवश्यकता को देखते हुए, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना व्यावहारिक रूप से आवश्यक हो गया है।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सहायता के लिए जो संसाधन लगाए जाते हैं, उन्हें आधारभूत अवसंरचना के विकास हेतु तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों, जिन्हें सामान्यत: वाणिज्यिक कार्य नहीं माना जाता, के लिए आबंटित किया जा सकता है। आरंभ में देश में शायद एक सुदृढ़ सरकारी क्षेत्र की आवश्यकता थी क्योंकि उस समय यहां उद्योगों एवं पूंजी तथा औद्योगिक अवसंरचना का अभाव था। आज परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है तथा भारत में अब आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने की आवश्यकता है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण स्वाभाविक रूप से आवश्यक है।

औद्योगिक नीतियों के उदारीकरण तथा देश में औद्योगिक परिदृश्य में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए सरकारी उपक्रमों के पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की गई है। इस दिशा में प्रयास उद्यम स्तर पर तथा सरकारी स्तर पर पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। सरकारी उपक्रमों को सुदृढ़ करके तथा इनके कार्यनिष्पादन में सुधार लाने हेतु उठाए गए कदमों में शामिल हैं—

* जहां भी उचित हो वित्तीय पुनर्गठन किया जाए;
* तकनीकी, वित्तीय तथा विपणन आदान उपलब्ध कराने में सक्षम सहभागियों को शामिल करते हुए संयुक्त उद्यम का निर्माण किया जाए;
* गैर-अर्थक्षम सरकारी उपक्रमों में स्वैच्छिक पृथक्करण योजना को लागू करने के साथ मानव-श्रम को तर्कसंगत बनाना;
* प्रबंधन को सुदृढ़ करना तथा निदेशक मंडल में पेशेवर व्यक्तियों को शामिल करना।

सरकारी नीति का खुलासा 25 अक्तूबर, 1999 को संसद सदस्यों को संबोधित भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण में किया गया था। इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि:

"घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव यह बताते हैं कि आर्थिक सुधारों की साहसिक रणनीति पर चलकर ही तेजी से तथा सभी क्षेत्रों का विकास संभव है। राष्ट्र के विकास की पुनर्गठित रणनीति तीन बातों पर निर्भर होगी—यथा, सरकार कठोर नीति तथा विनियामक नेतृत्व प्रदान करे; गैर-सरकारी क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में कर्मठता एवं कार्यकुशलता लाए; तथा स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाएं तथा समाज के लोगों की उत्साहयुक्त भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इस रणनीति के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग, शासन-व्यवस्था तथा प्रशासन के क्षेत्रों में अतीत की नीतियों और विचारों का परित्याग करने हेतु राष्ट्रीय आम सहमति बनाते हुए नई विकासोन्मुखी मानसिकता की आवश्यकता है।"

अतः, सरकारी क्षेत्र में सरकारी स्वामित्व को कम करने की आवश्यकता इस तथ्य पर भी आधारित है कि निजी उद्योग को समान अवसर दिए जाने की मांग बढ़ती जा रही है। जबकि सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या को केवल चार खंडों तक सीमित कर दिया गया है, ऐसा माना जाता है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की मजबूत उपस्थिति अन्य इकाइयों के विकास को निरुत्साहित करने वाली है। इस परिप्रेक्ष्य में, सरकारी स्वामित्व को 50 प्रतिशत से कम करना अपेक्षित गति प्रदान कर सकता है तथा औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकता है।

अब तक 12,000 करोड़ रु. जुटाने के लिए 14 चरणों में 39 सरकारी उद्यमों का विनिवेश किया गया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि सामान्यतः जहां भी परिस्थितियों की मांग हो, वह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी भागीदारी 26 प्रतिशत तक कम कर सकती है। हो सकता है कि सरकार प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता तथा रणनीतिक पहलुओं की आवश्यकता के कारण कुछ उद्यमों में अधिकांश स्वामित्व अपने पास ही रखे। किसी भी नीति को लचीला होना चाहिए। कामगारों के हितों का संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा प्रयास विगत के अनुभवों से बनाई गई पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं में सुधार करना तथा पारदर्शी, उद्देश्यपूर्ण, त्वरित एवं टिकाऊ तंत्र विकसित करना होगा।

इस समय पुनर्गठित भारी उद्योग तथा लोक उद्यम मंत्रालय में अद्यपूर्व भारी उद्योग विभाग तथा लोक उद्यम विभागों के अलावा वे विभाग हैं जो भारी अभियांत्रिकी, मशीन टूल, भारी विद्युत तथा मोटर कार उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये उद्योग सामान्य अवसंरचना, विद्युत, रेल तथा सड़क परिवहन, रक्षा तथा औद्योगिक मशीनरी उत्पादन सहित अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में सहायक हैं। ये मशीन निर्माण उद्योग की भी देख-रेख करते हैं तथा इस्पात, अलौह धातुओं, उर्वरकों, तेल शोधक कारखानों, पेट्रो-रसायनों, नौवहन, वस्त्र, जैसे मूल उद्योगों तथा कागज, सीमेंट, चीनी, इत्यादि सहित कई औद्योगिक मशीनरियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं। इस मंत्रालय के पास 48 सरकारी उद्यमों का प्रभार है जो मुख्यत: पूंजीगत वस्तुओं और अभियांत्रिकी क्षेत्र से संबंधित है। इसके अतिरिक्त इसके अधीन एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी मारूति उद्योग लिमिटेड है, जो मोटर-कार का निर्माण करती है।

इस मंत्रालय के सृजन से भारतीय पूंजीगत माल तथा अभियांत्रिकी उद्योग के विकास पर पुन: बल दिया गया है। हम उद्योग परिषदों के साथ व्यापक चर्चा तथा संवाद करेंगे और उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु योजनाएं विकसित करेंगे एवं उन्हें आदान समर्थन, करों, शुल्कों, आयातों, विदेशी कंपनियों के साथ समझौतों, प्रौद्योगिकी माध्यम और अनुसंधान एवं विकास का उन्नयन, इत्यादि से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के माध्यम से सहायता प्रदान करेंगे।

पूंजीगत वस्तुओं तथा अभियांत्रिकी उद्योग के अभिरक्षक के रूप में इस मंत्रालय का औद्योगिक क्षेत्र के बाकी हिस्सों के साथ महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती तथा अग्रगामी संबंध है। इसके विकास का रुख तथा स्वरूप अन्य उद्योगों की उत्पादकता तथा कार्यनिष्पादन के मानदंडों को निर्धारित करते हैं। विगत में, सरकार ने शुल्क संरक्षण के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास की गति को आगे बढ़ाया था। इस प्रकार, पूंजीगत माल तथा अभियांत्रिकी के क्षेत्र में प्रभावी स्वदेशी क्षमता, योजनागत विकास के प्रथम दो दशकों में ही विकसित कर ली गई थी। इस चरण में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स तथा हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की स्थापना की गई थी। चूंकि मशीन निर्माण क्षेत्र की स्थापना करने के मूलभूत उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं इसलिए नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अब इस क्षेत्र का पुनर्गठन किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें प्रौद्योगिकीय विशेषताओं, गुणवत्ता, लागत और प्रतिस्पर्धा के संबंध में इस क्षेत्र को मजबूत करना होगा। इस तरह की प्रगति की अपेक्षा काफी समय से है और इस पर मैं लगातार ध्यान दूंगा।

आटो उद्योग के मामले में, 1980 के दशक की शुरूआत में भारत की क्षमता का विस्तार हुआ और अस्सी के दशक के मध्य तक तो प्राय: सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ। नब्बे के दशक में उदारीकरण की व्यवस्था आ जाने से तो जैसे नवनिवेशकों का तांता लग गया। विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति असमान रही। 1992-93 से 1996-97 के बीच के वर्षों में घरेलू बाजार में दोगुने से अधिक की बढ़ोत्तरी हुई। तथापि, कुछ समय बाद यह स्पष्ट हो गया कि घरेलू बाजार, खासकर यदि अर्थव्यवस्था के आकार से उसकी तुलना करें, बहुत बड़ा नहीं है। आटो क्षेत्र की भावी वृद्धि इस बात पर निर्भर करेगी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था एक बेहतर दर से बढ़ती है या नहीं। वर्तमान में,

भारतीय आटो उत्पाद विश्व-बाजारों में प्रतिस्पर्धा के लायक नहीं है और भारतीय फर्मों व संयुक्त उद्यमों द्वारा निर्यात को बाजार के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाता। अधिकतर क्षेत्रों में हमारे घरेलू बाजार पर एक-दो फर्मों का ही वर्चस्व बना हुआ है—छोटी कारों के क्षेत्र में "मारूति", बहुउपयोगी वाहनों के क्षेत्र में "महिन्द्रा एंड महिन्द्रा" तथा दुपहिए और तिपहियों के क्षेत्र में "बजाज"।

विश्व व्यापार संगठन समझौते के फलस्वरूप शुल्क-सीमा कम होने से संभावित आयात-क्रांति की चुनौतियों से यदि उद्योग जगत निपटना चाहता है तो उसे इस संक्रमण-काल में सरकार की सहायता की आवश्यकता होगी। आमतौर पर भारी उद्योग क्षेत्र और विशेष तौर पर घरेलू आटो क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता क्षमता को सतत रूप से प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा उत्पादकता सुधार के जरिए सशक्त करना होगा। साथ ही साथ, मैं यह समझता हूं कि विश्व व्यापार संगठन राष्ट्रों को अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए 75 प्रतिशत तक राज सहायता देने की अनुमति प्रदान करता है।

मेरे मंत्रालय से संबद्ध सरकारी क्षेत्र के 48 उद्यमों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने पर मेरा ध्यान रहेगा। इनमें से 26 उद्यमों को रुग्ण घोषित कर दिया गया है और बी आई एफ आर को भेजा गया है। सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के ग्यारह उद्यमों के पुनरुद्धार की योजना को पहले ही स्वीकृति दे दी गई है, जिसमें 2063 करोड़ रु. की वित्तीय पुनःसंरचना के अलावा 616 करोड़ रु. की नकद राशि सम्मिलित है। अन्य सरकारी उद्यमों के पुनरुद्धार की संभावनाओं पर भी हम सावधानीपूर्वक विचार करेंगे।

सरकारी क्षेत्र के 24 उद्यमों को प्रौद्योगिकीय, विपणनगत और वित्तीय आदि दृष्टियों में उन्नत कर गतिमान संयुक्त उद्यमों में परिवर्तित करने की भी सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। "एंड्रयू यूल एंड कम्पनी लि." के बेल्टिंग डिवीजन को जर्मनी की मै. फीनिक्स एजी. कम्पनी के साथ पहले ही एक संयुक्त उद्यम के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है और "सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया" की येरागुंटला इकाई को एक निजी कंपनी को बेच दिया गया है।

मित्रो, आपने अभी परिवहन तथा भूचर उपस्करों (अर्थ मूविंग एक्विपमेंट्स), विद्युत मशीनरी, मशीनी उपकरण आदि क्षेत्रों पर अपनी-अपनी बात कही। इनमें यह बात उभर कर सामने आई कि इन क्षेत्रों में हम कितने सक्षम हैं तथा इनमें हमारी क्या-क्या क्षमताएं निर्मित हुई हैं और इस समय उनमें क्या-क्या समस्याएं हैं। मेरा यह प्रयास रहेगा कि एक ऐसी नीति बने जिसमें इन उद्योगों की सभी दक्ष इकाइयां परिवर्धित हों और उनकी क्षमता प्रतिदिन बढ़े, और एक दिन वे भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में खुद को स्थापित करें।

धन्यवाद।

77

लोक उद्यम और श्रमिक कल्याण*

आज आपके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सर्वप्रथम, इस समसामयिक महत्व के विषय पर संगोष्ठी आयोजित करने के लिए मैं श्री सुभाष देसाई को बधाई देता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने इतने उत्साह से इसमें भाग लिया।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था में 'सरकारी उपक्रम' लगभग नहीं के बराबर थे। जिन कुछेक उद्यमों का उदाहरण दिया जा सकता है, वे थे: रेलवे, डाक और तार, पत्तन न्यास (द पोर्ट ट्रस्ट), द आर्डनैंस और विमान--कारखाने; तथा सरकारी नमक कारखाने, कुनैन कारखाने जैसे कुछ सरकार द्वारा प्रबंधित उपक्रम।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् और आयोजना की शुरुआत के साथ ही भारत ने अधिकाधिक सरकारी उपक्रम स्थापित करने का निश्चय किया क्योंकि हमारी यह दृढ़ मान्यता रही है कि आर्थिक आत्मनिर्भरताविहीन राजनीतिक स्वतंत्रता देश के लिए हितकर नहीं है। 1956 में औद्योगिक नीति संकल्प के पारित होने तथा समाजवादी पद्धति को अंगीकार करने के कारण हमारे सार्वजनिक क्षेत्र का सुनियोजित विस्तार हो पाया। यह समझा गया कि अधिकाधिक सार्वजनिक क्षेत्र होने से आय और संपत्तिजनित असमानता में कमी आएगी तथा राष्ट्र की सामान्य समृद्धि में वृद्धि होगी। आयोजनाकारों का यह भी मानना रहा है कि लोक उद्यमों में प्रबंधन और श्रमिक वर्ग को दायित्व सौंपने तथा उन्हें विश्वास में लेने से उनमें जनता के लिए कुछ अच्छा कर गुजरने की भावना जाग्रत होने के साथ-साथ उनके कार्यों और अभिलाषाओं में स्वाभाविक रूप से देश का हित ही प्रतिबिम्बित होगा।

साथ ही, यह भी स्वीकार करना होगा कि उस समय निजी क्षेत्र के पास बड़े उद्यमों में, खासकर अवसंरचना के क्षेत्र में, निवेश करने की न तो विशेषज्ञता थी न ही संसाधन। 1 अप्रैल, 1951 की स्थिति में, मात्र 5 उद्यमों में 29 करोड़ रुपए का निवेश था जबकि 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार, 240 सरकारी उपक्रमों में 2,52,544 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका था। इनमें से आधे से कुछ अधिक उद्यम घाटे में चल रहे हैं और एक चौथाई से थोड़े अधिक उद्यमों का मामला औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास है। तथापि, यह अवश्य कहा जा सकता है कि सरकारी क्षेत्र 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में उल्लिखित प्रमुख उद्देश्यों की

---

* प्रबोधन प्रकाशन द्वारा "सरकारी उपक्रमों का निजीकरण क्यों?" विषय पर आयोजित संगोष्ठी के अवसर पर, मुम्बई (28 दिसम्बर 2001)

पूर्ति में काफी हद तक सफल रहा और उसने एक वृहत् तथा विविधतापूर्ण औद्योगिक ढांचा तैयार किया। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास तथा निजी क्षेत्र की बढ़ती क्षमता के मद्देनजर, एक के बाद एक क्षेत्रों में निजी निवेश को मंजूरी मिलती गई और अंततः विगत दशक के आर्थिक उदारीकरण का युग आया। इस प्रक्रिया की शुरुआत से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का वातावरण बना और सरकारी एकाधिकार भी धीरे-धीरे हटने लगा। स्वाभाविक तौर पर इससे सरकारी उपक्रमों की लाभार्जकता पर असर पड़ा, क्योंकि सामान्यतया सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों की आवश्यकता से अधिक संख्या, पुरानी प्रौद्योगिकी, अपर्याप्त अनुसंधान एवं विकास और उत्पाद-स्तरोन्नयन जैसी समस्याएं थीं। इससे उन्हें बाजार में हिस्सेदारी तथा राजस्व से हाथ धोना पड़ा और तो और इससे कार्यशील पूंजी-संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुईं जिससे उनके कार्य-निष्पादन पर और भी बुरा प्रभाव पड़ा। यहां यह भी उल्लेख करना होगा कि सरकार ने ऐसी कई रुग्ण निजी कम्पनियों का जिम्मा भी अपने हाथ लिया था, जिनका कार्य-निष्पादन सरकार द्वारा निगमित केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों से भी कहीं अधिक खराब था।

विगत डेढ़ दशक के दौरान सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए कई उपाय किए हैं; जैसे—बोर्डों की व्यावसायोन्मुखता बढ़ाना, शक्तियों का और अधिक प्रत्यायोजन तथा 'नवरत्न/मिनी-रत्न' कम्पनियों का सृजन, अधिक प्रचालनगत लचीलापन मुहैया कराने के वास्ते समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर तथा अनेक मार्गनिदेशों का आबंधन हटाना। इसका बड़ा अच्छा प्रभाव हुआ है। तथापि, विगत दशक के दौरान सरकार ने सरकारी उपक्रमों को नैवेशिक तथा वित्तीय सहायता के बतौर लगभग 70,000 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की और उसे लाभांश के रूप में लगभग 18000 करोड़ रुपए प्राप्त भी हुए। लाभांश का अधिकांश तेल, दूरसंचार, विद्युत तथा कोयला क्षेत्रों के शीर्ष दस उपक्रमों से प्राप्त हुआ।

अस्सी के दशक के दौरान, राजनैतिक सोच निर्णायक तरीके से ऐसी बनने लगी थी कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद के सरकारी आर्थिक क्रियाकलापजनित अनुपातांश को यथासंभव कम से कम किया जाए। इसके साथ यह भी माना जाता रहा कि जहां प्राकृतिक एकाधिकार हैं, वहां भी ऐसी कम्पनियों के एकाधिकारजनित शोषण से उपभोक्ताओं की रक्षा करने के लिहाज से प्रभावशाली प्रतिस्पर्धा-नियामक अभितंत्र बनाया जाना चाहिए। इससे दुनिया भर में सरकारी क्षेत्र के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। हमारा देश भी इस घटनाक्रम से स्वयं को अछूता नहीं रख सका। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में वर्तमान नीति इस प्रकार है:

* व्यवहार्यक्षम उपक्रमों का पुनर्गठन तथा उन्हें पुनः चालू करना।
* सभी गैर-महत्वपूर्ण उपक्रमों में सरकार की इक्विटी को घटाकर 26 प्रतिशत या और कम करना।
* जिन उपक्रमों को पुनः चालू न किया जा सकता हो उन्हें बंद करना।
* कामगारों के हितों का पूरा संरक्षण।

इसके प्रमुख नीतिगत उद्देश्य हैं—

* गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के लोक उद्यमों में निरुद्ध व्यापक जन-संसाधनों को ऐसे क्षेत्रों में, जो सामाजिक प्राथमिकता की दृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं, पुनर्नियोजन हेतु लगाना

जैसे—बुनियादी स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, प्राथमिक शिक्षा तथा सामाजिक व आवश्यक अवसंरचना क्षेत्र।

* इन दुर्लभ जन-संसाधनों के प्रवाह को अव्यवहार्य, गैर-महत्वपूर्ण लोक उद्यमों को बनाए रखने के लिए खर्च होने से रोकना।

* अनियंत्रित ढंग से बढ़ने का आभास दे रहे सार्वजनिक ऋण को कम करना।

* सरकारी क्षेत्र में फंसी करदाता की रकम के वाणिज्यिक जोखिम को जहां कहीं भी निजी क्षेत्र इच्छुक हों और इस संबंध में आगे आना चाहें, अंतरित करना—सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लगने वाली रकम वास्तव में जनता की होती है और अधिकांश मामलों में यह पूर्णतः परिहार्य और अनावश्यक जोखिम का शिकार बनती है।

* ऐसे अन्य वास्तविक और अवास्तविक संसाधनों, जैसे व्यापक श्रमशक्ति, जो अभी लोक उद्यमों में प्रबंधन में निरुद्ध हैं, को मुक्त करना और उनके समय तथा शक्ति को ऐसे उच्च-प्राथमिकता वाले सामाजिक क्षेत्र में लगाना, जहां ऐसे संसाधनों की कमी है।

आपने कुछ ऐसे सरकारी उपक्रम, जिनका निजीकरण हुआ है, के बारे में कुछ फिल्में देखी हैं और इस विषय पर कई वक्ताओं को सुना है। लोक उद्यम मंत्री होने के नाते, मैं कामगारों के लिए एक प्रभावशाली सुरक्षा-तंत्र बनाने के बारे में विशेष रूप से चिंतित हूं।

सरकार ने लोक उद्यमों में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए सुरक्षा-तंत्र बनाने के दृष्टिकोण से दो बड़े कदम उठाए हैं। पहला कदम ऐसे लोक उद्यमों के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का वर्धित लाभ प्रदान करने के बारे में है, जिनमें 1992/1997 में वेतन-संशोधन नहीं हुआ है। आपको ज्ञात होगा कि पूर्ववर्ती लोक उद्यम ब्यूरो ने सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए 1988 में एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना बनायी थी। इस योजना के अनुसार, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ चाहने वाले कर्मचारी, प्रत्येक सेवा-वर्ष के लिए, डेढ़ महीने की परिलब्धियों (मूल वेतन + मंहगाई भत्ता) के बराबर अनुग्रह-राशि प्राप्त करने के पात्र थे। तथापि, खासकर युवा कर्मचारियों में, इस योजना के प्रति कोई आकर्षण नहीं देखा गया। उसके बाद, मई 2000 में एक संशोधित योजना अनुमोदित की गई जो गुजरात पैटर्न पर आधारित थी। इस योजना में न केवल कृत सेवा-अवधि (प्रत्येक वर्ष में 35 दिवस) को बल्कि, शेष सेवा-अवधि (शेष सेवा-अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु 25 दिवस) को भी महत्व दिया गया। इस प्रकार, इस योजना में अपेक्षाकृत कम आयु के लोगों की आवश्यकताओं पर ध्यान देने की कोशिश की गई। इस योजना में भी कुछ खामियां देखी गईं, क्योंकि सरकारी उपक्रमों में कार्यरत काफी कर्मचारियों को 1992 और/अथवा 1997 में मिलने वाले वेतन-संशोधन का लाभ नहीं मिला है। 31 उपक्रमों में अभी भी 1987 के वेतनमान लागू हैं, जबकि 58 अन्य उपक्रमों में 1992 के वेतनमान लागू हैं। इन सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों की कुल संख्या 3 लाख के लगभग है। चूंकि अनुग्रह-राशि का वेतनमान से सीधा संबंध है अतः इन कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनागत लाभ के रूप में बहुत कम धनराशि प्राप्त हो रही थी। अतएव, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों, जिनमें वर्ष 1987 या 1992 वाला वेतनमान लागू है, के लिए एक

संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पैकेज स्वीकृत किया। 1987 का वेतनमान लेने वालों को अनुग्रह-राशि में सौ प्रतिशत बढ़ोत्तरी और जिन्हें 1992 का वेतनमान मिल रहा है उन्हें अनुग्रह-राशि में पचास प्रतिशत बढ़ोत्तरी दी जाएगी। इस प्रकार, इस योजना को और आकर्षक तथा न्यायोचित बना दिया गया है।

दूसरा कदम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण देने पर नये सिरे से ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। 31 मार्च, 2001 तक पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियुक्ति योजना एन.आर.एफ. का हिस्सा थी और इसका जिम्मा औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग के पास था। 1992-93 से लेकर विगत वर्ष तक, इस योजना के अंतर्गत लगभग 70000 कर्मचारियों को परामर्श प्रदान किया गया था। लगभग 53,000 कर्मचारियों को पुनर्प्रशिक्षित किया गया और लगभग 18,000 को पुनर्नियुक्त किया गया। इस योजना को पुनः निरूपित कर स्व-रोजगार हेतु पुनर्प्रशिक्षण पर ध्यान रखा गया। पुनर्निरूपित योजना के अंतर्गत नोडल एजेंसियों की पहचान की जा चुकी है और कार्य को सही परिप्रेक्ष्य में शुरू कर दिया गया है। नोडल एजेंसियां न केवल प्रशिक्षण हेतु, अपितु पुनर्नियुक्ति/स्व-रोजगार हेतु भी, परामर्शदाता की भूमिका निभाएंगी। इस योजना की सतत निगरानी और समीक्षा की जा रही है। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर, आगामी वर्ष हेतु बजटगत प्रावधान को वर्तमान 8 करोड़ रुपए से और अधिक करने का प्रस्ताव है।

मुझे आशा है कि इस परिसंवाद से इस मुद्दे को स्पष्ट करने में सहायता मिली है। मैं इस उत्कृष्ट प्रयास के लिए '*प्रबोधन प्रकाशन*' को पुनः बधाई देता हूं।

धन्यवाद।

अप्रवासी भारतीयों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल करना*

सबसे पहले मैं भारतीय व्यापारी संघ (इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर) को गत तीन दिनों से यहां पर चल रहे अप्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन करने के नूतन विचार के लिए बधाई देता हूं।

मित्रो, इस विशिष्ट सभा में आमंत्रित किए जाने पर मैं बहुत प्रसन्न और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और अप्रवासी भारतीयों को अपनी मातृभूमि के साथ अपने संबंध बनाने में आ रही कठिनाइयों और तत्संबंधी मुद्दों के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। सरकार द्वारा इन्हें दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में मैं संक्षेप में जानकारी दूंगा। मुझे आयोजकों ने चेतावनी दी है कि हम लोग "अनिवासी भारतीय" शब्द का प्रयोग न करें। इसलिए, मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि कोई सोचे कि आप "अनपेक्षित भारतीय" हैं तो यह धारणा एकदम गलत तथा अनुचित है। अप्रवासी भारतीय भी उसी प्रकार से भारत के अभिन्न अंग हैं जिस तरह यहां पर हम हैं। जिस प्रकार मैं दिल्ली में आकर भी अपनी महाराष्ट्रीय पहचान नहीं खोता, उसी प्रकार आप अपना निवास स्थान बदलने पर भी अपनी भारतीयता नहीं खोते हैं। भले ही मैंने अपना निवास स्थान बदल लिया हो परन्तु जड़ें नहीं बदली हैं। मेरी जड़ें यहीं इसी मिट्टी से जुड़ी हुई हैं तथा दिल्ली में मेरा दायित्व मेरे लिए अपनी जड़ों को और मजबूत करने के लिए मिला एक और अवसर है। भारतीय व्यापारी संघ (आई.एम.सी.) द्वारा आयोजित यह सम्मेलन स्वयं में उस सर्वोच्च प्रतिष्ठा तथा गौरव की पहचान है जो हम अप्रवासी भारतीयों को देते हैं। विश्व भर में फैले बीस मिलियन भारतीय समुदाय के लोगों ने विश्वभर में इस देश की उपस्थिति दर्ज कराने में अत्यधिक योगदान दिया है। हमारे लिए यह अत्यंत गर्व का विषय है कि भारतीयों ने व्यापारियों, चिकित्सकों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, प्रबंध परामर्शदाताओं, साफ्टवेयर विशेषज्ञों, इत्यादि के रूप में अपने लिए जिस स्पृहणीय स्थान को बनाने में सफलता प्राप्त की है और भारत की जो पहचान आज विश्व की उभरती हुई वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी शक्ति के रूप में बनी है उसका श्रेय काफी हद तक विदेशों में बसे भारतीयों की उल्लेखनीय उपलब्धियों को जाता है।

हम मानते हैं कि विश्वभर में फैले अप्रवासी भारतीय विशेषज्ञता, दक्षता तथा उद्यमशीलता के गुणों से सम्पन्न हैं जिनका उपयोग राष्ट्र निर्माण के कार्य में किया जा सकता है। इन विपुल संभावनाओं

* अप्रवासी भारतीय सम्मेलन में, मुम्बई (18 दिसम्बर 1999)

का दोहन करने के लिए मेरी सरकार ने हाल ही में अप्रवासी भारतीयों हेतु कई निवेशक अनुकूल प्रोत्साहनों तथा कर छूटों को लागू किया है। मैं इनमें से कुछ योजनाओं के बारे में बताना चाहता हूं। अब शेयरों तथा प्रतिभूतियों में पोर्टफोलियो निवेश; 51 प्रतिशत योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत स्वदेश प्रत्यावर्तन लाभों के साथ निवेश; गैर-स्वदेश प्रत्यावर्तन के आधार पर वाणिज्यिक पत्रों में निवेश हेतु शर्तों का उदारीकरण; विदेशी/तकनीकी सहयोग हेतु स्वतः अनुमोदन मार्ग; अनिवासी विशेष रुपया लेखा योजना; तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों को कार्ड जारी करने हेतु योजना इत्यादि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है। ये सुविधाएं तथा प्रोत्साहन सरकार की इस हार्दिक इच्छा की सूचक हैं कि विदेशों में बसे भारतीय भारी संख्या में वापस आएं तथा भारत में निवेश करें, और परिसम्पत्तियों का निर्माण करें और उनके स्वामी बनें।

दूसरे चरण के सुधारों की प्रक्रिया आरंभ करने के बारे में भी मैं संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं। इनका मूल प्रयोजन विश्व अर्थव्यवस्था में भारत को मिलने वाले प्रतिस्पर्धाजन्य लाभ में सुधार लाना है। जहां तक बौद्धिक संपदा अधिकारों के बेहतर संरक्षण संबंधी नीति का प्रश्न है, इस बारे में एक वर्ष पूर्व दिसंबर, 1998 में पेरिस सम्मेलन में शामिल होकर तथा पेटेंट सहयोग संधि पर हस्ताक्षर करके वचनबद्धता दर्शायी जा चुकी है। ऐसे आवश्यक विधायी परिवर्तन जो विश्व व्यापार संगठन की वचनबद्धताओं का हिस्सा हैं और जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था पेटेंट, ट्रेडमार्क तथा औद्योगिक डिजाइनों जैसी वैश्विक प्रणाली से और प्रभावी ढंग से जुड़ जाएगी, संसद के चालू सत्र से आरंभ कर दिए गए हैं। भारत भौगोलिक संकेतों तथा जैव विविधता इत्यादि के संरक्षण से संबंधित विधान भी ला रहा है। कापीराइट अधिनियम जो साफ्टवेयर क्षेत्र में भारत की शक्ति के मुख्य कारकों में से एक है, में संशोधन पर भी विचार किया जा रहा है। इन पहलों से निवेश तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहन देने वाले वातावरण का निर्माण करने वाली समग्र नीति को अतिरिक्त बल मिलने की आशा है। पेटेंट कार्यालयों तथा ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रक्रियाओं का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आधुनिकीकरण करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।

विदेशों में बसे भारतीयों के लिए अवसंरचना तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों इत्यादि में अवसरों के बारे में पहले ही विस्तृत चर्चा हो चुकी है। मैं इन मुद्दों पर और ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि सम्मेलन में प्रख्यात वक्ता इस विषय पर उचित तथा पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं। केन्द्रीय भारी उद्योग तथा लोक उद्यम मंत्री के रूप में मैं यहां पर कुछ विशेष बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। हम अपनी सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को और कार्यकुशल उत्पादक तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की प्रक्रिया में हैं तथा हमने बड़ी संख्या में ऐसी इकाइयों का पता लगाया है जिनमें प्रबंधकीय तथा तकनीकी विशेषज्ञता लाकर उन्हें और मजबूत किया जाना है। आप इस प्रक्रिया में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। लोक उद्यम जो प्रत्यक्ष रूप से मेरे प्रभार में हैं, मुख्य रूप से भारी अभियांत्रिकी उपस्कर से संबंधित कार्यों में संलग्न हैं तथा मुझे विश्वास है कि इन इकाइयों के प्रबंधन में आप में से कुछ लोग सरकार के साथ हाथ मिलाना चाहेंगे। हमने जिन संयुक्त उद्यमों की पहचान की है, मैं आपसे उन इकाइयों का निरीक्षण करने का अनुरोध करता हूं। इस विषय में आप मुझसे किसी भी समय निःसंकोच चर्चा कर सकते हैं।

मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा प्रयास यह रहा है और रहेगा कि विदेशों में रह रहे भारतीयों को देश की मुख्यधारा में शामिल करने की प्रक्रिया को मजबूत किया जाए। जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, मेरी सरकार ने पिछले दो बजटों में नीतिगत पहल करने की प्रक्रिया शुरू की है। तथापि, मुझे मालूम है कि अभी भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनसे विदेशों में रह रहे भारतीय संतुष्ट नहीं हैं। दो ऐसे मामले जो इस समय मुझे याद आ रहे हैं, वे हैं—विदेशी मुद्रा प्रबंधन विधेयक तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए कार्ड योजना (पी आई ओ)। मैं जानता हूं कि दोहरी नागरिकता का मुद्दा लंबे समय से चला आ रहा है। कुछ संवैधानिक उपबंधों तथा सुरक्षा इत्यादि से संबंधित कठिनाइयों को देखते हुए, दोहरी नागरिकता के बारे में अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन पी आई ओ कार्ड योजना से विदेशों में रह रहे भारतीयों को कुछ विशेष आर्थिक, शैक्षिक, वित्तीय तथा सांस्कृतिक लाभ प्राप्त हुए हैं। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि विदेशों में रह रहे भारतीयों के बीच इन मुद्दों को लेकर काफी उत्साह है। मुझे विश्वास है कि मेरी सरकार इस संबंध में आपकी भावनाओं पर अवश्य विचार करेगी तथा ऐसे समाधान निकालेगी जिससे आपमें से अधिकांश लोग संतुष्ट हो जाएंगे।

मैं तहेदिल और पूरी निष्ठा से विदेशों में बसे भारतीय भाइयों को राष्ट्र निर्माण तथा नया भारत बनाने के इस कार्य के लिए आगे आने तथा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं भारतीय व्यापारी संघ (आई.एम.सी.) को विदेशों में बसे भारतीयों की असीम संभावनाओं, उनकी उत्कट देशभक्ति तथा अपनी मातृभूमि के विकास में अपना भरपूर योगदान करने की उनकी प्रबल इच्छा का सही पता लगाने के लिए बधाई देता हूं। यह अनोखा सम्मेलन विदेशों में बसे भारतीयों तथा भारतीय व्यापारी संघ (आई.एम.सी.) की संकल्पना के प्रति नमन है। हम आशा करते हैं कि हम सभी मातृभूमि के प्रति अपने ऋण को यथाशीघ्र चुका देंगे।

जय हिंद।

अपनी पुस्तक *'स्पीकर्स डायरी'* की एक प्रति प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भेंट करते हुए, नई दिल्ली, 15 जून 2003

स्वर्गीय श्री एस.एल. किर्लोस्कर पर स्मारक डाक-टिकट जारी करने के अवसर पर, नई दिल्ली, 26 फरवरी 2003

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए,
नई दिल्ली, 27 जुलाई 2002

प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां का सम्मान करते हुए,
संसदीय ज्ञानपीठ, 7 अगस्त 2003

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति द्वारा सी आई आई के सहयोग से ''महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण: 21वीं सदी का स्वरूप'' विषय पर आयोजित विचारगोष्ठी के उद्घाटन अवसर पर, नई दिल्ली, 1 मार्च 2003

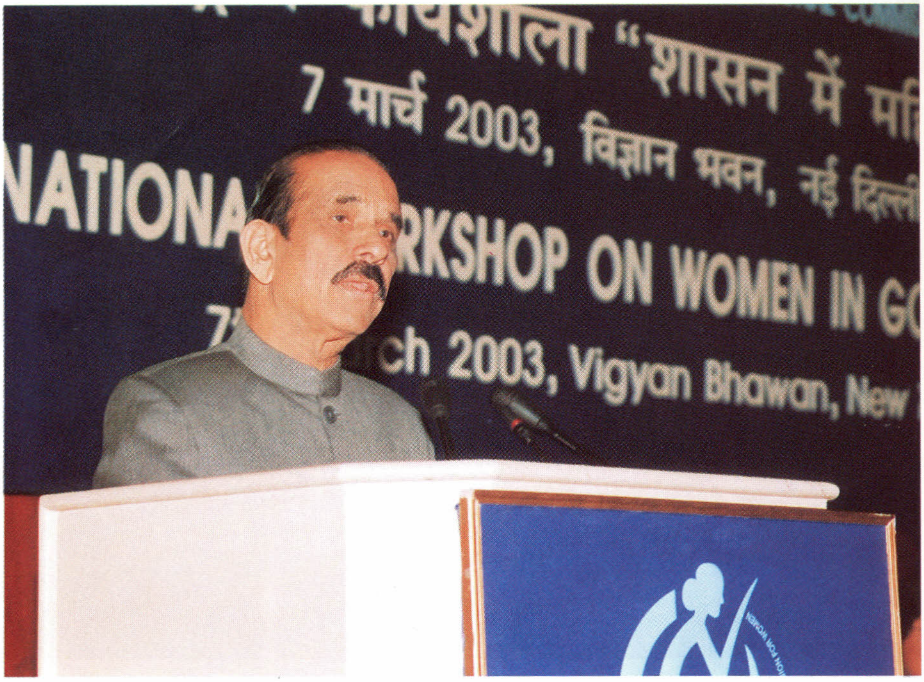

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा "शासन में महिलाएं" विषय पर आयोजित
कार्यशाला के उद्‌घाटन अवसर पर, नई दिल्ली, 7 मार्च 2003

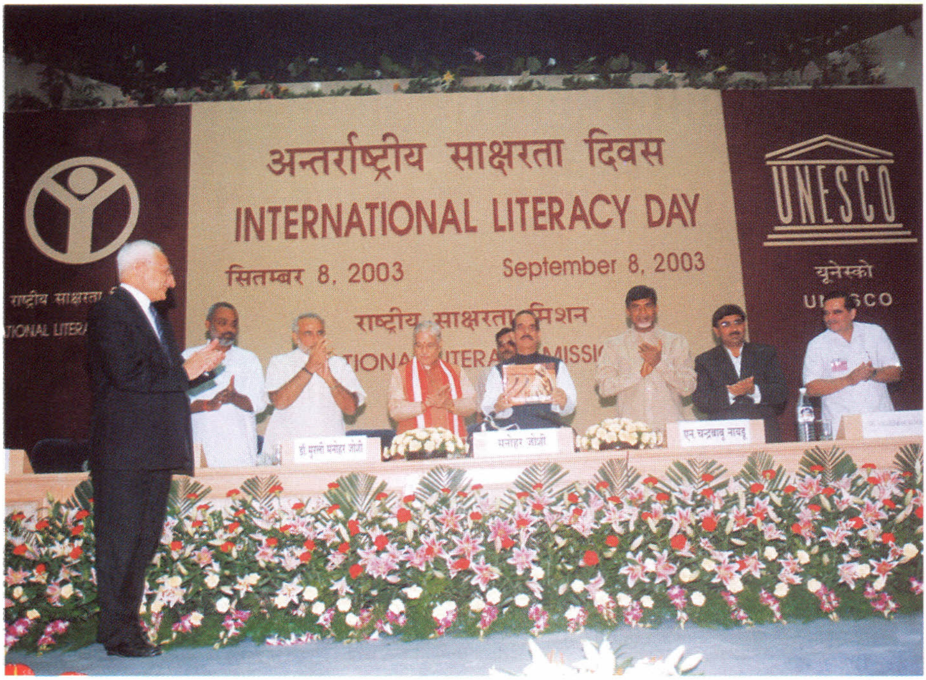

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में,
नई दिल्ली, 8 सितम्बर 2003

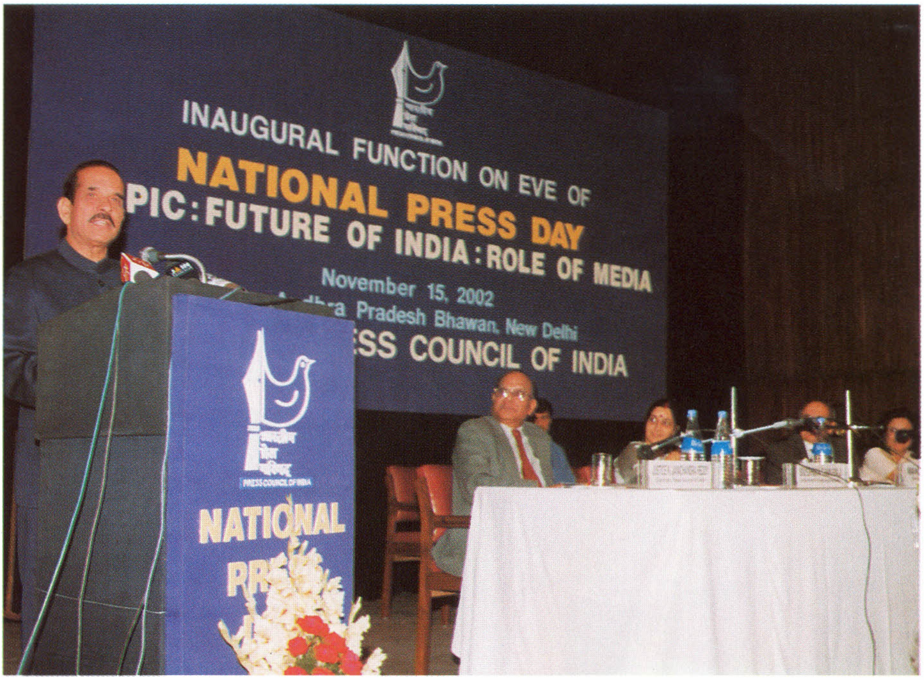

राष्ट्रीय प्रेस दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित समारोह में,
नई दिल्ली, 15 नवम्बर 2002

बृहन्महाराष्ट्र मंडल के व्यापार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए,
न्यूयार्क, 3 जुलाई 2003

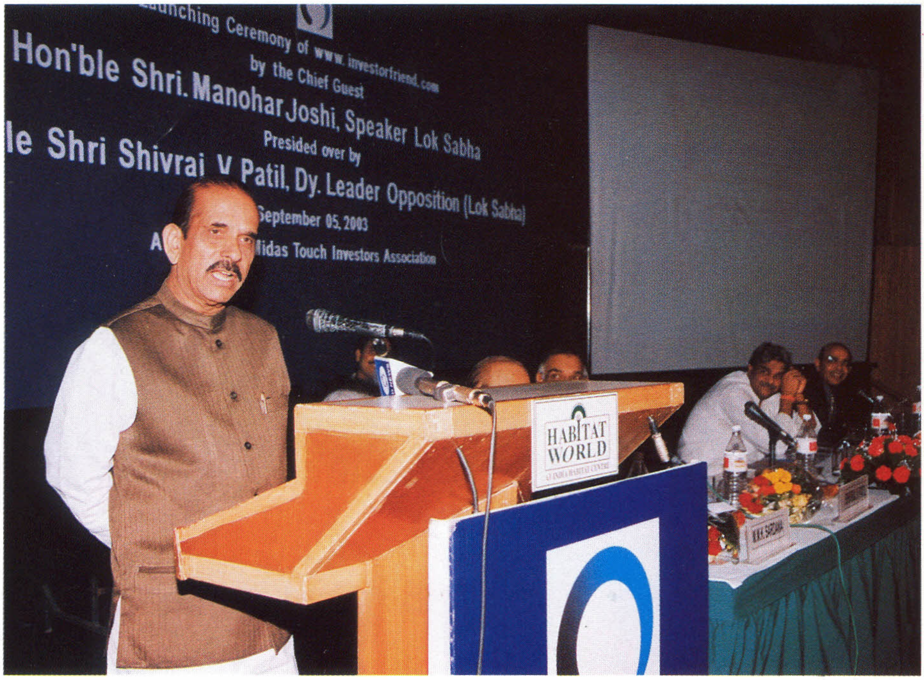

मिडास टच इन्वेस्टर्स एसोसिएशन की वेबसाइट का उद्घाटन करते हुए,
नई दिल्ली, 5 सितम्बर 2003

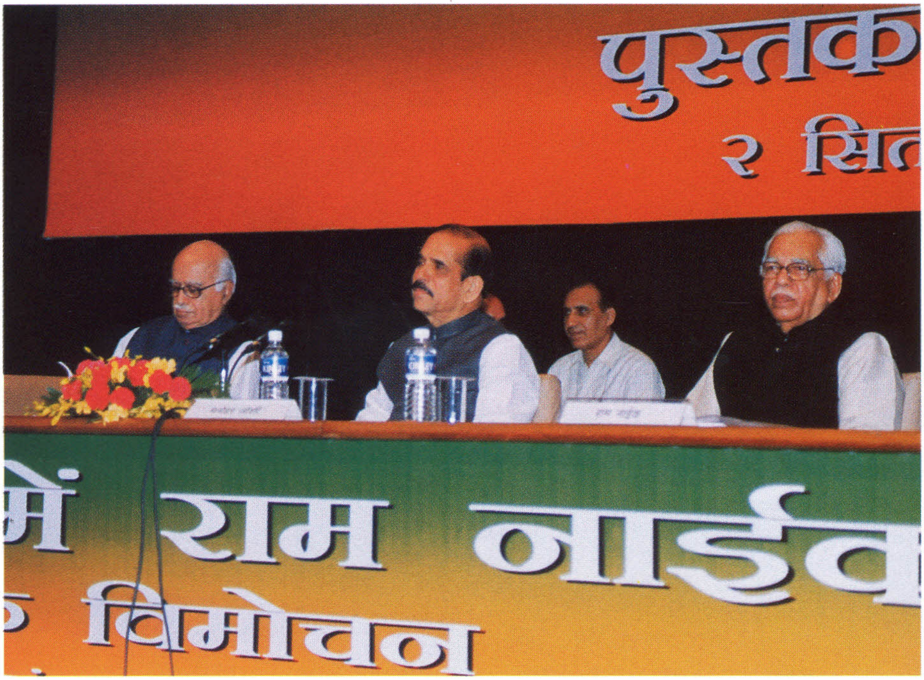

'लोक सभा में राम नाईक' नामक पुस्तक के विमोचन अवसर पर,
नई दिल्ली, 2 सितम्बर 2003

श्री रवीन्द्र सिंह, संसद सदस्य द्वारा लिखित पुस्तक *'तिनकों का महल'* के विमोचन अवसर पर, नई दिल्ली, 20 अगस्त 2003

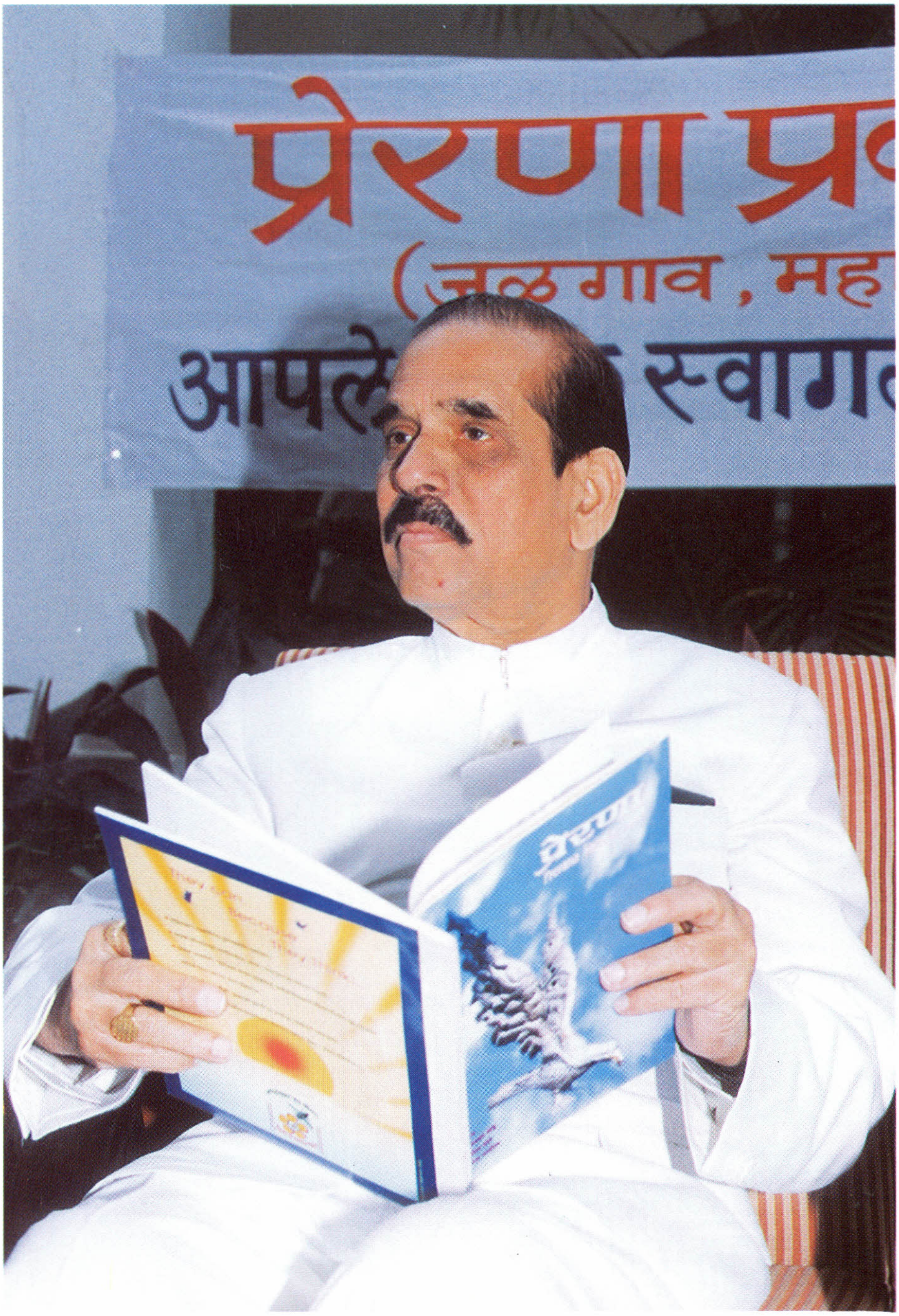

श्री शरवरी माली की पुस्तक 'प्रेरणा' के विमोचन अवसर पर, 24 नवम्बर 2002

महाराष्ट्र उत्सव का उद्‌घाटन करते हुए, भोपाल, 27 अक्तूबर 2002

महाराष्ट्र दिन समारोह के अवसर पर, संसदीय सौध,
नई दिल्ली, 1 मई 2003

परिसरातील समस्त मराठी संस्था द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में,
संसदीय सौध, 21 जुलाई 2002

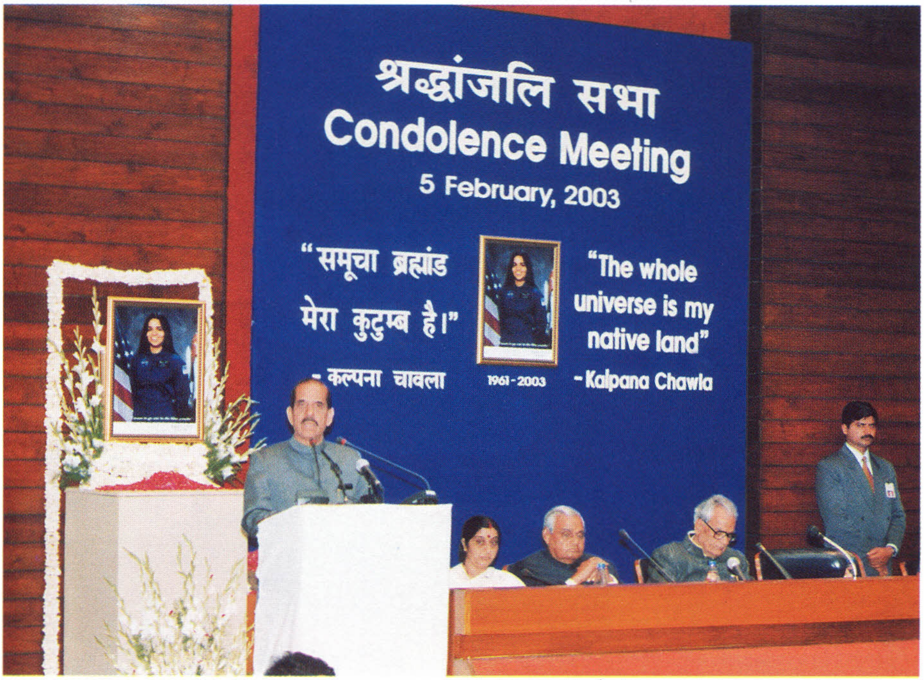

अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की स्मृति में आयोजित शोक सभा में,
संसदीय सौध, नई दिल्ली, 5 फरवरी 2003

मदर्स प्राइड स्कूल के टैलेन्ट 2003 समारोह में,
नई दिल्ली, 15 जून 2003

होली के अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन में,
नई दिल्ली, 11 मार्च 2003

श्री जे.एस. बराड़, संसद सदस्य के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल के साथ,
संसद भवन, नई दिल्ली, 7 मई 2003

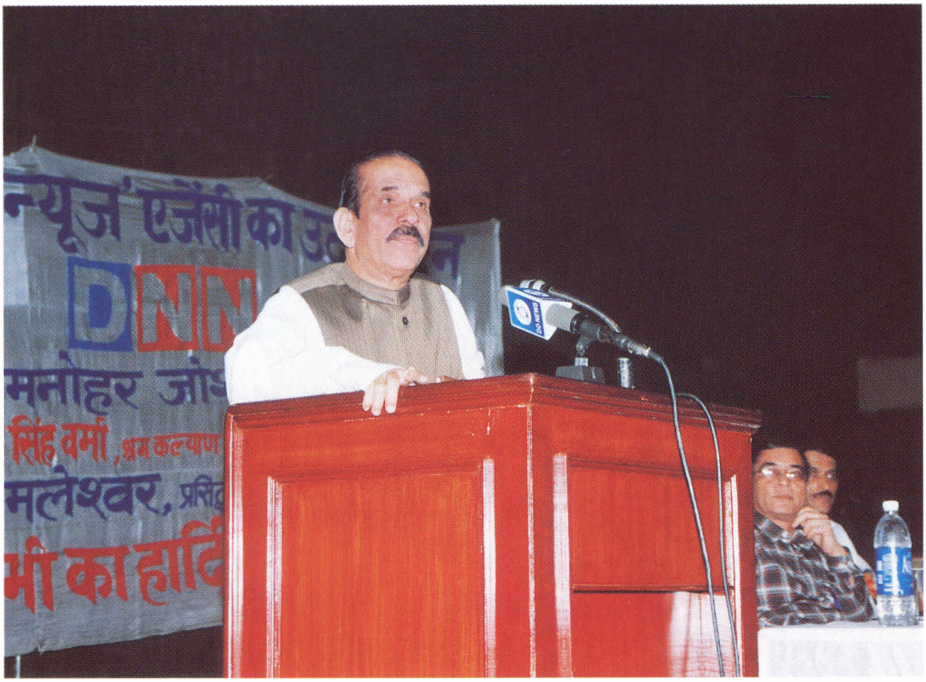

डे नाइट न्यूज एजेंसी के उद्घाटन अवसर पर,
नई दिल्ली, 17 अगस्त 2003

ओशो पर लिखी पुस्तकों का एक सेट प्राप्त करते हुए,
नई दिल्ली, 13 अगस्त 2002

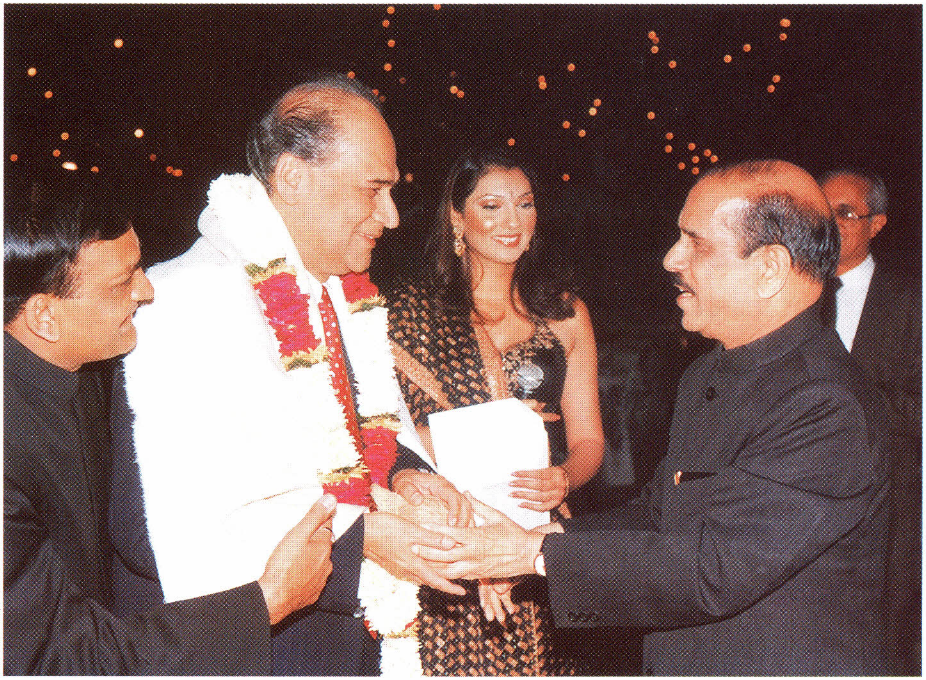

श्री राहुल बजाज के राष्ट्रमंडल व्यापार परिषद का सह अध्यक्ष निर्वाचित
होने पर उन्हें बधाई देते हुए, 25 नवम्बर 2002

बेकार प्लास्टिक को ईंधन में बदलने की प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के अवसर पर,
नई दिल्ली, 7 मार्च 2003

भाग पाँच

महाराष्ट्र राज्य विधानमण्डल में दिए गए भाषण

मुम्बई और महाराष्ट्र की समस्याएं*

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए मुझे बहुत कम समय आवंटित किया गया है। हालांकि मुझे अनेक बिंदुओं पर अपने विचार रखने हैं तथापि मैं तीन मुद्दों पर ही अपनी राय रखूंगा। मैं सीमा के मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। महामहिम ने अपने भाषण में मुम्बई और महाराष्ट्र में मराठी भाषी लोगों की समस्याओं के बारे में उल्लेख नहीं किया है। दूसरी बात मुम्बई के विशिष्ट मुद्दों से जुड़ी हुई है।

जिस तरह से महामहिम को इस सभा को छोड़कर जाना पड़ा, सरकार को इसका पूर्वाभास होना चाहिए था। उन्हें पिछले दरवाजे से बाहर निकलने को बाध्य होना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें पिछले दरवाजे से बाहर जाने को बाध्य किया। यदि सरकार लोगों की भावनाओं से सहानुभूति रखने में असफल रहती है, तो उसे भी उसी तरह से सत्ता छोड़नी पड़ेगी।

सरकार नागरिकों को 12 किलो अनाज देने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में असफल रही है। इस असफलता से लोगों में असंतोष बढ़ा है। यह आवश्यक हो गया है कि इस स्थिति से निपटने के लिए अन्य उपाय सोचे जाएं। महामहिम ने सीमा के मुद्दे का उल्लेख किया है। उन्होंने अपनी बात को सरकार द्वारा अब तक की गई कार्रवाई तक ही सीमित रखा है महाराष्ट्र के एक शिष्टमंडल ने प्रधान मंत्री से मुलाकात की है। शिष्टमंडल ने इस मुद्दे पर हमारा मत रखा है। प्रधान मंत्री के ध्यान में यह बात लाई गई थी कि केवल महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों की बैठक ही सीमा समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त नहीं होगी। महामहिम को सरकार की नीतियों को ठोस एवं जोरदार तरीके से रखना चाहिए था। कर्नाटक के राज्यपाल श्री मोहन लाल सुखाड़िया ने कर्नाटक विधान सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में कन्नड़ भाषी लोगों के साथ हो रहे अन्याय को सहन नहीं किया जाएगा। श्री सुखाड़िया ने कहा, ''मैं इससे बहुत ज्यादा चिंतित हूं।'' इसलिए मैं भी आशा कर रहा था कि हमारे राज्यपाल कर्नाटक में मराठी भाषी लोगों पर पुलिस बलों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार के विरुद्ध अपने उद्‌गार व्यक्त करेंगे। तथापि महामहिम के अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं था। मैं माननीय मुख्यमंत्री से राज्यपाल के अभिभाषण पर दिए जाने वाले अपने भाषण में सरकार की सोच की घोषणा करने का अनुरोध करता हूं। आज के समाचार पत्रों में कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री देवराज अर्स का भाषण प्रकाशित हुआ है। उन्होंने घोषणा की है कि जब तक वह

* राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (4 मार्च 1974)

सत्ता में हैं, तब तक वह सीमा के मुद्दे में शामिल किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे। यह आवश्यक हो गया है कि हमारे मुख्यमंत्री भी संक्षेप में और जोरदार ढंग से अपनी बात को रखें।

महामहिम के अभिभाषण में मराठी भाषी लोगों की समस्याओं का जिक्र नहीं किया गया है। शिव सेना ने अपने शुरूआती दिनों से ही इस मुद्दे पर अपना रूख स्पष्ट किया है। कोई भी नागरिक, तभी स्थानीय समझा जाए, यदि उसके माता-पिता मराठी भाषी हैं। हमारी यह मांग है कि 80 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय लोगों को दी जाएं। मैं इस बात को साबित कर सकता हूं कि कर्नाटक सरकार ने उन अभ्यर्थियों को रोजगार में वरीयता देने का निर्णय किया है जिनके माता-पिता कन्नड़ भाषी हैं। महाराष्ट्र सरकार इस मुद्दे से पीछे नहीं हट सकती अन्यथा इससे मराठी भाषी लोगों में असंतोष बढ़ेगा। इस बात पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए कि मराठी भाषी लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए।

राज्यपाल के अभिभाषण में मुम्बई महानगर की बड़ी समस्याओं का उल्लेख नहीं किया गया है। इस महानगर की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और इससे अराजकता पैदा हो गई है। अन्य राज्यों से सैंकड़ों लोग इस महानगर में बसने के लिए आ रहे हैं। लोगों के इस तरह के आगमन के कारण सभी समस्याएं गंभीर हो गई हैं। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस महानगर की जनसंख्या निकट भविष्य में एक करोड़ की सीमा पार कर जाएगी। मैं इस सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने इस मुद्दे पर विचार किया है। मलिन बस्ती सुधार न्यास (बोर्ड) इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। इस न्यास में बृहन्मुम्बई नगर निगम का कोई प्रतिनिधि नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री को अपने भाषण में इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि इस न्यास में उक्त प्रतिनिधि कब तक नियुक्त किया जायेगा।

त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की अनिवार्यता*

महोदय, मैं लोक महत्व के एक मुद्दे से संबंधित निम्नलिखित संकल्प पर आधे घंटे की चर्चा करने हेतु आपकी अनुमति चाहता हूं:—

"ग्रेटर मुम्बई में न्यायालयों से न्याय मिलने में विलम्ब होता है। हजारों मामले अनिर्णीत पड़े हैं। मुकदमा लड़ने वाले लोग निराशा महसूस करते हैं। प्रशासन परिसरों के अधिग्रहण, कर्मचारियों की भर्ती तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कार्रवाई करने में विलम्ब करता है। इसके कारण लोगों में भारी असन्तोष व्याप्त है।"

यह मुद्दा वादी और प्रतिवादी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इस मुद्दे से अन्ततः लोगों का जीवन प्रभावित होता है। इस सभा को समय-समय पर न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों की संख्या के बारे में अवगत कराया गया है। मैं इन मामलों की संख्या उद्धृत करूंगा। मेरे पास उच्च न्यायालय के वर्ष 1965, 1968 और 1971 के आंकड़े हैं। वर्ष 1965 में 21674 मामले लंबित थे। वर्ष 1968 और 1971 में इन मामलों की संख्या बढ़कर क्रमशः 31610 और 37583 हो गई। नगर सिविल न्यायालयों में वर्ष 1965, 1968 और 1971 में क्रमशः 17000, 24000 और 31000 मामले लंबित थे। लघुवाद न्यायालयों में वर्ष 1965, 1968 और 1971 में क्रमशः 41000, 51000 और 61000 मामले लंबित थे। वर्ष 1971 में उच्च न्यायालय, सिविल न्यायालयों, और लघुवाद न्यायालयों में अनिर्णीत मामलों की संख्या क्रमशः 37583, 29621 और 61827 थी। इन तीनों न्यायालयों में लगभग एक सौ बीस हजार मामले लंबित पड़े रहते हैं। इन मामलों में शीघ्रातिशीघ्र निर्णय होना अत्यावश्यक है। मैंने सरकार का ध्यान आमंत्रित करने हेतु इस चर्चा का प्रस्ताव किया है। इन मामलों के त्वरित निपटान की जिम्मेदारी सरकार की है।

मामले वर्षों तक लंबित पड़े रहने के कारण ही न्याय मिलने में विलम्ब हो रहा है। यहां कुछ मामलों पर दृष्टिपात करना रुचिकर होगा। एक कम्पनी के कर्मचारी ने प्रबंधन के विरुद्ध वर्ष 1962 में एक मुकदमा दायर किया था। उन्हें न्यायालय का आदेश 1974 में मिला। उसकी शिकायत के निपटारे में बारह वर्ष लगे। ऐसा ही एक अन्य मामला समाचार-पत्रों में उद्धृत किया गया था। उस मामले में न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने में सत्रह वर्ष लगे। "दि महाराष्ट्र टाइम्स" ने यह समाचार

* न्यायालय में न्याय प्रदान करने में विलम्ब के संबंध में आधे घंटे की चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (26 मार्च 1974)

"सेवनटीन ईयर्स स्ट्रगल फार लीगल सक्सैस" शीर्षक से प्रकाशित किया था। सिरसी नगर पालिका के अस्पताल की एक नर्स (उपचारिका) ने अपनी सेवाओं के अवैध समापन के विरुद्ध वर्ष 1955 में एक मामला दायर किया था। यह नर्स मुम्बई उच्च न्यायालय में यह मुकदमा जीत गई। किन्तु सिरसी नगर पालिका ने उच्चतम न्यायालय में अपील कर दी। अन्तत: वह 1972 में उच्चतम न्यायालय में यह मुकदमा जीत गई। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि नगरपालिका द्वारा लगाए आरोपों के विरुद्ध नर्स को अपना पक्ष रखने का अवसर न देना अन्यायपूर्ण है। न्यायालय ने उनकी सेवाओं के समापन को अवैध माना। एक पुलिस अधिकारी ने अपनी शिकायत का निपटान करने हेतु न्यायालय की शरण ली। उन्हें पच्चीस वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। वास्तव में यह सच है कि इन्साफ मिलने में देर होने से इन्साफ नहीं मिलता। न्याय देने में विलम्ब करना न्याय देने से इन्कार करने के समान है।

यदि आप किसी न्यायालय में जाएं तो आपको पता चलेगा कि वहां असंख्य मामले लंबित पड़े हैं। अनेक लोगों को न्यायालय में जाकर अपना समय बर्बाद करना पड़ता है। अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश वारेन ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी: "मुकदमे की तत्काल सुनवाई का अधिकार छठे संशोधन द्वारा प्राप्त अधिकारों के समान एक मौलिक अधिकार है।" इसका अर्थ है कि अपने मामले का यथाशीघ्र संभव तारीख पर निर्णय कराना व्यक्ति का बुनियादी अधिकार है। सैंकड़ों नहीं बल्कि हजारों मामले लंबित हैं। इस स्थिति के लिए अनेक कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

हमारे न्यायालयों के पास अपना कार्य करने हेतु पर्याप्त स्थान नहीं है। मुम्बई में किसी भी न्यायालय के लिए एक भी भूखंड आरक्षित नहीं किया गया है। बांद्रा में एक भूखंड आरक्षित किया गया किन्तु बाद में इसे भी अनारक्षित कर दिया गया। यद्यपि अंधेरी और मझगांव में न्यायालयों के लिए भूखंड उपलब्ध कराए जा सकते हैं किंतु इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। उच्च न्यायालय में वकीलों ने अनेक चैम्बर ले रखे हैं। जबकि न्यायाधीशों के पास पर्याप्त स्थान नहीं है। उच्च न्यायालय में लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। न्यायाधीश वकीलों से इन चैम्बरों को वापिस नहीं ले सकते। इन चैम्बरों को न्यायाधीशों को लौटाए जाने की जरूरत है।

यदि लंबित मामलों को शीघ्र निपटाना है तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है। किन्तु ऐसा लगता है कि इस संबंध में कुछ नहीं किया गया है। सत्र न्यायालय में वकीलों की चार रिक्तियां भरने हेतु कुछ नहीं किया जा रहा है। पता नहीं सरकार का विचार इन रिक्तियों को कैसे भरने का है।

विधि आयोग ने लंबित मामलों के निपटान हेतु अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने का सुझाव दिया था। इस सुझाव पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। न्यायाधीशों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं की गई है। न्यायाधीश सार्वजनिक बसों में जाते हैं और अपराधी सरकारी वाहनों में जाते हैं। यदि संविधान के उपबंध न्यायाधीशों के वेतन के आड़े आते हैं तो हमें उनके लिए कम से कम वाहन की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि प्रत्येक न्यायाधीश को वाहन उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है तो चार से पांच

न्यायाधीशों के लिए सामूहिक वाहन की व्यवस्था करनी चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार मेरे सुझावों पर कार्रवाई करेगी।

हमें बताया गया है कि टंकक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। अपेक्षित दस्तावेजों की प्रतियां मिलना कठिन हो जाता है। न्यायालयों के भवनों पर रंग-रोगन करने और उनका रख-रखाव करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है। माननीय मंत्री को भवनों के रख-रखाव संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए उनका निरीक्षण करना चाहिए कि इनका रख-रखाव कैसे किया जाए। मैं 'कारोनर कोर्ट' हेतु नए भवन का सुझाव देना चाहता हूं।

मुम्बई का विकास*

यह विधेयक मुम्बई नगर और इसके समीपवर्ती क्षेत्रों जिसमें अम्बरनाथ, कल्याण, पनवेल और पेन शामिल हैं, के विकास से संबंधित है। मैं मुम्बई शहर के विकास के बारे में यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक पर चर्चा करने से पहले उन कारणों को जानना आवश्यक है, जिनके कारण मुम्बई शहर का विकास पहले नहीं किया जा सका। मैं इसके लिए दो कारणों को उत्तरदायी मानता हूं। सर्वप्रथम, सरकार द्वारा दोषपूर्ण नीतियां बनाई गईं। दूसरा कारण यह रहा कि मुम्बई के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार पर्याप्त धनराशि जुटाने में असमर्थ रही।

सर्वप्रथम, मैं मुम्बई शहर में अव्यवस्था के लिए उत्तरदायी दोषपूर्ण नीतियों की चर्चा करना चाहता हूं। इस शहर की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। इस शहर के भविष्य के बारे में चिंता व्याप्त है। सरकार ने बृहन्मुम्बई नगर निगम द्वारा दिए गए सुझावों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की समितियों द्वारा दिए गए प्रस्तावों की भी सरकार ने उपेक्षा कर दी है। इस विभाग के पूर्व मंत्रियों द्वारा दोषपूर्ण नीतियों के अनुसरण से ही वर्तमान अव्यवस्था उत्पन्न हुई है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या अलग प्राधिकरण की स्थापना से मुम्बई शहर का विकास हो सकता है? इस शहर के लिए सरकार ने इस शहर की मलिन बस्तियों के संबंध में जो नीतियां बनाईं, अब तक अपनाई गई नीतियों पर विचार करना अति महत्वपूर्ण है। उन पर विचार करना भी आवश्यक है। मैं कुछ तथ्यों और आंकड़ों का उल्लेख करना चाहता हूं। इस शहर की 560 मलिन बस्तियों में 14 लाख लोग रहते हैं। 65 लाख की जनसंख्या में से 14 लाख लोग मलिन बस्तियों में रहते हैं। इसका कारण यह है कि बृहन्मुम्बई नगर निगम द्वारा इस बारे में दिए गए सुझावों के बावजूद सरकार कानून में संशोधन करने में असफल रही। मैंने इस सभा में एक विधेयक पुर:स्थापित किया था जिसमें अनधिकृत रूप से झुग्गी अथवा झोपड़ी डालने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने के बारे में उपबंध था।

दूसरे, इस शहर में 20,000 भवनों की मरम्मत और 3000 भवनों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। यह मुद्दा मुम्बई की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ...सरकार ने भवनों की मरम्मत के लिए समुचित उपाय नहीं किए हैं। जहां तक शहर में जलापूर्ति का संबंध है, मैंने देखा है कि विश्व बैंक ने इसके लिए आवश्यक कुल 421 करोड़ रु. की तुलना में 42 करोड़ रुपए ही मंजूर किये हैं। इस

* मुम्बई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण विधेयक, 1974 पर चर्चा के दौरान, महाराष्ट्र विधान परिषद् (25 नवम्बर 1974)

शहर को जलापूर्ति के लिए शेष 379 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। मैं इस शहर में स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। जैसा कि सरकार 65 लाख लोगों की दशा में सुधार के लिए कुछ नहीं कर सकी इसी कारण मुझे संदेह है कि कोई नया प्राधिकरण इस दिशा में कोई उल्लेखनीय कार्य कर सकेगा।

श्री रफीक जकारिया ने डा. गाडगिल का नाम लिया और बताया कि उन्होंने प्रस्तावित प्राधिकरण की स्थापना का सुझाव दिया था। क्या सरकार गाडगिल समिति के मात्र सुविधाजनक सुझावों को ही स्वीकार करना चाहती है। आपको आश्चर्य होगा यदि मैं डा. गाडगिल की पुस्तक 'क्षेत्रीय नियोजन— कैसे और क्यों' पढ़ कर सुनाऊं। मैं सरकार द्वारा समिति की महानगर प्राधिकरण स्थापित करने संबंधी सिफारिश को मानने और इसकी अन्य सिफारिशों की उपेक्षा करने का कारण समझ नहीं सका। मैं एक साधारण प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के पश्चात् के 27 वर्षों में कितने उद्योगों को लाइसेंस दिए गए। डा. गाडगिल ने बन्दरगाह से संबंधित उद्योगों को ही शहर में रहने की अनुमति देने को कहा था। उन्होंने अन्य उद्योगों को ऐसी अनुमति न दिए जाने का सुझाव दिया था। लेकिन सरकार ने सभी तरह से सभी उद्योगों को यहां बने रहने की अनुमति दे दी। सरकार इस तथ्य का खंडन नहीं कर सकती है। डा. गाडगिल अनुकूल क्षेत्रों में अवस्थित उद्योगों के कार्य करते रहने के पक्ष में थे और प्रतिकूल क्षेत्रों में अवस्थित उद्योगों को स्थानान्तरित करने का उन्होंने सुझाव दिया था। मैं मुम्बई नगर निगम का प्रतिनिधित्व करता हूं। मुझे निश्चित तौर पर यह ज्ञात है कि उद्योगों को स्थानांतरित करने के बारे में सरकार की कोई नीति नहीं है। ऐसे में सरकार इस प्राधिकरण की स्थापना करना ही क्यों चाहती है? सरकार ने नई मुम्बई को स्थापित किया। डा. गाडगिल ने दक्षिण मुम्बई में सचिवालय अथवा किसी भी सरकारी भवन का निर्माण न करने का सुझाव दिया था। उन्होंने ऐसे किसी भी निर्माण के गंभीर दुष्परिणामों के बारे में चेतावनी दी थी। सचिवालय की इमारत दक्षिण मुम्बई में बनवायी गई है। विधायिका की इमारत का निर्माण भी दक्षिण मुम्बई में कराया जा रहा है। सरकार ने गाडगिल समिति के सुझावों को कार्यान्वित नहीं किया।

मंत्री जी ने कहा है कि प्रस्तावित प्राधिकरण भिन्न-भिन्न एजेंसियों के कार्यकरण में समन्वय स्थापित करेगा। अनेक एजेंसियां समुचित तरीके से काम नहीं कर रही हैं। इसलिए समन्वय की बात बेतुकी है।

जहां तक मलिन बस्तियों का सवाल है, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि प्रतिदिन 300 परिवार इस शहर में रहने के लिए आते हैं। यदि लोगों का इसी तरह आना-जाना लगा रहा, तो प्राधिकरण द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद निवासियों की समस्याएं हल नहीं होंगी। योजना मंत्री श्री धारिया ने अपने मुम्बई दौरे के दौरान कहा था कि इस नगर की समस्याएं तब तक हल नहीं की जा सकतीं जब तक कि अन्य राज्यों से मुम्बई आने वाले लोगों के प्रवाह को रोका न जाए।

मैं मुम्बई के बारे में कुछ तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक आकलन के अनुसार 65 लाख की वर्तमान आबादी बढ़कर 1981 में 71 लाख तक हो जाएगी। यदि यह आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो मैं समझता हूं कि इस बढ़ती आबादी के लिए मौजूदा नागरिक सुविधाएं अपर्याप्त

हो जाएंगी। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने इस नगर की वित्तीय समस्याओं को दूर करने की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली है। मुम्बई नगर से केन्द्र सरकार को मिलने वाले करों का 72 प्रतिशत महाराष्ट्र को मिलता है। यह तर्कसंगत है कि इन करों की राशि का एक बड़ा हिस्सा इस नगर के विकास पर खर्च होना चाहिए। महाराष्ट्र से विक्रय कर की कुल उगाही 182 करोड़ रुपए है और इसमें मुम्बई की भागीदारी 144 करोड़ रुपए की है अर्थात् पूरे राज्य के विक्रय कर का 80 प्रतिशत मुम्बई से आता है। केन्द्र सरकार आयकर के रूप में 1000 करोड़ रुपए की उगाही करती है। इसकी तुलना में मुम्बई नगर को मुम्बई से आयकर के रूप में 325 करोड़ रुपए मिलते हैं। जो नगर कर के रूप में इतना बड़ा योगदान करता हो, सरकार द्वारा उसकी उपेक्षा की जा रही है। यदि कर उगाही की राशि मुम्बई पर खर्च नहीं की जाती, तो कम आमदनी वाले लोगों की समस्याएं कभी हल नहीं होंगी। क्या मुम्बई के लोगों के लिए एक बेहतर जीवन की कल्पना करना गलत है? जब मुम्बई को अकाल का सामना करना पड़ा था, तो मुख्यमंत्री चाहते थे कि महाराष्ट्र के अन्य भागों से लोग मुम्बई न आएं। अब सरकार मुम्बई आने वाले अन्य राज्य के लोगों का स्वागत करना चाहेगी। मैं इस तरह का भेदभाव बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी नीतियों और वित्त के मामले पर नए सिरे से विचार करे। मुम्बई की समस्याएं गंभीर हो गई हैं। परिवहन, पुराने मकान, पशु और मलिन बस्तियां बहुत गम्भीर चुनौतियां हैं। क्या आपने कभी चेन्नई में बनाए गए कानूनी प्रावधानों के बारे में सोचा है? चेन्नई में पहले से विद्यमान बस्तियों के फोटो लिए गए हैं और यदि किसी को नई बस्ती बसाते पाया जाता है, तो उसे नीतिगत रूप से राज्य से निकाल बाहर कर दिया जाता है। मुझे डर है कि यदि महाराष्ट्र सरकार ऐसी नीति का अनुसरण नहीं करती है, तो इसके परिणाम भयावह होंगे और प्रस्तावित प्राधिकरण हमारी समस्याओं को हल करने में सक्षम नहीं हो सकेगा। मेरा यह आरोप है कि यह प्राधिकरण राजनीति की भावना से बनाया जा रहा है। समन्वय स्थापित करने और नई योजनाओं को लागू करने में प्राधिकरण की भूमिका को लेकर मुझे आशंका है। मुम्बई की विकास संबंधी योजनाओं को शुरू करने से पहले यह प्राधिकरण क्यों बनाया गया? मुम्बई नगर के विकास के बारे में गाडगिल समिति के प्रस्ताव पर सरकार क्या कहना चाहेगी? समिति में मुम्बई के उपनगरों में हरित पट्टी बनाने की बात कही गई है। उस हरित पट्टी का क्या हुआ? समिति ने मुम्बई में दस किलोमीटर की सीमा से बाहर उद्योग स्थापित करने का सुझाव दिया था। किन्तु, आपने वाशी पुल से ही उद्योग स्थापित करने की अनुमति दे दी। समिति ने चुनिन्दा गांवों से संबंधित कार्यक्रम की बात भी कही थी। क्या सरकार ने कभी इस कार्यक्रम को शुरू किया है? समिति ने संबद्ध गांवों के ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को सहयोजित करने का सुझाव दिया था। मंत्री ने इस सुझाव को नकार दिया है। यदि डा. गाडगिल मंत्री होते, तो मैं इस प्राधिकरण का अनुमोदन कर देता। अफसोस की बात है कि श्री जकारिया मुम्बई की समस्या को हल करने में असफल रहे हैं। इस प्राधिकरण का उद्‌देश्य राजनीतिक है। इस पर बृहन्मुम्बई नगर निगम में चर्चा हुई थी। चर्चा में यह बात सामने आई है कि इस महानगर क्षेत्रीय प्राधिकरण (मेट्रोपालिटन रीजनल आथोरिटी) के उद्‌देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती। संभावना है कि यह प्राधिकरण स्थानीय निकायों के अधिकार को अपने हाथ में लेगा। आशंका यह भी है कि ये स्थानीय निकाय केवल नाम के लिए रहेंगे।

माननीय उत्तमराव पाटील ने इस महानगर प्राधिकरण (मेट्रोपॉलिटन ऑथोरिटी) के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई है। यह प्राधिकरण मुम्बई के इर्द-गिर्द के क्षेत्रों का विकास करेगा। इसी तरह के विकास की कल्पना नासिक, औरंगाबाद, रत्नागिरी और विदर्भ के क्षेत्रों में भी की जाएगी। क्या इन विभिन्न क्षेत्रों के विकास के और भी कोई फार्मूले हैं? क्या आपने देखा है कि इन क्षेत्रों के विकास के लिए धन का आवंटन हुआ है? इनमें से किसी भी क्षेत्र में अलग से प्राधिकरण बनाने की जरूरत नहीं है? मुम्बई महानगर प्राधिकरण (मुम्बई मेट्रोपॉलिटन ऑथोरिटी) बनाया जा सकता है। किन्तु, क्या आप इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि यह प्राधिकरण स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करेगा? आप पर मेरा आरोप है कि जब मुम्बई के विकास का कार्य शुरू किया तो आपने मराठी भाषी लोगों के हितों को ध्यान में नहीं रखा। जब हम लोगों ने नई मुम्बई का विकास किया तो हम लोगों ने वहां के लोगों के हितों पर विचार नहीं किया। जब आपने इस मुम्बई मेट्रोपॉलिटन रीजनल ऑथोरिटी की स्थापना की तो क्या आपने कभी मराठी भाषी लोगों के हितों पर विचार किया? उन लोगों के पुनर्वास के लिए आप क्या कर रहे हैं? इस प्राधिकरण की स्थापना को लेकर आम राय पर पहुंचना कठिन है। मैं इन सभी बिन्दुओं पर अपने विचार नम्रतापूर्वक आपके समक्ष रखना चाहता हूं।

महोदय, कृपया मुझे बताएं कि इस प्रस्तावित प्राधिकरण में बसाए जाने वाले नए नगर में मराठी भाषी लोगों को कितना स्थान मिला है। मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र में रहते हुए आपका मराठी भाषी लोगों के हितों के बारे में सोचना गलत नहीं है। मैं जानता हूं कि यह नया नगर मराठी भाषी लोगों के लिए कब्रिस्तान साबित होगा। लगभग 15 वर्षों से भी अधिक समय से मुम्बई या महाराष्ट्र में रह रहे मराठी भाषी लोगों की भलाई के लिए काम कर पाना इससे संभव नहीं होगा।

जब नये कस्बे बसाये जाते हैं तब मराठी लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता है। अब जब आप नये कस्बे बसाने का प्रस्ताव कर रहे हैं तो आपको स्थानीय लोगों के हितों के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। आप अन्य लोगों के कल्याण के लिए स्थानीय लोगों की भूमि को अपने कब्जे में लेने वाले हैं। आप इन भू-स्वामियों को कितना मुआवजा देंगे? डा. धनंजयराव गाडगिल ने भू-स्वामियों को धन अथवा किसी अन्य रूप में कोई मुआवजा देने के स्थान पर प्लाट देने का सुझाव दिया था। उन्हें एक क्षेत्र में प्लाट दे दिए जाएं। उनकी आजीविका का साधन कृषि है। इन प्लाटों से वे अपना जीवन यापन कर पाने में सक्षम हो सकेंगे। वे खेती या कोई अन्य व्यवसाय करेंगे। इस विषय पर चर्चा होना अभी शेष है कि डा. गाडगिल के इस सुझाव के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का विचार है।

मैं गत छह महीनों से इस विधेयक का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर रहा हूं। मैंने इसका समग्र अध्ययन किया है। मैंने मुम्बई महानगर प्राधिकरण संबंधी बृहन्मुम्बई नगर निगम द्वारा तैयार प्रारूप एवं इस विधेयक के प्रारूप दोनों के बीच के अन्तर को नोट किया है। बृहन्मुम्बई नगर निगम ने इस बात पर जोर दिया था कि वह इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान नहीं करता। बृहन्मुम्बई नगर निगम के आयुक्त वर्ष 1972 से यही रवैया अपनाये हुए थे। सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संचालन

समिति गठित की थी। मैं इस समिति के कार्यकरण के परिणामों के बारे में जानना चाहूंगा। मेरा दूसरा प्रश्न है—इस समिति के प्रस्ताव क्या थे? मेरा तीसरा प्रश्न है—इस समिति को बीच में क्यों भंग किया गया था? अब आपने इस महानगर प्राधिकरण की स्थापना की है, तो आप संचालन समिति के बारे में क्या सोच रहे हैं? मैं इन प्रश्नों का उत्तर चाहूंगा।

सरकार ने महानगर प्राधिकरण के प्रारूप को बृहन्मुम्बई नगर निगम के पास भेज दिया था। बृहन्मुम्बई नगर निगम ने उस प्रारूप के उपबन्धों का विरोध किया था इसलिए, इस प्रारूप में कुछ संशोधन किए गए और प्रारूप को अंत में बृहन्मुम्बई नगर निगम द्वारा बहुमत से पारित कर दिया गया।

महोदय, माननीय मंत्री ने दिनांक 16 अगस्त, 1973 को चर्चा का उत्तर दिया। मंत्री महोदय ने उस समय कुछ जानकारी दी थी। इस जानकारी में बाद में संशोधन किया गया। जब प्रारूप को बृहन्मुम्बई नगर निगम को सौंपा गया तब इसमें संशोधन किया गया था। इस प्रारूप की विषय सूची के संबंध में बहस होनी चाहिए थी। यह कहा गया था कि इस प्रारूप की विषय सूची के संबंध में अंतिम प्राधिकार राज्य सरकार का होगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। इस बात का निर्णय करने के लिए इसे विधानमंडल को सौंपना चाहिए था कि क्या इसमें कुछ सुविधाजनक है अथवा नहीं। चूंकि यह निर्णय करने का अधिकार सरकार के पास होगा कि इसमें कोई सुविधा है अथवा नहीं, अत: इस अधिकार का दुरुपयोग हो सकता है। कार्य सुचारू रूप से न होने की दशा में सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। यह निर्णय करने का अंतिम अधिकार इस सभा के पास होना चाहिए कि क्या कोई काम या सेवा सुविधा है अथवा नहीं।

एक अन्य बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। ठाणे जिले को तीन बोर्डों में डाल देना चाहिए और इस विधेयक के जरिए प्राधिकरण स्थापित किए जाएं। इस विधेयक में ठाणे जिले का उल्लेख नहीं किया गया है। गाडगिल समिति की सिफारिशों में ठाणे जिले को शामिल करने पर जोर दिया गया था। माननीय श्री जकारिया ने अपने आरंभिक भाषण में ठाणे, कल्याण, भिवंडी और क्षेत्र के अन्य स्थानों की नगर परिषदों के अध्यक्षों का जिक्र किया था। आरंभ में, इन स्थानों के नगर अध्यक्षों को बोर्डों में शामिल किया जाना था। अगस्त 1973 में जिन कार्यों के लिए वे सहमत हुए थे अब वे उनसे मुकर रहे हैं। उन्होंने अपनी स्थिति में क्यों परिवर्तन किया, मेरी समझ में यह नहीं आता। मैं क्षेत्र के नगरपालिकाओं के अध्यक्षों को इसमें शामिल करने पर जोर दूंगा। माननीय सदस्य श्री कनीतकर ने कहा है कि मुंबई का महापौर और संबंधित महानगर पालिकाओं के अध्यक्ष विपक्षी दलों के हैं इसलिए उन्हें प्रस्तावित बोर्डों से दूर रखा गया है। यदि आप उन्हें शामिल नहीं करेंगे तो हम आपके राजनीतिकीकरण को समझ जायेंगे। मेरा सुझाव प्रस्तावित बोर्डों में इन महानगर पालिकाओं के अध्यक्षों को शामिल करने का है।

बृहन्मुम्बई नगर निगम ने महानगर प्राधिकरण के संबंध में एक संशोधित प्रारूप प्रस्तुत किया था। उन्होंने इस प्रस्तावित प्राधिकरण में पन्द्रह सदस्यों को शामिल करने के लिए कहा था। ये पन्द्रह सदस्य कौन से होने चाहिए, यह एक अलग प्रश्न है। बृहन्मुम्बई नगर निगम में विभिन्न समितियों के लिए अध्यक्ष हैं। हम आशा करते हैं कि प्रस्तावित प्राधिकरण में जनता द्वारा चुने हुए पन्द्रह प्रतिनिधि होने चाहिए। हम सरकार से चाहेंगे कि वह इस अपेक्षा के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। माननीय मंत्री जी को

बृहन्मुम्बई नगर निगम को भेजे गए प्रारूप और निगम द्वारा सरकार को भेजे गये प्रारूप की प्रतिलिपियां भिजवानी चाहिएं। मंत्री जी को कम-से-कम इन प्रारूपों का सारांश देना चाहिए। हम इन प्रारूपों पर बहस करना चाहेंगे।

सरकार द्वारा महानगर प्राधिकरण की स्थायी समिति के अधिकारियों को नियुक्त किया जायेगा। स्थायी समिति में निर्वाचित सदस्यों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। चुने गये प्रतिनिधियों को स्थायी समिति में स्थान मिलना चाहिए। शहरी विकास राज्यमंत्री को स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। बोर्डों और उनके कार्यकरण के बारे में श्री उत्तमराव पाटील द्वारा की गयी टिप्पणियां बिल्कुल सही हैं। सरकार ने इन बोर्डों के स्वरूप और इनके कार्यों के बारे में संक्षेप में नहीं बताया है। यदि इस सभा को इस बारे में अवगत नहीं कराया जाता तो यह उचित नहीं होगा। सभा को यह जानने का अधिकार है। इस विषय पर सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

अब, मैं इस प्राधिकरण के वित्तीय पहलुओं पर बोलना चाहूंगा। इस प्राधिकरण को कितनी धनराशि मिलने की संभावना है? मैं माननीय मंत्री जी के भाषण से यह अन्दाजा लगा सकता हूं कि इस प्राधिकरण को 150 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है। कोलकाता को ऐसे ही प्राधिकरण के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि मिली है। मुझे यह जानकारी मिली है कि हमें 150 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी। प्रस्तावित प्राधिकरण की योजना को 150 करोड़ रुपये की धनराशि में से अंतिम रूप प्रदान किया जाना है और कार्यान्वित किया जाना है। मैं यह समझता हूं कि पूरे मुंबई नगर की विकास योजना के लिए 1350 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। मैं यह पूछना चाहूंगा कि हमें मुंबई नगर के विकास के लिए केन्द्र सरकार से कितनी धनराशि मिलेगी? क्या हम इस धनराशि से मुंबई का विकास कर सकते हैं? सरकार को इस बारे में सभा को बताना चाहिए। महोदय, सभा को इस बारे में सूचित नहीं किया गया है। लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने अन्यत्र कहा था कि विश्व बैंक ने यह शर्त रखी है कि हमें इस ऋण का हकदार बनने के लिए इस महानगर प्राधिकरण की स्थापना करनी होगी। क्या विश्व बैंक ने यह शर्त रखी है? मैं यह नहीं जानता कि विश्व बैंक ने मुंबई नगर के विकास के लिए अपने ऋण हेतु यह शर्त रखी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनकी यह शर्त है अथवा सिफारिश कि महानगर प्राधिकरण की स्थापना की जाए। यह सुना गया है कि जब तक हम महानगर प्राधिकरण की स्थापना नहीं करेंगे तब तक केन्द्र सरकार हमें अनुदान जारी नहीं करेगी। सभा को इस बारे में सूचित नहीं किया गया है कि विश्व बैंक और केन्द्र सरकार से हमें कितनी राशि प्राप्त होगी। यदि मंत्री महोदय सभा को इस संबंध में जानकारी देंगे तो अच्छा होगा।

इस विधेयक की धारा 15 समेकित विकास से संबंधित है। प्रस्तावित महानगर प्राधिकरण बृहन्मुम्बई नगर निगम की योजनाओं में हस्तक्षेप नहीं करेगा... महानगर प्राधिकरण के प्रारूप विधेयक में इस हस्तक्षेप के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। एक प्रवर समिति को इस समस्त मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए।

इस विधेयक की धारा 16 भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही से संबंधित है। इसका यह अर्थ है कि प्राधिकरण के पास भूमि बेचने और खरीदने की शक्ति है। विवादास्पद प्रश्न यह है कि भूमि हस्तांतरण

निर्धारित करने के क्या सिद्धान्त हैं? क्या यह हस्तांतरण वाणिज्यिक आधार पर होगा? न्यू मुंबई के वाशी नगर में ब्लॉक बनाए गए हैं। एक नीतिगत रूप में उन्हें वाणिज्यिक आधार पर बनाया गया था। यह नीति सफल नहीं हुई। कई ब्लॉक खाली और बिना बिके पड़े रहे। इस प्राधिकरण को मुंबईवासियों पर 5 प्रतिशत कर लगाना है। इस उपबंध का बृहन्मुम्बई नगर निगम ने विरोध किया है। मुंबई के महापौर ने भी यह कहा है कि यह कर कदापि नहीं लगाया जाना चाहिए। मुंबई के करदाता पहले से ही कर के भारी बोझ से दबे हुए हैं। मुंबई के करदाता यह 5 प्रतिशत कर चुकाने की स्थिति में नहीं हैं।

प्राधिकरण को अनेक प्रयोजनों के लिए भूमि खरीदनी है। भू-स्वामी को मुआवजा देने का प्रश्न महत्वपूर्ण है। यदि सरकार और भू-स्वामी के बीच मुआवजे की राशि के बारे में कोई करार नहीं होता है तो सरकार द्वारा देय मुआवजे की यह राशि उस भूमि से प्राप्त मासिक आय से साठ गुना अधिक होनी चाहिए। डा. गाडगिल ने यह विचार व्यक्त किया था कि इस मुआवजे का बाजार मूल्य से गहरा संबंध होना चाहिए। भूमि की कीमत अनुमानित बाजार दर पर होनी चाहिए। यह लोगों की मांग है।

इस विधेयक की धारा 48 में यह विनिर्दिष्ट है कि ''यदि इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने में कोई कठिनाई आती है तो राज्य सरकार, जैसी स्थिति की मांग हो, किन्तु महानगर प्राधिकरण की स्थापना की तारीख से दो वर्षों के भीतर एक आदेश द्वारा, ऐसा कुछ कर सकती है जो इस अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप न हो और जो कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक अथवा कार्यसाधक प्रतीत होता हो।''

मैं समझता हूं कि सरकार को अनावश्यक शक्तियां दी गई हैं। सरकार के पास किसी समस्या को सुलझाने का अधिकार है। अतः इस धारा 48 को निरस्त कर दिया जाना चाहिए। प्रवर समिति को इस उपबंध पर गहराई से विचार करना चाहिए। सरकार को इतनी अधिक शक्तियां प्रदान करना वांछनीय नहीं है। ऐसी शक्तियां होने से सरकार महानगर प्राधिकरण के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है।

विधेयक के खंड 45 में कहा गया है कि:

''इस अधिनियम के अंतर्गत सरकारी राजपत्र में राज्य सरकार की अधिसूचनाओं द्वारा नियमों को निर्धारित करने की शक्ति प्रयुक्त की जायेगी''

सरकार ने नियम बनाने की शक्ति प्राप्त कर ली है। सरकार हर प्रकार की शक्ति प्राप्त कर रही है जो ठीक नहीं है। विधेयक का खंड 4(3) महानगर प्राधिकरण के अध्यक्ष को शक्तियां प्रदान करता है। ये शक्तियां इस विधेयक में निर्दिष्ट नहीं हैं। हमें इन शक्तियों के बारे में पता होना चाहिए। विधेयक का प्रारूप काफी अस्पष्ट है।

हमारा यह आरोप है कि हमसे कई बातें छुपाई गई हैं। सरकार को जरूरत से ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। हमारा यह अनुभव है कि सरकार को दी गई शक्तियों का दुरुपयोग होता है।

मैंने अनेक बातें उठाई हैं। पहली बात यह है कि मुंबई की समस्या को सुलझाने के लिए मुंबई में दूसरे राज्यों से लोगों के आने पर रोक लगाई जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि महानगर प्राधिकरण का गठन सफल होना चाहिए और इसे मराठी भाषी लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। उनके लिए बनाए गए उपायों पर विचार किया जाना चाहिए। इस प्राधिकरण को धरती से जुड़े लोगों का ख्याल रखना चाहिए। नए कस्बे को मराठी भाषी लोगों की कब्रगाह नहीं बनने देना चाहिए। हमारा समर्थन इस बात पर निर्भर करता है।

82

तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों का मुकाबला*

तस्करी को रोकने के लिए पुलिस विभाग में एक नया अनुभाग खोला जा रहा है। इस अनुभाग के लिए अनुपूरक मांग की जा रही है। इस अनुभाग के लिए 4,41,592 रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। इस अनुभाग में तीन इकाइयां होंगी जिनमें पुलिस अधिकारी और पुलिस कांस्टेबल तैनात होंगे। इस अनुभाग का मुखिया एक पुलिस उप-अधीक्षक होगा। इस प्रयोजनार्थ हमें साढ़े चार लाख रुपये खर्च करने होंगे। मुझे आश्चर्य है कि यह राशि एक अनुपूरक बजट मांग से आएगी। मैं समझता हूं कि शायद सरकार यह सोच रही है कि इस अनुभाग के खुलने से हमारे राज्य और देश में तस्करी रुक जाएगी। कई लोगों को इसके बारे में शंका है। सरकार द्वारा तस्करी के विरुद्ध अभी तक उठाए गए कदमों के बारे में शंका होती है। मैं पूरी गंभीरता से यह टिप्पणी कर रहा हूं।

हाल ही में 'मीसा' लागू किया गया था। कुछ लोगों ने सोचा कि इस कदम से मुम्बई में तस्करी रुक जाएगी। मेरे विचार से यह गलत है। मुम्बई में तस्करी की गतिविधियों में जरा भी कमी नहीं आई है। मीसा के अन्तर्गत कुछ व्यक्तियों को निरुद्ध करने से तस्करी में बिल्कुल कमी नहीं आई है। तस्करी रोकने में मीसा की असफलता के बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है। तस्करी रोकने में सरकार की गंभीरता ही संदेहास्पद है।

कोलाबा, माहिम, कोलिवाडा और जुहू जैसे तट मुम्बई तट के निकट स्थित हैं। इन तटों पर पहले की तरह तस्करी जारी है। मुझे सूचना मिली है कि चार दिन पहले ही कोलाबा तट पर तस्करी का सामान उतरा है। मीसा को लागू करने के बावजूद तस्करी हो रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तस्करी के लिए कौन जिम्मेदार है। मेरा निश्चित रूप से मानना है कि संबंधित पुलिस और सीमा शुल्क अधिकारियों की मिली-भगत से ही यह तस्करी होती है। तस्करी से लाए गए कपड़ों की बिक्री प्रतिबंधित है। तथापि, सायन के गांधी बाजार से तस्करी का कोई भी कपड़ा खरीद सकते हैं। सरकार तस्करी में कमी किए बिना तस्करी-रोधी उपायों के बारे में गलत प्रचार करती रही है। निरुद्ध किए गए तस्करों के दूसरे और तीसरे स्तर के साथी गलत गतिविधियों में संलिप्त हैं। क्या सरकार इन तस्करों के नाम नहीं जानती? यदि सरकार उनके नाम जानती है तो उनको निरुद्ध क्यों नहीं करती? यदि सरकार उनको मीसा के अन्तर्गत जेल नहीं भेज सकती तो उन्हें मुम्बई के न्यायाधिकार से बाहर क्यों नहीं करती? सरकार ने कई सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को छोटे अपराधों के लिए निर्वासित

* व्यय के अनुपूरक विवरण पर चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद, (3 दिसम्बर 1974)

किया है। इन तस्करों को निर्वासित क्यों नहीं किया जाता? सीमा के उपबंधों के अन्तर्गत तस्करों के विरुद्ध गलत प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कौन उत्तरदायी है? एक व्यक्ति को मीसा के अन्तर्गत जेल में रखा गया था। न्यायालय ने उसे कोई भी सुविधा देने से इंकार करने का प्रथम आदेश जारी किया। जब प्राथमिकी में तकनीकी गलती का पता लगा तो न्यायालय ने प्रथम आदेश का संशोधन करते हुए सुविधाएं प्रदान कीं। यह गलती अनजाने में हुई अथवा जानबूझ कर की गई। हमें यह जानने का अधिकार है कि यह गलती कैसे हुई। यदि यह गलती जानबूझ कर की गई थी, तो हमें इसके लिए दोषी अधिकारी का नाम बताया जाना चाहिए। यदि वरिष्ठ अधिकारी तस्करों को संरक्षण देते हैं तो प्रस्तावित ढांचे से तस्करी को रोकने में बहुत कम सहायता मिलेगी। हम साढ़े चार लाख रुपए की अनुपूरक मांग पर गौर करें। तथापि, इस धनराशि के व्यय से परिणाम अवश्य निकलने चाहिएं। पुलिस उपायुक्त से लेकर कांस्टेबल तक के सबसे नीचे के स्तर तक सम्पूर्ण टीम द्वारा गंभीर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

मैं सभा के समक्ष अनुपूरक मांग का प्रस्ताव करने के तरीके का विरोध करता हूं। जब सभा इस मांग पर वाद-विवाद करती है, तो इसे इसके क्षेत्राधिकार, इसके विचारार्थ विषय और इसकी क्रियाविधि के बारे में अवश्य पता होना चाहिए। क्या नई एजेंसी उन स्थानों पर छापे मारने वाली है, जहां तस्करी के सामान बेचे जाते हैं अथवा यह तटीय क्षेत्र पर निगरानी रख रही है? क्या यह इकाई तस्करों की तरह के ऐसे वाहनों से युक्त है जो जमीन और समुद्र पर तीव्र गति से चलते हैं। यदि इस इकाई को अम्बेसडर या फिएट कारें दी जाती हैं तो वह तस्करों का पीछा नहीं कर सकेंगी। इस इकाई को प्रदत्त सुविधाओं संबंधी सूचना इस सभा में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

उस व्यक्ति के मामले में क्या हुआ जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। हां, उसे गिरफ्तार किया गया था। परन्तु सरकार ने विदेश में रहने वाले उसके भाई को गिरफ्तार करने के लिए क्या किया? एक तस्कर को निरुद्ध किया जाता है और उसके सहयोगी को छोड़ दिया जाता है। यदि ऐसी बातें होती हैं, तो इसके इसकी मूल मंशा, तस्कर रोधी अभियान के प्रति संदेह उत्पन्न होगा। क्या सरकार तस्करी में संलिप्त दूसरे और तीसरे स्तर के तस्करों को गिरफ्तार नहीं करेगी? जब तक तस्कर रोधी अभियान के अन्तर्गत इन लोगों को सम्मिलित नहीं किया जाता, तो साढ़े चार लाख रुपए का व्यय व्यर्थ हो जायेगा।

इस धनराशि को आम राजस्व से उगाहा जाएगा। केन्द्र सरकार तस्करी के सामान का निपटान करती है। इस आय के एक भाग को राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाना था। क्या राज्य सरकार ने हस्तांतरण के इस मामले को केन्द्र सरकार के समक्ष उठाया है? सभा को, राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि के बारे में बताया जाना चाहिए। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि साढ़े चार लाख रुपए के प्रस्तावित व्यय पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

तस्करी से लगभग पचास हजार लोग अपनी 'आजीविका' चलाते हैं। तस्कर-रोधी अभियान से उनकी 'आजीविका का साधन' नहीं रहेगा। मैं इन लोगों के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों को जानने का इच्छुक हूं। मुझे इन बेरोजगार तस्करों के बीच होने वाली झड़पों की चिंता है।

मैं सभा का ध्यान पृष्ठ 19 पर बिन्दु 8 की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। पुलिस विभाग के बहुत से कार्मिकों को स्थायी करने का एक प्रस्ताव है। 16 पुलिस अधीक्षकों, 19 पुलिस उपाधीक्षकों, 159 पुलिस निरीक्षकों, 26 जमादारों, 241 हवलदारों और 1430 सिपाहियों को सेवा में स्थायी किया जाना है। इस प्रयोजन के लिए दस रुपये की सांकेतिक मांग की गई है। पुलिस विभाग में कुछ और कार्मिकों को भी स्थायी किया जाना है। उन्हें उनकी सेवाओं का भरोसा दिलाये जाने की जरूरत है और उन्हें स्थायी आय होनी चाहिए। मैं उनकी सेवाएं स्थायी करने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यहां मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। पुलिस विभाग के लोग अपने गुजारे के लिए अपने वेतन पर कितना निर्भर रहते हैं? पुलिस विभाग को गत दस वर्षों के दौरान स्थायी किए गए पुलिस कर्मियों द्वारा अवैध रूप से कमाए गए धन और गैर-कानूनी रूप से अर्जित सम्पत्तियों का सर्वेक्षण करना चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा कि पुलिसकर्मी अपनी जीविका के लिए अपने वेतन पर निर्भर नहीं करते।

मुझे यह कहते हुए कोई संदेह नहीं है कि पुलिस विभाग में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार से इस महानगर के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। गरीब लोगों पर थाने का ध्यान ही नहीं जाता। केवल धनी लोगों की बात पर ही पुलिस का ध्यान जाता है। माननीय मंत्री श्री पाण्डेय मेरी इस बात से सहमत होंगे यदि मैं यह कहूं कि हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की अपेक्षा पुलिस थानों में अवैध शराब बनाने वालों की बातों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। जुआरियों और अवैध शराब बनाने वालों की पुलिस थानों में ज्यादा चलती है। यदि कोई सामाजिक कार्यकर्ता किसी व्यापारी के विरुद्ध शिकायत करता है तो व्यापारी की बात को सामाजिक कार्यकर्ता के मुकाबले ज्यादा ध्यान से सुना जाता है। इस कुव्यवस्था में तभी सुधार हो सकता है जब पुलिस विभाग से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए। हमारे जीवन में गुंडों का वर्चस्व रहा है। इस दावे की पुष्टि पिछले तीन माह के दौरान दादर क्षेत्र में घटी तीन ताजा घटनाओं से की जा सकती है। भगवान गणेश उत्सव के दौरान नाटक 'रायगडाला जेहवा जग येते' का मंचन किया गया था। एक जुआरी ने दर्शकों पर पत्थर फेंका और भाग गया। इस घटना के कारण मुझे सुबह 2 बजे पुलिस थाने तक मोर्चे का नेतृत्व करना पड़ा। माननीय गृह राज्य मंत्री से अनुरोध है कि इस घटना की जांच कराएं। इस घटना से साबित होता है कि गुंडा तत्वों को भरोसा होता है कि कोई भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। दूसरे कुख्यात अपराधियों ने नवरात्रि उत्सवों में भी ऐसी ही समस्या पैदा की थी। ऐसा लगता है कि कुछ अपराधी एक के बाद एक अपराध करते जाते हैं। जब पुलिस ने नवरात्रि के अपराधियों पर गोली चलाई तो उन्होंने अपनी तलवारें निकाल लीं। ऐसी घटनाओं से महसूस होता है कि हमारे राज्य में कोई कानून-व्यवस्था नहीं रह गयी है। मुम्बई में लगभग प्रतिदिन शांति भंग होने की दस घटनाएं होती हैं। जोगेश्वरी में अनधिकृत निर्माण के ऊपर हंगामा हुआ था। जोगेश्वरी की घटना में पुलिस विभाग पर हिंदुओं, मुस्लिमों और ईसाइयों के बीच अनधिकृत निर्माण के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने में कोताही बरतने का आरोप लगाया जा सकता है। जब तक गलती करने वालों की पहचान नहीं की जाती तब तक ऐसी घटनाओं का अंत नहीं होगा। यदि आप मुम्बई में किसी पुलिस थाने में जाते हैं तो आपको अनेक मस्तमौला कर्मी मिलेंगे। लोगों में पुलिस कर्मियों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। लगता है पुलिस कर्मियों ने कानून को अपने हाथों में ले लिया है। हमें अवैध शराब बनाने

और अवैध जुआ-बाजी को फैलने से रोकना है। हमें उन लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा जो ऐसे कार्यों से जीविकोपार्जन करते हैं। इन गतिविधियों में शामिल लोगों को वैकल्पिक कार्य अवसर प्रदान करने होंगे।

83

सरकारी कर्मचारियों के सरोकार*

यह वाद-विवाद सरकारी कर्मचारियों और जिला परिषद के उन कर्मचारियों से संबंधित है जो हड़ताल पर चले गए हैं। मैं एक मूल प्रश्न पूछने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस मामले में शामिल दोनों पक्ष अंतिम हद तक चले गए हैं। यदि सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों से संतुष्ट नहीं हैं तो उनसे आम जनता तथा मंत्रियों के लिए संतोषजनक कार्य करने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने सरकारी कर्मचारियों से कुछ उम्मीदें लगाई हैं। ऐसा करते समय उन्होंने शहरी तथा ग्रामीण आबादी के बीच इस विवाद को बढ़ा दिया है। मैं इस विवाद को बिल्कुल अनुचित समझता हूं। इस प्रकार के विवाद से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। यदि सरकारी कर्मचारी नाखुश हैं, तो इससे उनके द्वारा जनता को दी गई सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कुछ सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों से जनता का कोई हित होने वाला नहीं है। महाराष्ट्र के माननीय मुख्य मंत्री सरकारी कर्मचारियों की मांगों से सिद्धांततः सहमत हो गए हैं। वे इस मांग को उचित मानते हैं। वे इस मांग को गलत नहीं मानते। इस संदर्भ में मैं कुछ सदस्यों के भाषणों को उचित नहीं मानता। सरकारी कर्मचारियों के बारे में बोलते हुए किसानों तथा ग्रामीण लोगों की समस्याओं के बारे में बोलना उचित नहीं था। जब सरकारी कर्मचारियों के मुद्दों की बात आती है तब वाद-विवाद गलत दिशा में मोड़ दिया जाता है। यदि कुछ सदस्य सरकारी कर्मचारियों के समर्थन में बोलते हैं तो कुछ सदस्यों को दुख होता है।

जब कभी सरकारी कर्मचारी वेतन में वृद्धि की मांग करते हैं तो कहा जाता है कि इस मांग को मानना असंभव है क्योंकि सरकार को ग्रामीण लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मेरा कहना यह है कि ग्रामीण जनता की समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। एक बार मुझे उस क्षेत्र का दौरा करने का मौका मिला जहां सूखा राहत कार्य चल रहा था। मैंने जो स्थिति वहां देखी वह काफी शर्मनाक थी। वहां मजदूरों को प्रति सप्ताह मुश्किल से सवा किलो राशन प्रदान किया जा रहा था। राशन की इस मात्रा को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। सामान्यतया, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी ही स्थितियां विद्यमान हैं। यह आवश्यक है कि कुछ क्षेत्रों में राहत कार्य होने चहिए थे। इन राहत कार्यों को शीघ्र निपटाया जाना चाहिए। राहत कार्यों में लगे कर्मचारियों को यहां तक कि तीन रुपए की दैनिक मजदूरी

* राज्य और जिला परिषद कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (22 अप्रैल 1975)

भी नहीं दी जाती है। सरकार इन लोगों के लिए क्या कर रही है? मैं जोर देकर यह कहना चाहता हूं कि ग्रामीण जनता के हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती बल्कि उनकी आवश्यक रूप से मदद की जानी चाहिए।

सरकारी कर्मचारियों की जायज शिकायतें हैं। मैं यहां अनुरोध करता हूं कि इस प्रश्न में कोई राजनीति न लायी जाए। मुख्य मंत्री सरकारी कर्मचारियों की मांग को जायज मानते हैं। उनके लिए समस्या है कि इसे पूरा कैसे किया जाए। सत्ता पक्ष के सदस्यों को सरकारी कर्मचारियों की उचित मांगों पर विचार करना चाहिए तथा अपने विचार तदनुरूप प्रस्तुत करने चाहिए। हमें हड़ताल के मामले में सरकारी कर्मचारियों के नेताओं द्वारा प्रदर्शित मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। मुख्य मंत्री ने सरकारी कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति दिखायी है। ऐसी स्थिति में, मैं कुछ सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे सरकारी कर्मचारियों की मांगों के प्रति कठोर रवैया न अपनाएं। मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण रूप से नहीं निपटाया जाता है तो मुम्बई में सभी श्रमिक संघ सरकारी कर्मचारियों के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए संयुक्त रूप से हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे इस मुद्दे का समाधान अत्यंत दुष्कर हो जाएगा।

लघु उद्योगों का विकास*

महोदय, सभा के समक्ष विभिन्न रिपोर्टें प्रस्तुत की गयी हैं। मैं महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम (एम.एस.एस.आई.डी.सी.) तथा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एम.आई.डी.सी.) पर अपने विचार रखना चाहता हूं।

यदि सरकार किसी संस्था के कार्यकरण पर गम्भीर वाद-विवाद करवाना चाहती है तो हम तत्संबंधी रिपोर्ट के प्रकाशन के तुरंत पश्चात् ऐसे वाद-विवाद का स्वागत करते हैं। एक ही समय पर इतनी अधिक संख्या में रिपोर्टों पर चर्चा करना सदस्यों के लिए असुविधाजनक है। तथापि, हम इस असुविधा को सहने के लिए तैयार हैं।

महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम की रिपोर्ट—लघु उद्योग बोर्ड के सदस्यों के नाम प्रथम पृष्ठ पर देते हैं। प्रथम तीन सदस्य मंत्री होते हैं। अन्य सभी सदस्य प्रशासनिक व्यवस्था से आते हैं। इन निगमों में राज्य के सभी भागों से सदस्य चुने जाने चाहिएं तथा कुछ सदस्य औद्योगिक क्षेत्र और सामाजिक कार्यकर्ताओं में से होने चाहिएं। इन बोर्डों हेतु जन-प्रतिनिधियों को चुना जाना चाहिए ताकि जनाकांक्षाओं को प्रभावी अभिव्यक्ति मिल सके। राज्य के किसी भी क्षेत्र से किसी सरकारी अधिकारी को नहीं चुना जाना चाहिए क्योंकि वे जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं को समझ नहीं पाते हैं। यदि सरकार इन उद्योगों हेतु भूमि आवंटित करना चाहेगी तो ये जनप्रतिनिधि सरकार की सहायता करने में सक्षम होंगे। मुम्बई में उद्योगों के विकास संबंधी अनेक समस्याएं हैं। बृहन्मुम्बई नगर निगम के प्रतिनिधि इन समस्याओं को सुलझाने में मददगार साबित होंगे। परन्तु इस बोर्ड में ऐसे प्रतिनिधि नहीं हैं। सिर्फ स्थानीय गैर-सरकारी प्रतिनिधि ही संबंधित क्षेत्र में विकास करने में सक्षम उद्योगों की पहचान कर सकते हैं। जन-प्रतिनिधि पिछड़े जिलों हेतु उद्योगों को चिन्हित कर सकते हैं जिससे ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जा सके। सरकार मुंबई में स्थापित उद्योगों का विकेंद्रीकरण करना चाहेगी। जन-प्रतिनिधि उन उद्योगों को बता सकते हैं जिन्हें विभिन्न औद्योगिक परिसरों में विकसित किया जा सकता है। मैं सरकार से ऐसे निगमों में गैर-सरकारी स्थानीय जन-प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने का आग्रह करना चाहूंगा।

मैं मानता हूं कि यह रिपोर्ट पूर्ण और सुव्यवस्थित है। हमें इस रिपोर्ट में सभी अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध हैं। मैं इसकी कुछ कमियों का उल्लेख करूंगा जिन्हें दूर करके इस रिपोर्ट को और अधिक

---

* महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम तथा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम की रिपोर्टों पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (25 नवम्बर 1975)

व्यापक बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम का लक्ष्य हमारे राज्य का औद्योगिक विकास होना चाहिए। मुझे यह कहते हुए खेद है कि उक्त निगम ने इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। यह रिपोर्ट सामान्य रूप में औद्योगिक विकास की बात करती है न कि महाराष्ट्र के विकास की। यह पूछना स्वाभाविक है कि निगम द्वारा बताए गए विकास में महाराष्ट्र के कितने उद्यमियों ने भाग लिया है। मंत्री महोदय इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएंगे। मैं मंत्री महोदय से यह देखने के लिए अनुरोध करना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट में महाराष्ट्र की उपस्थिति क्यों नहीं है। यह रिपोर्ट उन लाभान्वितों के नाम बताती है जिन्हें भूमि आबंटित की गई है अथवा सहायता दी गई है। सभी कंपनियों के निदेशकों के नाम नहीं दिए गए हैं। यह सूचना रिपोर्ट के संपादकों के ध्यान से चूक गई प्रतीत होती है अथवा संभव है कि संबद्ध अधिकारियों द्वारा हमारी आलोचना पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। मैंने पिछली रिपोर्ट के वाद-विवाद के दौरान कहा था कि हमें निदेशकों के नाम चाहिएं न कि केवल कंपनियों के नाम। यह रिपोर्ट केवल कुछ निदेशकों के नाम बताती है। इन निदेशकों में... मुझे मराठी-भाषी व्यक्तियों के नाम नहीं मिलते। अब तक छियासठ प्लाट आबंटित किए गए हैं। फिर भी, पांच प्लाट भी मराठी-भाषी व्यक्तियों को नहीं दिए गए हैं। यह स्थिति केवल मुंबई के बारे में सच नहीं है। मुंबई से बाहर के औद्योगिक परिसरों में भी उद्योगों का स्वामित्व और प्रबंधन गैर-मराठी भाषी व्यक्तियों के हाथों में है। मैं यह नहीं कह सकता कि गैर-मराठी भाषी व्यक्तियों को प्लाट नहीं दिए जाने चाहिएं। मुझे इस सच्चाई पर खेद है कि यद्यपि मराठी-भाषी व्यक्ति प्लाट पाने के प्रयास करते हैं लेकिन वे प्लाट नहीं पा सकते। मैंने मराठी-भाषी उद्यमियों के मामलों को मंत्रियों के स्तर तक भी उठाने का प्रयास किया। मैंने पाया कि महाराष्ट्र के उद्यमियों के लिए अनेक कठिनाइयां उत्पन्न की जाती हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से मरोल इंडस्ट्रियल एस्टेट में प्लाटों के आबंटन के लिए प्रक्रिया स्पष्ट करने का आग्रह करना चाहूंगा। मेरे विचार से इस प्रयोजन हेतु कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई थी। ये प्लाट सिफारिशों के अनुसार आबंटित किए गए थे, जो बिल्कुल अनुचित है। मैं उन सदस्यों का नाम नहीं लेना चाहता जो सभा में उपस्थित नहीं हैं। एक आम आदमी को प्लाट नहीं मिलता; तथापि सिफारिश लेकर आने वाले आवेदक को प्लाट मिल जाता है। सरकार को मराठी-भाषी उद्यमियों के साथ होने वाले अन्याय को समाप्त करने के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए।

यह रिपोर्ट लघु उद्योगों से संबंधित है। यदि ये प्लाट वास्तव में लघु उद्योगों के लिए हैं तो आबंटित प्लाटों का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि किसी को भी आश्चर्य हो सकता है। 17365 वर्ग मी., 5000 वर्ग मी., 16000 वर्ग मी., 16939 वर्ग मी. और 83965 वर्ग मी. के प्लाट भी विभिन्न व्यक्तियों और कंपनियों को दिए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि लघु उद्योगों को दिए जाने वाले प्लाटों के क्षेत्रफल संबंधी कोई सीमा नहीं थी। मंत्री जी को भूखंडों के लाभार्थियों की पहचान अनुमत्य क्षेत्र तथा इसके लिए अपनाए गए मानदंडों की प्रक्रिया को स्पष्ट करना चाहिए। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या अंधेरी औद्योगिक सम्पदा में भूखंडों के आवंटन के लिए निविदा की समुचित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था। यदि भूखंडों का आवंटन सिफारिशों के आधार पर किया जाता है, तो यह भेदभाव-पूर्ण होगा। प्रशासन का निर्णय निष्पक्ष, न्यायोचित और न्यायसंगत होना चाहिए।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि औद्योगिक सम्पदा में 79,291 कामगारों को नौकरियां दी गईं। सरकार हमें यह बताए कि 80,000 नौकरियों में स्थानीय लोगों की कुल संख्या कितनी है। उन भू-स्वामियों को रोजगार प्रदान करने के लिए एक नीति है जिनकी भूमि औद्योगिक सम्पदा के लिए अधिगृहीत की गई है। मैं नहीं समझता हूं कि बेलापुर औद्योगिक सम्पदा के मामले में इस नीति का अनुसरण किया गया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई टी आई) द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों और औद्योगिक सम्पदा की इकाइयों में मुहैया कराए जाने वाले रोजगार की प्रकृति में कोई संबंध नहीं है। इसलिए आई टी आई के छात्रों को नौकरियां नहीं मिल सकती हैं। बेलापुर औद्योगिक सम्पदा के लिए जिस व्यक्ति का भूखंड अधिगृहीत किया गया है उसके पुत्र को औरंगाबाद फैक्ट्री में जाने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे सभा को बताएं कि किसानों और कृषि कामगारों को यदि इन सम्पदाओं में नौकरियां दी जाती हैं, तो वे लोग कहां तक इससे प्रभावित होंगे।

औद्योगिक सम्पदाओं में जमीन की दर 66 रुपए प्रति बर्ग मीटर की दर से बढ़कर 75 रुपए प्रति वर्ग मी. हो गई है। जमीन की दर के बढ़ने के साथ ही उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के संबंध में रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा गया है। राज्य में औद्योगिक विकास की नीति या दिशा के बारे में रिपोर्ट में कोई संकेत नहीं किया गया है। मरोल औद्योगिक सम्पदा मुम्बई की औद्योगिक सम्पदाओं में से एक है। शिक्षित बेरोजगार उद्यमियों को प्रोत्साहन के रूप में शेयर पूंजी में कुछ हिस्सेदारी दी गई है। निश्चय ही, यह एक स्वागतयोग्य कदम है। प्रशासन को चाहिए कि वह इन उद्यमियों की मौलिक समस्याओं को दूर करने में उनकी मदद करे। नई पीढ़ी के इन उद्यमियों से शेयर पूंजी का बीस फीसदी जुटाने के लिए कहा गया है और शेष 80 फीसदी पूंजी सरकार और वित्तीय संस्थानों द्वारा उधार दी जाएगी। क्या हमारे समाज में कोई युवा उद्यमी बीस फीसदी पूंजी को जुटा सकता है? एक आम आदमी इस सुविधा का उपभोग नहीं कर सकता है। एम.एस.एस.आई.डी.सी. की रिपोर्ट में इस समस्या पर प्रकाश नहीं डाला गया है। क्या वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली यह सहायता नए उद्योग शुरू करने के लिए पर्याप्त है? इस तरह, आपको शायद ही कोई ऐसा उद्यमी मिलेगा जो मशीनरी, पूंजी और अन्य निवेश की व्यवस्था कर सकेगा। उद्यमी को भूखंड खरीदना होगा। फिर, उसे पूंजी जुटानी पड़ेगी। तत्पश्चात् उसे मशीनरी की पहचान करनी होगी और उसे खरीदकर स्थापित करना होगा। उसे उस मशीनरी को चलाना होगा। हमें औद्योगिक सम्पदाओं को स्थापित करने के मामले में आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि उद्यमी वहां कैसे सफल हों। प्रशासन को चाहिए कि वह औद्योगिक सम्पदाओं में औद्योगिक इकाइयों की स्थिति का अध्ययन करे। अन्यथा, मुझे इस बात की आशंका है कि छोटी इकाइयां बड़ी औद्योगिक इकाइयों द्वारा अधिगृहीत कर ली जाएंगी। औद्योगिक सम्पदाओं में औद्योगिक इकाइयों की निगरानी के लिए एक तंत्र होना चाहिए।

मैं मुंबई महानगर का प्रतिनिधित्व करता हूं। मुंबई में रोजगार चाहने वाले चालीस हजार लोगों ने रोजगार केन्द्रों में अपने नाम दर्ज कराए हैं। रोजगार चाहने वाले शिक्षित लोगों को मुंबई के बाहर वाणिज्यिक उद्यमों के लिए स्थान उपलब्ध कराया गया है। क्या सरकार का विचार मुंबई में रोजगार

चाहने वालों के लिए ऐसा कोई उपाय करने का है? सरकार के पास वाणिज्यिक उद्यमों हेतु युवा लोगों के लिए स्थान देने की कोई योजना दिखाई नहीं पड़ती। सरकार ने मुंबई में उद्योगों के विकास को रोक दिया है। इसलिए, मुंबई में औद्योगिक सम्पदाओं को युवा लोगों को स्व-रोजगार के अवसरों के लिए भूमि आबंटित करनी चाहिए।

रिपोर्ट में मरोल औद्योगिक एस्टेट को प्रदान की गयी बसों की सुविधा का उल्लेख किया गया है। निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए बसें किराये पर ली हैं। ये बसें अंधेरी और घाटकोपर से चलती हैं। निगम को अपनी बसें खरीद लेनी चाहिए थीं। कई कंपनियों के पास अपने कर्मचारियों के लिए अपनी बसें हैं। यदि निगम अपनी बसें खरीद लेता तो वे इन बसों को किराये पर लेने पर खर्च हुए पैसे को बचा सकते थे।

रिपोर्ट में नये उद्योगों के आंकड़े दिये गये हैं। विकासशील क्षेत्रों में चालीस नये उद्योग स्थापित किये गये और विकसित क्षेत्रों में छिहत्तर उद्योग खोले गये। विकासशील क्षेत्रों में और अधिक उद्योग खोले जाने चाहिएं। जब नये उद्योग स्थापित होते हैं तो जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण को दूर करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उद्योगों की स्थापना से ग्रामीण लोग अन्यत्र जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं; जल प्रदूषण लोगों को अन्य स्थानों की ओर पलायन करने के लिए बाध्य कर देता है। पनवेल के पास यही तो मुद्दा है। जब नये उद्योग स्थापित हों, तब सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इनसे वायु और जल प्रदूषण की समस्या न हो।

रिपोर्ट में पैठण में पैठणी केन्द्र का उल्लेख किया गया है। एम.एस.एस.आई.डी.सी. ने इस केन्द्र को अपने अधिकार में ले लिया है। नये कारणों की स्थापना की गयी है। यहां निर्मित पैठाणियों को दिल्ली एम्पोरियम की एजेन्सी के माध्यम से बेचा जाता है। संयोगवश, मुझे इस केन्द्र का दौरा करने का अवसर मिला। मैंने यह देखा कि एक पैठणी तैयार करने में छह महीने का समय लगता है। वहां केवल पांच या छह कारीगर काम करते हैं। रिपोर्ट निगम द्वारा इस केन्द्र के लिए बहुत अधिक कार्य करने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर कहती प्रतीत होती है। इन पैठाणियों को मुंबई जैसे बड़े स्थानों पर बड़े बाजार मिल सकते हैं। इन पैठाणियों की मांग का पता लगाने के लिए बाजार अनुसंधान होना चाहिए। यह भी पता चला है कि दिल्ली एम्पोरियम द्वारा दिये गये क्रयादेश दो या तीन वर्ष से लंबित पड़े हैं। इस केन्द्र का उत्पादन क्रयादेशों की तुलना में काफी कम है।

सामान्यत: उद्योगों के और विशेषकर लघु उद्योगों के इन दोनों उद्यमों को मराठी लोगों—मराठी भाषी लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। इन दोनों निगमों को बड़े और छोटे उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मराठी लोगों को इन उद्योगों में अधिकतम संख्या में रोजगार मिले। यदि इन निगमों ने वास्तव में महाराष्ट्र राज्य और मराठी-भाषी लोगों के हितों का ध्यान रखा तो हमें इन दोनों निगमों पर गर्व होगा।

85

मलिन बस्तियों का सुधार*

महोदय, स्लम इम्प्रूवमेंट बोर्ड और हाउसिंग रिपेयर्स बोर्ड के प्रतिवेदन को वाद-विवाद के लिए रखा गया है। मैं अपने विचारों को संक्षिप्त रूप में रखूंगा। मैं अपनी बात महाराष्ट्र स्लम इम्प्रूवमेंट बोर्ड तक सीमित रखूंगा। बोर्ड की पहली बैठक 7 फरवरी, 1974 को हुई थी। यह ज्ञात नहीं है कि बोर्ड की दूसरी बैठक कब आयोजित हुई थी। बोर्ड को अपनी बैठक समय पर करनी चाहिए और इसे अपना कार्य तेजी से करना चाहिए। इस बात की जांच की जानी चाहिए कि इसकी बैठकों का पूर्व में आयोजन क्यों नहीं किया गया।

मलिन बस्तियों का मुद्दा लाखों लोगों के लिए चिंता का विषय है। बोर्ड में ऐसे सदस्य होने चाहिएं जिनकी इस मुद्दे पर गहरी रुचि हो। परन्तु ऐसा प्रतीत नहीं होता। इससे इस बोर्ड के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।... महोदय, जब इस बोर्ड का गठन किया गया था, तो मैंने अपील की थी कि जिन लोगों की इस विषय में रुचि है और जो इस विषय के ज्ञाता और विशेषज्ञ हैं, उन्हें इस बोर्ड में नियुक्त किया जाय, परन्तु मेरी अपील नहीं सुनी गई। मैं इस विभाग के नए राज्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह मेरी पूर्व अपील पर पुनर्विचार करें। अन्यथा, मुझे यह आशंका है कि कहीं पूरे बोर्ड का ही पुनर्गठन न करना पड़ जाय। हमें बीस लाख लोगों के जीवन-मरण की समस्या से निपटना है। अन्य शहरों के भी लाखों लोग मलिन बस्तियों में रह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। जब नए मुख्यमंत्री ने पदभार संभाला था तो, ऐसा प्रतीत हुआ कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। राज्य में मलिन बस्ती सुधार हेतु सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है।

इस समय मेरे मन में मुम्बई की मलिन बस्तियों की चिंता है। यह देखा जाए कि इस बोर्ड के गठन के पूर्व भी मलिन बस्तियों में सुधार करने हेतु उपाय किए जाएं। यह निर्णय करना होगा कि क्या मलिन बस्तियों को वर्तमान स्वरूप में रखते हुए सुविधायें उपलब्ध कराना ठीक होगा। हमें यह जानना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या सोचती है। मैं जानता हूं कि जब सरकार मलिन बस्तियों के उन्मूलन की बात करती है तो उसका तात्पर्य मलिन बस्तियों का सुधार करना होता है। मुझे यह पता नहीं कि क्या मलिन बस्तियों के उन्मूलन का उद्देश्य लोगों को उनके स्थान पर ही रखना है अथवा उनके लिए वैकल्पिक स्थान का विकास किया जायेगा। मैं जानता हूं कि सरकार के लिए मलिन

* स्लम इम्प्रूवमेंट बोर्ड और मुम्बई बिल्डिंग रिपेयर्स एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड के कार्यकरण पर चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (8 दिसम्बर 1975)

बस्तियों का पूर्ण रूप से उन्मूलन असंभव है। मैं केवल यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि क्या सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है अथवा यह केवल आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहती है। हम मलिन बस्तियों के लिए करोड़ों रुपए व्यय करने वाले हैं। एक ओर तो हम मलिन बस्तियों के उन्मूलन के लिए कदम उठाते हैं वहीं दूसरी ओर नई मलिन बस्तियां बस रही हैं। इस समय लाखों लोग मलिन बस्तियों में रह रहे हैं। यदि हम उन्हें 180 वर्ग फीट का निर्मित क्षेत्र आबंटित कर दें तो इस समस्या का संतोषजनक रूप से समाधान हो सकता है। मेरे विचार से, यदि सरकार इस पर ध्यान दे, तो इसका समाधान असंभव नहीं है। यदि लोगों को उनके अपने क्षेत्र में ही बेहतर आवास उपलब्ध करा दिए जायें तो, वे बेहतर जीवन व्यतीत करने में समर्थ होंगे। वे अपनी नियति में सुधार ला सकते हैं। प्रभा देवी में 5000 वर्ग फीट का एक भू-खंड है। भू-खंड पर स्थित झोपड़ियों को भूखंड के आधे क्षेत्र में ही बसाया जा सकता है। इन झुग्गीवासियों के लिए घर बनाए जाएंगे। आधा क्षेत्र आवासीय समितियों को पट्टे पर दिया जायेगा। इन आवासीय समितियों से प्राप्त धन का उपयोग पुराने झुग्गीवासियों के लिए किया जा सकता है।

मानव दृष्टिकोण काफी हद तक उसके परिवेश से निर्धारित होता है। कुछ मामलों में, कुछ बस्तियों में सकारात्मक प्रवृत्तियों के स्थान पर आपराधिक प्रवृत्तियां फल-फूल रही हैं। यदि हम झुग्गीवासियों को बेहतर घर उपलब्ध करा सकें तो हम उनकी सोच को बदल सकते हैं। व्यक्ति जाने-अनजाने अपने पड़ोस से प्रभावित होता है। केवल मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार से ही समस्या को नहीं सुलझाया जा सकता। मात्र सुविधाएं प्रदान कर देने से ही समस्या नहीं सुलझेगी। हमें यह सोचना होगा कि हम उनका समग्र सुधार किस प्रकार कर सकते हैं। हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, हम मुंबई से मलिन बस्तियों को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते हैं। हमें उन्हें बेहतर घर देने पर ध्यान देना चाहिए चाहे वे छोटे ही क्यों न हों। छोटे और बेहतर घर उनकी जिंदगी को सुधार सकते हैं। दादर जैसे क्षेत्रों में श्राफवाड़ी जैसी मलिन बस्तियां हैं। हम मलिन बस्तियों में सड़कें, नल और शौचालय उपलब्ध कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि हम मलिन बस्तियों की यथास्थिति बरकरार रखते हैं तो वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी में कोई सुधार नहीं हो सकता है। मलिन बस्तियों में जो भी सड़कें हैं वे समानान्तर नहीं हैं। इसके कारण, वहां पर सुधार करने की हमारी हर कोशिश के बावजूद मलिन बस्तियां सुन्दर नहीं दिखाई पड़ती हैं। जहां पर सड़कें समानान्तर नहीं होतीं, वहां शौचालयों और पानी के कनेक्शन की सुविधा भी प्रभावी दिखाई नहीं देती है। विद्यमान सड़कों को सीधा किए जाने की जरूरत है। अन्यथा, लाखों रुपये का परिव्यय बेकार चला जाएगा।

सरकार ने उन भू-खंडों पर मलिन बस्तियों की स्थिति को सुधारना शुरू कर दिया है जिनकी उसे भविष्य में जरूरत हो सकती है। सरकार ने उन भू-खंडों को आरक्षित कर लिया है। कुछ भू-खंडों पर, स्कूल बनाए जाने हैं और कुछ पर तरण ताल। कुछ भू-खंडों पर बच्चों के लिए पार्क बनाए जाने हैं। चूंकि इन भू-खंडों पर मलिन बस्तियां विद्यमान हैं, इसलिए सरकार इन मलिन बस्तियों से लोगों को हटाना नहीं चाहती है। हम मलिन बस्तियों में झुग्गीवासियों को रहने देकर लाखों लोगों को स्कूल, तरण ताल और पार्क की सुविधा से वंचित कर रहे हैं। क्या मैं इस संबंध में कुछ सुझाव दे सकता हूं? भू-खंड के एक भाग पर एक बड़े भवन का निर्माण किया जाए और भू-खंड के शेष

भाग में झुग्गीवासियों के लिए छोटे अपार्टमेंट बनाए जाएं। मलिन बस्तीवासियों के लिए धन की जरूरत को बड़े भवन से पूरा किया जाना चाहिए। इस सुझाव से मलिन बस्तीवासियों को बेहतर मकान मिलेंगे और बड़े भवन का प्रयोग उस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है जिसके लिए उसे आरक्षित रखा गया है। सरकार को केवल फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफ एस आई) को समान अनुपात में बढ़ाना है। इससे झुग्गीवासियों की समस्या का स्थायी समाधान निकल आएगा।

हमें 'हाउसिंग रिपेयर्स बोर्ड' की रिपोर्ट पर भी चर्चा करनी है। किंतु यह रिपोर्ट केवल दो वर्षों 1971-72 और 1972-73 से ही संबंधित है। इन वर्षों में ज्यादा काम नहीं किया गया है। इस बोर्ड के सामने आ रही परेशानियों पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। बोर्ड को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सक्षम अधिकारियों का लाभ नहीं मिल पाया है। सरकार ने इस बोर्ड की उपेक्षा की है। मैंने इस बोर्ड को बंद करने और उसे समाप्त करने के लिए एक संकल्प पुरःस्थापित किया था। अब मैं वैसा ही एक संकल्प पुरःस्थापित नहीं करूंगा। मैं आज इस विभाग के मंत्री और राज्य मंत्री को बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं। बोर्ड ने पहले दो वर्षों में काफी निष्क्रियता दिखाई और लोग इसके कार्यकरण से नाराज थे। अब बोर्ड के कार्यकरण में परिवर्तन आया है और इसमें कुछ हद तक तेजी आई है। श्री कुंटे ने इस सुखद परिवर्तन में प्रमुख भूमिका निभाई है। कुंटे ने सम्मेलन आयोजित किए, लोगों से मुलाकात की, चाल में गए और लोगों की समस्याओं का पता लगाया। उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया था। मैं इस विभाग के अधिकारियों तथा श्री तिनईकर जैसे इंजीनियरों को बधाई देता हूं। वह बहुत सक्षम हैं और उन्होंने सौंपे गए कार्य पर सूझ-बूझ से काम लिया है। मैं हमेशा यह मानता हूं कि अच्छे और बुरे कार्य संबंधित व्यक्ति की कार्य क्षमता को दर्शाते हैं। यदि बोर्ड अपने कार्य में असफल होता है तो मैं बोर्ड की आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं कुछ बातों का उल्लेख करना चाहता हूं जिन पर मंत्री जी विचार करें।

यह सच है कि मंत्री जी स्वयं चक्कर लगा रहे हैं और स्वयं को काम से जोड़ रहे हैं। फिर भी, कार्य में तेजी लाने की और जरूरत है। बहुत से भवनों की मरम्मत का कार्य अधूरा पड़ा है। जो बीच में ही कार्य अधूरा छोड़ देते हैं उन्हें काली सूची में डाला जाना चाहिए। मैंने देखा है कि अधूरे निर्माण से किरायेदारों को दो-तीन वर्ष तक असुविधा होती है। इसका कारण यह है कि जब पुराना ठेकेदार भाग जाता है तो नया ठेकेदार नहीं लगाया जाता। सरकार को निर्देश देना चाहिए कि पुराने ठेकेदार के भाग जाने के पंद्रह दिन अथवा एक माह के भीतर ही नया ठेकेदार नियुक्त किया जाना चाहिए।

यदि कोई शौचालय अथवा स्नानघर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो बोर्ड कहता है कि हम इसकी मरम्मत नहीं करेंगे बल्कि हम पूरे भवन की मरम्मत करेंगे। मैं मूल्यांकन समिति का सदस्य था। इस समिति ने सुझाव दिया था कि इस प्रयोजनार्थ एक अलग विभाग बनाया जाए। मैं संगत कानून में संशोधन करना चाहता हूं जिसके द्वारा भवन के एक विशेष हिस्से की मरम्मत की जानी चाहिए न कि पूरे भवन की। मैंने एक समयबद्ध कार्यक्रम का सुझाव दिया था। सरकारी कार्यालय में किसी फाइल

को एक मेज से दूसरी मेज तक जाने में छह माह लग जाते हैं। प्रत्येक भवन के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। यदि कोई अधिकारी संबंधित फाइल पर शीघ्र कार्रवाई नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। पड़ोस की मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत से अधिकारियों को टालमटोल तथा अक्षमता के कारण सेवानिवृत्ति दे दी है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि बिल्डिंग रिपेयर्स बोर्ड के उन अधिकारियों, जो अपनी ड्यूटी उचित ढंग से नहीं करते, के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

86

ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण*

इस विधेयक को प्रस्तुत करने के कारणों का उल्लेख मैंने इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में किया है। अध्ययन, कार्य, विश्राम और चिंतन-मनन के लिए शांतिमय वातावरण का होना अत्यंत आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी शांति आवश्यक है। यदि आस-पास बहुत अधिक शोर हो तो अध्ययन करना कठिन हो जाता है। अतः शोर को कम करने तथा मुम्बई और महाराष्ट्र में व्याप्त ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए मैं यह विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूं। यह विधेयक ध्वनि प्रदूषण रोकने के बारे में है, इसलिए मैं सामान्य से कुछ धीमी आवाज में बोलूंगा। निःसंदेह, इतना ऊंचा बोलना भी आवश्यक है जिससे कि सब लोग मेरी बात सुन सकें।

इस प्रकार का विधेयक न केवल महाराष्ट्र में, बल्कि भारत में भी पहली बार प्रस्तुत किया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि यदि महाराष्ट्र सरकार इसे स्वीकार कर लेती है तो देश के अन्य भागों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। इस विधेयक की विषयवस्तु ध्वनि प्रदूषण कम करने के बारे में है। संभव है कि सब लोग इस बात से सहमत न हों। इसका कारण यह है कि हममें से जो लोग इस भीड़भाड़ भरे मुम्बई शहर में रहते हैं, वे धीरे-धीरे इस शोर के इतने आदी हो गए हैं कि हमारे आस-पास कितना भी शोर होता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जब मैं अपनी गाड़ी से यहाँ आ रहा था मेरे ड्राइवर ने लगभग दस-बारह बार जोर से गाड़ी का हार्न बजाया किंतु हमारे आस-पास के लोगों पर इसका कोइ असर पड़ता प्रतीत नहीं हुआ और न ही ड्राइवर को इसका कोई अहसास हुआ कि वह कितना शोर कर रहा था। ऐसा इसलिए है कि शोर करने वाला व्यक्ति ही इससे परेशान नहीं होता। घर में खिलौनों से खेल रहा बच्चा कितना शोर मचाता है परन्तु वह बच्चा उस आवाज से परेशान नहीं होता, बल्कि वह इससे आनन्दित होता है। गांव के मेलों में जोर-जोर से ढोल बजा रहा व्यक्ति उस आवाज से परेशान नहीं होता किंतु उसे सुनने वाले लोग इससे परेशान होते हैं। ऊंची आवाज में भाषण दे रहे व्यक्ति को इसमें आनन्द आता है किंतु उसके श्रोतागण इसे पसंद नहीं करते। बल्कि मैं भी विश्वास से यह नहीं कह सकता कि किस आवाज को ''शोर'' कहा जा सकता है। अतः सर्वप्रथम ''अवांछित शोर'' को परिभाषित करना आवश्यक है। सभी तरह की आवाज को शोर नहीं कहा जा सकता। कुछ आवाजें हमारे लिए मधुर और आनंददायक होती हैं। प्रातःकाल गांवों में पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनी जा सकती है। यद्यपि, मुम्बई में ऐसा

* महाराष्ट्र राज्य में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, विनियमन अथवा विलोपन करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (15 जुलाई 1977)

नहीं होता। हम उस आवाज को शोर नहीं कह सकते। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ समुद्र तट पर जाता है और वहां वे लहरों की आवाज सुनते हैं, किंतु उस आवाज को शोर नहीं कहा जा सकता; या जब दो लोग एक-दूसरे से बात कर रहे हों तो हम यह नहीं कह सकते कि वे शोर कर रहे हैं। इस प्रकार मैंने ध्वनि को परिभाषित करने के लिए बहुत गहराई से सोचा और मुझे ऐसा लगा कि शोर को परिभाषित करना तो बहुत ही सरल है। असहनीय आवाज शोर है और उसे रोकना ही इस विधेयक का उद्देश्य है जिसे मैंने सभा के समक्ष प्रस्तुत किया है।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं मुम्बई का महापौर था, तो इंडियन मर्चेन्ट्स चेम्बर ने सप्रयोजन मुझे इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया था और उस समय मैंने कहा था कि मैं इस आशय का विधेयक सभा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। जब इस भाषण से संबंधित समाचार, समाचार-पत्रों में छपे तो कई लोगों ने मुझे विभिन्न प्रकार के पत्र लिखे। मैं उन सब पत्रों को यहां नहीं पढूंगा, किंतु उन पत्रों को पढ़कर मुझे पता लगा कि इस विधेयक को प्रस्तुत करना कितना आवश्यक है। मुझे ऐसे अनगिनत पत्र मिले हैं जिनमें कहा गया है कि सरकार द्वारा इस विधेयक को स्वीकार किया जाना कितना आवश्यक है। वे सब पत्र अभी भी मेरे पास रखे हैं। मैं विभिन्न प्रकार की उन ध्वनियों का उल्लेख करना चाहूंगा जिनसे लोग परेशान होते हैं। एक व्यक्ति ने मुझे इस बात की बधाई दी कि मैं ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने का इरादा रखता हूं और यह कहा कि लोग दोपहर में इस कारण सो नहीं पाते क्योंकि फेरी वाले विभिन्न प्रकार की आवाज़े लगाते हैं जिससे शांति भंग होती है। इन फेरीवालों को आवाज़ लगाने से रोकना चाहिए। इन फेरीवालों में कपड़ा, आलू, वड़ा, इत्यादि के विक्रेता शामिल हैं। उस व्यक्ति ने अनुरोध किया था कि सभी फेरीवालों को शोर करने से रोका जाए। एक अन्य व्यक्ति ने यह अनुरोध किया है कि दोपहर 12.30 बजे से 3.30 बजे के बीच विविध भारती पर प्रसारित होने वाले हिन्दी फिल्मी गानों को बन्द किया जाए क्योंकि वह उस आवाज को सहन नहीं कर पाते और सो नहीं पाते। एक और व्यक्ति का यह कहना था कि जब भी वह सोने जाते हैं तो नल से टपकते पानी की आवाज से वह परेशान होते हैं। यदि ऐसा कोई नल कहीं भी है तो उसकी मरम्मत कराई जाए और उस आवाज को बन्द किया जाए। कई लोगों ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के बारे में सुझाव दिए हैं। इनमें से ही एक व्यक्ति ने अपने पत्र में कहा है कि दोपहर में, विशेषकर सार्वजनिक अवकाश के दिन लोग क्रिकेट खेलते हैं। खेलते समय खिलाड़ी इतनी जोर से "आऊट" कहकर चिल्लाते हैं कि किसी की भी नींद टूट जाती है।

मुझे ऐसे कई पत्र प्राप्त हुए हैं जिनसे इस मुद्दे की गंभीरता का पता चलता है। समयाभाव के कारण मैं वे सभी पत्र नहीं पढ़ रहा हूं। तथापि, हवाई जहाजों द्वारा किए जाने वाले शोर के बारे में एक पत्र में शिकायत की गई है जिसे मैं सभा में पढ़कर सुनाना चाहूंगा क्योंकि यह सही भी है और मनोरंजक भी। एक पारसी सज्जन ने हवाई जहाजों द्वारा किए जाने वाले शोर की शिकायत की है। उन्होंने यह लिखा है कि पारसी कालोनी में, जहां वह रहते हैं, वहां दोपहर दो बजे के आस-पास कोई जहाज उड़ान नहीं भरते थे। किंतु पिछले दिनों से इंडियन एयरलाइन्स की एक उड़ान दो बजे वहां से निकलती है। उनका यह कहना था कि चूंकि मैं महापौर हूं, अतः मैं यह सुनिश्चित करूं कि जहाज पारसी कालोनी के ऊपर से न निकलें। मैंने इंडियन एयरलाइन्स को इस बारे में एक पत्र

लिखा और यह संतोष की बात है कि जहाज अब पारसी कलोनी के ऊपर से नहीं गुजरता। पारसियों का स्वास्थ्य भी तब से बेहतर हो गया है। ऐसा नहीं है कि यह मुद्दा गंभीर नहीं है। तथापि, एक कानून बनाने से ही सारे शोर को रोकना संभव नहीं होगा, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि शोर कम करना होगा। इस मामले के एक विशेषज्ञ ने अपने एक लेख में कहा है कि शोर मृत्यु का एकमात्र कारक है। यह धीरे-धीरे जान लेता है। हम समझते हैं कि कोई रोग हमारी जान ले रहा है लेकिन हम यह नहीं समझते कि शोर ही हमारी मृत्यु का कारण बन रहा है। लगभग 200 वर्ष पहले चीन में स्थिति यह थी कि कुछ अपराधों के लिए बतौर सजा ऊंची ध्वनि की व्यवस्था की गई थी। इस संबंध में विशेष अनुदेश दिए गए थे कि किस अपराध के लिए कितनी ध्वनि के दंड का प्रावधान किया जाए। वर्ष 1882 में किसी ने लिखा था कि विश्व में सबसे अधिक शोर वाला शहर न्यूयार्क है। यदि हम मुम्बई जाएं तो देखेंगे कि इस शहर ने ध्वनि प्रदूषण के मामले में विश्व के सभी शहरों को पछाड़ दिया है। यहां इतना ध्वनि प्रदूषण है। वैज्ञानिक ने चेतावनी दी है कि यदि इस ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया गया तो वर्ष 2050 तक संपूर्ण विश्व बधिर हो जाएगा। उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन किया है। मैं आपको भयभीत करने के लिए यहां यह जानकारी नहीं दे रहा हूं। इससे पहले मैं नइगांव में रहता था। तब मैं इस ध्वनि प्रदूषण की परवाह नहीं करता था क्योंकि प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि सोने तक वहां ध्वनि प्रदूषण के अलावा कुछ नहीं था। वहां मोर्चे, प्रदर्शन, लाउडस्पीकर, खेल आदि लगातार चलते रहते थे और क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने ही द्वारा फैलाए जाने वाले ध्वनि प्रदूषण से अनभिज्ञ थे। लेकिन यदि आपने किसी ऐसे शांत स्थान को देखा होता जहां ध्वनि प्रदूषण न हो, तभी आप इस अंतर को समझ पाते। ध्वनि को डेसीबल में मापा जाता है। मेरे पास दो देशों के ध्वनि प्रदूषण संबंधी कानून उपलब्ध हैं। मैंने इसकी प्रतियां अमरीका और इंग्लैण्ड से प्राप्त की हैं। सामान्तया हम जो ध्वनि सुनते हैं, वह लगभग 40 से 50 डेसीबल होती है। हम इस ध्वनि से परेशान नहीं होते। लेकिन जब यह ध्वनि 85 डेसीबल पार कर जाती है तो यह कष्टदायक हो जाती है। मुम्बई में यातायात के कारण ध्वनि स्तर 80 से 90 डेसीबल के बीच रहता है। विमान मार्गों के निकटतम स्थलों पर ध्वनि स्तर 140 डेसीबल तक पहुंच जाता है। मुम्बई में ऐसे स्थान भी हैं जहां के निवासियों को ध्वनि प्रदूषण से लगातार जूझना पड़ता है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि विमानपत्तनों तथा रेल पटरियों के निकट रहने वाले लोग इस ध्वनि प्रदूषण से निरंतर प्रभावित रहते हैं।

मैं प्रायः हंसी-मजाक में यह कहता हूं कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा शोर करती हैं। लेकिन वही बात आज मैं यहां नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे विधेयक का उत्तर देने वाली स्वयं एक महिला है। सभा के सदस्यों को यह मानना पड़ेगा कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आवाज ज्यादा ऊंची होती है। आपने मेरी आवाज सुनी है लेकिन मेरी पत्नी की आवाज नहीं सुनी। मैं आपको यह केवल इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि वह यहां उपस्थित नहीं है। जहां कहीं लोगों की भीड़ होगी, जहां कहीं ज्यादा बातें होंगी, ऐसे स्थानों पर कोलाहल तो होगा ही। फैक्ट्रियों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को भी ध्वनि प्रदूषण संशोधन अधिनियम में शामिल किया जाना चाहिए। सभी जगह बड़े पैमाने पर उद्योगीकरण हो रहा है। हमें उद्योगीकरण से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव पर विचार करना चाहिए।

जिस तरह हम वायु प्रदूषण के बारे में विचार करते हैं उसी तरह हमें ध्वनि प्रदूषण पर भी विचार करना चाहिए। हमारे मुम्बई शहर में भी 2,25,000 वाहन हैं। इनमें ट्रक, टैक्सी और बसें शामिल हैं। इनके अलावा, फेरीवालों आदि की आवाजें हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में सुनाई देती हैं। इसी तरह और भी कई आवाजें हैं। जैसे कुत्ते के भौंकने से भी इंसान की नींद खराब हो सकती है। ग्रामीण लोगों ने यह महसूस किया है। हममें से कई लोगों ने भेड़ियों की आवाजें सुनी होंगी। मुम्बई में भिखारियों का बड़ा शोर है। ऐसी कई प्रकार की आवाजें होती हैं। हमारे देश में हल्की आवाज में नहीं बोला जाता। मैं अमरीका और यूरोप की यात्रा कर चुका हूं। वहां यदि दो लोग आपस में बात करते हैं तो तीसरा व्यक्ति यह नहीं जान सकता कि वे क्या कह रहे हैं। लेकिन यहां यदि दो लोग आपस में बात करें तो कम से कम दस लोग उनकी बात सुन सकते हैं। किसी भी सार्वजनिक समारोह में लाउडस्पीकर की व्यवस्था होती है। यदि हमें आवाज 200 लोगों तक पहुंचानी है तो उसे इतना ऊंचा कर दिया जाता है कि उसे 2000 लोग सुनें। मैं अपने घर और परिवार मात्र के लिए सत्यनारायण की पूजा नहीं करूंगा। यदि मेरे घर सत्यनारायण की पूजा, विवाह अथवा कोई अन्य समारोह है तो पूरे गांव को इसका पता चलना चाहिए। क्या हम इन लाउडस्पीकरों की आवाज को नियंत्रित कर सकते हैं? यदि इन प्रश्नों के बारे में हम अभी नहीं सोचेंगे तो उनके बारे में फिर कभी सोच नहीं पाएंगे। कोई भी स्थान ध्वनि मुक्त नहीं है। हम बाग-बगीचों, समुद्रतट पर बड़े उत्साह के साथ जाते हैं लेकिन वहां का शोर सुनकर हम ऐसा महसूस करते हैं कि इससे बेहतर होता कि हम घर पर ही रहते। वहां फेरीवालों की अलग-अलग आवाजें सुनाई देती हैं।

एक और मुद्दा है जिसका उल्लेख करते हुए मुझे बड़ी अप्रसन्नता हो रही है। हम जो राजनैतिक सभाएं करते हैं, उनसे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। सभी ऐसा नहीं करते। लेकिन जनता तो इससे प्रभावित होती ही है। वास्तव में, उतनी आवाज में बोलना ही काफी है जितनी में लोग आपको सुन सकें। लेकिन हमें कर्कश आवाज में बोलने की आदत पड़ चुकी है। वे यह नहीं समझते कि इससे लोगों को परेशानी होती है। यदि हम अंग्रेजी की फिल्में देखें तो पाएंगे कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए अपनी बंदूक पर साइलेंसर लगाता है लेकिन हम अगर लड़ भी रहें हैं तो हम जोर-जोर से चिल्लाते हैं। हम इतनी ऊंची आवाज में बोलते हैं कि पूरा मोहल्ला हमारी आवाज सुन सके। मैं ऐसे मौकों पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा की बात नहीं करूंगा। आदमी नीचे सड़क पर खड़े होकर जोर से चिल्लाता है और दूसरे लोगों को अपने-अपने घरों से बाहर निकल कर नीचे आने और उसका सामना करने की चुनौती देता है। रसोईघर से अलग तरह की आवाज निकलती है। कृपया आज से ही आवाजें सुनना शुरू कर दें। घर-घर में सास-बहु के बीच झगड़ा होता है। फिर सास गुस्से में प्लेटें फेंकती है जिससे कष्टदायक ध्वनि उत्पन्न होती है। आइए, मैं आपको टेलीविजन के बारे में एक मजेदार किस्सा सुनाता हूं। मैंने तिलक ब्रिज से रुइया कालेज तक सड़क पर पैदल चलते हुए टेलीविजन से एक पूरा गाना सुन लिया। वह गाना तब शुरू हुआ जब हम तिलक ब्रिज पर थे और जब हम हिन्दू कालोनी पहुंचे तब वह खत्म हुआ। व्यक्ति बिना चूके प्रत्येक शब्द सुन सकता है। इसलिए हमें घर में टेलीविजन सेट अथवा रेडियो खरीदने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पड़ौसी खरीदेंगे तो हम स्वत: ही सुन सकते हैं। एयर कंडीशनर भी बहुत आवाज करते हैं। अन्य

देशों में ऐसा नहीं है। जब मुम्बई में कई स्थानों पर सर्वेक्षण किया गया तो यह पाया गया कि वहां 24 स्थान ऐसे थे जहां सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण था। बोरीबंदर, चर्चगेट, भिंडी बाजार, कालबादेवी, जे.जे. अस्पताल के आसपास का क्षेत्र, कैम्पस कार्नर, ओपेरा हाउस, पेडरा रोड उन स्थानों में से हैं। वाहनों के ब्रेक लगाने और हार्न की आवाजों से भी शोर होता है।

कोई भी व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि इसके लिए विधेयक प्रस्तुत करने की क्या आवश्यकता है? लोगों को बस बता दीजिए और वे शोर मचाना बंद कर देंगे। लेकिन जब तक कोई कानून नहीं बनता, लोग शोर करना बंद नहीं करेंगे। विदेशों में भी यही अनुभव रहा है, इसलिए वहां ऐसे कानून बनाए गए हैं। ध्वनि प्रदूषण का हमारे ऊपर शारीरिक रूप से दो प्रकार से असर पड़ता है। हम सुनने की क्षमता खो बैठते हैं, शोर से रक्तचाप बढ़ता है, इससे घबराहट बढ़ती है और यही नहीं बल्कि यदि कोई गर्भवती महिला कोलाहलपूर्ण वातावरण में रहती है तो इससे बच्चे के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है। ध्वनि प्रदूषण का हम पर मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रभाव पड़ता है। बाहर शोर है और जब हम घर आते हैं तो बच्चों का हल्ला-गुल्ला होता है, ऐसी स्थिति में पिता की इच्छा बच्चे को थप्पड़ मारने की करती है। शोर-गुल से अनिद्रा का रोग भी लग जाता है। कई रातें बिना सोये गुजर जाती हैं। इसलिए इस ध्वनि प्रदूषण को रोका जाना चाहिए। वास्तव में, मैं यह अपेक्षा करता हूं कि संपूर्ण मंत्रिमंडल इस वाद-विवाद का उत्तर दे क्योंकि इसका कई विभागों से संबंध है।

ध्वनि प्रदूषण से कानून और व्यवस्था की भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। सांता क्रूज़ पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज कराया गया। वह एक हत्या का मामला था। एक व्यक्ति ने अपने रेडियो की आवाज बहुत ऊंची कर दी थी। उनके पड़ोसी ने उससे आवाज कम करने को कहा। उस व्यक्ति ने यह कहते हुए ऐसा करने से मना कर दिया कि वह अपने घर में कुछ भी कर सकता है। बाद में उनमें हाथा-पाई और खून-खराबा हो गया। जिस व्यक्ति का रेडियो था, उसने शोर की शिकायत करने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी। इस प्रकार, हम देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के कारण हिंसक लड़ाईयां भी हो सकती हैं। इसलिए, कानून बनाकर इस ध्वनि प्रदूषण को रोका जाना चाहिए। अब जब कानून की बात उठी है तो मुझे यह बताने दीजिए। इस संबंध में दो प्रकार के कानून हैं। उनमें से एक इंग्लैण्ड का है। यह कानूनी उपबंध है कि ''कोई व्यक्ति जो इस उप-धारा का उल्लंघन करके लाउडस्पीकर बजाता है या बजाने की अनुमति देता है वह संक्षिप्त दोषसिद्धि के आधार पर दस पौण्ड से अनधिक के जुर्माने का भागी होगा।'' इसका अभिप्राय है कि लाउडस्पीकर का प्रयोग कर रहे व्यक्ति को दो सौ रुपए के बराबर जुर्माना किया जा सकता है। अमेरिका में कानून संपूर्ण है। उसमें निर्धारित दण्ड सुनने योग्य है—''इस अधिनियम के इस भाग के अनुसार, अपराध का दोषी व्यक्ति संक्षिप्त दोषसिद्धि पर (क) इस अधिनियम के इस भाग के अनुसार, पहले अपराध के मामले में 200 डालर से अनधिक जुर्माने का; और (ख) इस अधिनियम के इस भाग के अनुसार दूसरे या उत्तरवर्ती अपराध के मामले में 400 डालर से अनधिक जुर्माने का भागी होगा। साथ ही किसी मामले में 50 डालर प्रतिदिन से अनधिक अतिरिक्त जुर्माना उस प्रत्येक दिन के लिए देना होगा जिसमें दोषसिद्धि के बाद भी अपराध किया जाता रहा है।'' इसका अभिप्राय है

50 डालर प्रतिदिन का दण्ड। यह दण्ड उन लोगों के लिए है जो अनावश्यक ध्वनि उत्पन्न कर लोगों को परेशान करते हैं। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया बहुत आवश्यक है। इसके अलावा, हमें तकनीकी समस्याओं पर भी विचार करने की जरूरत होती है। हम कारखाने वालों से कह सकते हैं कि उन्हें ऐसे उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए जिनसे शोर उत्पन्न न होता हो। मौंट्रियल में रेलगाड़ियों के पहियों पर रबड़ लगा होता है क्योंकि लोगों ने (ध्वनि प्रदूषण की) शिकायत की। वहां केवल इस प्रयोजन के लिए दस लाख डालर का प्रावधान किया गया है। हमें मोटर कारों का ठीक से रख-रखाव करने की आवश्यकता है। मुझे मालूम है हमें अपने यहां रेलगाड़ियों के पहियों पर रबड़ लगाने में समय लगेगा। परन्तु, हम अपनी कारों का समुचित रख-रखाव कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अस्पतालों और विद्यालयों के पास शापिंग सेंटर नहीं होने चाहिएं। परन्तु हम जी.टी. अस्पताल के पास शापिंग सेंटर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए असंख्य समाधान हैं। ऊंचे भवनों में ध्वनि गूंजती है, इसलिए वहां शोर नहीं करने को कहा जाना चाहिए... उसी तरह, कारखानों में होने वाले शोर से कामगारों की श्रवण शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। कामगारों को 'इअर प्लग' दिया जाना चाहिए। पेड़-पौधे ध्वनि प्रदूषण को कम करने में सहायक होते हैं, इसीलिए वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

मेरे विधेयक में दिए गए सुझावों पर अवश्य ही विचार किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ध्वनि प्रदूषण के बारे में शिकायत करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक दूरभाष संख्या अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए जहां वह शिकायत कर सके। इस दूरभाष संख्या का समुचित प्रचार किया जाना चाहिए और दूरभाष पर आने वाली शिकायतों को नोट करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जब परीक्षाएं चल रही हों तो लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रोक होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं होता है। मैंने इस बारे में पुलिस आयुक्त को लिखा है। उन्होंने उत्तर दिया है कि वह इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि संबंधित अधिनियम में कोई उपबंध नहीं है। इस बारे में भी विचार होना चाहिए। इस विधेयक में मेरे द्वारा दिए गए सुझावों का आशय यह है कि नागरिकों का जीवन शांतिमय बने और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसीलिए मेरे विधेयक को स्वीकार किया जाना चाहिए। इसमें संस्तुत दंड बहुत कठोर नहीं है। अन्य देशों में कठोर दंड का प्रावधान है। मैंने इस विधेयक को तैयार करने में एक वर्ष लगाया है। मैंने इस बारे में काफी जानकारी जुटायी है और कोशिश की है कि जहां तक संभव हो, सभी बातें इसकी परिधि में आ जाएं। इसलिए, मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक को स्वीकार किया जाएगा।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद*

मैं निम्नलिखित संकल्प का प्रस्ताव करने की आपसे अनुमति चाहता हूं:—

"महाराष्ट्र विधान परिषद, महाराष्ट्र राज्य सरकार से सिफारिश करती है कि महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद का 1 नवम्बर, 1977 से पूर्व समाधान करने के लिए केन्द्र सरकार पर दबाव डाले।"

सदस्यों को बहुत लम्बे समय से इस मामले की जानकारी है। मैं इस मामले के बारे में भावनाओं की तीव्रता से अन्य लोगों को अवगत कराने तथा इस समस्या का समाधान निकालने के लिए जोर देने के लिए इस संकल्प को प्रस्तुत करता हूं। 1 नवम्बर को सीमावर्ती क्षेत्र में काले दिन के रूप में मनाया जाता है। महोदय आप बेलगाम गए थे और इस विषय पर अपनी आवाज उठाई थी। आपको सीमा क्षेत्र में लोगों की मांगों का अच्छी तरह पता है। मुझे आशा है कि इन लोगों को अगले वर्ष 'काला दिन' मनाने का अवसर नहीं मिलेगा। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। यह संकल्प किसी भी तरह कन्नड़ भाषियों के विरुद्ध नहीं है। यह संकल्प मराठी बोलने वाले लोगों तथा कन्नड़ भाषी लोगों के बीच दुर्भावना भड़काने के लिए नहीं है। सीमावर्ती क्षेत्र महाराष्ट्र का न्यायोचित और वैध हिस्सा है और इसलिए इसका महाराष्ट्र राज्य के साथ विलय किया जाना चाहिए।

वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग के निर्णय के पश्चात् हमारे भाई हमसे अलग हो गए। उन्हें हमसे मिल जाना चाहिए जिससे हमें 1 नवम्बर, 1977 को एक स्मरणीय दिन के रूप में मनाने का आधार मिल सके। मेरे संकल्प का यही उद्देश्य है।

मैं जानता हूं कि इस विधानमण्डल के दोनों सदनों द्वारा इसी प्रकार के संकल्प सर्वसम्मति से पारित किए गए हैं। दो पूर्व मुख्यमंत्रियों, श्री यशवंत राव चव्हाण और श्री वसन्त राव नायक ने स्वयं इस प्रकार के संकल्प प्रस्तुत किए थे। इस विषय पर महाराष्ट्र की एकता प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न सदस्यों ने संकल्प प्रस्तुत किए हैं।

इस संकल्प को प्रस्तुत करते समय, मुझे परिवर्तनशील परिस्थितियों का ध्यान रखना है। एक नया दल केन्द्र में सत्तासीन हुआ है। अन्ततः सीमा विवाद को केन्द्र सरकार द्वारा ही सुलझाया जाना है। अतः इस मुद्दे को केन्द्र की नयी सरकार के साथ सतत् रूप से उठाना होगा। मैं सीमा विवाद पर नए मुख्यमंत्री श्री वसन्त दादा पाटील की भावनाओं को समझता हूं। वह सीमा क्षेत्र के मराठी भाषी

* महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पर एक संकल्प का प्रस्ताव रखते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (28 जुलाई 1977)

लोगों द्वारा किए गए आन्दोलन से परिचित हैं। हाल ही में, मुख्यमंत्री को इन आन्दोलनकारियों ने घेर लिया था। सीमा क्षेत्र में मराठी विद्यालय बंद कर दिए गए हैं और वहां विद्यार्थी कन्नड़ भाषा सीखने के लिए बाध्य हैं। वे ऐसी परिस्थिति बना रहे हैं जिससे मराठी भाषी लोग सीमा क्षेत्र में नौकरी नहीं पा सकें। इस बात का एहसास आन्दोलनकारियों के नेता श्री सरनायक, जिन्होंने मुख्यमंत्री का घेराव किया था, ने कराया है। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई उस समय महाराष्ट्र तथा अन्य क्षेत्र से बने बाम्बे के मुख्यमंत्री थे। मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि वह 20-21 वर्ष से भी अधिक समय से नासूर बन चुके सीमा विवाद को सुलझाएं। यदि इस विवाद को मराठी भाषी लोगों के लिए संतोषजनक ढंग से नहीं सुलझाया गया तो इससे उत्पन्न होने वाली विस्फोटक स्थिति पर केन्द्र सरकार को ध्यान देना होगा। जब नई दिल्ली में मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ था तब यह स्वीकार किया गया था कि बेलगांव महाराष्ट्र का अभिन्न हिस्सा है। बेलगाम में श्री जी.टी. मदखोलकर की अध्यक्षता में आयोजित मराठी साहित्य सम्मेलन में उन्होंने जोर-शोर से और स्पष्ट रूप से दावा किया था कि बेलगाम महाराष्ट्र का अभिन्न हिस्सा है। हमारी उचित मांग है कि बेलगाम का महाराष्ट्र के साथ अवश्य विलय किया जाना चाहिए। यदि कर्नाटक को ऐसा लगता है कि उनके कुछ क्षेत्रों को महाराष्ट्र में मिला दिया गया है तो हम उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री, श्री यशवंत चव्हाण ने 11 मार्च, 1960 को इस संकल्प का प्रस्ताव किया था:—

"यह विधानसभा केन्द्र सरकार से अनुरोध करती है कि एक संतोषजनक समझौता करने के उद्देश्य से वह तत्काल कोई कदम उठाए तथा उनको लागू करे।"

दूसरा संकल्प मुख्यमंत्री श्री वसंतराव नाईक द्वारा लाया गया था और इसे इस सभा द्वारा 5 अप्रैल, 1966 को सर्वसम्मति से पारित किया गया था। संकल्प में कहा गया था कि आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इस प्रकार की परिस्थितियां बनाई जानी हैं कि सीमा क्षेत्र के लोग चुनाव में महाराष्ट्र के लोगों के रूप में भाग ले सकें। केन्द्र सरकार से ऐसी स्थिति तैयार करने का अनुरोध किया गया था। इस सभा के दोनों सदनों में इस विषय पर कोई असहमति नहीं रही है।

आइये, हम सीमा क्षेत्र की जनसंख्या पर एक नजर डालें। वहां मराठी भाषी लोग कुल जनसंख्या के 49 प्रतिशत थे, पर यह जनसंख्या 1971 में घटकर 46 प्रतिशत रह गई। अब यह प्रतिशत 40 तक रह गया है। ऐसा सीमा-क्षेत्र में मराठी भाषी लोगों के लिए पैदा की गई असहनीय परिस्थितियों के कारण है। वहां लोगों द्वारा सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शन किए गए। उन्होंने अभ्यावेदन दिए और संकल्प भेजे तथा राजस्व नहीं देने का आन्दोलन चलाया। इन प्रदर्शनों के बावजूद भी केन्द्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। विधान सभाओं, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के सभी चुनावों से लोगों के महाराष्ट्र राज्य में विलय के निर्णय की संपुष्टि हुई। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनप्रिय फैसले को सम्मान नहीं दिया गया। मुम्बई सहित महाराष्ट्र के लिए एक सौ पांच शहीदों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। अतः, नरम और मध्यम नीति सीमा विवाद का हल नहीं हो सकती। हमें पटस्कर सूत्र का अनुसरण करना चाहिए। हमें एक गांव को एक इकाई मानना चाहिए। महाराष्ट्र जिस चीज का हकदार है उसे महाराष्ट्र को दीजिए। जो कर्नाटक का है उसे कर्नाटक को दीजिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने

इस मामले को एक छोटा-मोटा विषय बताकर इसकी अहमियत कम आंकी है। उनके पास सीमा क्षेत्र का स्वामित्व और कब्जा है। डा. अम्बेडकर ने राज्यों के बीच विवादों के निपटान हेतु संविधान में अनुच्छेद 3 की व्यवस्था की थी। संसद इस विवाद का निर्णय करने वाली थी। इसने इस मुद्दे के संबंध में कुछ नहीं किया है। कश्मीर में आयोजित राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में राज्यों के बीच सीमा विवादों के निपटान हेतु विशिष्ट सिद्धांत अपनाने की वकालत की गयी थी। स्वर्गीय नाथ पाई ने लोक सभा में कहा था:—

"चार खंडों वाला यह विधेयक एक सीमा आयोग के गठन का उपबंध करता है जिसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा दो अन्य सदस्य होंगे जो केन्द्र अथवा अन्य किसी राज्य सरकार के तहत किसी पद पर आसीन नहीं होंगे। संविधान को इन मानदंडों के आधार पर राज्यों अथवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच प्रत्येक सीमा विवाद को सुलझाना चाहिए।"

उनके द्वारा निर्धारित तीन मानदंड थे—गांव एक इकाई के रूप में; साधारण बहुमत तथा भौगोलिक निकटता। सभी को यह पता है कि नाथ पाई द्वारा प्रस्तावित विधेयक का परिणाम क्या हुआ।

यह प्रश्न सारे संवैधानिक प्रयासों के बावजूद अनसुलझा रह जाता है। शिव सेना ने 1969 में आंदोलन किया था जिसमें 68 लोगों ने अपनी जान गंवायी थी। इसी आंदोलन की वजह से महाजन आयोग की रिपोर्ट को दरकिनार किया गया है। महाजन आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करने से महाराष्ट्र राज्य को हानि हुई होती। इस विधान सभा के कुछ भूतपूर्व सदस्य जैसे डी.बी. पाटील, रामभाऊ महल्गी, वसंत कुमार पंडित और मृणाल गोरे अब लोक सभा के सदस्य हैं। उन्हें सीमा विवाद सुलझाने हेतु केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहिए। जोरदार आंदोलन किए बगैर किसी भी विवाद को नहीं सुलझाया जा सकता। फतेह सिंह को चंडीगढ़ के लिए जान गंवानी पड़ी तथा पोट्टि श्रीरामुलु ने आंध्र प्रदेश के लिए अपनी जान गंवायी। मुख्यमंत्री, वसंतदादा पाटील 5 जून को केन्द्र सरकार से वार्ता करने वाले थे। इन वार्ताओं के दौरान क्या हुआ? हमें आम चुनावों से ठीक पहले सुनिश्चित प्रयास करने चाहिएं। यदि हम अपने उचित अधिकारों से वंचित किए जाते हैं और महाराष्ट्र सरकार इस संबंध में आगे नहीं आ रही है तो शिव सेना चुप नहीं रह सकती। पहली नवम्बर सीमा-क्षेत्र में अंतिम काला दिवस होना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र को 1 नवम्बर को 'विजयोत्सव दिवस' के रूप में मनाना चाहिए। यदि राज्य सरकार इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार से चर्चा करने में कठिनाई महसूस करती है तो उसको सत्ता छोड़ देनी चाहिए क्योंकि यह महाराष्ट्र के आत्मसम्मान का मामला है। हमें सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों का तहेदिल से साथ देना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार को 1 नवम्बर से पहले सीमा विवाद के समाधान हेतु कड़ा रुख अपनाना चाहिए।

मुम्बई के लिए विकास योजना*

मैं सरकार के इस कदम का विरोध करता हूं। सरकार वेस्टर्न इंडिया फुटबाल एसोसिएशन को फुटबाल स्टेडियम के निर्माण हेतु वर्ष 2003 तक 33,717 वर्ग गज भूमि पट्टे पर देना चाहती है। मूल अधिनियम सार्वजनिक हित के लिए बनाया गया था। इसमें कहा गया था: ''परंतु यह कि प्लाट संख्या 3 कूपरेज प्लाट तथा संख्या 4(ख) मैरीन लाइन्स मैदान का रख-रखाव निरन्तर खुले स्थानों के रूप में किया जाना चाहिए, परंतु यह और भी कि उपर्युक्त प्लाट संख्या 3 या उसके किसी भाग का अधिग्रहण किसी अन्य अस्थायी उद्देश्य के लिए सरकार की पूर्वानुमति से किसी भी समय किया जा सकेगा।'' मैं फुटबाल के खेल के विरुद्ध नहीं हूं, न ही मैं वेस्टर्न इंडिया फुटबाल एसोसिएशन को पट्टे पर भूमि देने के विरुद्ध हूं। सरकार को यह समझना चाहिए कि मैं किन कारणों से विरोध कर रहा हूं। मुम्बई में खुली जगह का अनुपात बहुत कम है। इन खुली जगहों पर अतिक्रमण होता रहा है। बृहन्मुम्बई नगर निगम के सदस्यों को इन अतिक्रमणों से बेचैनी का अनुभव होता है। सरकार इन खुली जगहों को विशिष्ट लोगों को सौंपती आ रही है। इस कदम की जांच किए जाने की आवश्यकता है। विश्व के सभी महानगरों में खुले स्थानों का एक निश्चित प्रतिशत होता है। मुम्बई में खुला स्थान मुश्किल से दस प्रतिशत है। कूपरेज ग्राउण्ड को मुम्बई की विकास आयोजना में हरित क्षेत्र (ग्रीन बेल्ट) के रूप में नियत किया गया था। इस मैदान में फुटबाल स्टेडियम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस स्टेडियम के साथ-साथ कुछ अन्य बातों पर भी विचार किया जा रहा है जिनमें खेल-कूद, आवासीय मकान, क्लब हाउस, शयनकक्ष, कैन्टीन, कान्फ्रेंस कक्ष, शोरूम एवं ऐसे ही प्रयोजनों के लिए अन्य निर्माण कार्य शामिल हैं।

ऐसा लगता है कि सरकार की सोच की दिशा सही नहीं है। इसी प्रकार के कदम जी.टी. हास्पीटल तथा सेन्ट जार्ज हास्पीटल के लिए उठाए जा रहे हैं। मुम्बई नगर महाराष्ट्र की राजधानी है। इस नगर में खुले स्थानों को यथावत रखना होगा। सरकार स्टेडियम के साथ-साथ दस और चीजों की शुरुआत क्यों करना चाहती है? जब ऐसे संकल्प पेश किए जाते हैं तो बृहन्मुम्बई नगर निगम के सदस्यों को उसकी योजना उपलब्ध कराई जाती है। इस सदन के सदस्यों को प्रस्तावित फुटबाल स्टेडियम की योजना उपलब्ध कराई जानी चाहिए। फुटबाल स्टेडियम के साथ आवासीय क्वार्टरों की क्या आवश्यकता है? विदेश की तर्ज पर ऐसा क्यों किया जा रहा है? इस बात की क्या गांरटी है कि उन शोरूमों को शापिंग सेन्टर में नहीं बदल दिया जाएगा? सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई जमीन का उपयोग

* मुंबई नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1977 पर चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (27 अक्तूबर 1977)

वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हम जानते हैं कि आजाद मैदान तथा क्रास मैदान का क्या हाल हुआ? मंत्री महोदय वानखेड़े ने महाराष्ट्र विधान सभा में सन् 1969 में कहा था, "सरकार इन मैदानों से अतिक्रमण हटाएगी।" वर्तमान आजाद मैदान में बम्बई जिमखाना, म्यूनिसिपल स्पोर्ट्स क्लब, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब, हाउसिंग बोर्ड आफिस, बम्बई प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, आदि हैं। 'द फ्री प्रेस' जर्नल ने बताया है कि वेस्टर्न इंडिया फुटबाल एसोसिएशन में एक ही समुदाय का बाहुल्य है। इस आरोप की जांच किए जाने की आवश्यकता है। इस फुटबाल एसोसिएशन के पदधारी कौन हैं? क्या गरीब लोगों के बच्चे इस एसोसिएशन के सदस्य हैं? मुम्बई के लोग फुटबाल के नाम पर अन्य क्रियाकलापों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात की अनुमति नहीं दी जाएगी कि सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि का उपयोग शाम को जुआ खेलने के लिए हो।

खुले स्थान नगर की जान हैं। हजारों-लाखों लोग यहां ताजी हवा लेने के लिए आते हैं। सरकार अतिक्रमण करने वालों को इन स्थानों पर कब्जा करने की अनुमति क्यों देती है? कई क्लबों ने शिवाजी पार्क ग्राउंड पर कब्जा कर लिया है। क्या सरकार फुटबाल एसोसिएशन को कोई वैकल्पिक स्थान प्रदान नहीं कर सकती है? सरकार यह कदम बृहन्मुम्बई नगर निगम से विचार-विमर्श किए बिना ही उठा रही है जिसने कूपरेज ग्राउण्ड को ग्रीन बेल्ट के एक भाग के रूप में आरक्षित किया है। फुटबाल एसोसिएशन इस स्टेडियम का उपयोग मैचों का आयोजन करके पैसा कमाने के लिए कर सकती है। इस प्रकार वे सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि से पैसा कमा कर लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अतः, मैं सरकार से इस विधेयक को वापस लेने का आग्रह करूंगा। ऐसा नहीं होने पर हम अपनी पूरी शक्ति लगाकर इसका विरोध करेंगे।

बजट गरीबों के हित में होना चाहिए*

महोदय, मैं यहां माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझसे पहले कुछ सदस्यों ने शिक्षा के लिए अपर्याप्त प्रावधान के बारे में शिकायतें की हैं। ऐसा लगता है कि इस बजट में मुंबई मेट्रो के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया है। इस बजट में मुंबई की विभिन्न समस्याओं को ध्यान में नहीं रखा गया है। मुझे इस बात से निराशा हुई है कि इस बजट में इस नगर के लिए प्रावधान नहीं किया गया है। इस नगर की समस्याएं गंभीर होती जा रही हैं। मैं इस बजट में इस नगर को नजरअंदाज किए जाने की ओर ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं।

यह सर्वविदित है कि इस राज्य की अधिकांश जनसंख्या मुंबई में रहती है। इसलिए इस राज्य के बजट में इस नगर के लिए अधिक प्रावधान किया जाना चाहिए था। कुछ प्रावधान अपर्याप्त हैं। इस नगर की कुछ समस्याओं को इस बजट में नजरअंदाज किया गया है। मलिन बस्तियों के सुधार अथवा इनके पुनर्वास के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जब नगर की 25 प्रतिशत जनसंख्या मलिन बस्तियों में रहती है तो ऐसे में इन्हें बिल्कुल नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। मलिन बस्तियों में 25 लाख लोग रहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार का इन बस्तियों के लिए क्या करने का प्रस्ताव है। अभी तक इन मलिन बस्तियों में उपलब्ध करायी गई पानी और सड़क जैसी सुविधाएं अत्यंत अपर्याप्त साबित हुई हैं। प्रशासन ने कुछ सुविधाओं को प्रदान करने के साथ ही इन मलिन बस्तियों के किराये में वृद्धि की है। किये गये सुधार इतने नगण्य हैं कि मलिन बस्तियों में रहने वालों को इनका कोई लाभ नहीं मिल पाया है। कई बार इन सुधारों को निरंतर जारी रखने का वायदा किया गया। इन वायदों को अभी भी पूरा किया जाना है। महाराष्ट्र सरकार यह दावा नहीं कर सकती है कि उसने मलिन बस्तियों में रहने वालों के लिए एक भी सोसाइटी का निर्माण किया है। मैं बृहन्मुम्बई नगर निगम द्वारा मलिन बस्तियों के सुधार के लिए की गई कार्यवाही के बारे में प्रश्न नहीं उठाना चाहता हूं। सरकारी भूमि पर स्थित मलिन बस्तियों को नगण्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सरकार ने मलिन बस्तियों के पुनर्वास के लिए कोई योजना शुरू नहीं की है। भवनों की मरम्मत करना मुंबई की दूसरी गंभीर समस्या है। बजट में इसके लिए केवल नौ करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। पिछले बजट में इस मद के लिए 19 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। भवनों की मरम्मत के लिए बजट प्रावधान में कमी करना स्वीकार्य नहीं है। ऐसे अपर्याप्त प्रावधानों के कारण भवनों

* बजट (1978-79) पर चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (27 मार्च 1978)

की मरम्मत का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। नए भवनों के निर्माण में भी तेजी नहीं आई है। सरकार को भवनों की मरम्मत और इसके पुनर्निर्माण पर और अधिक ध्यान देना चाहिए। समय के अभाव के कारण मैं केवल कुछ महत्वपूर्ण बातों को ही सामने रखूंगा। मुंबई के कुछ भवनों की हालत इतनी जर्जर है कि वे कभी भी ढह सकते हैं और निर्दोष लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है।

दो वर्ष पहले वृक्षारोपण को अत्यधिक महत्व दिया गया था। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि उसके बाद इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। समाचार-पत्रों में यह खबर छपी थी कि सरकार पहाड़ों और पहाड़ियों पर वृक्षारोपण करने पर विचार बना रही है। इस सदन को यह मालूम होना चाहिए कि इस बजट में वृक्षारोपण के लिए कोई प्रावधान क्यों नहीं किया गया है। कृपया हमें यह बताया जाये कि बजट में कोई प्रावधान न रखे जाने का अर्थ कहीं यह तो नहीं है कि सरकार ने वृक्षारोपण के कार्यक्रम को पूर्णत: छोड़ दिया है।

हमने मलिन बस्तियों के पुनर्वास, भवनों की मरम्मत और जल आपूर्ति के मुद्दों को उठाया है। मैं इस बात को लेकर चिन्तित हूं कि कहीं सरकार अपनी मौलिक नीतियों से दूर तो नहीं जा रही है। एक समाचार-पत्र में यह खबर छपी थी कि सरकार ने बैक-बे-रिक्लेमेशन के पुन:अधिग्रहण कार्य को छोड़ दिया है। यह खबर भी छपी थी कि सरकार ने निर्माण के लिए दो पार्टियों को अनुमति दे दी है। कथित दो भूखंडों में से एक भूखंड पुराना है और दूसरे भूखंड के बारे में यह बताया गया है कि इसमें सुधार किया जा रहा है। पुराने भूखंड को एक बड़ी होटल श्रृंखला को सौंपा जा रहा है। अनुमति के इस मामले की जांच किए जाने की आवश्यकता है। इस होटल को भूखंड के आधे क्षेत्र में निर्माण की अनुमति दी गई है। इस निर्णय के बारे में सदन को स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह अनुमति चुनाव के समय क्यों दी गई। इस सदन ने बम्बई मेट्रोपोलिटन रीजनल बोर्ड (बी.एम.आर.बी.) का गठन किया है। इस बी.एम.आर.बी. ने यह संकल्प लिया है कि बैक-बे-रिक्लेमेशन में किसी प्रकार के नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बी.एम.आर.बी. विशेषत: वाणिज्यिक विकास के विरुद्ध है। बृहन्मुम्बई नगर निगम ने भी बैक-बे-रिक्लेमेशन योजना का विरोध किया है। इस भूखंड पर 18 से 20 करोड़ रुपए के एक भवन का निर्माण किया जाना है। सरकार ने इस होटल के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र क्यों जारी किया? इस होटल के आसपास आवासीय निर्माण से इस शहर में रहने वाले निम्न आय उपार्जकों के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं इस अनुमति का विरोध करता हूं। इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है।

बृहन्मुम्बई नगर निगम ने बैक-बे-क्षेत्र में नए सिरे से किसी भूखंड को वापस न लेने का संकल्प लिया है। फिर सरकार ने भूखंड को वापस लेने और इसे चीनी सहकारी सोसाइटी को सौंपने का वायदा क्यों किया? क्या इस सोसाइटी को अन्यत्र जगह पर भूखंड नहीं मिल सकता है? एक आम नागरिक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस निर्णय के लिए किसने दबाव डाला था? ऐसे भूखंड को सौंपते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी की जानी चाहिए थी। ऐसा न करने के कारण जनता के मन में शंका उत्पन्न हुई है। बैक-बे-क्षेत्र में विधानमंडल के सदस्यों के लिए होस्टल के

निर्माण के लिए बजट में 1.05 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। क्या सरकार इस होस्टल के लिए नया प्लाट प्राप्त करेगी? हम जानते हैं कि नए विधान भवन का निर्माण किया जा रहा है। बैक-बे-क्षेत्र में नई भूमि प्राप्त करना बृहन्मुम्बई नगर निगम और बम्बई मेट्रोपोलिटन रीजनल बोर्ड के संकल्पों के विरुद्ध है। सरकार ने बांद्रा-कुर्ला काम्पलेक्स में 'सिडको' की भूमि के साथ भी अन्याय किया है। कई नागरिकों ने वहां ड्राइव-इन थिएटर के निर्माण का विरोध किया। समाचार-पत्रों में भी इसकी आलोचना की गई है। जनप्रतिनिधियों ने इस थिएटर के विरोध में मोर्चा निकाला है। फिर भी इस थियेटर का निर्माण किया गया। इस थियेटर को स्वीकृति किस आधार पर दी गई है, इसकी जांच किए जाने की आवश्यकता है। बांद्रा-कुर्ला परिसर की स्थापना एक निश्चित उद्देश्य से की गई थी। इसका उद्देश्य पुरानी मुम्बई में भीड़-भाड़ को कम करना था। पुरानी मुम्बई के व्यापार को नए परिसर में स्थानांतरित किया जाना था। हम उन व्यापारियों के नाम जानने को उत्सुक हैं जो पुरानी मुम्बई से नए परिसर में स्थानांतरित हुए हैं। यह मेरी समझ से बाहर है कि इस परिसर के प्लाट वाणिज्यिक आधार पर क्यों बेचे जा रहे हैं। इस परिसर के मुख्य भाग को अल्प आय वालों के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए। लेकिन यह जमीन वाणिज्यिक कंपनियों को 700 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बेची जा रही है। ड्राइव-इन-थियेटर के लिए यह प्लाट 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बेचा गया है। इस थियेटर के निदेशक कौन हैं? उन्हें यह प्लाट 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से क्यों दिया गया जबकि बाजार भाव 700 रुपए प्रति वर्ग मीटर है? सदन को इस बारे में बताए जाने की जरूरत है। इस थियेटर के पास रह रहे लोगों को हो रही असुविधा असहनीय है। इस थियेटर के कारण वायु, ध्वनि और नैतिक प्रदूषण हो रहा है। इस थियेटर के प्रति लोगों का विरोध सर्वथा औचित्यपूर्ण है। सरकार इस विरोध पर ध्यान नहीं देना चाहती। हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस थियेटर का पक्ष क्यों लिया जबकि इतने सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार को कोई भी प्लाट सौंपते समय एक अधिसूचना जारी करनी चाहिए। लोगों को प्लाट जारी करते समय उसकी दरों और शर्तों का पता होना चाहिए। सरकार के पास 30 लाख झुग्गीवासियों के लिए जगह नहीं है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार के पास होटलों और ड्राइव-इन-थियेटर के लिए प्लाट हैं। सरकार जनता के प्रतिनिधियों की भावनाओं का अनादर करती है। ऐसा लगता है कि सरकार बजट बनाते समय आदमी के महत्व को भूल गई है।

बजट में गृह मंत्रालय के लिए लाखों रुपए का प्रावधान है। मैं पुलिस विभाग के लिए उपलब्ध कराए गए प्रावधान का विरोध नहीं करना चाहता। सरकार इस विभाग को अपना कार्य उचित ढंग से करने का अनुदेश कब जारी करेगी? मैं इस संबंध में एक उद्धरण देना चाहूंगा। 27 फरवरी, 1978 को घाटकोपर में एक 25 वर्षीय युवक की हत्या का प्रयास किया गया। उसके साथ उसी की चाल के तीन-चार पड़ोसी थे। उसे गंभीर चोटें आई थीं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तीन दिन पहले उन्हीं चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 27 फरवरी से 27 मार्च तक पूरे महीने के दौरान अभी तक एक भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया गया है। इस शिव सैनिक के पिता ने मुझसे पूछा कि पुलिस इस मामले में क्या कर रही है। यह आश्चर्य की बात है कि गृह मंत्रालय इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। एक चाल के लोग मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दें

और पुलिस विभाग इस हत्या के एक भी अभियुक्त को हिरासत में नहीं ले। एक माह बीतने के पश्चात् भी पुलिस अब तक एक भी हत्यारे को गिरफ्तार करने में क्यों असमर्थ रही? गृह मंत्रालय के लिए प्रावधान का समर्थन करते हुए मैं यह चाहूंगा कि वे अपने कर्त्तव्य का पालन दक्षतापूर्वक करें।

इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया गया है। इस बजट में गरीब, असहाय और निराश्रित व्यक्तियों की उपेक्षा की गई है।

बजट का उद्देश्य—सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास*

महोदय, मैं यहां बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हालांकि मैं विलम्ब से बोल रहा हूं। इसके दो कारण हैं। पहला यह कि मैं अन्य सदस्यों का भाषण धैर्यपूर्वक सुनना चाहता था। दूसरे, मेरी इच्छा यह भी थी कि माननीय वित्त मंत्री डा. सुब्रहमणियम के उपस्थित रहने के समय बोलूं।

मैं बजट पर पिछले नौ वर्षों से बोलता आ रहा हूं। साथ ही, मैं अन्य सदस्यों के भाषणों को भी ध्यानपूर्वक सुनता रहा हूं। बजट भाषण का मसौदा माननीय वित्त मंत्री ने तैयार किया है और इसे सदन में राज्य मंत्री ने पढ़ा है। मैंने बजट भाषण और अन्य संगत कागजात ध्यान से पढ़े हैं। मैंने इसमें यह एक बात नोट की है। इस बजट में मुंबई के लिए किया गया प्रावधान पिछले प्रावधान की तुलना में कम है। मुंबई के संबंध में किसी प्रकार बेचैन होने की कोई बात नहीं है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। गरीब आदमी चाहे वह मुंबई में अथवा महाराष्ट्र में कहीं और रहता है, उसकी ओर समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। मुंबई में रहने वाले गरीब आदमी का भी उतना ही महत्व है जितना कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब आदमी का। इस समय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दोनों ही मुंबई के हैं। फिर भी मेरी शिकायत है कि इस बजट में मुंबई की घोर उपेक्षा की गई है। मैं इस बात से इंकार नहीं करता कि इस बजट में अच्छी बातें नहीं हैं। मैं यह भी नहीं कहता हूं कि इस बजट में सभी कुछ अच्छा है। मैं इस बजट को वस्तुपरक और निष्पक्ष ढंग से देखना चाहूंगा।

इस सरकार ने प्रारंभ में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया था। गरीब आदमी ही आर्थिक आयोजना का केन्द्र बिन्दु था। चूंकि कई सदस्यों ने बजट भाषण से उद्धरण पढ़ कर सुनाए हैं, इसलिए मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। मैं यह देखना चाहूंगा कि यह बजट विभिन्न क्षेत्रों का संतुलित विकास करने, बेरोजगारी में कमी लाने और कृषि तथा अन्य संबद्ध कार्यकलापों का योजनाबद्ध विकास करने के उद्देश्यों को कहां तक पूरा कर पाया है। मुंबई से बाहर के अनेक सदस्यों ने यहां अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस सदन के कुछ सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे मुंबई की सही तस्वीर पेश करें। असली मुंबई विधान भवन के आस-पास की गगनचुम्बी इमारतों में नहीं रहती। हम यहां धनी लोगों को आलीशान कारों में घूमते-फिरते देखते हैं। ये लोग इस महानगर में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। मुंबई में 77 प्रतिशत लोग एक कमरे के मकानों में रहते हैं। माननीय वित्त मंत्री को जानकारी होगी कि लगभग 20 से 25 लोग एक ही कमरे में रहते हैं। हो सकता है कि

* बजट (1982-83) पर चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (30 मार्च 1982)

कुछ लोग इस बात पर विश्वास न करें, मगर यह जीवन की सच्चाई है। पच्चीस लोग एक कमरे के मकान में रहते हैं। ये लोग बारी-बारी से शिफ्टों में अपने कार्य पर जाते हैं। वे अपने कमरों में सिर्फ सोने के लिए आते हैं। अन्यथा, ज्यादातर समय तो वे कमरे से बाहर ही रहते हैं। मुंबई की बराबरी गगनचुम्बी इमारतों से नहीं की जा सकती। मुम्बई के 77 प्रतिशत लोग एक कमरे के मकानों में रहते हैं।

लगभग आठ लाख परिवार, जिनमें मुंबई की साढ़े सैंतीस लाख आबादी शामिल है, मलिन बस्तियों में रहते हैं। सदन में इस प्रकार का मुद्दा उठाकर क्या मैंने कोई गलती की है? इन लोगों को प्राथमिक सुविधाएं तक प्राप्त नहीं हैं। इन्हें जो भी सुविधाएं मिल रही हैं वे बेकार हो गई हैं। महाराष्ट्र की जनसंख्या का आठवां हिस्सा मलिन बस्तियों में रहता है। जहां तक गरीब लोगों का संबंध है, ग्रामीण गरीब लोगों और शहरी गरीब लोगों के बीच कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। मुंबई के इस मुद्दे को इस बजट में नहीं दर्शाया गया है। लगभग तीन लाख लोग फुटपाथ पर रहते हैं। मैं इन लोगों के बारे में बोलना चाहता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री और राज्य मंत्री दोनों से पूछना चाहता हूं कि इस बजट में इन लाखों लोगों के लिए कोई प्रावधान क्यों नहीं किया गया है। कुछ लोग महसूस करते हैं कि बजट में मुंबई के लोगों के कल्याण के लिए प्रावधान किया गया है। यह सही नहीं है। 2470.17 करोड़ रुपये के इस बजट में मलिन बस्तियों के लिए मात्र 4.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री और राज्य मंत्री दोनों विशेषज्ञ हैं और मुझे उनके साथ चर्चा करने में प्रसन्नता होगी। इन दोनों मंत्रियों को मेरी मांग स्वीकार कर लेनी चाहिए। मुम्बई के गरीब लोगों की बात तो छोड़िए इस बजट में मुंबई की कुल जनसंख्या के लिए आनुपातिक प्रावधान नहीं किया गया है। मैं अपने प्रश्न का उत्तर चाहूंगा कि मुंबई के चालीस लाख लोगों के लिए कोई प्रावधान क्यों नहीं किया गया है।

मैं वित्त मंत्री को उनके द्वारा किए गए अनेक अच्छे कार्यों के लिए बधाई देना चाहूंगा। धनराशि का पच्चीस प्रतिशत भावी आकस्मिकताओं के लिए रखा जाना चाहिए। मैं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 200 लाख रुपये के प्रावधान का स्वागत करता हूं। माननीय देशमुख जी ने हरिजनों के पुनर्वास के लिए किए गए प्रावधानों का उल्लेख किया है। मैं श्री देशमुख के साथ अपने स्पष्ट मतभेदों को व्यक्त करना चाहूंगा। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि भले ही कोई भी सत्ता में आए, दुष्प्रवृत्तियां तो अपनी भूमिका निभाएंगी ही। मैं उन लोगों के पुनर्वास के लिए किए गए प्रावधान को हल्का नहीं बताना चाहता जो कुछेक लोगों के दुष्कृत्यों के कारण परेशानी उठाते हैं।

इस बजट में वृक्षारोपण के लिए धनराशि बढ़ाकर 598 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। आज आप पेड़ लगाएंगे तो इसका लाभ भावी पीढ़ी को मिलेगा। अत: मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि 25 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान किया जाए। किसी रोग का उपचार करने की बजाए बेहतर होगा कि हम अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें। सिंचाई परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लोगों को पानी मिलना चाहिए। हमें ऐसा वित्त मंत्री चाहिए जो टैंकरों की व्यवस्था कराने की बजाए पानी की उपलब्धता पर अधिक ध्यान दे। श्री देशमुख ने कहा है कि इस बजट में शिक्षा

की अनदेखी की गई है। हर बार शिक्षा को अनदेखा कर दिया जाता है। समाज की बुराइयों को शिक्षा से ही दूर किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद में शिक्षा को प्रधानता नहीं दी गई है। शिक्षा विभाग का प्रभार राज्य के मुख्यमंत्री अथवा देश के प्रधानमंत्री के पास होना चाहिए। केवल तभी शिक्षा विभाग का भविष्य उज्ज्वल होगा। इस बजट में शिक्षा की भावी आवश्यकताओं के लिए 25 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया गया है।

मैं मुंबई के आबंटन के लिए अपनी शिकायतें जोरदार ढंग से रखना चाहूंगा। बृहन्मुंबई नगर निगम ने शिक्षा के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। बजट में मुंबई में शिक्षा के लिए केवल 4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आम तौर पर शिक्षा के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की इस दर को बढ़ाए जाने की जरूरत है। सरकार सब्सिडी बढ़ाने के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर रही है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह मुंबई में प्राथमिक शिक्षा और अन्य सुविधाओं के लिए सब्सिडी की दर में वृद्धि करें।

मलिन बस्तियों के लिए किया गया प्रावधान बहुत ही कम है। सुविधाओं का वायदा तो किया जाता है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मुंबई शहर के अधिकार-क्षेत्र में दस लाख हेक्टेयर भूमि है। इस भूमि पर अनधिकृत निर्माण किया गया है। सरकार के पास इस अनधिकृत निर्माण पर रोक लगाने के लिए कोई तंत्र नहीं है। अजित केरकर समिति की रिपोर्ट, जिस पर इस विधानमंडल के दोनों सदनों में चर्चा की गई थी, में मुंबई में मलिन बस्तियों और भवनों की मरम्मत के लिए 1200 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। इस राशि की मलिन बस्तियों और भवनों की मरम्मत से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए जरूरत थी। इस बजट में इस प्रयोजन के लिए एक रुपये का भी प्रावधान नहीं किया गया है। इस बजट में शहरी भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून के कारण फालतू भूमि के अधिग्रहण के लिए कोई प्रावधान नहीं है। क्या इसका यह अर्थ है कि इस भूमि का नाजायज इस्तेमाल होते रहना चाहिए? भूमि का अधिग्रहण करने के रास्ते में कौन आड़े आ रहा है—बिल्डर्स, पूंजीपति अथवा धनवान?

इस सदन के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार नहीं किया गया है। महोदय, आप उच्च पद पर आसीन हैं। आपको मेरे सुझाव पर विचार करना चाहिए। मुंबई के निगम आयुक्त सदस्यों को उनके सुझावों के संबंध में लिखित में उत्तर देने को तरजीह देते हैं। इस सदन के सदस्यों को बजट पर उनके विचारों के बारे में लिखित उत्तर मिलने चाहिए। मैं पिछले पांच वर्षों से शहरी भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण करने की मांग उठाता आ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन से निहित स्वार्थ इस प्रकार के अधिग्रहण में बाधक बने हुए हैं। वर्ष 1971 में दस हजार भवनों की मरम्मत का निर्णय लिया गया था। वर्ष 1981 तक केवल छह हजार भवनों की मरम्मत की जा सकी। भवन-मरम्मत के लिए पर्याप्त धनराशि जारी नहीं की जाती। भवनों के गिरने से हुई लोगों की मृत्यु पर शोक प्रकट करने से कोई लाभ नहीं है। सरकार ने भवन मरम्मत बोर्ड की पूर्णरूप से उपेक्षा की है। सरकार को मुम्बई की मलिन बस्तियों, भवन मरम्मत और लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को हल करना होगा। बाहर से आने वाले लोगों के

कारण मुम्बई की समस्याएं और अधिक गंभीर हो गई हैं। इन लोगों को रोकने के लिए कुछ उपाय किए जाने की आवश्यकता है। मुम्बई के स्थानीय व्यक्ति वर्षों से यहां रह रहे हैं। चाहे वे मछुआरे हों या पाथेर प्रभु। उन्हें पर्याप्त भोजन, वस्त्र और आवास नहीं मिलता। क्या आप उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं? अन्य राज्यों से लोग रोजगार के लिए मुम्बई आते हैं और यहां बस जाते हैं। इस तरह लोगों के आने से मुम्बई में अपराध बढ़ रहे हैं। बाहरी व्यक्तियों का आना रोकने के लिए निश्चित रूप से कुछ उपाय किए जाने चाहिए। ये बाहरी व्यक्ति बड़े-बड़े फ्लैट खरीदते हैं इसलिए स्थानीय व्यक्तियों को अपने लिए कोई जगह नहीं मिलती है। वे एक कमरे की चाल में रहने के लिए बाध्य हैं। स्थानीय लोगों की कीमत पर बाहरी व्यक्तियों को धनी बनाना अच्छी बात नहीं है। यदि आप स्थानीय लोगों का भला करना चाहते हैं तो आपको इस महानगर में बाहरी व्यक्तियों के प्रवाह को रोकना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो महाराष्ट्र को मुम्बई राजधानी शहर से हाथ धोना पड़ सकता है। उस स्थिति में मुम्बई के गरीब लोग हमें कभी माफ नहीं करेंगे। इस राज्य के लोग बाहर से महाराष्ट्र में आने वाले व्यक्तियों पर कर लगाएंगे। वे इन करों के माध्यम से धन एकत्र करेंगे। इसलिए, सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

मिल मजदूरों की दयनीय स्थिति*

यह सदन मिल मजदूरों की स्थिति के बारे में बहस कर रहा है। मैंने आशा की थी कि मुख्यमंत्री इस वाद-विवाद को सुनेंगे और उसका उत्तर देंगे। यह एक कठिन और जटिल मामला है। इस मामले का संबंध न केवल राज्य सरकार बल्कि केन्द्रीय सरकार से भी है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री इस वाद-विवाद में भाग क्यों नहीं ले सके। अभी सत्तारूढ़ दल के केवल तीन सदस्य सदन में उपस्थित हैं। या तो उन्हें इस मामले से कोई मतलब नहीं है या वे समझते हैं कि सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती।

सूती मिल मजदूरों की यह हड़ताल 16 जनवरी, 1982 को आरंभ हुई थी। यह हड़ताल डा. दत्ता सामंत के नेतृत्व में बोनस के मुद्दे पर कुछ मिलों में हड़ताल होने के बाद शुरू हुई थी। मजदूरों की एकजुटता और उनकी शिकायतों का निवारण न हो पाना दोनों ही अपने आप में अभूतपूर्व है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या मजदूरों को दी गई मजदूरी संतोषजनक है? क्या वह पर्याप्त है? क्या आप इस मजदूरी को यथोचित समझते हैं? मुम्बई में एक व्यक्ति के लिए एक समय का भोजन पांच रुपए से कम में नहीं मिलता है। वर्तमान मजदूरी से मजदूर और उसकी पत्नी के अलावा उसके परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं की जा सकती। राजनीतिक कारणों के मद्देनजर मजदूरों की मांगों को दबाया नहीं जा सकता। चार-पांच सौ रुपए की मासिक आय पर कोई भी व्यक्ति मुम्बई में जीवनयापन नहीं कर सकता। पूर्व की दो हड़तालों में उनकी मजदूरी को बढ़ाने की मांग पर जोर दिया गया था। उस मांग पर इस सदन में भी विचार किया गया था। इस बात पर भी विश्वास नहीं होता है कि पिछले तीस वर्षों में उनकी मजदूरी नहीं बढ़ायी गई। इसलिए मजदूरों में घोर असंतोष व्याप्त है। मैं ऐसी अनेक कंपनियों का उदाहरण दे सकता हूं जहां दस-बारह वर्षों में मजदूरों की मजदूरी दोगुनी कर दी गई। एक सूती कपड़ा मजदूर को पांच सौ रुपए मासिक मजदूरी मिलती है जबकि उसके पड़ोस की चाल में रहने वाले और सीएट कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति को 1000 रुपए मासिक मिलते हैं। एक मिल मजदूर कभी भी इस अन्याय को सहन नहीं कर सकता है।

यह हड़ताल पिछले ग्यारह महीनों से जारी है। सरकार इस हड़ताल के बारे में स्वयं को असहाय महसूस क्यों कर रही है? इस हड़ताल से 100-125 करोड़ रुपए की हानि हुई है। इस हानि के लिए

* मिल मजदूरों की स्थिति पर चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (16 दिसम्बर 1982)

किसे दोषी ठहराया जाये? इस हानि के लिए हड़ताली मजदूरों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मैं मिल मालिकों की निन्दा नहीं करूंगा जिन्होंने मजदूरों की मांगें नहीं मानीं। महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं को इस हड़ताल के समाधान की नैतिक जिम्मेवारी से अलग रखा है इसलिए इस हानि के लिए वही जिम्मेदार है। एक ओर हम उत्पादन में वृद्धि की सराहना करते हैं परंतु दूसरी ओर इस हड़ताल से उत्पादन रुक गया है। भारत के प्रधान मंत्री ने उत्पादकता में वृद्धि का आह्वान किया है। इस हड़ताल का मामला बहुत लम्बे समय से सुलग रहा है। न तो प्रधानमंत्री और न ही मुख्यमंत्री इस हड़ताल के बारे में चिंतित हैं। अधिकांश लोग अन्य राज्यों से मुम्बई आकर जीविकोपार्जन का साधन सुनिश्चित करते हैं। मराठी भाषी लोगों को मुम्बई में काम नहीं मिलता अथवा वे अपनी नौकरी को जारी नहीं रख पाते हैं। सूती कपड़ा मजदूरों की हड़ताल मराठी भाषी लोगों के लिए एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। यह समस्या तब और भी बढ़ जाती है जब एक मराठी भाषी मुख्यमंत्री इस हड़ताल का समाधान करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। आदरणीय महादिक ने अभी-अभी मुझे बताया कि साठ प्रतिशत हड़ताली सूती कपड़ा मजदूर कोंकण के रहने वाले हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मुम्बई में मराठी भाषी लोगों को तबाह करने के लिए एक षडयंत्र रचा गया है। ऐसा क्यों होता है कि जब हड़ताल से मराठीभाषी लोग प्रभावित होते हैं तो इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाती? महाराष्ट्र सरकार इस हड़ताल के समाधान के लिए डा. सामंत के नेतृत्व को समाप्त करना चाहती है। पहले, मुख्यमंत्री ने इस हड़ताल को दीवाली तक समाप्त कराने का वादा किया था। कृपया मुझे एक भी ऐसा उद्योग बताएं जहां चालीस प्रतिशत कर्मचारी संविदा कर्मचारी (बदली कामगार) हैं। जो मजदूर स्थायी नहीं हैं उन्हें काम पाने के लिए दिनभर फैक्टरी के गेट पर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इन मराठीभाषी मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं मुख्यमंत्री जी और श्रम मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे मेरे साथ इन इलाकों में चलें जहां ये मजदूर रहते हैं। 10×12 फुट के एक छोटे कमरे में दस से पन्द्रह व्यक्ति रहते हैं। जब कुछ मजदूर शिफ्ट पर काम करने चले जाते हैं तब अन्य मजदूर उस कमरे में रहते हैं। एक भी मिल मालिक दस हजार वर्ग फुट से कम के फ्लैट में नहीं रहता है। उनके फ्लैट का मूल्य लगभग 50 लाख रुपए है। धन और आंय की यह असमानता असंतोष की ज्वाला प्रज्वलित करती है। कोई भी मिल मालिक ऐसा नहीं है जिसके पास आयातित कार न हो। डा. सामंत मिल मालिकों द्वारा प्रस्तुत गलत आंकड़ों से क्रोधित हो जाते हैं। इन मिल मालिकों के पास प्रचुर मात्रा में धन है। वे धन के मद में उन्मत रहते हैं। हमने मुख्यमंत्री से कहा कि वे मिल मालिकों को वार्ता के लिए आमंत्रित करें लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। सरकार मिल मालिकों का पक्ष ले रही है। सरकार इस हड़ताल के समाधान के लिए एक समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है। यह समिति की टाल-मटोल की नीति का एक तरीका है। मजदूरों के वेतन में विगत तीस वर्षों में एक रुपए की भी वृद्धि नहीं हुई है। इस समिति की सिफारिशों को तैयार करने में समय लगेगा। तब तक असंतोप की यह ज्वाला शांत नहीं होगी। सरकार मजदूरों के जीवन से खिलवाड़ क्यों कर रही है? मुम्बई के मजदूरों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। नमक सत्याग्रह के दौरान मजदूर महात्मा गांधी के साथ थे। वे संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में अग्रणी थे। उनमें से अधिकांश महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा क्षेत्र में आंदोलन के दौरान दिवंगत हो गए। कृपया इन मजदूरों की

ताकत को कम करके न आंका जाए। इन मजदूरों का श्राप भयानक होगा। माननीय मुख्यमंत्री को संबंधित पक्षकारों के बीच वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए।

हड़ताली मजदूरों के स्थान पर बाहर के मजदूरों को क्यों काम पर लगाया जाता है? महाराष्ट्र के मजदूरों के स्थान पर अन्य राज्यों के मजदूरों को काम पर लगाया जाता है। मुख्यमंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि इस प्रकार के प्रतिस्थापन को रोका जायेगा। अन्य राज्यों के मजदूरों को बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। शिव सेना महाराष्ट्र से बाहर के मजदूरों को मिलों में जाने की अनुमति नहीं देगी। यदि मजदूर अपनी वैध मांगों के लिए हड़ताल पर जाते हैं तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। पुलिस कांस्टेबलों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे मजदूरों को पुलिस थाने में ले जायें तथा उन्हें पीटें। ऐसी घटनाएं दादर, माहिम तथा कालाचौकी में हुई हैं। सरकार के लिए यह शोभनीय नहीं है कि वह इस हड़ताल को बलपूर्वक समाप्त करे। आप महाराष्ट्र के गौरव के प्रति उदासीन नहीं रह सकते। महत्वपूर्ण यह है कि आपने मराठी भाषी लोगों के लिए वास्तव में क्या अच्छा कार्य किया है। कुछ लोग इन मिलों को बन्द करना चाहते हैं। एक षड्यंत्र यह है कि इन मिलों को मुम्बई से बाहर अन्य स्थानों पर ले जाया जाए। बृहन्मुम्बई नगर निगम की विकास योजना में सूती कपड़ा मिलों के क्षेत्र आरक्षित किए जाने चाहिएं। निगम इन क्षेत्रों की मांग कर सकता है जिन्हें बेचा नहीं जा सकता। यदि महाराष्ट्र सरकार के दिल में वास्तव में इन मजदूरों के प्रति चिंता है तो उसे आवश्यक आध्यादेश प्रख्यापित करना चाहिए तथा उन मिल मालिकों के सपनों को ध्वस्त करना चाहिए जो इन मिलों की भूमि को बेच कर करोड़ों रुपये कमाना चाहते हैं। ये परिसर सिनेमा घरों तथा विद्यालयों के लिए आरक्षित रखे गये हैं। यदि मिल का परिसर आरक्षित कर दिया जाता है तो मिलें कार्य करती रहेंगी। इन परिसरों पर किसी और गतिविधि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

मैंने, इससे पूर्व इतने रोष में कभी नहीं बोला। यदि मुख्यमंत्री केन्द्रीय सरकार का दबाव महसूस करते हैं तो उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए। ऐसा करके आप भौंसले, जिन्होंने मराठा राज्य की स्थापना की, के नाम को गौरवान्वित करेंगे। आप चिंतामनराव देशमुख, जिन्होंने महाराष्ट्र के हित के लिए त्याग पत्र दे दिया था, के समान बन सकते हैं। यदि सरकार सूती कपड़ा मिलों के मजदूरों के हित के लिए कार्य नहीं करती है तो ये मजदूर तथा इस सदन में जो इनके प्रतिनिधि हैं वे इस सरकार को सत्ताविहीन कर देंगे।

92

बेघर व्यक्तियों के लिए घर*

सदन में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। इस विषय का हमारे नागरिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। मैं माननीय आर.ए. पाटिल जी के उन विचारों से सहमत हूं जो उन्होंने अपना संकल्प प्रस्तुत करते समय व्यक्त किए थे। इस विषय को राजनीतिक अथवा हठधर्मिता के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। इसके सभी निहितार्थों पर विचार किया जाना चाहिए।

सरकार ने 15 जून 1983 को एक घोषणा की थी जिसके पश्चात् इस विषय पर व्यापक चर्चा हुई। इस विषय पर समाचार पत्रों में लेख लिखे गए। इस बारे में आशंका व्यक्त की गई है कि क्या सरकार आपातित आधार पर रियायतें देगी। सरकार को ऐसी रियायतें नहीं देनी चाहिए। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया था और मुझे खुशी है कि उक्त अनुरोध मान लिया गया और आज हम इस विषय पर सदन में चर्चा कर रहे हैं। मैं इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

सरकारी अधिसूचना में उन नौ शहरों की सूची दी गई है जहां शहरी भूमि हदबन्दी लागू की जानी है। मुझे ऐसे नहीं लगता है कि भू-वितरण के बारे में इतनी जल्दबाजी में निर्णय लिए जाने की कोई आवश्यकता थी। इस नीति का मुम्बई शहर पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। सरकार के लिए यह आवश्यक था कि वह बृहन्मुंबई नगर निगम को विश्वास में ले। पुणे नगर निगम से भी परामर्श किए जाने की आवश्यकता थी। इस बारे में विशेषज्ञों की राय लिए जाने की भी आवश्यकता थी। बेहतर होता कि इस नीति को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व सरकार उक्त संकल्प को दोनों सदनों में प्रस्तुत करती। इससे नीति और अधिक यथार्थपरक बनती। लेकिन मुख्यमंत्री ने अब कहा है कि इस नीति को तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक इस विषय पर सदन में चर्चा नहीं हो जाती। इस आश्वासन के पश्चात् सदन में अब खुलकर चर्चा हो सकेगी। चर्चा सुनने के लिए मुख्यमंत्री जी सदन में मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मुझे विश्वास है कि चर्चा के दौरान उठाये गये मुद्दों को अन्तिम रूप से तैयार की गई नीति में शामिल किया जाएगा।

यह सार्वजनिक नीति नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम से संबंधित है। सरकार ने इस अधिनियम के बारे में एक पुस्तिका प्रकाशित की है। सभी सदस्यों को इसकी प्रतियां मिल गई हैं।

* शहरी भूमि हदबन्दी के संबंध में सरकार की नीति पर चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद् (21 जुलाई 1983)

यह अधिनियम 1976 में पुर:स्थापित किया गया था। इस अधिनियम, का उद्देश्य इस प्रकार बताया गया था:

"शहरी भूमि हदबन्दी लागू किए जाने की निरन्तर मांग की जाती रही है। यह मांग विशेषकर तब उठी जब राज्य सरकारों ने कृषि भूमि के बारे में हदबन्दी लागू कर दी। जनसंख्या विस्फोट तथा बढ़ते शहरीकरण के कारण शहरों का योजनाबद्ध विकास किया जाना अत्यावश्यक हो गया है। शहरी भूमि का समाज के सभी वर्गों और घटकों में समान और युक्तिसंगत वितरण भी आवश्यक हो गया है। महानगरों तथा बड़े शहरों में भूमि के हस्तांतरण के बारे में अटकलों को विराम देना जरूरी था। भूमि (जिसकी सीमा प्रकृति द्वारा तय की हुई है और जिसे मनुष्य की इच्छा से बढ़ाया नहीं जा सकता) जैसे संसाधन पर अंकुश लगाना अपरिहार्य हो गया।"

इस उद्देशिका में उक्त अधिनियम का सार दिया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य शहरी भूमि का न्यायोचित वितरण सुनिश्चित करना है। भूमि का वितरण बेघर लोगों को किया जाना है। विकास योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। जमीन की खरीद-फरोख्त में व्याप्त प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। इसका उद्देश्य स्पष्ट है। यह देखा जाना जरूरी हो गया है कि राज्य की नीति इस उद्देश्य के अनुरूप कैसे हो। इस नीति पर चर्चा करने के पहले मैं सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। 1976-1983 के दौरान इस अधिनियम को लागू किए जाने में न्यूनतम रियायतें ही दी गयी थीं। क्या सरकार का यह विचार है कि उसने अधिकतम भूमि अधिग्रहीत करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए हैं? सरकार द्वारा परिचालित की गई पुस्तिका बहुत ही महत्वपूर्ण है जो व्यापक चर्चा के लिए अवसर प्रदान करती है। इस पुस्तिका में उक्त अवधि के दौरान मुंबई में अधिगृहीत की गई भूमि के आंकड़े दिए गए हैं।

इस अधिनियम के अनुपालन में राज्य के असैनिक (सिविल) लोगों को 47,799 हैक्टेयर भूमि मिलनी थी। लेकिन सरकार द्वारा केवल 1260 हैक्टेयर भूमि ही अधिगृहीत की गई। इतनी कम भूमि अधिगृहीत किए जाने का क्या कारण है? मुंबई में केवल 27 हैक्टेयर भूमि अधिगृहीत की गई जबकि वहां 23,000 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना था। इस बीच कई बार सरकार बदली। नये मुख्यमंत्री एवं मंत्री बने और चले गए। लेकिन किसी भी सरकार ने इस अधिनियम द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि अधिगृहीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं दर्शाई। सदन इसका कारण जानना चाहता है। शहरी भूमि हदबंदी 20 सूत्री कार्यक्रम का अंग है। सरकार को उपलब्ध भूमि अधिगृहीत करनी चाहिए थी। मैं यह नहीं कहता कि सरकार के सामने इस संबंध में समस्याएं नहीं थीं। सदन यह जानने को उत्सुक है कि उक्त अधिनियम के द्वारा उपलब्ध कराई गई 74,796 हैक्टेयर भूमि में से केवल 1260 हैक्टेयर भूमि ही अधिगृहीत क्यों की गई। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने अतिरिक्त भूमि को अधिगृहीत करने के लिए अपेक्षित प्रयास नहीं किए। भावी पीढ़ियां सरकार को इस चूक के लिए कभी भी माफ नहीं करेंगी।

वर्तमान सरकार ने भी इस मामले में अधिक कुछ नहीं किया है। इस कार्य में रुकावट आने का एक कारण कुछ लोगों द्वारा मुकदमे दर्ज कराना हो सकता है लेकिन जिस भूमि पर विवाद नहीं था उसे अधिगृहीत क्यों नहीं किया गया। मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। अन्यथा मैं पैराओं को

जोर-जोर से पढ़कर बताता कि भूमि अधिगृहीत क्यों नहीं की गई। सरकार ने इस बारे में तुच्छ दलीलें दी हैं। उनका कहना है कि यह लंबी प्रक्रिया है। इसके लिए विभिन्न प्राधिकरणों की स्वीकृति लेनी पड़ती है। सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति लेना जरूरी है। सरकार की ये दलीलें विश्वसनीय नहीं हैं। इसका केवल यह उद्‌देश्य था कि जिन लोगों ने भूमि पर मालिकाना हक जमा रखा है, उनसे भूमि लेकर उसका न्यायोचित वितरण किया जाए। सरकार को मुकदमों के कारण कुल 20 प्रतिशत भूमि अधिगृहीत करने में कठिनाई हुई होगी। शेष भूमि के अधिग्रहण में क्या समस्या थी? सरकार ने जरूरत के अनुसार स्टाफ की भर्ती क्यों नहीं की? मंत्रियों की उप-समिति ने छः महीने तक कोई बैठक नहीं की। क्या इस मुद्‌दे के प्रति उनकी यह चिन्ता है? जब किसी नीति को बदला जाता है तो यह भी बताया जाना चाहिए कि पहले की नीति क्यों विफल हुई? सरकार को बताना चाहिए कि उसे अपनी नीति को क्यों बदलना पड़ा। सरकार ने मुंबई में केवल 27 हैक्टेयर भूमि अधिगृहीत की। इससे यह पता चलता है कि सरकार इस मामले में पर्याप्त गंभीर नहीं थी। अन्यथा वह इतनी छूट नहीं देती। जिन्हें छूट का लाभ मिला उन लोगों ने करोड़ों रुपए बनाए। पूर्व सरकार ने छूट के लिए कोई निश्चित मापदण्ड निर्धारित नहीं किया। दामोदर पार्क, घाटकोपर में सत्तर भवन बने हैं। इनके निर्माण की अनुमति क्यों दी गई? जीजा भाई बेहराम जी कालोनी के लिए अनुमति क्यों दी गई? वर्सोवा में इतना बड़ा भूखंड विशेष रियायत के साथ कैसे दिया गया? ये मुक्त हस्त अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के मामलों के उदाहरण हैं। इस रियायत/छूट के क्या मापदण्ड थे? इसका मतलब है कि सरकार की मंशा उक्त अधिनियम को गंभीरता से लागू करने की नहीं थी। यदि प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी को भवन निर्माताओं को दी गई इन छूटों के बारे में पता चल जाए तो वह इनकी जांच शुरू करा देंगी। इन लोगों को छूट क्यों दी गई। सरकार ने धारा 21 के अन्तर्गत ये छूट दी हैं। इस धारा के अन्तर्गत कमजोर वर्ग के लोगों को आवास दिए जाने का प्रावधान है। इन आवासों का आकार छोटा होता है। इन आवासों के किसी भी मालिक से 90 रुपया प्रतिवर्ग फुट की दर से राशि की वसूली नहीं की गई है। इन लोगों से 200 से 300 रुपयों की दर से राशि वसूली गई है। क्या सरकार इस तथ्य से अवगत नहीं है? क्या सरकार ने ऐसे किसी एक मामले की भी कभी जांच कराई?

सरकार ने भवन निर्माताओं को इस शर्त पर छूट दी थी कि वे कम आय वाले लोगों को मकान उपलब्ध कराएंगे। लेकिन इन भवन निर्माताओं ने 80-90 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर पर आवास उपलब्ध नहीं कराए। मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा। इस संबंध में गत सात वर्षों में ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया गया। यदि माननीय मुख्यमंत्री नीति में संशोधन करते हैं, तो अभी भी ईमानदारी से प्रयास किया जा सकता है। जो लोग छूट की शर्तों का पालन नहीं करते, उन्हें आगे छूट देना बंद कर देना चाहिए। सरकार ने धारा 21 के तहत भूमि प्रदान करते समय छूट दी थी। छूट का लाभ उठाने वाले इन लोगों ने निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया। क्या सरकार ने भवन निर्माताओं से यह भूमि वापस ली? अंधेरी में सरकारी कर्मचारियों को कमजोर वर्ग श्रेणी के अंतर्गत भूमि प्रदान की गई है। लेकिन वास्तव में सरकारी कर्मचारियों को यह भूमि नहीं मिली। भवन निर्माताओं ने कानून के बहाने इस भूमि को हथिया लिया। भवन निर्माताओं ने न तो पैसा दिया और न ही भूमि लौटायी। मैंने उस समय इस प्रश्न को सदन में उठाया था। ये भवन निर्माता इतने गुस्ताख क्यों हो जाते हैं?

अब सरकार ने यह कहा है कि वे 23,000 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करेंगे। यह भूमि मालिकाना हक रखने वाले व्यक्तियों के कब्जे में नहीं है। यह समस्त भूमि भवन निर्माताओं ने भूमि को विक्रय करने का करार करके अपने कब्जे में ले ली है। भू-हदबंदी अधिनियम में इस भूमि के विक्रय का निषेध है। बावजूद इसके भवन निर्माताओं ने यह भूमि खरीद ली। उन्होंने इस पर लाखों-करोड़ों रुपये का निवेश किया। इन भवन निर्माताओं ने किस आधार पर इतनी बड़ी राशि का निवेश किया? उन्होंने आज भूमि खरीदी है। उन्हें यह विश्वास है कि वे सरकार तक को भी खरीद सकते हैं। इसलिए उन्होंने यह भूमि खरीदी है।

मैं आपको चेतावनी देना चाहूंगा। मुम्बई के भवन निर्माताओं को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है। तस्कर भवन-निर्माता बन गये हैं। वे बड़ी से बड़ी राशि लगाने को तैयार हैं। तस्कर इस जघन्य कार्य के लिए अपना जीवन तक दांव पर लगा देते हैं। क्या वे कभी सरकारी अधिकारियों से डरते हैं? भूस्वामी इस मामले में सामने नहीं आते। ये तथाकथित भूस्वामी छाया मात्र होते हैं। सरकार को यह जांच करनी चाहिए कि क्या इन भूखंडों को बेचने के लिए करार किए गए हैं। जिन निर्धन भू-स्वामियों को आप लाभ देना चाहते हैं वे यह लाभ नहीं उठा पाएंगे। मैं इन भू-स्वामियों को बड़े तस्करों की तुलना में निर्धन कह रहा हूं। इन तस्करों ने धन दांव पर लगाया है। सरकार ने तस्करों को यह भूमि कैसे दी? इन मामलों की जांच होनी चाहिए। इन तस्करों ने भू-हदबंदी कानून के अधीन आने वाले भूखंडों को कैसे हथिया लिया है। मैं इस मामले में भी जांच की मांग करना चाहता हूं।

मैं दूसरी बात सशक्त रूप से कहना चाहता हूं। यह विषय इस सदन में एक दिन पहले भी उठाया गया था। धारा 21 के अंतर्गत यह कहा गया है कि दी गई भूमि पर निर्मित दस प्रतिशत ब्लाक सरकार को देने होंगे। सरकार को 4000 ऐसे ब्लाक मिलने की उम्मीद है। मैं इस बात का स्वागत करता हूं। लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि धारा 20 और 21 के अधीन कितने एकड़ जमीन भवन निर्माताओं को दी गई है। उन्होंने इन भूखंडों पर कितने ब्लाक निर्मित किए हैं? क्या सरकार को पर्याप्त ब्लाक मिले हैं? कितने ब्लाक उपलब्ध कराए जायेंगे—4000 अथवा इससे अधिक? इस मामले की जांच किए जाने की आवश्यकता है। कुछ भवन निर्माता धोखाधड़ी करते हैं। पुस्तिका के पृष्ठ 26 पर भूमि देने के तरीके का उल्लेख किया गया है। भवन निर्माताओं को निर्मित क्षेत्र से संबद्ध कार्पेट-एरिया के आधार पर ब्लाक सरकार को देने होते हैं। दर इस प्रकार से है—पहले 3000 वर्ग मीटर के लिए 15 प्रतिशत; 3000 से 4000 वर्गमीटर के लिए 25 प्रतिशत; 7000 से 8000 वर्गमीटर के लिए 35 प्रतिशत। पृष्ठ 31 पर एक बहुत ही अच्छे खण्ड का उल्लेख है। इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि प्रत्येक आवेदन पत्र की गुणदोष के आधार पर जांच की जाएगी। सरकार किसी भी आवेदन पत्र को सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से अस्वीकार करने का अधिकार रखती है।

ऐसा स्वविवेक खतरनाक है। लेकिन यदि इसे न्यायपूर्वक लागू किया जाता है, तो सरकार काफी जमीन बचा सकती है। सरकार ने दस प्रतिशत ब्लाक आरक्षित किए हैं। ये ब्लाक 135 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर पर दिए जाने हैं। प्रश्न काल में इन ब्लाकों के लाभ भोगियों के बारे में बताया गया था। तथापि यदि इस पुस्तिका में विस्तार से जानकारी दी जाती तो वह इस सदन के लिए और भी लाभदायक हो सकता था।

लोगों को बड़ी आशा है कि 2358 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध होने वाली है। लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा यदि कानून लागू किया जाता है। क्या सरकार ने बृहन्मुम्बई नगर निगम से नई विकास योजना के अंतर्गत भूमि की आवश्यकता के बारे में पूछा था? मुम्बई निगम को 1000 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। मैं संशोधित विकास योजना की बात कर रहा हूं। सरकार को आधी अधिग्रहीत भूमि भवन निर्माताओं को देनी है। सरकार बृहन्मुम्बई नगर निगम को 1000 हैक्टेयर भूमि कहां से देगी? सरकार द्वारा यह मामला बृहन्मुम्बई नगर निगम को भेजा जाना चाहिए था। संशोधित विकास योजना में विद्यालय और तरण ताल जैसी नागरिक सुविधाओं का भी प्रावधान है। यह आश्चर्य की बात है कि सरकार ने मुम्बई निगम से नागरिक सुविधाओं के लिए भूमि की आवश्यकता के बारे में नहीं पूछा। क्या सरकार ने रेलवे और डाक विभाग से उनकी भूमिका की आवश्यकता के बारे में परामर्श किया है? क्या सरकार ने अपनी निजी आवश्यकताओं का पता लगाया? सरकार को कितनी भूमि की आवश्यकता है? आंकड़ों का यह कार्य भवन निर्माताओं के साथ कार्य-व्यवहार करने के साथ प्रारम्भ हुआ। मैं पुस्तिका में लिखे शब्दों को उद्धृत कर रहा हूं। ये मेरे अपने शब्द नहीं हैं। यदि नगर निगम की संशोधित विकास योजना की अपेक्षानुसार भूमि आरक्षित कर ली गई होती, तो यह समस्या पैदा न होती। मुम्बई विकास योजना अगले दस वर्षों के लिए बनायी गयी है। जब आप उपलब्ध समस्त 2300 हैक्टेयर भूमि का पूर्ण उपयोग कर लेंगे, तो दस वर्ष के बाद कोई स्थान उपलब्ध नहीं हो पायेगा। सरकार ने इस शहर की आज से दस वर्ष बाद की आवश्यकताओं के बारे में नहीं सोचा। 23-30 वर्ष बाद क्या होगा? क्या कोई अपने स्थान को छोड़ना चाहेगा? मान लीजिए मेरे पास पांच कमरे का फ्लैट है। यदि मैं कहूं कि मैं एक कमरा छोड़ सकता हूं क्योंकि वह फालतू है, क्या वैसा करना मेरे लिए बुद्धिमत्ता होगी? हम ऐसे कमरे को अपने बच्चों और पोते-पोतियों की आवश्यकता के पूर्वानुमान के तौर पर आरक्षित रखते हैं। सरकार को नागरिकों के बारे में मां-बाप के नजरिए से सोचना चाहिए। सरकार को भविष्य के लिए प्रावधान करने चाहिए थे। मछुआरों को अपने जाल सुखाने के लिए जगह चाहिए। क्या आपने इस प्रयोजन हेतु भूमि आरक्षित रखी है? सरकार ने भवन निर्माताओं और डेवलेपरों को भूमि दी है। दस वर्ष बाद क्या होगा, यह हम देखेंगे या नहीं? लेकिन अब छोटे मकान बनाने के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं होगा। मैं ऐसी शर्तों का पुरजोर विरोध करता हूं।

महाराष्ट्र सरकार की अगले दस वर्षों में 4,80,000 ब्लाक बनाने की योजना है। क्या सरकार यह मामला बृहन्मुम्बई नगर निगम को भेजने के लिए राजी है? हम उन्हें बिजली कहां से उपलब्ध करायेंगे। कुछ सुविधाएं नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी जाती हैं। क्या सरकार नागरिकों को केम (केईएम) अस्पताल और महात्मा गांधी तरण ताल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रही है? मुम्बई उपनगरीय क्षेत्र में निर्माण कार्य की आरम्भिक अनुमति प्लिंथ के स्तर तक के लिए दी जाती है। निगम इससे आगे निर्माण की अनुमति नहीं देता क्योंकि जल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में आवास के संबंध में बड़े-बड़े दावे क्यों किए जाते हैं? आप लोगों के विश्वास को तोड़ रहे हो। क्या सरकार मुम्बई शहर को जल की आपूर्ति कराएगी? तनासा जलाशय जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा में देरी होने से मुम्बई के नागरिकों का विश्वास समाप्त हो गया है। भवन निर्माताओं को 90 प्रतिशत ब्लाक अपनी पसंद के ग्राहकों को देने की अनुमति दी गई है। क्या ये ब्लाक मुम्बई के नागरिकों को दिए जाएंगे?

केरकर समिति की रिपोर्ट में पुराने भवनों और मलिन बस्तियों में रहने वालों को प्राथमिकता दी गई थी। परंतु नई नीति में भवन निर्माताओं और विकासकर्ताओं को प्राथमिकता दी गई है। केलकर समिति की रिपोर्ट की खामियों का सभा में खुलासा किया गया है। सभी रिक्त प्लाट भवन निर्माताओं को दे दिए गए हैं। हमारे पास एक मीटर भी स्थान नहीं रह गया है। सरकार को ऐसी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे समझ नहीं आता कि सरकार ने अपनी नीति की घोषणा समय पर क्यों नहीं की।

सरकार ने घोषणा की है कि नई नीति के कारण फ्लैट की कीमतें कम हो जायेंगी। फ्लैट की कीमतें किस प्रकार कम होंगी? जब घर बनाने के इतने अधिक अवसर प्राप्त होंगे तो भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की कमी पड़ेगी। इस सभा में वार्डे जैसे अर्थशास्त्री हैं। वह फ्लैट की कीमतों के बारे में बता सकते हैं। गृह निर्माण सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होगी। केलकर समिति की रिपोर्ट के पृष्ठ 59 पर बताया गया है कि अब से दस वर्षों के भीतर निर्माण सामग्री की कीमतें किस प्रकार बढ़ जायेंगी। मात्र जमीन के सस्ते होने से घर नहीं बनेंगे। फ्लैट सस्ते रखने के लिए निर्माण सामग्री की कीमतें भी कम होनी चाहिएं।

आयकर अधिनियम में संशोधन होने की वजह से संपत्ति अंतरण अभिलेख का काम बिल्कुल रुक गया है। वस्तुत: प्रत्येक करार का पंजीकरण होना चाहिए। परंतु लोग इस नियम का पालन नहीं करते हैं। मेरे विचार से इस मामले पर भली प्रकार विचार नहीं किया गया है। मुम्बई का एक आम आदमी दो कमरों के लिए 25,000-30,000 रुपये नहीं दे सकता। मराठी भाषा-भाषी लोगों में इतनी क्षमता नहीं है। नौकरीपेशा व्यक्ति 30,000 रुपए नहीं जुटा सकता। केवल भ्रष्ट कर्मचारी और बेईमान व्यापारी ही मुम्बई में अपना घर बना सकता है। इन स्थितियों में बदलाव लाना आवश्यक है। सरकार की नीति यह है कि दस प्रतिशत ब्लाक सरकारी कर्मचारियों को आवंटित किये जायें। मुझे नहीं लगता कि इस उपाय से आवास समस्या सुलझ जायेगी। महाराष्ट्र सरकार मराठी भाषा-भाषी लोगों के हितों का ध्यान नहीं रख रही है। गत दस वर्षों में मराठी भाषा-भाषी लोगों का प्रतिशत 35 से घटकर 28 रह गया है। सरकारी नीति के तहत भवन निर्माताओं को बहुत सा धन दे दिया जायेगा और इससे मुम्बई में मराठी भाषा-भाषी लोगों का अनुपात और कम हो जायेगा। मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि हाउसिंग बोर्ड के ब्लाक किराये पर नहीं दिए जायेंगे। इस नीति में व्यापक पैमाने पर परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार इस नीति को निलंबन अवस्था में रखे। बृहन्मुम्बई नगर निगम और पोर्ट ट्रस्ट को जितनी जमीन चाहिए वह आप अपने पास रखिए... अतिरिक्त भूमि को शहरी भूमि हदबंदी कानून के प्रावधानों के अनुसार समान रूप से वितरित किया जाना आवश्यक है। ब्लाकों के वितरण में पुरानी इमारतों के किरायेदारों और झुग्गी झोंपड़ीवासियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि हम इस प्रकार कार्य करेंगे तो हम विश्व बैंक से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। वर्तमान नीति भवन निर्माताओं के पक्ष में है और मुम्बई के लोगों के लिए आवास की व्यवस्था में बाधक है। अत: इस नीति में तत्काल परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है।

93

समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का उत्थान*

महोदय, विपक्ष के नेता, श्री दत्ता मेघे ने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा आरंभ की है। मैं माननीय श्री आर.एस. गवई द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने यहां दिए गए सभी भाषणों को ध्यानपूर्वक सुना है। इस महत्वपूर्ण विषय पर शिवसेना के विचार अभिव्यक्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक पुस्तक में लिखा गया है कि मराठा समाज, शिवसेना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मंडल आयोग का विरोध किया है। अभी तक इस मुद्दे पर किसी ने भी शिवसेना के प्रामाणिक मत का खुलासा नहीं किया है। मैं इस विषय पर शिवसेना के दृष्टिकोण का खुलासा करना अपना कर्तव्य समझता हूं। मुझे माननीय श्री दजीबा पाटिल के खरे और निश्छल विचार अच्छे लगे। मेरे विचार से इस पर कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैं विचारों के स्पष्ट आदान-प्रदान के पक्ष में हूं और इसीलिए मुझे श्री दजीबा पाटिल का भाषण अच्छा लगा। अन्य लोगों को विचार परिवर्तन के लिए मनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब समाज विचारों को राजनीतिक रंग देने का इच्छुक नहीं है। लोग विधायिका में विचारों के आदान-प्रदान पर निगाहें लगाए हुए हैं।

मैं यहां पर भाषण देने के बजाए औरों को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए खड़ा हूं। मुद्दा वास्तव में गंभीर है और यह प्रत्येक से आत्मनिरीक्षण की मांग करता है। यहां इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति की पृष्ठभूमि पर विचार करना आवश्यक है। ऐसा सोचना उपयुक्त नहीं है कि किसी व्यक्ति के कथनानुसार चला जाये। चर्चा की दिशा चाहे जो रहे, मेरा विश्वास है कि यह सभा सर्वसम्मत निर्णय पर पहुंचेगी। मुझे मंडल आयोग की सिफारिशों की जानकारी है और मैंने उससे संबंधित पुस्तकें भी पढ़ी हैं। सभी लोग इस विषय से परिचित हैं। इस सभा में दिए गए सभी भाषण जानकारी से परिपूर्ण थे। मुझे उम्मीद है कि इस विषय पर प्रत्येक सदस्य ने अपने हृदय की बात कही है। मैं विशेष रूप से श्री दजीबा पाटिल का उल्लेख करना चाहता हूं। उनके बोलने से पहले मैंने उनसे चर्चा की थी। मुझे पता चला कि उनका भाषण मेरे साथ की गई निजी चर्चा में व्यक्त विचारों के अनुरूप ही था। विपक्ष का मत श्री पाटिल से अलग है, फिर भी उसने उनके विचारों को धैर्यपूर्वक सुना। हम यहां जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के तौर पर बोलते हैं। हमारी अभिव्यक्ति के जवाब में बाहर प्रतिक्रिया होती है। समाचार पत्र इन भाषणों की खबरें देते हैं। पाठक इन खबरों से

* मंडल आयोग की सिफारिशों पर चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (8 दिसम्बर 1983)

अपना मत बनाते हैं। मैं आत्मावलोकन करके अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं स्वयं को किन्हीं विचारों से संबद्ध नहीं करना चाहता। मैं निष्पक्ष और उद्देश्यात्मक विचार रखता हूं और मैं उन पर तटस्थ भाव से विचार कर सकता हूं।

मंडल आयोग महाराष्ट्र राज्य के लिए विस्फोटक मुद्दा बन गया है। मुख्यमंत्री ने इस विषय पर अपने मत व्यक्त किए हैं। उप मुख्यमंत्री ने उससे भिन्न विचार व्यक्त किए हैं। मेरे पास उप मुख्यमंत्री के विचारों के बारे में समाचार पत्रों की कतरनें हैं। लोग राज्य सरकार की नीति से भ्रम में पड़ जाते हैं। सत्ताधारी दल में अनेक लोग अलग मत रखते हैं। ये मत लोगों में प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देते हैं। मुझे मालूम है कि वास्तव में जरूरतमंद लोगों को मदद देने पर किसी प्रकार की असहमति नहीं होगी। जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, कोई भी जनप्रतिनिधि उन्हें सहायता देने की बात नहीं करेगा। मैं यहां बोल रहा हूं परंतु मैं इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता कि गुजरात में अथवा बिहार में क्या हुआ। हमें ध्यान रखना चाहिए कि महाराष्ट्र में ऐसी अवांछनीय स्थिति उत्पन्न न हो। दुर्भाग्य से स्वर्गीय अन्ना साहेब पाटिल अपने विचार व्यक्त करने के लिए इस सभा में उपस्थित नहीं हैं। वह अपने विचार रखेंगे। कृपया उनके विचारों पर क्षण भर के लिए विचार कीजिए। अन्ना साहेब पाटिल ने बड़े स्पष्ट ढंग से अपने विचार व्यक्त किए हैं। महाराष्ट्र को मंडल आयोग की रिपोर्ट से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अतः, मैं अपने विचार स्पष्ट रूप से रखना चाहूंगा। लोग स्पष्ट नहीं बोलते और इसीलिए परेशानी उठाते हैं। हमने बेलगाम कारवाड मुद्दे पर सर्वसम्मति से चर्चा की थी। मैं मंडल आयोग की सिफारिशों पर भी इसी प्रकार की सर्वसम्मति चाहता हूं।

हो सकता है कि इस संशोधन पर श्री गवई के प्रस्तावानुसार सभा में सर्वसम्मति न हो, हम उनके विचार किस प्रकार स्वीकार कर सकते हैं। इस पर सभा के बाहर विचार किया जा सकता है। इस सभा में कोई नहीं चाहता कि महाराष्ट्र में इस विषय पर मत भिन्नता हो... एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जिन्हें इसका फायदा मिला है या मिलने वाला है। दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जिन्हें मंडल कमीशन से कोई लाभ नहीं मिलेगा। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्थिति क्या है? सभी इसी उधेड़बुन में हैं कि अगले चुनाव में उनके दल का भविष्य क्या होगा। मेरे राजनीतिक विचार अब मेरे चुनाव क्षेत्र की रूपरेखा द्वारा निर्धारित नहीं होते। चिन्तामनराव देशमुख अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दूसरे लोगों के विचारों की परवाह न करते हुए अपने विचारों को अभिव्यक्ति देने का साहस किया। उनमें महाराष्ट्र की जनता के विचारों को लोक सभा में प्रकट करने का साहस था। अपनी इसी बात के कारण वे हमारे देशवासियों के दुलारे थे। हम दो-टूक बात करने को तैयार नहीं हैं। शिव सेना प्रमुख श्री बालासाहेब ठाकरे यह चाहेंगे कि हम ब्राह्मणों, गैर-ब्राह्मणों आदि जैसे सभी भेदभाव समाप्त कर दें। श्री ठाकरे तो यही चाहेंगे कि सबकी एकमात्र जाति मराठा हो। परन्तु, क्या यह संभव है? महोदय, यह हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हो सकता। इसी कारण से मराठी लोग बंटे हुए हैं। राजनीतिक रूप से हमें यह सोचना है कि जाति व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कैसे किया जाए। मैं यहां एक बात बताना चाहूंगा। यद्यपि मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलने संबंधी संकल्प को दोनों सदनों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था फिर भी इसे लागू नहीं किया जा सका। एक राजनीतिक आन्दोलन के बावजूद इस संकल्प को लागू नहीं किया जा सका। इसलिए जन-प्रतिनिधियों ने इस

पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया। हमें यह सोचना चाहिए कि आखिर ऐसी बातें होती कैसे हैं। संकल्पों के लागू होने में विलम्ब से नुकसान होता है। इस पर लम्बी अंतहीन बहस शुरू हो जाती है और राजनीतिक प्रक्रिया के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाता है।

महोदय, लगभग 25 वर्ष पूर्व कालेलकर समिति की रिपोर्ट आई थी। यदि हमने उस रिपोर्ट को मान लिया होता और जरूरतमंद लोगों को रियायतें प्रदान कर दी होतीं तो हम काफी आगे बढ़ चुके होते। इस विषय पर आज दुबारा विचार करने की आवश्यता नहीं होती। हम विलम्ब करते हैं और संकट को बढ़ाते हैं। विगत सत्र के दौरान मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने का प्रयास किया गया था। इस सदन में अनेक विवादास्पद मुद्‌दों पर वाद-विवाद हुआ है। मुझे नहीं पता कि वाद-विवाद की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है और जन-प्रतिनिधियों को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोग इस पर चर्चा चाहते हैं और कुछ लोग इससे बचना चाहते हैं। इसी कारण से मामला और भी खराब हो जाता है। मैं सरकार को मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। यदि समय रहते निर्णय नहीं लिए जाएं तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। मैं गहराई से यह महसूस करता हूं कि यह मामला दुस्साध्य और गंभीर नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र ब्राह्मण-गैर-ब्राह्मण संघर्ष से लम्बे समय तक नुकसान उठाता रहा। प्रबोधंकर ठाकरे और शाहू छत्रपति ने 'सत्य शोधक' आन्दोलन का नेतृत्व किया। इस संघर्ष को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि यह संघर्ष ब्राह्मणों और गैर-ब्राह्मणों के बीच का संघर्ष है। इस संघर्ष का मूल कारण असमानता है, सामाजिक असमानता ही इस मामले की जड़ में है। कुछ लोगों को यह लगता है कि उन्हें नुकसान हो रहा है क्योंकि उन्हें रियायतें नहीं मिल रही हैं। मुझे शाहू महाराज के जीवन का एक प्रसंग याद आ रहा है। उनसे पूछा गया कि ब्राह्मणों और गैर-ब्राह्मणों के बीच संघर्ष की शुरूआत आखिर कहां से हुई तो शाहू ने प्रश्नकर्त्ता को अगली सुबह अपने घर आने को कहा। उन्होंने अपने हाथ में चने लिए और घोड़ों के सामने बिखेर दिये। घोड़ों को खोल दिया गया। मजबूत घोड़ों ने चने खा लिए और कमजोर घोड़ों को चने नहीं मिले। शाहू ने उस व्यक्ति को कहा कि सभी घोड़े हैं परन्तु मजबूत घोड़ों ने खाना प्राप्त करने में कमजोर घोड़ों से बेहतर प्रदर्शन किया। इसी प्रकार यदि सदन में एक मजबूत और एक कमजोर सदस्य के बीच कोई प्रतियोगिता कराई जाए तो निश्चित ही मजबूत सदस्य के हाथों कमजोर सदस्य की हार होगी। शक्तिसंपन्न और सक्षम लोगों को कमजोर और गरीब लोगों का ध्यान रखना चाहिए। कमजोर वर्गों से आने वाले लोगों को यह सोचना चाहिए कि क्या सभी रियायतें उन्हें ही मिलनी चाहिए। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछड़े वर्गों के आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को रियायतों की आवश्यकता नहीं है। कृपया मुझे इस सदन के एक माननीय सदस्य का उदाहरण प्रस्तुत करने की अनुमति दें। माननीय सदस्य श्री गवई अनुसूचित जातियों को मिलने वाली रियायतों का लाभ नहीं लेते हैं। मैं जानता हूं कि श्री गवई ने अपने पुत्रों को ऐसी रियायतों का लाभ नहीं लेने का सुझाव दिया है और कहा कि वे कड़ी मेहनत करें और योग्यता के आधार पर सफलता प्राप्त करें। श्री गवई ने शाहू महाराज की इस सुनीति के गूढ़ार्थ को समझा। श्री गवई के पुत्रों ने योग्यता के बल पर विभिन्न पाठ्‌यक्रमों में दाखिला लिया। श्री गवई के तीन बच्चों ने निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने से इंकार कर दिया। मुझे श्री गवई पर गर्व

है। मैंने श्री गवई का उदाहरण पेश किया। परन्तु मैं जानता हूं कि पिछड़े वर्गों के कुछ अन्य लोगों ने भी रियायतों का लाभ लेने से मना कर दिया है।

यदि हम इस तरीके से सोचें तो इस मामले में सहमति बनाना संभव हो सकेगा। यह निर्विवाद रूप से सच है कि शक्ति किसी एक वर्ग में केन्द्रित नहीं होनी चाहिए। यह अक्सर कहा जाता है कि ब्राह्मणों और मराठों ने अन्य वर्गों पर अत्याचार किया है। यह पूछा जाता है कि पीड़ित वर्गों को रियायत क्यों न दी जाए। यह भी पूछा जाता है कि अन्य वर्गों पर अत्याचार करने वाले वर्गों को न्याय क्यों नहीं मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह की एकपक्षीय सोच से काम नहीं चलेगा। यदि मुझे पूर्वजों द्वारा किए गए गलत कार्यों के कारण नुकसान उठाना पड़े तो इस दुष्चक्र का कहीं भी अंत नहीं होने वाला। माननीय श्री गवई ने प्रस्ताव किया है कि पिछड़ों में जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं उन्हें कोई भी रियायत नहीं दी जानी चाहिए। उनका प्रस्ताव एकदम सही है। मंडल आयोग ने जाति की शर्त की सिफारिश की है। लोक सभा में मंडल आयोग की रिपोर्ट पर घंटों चर्चा चली है। लोक सभा देश का सर्वोच्च विधानमंडल है। वहां कोई भी सदस्य किसी जाति विशेष का प्रतिनिधि नहीं होता। हो सकता है मैं गलत हूं परन्तु जहां तक मेरी जानकारी है, लोक सभा में यह चर्चा जाति के आधार पर नहीं चली। पांच सौ पैंतालीस सदस्यों में से किसी ने भी यह नहीं कहा कि मंडल आयोग ने जाति के आधार पर सिफारिश करके गलत किया। दुर्भाग्यवश मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया। मैं भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के दो कथनों को रखना चाहूंगा। पिछड़े वर्गों को पुन: परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने राज्य सभा में कहा कि आर्थिक पिछड़ेपन को आधार बनाना ज्यादा समीचीन होगा। कृपया उनके विचारों का निहितार्थ समझें। इस वाद-विवाद के आरंभ से ही मैं जानकारी प्राप्त करना चाह रहा हूं। मुझे यह नहीं मिल पाया है। यदि किसी के पास यह जानकारी है तो कृपया मुझे उपलब्ध कराएं। हम दो जातियों की तुलना कर सकते हैं... किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति जीवन में आगे आ सकता है। जन्म के समय ही अपने लिए किसी जाति का चयन करना संभव नहीं है। जन्म के बाद जीवन को सही ढंग से जीना अपने हाथ में है। आवश्यक यह है कि प्रत्येक जाति में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की संख्या निर्धारित की जाए। परन्तु ऐसे आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। आप पिछड़े वर्गों के आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को रियायतें क्यों देते हैं? एक निश्चित आय सीमा से ऊपर के पिछड़े वर्गों के लोग क्यों नहीं आगे आते हैं और यह कहते हैं कि अब उन्हें कोई रियायत नहीं चाहिए। सच तो यह है कि इन समुदायों के महान व्यक्तियों को अन्य लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। कुछ लोग आगे आएं और कहें, ''मेरी आय इतनी है। मुझे पिछड़े लोगों को दी जाने वाली रियायतों की और आवश्यकता नहीं है।'' ऐसे लोगों पर व्यय किया जाने वाला धन बच सकेगा जिससे वास्तव में अन्य पिछड़े लोगों पर व्यय किया जा सकता है। हमने 14 प्रतिशत लोगों को सुविधाएं देने की सहमति दी थी। हमें इसे बढ़ाकर 27 प्रतिशत करना है। किंतु राजनीतिज्ञों ने इस मुद्दे को ही विकृत कर दिया है।

...शिवसेना की नीति है कि रियायतें आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर दी जानी चाहिएं। यद्यपि आर्थिक पिछड़ेपन का मानदंड आदर्श है किंतु यह व्यवहार्य नहीं है। यदि कोई आर्थिक पिछड़ेपन

के मानदंड का सुझाव दे तो रियायतें देने की नीति लम्बे समय तक जारी रखी जा सकेगी। मैं आर्थिक पिछड़ेपन के आंकड़े उपलब्ध कराने और निश्चित अवधि के लिए रियायतें देने का सुझाव देना चाहूंगा। जिनको रियायतें मिल रही हैं उन्हें दूसरों को भी मौका देना चाहिए। मंडल रिपोर्ट पर काम करने का यह व्यवहारिक तरीका है। यदि तुरंत कोई उपाय नहीं ढूंढा गया तो इससे नई समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। मैं श्री गवई के संशोधन का समर्थन करता हूं। इस संशोधन को स्वीकार करने में विलम्ब मत कीजिए। जिस दिन हम राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को रियायतें देना शुरू करेंगे वह बड़ा ही शुभ दिन होगा। इसके लिए कोई टाइम-टेबल तैयार कीजिए।

मेरा मानना है कि यदि संविधान लागू होने के बाद पहले दस वर्ष में केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी जाने वाली रियायतों को पूरी तरह से कार्यान्वित किया होता तो उनके तथा अन्य के बीच की खाई को पाटा जा सकता था। आजादी के पैंतीस वर्ष बाद भी हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। सरकार इस क्षेत्र में अपना काम नहीं कर सकी है। मंडल आयोग के कारण कुछ लोगों के मन में भय व्याप्त हो गया है। क्या इस भय को दूर करना हमारा फर्ज नहीं है? महाराष्ट्र मंडल आयोग के विरुद्ध नहीं हो सकता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जनता को विश्वास में लेकर उनसे बात करनी चाहिए। हम विभिन्न जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को रियायतें देने का मार्ग ढूंढ़ सकते हैं। यदि इस उपाय के करने से असंतोष उत्पन्न होगा तो महाराष्ट्र में इसे शांत करने की क्षमता है। हमें चुनावों को ध्यान में रखकर काम नहीं करना चाहिए। हमें पिछड़े लोगों को रियायतें देनी चाहिए जिनके साथ लम्बे समय से अन्याय होता आया है। हमें वास्तव में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की मदद करने का भी मार्ग तलाशना चाहिए। यदि हम इन दो पहियों का सहारा लें तो हमारी गाड़ी तेज चल सकती है। दिल्ली के बादशाह ने शिवाजी का अपमान किया तो उन्होंने उसकी अवज्ञा की तथा महाराष्ट्र आने पर उन्होंने विजय प्राप्त की। हमें शिवाजी का अनुकरण करते हुए अपने राज्य में सामाजिक नीति के क्षेत्र में साहसिक कार्य करने चाहिएं।

मराठी को राज्य की राजभाषा बनाना*

महोदय, मेरे सहयोगी, प्रिंसिपल वामनराव महादिक ने बड़ा ही महत्वपूर्ण संकल्प पुर:स्थापित किया है। माननीय मंत्रियों से अनुरोध है कि वे इसे सही परिप्रेक्ष्य में समझें। महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल ने इस बार भी अपने अभिभाषण में तथा पहले भी दो बार, वायदा किया है कि वर्ष 1985 तक सरकारी पत्राचार पूरी तरह से मराठी में किए जाने का प्रयास किया जाएगा। महामहिम के वायदे के साथ कोई शर्त नहीं जुड़ी हुई है। इसलिए श्री महादिक के संकल्प को सरकार की नीति के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता। इस सभा के गैर-मराठी सदस्यों को इस संकल्प से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनसे मेरा अनुरोध है कि वे इसकी सही भावना को समझें।

जब भाषायी राज्यों का गठन हुआ था तब संकल्प लिया गया था कि संबंधित भाषा को तथा उसे बोलने वालों को बढ़ावा दिया जाएगा। तदनुसार पंजाब में पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़ तथा महाराष्ट्र में मराठी को बढ़ावा दिया जाना था। साढ़े तीन सौ वर्ष पूर्व मराठा राज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की भी यही इच्छा थी। इस सभा में उनका चित्र लगा हुआ है। इस संकल्प का मजाक उड़ाना या इसकी गरिमा को कम करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संकल्प के माध्यम से थोड़ी सी मांग की गई है। सरकारी और अर्द्ध-सरकारी विभागों में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को मराठी भाषा में परीक्षा दिलवानी चाहिए। मराठी भाषा जानने वाले सरकारी कर्मचारी को सम्मानजनक पद पर होना चाहिए। मराठी का ज्ञान होने के नाते उसे सम्मानजनक पद मिलना चाहिए।

छत्रपति शिवाजी हमारे प्रतिनिधि और महाराष्ट्र के उपास्य पुरुष हैं। मैं मराठी भाषी मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमें अपनी परम्परा पर गर्व है। राजनैतिक जीवन और अध्यात्मिकता की हमारी परम्परा है। सन् 1290 ई. में संत ज्ञानेश्वर ने कहा था: "मैं बड़ी श्रद्धा के साथ मराठी बोलता हूं। मराठी भाषा देवताओं के अमृत से भी श्रेष्ठ है। मैं सर्वजन के सुख के लिए इस भाषा में रचना करूंगा।" दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र के नेता आज 1984 में भी इसके महत्व को नहीं समझते। जिसे अपनी मातृभाषा पर गर्व नहीं है वह अपनी माता पर भी गर्व नहीं कर सकता।

* सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों में राजकाज मराठी भाषा में करने सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (29 मार्च 1984)

श्री महादिक ने ठीक ही कहा है कि सरकारी सेवा में भर्ती करते समय उम्मीदवार की परीक्षा मराठी में ली जानी चाहिए। यदि पदधारी मराठी भाषी होंगे तो वे मराठी भाषी जनता के साथ अन्याय नहीं करेंगे।

मैं कुछ निगमों का उल्लेख करता हूं। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की आरक्षण पर्ची अंग्रेजी में है। क्या मुझे हक नहीं है कि मुझे यह पर्ची मराठी में मिले? मेरा न तो हिन्दी से और न अंग्रेजी से कोई विरोध है। हवाई अड्डे पर एक बोर्ड मलयालम में लगा हुआ है। ऐसे बोर्ड सभी भारतीय भाषाओं में लगने चाहिए। कुछ बोर्ड मराठी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में लगे हुए हैं। यह ठीक नहीं है। मंत्री जी ने उत्तर में कहा था कि मराठी बोलने वाले लोग हिन्दी और अंग्रेजी समझ लेते हैं। इसलिए उन्हें मराठी में बोर्ड लगाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। यह मराठी के साथ अन्याय है। मुम्बई महाराष्ट्र की राजधानी है। आप मुम्बई में सभी बोर्ड मराठी में क्यों नहीं लगवाते? माननीय श्री विलासराव देशमुख युवा हैं। यदि बोर्ड मलयालम में लगे हुए हैं तो क्या वे मराठी में भी बोर्ड लगवाने के अनुदेश नहीं दे सकते? मैं एक निगम की यूनियन का चेयरमेन हूं। उस निगम में मराठी में पत्राचार नहीं होता है। मैं लोक लेखा समिति का सदस्य हूं। मैंने उनसे कह दिया कि यदि इस समिति ने अंग्रेजी में अपनी कार्यवाहियां चलाईं तो मैं इस समिति में काम नहीं करूंगा। यदि मराठी जानने वाले मंत्री ही मराठी को तुच्छ समझें तो इससे हमें चोट पहुंचती है। गैर-मराठी अधिकारी पदधारी कुछ समय के लिए यहां आएंगे और चले जायेंगे। किंतु इस राज्य का प्रशासन स्थानीय लोगों के भले के लिए चलना चाहिए। महोदय, गैर-मराठी भाषी लोग यहां आकर पैसा कमाते हैं और अपने राज्यों में भेज देते हैं। इस राज्य से कमाई गई राशि को दूसरे राज्यों में भेजे जाने के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार कब विचार करेगी। बजट पर चर्चा के दौरान मैं इस मुद्दे पर बोलूंगा।

चाहे वह निगम हो या बृहन्मुम्बई नगर निगम या किसी सरकारी विभाग की बात हो, भर्ती परीक्षा मराठी में अवश्य ली जानी चाहिए, अन्यथा इस राज्य के नेताओं को यहां का भूमि-पुत्र नहीं कहा जा सकता। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि श्री वामनराव महादिक द्वारा प्रस्तावित इस संकल्प को स्वीकृत किया जाए।

बम्बई का नाम मुम्बई करना*

माननीय प्रमोद नवलकर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्तुत किया है। जहां तक महाराष्ट्र राज्य के आत्म-सम्मान का सम्बन्ध है, यह मुद्दा सर्वथा प्रासंगिक है। बृहन्मुम्बई नगर निगम द्वारा पहले भी इसी प्रकार का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया था। मैंने इस सदन में उक्त संकल्प की नियति के बारे में प्रश्न उठाए थे। तब से सरकार यही उत्तर देती रही है कि उन्होंने केन्द्र सरकार के समक्ष यह मामला उठाया था। राज्य के नाम परिवर्तन के मुद्दे पर राज्य सरकार, केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। मुम्बई महाराष्ट्र की राजधानी है। इस महानगर के मूल स्वरूप को बनाए रखना आवश्यक है। बाम्बे नाम का चयन ब्रिटिश शासकों ने किया था। इस महानगरी का नाम अपनी भाषा में रखना ही इस संकल्प का उद्देश्य है।

विश्वभर में बहुत से नगरों का नाम बदला गया है। नाम में परितर्वन करने से इस महानगर के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं इस बात से कदापि सहमत नहीं हूं कि इस महानगरी का नाम मुम्बई रखने से यहां की झुग्गी-झोपड़ियां समाप्त हो जाएगीं या पानी की समस्या सुलझ जाएगी या प्रदूषण की समस्या दूर हो जाएगी। हमने हमेशा इस विषय को इस सदन में और अन्यत्र भी उठाया है। दासता के सभी चिन्हों को मिटा दिया जाना चाहिए। हम सभी को यह महसूस होना चाहिए कि हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है। हमें अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व को समाप्त करना चाहिए। ऐसी जीवन शैली जो अंग्रेजी भाषा की देन है उसे बदलना चाहिए। हमें अपनी परम्पराओं का सम्मान करना चाहिए और हमें उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। इस महानगर को अपना मूल नाम मुम्बई मिलना चाहिए। यहां के मछुआरे देवी ''मुम्बा आई'' की पूजा किया करते थे। उस देवी के नाम पर यहां मंदिर था। उस समय का शहर मुम्बई नाम से प्रसिद्ध था। फिरंगियों को मुम्बई का उच्चारण कठिन लगता था। इसलिए उन्होंने इसे बाम्बे कहना शुरू कर दिया। पर क्या हम हमेशा इसी भ्रष्ट नाम को बनाए रखेंगे?

बहुत से ऐसे दृष्टांत दिए जा सकते हैं जिनमें विश्वभर में अनेक देशों और शहरों का नाम बदला गया है। कम्बोडिया का नाम बदलकर कम्पूचिया किया गया था। सीलोन, श्रीलंका बना और पेकिंग, बीजिंग बना। बहुत से राज्यों का नाम बदला गया है। माननीय नवलकर ने कहा है कि भारत में तो कुछ राज्यों ने अपना नाम केन्द्र सरकार की अनुमति लिए बिना ही बदल दिया। मैं समझता हूं कि इसके लिए केन्द्र सरकार से पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा

* बम्बई का नाम बदलकर मुम्बई किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (30 मार्च 1984)

कि आज से ही अपने शहर को मुम्बई कहना शुरू कर दें। आप इस शहर से अभिन्न रूप से जुड़े हैं और मैं समझता हूं कि यह शहर आपकी पहचान बन गया है। अब से मैं अपने पत्राचार में कभी भी इस शहर को बाम्बे नाम से सम्बोधित नहीं करूंगा। मंत्री जी भी इस शहर को अपने सभी पत्रों और भाषणों में केवल मुम्बई ही कहें।

इस सदन में चर्चा के परिणामस्वरूप कुछ अधिवक्ताओं ने अपने दस्तावेजों में बाम्बे के बजाय मुम्बई लिखना प्रारंभ कर दिया। उच्च न्यायालय ने एक निदेश जारी किया कि इस शहर को दो वर्षों तक बाम्बे और तदुपरांत मुम्बई कहा जाए। इस संकल्प का परिणाम क्या होगा? समाज के बहुत से वर्गों ने इस सम्बन्ध में प्रयास किए हैं। बहुत सारे अखबारों के स्तंभ-लेखक तो हुतात्मा चौक पर अनशन कर रहे थे। समाचार-पत्रों ने इस विषय पर लेख छापे। सरकार को इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। पहले किसी भी सीमा क्षेत्र से सम्बन्धित संकल्प पुर:स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। इस सदन में इस विषय पर मेरा संकल्प दो बार स्वीकृत हो चुका है। मैं सदन का ध्यान इस संकल्प की भाषा की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद् को इस महानगर के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए बाम्बे का नाम बदलकर मुम्बई कर देना चाहिए। क्या इस सम्बन्ध में हम मिलकर अपील नहीं कर सकते? सदन द्वारा पारित हुआ संकल्प महत्वपूर्ण समझा जाता है। केन्द्र सरकार इस संकल्प को तभी महत्व देगी जब वह सर्वसम्मति से पारित हो। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस संकल्प को पारित किया जाए।

96

महाराष्ट्रवासियों के हित संरक्षण की आवश्यकता*

यद्यपि माननीय वित्त मंत्रीजी ने मेरा स्वागत किया है, किन्तु मैं उनके बजट की प्रशंसा नहीं कर सकता। उम्मीद थी कि यह बजट एक नई दिशा तय करेगा। यह बजट महाराष्ट्र राज्य की रजत जयंती वर्ष में आया है। इस बजट में तीन-चार बातें उल्लेखनीय प्रतीत होती हैं। कुछ करों में वृद्धि की गई है, जबकि कुछ अन्य करों के मामले में छूट दी गई है। तीन सितारा होटलों, माल परिवहन, आरामदेह बसों, भारतीय शराब तथा बोतल बन्द शराब पर स्टाम्प शुल्क की दरों में वृद्धि की गई है। वित्त मंत्री ने इस वृद्धि को न्यायोचित ठहराया है। पूर्व के बजटों में हमेशा 20-सूत्री कार्यक्रमों का उल्लेख होता था। अब कोई भी बजट ऐसा नहीं होता है जिसमें कम्प्यूटर का जिक्र न किया गया हो। माननीय वित्त मंत्री कम्प्यूटर के उल्लेख के महत्व जानते हैं। माननीय मंत्री ने कम्प्यूटर के कल-पुर्जों पर करों में कटौती की घोषणा की है। वह टेलीविजन को कर-मुक्त करने के इच्छुक नहीं थे क्योंकि विपक्षी दलों द्वारा इसकी निरंतर मांग की जा रही थी। न्यायालय के निर्णय तथा जनता की मांग के कारण टेलीविजन को कर मुक्त करने के लिए सरकार बाध्य हुई होगी। क्या महाराष्ट्र राज्य की रजत जयंती वर्ष में बजट तैयार करते समय वित्त मंत्री का कोई विशिष्ट उद्देश्य था? वह अपने उत्तर में हमें बतायें कि इस बजट से आम आदमी कैसे लाभान्वित होगा।

यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई अपना कार्य किस प्रकार करता है। इस बजट में महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुम्बई शहर के लिए क्या किया गया है? मैं मुम्बई का प्रतिनिधित्व करता हूं इसलिए, मैं मुम्बई के संबंध में बोलना चाहता हूं। मुम्बई के विकास योजना संबंधी संसाधनों का अन्तरण बृहन्मुम्बई नगर निगम को किए जाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं? मुझे इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं है कि इस बजट में मुम्बई शहर की सर्वथा उपेक्षा की गई है। स्वर्गीय श्री यशवंतराव चव्हाण से वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में महाराष्ट्र राज्य सरकार की ओर से तथा बृहन्मुम्बई नगर निगम की ओर से मुम्बई शहर के लिए 1000 करोड़ रुपये स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया था। किन्तु, केवल 50 करोड़ रुपये ही स्वीकृत किए गए ... क्या इस शहर की समस्याओं पर विचार किया गया था? क्या इस शहर की जनसंख्या को ध्यान में रखा गया था? माननीय सदस्य, श्री लाहणे ने इस शहर की वर्तमान जनसंख्या तथा बाहर से आने वाले लोगों की संख्या का सही उल्लेख किया था। मुंबई में रह रहे लोगों को सुविधाएं दिए जाने पर कभी भी आपत्ति नहीं की जा सकती है। परन्तु, जो लोग वर्षों तथा पीढ़ियों से मुम्बई में रह रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश, इस बजट में ऐसे लोगों के लिए नाममात्र का प्रावधान किया गया है।

* बजट (1985-86) पर चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (9 जुलाई 1985)

इस शहर में पिछले वर्ष मोटर दुर्घटनाओं में 586 व्यक्ति मारे गए थे। मेरे पास रेल दुर्घटनाओं में मारे गए यात्रियों के आंकड़े नहीं हैं। हाल ही में 15 जनवरी को जब एक ट्रक मलिन बस्ती से जा घुसा तब 15 व्यक्तियों की मौत हो गई। मलिन बस्तियां फुटपाथों पर फैल रहीं हैं। उपरोक्त सभी दुर्घटनाएं मलिन बस्तियों के कारण हुई हैं। यह मलिन बस्तियां इस शहर की जल आपूर्ति में बाधा उत्पन्न करने तथा स्वच्छता तंत्र को ध्वस्त करने के लिए हैं। इसी कारण विधान मंडल के सदस्य यहां समय से नहीं पहुंच पाए और सभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मुंबई निगम का प्रभारी एक प्रशासक को बनाया गया और हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आपका बृहन्मुम्बई नगर निगम को क्या ठोस सहायता देने का विचार है? आप उन्हें कितना संसाधन अंतरिम करना चाहेंगे? इस शहर में आवासों के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है। आपने मुम्बई में आवास के लिए इस बजट में कितने संसाधन आवंटित किए है? मराठी भाषी लोग मुम्बई में कई पीढ़ियों से रह रहें हैं। आप उन्हें कम-से-कम एक कमरे का आवास उपलब्ध कराने हेतु क्या सुझाव देना चाहेंगे? आप मेरे साथ एन.एन. जोशी मार्ग, प्रभा देवी या खेड़गली चलिये। वहां 20-25 मराठी भाषी व्यक्ति एक ही कमरे में रहते हैं। सरकार कम्प्यूटरों के लिये कर रियायत दे रही है; लेकिन वह मराठी भाषी व्यक्ति के लिए एक कमरा सुनिश्चित नहीं करा सकती। बजट भाषण के अन्त में कहा गया है:

"1 मई, 1985 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो गये। सरकार उन शहीदों को नमन करती है जिन्होंने महाराष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए अपनी कुर्बानी दी। सरकार उन सभी को याद करती है जिन्होंने महाराष्ट्र के विकास के लिये अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सरकार को महाराष्ट्र की परम्परा और पहचान पर गर्व है।"

महोदय, मैं वित्त मंत्री सुशील कुमार शिंदे की सराहना करता हूं। यदि वे चाहते तो सफल कवि बन सकते थे। यदि वे साहित्यकार होते तो उन्हें महाराष्ट्र के मंत्रियों से सम्मान प्राप्त होता! आप महाराष्ट्र की स्थापना की रजत जयंती कैसे मनायेंगे? सरकार में चार मंत्री गैर मराठी भाषी हैं। किस भाषा में निर्देश जारी करते हैं? मुझे पता है कि वे मराठी में नहीं अंग्रेजी में निर्देश जारी करते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा महाराष्ट्र में पहली बार हुआ है। आपके मंत्री मराठी भाषी नहीं है और आप हमसे महाराष्ट्र पर गर्व करने को कहते हैं। आपने मुम्बई में मराठी भाषी लोगों के हितों की उपेक्षा की है। मैं फिर कहता हूं कि इस बजट में मराठी भाषी व्यक्ति का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। सरकार मुम्बई को नहीं समझ पाई है। मैं मुम्बई के बाहर के सदस्यों की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि भारत में कहीं भी मुम्बई से अधिक पैसा नहीं है।

मैंने कुछ सदस्यों से सुना कि लोगों को पानी लाने के लिये पांच से छह किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता। उन सदस्यों को मुम्बई की समस्याएं समझनी चाहिये। कुछ स्वार्थी तत्व मराठी भाषी लोगों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। इसलिये मैं अधिक चिंतित हूं क्योंकि इस बजट में मुम्बई के विकास का ध्यान नहीं रखा गया है। मकानों के गिरने और दुर्घटनाओं की समस्यायें बदतर होती जा रही है। मैं माननीय वित्त मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। नगर भूमि अधिकतम सीमा विधान के पारित हो जाने के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुई एक चौथाई भूमि आपने

किन भवन निर्माताओं को दी? किसी भी मराठी भाषी व्यक्ति को भूमि का छोटा टुकड़ा भी नहीं मिला। गैर मराठी भाषियों को मुम्बई में बसाने के लिये गुप्त षडयंत्र किया जा रहा है। हमें इस बात पर रोष है कि महाराष्ट्र की मंत्रिपरिषद भी इस षडयंत्र में भागीदार है। हम पन्द्रह वर्षों से मुम्बई में रहने वाले व्यक्ति को जगह दिलाने के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। मंत्रिपरिषद ने ऐसे व्यक्ति के लिये क्या किया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र राज्य की स्थापना के रजत जयंती वर्ष में मराठी भाषियों के लिये आपने क्या किया? महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग परीक्षाएं आयोजित करता है। इसने अधिसूचना जारी की है कि मराठी में लिखे आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने इस अधिसूचना पर कोई कार्रवाई नहीं की। यदि सरकार मराठी भाषी लोगों के हितों के प्रति ईमानदार है तो इस बजट में उनके लिए प्रावधान करने होंगे।

हम महाराष्ट्र राज्य की स्थापना और मुम्बई को उसकी राजधानी बनाये जाने के समय से यह मांग करते आ रहे हैं। स्वर्गीय यशवंत राव चव्हाण ने भी मराठी संस्कृति के संरक्षण का संकल्प किया था। उन्हें मराठी भाषियों का ध्यान रखना था। उन्हें मराठी भाषियों के हितों और अधिकारियों की सुरक्षा करनी थी। लेकिन बजट तैयार करते समय मराठी भाषी भुला दिये गये। हर दिन तीन हजार परिवार मुम्बई आते हैं। प्रतिदिन नौ सौ नये लोग मुंबई आते हैं। हम इन लोगों के लिये पानी, आवास और स्वास्थ्य देख-रेख का प्रबंध नहीं कर सकते। हमें इस शहर में बाहरी लोगों का आना रोकना होगा। महाराष्ट्र सरकार केन्द्र सरकार को खुश करने के लिए बाहरी लोगों को शहर में आने से रोकने के लिये कुछ नहीं कर रही है। यह बजट मराठी भाषियों के हितों के अनुरूप नहीं है। अतः, मैं इस निरर्थक दस्तावेज की आलोचना करता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह अपने बजट भाषण में मराठी भाषियों के हितों से संबंधित प्रमुख सरोकारों का संरक्षण करने का वचन दें।

97

मुम्बई में आवास समस्या*

...इस सदन की भाषा मराठी है। तथापि, जिस मंत्री ने यह विधेयक पुर:स्थापित किया उन्होंने अपने विचार अंग्रेजी में व्यक्त किए। विपक्ष के सदस्यों के भाषणों की सराहना की गई; परंतु मंत्री के भाषण की इतनी सराहना नहीं की गई क्योंकि उन्होंने अपना भाषण अंग्रेजी में दिया। शायद, ग्रामीण क्षेत्रों के सदस्य मंत्री महोदय द्वारा अंग्रेजी में दिए गए भाषण को समझ नहीं पाए होंगे।

मैं इस विधेयक को अंग्रेजी में प्रस्तुत करने के बारे में अपना विरोध दर्ज कराना चाहता हूं। मुझे उनका भाषण समझ में आ गया; परन्तु मेरे कुछ मित्रो को यह समझ नहीं आया होगा। मैं अपने मित्रो के साथ हुए इस अन्याय पर प्रसन्न नहीं हूं। दूसरी बात सत्ताधारी दल के सदस्यों के बारे में है। यदि उन्हें उनका भाषण समझ में आया होता तो वे उनका कभी भी समर्थन नहीं करते।

महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों ने इस विधेयक को पसंद किया है। लोगों को इस विधेयक का उद्देश्य समझ में नहीं आया होगा क्योंकि विधेयक को आकर्षक शब्दों में व्यक्त किया गया है। इसमें सबको सब कुछ दिया गया है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया गया है "काश्तकार को जमीन और घर चाहने वाले को घर"। लोग यह महसूस कर रहे हैं कि वे जल्द ही अपने मकान के मालिक बन जायेंगे। जबकि, वास्तविकता कुछ और है। मराठी में एक लोकोक्ति है "एक व्यक्ति भगवान *गणेश की मूर्ति बनाने का प्रयास करता है, लेकिन वह मूर्ति बन्दर की बन जाती है।"* इस विधेयक का भी यही हश्र होगा। मूलत:, यह बहुत अच्छा विधेयक है। मैं इस विधेयक का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं।

सर्वप्रथम, मुझे महाराष्ट्र के भूतपूर्व आवास मंत्री श्री यशवन्तराव मोहिते की याद आती है। उन्होंने 1969 में प्रथम भवन मरम्मत बोर्ड विधेयक प्रस्तुत किया था। मैं आवास मंत्री, श्री सुब्रह्मण्यम को उस बात का स्मरण कराना चाहूंगा जो श्री मोहिते ने पहले विधेयक को प्रस्तुत करते समय की थी। श्री यशवंतराव मोहिते ने व्यक्तिगत रूप से बृहन्मुम्बई नगर निगम से बात की। उन्होंने नगर के शासी निकाय के सभी सदस्यों की एक बैठक बुलाई थी और इस विधेयक के उपबंधों के संबंध में उनसे चर्चा की थी। उन्होंने मुम्बई में भवन निर्माण विशेषज्ञों से परामर्श किया था। उन्होंने इस नगर में वास्तुकारों के संगठन के सदस्यों को आमंत्रित किया था। वे वास्तुकारों और ठेकेदारों के बीच के अंतर

---

* आवास और क्षेत्र विकास (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1986 पर चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद् (25 मार्च 1986)

को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने मुम्बई में ठेकेदारों के साथ भी चर्चा की थी। उन्होंने उन लोगों के साथ बात की जो पुराने मकानों की मरम्मत करते थे। उन्होंने मुम्बई के विधायकों से भी इस मामले पर चर्चा की। इतने विचार-विमर्श के बाद उन्होंने उक्त विधेयक को प्रस्तुत किया। उन्होंने इस विधेयक के उपबंधों को अंतिम रूप देने से पूर्व सभी संबंधित लोगों को विश्वास में लिया था। इसलिए, उस विधेयक में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं रही।

इस विधेयक के संबंध में मेरी पहली आपत्ति यह है कि यह विधेयक मुम्बई के निगम पार्षदों और मेयर को विश्वास में लिए बिना प्रस्तुत किया जा रहा है। यही निगम पार्षद मरम्मत और पुनर्निर्माण बोर्ड अधिनियम और आवास निर्माण अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते हैं। इस विधेयक का प्रारूप इस क्षेत्र में वास्तुकारों और विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद तैयार किया जाना चाहिए था। इस विधेयक को हमारे सामने बिना किसी विचार किए लाया गया है। यह बहुत अव्यावहारिक है। इस विधेयक की संकल्पना मूलत: भूतपूर्व मंत्री श्री तेम्बे द्वारा की गई थी। उन्होंने गहराई से इस विधेयक का अध्ययन किया था। मैं और मेरे साथी श्री प्रमोद नवलकर ने गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया था। अत: यह देखा जा सकता है कि इस विधेयक की अवधारणा नई नहीं है।

इस सभा में पहले भी ऐसे विधेयक लाए गए हैं। झुग्गी-झोंपड़ियों से संबंधित एक विधेयक इस सभा में पुर:स्थापित किया गया था। सरकार ने यह प्रस्ताव किया था कि अब से किरायेदार किराया न दे। अत:, झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वालों ने किराया नहीं दिया। अत: ऐसे सभी मामलों में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया। उक्त विधेयक पूर्व मंत्री श्री प्रभाकर ने पुर:स्थापित किया था। झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले कम आय वाले व्यक्ति होते हैं। मंत्रीगण इन लोगों के विषय में नहीं सोचते। इसके बाद शहरी भूमि अधिकतम सीमा विधेयक पुर:स्थापित किया गया था। इस सदन को मालूम है कि उस विधेयक का क्या हुआ। उस अधिनियम के अंतर्गत कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है? इस भूमि में से कितनी भूमि का उपयोग निर्धन लोगों के आवास के लिए किया गया है? इस संबंध में अनेक विधेयक पुर:स्थापित किए गए हैं। वर्ष 1976 में मुम्बई महानगर प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया था। सदन को ऐसे ही विभिन्न अधिनियमों की नियति के बारे में पता है। सभी को ज्ञात है कि उन विधेयकों का क्या होता है, जिन्हें यहां अपेक्षित सोच-विचार के बाद पुर:स्थापित किया जाता है और जिन्हें संबंधित लोगों के साथ विचार विमर्श किए बिना तैयार किया जाता है। ये विधेयक लोगों के लिए कुछ बेहतर करने के विचार से पुर:स्थापित किए जाते हैं। यद्यपि मैं इस विधेयक से तत्वत: सहमत हूं, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह विधेयक किसी न्यायालय की जांच में टिक पाएगा। मेरा इस सदन और मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस विधेयक को बहुमत के बल पर पारित न किया जाए।

सन् 1969 और 1976 में यह वायदा किया गया था कि पुराने भवनों की मरम्मत की जाएगी। यह विधेयक यही दर्शाता है कि सरकार ने उस वायदे को पूरा करने में अपनी असमर्थता स्वीकार की है। सरकार ने बिल्कुल असहाय होकर यह विधेयक पुर:स्थापित किया है। सरकार पुराने भवनों और चालों की मरम्मत कराने के दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकी। इस विधेयक के उद्देश्यों का

अवलोकन करना उचित होगा। यह विधेयक उनके आश्रय स्थलों का संरक्षण करने तथा जान और माल की सुरक्षा करने हेतु पुर:स्थापित किया गया है। क्या यह उद्देश्य पूरा हो पाएगा। इससे पहले किए गए दो प्रयास विफल हो गए है। अब सरकार तीसरा प्रयास कर रही है। पुराने वायदे के अनुसार भवनों की मरम्मत नहीं की जा सकी। जिन भवनों की मरम्मत की गई, वे टिक भी नहीं पाए। यह विधेयक जल्दबाजी में लाया जा रहा है और इससे किसी को लाभ नहीं होगा। मैंने इस विधेयक के उद्देश्यों का बारीकी से अध्ययन किया है। इसमें मुम्बई पर पड़ रहे दबाव का उल्लेख है। इस दबाव के लिए सरकार जिम्मेदार है। इस विधेयक से यह दबाव और बढ़ेगा।

इस विधेयक में पुन:निर्मित भवनों की सहकारी सोसायटियों को लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव है। वस्तुत: विधेयक के उपबंध रुचिकर हैं। विधेयक में किरायेदार को दखलदार (भोगावातदार) बताया गया है। इन दखलदारों को उनके मौजूदा क्षेत्र के बराबर जगह दी जानी है। क्या मंत्री महोदय यह जानते है कि अनेक किरायेदार 60/80/100 वर्ग फीट के मकानों में रहते हैं? एक पीढ़ी ऐसे मकानों में रही है। अगली पीढ़ी ने ऐसे छोटे-छोटे मकानों में रहना शुरू कर दिया है। क्या आप चाहते हैं कि ऐसे लोग इन छोटे-छोटे स्थानों में हमेशा रहें? यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो पिछले विधेयकों के अंतर्गत किरायेदारों को दिये गए ये लाभ समाप्त हो जाएंगे। यदि पुनर्निर्माण बोर्ड किसी भवन को तोड़ता है तो किरायेदारों को कुल 180 वर्ग फुट कार्पेट एरिया दिया जाता है। लेकिन यदि किरायेदार अपनी सहकारी सोसायटी बनाते है तो वह मात्र अपने मौजूदा मकान के क्षेत्रफल के बराबर भूमि के हकदार होंगे। नया विधेयक उन्हें कुल 180 वर्ग फुट कार्पेट एरिया की हकदारी से वंचित करता है। पहले वे 5-10 रुपये किराया दे रहे होंगे। अब उन्हें करों और अन्य आनुषंगिक खर्चों को शामिल कर 50-60 रुपये देना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त उन्हें पानी, बिजली आदि संबंधी प्रभार देने होंगे। इस विधेयक में मुम्बई में रह रहे निर्धनतम व्यक्तियों के बारे में बिल्कुल विचार नहीं किया गया है। मंत्री महोदय और सरकार अभी भी इस विधेयक के उपबंधों पर पुनर्विचार कर सकती है। इसीलिए मैंने इस विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव किया है। नई सहकारी सोसायटी के भवन में घर देते समय पुरानी चालों के किरायेदारों को कम से कम 200 वर्ग फुट क्षेत्रफल दिया जाना चाहिए। ये किरायेदार वहां 50-100 वर्षों से रह रहे हैं। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि उनकी भावी पीढ़ी भी इस तरह के छोटे-छोटे मकानों में रहे। यदि न्यूनतम क्षेत्र की पात्रता के बारे में विशेषरूप से उल्लेख नहीं किया जाता है तो इस विधेयक का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा। मुम्बई (वाडीस) में छोटे-छोटे घरों की अनेक बस्तियां हैं। वहां किरायेदारों की संख्या लगभग 100-150 है। कुछ लोगों के वहां अस्थायी मकान हैं। ऐसी बस्तियों में एक इमारत है। ऐसी इमारतों पर उपकर लगाया गया है। इस उपकर का क्या होगा? इस विधेयक में इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। वहां रह रहे 100 किरायेदार उपकर नहीं देते। एक इमारत में रह रहे चार किरायेदार उपकर देते हैं। सरकार इस संपत्ति को कब अधिग्रहीत करेगी? यदि उन बस्तियों में रह रहे 75 प्रतिशत लोग सहकारी समिति बनाने को इच्छुक हैं तो क्या सरकार ऐसा करने देगी? विधेयक का प्रारूप गहन विचार करके तैयार नहीं किया गया है। पुराने भवनों की मरम्मत की लागत बढ़कर 300 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो गई है। अत: 80 वर्ष पुराने भवनों की मरम्मत नहीं की गई है। सरकार इन लोगों को धन कैसे उपलब्ध

कराएगी। ये लोग ऐसे मकान कैसे खरीद सकते हैं। कुछ समय पूर्व आवास मंत्री ने कहा था कि आवास के लिए जीवन बीमा निगम के ऋण उपलब्ध होंगे। माननीय सदस्य, श्री नवलकर ने सुझाव दिया था कि हम राजसहायता प्रदान कर सकते हैं। परंतु राजसहायता किसे दी जाएगी और किन शर्तों पर दी जाएगी, यह स्पष्ट नहीं है। यदि किरायेदारों को धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो वे इस संपत्ति को कैसे खरीदेंगे?

सहकारी समितियों का विचार बहुत ही अच्छा और लुभावना प्रतीत होता है। इन सहकारी सोसायटियों के भवनों को देखिए। क्या उनकी मरम्मत की जाती है? क्या इनमें रंग-रोगन किया जाता है? क्या पदाधिकारी सदस्यों को सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं? वास्तव में यह दु:ख की बात है कि इन भवनों की मरम्मत नहीं की जाती है। सहकारी समितियों के 5-25 सदस्यों को कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। कुछ भवन निर्माता, भूस्वामी और चालाक किरायेदार निगम से अपनी योजनाएं पास करवा लेते हैं। नए भवन का निर्माण करना एक कठिन कार्य हो गया है। ये सहकारी समितियां असहकारी हो गई हैं। दूसरी बात यह है कि नए और अपरिचित व्यक्ति अतिरिक्त 'कार्पेट' क्षेत्र का लाभ उठाने के लिए आ जाएंगे। मैं यह नहीं समझता हूं कि सड़कों के निर्माण से प्रभावित होने वाले और इस नए नगर निगम से लाभान्वित होने वाले सहकारी समितियां स्थापित करने के लिए आगे आएंगे। यद्यपि, उद्देश्य सराहनीय है, तथापि, मुझे इन सहकारी समितियों की सफलता के बारे में संदेह है। मान लीजिए 50 प्रतिशत किरायेदार इकट्ठे होते हैं। और एक सहकारी समिति बनाते हैं और एक भवन के निर्माण के लिए उन्हें पांच वर्ष का समय चाहिए तो सरकार उन्हें वैकल्पिक आवास कहां प्रदान करेगी? क्या आप यह चाहते हैं कि ये वर्तमान स्थान पर ही रहे? उन्हें पैसा कौन देगा?

मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि हम इस योजना का विरोध नहीं कर रहे हैं। यदि सरकार इस योजना को सफल बनाना चाहती है तो उसे एक स्वायत्त अभिकरण स्थापित करना चाहिए। इस अभिकरण को योग्य व्यक्ति चलाएं, यह सहकारी समितियों के हित में होगा। एक तंत्र होना चाहिए जिससे सहकारी समितियों की योजनाएं नगर निगम के पास हों। कानून संबंधी कई समस्याएं हैं। क्या सरकार यह समझती है कि ये लोग अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझा लेंगे? यदि हम ऐसे किसी अभिकरण के नहीं होने पर जोर देते हैं तो आगामी पांच वर्षों में कोई भवन नहीं बन पाएगा। मैं एक शक्तिशाली अभिकरण की स्थापना पर बल देता हूं जोकि बृहन्मुम्बई नगर निगम, मुम्बई क्षेत्रीय प्राधिकरण से स्वीकृति ले सकेगा और भवन निर्माण के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। सहकारी सोसायटियों के कार्यों को शीघ्र संपादित करने के लिए इस अभिकरण की आवश्यकता है। अन्यथा, सहकारी सोसायटियों की योजनाएं अनेक वर्षों तक पारित नहीं होंगी। आवास बोर्डों की योजनाएं वर्षों तक पारित नहीं होती तो फिर गरीब लोगों की सहकारी समितियों की योजना की क्या नियति होगी? सहकारी समितियों को योजनाओं को तत्परता से पारित करना होता है। पुरानी चालों को नई एजेंसी को सौंपा जाना चाहिए। पुरानी चालों की तीन-चार सहकारी समितियां बनानी होंगी। इन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने की आवश्यकता हैं, उन्हें अपनी कानूनी समस्याओं का समाधान करने हेतु सहायता की भी आवश्यकता होगी। यदि ऐसा किया जाता है तो सहकारी समितियों के सदस्य यह महसूस करेंगे कि उनके अपने भवन बनेंगे। मैंने यह सुझाव दिया है कि मुम्बई नगर

निगम की समस्याओं का समाधान करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राधिकरण की स्थापना की जाए। मैं समझता हूं कि यह योजना हर तरह से सफल रहे। रहने वालों को मालिक बनाया जाना है। विभिन्न सहकारी समितियां बनाई जानी हैं। मेरा सरकार से यह आग्रह है कि वह यह देखे कि इन विभिन्न सहकारी समितियों के बीच कोई लड़ाई-झगड़ा न हो। अन्यथा, जिस एजेंसी का मैंने सुझाव दिया है उसके बिना किसी सहकारी समिति को कोई स्थान आवंटित करना कठिन होगा।

सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना से इस शहर में कानून और व्यवस्था की समस्याएं पैदा होंगी। मुम्बई में, भूमि के एक वर्ग फुट के लिए हत्याएं हो जाती हैं। किरायेदारों के हितों की सुरक्षा करने के संबंध में सरकार को संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। सरकार अनेक सहकारी आवास समितियों की स्थापना कराना चाहती है। विभिन्न सहकारी समितियों के कार्यकरण का समन्वय करने हेतु एक एजेंसी होनी चाहिए। यह एजेंसी किरायेदारों में विश्वास जगाएगी कि उनके मकानों के लिए कुछ किया जा रहा है। पूरी योजना के लिए एक रूपरेखा होनी चाहिए। सरकार को उन लोगों के बारे में सोचना है जो सहकारी दायरे में नहीं आते। पुरानी चालों के उन किरायेदारों का मरम्मत संबंधी कार्य क्या आप कराएंगे जो सहकारी समितियों के झंझट में नहीं फंसना चाहते? जब सरकार सहकारी समितियों की बात करती है तो मरम्मत की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। सरकार ने उन 70 प्रतिशत लोगों के बारे में सोचा है जो सहकारी समितियों का गठन करेंगे। लेकिन उसने शेष 30 प्रतिशत के बारे में नहीं सोचा है जो इन सहकारी समितियों के सदस्य नहीं बनना चाहते। मुम्बई क्षेत्रीय प्राधिकरण को इन 30 प्रतिशत लोगों को यह नहीं कहना चाहिए कि उन्हें अपने वर्तमान जगह पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार को ऐसे किरायेदारों की जिम्मेदारी लेनी है। सरकार को पुरानी चालों की मरम्मत के कार्य पर और अधिक जोर देना चाहिए। श्री नवलकर जी ने इस संबंध में एक सुझाव दिया है। उन्होंने पूछा है कि सरकार चालों की मरम्मत हेतु संसाधन कैसे जुटा रही है? क्या सरकार उनके लिए ट्रांजिट कैंप स्थापित कर रही है जो सहकारी समितियों के सदस्य नहीं बनते अथवा क्या सरकार उन्हें अलग छोड़ देना चाहती है? सरकार ने भूमि हदबन्दी कानून के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण बंद कर दिया है। सरकार को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वह कम आय वाले लोगों के लिए जमीन अधिगृहीत करेगी। भूमि हदबन्दी कानून के अंतर्गत अधिगृहीत भूमि कम आय समूहों के लिए आवास हेतु 'स्वामित्व आधार पर' उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आवास समस्या का समाधान करने हेतु सरकार द्वारा अपनाई गई नीति की प्रभावकारिता के संबंध में हमें संदेह है। अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह खुले दिमाग से हमारे संशोधनों पर विचार करे।

एक माननीय सदस्य ने बताया कि यह विधेयक उनकी पार्टी द्वारा दिए गए आश्वासन को पूरा कर रहा है। यह किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा हम सभी का है। यदि सत्ताधारी दल इसे सभी के लिए साझा मुद्दा समझे तो विपक्षी दल आवास समस्या का समाधान करने में सत्ताधारी दल का समर्थन करेगा। यदि सरकार विधेयक में सुझाए गए संशोधनों को स्वीकार नहीं करती अथवा यदि विधेयक को संशोधनों के साथ पारित नहीं किया जाता, तो इसकी नियति जलाए जाने वाले कूड़े के समान होगी। अधिनियम बनाते समय आप किरायेदारों के हितों का ध्यान रखें। अन्यथा, लोग अपने तरीके से अपना विरोध प्रकट करेंगे।

महाराष्ट्र के सरोकार*

मैं यहां बजट पर बोलने के लिए खड़ा हूं। विवाह के दौरान यह परम्परा है कि सर्वप्रथम रिश्तेदार वर-वधू को उपहार देते हैं और उसके बाद अन्य लोग उपहार भेंट करते हैं। इसी तरह, यहां पर भी पहले सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। अब हम बजट पर अपने विचार व्यक्त करेंगे।

माननीय सदस्य, श्री रामराव आदिक ने इस बजट को इस आधार पर दोषपूर्ण बताया है कि इसमें कम आय वर्ग के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। मैं उनके विचार से सहमत हूं। मुख्य रूप से मराठी भाषी व्यक्ति के बारे में मैं अधिक सोचता हूं। इस विचार के तहत मुझे इस बजट में कोई नई दिशा नहीं दिखती। मैं इस बजट को एक युवा वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत पुराना बजट मानता हूं। युवा व्यक्ति आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं से परिपूर्ण होता है। वह नए कार्यक्रम बनाता है। दुर्भाग्य से, मैं इस बजट में इस तरह की कोई बात नहीं देखता। हमेशा की तरह इस बजट में नए कर और नई छूट हैं। यदि उन्होंने महाराष्ट्र और मराठी भाषी जनता के हित के लिए कोई नया उपबंध प्रस्तुत किया होता तो मैं उनका प्रसन्नता से स्वागत करता।

इस बजट में डीजल, पेट्रोल और सीमेंट पर कर लगाया गया है; इसमें लाटरी, पेट्रोलियम उत्पादों तथा कारोबार कर से प्राप्त आय भी शामिल है। इस बजट में कोई कल्पना नहीं है। राज्य वित्त मंत्री राजस्व के नए स्रोत बना सकते थे। मुम्बई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुम्बई में धनी वर्ग पर कर लगाए जा सकते हैं। यदि ऐसे करों पर विचार होता तो यह बजट 2110 करोड़ रुपए का नहीं होता। माननीय सदस्यों ने बाम्बे हाई गैस को पर्याप्त आय का स्रोत बताया है। इस बाम्बे हाई गैस का उपयोग मुम्बई और कुल मिलाकर महाराष्ट्र के फायदे के लिए किया जा सकता है। बाम्बे हाई गैस पर आधारित रसायन संयंत्रों को विदर्भ की इस संबंध में कोई योजना नहीं है। एक रसायन संयंत्र में पांच लाख लोगों को रोजगार देने की क्षमता होती है। माननीय सदस्य श्री केवलचंद जैन ने इस सभा में ऐसे संयंत्रों का महत्व बताया है। इस बजट में महाराष्ट्र के लाभ के लिए बाम्बे हाई गैस के उपयोग के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

महाराष्ट्र पेट्रोकैमिकल कारपोरेशन की स्थापना 1982 में हुई थी। इस कारपोरेशन में दो वर्षों अर्थात् 1982 से 1984 के दौरान एक भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हुई। जिस प्रकार गुजरात सरकार

* अतिरिक्त अनुदानों हेतु बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (30 जून 1986)

ने पेट्रोरसायन की क्षमता का दोहन किया है। वैसा सरकार ने कभी नहीं सोचा। नगोथाना थाल वैशट में नई फैक्टरियां स्थापित की गई हैं। सरकार ने उन मराठी उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने की कोई योजना नहीं बनाई जिन्हें इन फैक्टरियों में ही नियुक्त किया जा सकता था। महाराष्ट्र में पेट्रोरसायन फैक्टरियां हैं लेकिन आपको वहां कोई मराठी भाषी कर्मचारी नहीं मिलेगा। हमने सभी संबद्ध अधिकारियों से इस बारे में पूछताछ की। इनमें से कोई भी पेट्रोरसायन फैक्टरियों में मराठी युवाओं को रोजगार देने के लिए किसी प्रशिक्षण योजना के बारे में जानकारी नहीं दे सका। मुझे यह कहते हुए खेद है कि महाराष्ट्र राज्य पेट्रोकैमिकल कारपोरेशन कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं कर रहा है।

सरकार के पास आय सृजन के लिए नई योजनाएं होनी चाहिए। 'बेस्ट' खंभों पर विज्ञापन लगाकर लाखों रुपये कमा रहा है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एनएसईबी) को भी ऐसा ही करना चाहिए। एमएसईबी के अध्यक्ष के पास ऐसा करने हेतु कोई योजनाएं नहीं है। मुम्बई में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु एक हैलिकॉप्टर सेवा शुरू करने का प्रस्ताव था। पर्यटकों को नरीमन प्वाइंट से माथेरान और महाबलेश्वर ले जाया जाना था। कुछ योजनाओं की घोषणा हुई है लेकिन वे कभी भी लागू नहीं हुई। फ्लोटिंग (तैरते) होटल और जलमार्ग का क्या हुआ। मैंने बजट दस्तावेज में पढ़ा कि 22,351 गांवों में पानी की अत्यधिक कमी है। मुम्बई शहर गर्वोक्ति कर सकता है कि इस शहर में पांच हजार लोगों के पास सौ करोड़ रुपये का काला धन है। क्या सरकार के पास इस धन का सदुपयोग करने की कोई योजना है। महाराष्ट्र में 30 जिले हैं। यदि ये जिले प्रमुख उद्योगपतियों को सौंप दिए जाएं तो वे इन जिलों को सूखे से उबरने में सहायता कर सकते हैं।

मैं अपने साथ 25 और 26 जून की 'नवशक्ति' की प्रतियां लाया हूं। उनके नेता कहते हैं कि 'महाराष्ट्र स्टेट इज नाट एन असाइलम' (धर्मशाला) महाराष्ट्र राज्य धर्मशाला नहीं है। महाराष्ट्र के मंत्रियों के अलावा और कौन मराठी भाषी लोगों का भला सोच सकता है? पिछले वर्ष महाराष्ट्र राज्य की रजत जयंती मनाई गई थी। स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण और श्री वसंतदादा पाटिल ने कहा था कि उन्हें मुम्बई में मराठी भाषी व्यक्ति नहीं मिल पाए। यह शहर गैर-मराठी भाषी व्यक्तियों का बनता जा रहा है। वर्तमान मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुम्बई अब मराठी भाषी लोगों का नहीं रहा। वह यह भी कहते हैं कि मुम्बई अन्य राज्यों के लोगों का भी है। मंत्रालय में अधिकारियों की वर्तमान स्थिति क्या है? यदि अधिकारी जनता की भाषा नहीं बोल सकता तो वह गरीब जनता से निकटता महसूस नहीं करेगा। केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 286 अधिकारी नियुक्त किए हैं। इनमें से 104 अधिकारी गैर-मराठी भाषी हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 59 अधिकारियों को केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर भेजा। इन 59 अधिकारियों में 49 अधिकारी गैर-मराठी भाषी थे। श्री आर.डी. प्रधान जो केन्द्र सरकार के सचिवालय में सेवारत थे, 30 जून, को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उनके स्थान पर श्री सुखतांकर कार्यभार संभालेंगे। 29 जिलों में से 16 जिलों में गैर-मराठी भाषी कलैक्टर हैं। 29 जिलों में से 14 जिलों में गैर-मराठी भाषी जिला परिषद कार्यकारी अधिकारी हैं। 92 निगमों में से 50 निगमों में गैर-मराठी भाषी मुख्य अधिकारी हैं। कर्नाटक अथवा तमिलनाडु जैसे अन्य राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं है। मराठी भाषी इंजीनियर बेरोजगार हैं। महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड में मुख्य अभियंता, कार्यपालक अभियंता, उप अभियंता, सहायक अभियंता-सभी

गैर-मराठी हैं। महाराष्ट्र सरकार को आई.ए.एस. परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए कोचिंग कक्षाए प्रारंभ करनी चाहिए। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कैडेटों में पांच प्रतिशत भी मराठी-भाषी लड़के नहीं हैं। महाराष्ट्र सरकार को ऐसे रास्ते निकालने चाहिए जिससे अधिक संख्या में मराठी भाषी छात्र राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में चयनित हो सकें।

सरकार ने शहरी भूमि हदबंदी कानून के परिणामस्वरूप वर्ष 1985-86 में 1,14,069 ब्लाक प्राप्त करने का अनुमान लगाया था पर केवल 10,000 ब्लाक ही बनाए गए और उनमें से 7000 ब्लाक गैर-मराठीजनों को दे दिए गए। 1985-86 में कमजोर वर्गों के लिए कितनी भूमि अलग से रखी गई? कुल 7523.17 हेक्टेयर भूमि को छूट प्रदान की गई। इस छूट के बाद की आपा-धापी में ब्लाक वितरित नहीं किए जा सके। गरीब लोगों को शहरी भूमि हदबंदी कानून का कोई लाभ नहीं मिल पाया। इस बजट के जरिए गरीब व्यक्ति को लाभ अवश्य मिलना चाहिए। कई प्रतिभाशाली छात्र एस.एस.सी. की परीक्षा में सफल हुए हैं। इस बजट में उनके लिए क्या किया गया है? प्रतिभाशाली विद्यार्थी विदेश क्यों चले जाते हैं? सरकार को इन विद्यार्थियों की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार ने खेलकूद को बढ़ावा देने का फैसला किया है। तमिलनाडु सरकार ने 90 क्रीड़ा-शिक्षकों की नियुक्ति की है। केरल सरकार ने 90 प्रशिक्षक रखे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के पास केवल 35 क्रीड़ा-प्रशिक्षक ही हैं। यह संख्या बढ़नी चाहिए।

मैं अपने भाषण को बृहन्मुम्बई नगर निगम, जिसका मैं इस सभा में प्रतिनिधि हूं, के जिक्र के साथ समाप्त करना चाहूंगा। मुम्बई की जल-आपूर्ति योजना की सराहना हुई है। इस योजना को तीन चरणों में पूरा किया जाना था। प्रथम चरण डेढ़ वर्ष पहले पूरा हुआ। निगम को प्रथम चरण की 11 लाख रुपए की धनराशि अभी तक महाराष्ट्र सरकार से नहीं मिली है। द्वितीय चरण पूरा होने ही वाला है। निगम इस दूसरे चरण के लिए महाराष्ट्र सरकार से 46.51 करोड़ के बराबर के योगदान को प्राप्त करने का हकदार है। सरकार यह घोषणा करे कि वह धनराशि मुम्बई निगम को सौंपी जाएगी। बृहन्मुम्बई नगर निगम की विकास योजना डेढ़ वर्ष से सरकार के पास लंबित पड़ी है। उपनगरों के लिए योजना भी लंबित पड़ी है। यह योजना 6,000 करोड़ रुपए की है। मुम्बई को सुंदर बनाना महाराष्ट्र राज्य सरकार का कर्त्तव्य है। चाहे शहरी भूमि सीमा में छूट हो, चाहे आवासीय व्यवस्था हो अथवा मराठी-भाषी लोगों की उन्नति हो, वित्त मंत्री को सिद्ध करना चाहिए कि वह मराठी-भाषी लोगों के कल्याण और उनकी चिन्ताओं का ध्यान रख रहे हैं।

99

कानून और व्यवस्था बनाए रखना*

इस सभा ने महाराष्ट्र राज्य में हुई अपराधों की अनेक घटनाओं के बारे में सुना है। हम जानते हैं कि ये अपराध क्यों होते हैं और इन अपराधों को रोकने का तरीका भी हम जानते हैं। मैंने इस वाद-विवाद में सभी का भाषण सुना। एक अपवाद को छोड़कर, सभी वक्ता इस बात से सहमत हैं कि हमारे राज्य में अपराध में बढ़ोत्तरी हुई है। आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। हम दहेज हत्याओं के बारे में सुनते हैं। आम आदमी असहाय हो गया है। ये अपराध पुलिस विभाग की अकुशलता के कारण हो रहे हैं। क्या सरकार इन अपराधों की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का पुलिस विभाग पर से नियंत्रण समाप्त हो गया है। पुलिस कांस्टेबल अपने वरिष्ठ अधिकारियों का भय महसूस नहीं करते उन्हें लगता है कि उनके कुकृत्यों को माफ कर दिया जाएगा। अपराध दर इतनी अधिक होने के बावजूद एक भी पुलिस उपाधीक्षक को निलम्बित नहीं किया गया है। किसी भी पुलिस इंस्पेक्टर को गलत काम के लिए तत्काल बर्खास्त नहीं किया गया है। जब तक अकुशल पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही नहीं की जाती तब तक अपराध की दर को रोका नहीं जा सकता। दो वर्ष पूर्व हत्या के मामले में संलिप्त अपराधी के लिए जमानत करवाना बहुत कठिन था। अब हत्या के मामले में सभी अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। यदि कोई हत्या होती है तो विधानमंडल में उस पर बहस होती है। एक संवेदना संकल्प पारित किया जाता है। एक निगम पार्षद रूसी मेहता की हत्या की गई थी। पुलिस विभाग कहता है कि चूंकि मेहता ने उनकी सुरक्षा लेने से इंकार कर दिया था इसलिए वे मजबूर थे। लेकिन उन्होंने उन संदिग्ध व्यक्तियों के नाम दिए थे जो उन पर हमला करना चाहते थे। पुलिस विभाग ने इन संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की और इसलिए उनकी हत्या को रोका नहीं जा सका।

हमारा आसूचना विभाग क्या कर रहा है? हमारी सीआईडी—आपराधिक आसूचना विभाग में सुधार की आवश्यकता है। यदि किसी अपराधी के विरुद्ध पुलिस विभाग में शिकायत दर्ज करायी जाती है, तो वे सुनिश्चित सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं होते। सरकारी तंत्र द्वारा न्याय सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। कुशल और सख्त पुलिस अधिकारी एक स्थान पर लम्बे समय तक नहीं रह सकते। कुशल अधिकारी राजनीतिक दबावों के सामने झुकते भी नहीं हैं। सरकार को उन सख्त और कुशल पुलिस अधिकारियों को समर्थन देना चाहिए जिनमें अपराधियों से निपटने की हिम्मत है। राज्य के गृहमंत्री एक सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें इतना सज्जन भी नहीं होना चाहिये। इन्होंने धुलिया के

* राज्य में बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (14 जुलाई 1987)

शिवसैनिकों को राजनीतिक बंदी मानने का आदेश जारी किया था। लेकिन उनके अधीनस्थों ने इस आदेश की अवहेलना की। मैं उनसे इन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का आग्रह करता हूं। एक अधिकारी, जिसने थाने में दो व्यक्तियों की हत्या कर दी, को जमानत पर छोड़ दिया गया। हम महसूस करने लगे हैं कि कानून और व्यवस्था को न्यायसंगत रूप से लागू करने के लिए हम सरकारी तंत्र पर निर्भर नहीं रह सकते। मैं राज्य के गृह मंत्री से एक अन्य आग्रह करना चाहूंगा। यदि कोई नागरिक किसी अपराधी के विरुद्ध शिकायत करता है, तो उस नागरिक का नाम नहीं बताया जाना चाहिए। अपना नाम सामने आने के भय से नागरिक पुलिस के पास जाने से डरते हैं। इसी वजह से अपराधी बेखौफ हो जाते हैं। सरकार को पुलिस अधिकारियों और अपराधियों के मन में डर पैदा करना होगा अन्यथा मुख्यमंत्री का इस उच्च पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

100

विस्थापितों का पुनर्वास*

महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं:

''महाराष्ट्र राज्य परिषद सरकार से सिफारिश करती है कि बांधों और परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत की गयी भूमि का मूल्य उस भूमि की पैदावार, भूस्वामी के परिवार के सदस्यों के निर्वाह खर्च और उसके घर की अनुमानित लागत के आधार पर निर्धारित किया जाए। इस आधार पर मुआवजे का भुगतान करके भूस्वामियों का पुनर्वास किया जाना चाहिए।''

सरकार ने वर्ष 1988-89 को पुनर्वास वर्ष घोषित किया है। अतः, मैं इस संकल्प के पुरःस्थापन को समयोचित मानता हूं। यह पुनर्वास के बारे में किये गए वायदों को पूरा करने का वर्ष है।

माननीय मंत्री शिवाजीराव देशमुख अभी अपने रत्नागिरि और सिंधुदुर्ग के दौरे से लौटे हैं। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि पुनर्वास की समस्या का हल शब्दशः कानून के अनुसार नहीं किया जाना चाहिये बल्कि इससे मानवीय आधार पर तथा संवदेनशीलता के साथ निबटा जाना चाहिए। मंत्रीजी के भाषण से संकेत लेते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

1975 में पारित हुए पुनर्वास कानून में कई कमियां हैं। पुनर्वास के उपाय कानून के संदर्भ में किये जाते हैं। समय के अनुसार प्रत्येक कानून में संशोधन की आवश्यकता होती है। लेकिन यह पुनर्वास का कानून अभी तक असंशोधित रहा है। अतः इस कानून की कमियों को दूर करने के लिए मैं इसमें संशोधन आवश्यक समझता हूं।

मैं ये सुझाव देना चाहूंगा। पहले तो मैं बांध के लिए अधिग्रहीत भूमि के मूल्य के बारे में बात करना चाहता हूं। किसानों को अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप मुआवजा नहीं मिलता। वर्तमान में दिया जाने वाला मुआवजा काफी कम है और इसे बढ़ाने के लिए उन्हें आंदोलन करना पड़ता है। आंदोलन के बाद ही, किसानों को अधिक मुआवजे का भुगतान किया जाता है। वे किसान, जो आंदोलन नहीं करते उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिलता। यद्यपि मुझे कई दृष्टांतों की जानकारी है, पर मैं इसका एक दृष्टान्त ही यहां उद्धृत करना चाहता हूं। जब नयी मुम्बई का विकास हो रहा था तो निर्णय लिया गया था कि भूस्वामियों को 5000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाए। इस दर को लेकर

* परियोजनाओं के कारण विस्थापित लोगों को मुआवजा देने की प्रक्रिया में परिवर्तन करने संबंधी संकल्प प्रस्तुत करते हुए, महाराष्ट्र विधान परिषद (17 मार्च 1989)

एक उग्र आंदोलन चलाया गया जिसमें गोलीबारी हुई और कुछ लोगों की जानें भी गईं। इसके बाद व्यक्तिगत मामलों में मुआवजा बढ़ाकर 15000 और 25000 रुपये प्रति एकड़ तक बढ़ाया गया। न्हावा शेवा मामले में भी ऐसा ही हुआ। मुआवजे की दर को इस तरह निर्धारित किया जाना चाहिये कि इसके लिए आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता ही न रहे।

मुआवजे की दर निर्धारित करने के लिए सरकार को एक निश्चित प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। भूमि की कीमतों का मूल्यांकन उस समय भूमि की बाजार कीमतों के अनुसार किया जाता है। कुछ मामलों में इस प्रक्रिया पर आपत्तियां जतायी गई हैं। मुम्बई के आसपास शुरू होने वाली परियोजनाओं के मामले में भूमि के मुआवजे के मुद्दे पर गम्भीर समस्याएं पैदा होने की सम्भावनाएं हैं। नागोठाणे परियोजना मुम्बई-पुणे राजमार्ग पर शुरू होने वाली है। रेवदण्डा चेहारे और जयगढ़ के लिए परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है। यदि सरकार इन परियोजनाओं के लिए भूमि मुआवजा नीति की घोषणा कर दे तो बेहतर होगा। अभी तक परियोजना-प्रभावित किसानों को भूमि के हस्तांतरण का अनुभव संतोषजनक नहीं रहा है। कोयना परियोजना 1950 में प्रारंभ हुई थी। ऐसा लगता है कि कोयना परियोजना के लिए जिन किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गयी थी उनको वैकल्पिक भूमि देने के बारे में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। कोयना परियोजना से प्रभावित एक किसान को बोरीवली में भूमि दी गयी थी। इस भूमि का विवाद न्यायालय में घसीटा गया। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह भूमि किसी अन्य व्यक्ति की निजी सम्पत्ति है। ऐसे में कोयना परियोजना से प्रभावित व्यक्ति कहां जाए? परियोजना प्रभावित कुछ किसानों को तालोजा के पास की भूमि दी गयी थी। लेकिन यह भूमि बाद में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा अधिग्रहीत कर ली गयी।

कुछ मामलों में परियोजना-प्रभावित लोगों को भूमि दी जाती है। जब वे लोग इन स्थानों पर रहने के लिए आते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वहां आवश्यक सुविधाएं प्रदान नहीं की गयी हैं। कानून में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि परियोजना-प्रभावित लोगों को उन क्षेत्रों में भूमि दी जानी चाहिये जहां कि इन परियोजनाओं का लाभ प्राप्त होता है। सरकार द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर बने मकानों की कीमत क्या होनी चाहिये। जब पुनर्वास के लिए एक वैकल्पिक प्लाट दिया जाता है तो उस पर नया घर बनाने के लिए 2000 रुपये का ऋण दिया जाता है। इस नीति में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। सरकार को प्रस्तावित परियोजना के लिए गिराये जाने वाले उसके वर्तमान मकान का मूल्य निश्चित करना चाहिये। किसी सिंचाई परियोजना, बांध, उद्योग या सरकारी योजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। भूमि को बेचने वाला अपने परिवार को यह सोचते हुए किसी अन्य स्थान पर ले जाता है कि इस भूमि का उपयोग करके शायद कोई उसके भविष्य को बेहतर बनायेगा। जब सरकार किसी विकास कार्य के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है तो भूस्वामी को त्याग करना पड़ता है। सरकार को भूस्वामी के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। जब भूस्वामियों, जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गयी हो, के लिए सरकार द्वारा नयी पुनर्वास कालोनी (गवाथन) बसायी जाती है तो उसमें विद्यालय, श्मशान, सड़क, मार्गों पर रोशनी और पानी की आपूर्ति जैसी सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिये। जिन लोगों की भूमि अधिग्रहीत की जाती है उन्हें रोजगार भी दिया जाना चाहिये। मेरा यह दावा है कि नयी मुम्बई परियोजना में सरकार ने काफी लाभ कमाया है। किसानों से जो भूमि

5000 रुपये से 10000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अधिग्रहीत की गयी थी, उसे 2 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से बेचा गया। इतने लाभ के बावजूद पूर्व–भूस्वामियों के रोजगार का प्रावधान संतोषजनक नहीं है। भूमि अधिग्रहण संबंधी इस कानून में समग्र संशोधन किया जाना चाहिये। इसके साथ ही, इसके प्रति सकारात्मक और बुनियादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये।

मैं उजनी बांध का दृष्टांत देना चाहूंगा। इस परियोजना के कारण 15 हजार परिवार विस्थापित हुए थे। उनके शीघ्र पुनर्वास का वायदा किया गया था। इस वायदे के बावजूद, अभी तक केवल सात या आठ हजार परिवारों का पुनर्वास किया गया है। अभी भी आठ हजार परिवारों का पुनर्वास किया जाना है। पुनर्वास के उद्देश्य से स्थापित कार्यालय बंद कर दिया गया है। प्रभावित लोग बहुत गरीब हैं। उन्हें रोजगार दिये जाने के बाद ही इस कार्यालय को बंद किया जाना चाहिये था।

कल माननीय मुख्य मंत्री ने रेवदण्ड का उल्लेख किया था। इस परियोजना से सालव, संजय नगर, निदि और नई गवाथन सहित चेहारे और मिठखोर ये पांच गांव प्रभावित हुए हैं। इन पांच गांवों को विस्थापित करके स्पंज आयरन परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है। हम इस परियोजना के विरुद्ध नहीं हैं। तथापि, यदि इस परियोजना के लिए पांच गांवों को विस्थापित किया गया तो हम इसका विरोध करेंगे। सालव में 275, संजय नगर में 100, निदि में 45, चेहारे में 125 और मिठखोर में 180 परिवार रहते हैं। इन लोगों के नारियल और सुपारी के बाग हैं। यदि इनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया तो इन्हें अन्यत्र जाना पड़ेगा और बहुत घाटा और कष्ट उठाना पड़ेगा। सरकार ने इन गांवों के हितों की अनदेखी की है। यदि इन पांच गांवों के लोगों को उनकी भूमि से उजाड़ा गया, तो हम जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं छोड़ेंगे। वहां भूमि की बाजार कीमत 1 लाख रुपये प्रति एकड़ है जबकि इस परियोजना को शुरू करने वाला औद्योगिक समूह इसे 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर पर अधिग्रहीत करने वाला है। वह इस भूमि के लिए उचित मुआवजा देने को तत्पर नहीं लगता।

इन परियोजनाओं के लिए जिन लोगों की भूमि अधिग्रहीत की जाती है उन्हें रोजगार देने की कोई गारंटी नहीं दी जाती है। हम यह जानने को उत्सुक हैं कि नागोठाणे परियोजना के द्वारा कितने मराठी भाषी लोगों को ठेका दिया गया। मराठी भाषी लोगों को ये ठेके प्राप्त हों, इसके लिए एक एजेंसी स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

एक किसान परिवार को सौ या दो सौ वर्षों में अपनी भूमि से जो लगाव हो जाता है, सरकार उसके प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाती। इसीलिए आन्दोलन हुआ। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मामलों पर हमें वचन दे। विद्यमान कानून अपर्याप्त है। इसमें संशोधन किया जाए। पुनर्वास का कार्य मंत्रालय में एक विभाग द्वारा किया जाता है। इस विभाग के स्थान पर पुनर्वास के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त प्राधिकरण होना चाहिए। इस प्राधिकरण को भूमि अधिग्रहण तथा उस भूमि पर कार्य कर रहे किसानों और श्रमिकों के लिए रोजगार का प्रावधान करने के लिए उपाय करने चाहिएं। भूमि के लिए मुआवजे की दर में संशोधन किया जाना चाहिए। जिन लोगों की भूमि अधिग्रहीत की गई है उनका अधिवास योग्य सुविधाजनक स्थानों पर पुनर्वास किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस संकल्प को स्वीकार करें और तदनुसार कार्यवाही करें।

मीडिया कर्मियों के साथ

मीडिया को सम्बोधित करते हुए

मीडिया के लोगों से बात करते हुए

तेरहवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र के समापन पर संवाददाता सम्मेलन
को सम्बोधित करते हुए, 22 अगस्त 2003

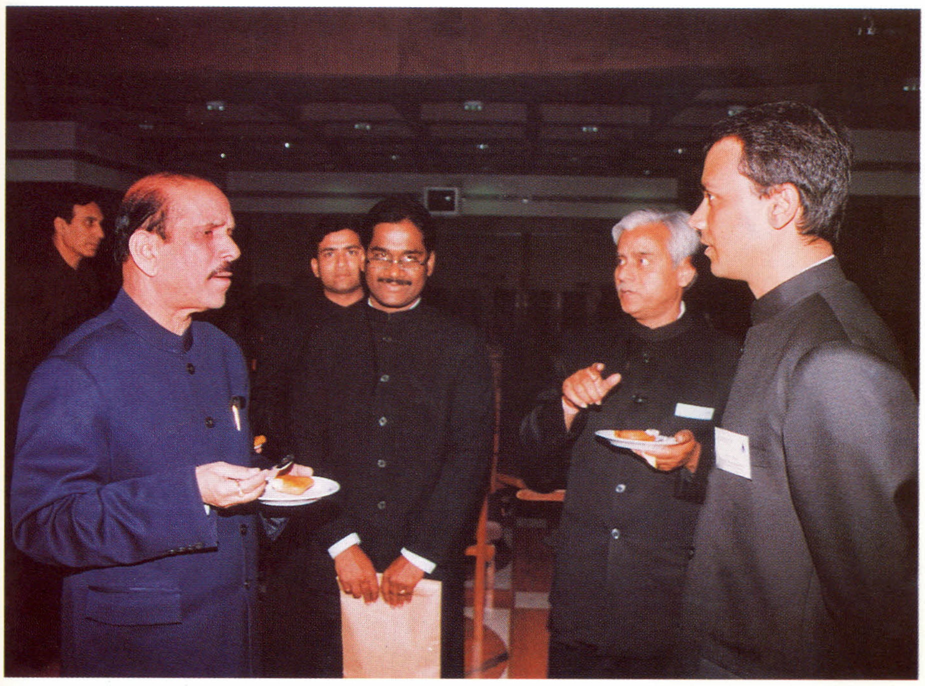

संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो द्वारा संसदीय प्रक्रिया और पद्धति के बारे में आयोजित परिबोधन पाठ्यक्रम में भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षार्थियों के साथ, नई दिल्ली, 10 मार्च 2003

पार्लियामेन्टेरियन्स क्रिकेट टीम और एमेच्योर XI के बीच क्रिकेट मैच का उद्‌घाटन करते हुए, नई दिल्ली, 24 नवम्बर 2002

कांस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली, 1 जून 2002

द्रोणाचार्य श्री रमाकान्त अचरेकर को *खेल रत्न पुरस्कार* प्रदान करते हुए,
10 मई 2003

नव वर्ष के अवसर पर 'फ्रैन्ड्स आफ दि वर्ल्ड' नामक संगठन से आए बच्चों के साथ, 1 जनवरी 2003

अपने आवास पर नासिक कालेज से आए विद्यार्थियों के साथ, नई दिल्ली, 17 फरवरी 2003

अपने आवास पर शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर के पत्रकारिता और संचार विज्ञान के स्नातक पाठ्यक्रम के छात्रों के साथ, नई दिल्ली, 21 फरवरी 2003

आर्यावर्त स्पोर्ट्स क्लब में पुरस्कार प्रदान करते हुए, नई दिल्ली, 10 मई 2003

'स्पीकर्स डायरी' नामक अपनी पुस्तक पर हस्ताक्षर करते हुए

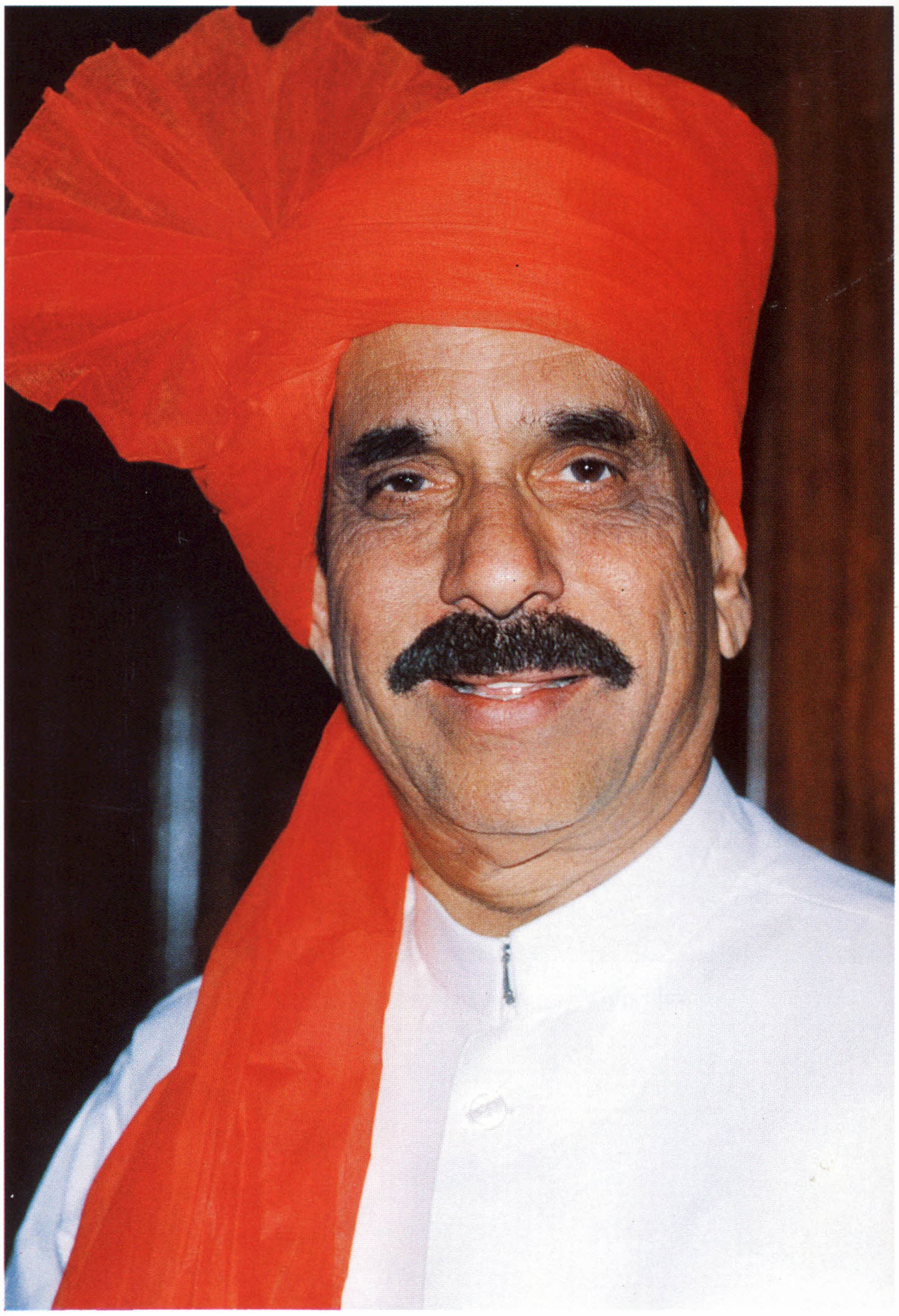

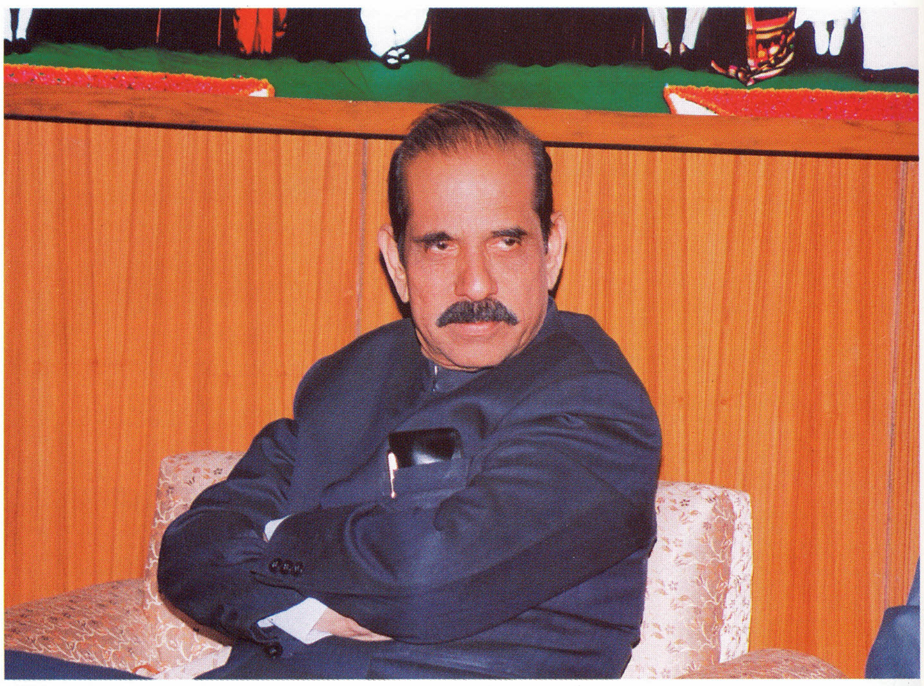

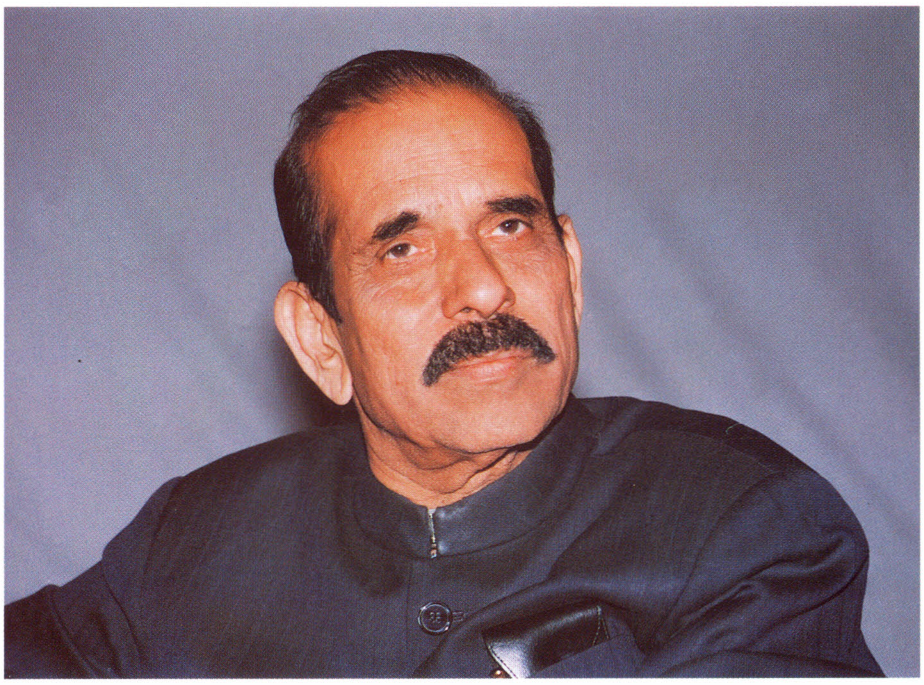

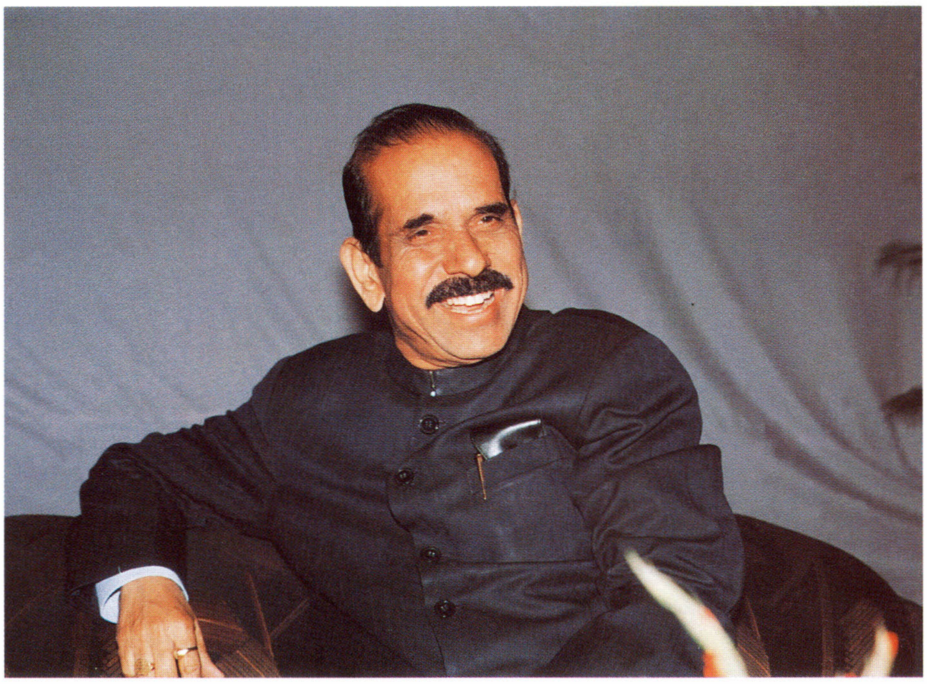

101

कामगारों का कल्याण*

महोदय, मैं नियम 101 के अधीन निम्नलिखित विषय पर अल्पकालिक चर्चा के प्रस्ताव पर बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं:

"पुलिस ने हिंगाना इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थित नागपुर ऐलाय कास्टिंग कंपनी में आन्दोलनरत कर्मचारियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस गोलीबारी में दो कामगार मारे गए और अनेक गंभीर रूप से घायल हुए। उक्त कंपनी के प्रबंधन ने उड़ीसा राज्य के पुरी जिले से रेलवे द्वारा इकतालीस कामगारों को लाने और पुलिस विभाग की मिलीभगत से उन्हें इस कंपनी में भर्ती करने का प्रयास किया। इस घटना से हिंगाना इंडस्ट्रियल एस्टेट में आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया है। अत:, प्रशासन से अनुरोध है कि वह हिंगाना इंडस्ट्रियल एस्टेट में व्याप्त तनाव को दूर करने के लिए कार्यवाही करे।"

महोदय, मैं हिंगाना इंडस्ट्रियल एस्टेट में नागपुर ऐलाय कास्टिंग कंपनी के आन्दोलनरत कर्मचारियों पर 2 अगस्त को हुई गोलीबारी के संवेदनशील मुद्दे पर वाद-विवाद शुरू करना चाहता हूं। इस फैक्टरी के कामगारों पर 2 अगस्त की मध्यरात्रि और 3 अगस्त की प्रात: गोलीबारी की गई। इस गोलीबारी में सदाशिव राजेन्द्र जेना (आयु 24 वर्ष) और हरमोहन सेनापति (आयु 32 वर्ष) की जानें गयीं। इस गोलीबारी में कई कामगार गंभीर रूप से घायल हुए। इन कामगारों के लिए 2 अगस्त की रात भयावह रात रही। यह कंपनी महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्र में स्थित है। यह कंपनी स्थानीय लोगों की भर्ती नहीं करती। मेरी जानकारी के अनुसार इस कंपनी के 90 प्रतिशत कर्मचारी अन्य राज्यों के हैं। इस कंपनी में भर्ती कर्मचारी मुख्यत: बिहार और उड़ीसा के हैं। इस कंपनी में कर्मचारी ठेके पर रखे जाते हैं और लगता है कंपनी की नीति है कि इन कर्मचारियों को कभी भी स्थायी न किया जाए। यहां कर्मचारियों के नेताओं ने कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग की। यह आरोप लगाया गया है कि कंपनी प्रबंधन ने पुलिस विभाग को आन्दोलनरत कर्मचारियों पर गोलीबारी के लिए उकसाया।

मुझे अपनी पहली आपत्ति दर्ज करनी है। पुलिस विभाग द्वारा नियोक्ता के प्रति पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर इस विवाद में हस्तक्षेप करना गलत था। पुलिस ने नियोक्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की हालांकि वे उनकी काली करतूतों को जानते थे। मैं भारतीय कामगार सेना द्वारा

* नागपुर में नागपुर ऐलाय कास्टिंग कंपनी के आन्दोलनरत कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी के बारे में अल्पकालिक चर्चा में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र विधान सभा (8 अगस्त 1990)

28 जुलाई को जारी वक्तव्य उद्धृत कर सकता हूं। इस वक्तव्य में आरोप लगाया गया है कि नियोक्ता कर्मचारियों के विरुद्ध झूठे मामले दर्ज करा रहे हैं। इस वक्तव्य में संबंधित कर्मचारियों को संरक्षण और पुलिस मामलों को वापस लेने का आग्रह किया गया था। प्रबंधन और उसके गुंडों ने कर्मचारी नेताओं और कर्मचारियों को उनके घरों से उठाया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। कर्मचारियों ने मांग की कि ठेका प्रणाली समाप्त की जाए। आन्दोलनकारियों ने उक्त वक्तव्य 28 जुलाई को पुलिस आयुक्त को सौंपा। लेकिन फिर भी पुलिस विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसके कारण 2 अगस्त को गोलीबारी हुई। पांच दिन पूर्व आगाह किए जाने के बावजूद पुलिस विभाग ने कार्यवाही क्यों नहीं की। इस दुखद घटना को टालने के लिए एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए गए? श्रम मंत्रालय कर्मचारियों की ठेका प्रणाली समाप्त करने की मांग की निरन्तर अनदेखी करता रहा है। मेरा मानना है कि ठेका प्रणाली को सम्पूर्ण महाराष्ट्र से समाप्त किया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने इस कंपनी को 1.5 करोड़ रुपए से 2.5 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया और उसे भूमि प्राप्त करने में सहायता की। मेरा मानना है कि यह राज्य सरकार का कर्त्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि इस कंपनी की उपस्थित पंजिका में नागपुर के स्थानीय कर्मचारियों के नाम दर्ज कराए। ग्राम निहदोह हिंगाना से दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाहर से कुछ लोग बस द्वारा हिंगाना एस्टेट लाएं जाते हैं। ये लोग रहने के लिए इस गांव में जाते हैं और अगले दिन पुलिस के सिपाही उन्हें हिंगाना काम पर जाने के लिए कहते हैं। मैंने अन्यत्र कहीं ऐसा पुलिस हस्तक्षेप नहीं देखा है। मैं जोर देकर सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह इस कंपनी को स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए निर्देश दे। इस गोलीबारी में दो कर्मचारियों को बिना किसी गलती के अपनी जान गंवानी पड़ी है। सरकार को इन दो कर्मचारियों की मौत के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। इस घटना के लिए जिम्मेदार सहायक पुलिस आयुक्त और उपनिरीक्षक को तत्काल निलंबित किया जाए। जिन पुलिस अधिकारियों ने बिना किसी औचित्य के गोलीबारी की है, उन्हें सेवा में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। घटनास्थल का दौरा करने गए राज्य मंत्री, श्री रणजीत देशमुख ने राय व्यक्त की है कि गोलीबारी अवांछित थी। मैं इसे सरकार की राय भी मानता हूं। अतः इन दो अधिकारियों के कार्यालय में आने पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। मैं यह आरोप लगाता हूं कि पुलिस आयुक्त ने अपने कार्य का निर्वहन नहीं किया। पहले भी गोलीबारी की ऐसी घटना घटी थी जब एक मोर्चा के बावजूद उन्हें अपने कर्त्तव्य निर्वहन में लापरवाह पाया गया था। मेरी मांग है कि उन्हें नागपुर शहर से हटाया जाए। इस गोलीबारी की न्यायिक जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया जाए। मैं उन दो कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देता हूं जो इस गोलीबारी में मारे गए हैं।

मुम्बई शहरी विकास नियम*

मैं निम्नलिखित प्रस्ताव, प्रस्तुत करने की अनुमति मांगता हूं—

''सरकार ने हाल ही में मुम्बई के विकास के लिए नियम अधिसूचित किए हैं। मिल मालिकों को अपनी भूमि बेचने की अनुमति दे दी गयी है। इससे मिल में काम करने वालों के मन में अपनी नौकरी की सुरक्षा के विषय में भय और रोष व्याप्त है। अत: सरकार से अनुरोध है कि वह इस संबंध में समुचित उपाय करे।''

महोदय, मुझे इस संकल्प की पृष्ठभूमि स्पष्ट करने की अनुमति दी जाए। कुछ सदस्य ऐसा महसूस कर सकते हैं कि यह वाद-विवाद मुम्बई के विकास नियम से संबंधित नहीं है। इन नियमों की प्रचार विज्ञप्ति में कहा गया था:

''मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति की कई बैठकें हुई थीं। शहरी विकास विभाग और मुख्य मंत्री के बीच विचार-विमर्श हुआ। इस विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप बृहन्मुम्बई नगर निगम के लिए नये विकास विनियमन नियम तैयार हुए। ये नियम 20 फरवरी 1991 को महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए थे।''

इसका तात्पर्य है कि ये नियम सचिवों या शहरी विकास विभाग द्वारा नहीं बनाए गए थे। इन्हें मुख्य मंत्री के मार्गदर्शन में अन्तिम रूप दिया गया था। अतएव, इन नियमों पर गंभीरता से वाद-विवाद करने की आवश्यकता है।

मैंने इन नियमों को पूरा पढ़ा है। इन नियमों में भवन निर्माताओं को कई रियायतें दी गयी हैं। इन रियायतों से इस शहर की बेतहाशा वृद्धि का खतरा है। मैंने स्वयं इन नियमों को अधिसूचित करने पर जोर दिया था। इन नियमों के अंतर्गत भवन निर्माताओं और डेवलपर्स को दी गयी रियायतों और सुविधाओं के परिणामस्वरूप मुम्बई की आबादी अगले दस वर्षों में एक करोड़ से बढ़कर दो करोड़ हो सकती है। महोदय, यह शहर दो करोड़ लोगों का भार कैसे वहन कर पाएगा? क्या माननीय मंत्री मुम्बई शहर को मछली की टोकरी समझते हैं? इतने लोगों को जगह दी जानी है। उन्हें बिजली और पानी की आपूर्ति करने की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि इन लोगों को शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के बारे में कुछ विचार नहीं किया गया है। इन नियमों से मुम्बई में अफरा-तफरी मच

* मुम्बई शहरी विकास नियमों और मिल मालिकों को जमीन बेचने हेतु दी गई अनुमति के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए, महाराष्ट्र विधान सभा (19 मार्च 1991)

सकती है। मुझे आशंका है कि इतनी बड़ी आबादी के कारण कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। जब मैं मुम्बई का मेयर था तब मैंने "स्वच्छ मुम्बई-हरी-भरी मुम्बई" का नारा दिया था... शहरी विकास मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियम मुम्बई शहर को अल्पकाल में बर्बाद कर सकते हैं।

महोदय, इन नियमों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। कृपया मुझे अपनी आपत्तियों को व्यक्त करने की अनुमति दीजिए। हालांकि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुम्बई है, फिर इन नियमों को मराठी में प्रकाशित क्यों नहीं किया गया? इन नियमों को विधानसभा का सत्र आरम्भ होने पर अधिसूचित क्यों किया गया? इन नियमों को बनाए जाने की पहल 1983 में की गयी थी। 1983 में बृहन्मुम्बई नगर निगम ने भी विकास नियमों पर आपत्तियां मंगायी थीं। समिति ने अपना प्रतिवेदन 1985 में प्रकाशित किया था। डिसूज़ा समिति की रिपोर्ट 1987 में सार्वजनिक हुई थी। इन नियमों को सात वर्ष तक कार्यान्वित नहीं किया गया। इन नियमों पर चर्चा के लिए वाद-विवाद क्यों नहीं हुआ? इन नियमों को पिछले दरवाजे से क्यों लागू किया गया? इन नियमों के बारे में शहरी विकास मंत्री ने एक प्रेस कांफ्रेंस क्यों नहीं बुलाई? इन नियमों को किसी अधिकारी ने अधिसूचित कर दिया। मुझे लगता है कि सरकार लोगों का सामना करने से घबरा रही है।

महोदय, समय की कमी के कारण मैं केवल प्रमुख मुद्दों पर ही बात कहूंगा। मुझे इन नियमों की कुछ अच्छी विशेषताओं का अवश्य उल्लेख करना है। एक हेक्टेयर में दो सौ ब्लाक का प्रावधान अच्छा है। 150/200/250 वर्ग फीट क्षेत्र के ब्लाक जो निम्न आय और मध्यमवर्गीय लोगों के लिए अब तक उपलब्ध नहीं थे, अब उपलब्ध हो सकेंगे। सरकार ने ऐतिहासिक भवनों का संरक्षण करना उचित समझा है। इन ऐतिहासिक भवनों के संदर्भ में आपत्ति आमंत्रित करने वाला विवरण प्रेस में अधिसूचित किया गया है। इस शहर में पुराने भवनों का संरक्षण किया जाना चाहिए। भवन निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे भवनों में प्रकाश की व्यवस्था करें, मलेरिया निवारण के लिए पानी के टैंक सील करे, भूतल पर डाक बक्से लगाएं ताकि डाकियों को ऊपर न जाना पड़े, सामूहिक टीवी एन्टीना लगाएं और समाज कल्याण केन्द्र इत्यादि की व्यवस्था करें।

मैं सरकार के साथ तर्क नहीं करना चाहता। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह विपक्षी दलों को विश्वास में ले। सरकार को विपक्ष द्वारा दिए गए सुझावों पर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि एफएसआई के उपबन्ध कुछ खास भवन निर्माताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। इन नियमों की दस हजार प्रतियां दस दिनों में बिक गयीं। ये नियम अब सरकारी प्रेस में उपलब्ध नहीं हैं। इस सभा के सदस्यों को इन नियमों की प्रतियां नहीं मिल रहीं। इन प्रतियों को भवन निर्माताओं और वास्तुविदों ने झपट लिया है। एफएसआई को बढ़ाने के तेरह रास्ते खोजे गए हैं। बाई लेन में भवन, अस्पताल और वृद्धाश्रमों को शत-प्रतिशत एफएसआई माना गया है। एफ और जी क्षेत्रों में होटलों को 50 प्रतिशत एफएसआई की अनुमति दी गयी है। उपनगरीय क्षेत्रों को शत प्रतिशत एफएसआई की अनुमति है। झुग्गी-झोपड़ियों को स्थान आरक्षण की अनुमति दी गयी है। डेवलपमेंट अधिकारों को हस्तांतरणीय बना दिया गया है। महिलाओं के लिए छात्रावासों, सांस्कृतिक केन्द्रों, लिफ्टों तथा दो-तिहाई मिल परिसरों को इन नियमों के द्वारा 2500 वर्गमीटर की अनुमति दी गयी है। आरक्षित क्षेत्रों के लिए एफएसआई आधे के स्थान पर एक है।

कुछ अच्छी भवन निर्माण परियोजनाओं को प्रोत्साहन देना होगा। हम अस्पतालों के निर्माण पर कभी आपत्ति नहीं करेंगे। होटलों को अधिक एफएसआई की अनुमति क्यों दी जाती है? होटलों के लिए अधिक एफएसआई की अनुमति देना गलत है। पचास-साठ प्रतिशत कमरे हमेशा खाली रहते हैं। होटलों के लिए एफएसआई बढ़ाना इसलिए भी ठीक नहीं है क्योंकि चालू वर्ष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। महोदय, शिव सेना प्रमुख ने मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को स्थान देने पर जोर दिया था। हम बिल्डरों को अतिरिक्त एफएसआई देने और मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को जगह देने से मना करने के सरकार के कदम का विरोध करेंगे। समुद्र तट पर भवन बनाने हेतु श्रीमती इन्दिरा गांधी के निर्देशों की अवहेलना की गई है। समुद्र तट पर बड़े पैमाने पर भवन निर्माण की अनुमति दी गई है। सरकार ने विकेन्द्रीकरण की नीति की अवहेलना की है और इन नियमों की धारा 59 के तहत समुद्र तट पर उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी गई है।

मैं हस्तांतरणीय विकास अधिकारों और व्यापक आरक्षण का स्वागत करता हूं। संसाधनों की कमी के कारण पिछली विकास योजना लागू नहीं की जा सकी। सरकार ने मिल परिसरों से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया है। हमारा आग्रह है कि आम आदमी को मिलों के इन खुले स्थलों से लाभ मिलना चाहिए। तथापि, इन विकास नियमों में ऐसे लाभ का प्रावधान नहीं है। मुख्य मंत्री और शहरी विकास मंत्री ने सचिवों को समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया।

सभी शक्तियां अधिकारियों को दे दी गई हैं जबकि जन प्रतिनिधियों को उनकी शक्तियों से वंचित कर दिया गया है। बृहन्मुम्बई नगर निगम के नगर प्रमुखों (सिटी फादर्स) की शक्तियां ले ली गई हैं। हम इस कदम का विरोध करते हैं। सरकार ने मुम्बई में बाहर के लोगों के भारी संख्या में आगमन को रोकने के लिए कुछ नहीं किया है। मैं देख रहा हूं कि सरकार प्राइवेट भवनों की वृद्धि को रोकने में असमर्थ है। ...हम यह महसूस करते हैं कि मुम्बई को मुक्त पत्तन बनाने का प्रस्ताव है। हम इस प्रस्ताव को कभी सफल नहीं होने देंगे।

निजीकरण—वरदान या अभिशाप?*

सर्वप्रथम, मैं उन बातों का उल्लेख करता हूं जिन्होंने मुझे इस संकल्प को लाने के लिए प्रेरित किया:

> "महाराष्ट्र सरकार ने विद्युत उत्पादन, राजमार्गों के निर्माण और शहरी परिवहन के क्षेत्रों में गैर-सरकारी क्षेत्र को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देने का नीतिगत निर्णय किया है। हमें निजीकरण के अनुभव को भी ध्यान में रखना होगा। इसलिए हमें निजीकरण के उपाय को लागू करने से पूर्व निजीकरण के रास्ते में आने वाली कमियों और दोषों को दूर करना होगा।"

ऐसा लगता है कि इस सरकार ने अपनी बुनियादी नीति, समाजवादी व्यवस्था में संशोधन किया है। समाज के वंचित लोगों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए समाजवादी व्यवस्था की संकल्पना की गई थी। यह जानना आवश्यक है कि इस सरकार ने अपनी बुनियादी नीति में संशोधन क्यों किया और निजीकरण की राह क्यों चुनी...

जब महाराष्ट्र सरकार का इरादा बुनियादी नीति में संशोधन करने का है तो सरकार को इन माननीय सभा को विश्वास में लेना चाहिए। दुर्भाग्यवश, सरकार ने इस मुद्दे पर वाद-विवाद न तो विधान सभा में कराया और न ही विधान परिषद में मैंने इस पर वाद-विवाद करवाना आवश्यक समझा... मुझे यह पढ़कर आश्चर्य हुआ कि कुछ योजनाओं को हमेशा के लिए गैर-सरकारी अभिकरणों को हस्तांतरित किया जाता है। सरकार को हमें जन प्रतिनिधियों के रूप में विश्वास में लेना चाहिए। मैं इस सरकार को स्मरण कराना चाहता हूं कि वे एक अभिरक्षक के रूप में कार्य करें। कोई अभिरक्षक अपने प्रभाराधीन संपत्ति को किसी दूसरे को नहीं सौंप सकता। ऐसी कार्रवाई पर चर्चा की जानी चाहिए और जन-प्रतिनिधि होने के नाते हमें अवगत कराया जाना चाहिए।

मैं समझता हूं कि आधारभूत कार्यों को करने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को इन आधारभूत कार्यों को करने के लिए संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, सड़कें, पुल, विद्युत उत्पादन, परिवहन, पत्तन, गोदी इत्यादि सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं। जब इन क्षेत्रों में सरकार निजी क्षेत्र की भागीदारी चाहती है तो इसका अर्थ निजीकरण है। निजीकरण की

*विद्युत उत्पादन और अन्य क्षेत्रों में निजीकरण के संबंध में संकल्प प्रस्तुत करते हुए, महाराष्ट्र विधान सभा (22 मार्च 1991)

सीमाओं को निर्धारित करना आवश्यक है। जिन क्षेत्रों का निजीकरण किया जाना है उनके बारे में जन-प्रतिनिधियों से सलाह करनी चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि उपकर, पथकर, सुधार लेवी वसूलने और विज्ञापन का अधिकार निजी कंपनियों को क्यों दिया जा रहा है। सरकार निजी कंपनियों को भूमि सौंपने पर विचार कर रही है। मुझे संदेह है कि क्या सरकार निजी कंपनियों को भूमि सौंपने के लिए अधिकृत है। मुझे शंका है कि कहीं सरकार विधान भवन के भू-तल को शापिंग आर्केड के लिए न सौंप दे। सरकार, मंत्रालय के भू-तल को कुछ दुकानों को सौंप सकती है ताकि वह इससे प्राप्त धन का इस्तेमाल कहीं पर नहरों की खुदाई के लिए कर सके।

निजीकरण एक ऐसी मौन क्रांति है जिसने पूरे विश्व को अपने गिरफ्त में ले रखा है। 50 से भी अधिक देश किसी न किसी प्रक्रिया के जरिए, चाहे वह राज्य उपक्रमों को बेचने का हो या कृषि अथवा औद्योगिक क्षेत्रों को विनियंत्रित करने अथवा सरकारी सेवाओं को अनुबंध पर देने की, इस कार्य में बहुत तेजी से संलग्न है।

निजीकरण की संकल्पना ही विदेशों से आई है। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ब्राजील, तुर्की, बंग्लादेश और अब रूस और चीन जैसे साम्यवादी देशों ने निजीकरण की व्यवस्था अपना ली है। 28 अप्रैल, 1989 को महाराष्ट्र सरकार ने निजीकरण के बारे में अपना पहला वक्तव्य दिया था। सरकार को रख-रखाव और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी निजी कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आय की विवरणियां निर्धारित करने हेतु नौकरशाहों के एक टैरिफ कमिशन को नियुक्त करना था। पहली घोषणा विद्युत उत्पादन संबंधी परियोजना को निजी कंपनियों को सौंपने के बारे में की गई थी। सरकार ने निजी कंपनियों को सौंपे जाने वाले ऐसे उपक्रमों की सूची दी थी। मेरी आपत्ति यह है कि सरकार उन उपक्रमों का निजीकरण कर रही है, जो इस सूची में सम्मिलित नहीं हैं। इन उपक्रमों के अन्तर्गत ताप विद्युत केन्द्र, नरिमन प्वाइंट स्थित वाहन स्टैंड, ब्रांद्रा स्थित इन्टरनेशनल कन्वेंशन सेन्टर, मुम्बई-धर्मतर, मुम्बई-दरियापुर, मुम्बई-मांडवा जैसी सड़कें, राजापुर और बानकोट चैनलों में फेरी नौका सेवाएं, वन पत्तनों पर गोदी, डाभोल, जयगढ़, विजयदुर्ग और मोवर-टेरखोल स्थित चैनल आते हैं। सरकार ने उन लघु पत्तनों की सूची भी दी जिनका निजीकरण किया जाना है। इस सूची में मांडवी, धर्मतर, दरियापुर, वसई, भयांदर, जयगढ़ और विजयदुर्ग सम्मिलित थे। सरकार अन्य पत्तनों को भी निजीकरण हेतु सौंपने जा रही है। मैंने समाचार-पत्रों में यह पढ़ा है कि डा. पद्मसिंह पाटील ने पर्यटन विभाग के विश्राम गृहों, जलपान गृहों और सिंचाई परियोजनाओं का निजीकरण करने की सरकार की योजना की घोषणा कर दी है।

मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या महाराष्ट्र सरकार ऐसा करने के लिए सक्षम है? क्या यह कदम संवैधानिक है? लगता है महाराष्ट्र सरकार ने इन कदमों के परिणामों के बारे में कुछ नहीं सोचा। महोदय, सरकार के इस निर्णय की घोषणा 30 जून, 1989 को की गई थी। मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार इस निर्णय के विरुद्ध कैसे कार्रवाई कर रही है। सरकार के मस्तिष्क में यह बात है कि मुम्बई में ऐसा करने के बाद वह पिछड़े जिले गढ़चिरौली की दो परियोजनाओं को निजी कंपनियों को हस्तांतरित करेगी। निजी कंपनियां लाभप्रद परियोजनाओं की मांग कर रही हैं और सरकार भी

इसके लिए तैयार है। सरकार की मंशा घाटे में चल रही परियोजनाओं को अपने पास रखने की है। 30 जून, 1989 को सरकार ने निजी कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित करने के निर्णय की घोषणा की थी। परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित की जानी थी और क्षेत्रीय संतुलन हेतु परियोजनाओं को लाया जाना था। उद्यमियों से वह अपेक्षा की गई थी कि वे 14 प्रतिशत से ज्यादा लाभ नहीं कमायेंगे। सरकार के पास निजी कंपनियों के लाभ को 14 प्रतिशत के स्तर पर नियंत्रित करने की कोई योजना नहीं है। यह कहा गया था कि भूमि का स्वामित्व निजी कंपनियों को नहीं सौपा जाएगा। फिर भी, सरकार ऐसा कर रही है। अतएव, इस मुद्दे पर सभा में वाद-विवाद कराए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने परियोजनाओं को निजी कंपनियों को सौंपने के दौरान स्थानीय लोगों को रोजगार देने की अपनी शर्त की अनदेखी की है।

मैं इस सभा का ध्यान एक मौलिक बिन्दु की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आपसे सरकार को निर्देश देने का अनुरोध करता हूं। इस सभा को निजी कंपनियों द्वारा निष्पादित की जा रही परियोजनाओं पर चर्चा करने का अधिकार होना चाहिए। विश्वविद्यालयों को स्वायत्ता प्रदान की गई है और इसलिए विश्वविद्यालयों की समस्याओं पर इस सभा में चर्चा नहीं की जाती है। मुझे आशंका है कि इस सभा के सदस्यों को निजी कंपनियों द्वारा संचालित की जा रही परियोजनाओं को देखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आज ये निजी कंपनियां सस्ती दरों पर अपना कार्य कर रही हैं। कल ये अत्यधिक लाभ कमाने के लिए मुकदमे का सहारा ले सकती हैं। सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह इस बारे में निर्णय ले कि निजी कंपनियों पर क्या प्रतिबंध लगाए जाएं। दो वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार ने इन प्रतिबंधों पर चर्चा नहीं की है। यह कहा जाता है कि सत्यगिरि नौवहन कंपनी फेरी सेवा दे रही है जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। इस कंपनी के जलपोत मुम्बई पत्तन के निकट कभी दिखाई नहीं दिए। यह घोषणा की गई थी कि मुम्बई-गोवा नौवहन सेवा शुरू की जाएगी। कोंकण के लोगों को इस कदम से खुशी हुई। परन्तु वे जल पोत कहां हैं? अरब सागर में तैरने वाले होटल खोले जाने थे। गत दो-तीन वर्षों के दौरान बहुत सी घोषणाएं की गईं; तथापि आज तक कुछ नहीं हुआ। लोक निर्माण विभाग ने घोषणा की थी कि निजी बिल्डरों द्वारा बहुत सी सड़कें बनायी जायेंगी। किंतु, जयसिंगपुर बाईपास रोड के अतिरिक्त किसी सड़क का निर्माण नहीं किया गया... दो परियोजनाएं, जिन्हें महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा सरलता से चलाया जा सकता था उन्हें निजी कंपनियों को सौंप दिया गया है। उरान में टरबाइन तथा खापरखेड़ा की इकाई का निजीकरण कर दिया गया है। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं। 27 नगरों में शहरी परिवहन का निजीकरण करने का निर्णय लिया गया है। क्या सरकार ने इस मामले पर इन नगरों के नगर निकायों के साथ चर्चा की है? मुम्बई में सड़कों के निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी... मुम्बई पत्तन न्यास ने अपनी सड़कें सौंपने से इंकार कर दिया है, इसलिए दुर्भाग्यवश मुम्बई में सड़कों का मामला लम्बित पड़ा हुआ है। निजीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। यदि यह पिछले दरवाजे से किया जाता है तो इससे समस्याएं पैदा होंगी। निजीकरण पारदर्शी तथा भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। यदि आपको लोगों का समर्थन चाहिए तो आपको लोगों को और इस सभा को विश्वास में लेना चाहिए।

खापरखेड़ा की 3 और 4 इकाइयों में प्रत्येक की क्षमता 420 मेगावाट है। उरान के टरबाइन सेट की क्षमता 820 मेगावाट है। इन इकाइयों को निजी कंपनियों को सौंपने का निर्णय लिया गया है और इसका अनुमानित परिव्यय 1650 करोड़ रुपए है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एम एस ई बी) की परिसम्पत्तियां 6141 करोड़ रुपए की हैं और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 6146 मेगावाट है। क्या आप समझते हैं कि एम एस ई बी खापरखेड़ा और उरान की परियोजनाओं को चलाने में असमर्थ है? सरकार इसके लिए संसाधनों की कमी का एक कारण बता सकती है। एम एस ई बी को 400 करोड़ रुपए की बकाया राशि की वसूली करनी चाहिए। संसाधन कई तरह से जुटाये जा सकते हैं। हमें निजीकरण को केवल अंतिम उपाय के रूप में ही देखना चाहिए। जब सरकार के पास कोई संसाधन न हो तो निजीकरण के बारे में विचार किया जा सकता है। सरकारी इकाइयों का निजीकरण करते हुए कृपया सार्वजनिक क्षेत्र को हतोत्साहित न करें। महाराष्ट्र सरकार को रूस में गोर्बाचेव द्वारा अपनाई गई निजीकरण की नीतियों की नकल नहीं करना चाहिए। मैं प्रधान मंत्री चन्द्रशेखर, जो मुख्यमंत्री के मित्र हैं, के विचार उद्धृत करना चाहता हूं जिन्होंने महसूस किया था कि एक निश्चित सीमा से अधिक निजीकरण भविष्य के लिए देश को गिरवी रखना है। निजीकरण दक्षता बढ़ाने तथा नौकरशाही का दबाव कम करने के लिए अच्छा हो सकता है। यदि संसाधनों तथा कच्चे माल की कमी से ग्रस्त एकक निजी उद्यमियों को सौंप दिया जाता है तो इससे कुछ एककों का एकाधिकार हो सकता है और यह निश्चित रूप से खतरनाक है। यही बात श्री चन्द्रशेखर ने कही है। मेरा अनुरोध है कृपया निजीकरण न करें, कृपया महाराष्ट्र को गिरवी न रखें।

104

सूखा राहत*

नागपुर में आयोजित इस सत्र का यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुझे उम्मीद थी कि अकाल पर हो रही चर्चा को सुनने के लिए मुख्यमंत्री सभा में उपस्थित रहेंगे। मुझे इस नियम की जानकारी है कि यदि संबंधित विभाग के मंत्री सभा में उपस्थित हो, तो यह पर्याप्त है। यहां तक कि किसी एक मंत्री की उपस्थिति भी पर्याप्त है। जब समूचे राज्य से जुड़े मुद्दे पर बहस हो रही हो और जब लोग मार्गनिर्देशन के लिए बेसब्री से सभा की ओर देख रहे हों, तो मुख्यमंत्री के लिए सभा में उपस्थित होना जरूरी हो जाता है। मेरा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि वे मुख्यमंत्री को सभा में उपस्थित रहने को कहें। इस संकल्प का स्वरूप ऐसा है कि किसी भी मंत्री की उपस्थिति से नहीं वरन् सम्बद्ध विभाग के मंत्री की उपस्थिति से ही काम चलेगा। जब अकाल के बारे में चर्चा हो रही हो, तो सभा में कम से कम चार संबंधित मंत्रियों की उपस्थिति अनिवार्य है। राजस्व मंत्री प्रत्यक्ष तौर पर अकाल से संबंधित हैं। ग्रामीण विकास मंत्री को इस बहस को सुनने की जरूरत है। खाद्यान्न और खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति का महत्वपूर्ण विषय, खाद्य मंत्री की उपस्थिति को जरूरी बना देता है। सिंचाई मंत्री और रोजगार गारण्टी योजना मंत्री को भी इस चर्चा पर ध्यान देना चाहिए। अकाल का मुद्दा बहुत गंभीर है। इसमें वित्त मंत्री की उपस्थिति भी जरूरी है। एक ओर जहां अकाल के विषय पर चर्चा हो रही है, राज्य में चोरी के मामले बढ़ रहे हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये गृह राज्य मंत्री को सभा में उपस्थित रहना चाहिये था। कुछ मंत्रियों की आवश्यक कार्य हेतु विधान परिषद में उपस्थिति आवश्यक होगी, लेकिन मुख्यमंत्री जिनके कंधों पर सरकार का उत्तरदायित्व है, उन्हें सभा में उपस्थित रहना चाहिए था।

सर्वप्रथम मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। मैं अकाल पर किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से बात नहीं करना चाहता। मैं कांग्रेस या विपक्षी दलों के प्रदर्शन पर नहीं जाना चाहता। महाराष्ट्र में और विशेषकर विदर्भ और मराठवाड़ा में ऐसा अकाल कभी भी नहीं पड़ा है। सभा को पूरी गंभीरता से इस चर्चा में भाग लेना चाहिए और उपाय सुझाने चाहिए ताकि राज्य सरकार की ओर से राज्य की तीन-चौथाई जनसंख्या को राहत सहायता मिल सके। मुख्यमंत्री ने औरंगाबाद में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद घोषणा की थी कि राज्य का तीन-चौथाई हिस्सा अकाल की चपेट में है। अकाल से उबरने हेतु विपक्षी दलों को सरकार को उपाय सुझाने हैं। सत्ताधारी दल के सदस्यों को भी इस संबंध में सुझाव देना है। अकाल का सामना करने के लिये नीति बनाते समय इन सभी सुझावों को ध्यान में रखना चाहिए।

* विदर्भ और मराठवाड़ा में सूखे की स्थिति पर प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये, महाराष्ट्र विधान सभा (5 दिसम्बर 1991)

दुर्भाग्यवश यह नहीं हो सका। मैंने माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस बारे में अध्यक्ष महोदय, सोमवार को अपना विनिर्णय देने पर सहमत हो गए हैं। मैं एक बात साफ करना चाहूंगा कि अकाल का मुद्दा महाराष्ट्र के कुछ वाकपटु लोगों से नहीं वरन् लाखों बेजुबान लोगों से संबंधित है। कस्बों और शहरों के वाकपटु लोग संगठित होकर अपनी समस्याओं को मुखरित कर सकते हैं। उनके मुद्दे समाचार पत्रों के माध्यम से प्रभावी ढंग से उठाए जाते हैं। समस्याओं के हल के लिये विभिन्न मजदूर संघ बनाये जाते हैं। अकाल की समस्या किसानों और कृषि मजदूरों से संबंधित है। वे अपनी शिकायतों को साफ तौर पर व्यक्त नहीं कर पाते। मैं राज्य की 75% मूक जनता का मुद्दा उठा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मंत्री इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेंगे।

मैं इस प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करता हूं। सभा की मंत्रणा समिति इस विषय पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय आवंटित करने पर सहमत हो गई है। चूंकि मुख्यमंत्री ने आज ही चर्चा पूरा करने पर जोर नहीं दिया है, इस लिये मैं उनके प्रति आभारी हूं। चर्चा सोमवार को भी जारी रह सकती है, लेकिन चर्चा विस्तृत होनी चाहिए और इसमें समस्या के सभी पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री के इस विचार का स्वागत करता हूं कि सभा को राज्य की मूक जनता की आवाज को अभिव्यक्त करना चाहिए। हालांकि अकाल का मुख्य असर विदर्भ और मराठवाड़ा में पड़ा है, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ अन्य हिस्सों में भी यह समस्या गंभीर है। मैं अपनी बात मुख्य रूप से विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र पर केन्द्रित रखूंगा और राज्य के अन्य क्षेत्रों का सरसरी तौर पर उल्लेख करूंगा।

कहा जाता है कि महाराष्ट्र में 1972 में भयंकर अकाल पड़ा था, जबकि समाचार पत्रों में इस वर्ष के अकाल को भयावह बताते हुए काफी विस्तार से खबरें प्रकाशित हुई हैं। समाचार पत्रों का कहना है कि इस वर्ष का अकाल ज्यादा भयंकर है। हमने मोर्चों, प्रदर्शनों और प्रतिनिधिमंडलों द्वारा सरकार और विधानसभा के समक्ष किसानों की समस्याओं को रखने का प्रयास किया था। मैं मंत्रिपरिषद् और इस सर्वोच्च सभा से आग्रह करना चाहूंगा कि वे अकाल पीड़ित लोगों को और यातना न दें। हमने मंत्रिपरिषद् की दो माह पहले औरंगाबाद में हुई बैठक के समय एक मोर्चा निकाला था और महाराष्ट्र के तीन-चौथाई भाग को अकाल पीड़ित घोषित करने का आग्रह किया था लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने एक तकनीकी समस्या के कारण ऐसा करने से इन्कार कर दिया था। राज्य के कई भागों में तलाठी (राजस्व लिपिक) हड़ताल पर चले गये। अत: भूमि (आनेवारी) की पैदावार का प्रतिशत में पता नहीं लगाया जा सका। लगभग ढाई माह बीत चुके हैं। राज्य के कुछ भागों में तलाठियों की हड़ताल जारी है। पैदावार की प्रतिशत के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। लगभग समूचा राज्य अकाल की चपेट में है; तब सरकार तलाठियों की हड़ताल से निपटने में किस प्रकार असमर्थ है? सरकार के पास कुछ क्षेत्रों में कृषि पैदावार के कुछ आंकड़े हैं। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि जिन क्षेत्रों में पैदावार 50% से कम है उन क्षेत्रों को अकालग्रस्त घोषित कर दिया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र में मानसून की वर्षा जून से सितम्बर तक होती है। मेरे पास मराठवाड़ा के कुछ तालुकों के बारे में जानकारी है। इन तालुकों में जुलाई में वर्षा हुई थी और उसके बाद वहां वर्षा बिल्कुल

नहीं हुई। विदर्भ के कई क्षेत्रों में जुलाई के बाद एक बूंद भी वर्षा नहीं हुई। वर्षा के न होने से इन क्षेत्रों में भयंकर सूखा पड़ा। यहां मोवाड का उदाहरण देना उचित होगा। वहां पर इतनी अधिक वर्षा हुई कि उससे बाढ़ आ गई और भयंकर तबाही हुई। विदर्भ में कई क्षेत्रों में आरंभ में भारी वर्षा हुई। बाद में जब उन्हें फसलों के लिये वर्षा की बहुत आवश्यकता थी तब वहां वर्षा नहीं हुई। इससे किसानों की स्थिति दयनीय हो गई।

महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुत ही कम वर्षा होती है। अधिक से अधिक हम अपनी भूमि के लिए केवल 26% वर्षा जल का उपयोग कर सकते हैं। वास्तव में हम कृषि के लिये मात्र 10-12% वर्षा जल का उपयोग कर पाए हैं। तर्कसंगत रूप से 26% वर्षा जल का उपयोग करने की आशा की जा सकती है। यद्यपि ऐसे उपयोग में समस्यायें हैं, तथापि ऐसा करने के लिए प्रयास अवश्य किये जाने चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक वक्तव्य देना चाहूंगा। यदि हम यह सोचते हैं कि सूखा एक प्राकृतिक आपदा है, तो महाराष्ट्र के किसानों के साथ घोर अन्याय करते हैं। मेरे विचार में अकाल और सूखा मनुष्य द्वारा ही पैदा की गई समस्यायें हैं। कोई पूछ सकता है कि यदि वर्षा नहीं होती तो इसके लिए किसे दोषी ठहराया जाये। वर्षा जल को संचित करना हमारी पहुंच के भीतर है। हमारे समक्ष चुनौती यही है कि वर्षा जल को कैसे संचित और संरक्षित किया जाये। भविष्य में अकाल से बचने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं? मैं सोचता हूं कि इसके लिए दृढ़ संकल्प और समुचित योजना अवश्य होनी चाहिए। इस सभा को इस मुद्दे को अवश्य ही सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। अन्य मुद्दों से बाद में भी निपटा जा सकता है। जल अवश्य ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि अकाल के मुद्दे पर श्वेत पत्र निकाला जाये और मैं नहीं चाहता कि यह श्वेत पत्र केवल कार्यालयी दस्तावेज बनकर रह जाए। इस सभा के माननीय अध्यक्ष मधुकरराव चौधरी शिक्षा मंत्री थे। उस समय उन्होंने शिक्षा पर एक श्वेत पत्र निकाला था। मेरे विचार से उस श्वेत पत्र ने महाराष्ट्र में शिक्षा प्रणाली को एक दिशा प्रदान की। बड़े जलाशय बनाये जाये और जल की समस्या का हमेशा के लिये समाधान किया जाए। सभा में प्रश्न और उत्तर मात्र से इस मुद्दे का कभी भी समाधान नहीं हो सकता। वर्ष 1972 के सूखे के पश्चात् इस वर्ष का सूखा भी गंभीर है। अत: श्वेत पत्र शीघ्र से शीघ्र निकाला जाना चाहिए। मैं कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं। मैं विरोधी पक्ष के नेता के रूप में दलगत भावना से ऊपर उठकर सही परिप्रेक्ष्य में इस मुद्दे के बारे में सोचता हूं। माननीय मुख्यमंत्री ने जल और बिजली करों के संग्रहण में कुछ रियायतों की घोषणा की है। बाद में, उन्होंने एक शर्त रखी की बांध का जल केवल किसानों को दिया जायेगा जो इस माह अपने बकायों का भुगतान करेंगे। गरीब किसानों का मजाक क्यों उड़ाया जाता है? वे जल कर देंगे, ऐसी आशा करना अनुचित है। उन्हें इस वित्तीय संकट से बचाना हमारा पहला कर्त्तव्य है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप ऐसा रवैया न अपनाएं और किसानों के लिये कठिनाई पैदा न करें।

सरकार ने रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कुएं खोदने के कार्यक्रम की व्यवहार्यता की जांच हेतु एक समिति का गठन किया जिसमें माननीय मंत्रिगण श्री पद्‌म सिंह पाटील, श्री विलासराव देशमुख

और श्री रोहीदास पाटील हैं। यह खेदजनक है कि इन तीन माननीय मंत्रियों में से एक भी मंत्री सभा में उपस्थित नहीं है। क्या इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है? क्या मंत्रिमंडल ने इस प्रतिवेदन पर कोई निर्णय लिया है? इस समिति ने मेरे जैसे नए सदस्यों से शायद बात नहीं की हो। परन्तु क्या उन्होंने श्री गणपतराव देशमुख जैसे अनुभवी व्यक्तियों से बात की थी? आदर्श लोकतांत्रिक सरकार इस प्रकार काम नहीं करती है? इन माननीय मंत्रियों को किसानों की समस्याओं को जानने वाले सदस्यों से बात करनी चाहिए थी और उसके बाद की जाने वाली कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए था। ये माननीय मंत्री सम्भवत: सदस्यों को उनके सुझावों हेतु श्रेय नहीं देना चाहते थे जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने जानकारी रखने वाले सदस्यों के साथ चर्चा करना उचित नहीं समझा। मेरे जैसे व्यक्ति के लिये यह महत्वहीन है कि सही नीतियां बनाने के लिये कौन श्रेय लेता है। मैं आपको सारा श्रेय देना चाहूंगा परन्तु यह भी आग्रह करूंगा कि आप किसानों के हितों की रक्षा कीजिए। यदि माननीय मंत्रियों ने सभा के जानकार सदस्यों के साथ उस मुद्दे पर चर्चा की होती, तो मैं उनकी प्रशंसा करता। मेरी जानकारी में समिति ने इस मामले में सभा के किसी भी सदस्य से चर्चा नहीं की। इस समिति ने निर्णय लेने में विलंब किया। समिति ने कुओं के बारे में निर्णय लिया। वह बताएं कि कूप नलिकाओं की स्थिति क्या है? जल का मुद्दा अकाल से संबंधित है और इसलिये मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं। हमें केवल आज ही अकाल का संकेत नहीं मिला है, बल्कि गत तीन महीनों से हमें क्षेत्र के अकाल ग्रस्त होने की जानकारी है। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि कूप नलिका के ठेके की सूचना अभी केवल दस दिन पहले अधिसूचित की गई। सरकार के पास कूप नलिका के बारे में कोई नीति नहीं है। उनके पास ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अंतर्गत कूप नलिका के लिए स्थल निश्चित करने के बारे में निर्णय लिया जा सके। महाराष्ट्र के युवकों ने इसका ठेका लेने का प्रयास किया। परन्तु यह सरकार इस ठेके को दूसरे राज्य के बोलीदाताओं को देने का प्रयास कर रही है। मैंने इस सभा में मराठी बोलने वाले लोगों को न्याय दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष किया है। अत: मैं इस मुद्दे पर इस बार फिर जोर दे रहा हूं। कूप नलिका का ठेका देने के लिए बोलीदाताओं के चयन संबंधी मुद्दे पर मंत्रिमंडल एकमत नहीं है। महाराष्ट्र में किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वह यह ठेका किसी बाहरी बोलीदाता को देकर महाराष्ट्र के किसानों की जिंदगी से खिलवाड़ न करें।

महाराष्ट्र की सरकार हमेशा से ही कमजोर रही है। यह सरकार छत्रपति शिवाजी के नाम के नारे लगाती है। लेकिन केन्द्रीय सरकार से प्रभावशाली ढंग से बात नहीं कर सकती। जब छत्रपति शिवाजी को तीसरी पंक्ति में खड़े होने के लिए बाध्य किया गया था तो वे क्रोधित हो गए और गुस्से में आकर मुगल दरबार से चले गए थे। यह अत्यन्त गौरव की बात है। महाराष्ट्र सरकार ने अकाल से निपटने के लिए 300 करोड़ रुपये का ऋण जारी करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था। केन्द्र सरकार यह ऋण नहीं देना चाहती। महाराष्ट्र सरकार की साख को अब क्या हो गया जो महाराष्ट्र सरकार छत्रपति की परम्परा का पालन करने का दावा करती है उसे अकाल के लिए एक भी पैसा नहीं दिया गया। केन्द्र सरकार ने केवल 44 करोड़ रु. का ऋण देने की इच्छा व्यक्त की जिसके बारे में पहले सहमति हुई थी। नई दिल्ली से लौटकर मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि महाराष्ट्र

और श्री रोहीदास पाटील हैं। यह खेदजनक है कि इन तीन माननीय मंत्रियों में से एक भी मंत्री सभा में उपस्थित नहीं है। क्या इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है? क्या मंत्रिमंडल ने इस प्रतिवेदन पर कोई निर्णय लिया है? इस समिति ने मेरे जैसे नए सदस्यों से शायद बात नहीं की हो। परन्तु क्या उन्होंने श्री गणपतराव देशमुख जैसे अनुभवी व्यक्तियों से बात की थी? आदर्श लोकतांत्रिक सरकार इस प्रकार काम नहीं करती है? इन माननीय मंत्रियों को किसानों की समस्याओं को जानने वाले सदस्यों से बात करनी चाहिए थी और उसके बाद की जाने वाली कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए था। ये माननीय मंत्री सम्भवत: सदस्यों को उनके सुझावों हेतु श्रेय नहीं देना चाहते थे जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने जानकारी रखने वाले सदस्यों के साथ चर्चा करना उचित नहीं समझा। मेरे जैसे व्यक्ति के लिये यह महत्वहीन है कि सही नीतियां बनाने के लिये कौन श्रेय लेता है। मैं आपको सारा श्रेय देना चाहूंगा परन्तु यह भी आग्रह करूंगा कि आप किसानों के हितों की रक्षा कीजिए। यदि माननीय मंत्रियों ने सभा के जानकार सदस्यों के साथ उस मुद्दे पर चर्चा की होती, तो मैं उनकी प्रशंसा करता। मेरी जानकारी में समिति ने इस मामले में सभा के किसी भी सदस्य से चर्चा नहीं की। इस समिति ने निर्णय लेने में विलंब किया। समिति ने कुओं के बारे में निर्णय लिया। वह बताएं कि कूप नलिकाओं की स्थिति क्या है? जल का मुद्दा अकाल से संबंधित है और इसलिये मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं। हमें केवल आज ही अकाल का संकेत नहीं मिला है, बल्कि गत तीन महीनों से हमें क्षेत्र के अकाल ग्रस्त होने की जानकारी है। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि कूप नलिका के ठेके की सूचना अभी केवल दस दिन पहले अधिसूचित की गई। सरकार के पास कूप नलिका के बारे में कोई नीति नहीं है। उनके पास ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अंतर्गत कूप नलिका के लिए स्थल निश्चित करने के बारे में निर्णय लिया जा सके। महाराष्ट्र के युवकों ने इसका ठेका लेने का प्रयास किया। परन्तु यह सरकार इस ठेके को दूसरे राज्य के बोलीदाताओं को देने का प्रयास कर रही है। मैंने इस सभा में मराठी बोलने वाले लोगों को न्याय दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष किया है। अत: मैं इस मुद्दे पर इस बार फिर जोर दे रहा हूं। कूप नलिका का ठेका देने के लिए बोलीदाताओं के चयन संबंधी मुद्दे पर मंत्रिमंडल एकमत नहीं है। महाराष्ट्र में किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वह यह ठेका किसी बाहरी बोलीदाता को देकर महाराष्ट्र के किसानों की जिंदगी से खिलवाड़ न करें।

महाराष्ट्र की सरकार हमेशा से ही कमजोर रही है। यह सरकार छत्रपति शिवाजी के नाम के नारे लगाती है। लेकिन केन्द्रीय सरकार से प्रभावशाली ढंग से बात नहीं कर सकती। जब छत्रपति शिवाजी को तीसरी पंक्ति में खड़े होने के लिए बाध्य किया गया था तो वे क्रोधित हो गए और गुस्से में आकर मुगल दरबार से चले गए थे। यह अत्यन्त गौरव की बात है। महाराष्ट्र सरकार ने अकाल से निपटने के लिए 300 करोड़ रुपये का ऋण जारी करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था। केन्द्र सरकार यह ऋण नहीं देना चाहती। महाराष्ट्र सरकार की साख को अब क्या हो गया जो महाराष्ट्र सरकार छत्रपति की परम्परा का पालन करने का दावा करती है उसे अकाल के लिए एक भी पैसा नहीं दिया गया। केन्द्र सरकार ने केवल 44 करोड़ रु. का ऋण देने की इच्छा व्यक्त की जिसके बारे में पहले सहमति हुई थी। नई दिल्ली से लौटकर मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि महाराष्ट्र

को केन्द्र सरकार से अतिरिक्त धनराशि नहीं मिल सकती। हमारी सरकार महाराष्ट्र के गौरव को कब दर्शाएगी? जब महाराष्ट्र में इस कदर सूखा पड़ा हुआ है तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को केन्द्र सरकार से जोरदार ढंग से अतिरिक्त सहायता की मांग करनी चाहिए। विपक्षी दल केन्द्र से सहायता प्राप्त करने हेतु महाराष्ट्र सरकार के प्रयासों को पूरा समर्थन देने को इच्छुक हैं। यदि केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त नहीं होगी तो अकाल की स्थिति से निपटना बहुत मुश्किल होगा। अत: स्पष्ट है कि अकाल के मुद्दे को पूरी गंभीरता से नहीं लिया गया। इसके लिए केवल मंत्री ही जिम्मेदार नहीं हैं वरन् कुछ नौकरशाह भी जिम्मेदार हैं। मैं सभी अधिकारियों को दोषी नहीं ठहराना चाहता। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि कुछ सफेदपोश अधिकारी दिल से नहीं चाहते कि किसानों को सहायता मिले। किसानों की सहायता करने के लिए मंत्रियों को चाहिए कि अधिकारियों को राजी करे। यदि अधिकारीगण राजी नहीं होते तो उन को उचित ढंग से कार्य करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। मैं सबके सामने यह कहना चाहूंगा कि अकाल की इस विकट स्थिति में एक भी अधिकारी को क्षमा न किया जाए।

महाराष्ट्र में अकाल की स्थिति गंभीर है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं। हमारी शिकायत है कि काला बाजारी आरंभ हो गई है। मैं आपको केवल छोटे-बड़े गांवों के बारे में ही नहीं बता रहा हूं बल्कि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि छोटे शहरों और बड़े नगरों की दुकानों में भी बुनियादी आवश्यकता की चीजें उपलब्ध नहीं हैं। मुझे यह प्रश्न संबंधित मंत्री से पूछना था किंतु वे अभी सभा में उपस्थित नहीं हैं। राशन की दुकानों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली आवश्यक वस्तुएं पिछले एक महीने से उपलब्ध नहीं हैं। यह स्थिति मुम्बई के मेरे निर्वाचन क्षेत्र दादर में है। इस कमी के लिए कौन जिम्मेदार है? यह आवश्यक है कि प्रशासन का रवैया संवदेनशील और कारगर हो। कमी की समस्या तभी दूर हो सकती है जब प्रशासन इस ओर ध्यान दे। राशन की दुकानों में खाद्य सामग्री का सरकारी भण्डार नहीं है। यह अत्यन्त गंभीर बात है।

मैं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ बीड जिले का उदाहरण देना चाहूंगा। उस जिले से तीन लाख गायों, बैलों और भैंसों को मुम्बई के बूचड़खानों में लाया गया क्योंकि किसानों के पास इन जानवरों के लिए चारा नहीं है। एक बैल का खरीद मूल्य 5000 रु. है। परन्तु बूचड़खाने में उसे 150 रु. में बेच दिया जाता है। सरकार किसानों की सहायता के लिए कुछ नहीं कर रही है। मुझे सभा में दिए गए भाषणों पर संशय है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि सभा की इस बहस को निरर्थक न करें। इसे अरण्यरोदन न बनने दें। कृपया संवेदनशील बनिए और गंभीरता से निर्णय लीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि इन निर्णयों को सबसे निचले स्तर तक लागू किया जाये। मुझे विश्वास है कि अकाल-पीड़ित किसानों को आपके निर्णयों का लाभ प्राप्त हो इसके लिए समाजसेवी संगठनों के कार्यकर्त्ता आपका सहयोग करेंगे।

डा. पदम सिंह पाटील के निर्वाचन क्षेत्र, उस्मानाबाद जिले में भी स्थिति काफी गंभीर है। सभा को इन गंभीर स्थितियों पर ध्यान देना चाहिए।

मैं गत दो महीनों की एक और समस्या को उजागर करना चाहूंगा। चोरी और डकैती की घटनाओं में वृद्धि हुई है। पुणे जिले में हुई डकैतियां अकालग्रस्त क्षेत्रों के लोगों द्वारा की गई थीं। इन डकैतों

को पांच से सात वर्ष तक का कारावास होगा, कोई यह नहीं सोचता कि इन लोगों ने यह डकैतियां क्यों कीं। मैं बिना किसी कारण के सदस्यों को उत्तेजित नहीं करना चाहता लेकिन कृपया जुन्नार और अम्बेगांव ताल्लुकों में हुई डकैतियों को देखें। मेरे पास इस बात की जानकारी है कि ये चोर और डकैत अकाल ग्रस्त क्षेत्रों से हैं। इस सभा को विश्वास नहीं होगा परन्तु ये चोर और डकैत मात्र दो हजार-अढ़ाई हजार रुपये जैसी मामूली रकम के लिए डकैती करते हैं। इन अपराधों में कुछ व्यक्ति मारे भी गए। माननीय मंत्री को चाहिए कि गत तीन महीनों में उस क्षेत्र में हुई चोरी और डकैतियों के आंकड़े इस सभा में प्रस्तुत करें। इन आंकड़ों से यह पता चलेगा कि ऐसे अपराधों में चार गुना वृद्धि हुई है। हमारे राज्य में रोजगार प्राप्त करना बहुत कठिन हो गया है। कई किसानों को अपने मवेशियों के भरण-पोषण के लिए काम प्राप्त करने हेतु रेलवे स्टेशनों पर आना पड़ता है। क्या आप इन किसानों को काम दे सकते हैं? सूखा और अकाल किसी एक विभाग की चिन्ता का विषय नहीं हो सकते हैं। हजारों किसान अन्य स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। क्या इस पलायन को रोकने के लिये उपाय किये गये हैं? किसानों को काम करके कुछ कमाकर अपने मवेशियों के लिये चारा खरीदना पड़ता है।

विदर्भ से प्राप्त आंकड़े चौंका देने वाले हैं। विदर्भ में बहुत कम वर्षा हुई। मैं आपको सभी जिलों के बारे में सूचना दे सकता हूं। कृपया मुझे छः-सात जिलों के आंकड़े प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें। यवतमाल में पिछले वर्ष 1270 मिलीलीटर वर्षा हुई। इस वर्ष केवल 575 मिलीलीटर ही वर्षा हुई। यह वर्षा पहले के मुकाबले लगभग आधी है। कपास इस जिले की मुख्य फसल है। इस वर्ष इस फसल के बहुत कम होने के आसार हैं। इस जिले की समस्या का समाधान समर्थन मूल्य सुनिश्चित करके नहीं किया जा सकता। बोनस में वृद्धि से कोई भला होने वाला नहीं है। जब पैदावार 30-35% कम होती है तो किसी किसान के लिये अपना घरबार चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। संबंधित मंत्री पश्चिमी महाराष्ट्र से हैं। क्या मैं उनसे यह आग्रह कर सकता हूं कि जिस प्रकार वह गन्ना किसानों के हितों पर ध्यान देते हैं वैसे ही कपास और सन्तरा उत्पादकों के हितों पर भी ध्यान देंगे? गत वर्ष इस सभा के सदस्यों ने इस बात पर बल दिया था कि संतरा उत्पादकों को मुआवजा दिया जाये। किन्तु इस अनुरोध को ठुकरा दिया गया। जलगांव के केला उत्पादकों के लिये ऐसा ही अनुरोध किया गया था। उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। कोंकण में धान उत्पादकों का भी ऐसा ही मामला है। महाराष्ट्र सरकार ने गत वर्ष पश्चिम महाराष्ट्र के गन्ना उत्पादकों को मुआवजा दिया था। यह न्यायपूर्ण नहीं है कि आप पश्चिमी महाराष्ट्र के किसानों का ख्याल करते हैं तथा विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों की उपेक्षा करते हैं। मेरा अनुरोध है कि कपास, ज्वार या संतरा उत्पादकों को पैदावार को जहां कहीं भी नुकसान हुआ है, वहां उन्हें मुआवजा दिया जाये। विदर्भ और मराठवाड़ा हेतु एक स्वायत्तशासी विकास परिषद् के गठन की जोरदार मांग की जाती रही है। मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि वह किसी फसल (गन्ने के अलावा) का नाम बताये जिसके लिए मुआवजा दिया गया है। मंत्री समझते हैं कि यदि वे पश्चिमी महाराष्ट्र के किसानों के हितों की रक्षा करेंगे तभी उनकी

सरकार सुरक्षित रहेगी। इसी लिए पश्चिमी महाराष्ट्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के साथ अन्याय किया जाता है। अमरावती के बाईस लाख लोगों को अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अमरावती में अगस्त तक वर्षा हुई। यह वर्षा भी रुक-रुक कर हुई। यदि मैं गलत हूं, तो मैं इसमें सुधार करने को तैयार हूं। अमरावती में जब खेती के लिए वर्षा की आवश्यकता थी, तो उस समय वर्षा नहीं हुई। इस प्रकार 15,300 हैक्टेयर भूमि में दुबारा फसल बोनी पड़ी। माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह इस तथ्य की पुष्टि करें।

कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि तीन बार फसल बोनी पड़ी। अत: किसानों को हुई भारी क्षति का कोई भी अनुमान लगा सकता है। इस समस्या से अब बीजों की समस्या पर आते हैं। मैं समय की कमी के कारण इन सभी समस्याओं को विस्तार से उजागर नहीं कर सकता। मेरे साथी इन समस्याओं के बारे में बताएंगे। मुझे शिकायत मिली है कि किसानों को काले बाजार से बीज खरीदना पड़ा। वर्धा नागपुर का निकटवर्ती जिला है। वर्धा जिले में सूखे से सबसे अधिक नुकसान हुआ। मुझे जानकारी मिली है कि वहां रबी की 75 प्रतिशत फसल को क्षति पहुंची है। सरकार को इस जिले के बारे में सोचना चाहिए। भण्डारा जिला चावल के उत्पादन के लिये प्रसिद्ध है। इसे चावल का भंडार कहा जाता है। इसे पिछले तीन वर्षों से लगातार सूखे का सामना करना पड़ रहा है। अन्य जिलों में भी सूखा पड़ा है। इन जिलों की स्थिति पिछले वर्ष बेहतर थी। भण्डारा जिले के 1659 गांवों में 50% से भी कम पैदावार हुई। इन सभी गांवों को सूखा-ग्रस्त घोषित किया जाये। अकोला जिले की स्थिति विलक्षण है। यह जिला भी अकाल की चपेट में है। गत वर्ष यहां पर 1883 मिलीलीटर वर्षा हुई। इस वर्ष 573 मिलीलीटर वर्षा हुई। गत वर्ष वहां घास की एक गांठ की कीमत 400 रुपये थी। इस वर्ष इसकी कीमत 600 रुपये है। मुहम्मदपुर गांव 20 नवम्बर से पानी की कमी का सामना कर रहा है और वहां पानी की आपूर्ति बैलगाड़ियों से की जा रही है।

इसी तरह पेयजल की समस्या भी इतनी ही महत्वपूर्ण है। मुझे यह आशंका है कि महाराष्ट्र के 40 से 50 प्रतिशत गांवों को फरवरी से पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सरकार को इस समस्या का समाधान करना होगा। सांख्यिकीय विभाग के अनुसार, बुलढ़ाना जिले की स्थिति विगत दस वर्षों में इस वर्ष सबसे अधिक खराब मानी गई है। विदर्भ क्षेत्र में बुलढ़ाना जिले में पेयजल की भारी कमी है। नागपुर में शुरू में भारी वर्षा हुई और बाद में सूखा पड़ा। इस जिले के 550 गांवों में फसल खराब हुई। मराठवाड़ा में भी इसी तरह की बल्कि विदर्भ से भी खराब स्थिति है। मराठवाड़ा में जुलाई के मध्य से वर्षा नहीं हुई। सारे मराठवाड़ा को सूखे की विभीषिका का सामना करना पड़ रहा है। 46 तालुकों में से 26 तालुके सूखाग्रस्त हैं। विगत दो वर्षों में अच्छी वर्षा होने के कारण उन्होंने पूरी बुवाई की थी। शत-प्रतिशत बुवाई हेतु उन्होंने बीज खरीदे। उन्होंने बीजों पर काफी खर्च किया। यदि पैदावार अच्छी नहीं हुई तो उनकी दशा दयनीय हो जायेगी। इस क्षेत्र में 18 से 82 प्रतिशत तक कम वर्षा हुई है। मराठवाड़ा के 8000 गांवों में से 5786 गांवों में खरीफ की पैदावार 50 प्रतिशत से कम हुई है। ये सब अनुमान हैं क्योंकि हमारे पास उचित आकलन करने का तंत्र नहीं है। वास्तविक पैदावार का अनुमान भी इसी आधार पर लगाया गया है। इसलिये समुचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

मराठवाड़ा में तिलहन की फसल बहुत अधिक होती है। वहां 70 से 75 प्रतिशत तिलहन की फसल नष्ट हो गई है। ज्वार और बाजरा की लगभग 50 से 70 प्रतिशत फसल नष्ट हो गई है। मराठवाड़ा में 68,60,000 मवेशी हैं। इकतालीस प्रतिशत मवेशी अकालग्रस्त क्षेत्रों में हैं। 60 से 65 प्रतिशत मवेशियों के लिए खतरा पैदा हो गया है। उनके जीवित रहने के बारे में कुछ भी कहना बहुत कठिन है। सूखे का प्रभाव केवल इसी वर्ष नहीं रहेगा। अपितु हमें इसके बाद के प्रभाव भी सहने होंगे। अत: महाराष्ट्र सरकार को सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री ने मुझे बीच में ठोककर पूछा था कि इसके समाधान का क्या रास्ता है? हर समस्या का निश्चय ही समाधान है। रोजगार गारंटी स्कीम (ईजीएस) शुरू करिए। सरकार ने यह कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा तो की थी, परन्तु ऐसे कार्यक्रमों को शूरू नहीं किया। घोषणा करने के पश्चात् कुछ तकनीकी समस्याएं पैदा हो गईं। यदि सरकारी कर्मचारी अपना कार्य सुचारु रूप से नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करना आवश्यक है। रोजगार गारंटी स्कीम में नौकरी पाने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। मेरे पास इसके आंकड़े हैं। गरीब लोगों के पास खाने को भोजन नहीं है, उनके पशुओं के लिए चारा नहीं है, उन्हें अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए रोजगार नहीं मिलता। न केवल गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अपितु निम्न मध्यम वर्ग के लोग भी ईजीएस परियोजना के तहत काम करते हैं। आप कुछ और रोजगार गारंटी स्कीम शुरू करें और उसके कार्यान्वयन में तकनीकी समस्याओं को आड़े न आने दें। इसके लिए संबंधित पदाधिकारियों को समुचित निदेश दिये जाने चाहिएं।

मैंने बहुत बार नालाबंदी, पर्कोलेशन टैंकों तथा पनधारा क्षेत्रों के विकास के बारे में कहा है। इस सभा में सिर्फ घोषणाएं की जाती हैं और कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की जाती। कम-से-कम सूखे की स्थिति में तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को 300 करोड़ रु. की अनुदान सहायता देने का अनुरोध किया था कृपया इस सहायता को प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही निर्धारित करें। केन्द्र सरकार उनके इस अनुरोध से आश्वस्त नहीं है। जबकि 300 करोड़ रुपये की धनराशि न्यायोचित है। केन्द्र सरकार ऐसे अनुरोध के लिए अध्ययन दलों की तैनाती करती है। मुझे नहीं मालूम कि किसी ऐसे अध्ययन दल ने कभी महाराष्ट्र का दौरा किया हो। यह दुर्भाग्य की बात है कि अनुदान सहायता हेतु हमारे अनुरोध के बावजूद केन्द्र सरकार ने ऐसा कोई अध्ययन दल नहीं भेजा है। जब अन्य राज्य ऐसे अनुरोध करते हैं तो वे मांगी गयी अनुदान सहायता में से 70% से 75% सहायता प्राप्त कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार मांगी गयी अनुदान सहायता में से 30% से 35% से अधिक सहायता नहीं प्राप्त कर पायी क्योंकि वह केन्द्र सरकार को मांगी गयी राशि के औचित्य प्रकाशन के बारे में आश्वस्त नहीं कर पायी। सरकार ने गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में यह अध्ययन दल नहीं भेजा। मेरी राय में आपका आकलन अवास्तविक नहीं है। सभी विपक्षी दल इस अनुदान सहायता की मांग पर महाराष्ट्र सरकार का समर्थन करते हैं। इसके लिए मंत्री और विपक्ष के नेताओं को भारत के प्रधानमंत्री और केन्द्रीय वित्त मंत्री से मिलना चाहिए। हम राज्य सरकार के साथ इस अनुदान सहायता को शीघ्रतिशीघ्र प्राप्त करने के लिये सहयोग कर सकते हैं। केवल इस साल के अकाल के बारे में ही विचार न करें बल्कि भविष्य के लिए भी सोचें। जब

तक सब लोगों को अकाल की भयावहता के प्रति जागरूक नहीं किया जाएगा महाराष्ट्र एकजुट नहीं हो पाएगा। हमें महाराष्ट्र को जगाना है। हमें सम्पूर्ण महाराष्ट्र ऊर्जस्वी बनाना होगा। हम केन्द्र सरकार से अपेक्षित अनुदान सहायता अवश्य प्राप्त कर लेगें। महाराष्ट्र के किसानों और कृषि मजदूरों को भोजन की तलाश में इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं है। उन्हें भिखारियों की तरह फटेहाल रहने की जरूरत नहीं है। कृपया इस मुद्दे पर राजनीति न करें और समुचित स्थानों को अकालग्रस्त घोषित करें।

105

विदर्भ का विकास*

महोदय मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं:

''विदर्भ क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने, वहां के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने तथा विदर्भ के चहुंमुखी विकास को गति प्रदान करने हेतु उपाय किए जाने चाहिएं।''

विदर्भ क्षेत्र के लोग गत एक वर्ष से इस संकल्प की प्रतीक्षा में थे।

मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि विदर्भ के लोगों के लिए शिव सेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन क्या कुछ कर सकता है। सभा के कई सदस्यों की भावनाएं इस मुद्दे से जुड़ी हैं। यह सरकार विदर्भ क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिव सेना-भाजपा की इस गठबंधन सरकार को विदर्भ के लोगों द्वारा जो समर्थन दिया जा रहा है उसके कारण कुछ सदस्यों को बेचैनी महसूस हो रही है। विदर्भ के विकास के लिए यहां पर एक समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है।

सभी मराठी भाषी लोगों के लिए एक राज्य का सपना नागपुर समझौते की बुनियाद पर आधारित था। महाराष्ट्र विधानमंडल का शीत सत्र नागपुर समझौते के अनुरूप ही होता है।

जब विधानमंडल के सभी सदस्य एक साथ यहां पर एकत्रित होते हैं, विदर्भ क्षेत्र के लोगों की भावनाएं हिलोरें लेने लगती हैं। वे यह अपेक्षा रखते हैं कि इस सभा की कार्यवाहियां उनकी आशाओं और आकांक्षाओं की परिलक्षित करेंगी। उनकी यह आकांक्षा उचित ही है कि इस सभा के संकल्प से विदर्भ क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। अतएव, इस सभा के विचार-विमर्श का मुख्य बिंदु विदर्भ क्षेत्र का विकास होना चाहिए। अत: मेरा विश्वास है कि इस सरकार का यह शीतकालीन सत्र इस दिशा में एक यादगार सत्र साबित होगा।

यह उचित ही होगा कि भावी योजनाओं के बारे में बात करने से पहले हम इस विषय की समीक्षा करें। नागपुर समझौते की एक प्रमुख बात यह थी कि महाराष्ट्र सरकार विदर्भ के उपेक्षित लोगों के साथ कोई अन्याय नहीं करेगी। महाराष्ट्र सरकार विकास परिव्यय, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं में सीटों अथवा सरकारी नौकरियों और सेवाओं में अवसर प्रदान करने के मामले में पूरी तरह निष्पक्षता से कार्य करेगी।

* मुख्यमंत्री के रूप में विदर्भ क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने संबंधी संकल्प प्रस्तुत करते हुए, महाराष्ट्र विधान सभा (19 दिसम्बर 1995)

पूर्व में, जब द्विभाषी मुम्बई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में विभाजित किया गया था उस समय स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण ने विदर्भ के लोगों को एक आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था:

> ''विदर्भ के लोगों को इस बात से आशंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उनके हितों का उचित संरक्षण नहीं होगा। उनके जायज हितों की रक्षा करना महाराष्ट्र सरकार का परम कर्त्तव्य होगा। नागपुर समझौते के सभी प्रावधानों का पूरी तरह अनुपालन होगा। इतना ही नहीं, उन्हें उनके हिस्से से कहीं अधिक मिलेगा।''

इस आश्वासन को दिए हुए 35 वर्ष का समय बीत चुका है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जो विकास कार्य हुए हैं हम उसकी समीक्षा और आत्मविश्लेषण वस्तुनिष्ठ ढंग से और तटस्थ भाव से करें।

भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना नये महाराष्ट्र राज्य की पहली पंचवर्षीय योजना थी। पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में विकास परिव्यय की कमी को पूरा करने का प्रयास किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना के आरंभ में राज्य सरकार ने जिला स्तर पर आयोजन की प्रणाली आरंभ की तब यह आशा की गई थी कि जिला स्तरीय आयोजना से क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जा सकेगा। जैसे-जैसे समय बीतता गया, जिला योजना हेतु परिव्यय की राशि में कटौती होती गयी। स्वाभाविक रूप से, जिला स्तरीय आयोजना से क्षेत्रीय असंतुलन को दूर नहीं किया जा सका।

क्षेत्रीय असंतुलन ने कम विकसित क्षेत्रों के लोगों और प्रतिनिधियों के मन में असंतोष पैदा कर दिया है। सरकार ने क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में गहराई से अध्ययन करने के लिए डा. वी.एम. दांडेकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए ऐसे क्षेत्रों में विकास परिव्यय की आवश्यकता का समाकलन किया जहां विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस समिति ने यह निष्कर्ष भी निकाला कि विकास कि दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 3186.78 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। इसमें से अकेले विदर्भ क्षेत्र में 1246.55 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी जोकि सकल राशि का 40 प्रतिशत था।

यद्यपि समिति की इस रिपोर्ट को सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया गया, तथापि इसने कम विकसित क्षेत्रों के विकास के लिए एक नयी अवधारणा प्रस्तुत की। सरकार ने 1985 में यह निर्णय किया कि बकाया विकास कार्य को एक निश्चित अवधि में पूरा करने के लिए वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजनाओं में प्रावधान किये जाएं। तदनुरूप, विदर्भ क्षेत्र के विकास के लिए 806.26 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गयी। आठवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ में यह बात सामने आयी कि रुपए के अवमूल्यन के मद्देनजर विदर्भ क्षेत्र में विकास कार्यों को पूरा करने के लिए 1334.72 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। 31 मार्च, 1996 को समाप्त अवधि के लिए विदर्भ में विकास कार्यों हेतु अनुमानित व्यय 851 करोड़ रुपए होगा। बकाया विकास कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया को आरंभ

हुए लगभग एक दशक बीत चुका है, लेकिन इसके लिए शेष 484 करोड़ रुपए की राशि को अभी भी मंजूरी नहीं मिल पायी है। इस शेष धनराशि को आगामी तीन वर्षों में स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

इस बीच सरकार ने विदर्भ, मराठवाड़ा तथा कोंकण के लिए कतिपय विकास कार्यक्रमों की घोषणा की है। विदर्भ के लिए एक अड़तीस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम की पुनरीक्षा कर इसे तैंतीस सूत्री बना दिया गया। इनमें से 18 सूत्रों का पूरी तरह कार्यान्यवन हुआ है जबकि 13 सूत्र प्रक्रियाधीन हैं तथा 2 सूत्रों का लोप कर दिया गया है। अनुभवों से सिद्ध होता है कि विकास कार्यक्रम की घोषणा मात्र से कुछ नहीं होता। विकास कार्यक्रम को लागू करने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमने इस राजनीतिक इच्छाशक्ति को दृढ़ करने का संकल्प लिया है।

माननीय सदस्यगण भारत के संविधान के अनुच्छेद 371(2) के अनुसरण में विदर्भ, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के शेष भाग के लिए गठित सांविधिक विकास बोर्डों से अवगत होंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वे विकास परिव्यय के समान आबंटन और तकनीकी तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण व रोजगार के अवसरों के लिए पर्याप्त प्रावधान करें। इन विकास बोर्डों के कार्य ने गति पकड़ ली है। सरकार ने इस संबंध में जिला और राज्य स्तर की योजना प्रक्रिया में आवश्यक प्रावधान किए हैं। महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल ने अब तक हुए विकास का संकेतक तय करने और बकाया कार्य के निपटान हेतु, एक समिति का गठन किया है। इस समिति में तीन विकास बोर्डों के अध्यक्ष, तीनों बोर्डों में से प्रत्येक से दो-दो सदस्य, दो गैर-सरकारी विशेषज्ञ और संबंधित अधिकारी शामिल हैं। यह समिति विकास संबंधी प्राथमिकताएं तथा विकास के संकेतकों का निर्धारण करेगी। यह समिति जिलों और ताल्लुकों के लिए बकाया कार्यों का निर्धारण भी करेगी। वर्ष 1996 में इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने की आशा है। इस समिति की सिफारिशों को अविलम्ब कार्यान्वित किया जाएगा।

प्राय: यह शिकायत सुनने को मिलती है कि अल्पविकसित क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई धनराशि को वर्ष के अंत में अन्य क्षेत्रों में व्यय कर दिया जाता है। सरकार राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों से बंधी है। एक क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों को अन्यत्र व्यय नहीं किया जाएगा। विदर्भ के लिए आबंटित की गई धनराशि केवल विदर्भ में ही व्यय की जाएगी और उसका उपयोग किसी अन्य क्षेत्र में नहीं किया जाएगा। सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखेगी कि विदर्भ के विकास में किसी प्रकार की रुकावटें न आएं।

विकास बोर्ड अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है। हो सकता है कि इन बोर्डों के गठन के कारण जनप्रतिनिधियों की शक्तियों पर कुछ अंकुश लगा हो तथापि इस सभा ने सर्वसम्मति से इन बोर्डों के गठन का संकल्प लिया है। सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध किया जाता है कि वे इन बोर्डों को सफल बनाने में सहयोग दें। कोई भी व्यक्ति इन बोर्डों के कार्यकरण के प्रति आश्वस्त होकर नहीं बैठ सकता। इसके विपरीत, ये बोर्ड पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु अधिक आवश्यक हो गए हैं।

इस सरकार ने विदर्भ क्षेत्र के मामलों का वस्तुनिष्ठ आकलन किया है। इस आकलन से यह पता लगता है कि विदर्भ क्षेत्र कृषि, सिंचाई क्षमता और सड़कों के विकास के मामले में अन्य क्षेत्रों

की तुलना में वांछित गति बनाए नहीं रख पाया है। महाराष्ट्र में कृषि से प्राप्त प्रति हेक्टेयर आय 8592 रुपए है जबकि विदर्भ में यह केवल 7794 रुपए है। पूरे महाराष्ट्र और विदर्भ के तुलनात्मक आंकड़े निम्नलिखित हैं: प्रति हेक्टेयर रसायनिक उर्वरकों की खपत है 54 किलो तथा 48 किलो। सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत है 15.4 तथा 12.1। प्रति एक हजार हेक्टेयर पर पम्प सैटों की संख्या है 84 और 61। प्रतिव्यक्ति बिजली की खपत का आंकड़ा है 423 किलोवाट और 313 किलोवाट। एक सौ वर्ग किलोमीटर में सड़कों की लम्बाई है 58 और 44। पंजीकृत कारखानों में प्रति एक लाख की जनसंख्या पर काम करने वालों की संख्या है 1459 और 687। विदर्भ में प्रतिव्यक्ति आय पूरे राज्य की तुलना में कम है। कुल जनसंख्या में कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत पूरे राज्य की तुलना में अधिक है। विदर्भ में प्राकृतिक संसाधन बहुतायत में हैं। फिर भी, यह क्षेत्र अनुपूरक तथा उत्प्रेरक अवसंरचना की कमी का सामना कर रहा है। विदर्भ के विकास हेतु इन कमियों को दूर करना पड़ेगा।

इस सरकार ने विदर्भ के कायाकल्प हेतु 2700 करोड़ रुपए की एक परिवर्तनकारी योजना बनाई है। इस योजना में मुद्दों की भरमार नहीं है। यह आम आदमी को विकास का लाभ पहुंचाने हेतु बनाई गई है।

इस योजना का ब्यौरा इस प्रकार है:—

सिंचाई

1. विदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी: पेंच, निम्न, धापेवाडा, अरूणावती, उर्द्धवा, वर्धा, वाना, तेकेपार और अम्भोरा। इसी प्रकार की छह और परियोजनाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
2. गोसीखुर्द परियोजना को गति प्रदान करके वर्ष 2002 से पूर्व ही पूरा किया जाएगा।
3. बेम्बला, खड़कपुरना और जिगांव परियोजनाओं को अगले तीन वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा।
4. हुमान और तुलतुली परियोजनाओं के लिए संघ सरकार से वैकल्पिक वन भूमि मांगी जाएगी।
5. 31 मार्च, 1999 तक इतियादोह परियोजना की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी।
6. 31 मार्च, 1999 तक 30 मध्यम और 78 लघु सिंचाई परियोजनाएं पूरी की जाएंगी।
7. गोसीखुर्द, बेम्बला, खड़कपुरना और जिगांव को छोड़कर, उक्त परियोजनाओं की अनुमानित लागत लगभग 1,000 करोड़ रुपए होगी और इनसे 2,25,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी।

सड़कों का विकास

1. 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों को तारकोल की सड़क से जोड़ा जाएगा। अमरावती डिवीजन में से 44 गांव हैं तथा नागपुर डिवीजन में 100 गांव हैं।

2. 482 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग को बेहतर बनाकर चौड़ा किया जाएगा।
3. शहरों के बाहर के रास्तों, अंतर्राज्यीय सड़कों, संतरे के व्यवसाय से सम्बद्ध स्थानों को जोड़ने वाली सड़कों, तीर्थस्थलों तथा पर्यटन केन्द्रों के लिए पहुंच सड़कों और औद्योगिक परिसरों को मदद देने वाली सड़कों को चौड़ा करके बेहतर बनाया जाएगा।
4. वन संबंधी विनियमों के कारण सड़क निर्माण के लिए सामग्री को काफी दूर से लाना पड़ता है। अत: सड़क निर्माण परियोजनाओं को रोजगार गारंटी योजना (एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम) से पृथक रखा जाना चाहिए। 575 सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए विशेष निधियां प्रदान की जाएंगी। सड़क सुधार परियोजनाओं पर 600 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है।

उद्योग

1. बुटीबोरी और नंदगांव में प्रमुख औद्योगिक परिसर स्थापित किए जाएंगे।
2. 23 करोड़ रुपए की सामूहिक प्रोत्साहन योजना तैयार की जाएगी।
3. विश्व बैंक की सहायता से अमरावती और यवतमाल में शहतूत के पेड़ लगाने के कार्यक्रम के संबंध में केन्द्रीय रेशम बोर्ड के साथ बातचीत की जाएगी। एक जिले में समेकित रेशम परियोजना शुरू की जाएगी। केन्द्र सरकार की सहायता से भंडारा जिले में टसर अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जाएगा। चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिलों में टसर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रेशम उद्योग निदेशालय की स्थापना की जाएगी।
4. नागपुर विमानपत्तन को अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कार्गों के संचालन की सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
5. चन्द्रपुर जिले में बांस प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
6. विदर्भ में चमड़े के लिए पृथक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा।

कृषि

1. 50,000 हेक्टेयर भूमि पर संतरों के लिए कीटनाशी कार्यक्रम हेतु राजसहायता प्रदान की जाएगी। संतरों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रशीतन शृंखला (कोल्ड चेन) शुरू की जाएगी। इस शृंखला में रेफरीजिरेटर और परिवहन सुविधाएं शामिल होंगी। जून 1996 तक मोहे और कटोल में संतरा प्रसंस्करण परियोजनाएं चालू कर दी जाएंगी। पंजाबराव कृषि विद्यापीठ में अनुसंधान केन्द्र का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
2. कपास, सोयाबीन और गन्ना की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। पंजाबराव कृषि विद्यापीठ के अंतर्गत अकोला में एक गन्ना अनुसंधान केन्द्र, तथा थराही और नवगांव में उपकेन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

3. उर्वरकों की सुचारू आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम की ओर से विदर्भ में एक सुपर फास्फेट कारखाना लगाया जाएगा।
4. 1996-97 में 25,000 कृषि पम्पों को बिजली से चलाया जाएगा।

पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन

केन्द्र सरकार की सहायता से यवतमाल, चन्द्रपुर और गढ़चिरौली में एकीकृत दुग्ध परियोजना शुरू की जाएगी। दुग्ध संयंत्रों, रेफरीजिरेशन एककों के कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे और सहकारिता को सुदृढ़ किया जाएगा। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के तत्वावधान में प्रत्येक जिले में मत्स्य पालन परियोजना शुरू की जाएगी। एम्पलायमेंट गारंटी योजना के अंतर्गत मछली पालने के लिए टैंक बनाए जाएंगे। नए मछली बीज केन्द्र, मछली अनुसंधान प्रयोगशाला और झींगा बीज केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। कृषि और मत्स्य पालन का अनुमानित परिव्यय 165 करोड़ रुपए है।

जल संचयन

1. विदर्भ की भूसंरचना को देखते हुए नाबार्ड की सहायता से इस क्षेत्र में 26,000 बोरकूप खोदे जाएंगे। ये बोरकूप जी.एस.डी.ए. (भूजल सर्वेक्षण विकास एजेंसी) की तकनीक से खोदे जाएंगे जिसकी व्यवस्था सहकारिता के माध्यम से की जाएगी।
2. मालगुजारी वाली भूमि पर टैंकों के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा

1. इंजीनियरिंग की सीटों की कमी को 1996-97 में पूरा किया जाएगा।
2. 61 ताल्लुकों में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे।
3. 31 मार्च, 1998 तक नागपुर में एक स्नातकोत्तर चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

शहरी विकास

1. नागपुर सिटी की बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगीकरण को देखते हुए इसे राज्य की उप राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा।
2. जून, 1996 तक नागपुर के लिए रहारी जलापूर्ति परियोजना हेतु सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद, इस परियोजना का कार्यान्वयन सिंचाई विभाग द्वारा किया जाएगा। चिंकोली परियोजना हेतु सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा।
3. प्रदूषण नियंत्रण के लिए अमरावती में अम्बा नाला परियोजना का निर्माण किया जाएगा।

4. चन्द्रपुर को अतिरिक्त जल आपूर्ति हेतु योजना बनायी जाएगी।
5. मुम्बई की तरह नागपुर में भी झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए पुनर्वास कार्य शुरू किया जाएगा।

पिछड़े वर्गों का कल्याण—अगले पांच वर्षों के दौरान 171 सहायता प्राप्त होस्टल और 51 सरकारी होस्टलों की स्थापना की जाएगी। अनुसूचित जनजातियों के लिए 51 आवासीय स्कूलों और घुमन्तू जनजातियों के लिए 39 आवासीय स्कूलों की स्थापना की जाएगी। मेहत्तर समुदाय के लिए एक आवासीय स्कूल की स्थापना की जाएगी। इन कार्यों के लिए 145.31 करोड़ रुपए के परिव्यय की आवश्यकता होगी।

आदिवासी विकास—आदिवासियों का ध्यान रखना हमारी सरकार का पहला कर्त्तव्य है। गढ़चिरौली और भण्डारा जिलों में 105 करोड़ रुपए की सड़क विकास परियोजनाएं सीमा सड़क संगठन (बी.आर.ओ.) को सौंपी जाएगी। सीमा सड़क संगठन श्रमशक्ति और संसाधन जुटाने में सक्षम होगा। अगले पांच वर्षों के दौरान 19 आदिवासी ताल्लुकों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी। पांच स्कूलों में से केन्द्रीय आवासीय स्कूल को गुणवत्ता सुधार के लिए चुना जाएगा और यह शेष स्कूलों का पर्यवेक्षण करेगा। आदिवासी युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु गढ़चिरौली में एक मोटर ड्राइविंग स्कूल की स्थापना की जाएगी।

सांस्कृतिक क्रियाकलाप—वार्नर ब्रदर्स की ओर से नागपुर में आर्ट सिनेमा काम्पलेक्स की स्थापना की जाएगी। चन्द्रपुर में एक सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना करने के लिए एक करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया है। यहां रमोला टैंक को संवारा जाएगा। चन्द्रपुर जिले का चहुंमुखी विकास किए बिना हम चैन से नहीं बैठेंगे।

पर्यटन—खेखरानल, अम्बाजरी और नवगांव खेरी में जल-क्रीड़ा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। विद्यार्थियों को प्रोसाहित करने हेतु नेचर फैमिलियराइजेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए रामटेक, शिवगांव और शिंदखेड़ राजा में समुचित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इन स्थानों के पर्यावरण को विकसित किया जाएगा।

मैंने विदर्भ की समयबद्ध विकास योजना की मुख्य बातें बतायी हैं। विदर्भ की जनता ने शिवसेना-भाजपा गठबंधन के पक्ष में अपना जनादेश दिया है। कुछ लोग इससे प्रसन्न नहीं हैं। हम उनकी प्रतिक्रिया से भयभीत नहीं है। हम विदर्भ में विकास के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। हमें विदर्भ की जनता के सहयोग से अपना कर्त्तव्य पूरा करना है। विकास, विदर्भ के अल्पविकसित लोगों का अधिकार है। हम इस विकास के लिए श्रमशक्ति और संसाधन जुटाने के लिए वचनबद्ध है। एक विकास कार्यक्रम में सभी मदों को शामिल नहीं किया जा सकता है। वस्तुपरक विश्लेषण से पता चला कि विदर्भ क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से किन बातों में पिछड़ रहा है। हमने इन कारकों पर ध्यान देने की कोशिश की है। हमें आशा है कि इन समस्याओं का समाधान विदर्भ को राज्य के अन्य क्षेत्रों के समान स्तर पर ले आएगा। हम सदस्यों से अनुरोध करेंगे कि इस कार्यक्रम का समर्थन करें तथा इसके क्रियान्वयन में सहयोग दें।

मैं विदर्भ की जनता के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं। यह विकास कार्यक्रम अभूतपूर्व है। मैं विदर्भ की जनता से आग्रह करता हूं कि वह इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दे। यह संकल्प प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है।

समृद्ध महाराष्ट्र का वादा*

मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर हुए वाद-विवाद में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। राज्यपाल के अभिभाषण में भावी कार्यक्रमों का उल्लेख है। इसमें सरकार के कार्यकरण के तौर-तरीकों का विवरण दिया गया है। वाद-विवाद के लिए सभा को और समय मिलना चाहिए था। मैं सभा के नेता के रूप में वाद-विवाद में उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं।

सदस्यों ने हमारी सरकार द्वारा पिछले वर्ष के दौरान की गई घोषणाओं की आलोचना की थी। सरकार के रूप में हमें कुछ घोषणाएं करनी होती हैं और अपनी प्रतिबद्धताएं घोषित करनी होती हैं। हमें जनता को बताना होता है कि सत्ता में आने से पहले किये गये वादों को हम कैसे पूरा करने वाले हैं। मैं महाराष्ट्र की आठ करोड़ जनता को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि अपने पांच साल के कार्यकाल में उनसे किए गए वादों को हम अवश्य पूरा करेंगे। पहला वर्ष अपने कार्यों की नींव रखने में ही बीत गया। हमने अपनी नींव सुदृढ़ की है। हम अगले वर्ष दीवार खड़ी करेंगे। उसके बाद हम सीमेंट और कंक्रीट से दीवारों पर पलस्तर करेंगे। हम तब तक अपने प्रयास नहीं छोड़ेंगे, जब तक कि अंतिम और पांचवें वर्ष में इस भवन के गुंबद का निर्माण नहीं कर लेते। हम इस सरकार को चलाते समय महान शिवाजी के आदर्शों को ध्यान में रखेंगे।

हम महाराष्ट्र राज्य की पहचान बनाये रखना चाहते हैं। हम कई वर्षों से बम्बई का नाम बदलकर मुम्बई करने की मांग करते आ रहे थे। वर्तमान विपक्षी दल जो उस समय सत्ता में थे, उसने यह काम नहीं किया क्योंकि उनमें महाराष्ट्र के गौरव के प्रति ललक नहीं थी। पूर्व सरकार ने इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार से संपर्क नहीं किया। विपक्ष ने औरंगाबाद का नाम बदलकर सम्भाजी नगर करने के हमारे कदम का भी प्रतिरोध किया था। अत: विपक्षी दल को शिवाजी का नाम लेने का नैतिक अधिकार नहीं है।

महाराष्ट्र की आम जनता ने हमें सत्तासीन किया है। हम यहां उनकी समस्याओं के समाधान के लिये बैठे हैं। लोगों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। इसलिये, हमने उनके लिए 'झुनका भाकर' योजना शुरू की। हमने पेयजल को प्राथमिकता दी है। विपक्षी दल जब सत्ता में था, तब उन्होंने

* मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए वाद-विवाद का उत्तर देते हुए, महाराष्ट्र विधान सभा (22 मार्च 1996)

कृष्णा नदी से पानी लेने के लिये कुछ नहीं किया। सरकार ने एनरान परियोजना में संशोधन करके 25 करोड़ रुपये की बचत की है... यह सरकार बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में भेद नहीं करती है। यह सरकार सभी नागरिकों को महाराष्ट्रवासी मानती है। यह सरकार अपने वायदों को पूरा करेगी। यह महाराष्ट्र को समृद्ध बनायेगी। हमारी सरकार अन्य राज्यों के लिये आदर्श बनेगी।

शहरीकरण की समस्याएं*

मैं सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि तैंतीसों सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों और दिए गए सुझावों पर सरकार द्वारा गम्भीरता से विचार किया जाएगा। जल आपूर्ति विभाग का बजट अलग से बनाया गया है। चूंकि मुख्यमंत्री स्वयं मुम्बई के हैं इसलिए जनता इस सरकार से शहरी आबादी के प्रति बेहतर व्यवहार की उम्मीद करती है।

शहरीकरण की गति बढ़ती जा रही है। माननीय दिग्विजय खानविलकर द्वारा प्रस्तुत आंकड़े सही हैं। यदि शहरीकरण इसी दर से बढ़ता रहा तो वर्ष 2000 तक कुल आबादी में शहरी आबादी का अनुपात 50 प्रतिशत हो जाएगा। किसी भी सदस्य ने चर्चा में राजनीति नहीं की। मैं इसके लिए सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। मैं समझता हूं कि शहरीकरण में हो रही वृद्धि को रोक पाना संभव नहीं है। अमरावती जैसी नगरपालिका नागरिकों की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। मुझे बहुत सी नगलपालिकाओं के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं। इन नगरपालिकाओं को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिएं। पानी सबसे महत्वपूर्ण सुविधा है। माननीय मंत्री अन्नासाहेब दांगे जलापूर्ति के बारे में बतायेंगे। गंदगी और मलिन बस्तियां केवल मुम्बई की ही समस्या नहीं है। बहुत से गांवों में स्थिति नगरों और शहरों से बेहतर है। ये हालत केवल महाराष्ट्र में ही नहीं है, सम्पूर्ण देश में हैं। गांवों के लोग रोजगार की तलाश में नगरों में आते हैं। वहां उन्हें प्रदूषण, दूषित जल, सड़कों की कमी और उसके परिणामस्वरूप यातायात जाम जैसी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। निधियों की कमी के कारण नगर इन बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने में असमर्थ हैं। हमें नगरों तथा शहरों में नगरपालिकाओं के लिए निधियां जुटाने के बारे में सोचना है। हमें नागरिकों पर कर लगाकर निधियां जुटानी होंगी। इसके लिए हमें सभी संबद्ध पक्षों का सहयोग लेना होगा। प्राकृतिक दृष्टि से तो मुम्बई सुंदर है मगर यहां इसे जनसंकुलता और अत्यधिक भीड़-भाड़ जैसी समस्याएं होने लगी हैं। मुम्बई की आबादी करीब एक करोड़ होने को है। मुम्बई वासी सहनशील हैं। मुम्बई की इन समस्याओं पर ध्यान न दिए जाने और लम्बे अरसे तक इनकी उपेक्षा किये जाने के कारण ये और विकट हो गई हैं। इस महानगर की समस्याओं को हल करने के लिए प्रबल राजनैतिक इच्छा परमावश्यक है। इन समस्याओं के प्रति राजनीति से मुक्त दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। इन मानव जनित समस्याओं को स्वयं मनुष्यों को ही सुलझाना होगा। मुम्बई में पानी, गंदी बस्तियों और परिवहन की विकट समस्याएं हैं। हमें इन समस्याओं का समाधान एकजुट होकर तथा सर्वसम्मति से करना होगा।

*मुख्यमंत्री के रूप में अनुदानों की मांगों (1996-1997) पर वाद-विवाद का उत्तर देते हुए, महाराष्ट्र विधान सभा (22 जुलाई 1996)

हमने गंदी बस्तियों की समस्या को लिया था। हमारे इस कदम की इस संसद में और अन्यत्र भी यह कहकर आलोचना की गई कि यह भवन निर्माताओं को सम्पन्न बनाने की एक चाल है। भवन निर्माता हमारी योजनाओं में भाग लेने के लिए आगे नहीं आए। यदि उन्हें इसमें आर्थिक लाभ दिखता तो वे इन परियोजनाओं का लाभ उठाने के लिए इनमें कूद जाते। लगभग 50 लाख लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं। यह पूरे महाराष्ट्र राज्य की जनसंख्या का लगभग सोलहवां भाग है। ये लोग अमानवीय दशाओं में जीवनयापन कर रहे हैं। हमने उनकी दशा को सुधारने का प्रयास किया। उसपर भी हमारी योजनाओं की आलोचना की जा रही थी। इस आलोचना के बावजूद हमारी योजनाओं का काम प्रगति पर है। एक झुग्गी-झोपड़ी वासी को 225 वर्ग फुट भूमि आबंटित करने पर कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। चाहे जो हो, हम वर्ष 2000 तक इस योजना को पूरा करके ही रहेंगे। इन झुग्गीवासियों को भी मानवीय परिस्थितियों में जीने का अधिकार है। शिवसाही सरकार के रहते कोई भी झुग्गी वासियों को उनके इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता।

मुम्बई में अनधिकृत निर्माण का कारोबार तेजी पर है। इन अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया था। यह कार्य वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले ही किया गया था। रिहायशी निर्माणों को नहीं गिराया गया, केवल गैर रिहायशी अनधिकृत निर्माणों को ही गिराया गया था। इस वर्ष मैं 3 जून को बृहन्मुम्बई नगर निगम कार्यालय में गया था। वहां समन्वय समिति की बैठक हुई थी। मैंने अधिकारियों को अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ शीघ्र कार्यवाही करने के लिए कहा। सरकार लगभग बीस-पच्चीस हजार व्यक्तियों को अनधिकृत निर्माण करने कैसे दे सकती है? यदि विपक्ष को निम्न आय वर्ग के लोगों की वास्तव में चिंता है तो इसे अनधिकृत निर्माणों का समर्थन नहीं करना चाहिए। वर्षा 12 जून से शुरू हुई थी। अनधिकृत निर्माणों को 5 से 11 जून की अवधि के दौरान गिरा दिया गया था। एक ओर तो अनधिकृत निर्माणों को गलत बताना और दूसरी ओर सरकार द्वारा निर्माणों को गिराये जाने पर सरकार को कसूरवार ठहराना दुमुहापन है। ऐसा कहा जा रहा था कि तोड़-फोड़ की कार्यवाही में दो बच्चे मर गए। मैंने घटना स्थल पर तथ्यों का पता लगाया है और लिखा है कि इन बच्चों की मृत्यु का अवैध निर्माणों को ढहाने की कार्रवाई से कोई सरोकार नहीं है। जो शासन करते हैं उन्हें संवेदनशीलता होने के साथ-साथ कठोर भी होना पड़ता है।

मैं अब मुम्बई नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल की बात करता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने मुझसे हड़ताली कर्मचारियों का पक्ष लेने का अनुरोध किया था। मैं इस हड़ताल का घटनाक्रम बताना चाहता हूं। पिछले वर्ष कर्मचारियों के वेतन में 50 से 55 करोड़ रुपए की वृद्धि की पेशकश की गई थी। कर्मचारियों को अपनी मांग की तुलना में यह राशि कम महसूस हुई। अतः उनकी मांग को पूरा करने के उद्देश्य से यह राशि बढ़ाकर 119 करोड़ रुपए कर दी गई। इतनी वृद्धि किये जाने के बावजूद इन कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। एकाएक इन कर्मचारियों ने अपने झाड़ू-बुहारी तथा सफाई करने का अन्य सामान एक तरफ रख दिया और कचरा हटाने और सड़क साफ करने का काम रोक दिया। यदि ये कर्मचारी एक करोड़ नागरिकों को परेशानी में डालकर सरकार को अपनी मांग मानने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, तो सरकार उनके प्रति कभी भी सहानुभूति का रूख नहीं अपनाएगी। सरकार न तो उनकी हड़ताल विरुद्ध है, न ही उनकी मांगों के विरुद्ध बरसात का मौसम शुरू होते ही जब

पानी भर जाता है और सीवर जाम हो जाते हैं ये कर्मचारी हड़ताल कर देते हैं। यदि नागरिक इस हड़ताल से उन्हें हो रही असुविधा को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो सरकार को भी कानून और व्यवस्था के मुद्दे से निपटना पड़ सकता है। निगम आयुक्त ने कर्मचारियों से हड़ताल न करने का अनुरोध किया था। वह कर्मचारियों से मांगों के बारे में चर्चा करने को पूर्णत: इच्छुक थे। कर्मचारियों को हड़ताल की सूचना एक महीना पहले ही दे देनी चाहिए थी। परन्तु ऐसा करने के बजाय वे अचानक हड़ताल पर चले गए। मैं कर्मचारियों के नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे अपने हड़ताल अविलम्ब वापस लें। सरकार दिली तौर पर चाहती है कि उनकी समस्याओं का शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत द्वारा समाधान किया जाए।

महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के बजट से कुछ शहरों के लिए राजसहायता दी है। नागपुर शहर के लिए पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान 15-15 करोड़ रुपये की राजसहायता स्वीकृत की गयी है। सरकार नागपुर को विदर्भ अंचल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शहर का दर्जा देने पर विचार कर रही है। कुछ सदस्य चाहते हैं कि हम मेयरों को कार्यकारी शक्तियां प्रदान करें। नगरपालिकाओं के अध्यक्षों को कार्यकारी शक्तियां प्राप्त हैं। यहां तक कि गांवों के सरपंचों को भी शक्तियां प्राप्त हैं। कोलकाता में एक प्रयोग किया गया है वहां "मेयर-इन-काउन्सिल" का गठन किया गया है। हम मेयर को शक्तियां प्रदान करने के लिए तैयार हैं। निगम आयुक्तों को शक्तियां प्राप्त हैं। किन्तु मेयरों तथा समितियों के अध्यक्षों के पास कोई शक्तियां नहीं हैं। हम मुम्बई और नागपुर में 'मेयर-इन-काउन्सिल' प्रणाली शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। इस प्रणाली को धीरे-धीरे अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा। इस प्रणाली को लागू करने के तौर-तरीकों के बारे में विचार किया जा रहा है। हमारी यह दृढ़ धारणा है कि जन प्रतिनिधियों के पास शक्तियां होनी ही चाहिए।

सदस्यों ने कुछ शहरों और नगरों के बारे में अपने विचार रखे हैं। सिंधखेड़ राजा शिवाजी महान की माता जीजाबाई का जन्म स्थान है। जीजाबाई को पूरे महाराष्ट्र की राज्य माता कहा जा सकता है। सरकार ने इस शहर के लिए एक करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। हमने पंढरपुर के लिए 20 करोड़ रुपये अलग रखा है। यह भगवान विट्ठल को समर्पित एक पवित्र तीर्थ स्थल है। ये धनराशियां पिछली सरकारों द्वारा प्रस्तावित और व्यय की गयी धनराशियों से कई गुना अधिक हैं।

वर्ष 1995 में मैंने दलित कालोनियों में सभी अपेक्षित सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिये थे। इस वर्ष के बजट में दलित कालोनियों के लिए 7.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस राशि से निम्न आय वर्ग के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी हैं।

सामाजिक वानिकी शहरी जीवन का एक अनिवार्य अंग है। महाराष्ट्र में 232 शहर हैं। हमारे राज्य में बारह निगम हैं। मुम्बई में 19,308 हेक्टेयर क्षेत्र 'नो डेवलपमेंट जोन' है। यह मुम्बई में उपलब्ध भूमि का 41.40 प्रतिशत है। हमारा विचार इस भूमि को सामाजिक वानिकी के माध्यम से हरा-भरा बनाना है। हमें सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए विकास विनियमों में संशोधन करना होगा। इस संशोधन का उद्देश्य इन भू-स्वामियों को सामाजिक वानिकी के लिए प्रेरित करना है।

माननीय श्री बाला नन्दगांवकर ने मुम्बई स्थित सूती कपड़ा मिलों की भूमि का उल्लेख किया है। जबसे यह सरकार सत्ता में आयी है, किसी भी मिल मालिक ने एक इंच भूमि भी नहीं बेची है। जब तक मिल मालिक मिल कामगारों के हितों का संरक्षण नहीं करते तब तक यह सरकार मिलों को भूमि बेचने की अनुमति नहीं देगी। हमने दो समितियां गठित की हैं। एक समिति का कार्य मिलों की जमीन की बिक्री से कामगारों को लाभ देने के मुद्दे पर विचार करना है। दूसरी समिति, जो सुप्रसिद्ध वास्तुकार श्री चार्ल्स कोर्रिया की अध्यक्षता में गठित की गई है, का कार्य सूती कपड़ा मिलों की भूमि के समन्वित विकास की पुनरीक्षा करना है। इन दोनों समितियों के प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही हम यह निर्णय ले सकते हैं कि पुरानी नीति को जारी रखा जाए, अथवा संशोधित किया जाए। हम जो भी निर्णय लेंगे वह कामगारों के हितों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।

महोदय, अनेक सदस्यों ने अनेक नगरपालिकाओं को भंग करने की वकालत की है। इसका अर्थ यह हुआ है कि ये नगरपालिकाएं अपेक्षित तरीके से कार्य नहीं कर रही हैं। हमें लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित नगरपालिकाओं को भंग करने से पहले गम्भीरतापूर्वक सोच-विचार करना होगा। हम कभी भी अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए इन्हें भंग नहीं करेंगे। मैंने राज्य सभा में यह घोषणा की थी कि हमने सांगली नगरपालिका को भंग करने का निर्णय लिया है। उस नगरपालिका के अध्यक्ष ने न्यायालय में हमारे निर्णय के विरुद्ध एक रिट याचिका दायर कर दी। मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष है कि न्यायालय ने हमारे निर्णय को बरकरार रखा है। भ्रष्टाचार, कुप्रशासन और पक्षपात को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगरपालिकाओं द्वारा अपनी निधियां आम जनता के हितार्थ ही व्यय की जानी चाहिए। हमने लातूर नगरपालिका के रिकार्डों की जांच की है। उनके निर्णय उनके प्राधिकार की सीमाओं का अतिक्रमण करते प्रतीत होते हैं। इसलिए हमने इस नगरपालिका को भंग करने का निर्णय लिया है। हमारे मंत्रिपरिषद ने मिराज नगरपालिका को भी विघटित करने का निर्णय लिया है। मैं इस सभा के सदस्यों से लातूर और मिराज नगरपालिकाओं को भंग करने संबंधी प्रस्तावों को पारित करने का अनुरोध करता हूं। इस कार्यवाही से सभी नगरपालिकाओं को सही संकेत जाएंगे कि उन्हें अपने कार्यकरण में कुप्रबंधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमें नंदुरबार नगरपालिका के विरुद्ध भी शिकायतें मिली हैं। हम इस संबंध में जांच करने के पश्चात् निर्णय लेंगे।

महोदय, मैं सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर दूंगा। मुम्बई की तर्ज पर ही हमने नागपुर के लिए भी एक समन्वय समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है। सहयोग प्राप्ति के लिए नागपुर के दो दौरे किए जाएंगे। हमें मुम्बई में बी.आई.टी. और बी.डी.डी. चालों की मरम्मत करवानी है। इन चालों में कामगार और अन्य हजारों लोग रहते हैं। उन्हें सहकारी आवास समितियों के माध्यम से इस समस्या का समाधान करना चाहिए। माननीय श्री एडम ने कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के अधिकार को बनाए रखने की बात कही है। मैं इस अधिकार का विरोध नहीं करता हूं। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हें यह अधिकार तभी है जब वे अपने कर्त्तव्यों का भी निर्वहन करें।

मुम्बई में जमीन की कीमत बढ़ती रही है। कुछ लोग बताते हैं कि यह एक लाख रुपया प्रति वर्ग फुट है। हमारी सरकार ने स्लम सुधार कार्यक्रम शुरू किया है। ये कार्यक्रम मुम्बई में जमीन की

कीमत नीचे लाएंगे। इससे मध्य वर्गीय व आम लोगों को फायदा पहुंचेगा। हमें बंबई उपनगरीय विद्युत आपूर्ति (बीएसईएस) के विरुद्ध दर्ज विद्युत आपूर्ति में बार-बार बाधा की शिकायत की जानकारी है। हमने इस मामले को उनके अध्यक्ष के समक्ष रखा है तथा उनसे आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। माननीय सदस्य श्री खानविलकर ने हमसे निगम के क्षेत्रों को सीमित करने के लिए कहा है। लेकिन कुछ व्यक्ति चाहते हैं कि नगरपालिका क्षेत्रों का विस्तार किया जाए। समुचित विचार-विमर्श के बाद ही नगरपालिका क्षेत्रों की सीमाओं के बारे में निर्णय करना होगा। सरकार ने माननीय श्री शिवाजीराव कवेकर की इच्छाओं का सम्मान करते हुए लाटूर नगरपालिका को भंग कर दिया है। माननीय श्री बशीर पटेल ने पुरानी इमारतों की मरम्मत का मुद्दा उठाया है। लगभग 18 से 20 हजार पुरानी इमारतें हैं। इस संबंध में हम सुकंठकर समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक सदस्य ने अस्तबलों को हटाने का सुझाव दिया है। एक अन्य सदस्य ने उन्हें वहीं बने रहने देने को कहा है। अस्तबलों के स्वामी उन अस्तबलों को हटाने का विरोध नहीं करते हैं। लेकिन वे मुंबई के पास जगह लेना चाहते हैं। सरकार ऐसे स्थान का पता लगाने का प्रयास कर रही है। मैं माननीय श्री मंगल प्रभात लोढा के दो सुझावों को स्वीकार करता हूं। उनका एक सुझाव तीर्थस्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने का है। मैंने मुंबई के उप-नगर पालिका आयुक्त को विधानमंडल के सदस्यों को अपनी बैठकों के लिए आमंत्रित करने का अनुदेश दिया है। मुंबई नगरपालिका आयुक्त को आवश्यक अनुदेश दिए गए हैं। माननीय श्री रामभाऊ मोज ने आसपास के गांवों को पुणे नगरपालिका में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है। सरकार को आस-पास के गांवों को पुणे और साथ ही पिंपरी-चिंचवाड नगरपालिकाओं में सम्मिलित करने पर विचार करना है। श्री प्रमोद शिर्वलकर पूरे चेम्बूर के कारपेट एरिया में वृद्धि कराना चाहेंगे। यद्यपि यह संभव नहीं है, तथापि सरकार एक निश्चित दूरी तक आने वाली इमारतों के लिए ऐसा कर सकती है। माननीय सदस्य श्री वामनराव चातप के सुझाव पर मैं स्वयं राजुरा नगरपालिका की समस्या की जांच कर रहा हूं। हमने श्री शरद पाटिल के सुझाव के अनुसार मिराज नगरपालिका को भंग करने के बारे में घोषणा की है। सरकार पुणे शहर के लिए भूमिगत जल-आपूर्ति पाइप के बारे में मुस्तैदी से कदम उठा रही है। मैं तुलजापुट के लिए अनुदान स्वीकृत करने के लिए डा. किनहलकर से सहमत हूं। इसके लिए राशि पर संबद्ध व्यक्तियों से परामर्श करके विचार किया जाएगा। मैं नांदेड़ को एक पवित्र स्थल बनाने के सुझाव से सहमत हूं। श्री धाने पाटिल ने स्वच्छता संबंधी कार्य के बारे में बात की। सरकार नगरपालिकाओं को वित्तीय मामलों में आत्म-निर्भर बनाने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति गठित करने पर विचार कर रही है। यह समिति करों और निजीकरण की सीमा के बारे में जांच करेगी। हम नौवें वित्त आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय सदस्य श्री सुभाष कुल ने नए शहर बनाने के लिए एक नूतन विचार रखा है। मैं उनके साथ उनके विचार पर चर्चा करूंगा। डा. बी.एस. पाटिल ने एक मौलिक विचार रखा कि शहरी विकास के लिए ग्रामीण विकास आवश्यक है। श्री मराठे ने शहरों में कुछ गांवों या कस्बों को विरासती गांवों के रूप में परिरक्षित करने का सुझाव दिया। मझगांव को विरासत गांव के रूप में परिरक्षित किया जा सकता है जहां 100 से 150 वर्षों से इसाई बसे हुए हैं। मैं इस प्रयोजनार्थ शहरों और गांवों को विनिर्दिष्ट करने का अनुरोध करूंगा।

माननीय सदस्य श्री बबनराव पचापुते ने पेयजल आपूर्ति के संबंध में कुछ सुझाव दिए। माननीय सदस्य श्री दारोडे ने शाहापुर तक जल आपूर्ति की व्यवस्था करने का सुझाव दिया जो कि मुंबई के लिए जल का स्रोत है। माननीय सदस्य श्रीमती रूपलेखा धोरे ने सार्वजनिक पुस्तकालयों के बारे में सुझाव दिया। यदि पाठक सरकार से मांग करें तो सरकार को नये पुस्तकालय खोलने में कोई आपत्ति नहीं होगी। श्रीमती धोरे ने पुणे-मुंबई राजमार्ग से विज्ञापन-पटों को हटाने का भी सुझाव दिया। उन्हें हटाया जाना संभव नहीं है। सरकार इन विज्ञापन-पटों के संबंध में विनियम बना सकती है। सरकार को इन विज्ञापन पटों के लिए मानदंड निर्धारित करने होंगे। श्रीमती प्रभा राव ने गैर कृषि भूमि अनुमति के बिना बनाई जाने वाली कालोनियों का प्रश्न उठाया है। वहां के निवासी नहीं चाहते कि इन कालोनियों को तोड़ा जाए। हम ऐसे क्षेत्रों में बनाई जा रही कालोनियों को रोकने के उनके सुझाव से सहमत हैं। सरकार इसके लिए नियमों में संशोधन करेगी।

मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने शहरी विकास के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। कुछ सदस्यों का कहना है कि यह सरकार केवल घोषणाएं करती है। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त मोर्चे की यह सरकार परिणाम देने के लिए प्रतिबद्ध है, न कि सिर्फ खोखले नारे लगाने के लिए।

विदर्भ का विकास*

मैं विदर्भ के विकास के बारे में हुए वाद-विवाद में सदस्यों की भागीदारी की सराहना करना चाहूंगा। यह अच्छी बात है कि सदस्यों ने इससे संबंधित मुद्दों की संवेदनशीलता को समझा है। लगभग पैंतीस सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करके इस सभा की शानदार परम्परा को बनाए रखा तथा उसे समृद्ध किया। इन सभी सदस्यों ने अपने भाषण के माध्यम से अच्छी जानकारी दी। जब महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की गई थी, तो स्व. यशवन्त राव चव्हाण ने विदर्भ के मुद्दे पर विशेष ध्यान देने का वायदा किया था। यदि विदर्भ के मुद्दों पर समुचित ढंग से विचार नहीं किया जाता है, तो मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे कमियों की ओर ध्यान दिलाएं। विदर्भ के लोगों की अपेक्षायें पूरी नहीं की गई हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि हमारी सरकार उन्हें पूरा करेगी। हो सकता है गत बीस माह के दौरान हमारे कार्य-निष्पादन में कमी रही हो। उन कमियों को शेष तीन वर्षों में पूरा कर लिया जायेगा। अभी मुश्किल से एक वर्ष बीता है, जब हमने विदर्भ के विकास के लिए अपना समयबद्ध कार्यक्रम घोषित किया था। समस्या न केवल नीति तैयार करने से संबंधित है, अपितु उसके कार्यान्वयन से भी संबंधित है।

सरकार के लिए यह आवश्यक था कि पिछले वर्ष में वह अपने कार्यक्रमों को 33% तक पूरा करती। तथापि यह कार्य केवल 25% तक पूरा हुआ। मैं स्वीकार करता हूं कि 8% कार्य नहीं हो पाया है। तथापि यह कार्य इस सरकार के शेष कार्यकाल के दौरान पूरा किया जा सकता है। मुझे रामटेक में शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे द्वारा घोषित विकास के कार्यक्रम का उल्लेख करना पड़ेगा। मैं विदर्भ के विकास की गति को तेज करना चाहूंगा।

विदर्भ के विकास परिव्यय के बारे में कुछ भ्रान्तियां हैं। हमने पिछले वर्ष अनुमान लगाया था कि विकास योजना के लिए 2700 करोड़ रु. के परिव्यय की आवश्यकता होगी। इस संबंध में बाद में पता चला कि यह राशि बढ़ाकर 4300 करोड़ रु. करनी होगी। हमारे बजट विवरण दर्शाते हैं कि इस धनराशि को आगामी तीन वर्षों के दौरान कैसे व्यय किया जायेगा। हमारी वचनबद्धता महाराष्ट्र राज्य सरकार के वार्षिक बजट में प्रतिबिम्बित होगी। यह पता लगाना प्रत्येक मंत्री का दायित्व है कि क्या बजट में आवश्यक प्रावधान किये गये हैं। तथापि मैं, स्वयं मुख्यमंत्री की हैसियत से इस संबंध

* मुख्य मंत्री के रूप में विदर्भ क्षेत्र का पिछड़ापन दूर करने संबंधी प्रस्ताव पर वाद-विवाद का उत्तर देते हुए, महाराष्ट्र विधान सभा (12 दिसम्बर 1996)

में विचार करूंगा। मैं जानता हूं कि परिव्यय 150% तक बढ़ गया है। किन्तु विदर्भ की विकास योजना को कार्यान्वित करने के लिए इतनी धनराशि आवश्यक है। पूर्व सरकार वित्तीय कमी को पूरा करने के लिए ऋण ले सकती है। तथापि, उन्हें वास्तविक बैकलाग के लिए आलोचना सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पहले जितनी धनराशि की गणना की गई थी उससे इस बैकलाग को पूरा करना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है और मान लें कि 50 किलोमीटर का निर्माण कर लिया गया है, तो 50 किलोमीटर सड़क का निर्माण बकाया (शेष) रह जाता है। यह कार्य मुद्रा स्फीति के कारण पिछले अनुमानों की राशि से पूरा नहीं किया जा सकता। अन: विदर्भ के लोगों की वास्तविक बैकलाग संबंधी शिकायतें उचित हैं। हमें 4300 करोड़ रु. का अनुमानित परिव्यय स्वीकार करना है। यदि यह परिव्यय किया जाता है तो हमें विश्वास है कि हम वर्ष 2000 के अंत तक इस बैकलाग को पूरा कर लेंगे।

डा. वी.एम. दाण्डेकर ने बैकलाग की गणना करते समय कुछ विभागों को ही ध्यान में रखा। कुछ सदस्य चाहते हैं कि हम बकाया कार्य की राशि पर पुनर्विचार करते समय अन्य सभी अज्ञात कारकों पर भी विचार करें। महामहिम राज्यपाल ने तीन क्षेत्रीय विकास बोर्डों के अध्यक्षों की समिति नियुक्त की है। इस समिति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बकाया कार्य की धनराशि को संशोधित करने के लिए इन अज्ञात कारकों को ध्यान में रखें। सरकार इस स्तर पर कोई वायदा नहीं कर सकती कि संशोधित बकाया राशि का कितने समय में भुगतान कर दिया जायेगा। सरकार उक्त समिति के प्रतिवेदन को पूर्णत: स्वीकार करने के लिए तैयार है। सरकार को बैकलाग को पूरा करने के साथ-साथ एक कार्यक्रम भी तैयार करना पड़ेगा, जिससे विदर्भ के लोगों को निश्चित रूप से लाभ पहुंचेगा। मैं महसूस करता हूं कि बैकलाग की समस्याओं पर ध्यान देने और विदर्भ के विकास कार्यों को करने के लिए एक पृथक प्रशासनिक एजेंसी स्थापित करना जरूरी है। मैंने एक अतिरिक्त मुख्य सचिव को नियुक्त करने का निर्णय लिया है, जिसे नागपुर में तैनात किया जाये। हमें एक अधिकारी को नियुक्त करना होगा, जिसे विदर्भ की समस्याओं में रूचि हो और जो विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित कर सके। हम इस सत्र के लिए दिसम्बर में यहां मिलेंगे। मैं जून में मंत्रिमंडल की दो-दिवसीय बैठक आयोजित करना चाहूंगा, ताकि विदर्भ में निर्वाचित होकर आये इस सभा के सदस्य मंत्रियों से मिल सकें और इस क्षेत्र के विकास की समस्याओं को सुलझा सकें। मैं बजट तैयार करने से पहले मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करने संबंधी माननीय चापट के सुझाव से सहमत हूं। हम सम्भाजी नगर और रत्नागिरी में मंत्रिमंडल की बैठकें आयोजित करते हैं। इसी तरह की बैठकें नागपुर में आयोजित करने के लिए हम अधिकारियों पर दबाव डालेंगे। एक बड़े राज्य का संचालन करते हुए अधिकारियों की सूक्ष्म रूप से निगरानी करना कठिन हो जाता है। हम विदर्भ के लिए एक लघु सचिवालय की स्थापना कर रहे हैं। वित्त और आयोजना से संबंधित दो सचिव हैं। इन दोनों सचिवों को विदर्भ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले इस सभा के संबंधित सदस्यों के साथ विदर्भ विकास के लिए सचिव से मिलने के निर्देश दिए गए हैं।

कुछ सदस्यों ने विदर्भ क्षेत्र के औद्योगीकरण का उल्लेख किया है। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना के 35 वर्षों के बाद भी विदर्भ के 9 जिलों में से केवल दो का ही औद्योगीकरण हो पाया है। उद्योगों

के बिना सम्पन्नता नहीं आ सकती है। विदर्भ के लिए दी गई रियायतें अन्य क्षेत्रों को नहीं दी गई हैं। कृपया क्षेत्रों का झगड़ा आरंभ न करें। कृपया विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र, कोंकण अथवा मुम्बई जैसे विभिन्न क्षेत्रों के पृथक्करण की किसी भावना को प्रश्रय न दें। सरकार ने गढ़चिरौली जिले में मुफ्त भूमि देने की बात स्वीकार कर ली है। यह रियायत नक्सलवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए दी गई है। सरकार ने विदर्भ के उद्यमियों की मांगों को पूरा करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क हटाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय विदर्भ के विकास की कमी को दूर करने के लिए लिया गया है। कुछ सदस्यों ने विद्युत शुल्क में 22% की रियायत देने की मांग की है। कृषकों, निम्न आय अर्जकों और गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को विद्युत शुल्क में रियायत दी गई है। इन रियायतों ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के राजस्व में कटौती की है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड का वित्त इतना कम हो गया है कि विश्व बैंक ने एक सूचना के माध्यम से धमकी दी है कि उन्हें आगे और ऋण देना बंद करने पर विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। हमने उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए विद्युत में 5% रियायत दी है। हमने एकल खिड़की संबंधी स्वीकृति देने का वादा किया था। सदस्यों को स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि यह स्वीकृति मिल गई है। हमने पंच सितारा औद्योगिक क्षेत्रों के लिए रियायतों की घोषणा की है। हम उन्हें भूमि, टेलीफोन, टेलेक्स, फैक्स, बिजली, पानी, सड़कें, निकास प्रणाली और आकस्मिक मूल सुविधायें प्रदान करेंगे। उद्योगों को सुविधायें प्रदान करने और रियायतें देने में महाराष्ट्र को गुजरात और कर्नाटक के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। अत: सरकार ने बुट्टीबोरी औद्योगिक क्षेत्र को रियायतें प्रदान की हैं। हमने जलापूर्ति की व्यवस्था नन्द बांध से की है। हम नई परियोजनाओं को जलापूर्ति की गारंटी देना चाहेंगे। हमने एक हजार टेलीफोन आरक्षित किए हैं। हमने 24 घंटे में फैक्स और टेलीफोन सुविधायें प्रदान करने का वचन दिया है। दो पांच-सितारा औद्योगिक क्षेत्र उभर रहे हैं—एक विदर्भ में और दूसरा महाद में।

माननीय सदस्य सर्वश्री कराले, तूपे और चापट ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। मैं कभी भी किसी भी समिति का सभापति नहीं रहा हूं। मैंने इस समिति के सभापति पद का कार्यभार संभाल लिया है चूंकि यह हमारे राज्य के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है। इस समिति में श्री शरद जोशी हैं जो कृषि विशेषज्ञ हैं; श्री बालासाहिब विखे पाटील जो सहकारिता आंदोलन में अग्रणी रहे हैं; श्री चिताले जो डेरी उद्योग के विशेषज्ञ हैं; श्री अजित केरकर हैं जो एक प्रमुख होटल व्यवसायी हैं और इसी प्रकार के अन्य सुविज्ञ व्यक्ति शामिल किए गए हैं। इस समिति ने दलीय सम्बद्धता से हटकर कार्य किया है। महाराष्ट्र सरकार ने समयबद्ध कार्यक्रम के साथ नौकरियों और स्व-रोजगार के मुद्दों को निपटाने का निर्णय किया है। कृषि सेवाओं और कृषि परामर्श सेवा को अगले तीन वर्षों में 5,000 नौकरियां प्रदान करनी हैं। स्वयं की जानेवाली खेती से अगले तीन वर्षों में 95,000 नौकरियों के अवसर सृजित होंगे। निजी क्षेत्र में सड़कों और भवनों में निवेश से 7,50,000 नौकरियों के अवसर सृजित होंगे। लघु उद्योगों के फलस्वरूप अगले तीन वर्षों में 90,000 नौकरियों के अवसर सृजित होंगे। हमने अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का निर्णय किया है। कोई भी अन्य राज्य संसाधन के मामले में महाराष्ट्र

के समान समृद्ध नहीं है। मैंने झाड़ी वाले वन के मुद्दे पर केन्द्र सरकार के साथ बातचीत की है। इसका समाधान शीघ्र किया जाएगा। हम नई नौकरियों के अवसरों का सृजन करने के लिए इन झाड़ी वनों का उपयोग कर सकते हैं।

मेरा विचार है कि विदर्भ के लोगों द्वारा सड़कों की स्थिति के संबंध में शिकायत किए जाने का कोई कारण नहीं है। महाराष्ट्र राज्य के वार्षिक बजटों में विदर्भ में सड़कों के लिए 25-30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाता था। शिवशाही सरकार ने 1995-96 के बजट में इस आबंटन को बढ़ाकर 172 करोड़ रुपये कर दिया। वर्ष 1996-97 के बजट में इसके लिए 223 करोड़ रुपये का प्रावधान था। ऐसा लगता है कि श्रीमती मीनाक्षी पाटील यह समझती हैं कि हमारी सरकार को विदर्भ में सड़क विकास के कार्य में तेजी लानी चाहिए मानो कि यह जादू की छड़ी से किया जा सकता है। तथापि, यह संभव नहीं है। मैं माननीय श्री अनीस अहमद को यह बताना चाहूंगा कि हमें सड़क विकास के लिए मुख्यत: बजटीय प्रावधान के अनुसार कार्य करना है। मुम्बई के नजदीक सड़कों का निर्माण राज्य सरकार के बजटीय प्रावधान और निजी क्षेत्र दोनों के अनुसार किया जाता है। विदर्भ के मामले में ऐसी आशा नहीं की जा सकती है। इसलिए, वहां सड़कें बनाने की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी ही रहेगी। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि हमारा बजटीय प्रावधान पहले की सरकार द्वारा किए गए बजटीय प्रावधान की अपेक्षा कई गुणा अधिक है। कुछ सदस्यों द्वारा कोयला खानों के नजदीक सड़कें बनाये जाने की मांग करना पूर्णतया उचित है। सरकार ने इस दौरान इस प्रयोजनार्थ 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस वर्ष हम कोयले की खानों के समीप सड़कों के लिए 5.30 करोड़ रुपये व्यय करेंगे। माननीय श्री अशोक गूजर, श्री मारुतिराव कोवासे और श्री हेमकृष्ण कापागाटे ने हरनघाट पुल के निर्माण का समर्थन किया है। इस प्रयोजनार्थ निविदाएं मंगाई गई हैं तथा इस पुल पर कार्य शीघ्र ही शुरू होगा।

कुछ सदस्यों ने आदिवासियों के लिए अलग से प्रावधान किए जाने की मांग की है। हमारी सरकार ने ही आदिवासियों के लिए एक अलग बजट तैयार किया था। पहले की सरकारों ने ऐसा नहीं किया था। हमारी सरकार ने इस विषय पर योजना बनाई थी और राशि का नियतन किया था। भारत के अन्य राज्य इस संबंध में हमारा अनुसरण कर रहे हैं। वर्ष 1996-97 के बजट में अमरावती जिले के लिए 23 करोड़ रुपये और गड़चिरोली जिले के लिए 66 करोड़ रुपये की राशि का नियतन किया गया था। सर्वश्री मारुतिराव कोवासे, अशोक गूजर और श्रवण पराटे ने कोराकु और माडिया जनजातियों के लिए अलग से प्रावधान करने की मांग की है। मैं आदिवासियों के मामलों से संबंधित मंत्री को सलाह देना चाहूंगा कि वे तद्नुसार एक अलग प्रावधान करें क्योंकि ये जनजातियां वस्तुत: पिछड़ी हुई हैं।

नए जिलों और नए ताल्लुकों की मांग की जाती रही है। किसी नये ताल्लुका के लिए 5-10 करोड़ रुपये और किसी नये जिले के लिए 80-100 करोड़ रुपये के परिव्यय की आवश्यकता होती है। यद्यपि नये ताल्लुकों और जिलों के लिए की जाने वाली मांग उचित है, तथापि वित्तीय बाधाओं के कारण इसे एक साथ कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। हमने वाशिम जिले के लिए मांग स्वीकार

कर ली है। यह घोषणा चुनाव के बाद उस समय की जाएगी जब चुनाव संबंधी आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। सरकार वाशिम जिले के लिए 70-80 करोड़ रुपये खर्च करने को तैयार है।

''फ्लाइंग क्लब'' के लिए मांग की जाती रही है। नागपुर में फ्लाइंग क्लब के लिए निविदाएं मंगाई गई हैं। सरकार ने निजी क्षेत्र के माध्यम से इस फ्लाइंग क्लब को आरंभ करने का निर्णय किया है। एक समिति से इन निविदाओं की जांच करने के लिए कहा गया है तथा निर्णय उचित ढंग से किया जाएगा।

कुछ सदस्य चाहते हैं कि ''जनसंख्या के अनुपात में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति'' हो। राज्यपाल ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की है। सरकार इस समिति की सिफारिशों को लागू करेगी। सरकार इस संबंध में बकाया रिक्तियां (बैकलाग) भरने के लिए तैयार है।

अब मैं कपास और चीनी के मुद्दे पर आता हूं। वर्ष 1991 से 1994-95 तक कपास की खरीद 37 लाख क्विंटल तक हुआ करती थी तथा 500 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई थी। कपास का मूल्य कभी भी 2100 रुपये प्रति क्विंटल नहीं रहा। शिवशाही सरकार ने 2100 रुपये प्रति क्विंटल की इस दर की घोषणा की। खरीद 67.97 लाख क्विंटल तक हुई। कपास उत्पादकों की आय बढ़कर 1309 करोड़ रुपये तक हो गई। माननीय शंकरराव जगताप ने कहा है कि कपास का उत्पादन निदर्शक खेतों (डेमांस्ट्रेशन फार्म्स) में चार गुना बढ़ाया जा सकता है। आप न केवल कपास के श्वेत कार्पेट बल्कि हरे, पीले और नीले रंग के कार्पेट भी देख सकते हैं। इन निदर्शक खेतों (डेमांस्ट्रेशन फार्म्स) को अकोला से महाराष्ट्र के अन्य भागों में ले जाया जा सकता है। विदर्भ की भूमि गन्ने का उत्पादन करने के अनुकूल नहीं है जिसकी चीनी मिलों को आवश्यकता होती है। मूल प्रश्न यह है कि घाटे में चल रहे व्यवसायों और उपक्रमों को कब तक चलाया जा सकता है। श्रीमती प्रभा राव ने पुलगांव सूत कारखाने का मुद्दा उठाया है। विदर्भ में बुद्धिमान, सक्षम और परिश्रमी लोग हैं। विदर्भ के लिए जिन विकास योजनाओं की घोषणा की गई है उन्हें स्थानीय लोगों के स्वैच्छिक सहयोग के बिना लागू नहीं किया जा सकता है।

कुछ सदस्यों ने क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के संदर्भ में सिंचाई क्षमता का मुद्दा उठाया। कुछ सदस्य कृष्णा घाटी सिंचाई योजनाओं से संबंधित बंध पत्रों (बाण्ड) के प्रति चिंतित हैं। हमारी सरकार ने 1995 में कार्यभार ग्रहण किया था। तब यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि कृष्णा घाटी में सिंचाई योजनाओं हेतु पांच वर्षों में इस पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो महाराष्ट्र राज्य को हानि उठानी पड़ेगी। बछावत अवार्ड के अनुसार ऐसा न करने पर अन्य राज्यों द्वारा इस पानी का इस्तेमाल कर लिया जाता। जबकि आवश्यकता केवल 350 करोड़ रुपये की ही थी, लेकिन बांडों से 427 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो गयी थी। इससे इस सरकार के प्रति लोगों का विश्वास प्रदर्शित होता है। तत्पश्चात्, हमने 300 करोड़ रुपये का पब्लिक इश्यू जारी किया। पहले ही 250 करोड़ रुपये तक की अभिदत्त पूंजी प्राप्त हो गयी थी।

विदर्भ में कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो अब तक अधूरी हैं। मैं गोसी खुर्द, बेम्बाला, वाना, निम्न ऊर्ध्व वर्धा, वेना, तुलातुली, खड़कपूर्ण और जिगांव तकाली परियोजनाओं के नामों का उल्लेख कर सकता हूं। इन परियोजनाओं से विदर्भ के नौ जिलों में सिंचाई की जा सकती है। इन परियोजनाओं में दो और परियोजनाओं को शामिल किया जाना है। इन सभी परियोजनाओं पर 3800 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा। यदि हम बजट में वार्षिक प्रावधानों की गति से चलें, तो इन परियोजनाओं को पूरा करने में तीस वर्ष लग सकते हैं। परियोजनाओं को इतनी लंबी अवधि में पूरा करना विदर्भ के लोगों के प्रति अन्याय होगा। इसलिए, सरकार ने विदर्भ सिंचाई विकास निगम की स्थापना करने का निर्णय लिया है। यह निगम अगले पांच वर्षों में सिंचाई के लिए बांधों और नहरों का निर्माण कार्य पूरा करेगा। परिव्यय की तीस प्रतिशत राशि बजटीय आबंटन में जुटायी जाएगी तथा सत्तर प्रतिशत राशि बांडों के माध्यम से जुटायी जाएगी। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि विदर्भ बांडों की बिक्री कृष्णा घाटी के बांडों की तरह ही की जाएगी। सरकार पांच वर्षों की अवधि के दौरान विदर्भ में सिंचाई और जलापूर्ति की समस्या का समाधान करने के लिए कृतसंकल्प है। आतपाडी गांव के साधारण किसानों ने पांच हजार रुपये के बांडों की खरीद की। विदर्भ पश्चिम महाराष्ट्र के समान ही समृद्ध हो जाएगा। मैं विदर्भ का समर्थन करने वाले और विदर्भ का विरोध करने वाले सभी सदस्यों से यह अपील करना चाहूंगा कि वे विदर्भ सिंचाई बांध के बांडों की बिक्री हेतु प्रचार करें।

महोदय, यह सरकार विदर्भ के विकास के लिए वचनबद्ध है। कृपया इस संबंध में अपना समर्थन दें ताकि महाराष्ट्र राज्य संगठित और सुदृढ़ रहे। केवल तभी हम महाराष्ट्र राज्य को एकजुट रखने की स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण की इच्छा को साकार कर पाएंगे।

109

महाराष्ट्र के लिए खेल नीति*

मुझे सभापटल पर यह संकल्पः "सभा राज्य की खेल नीति पर विचार करें", को रखने की अनुमति दी जाये।

मैं अपने भाषण का प्रारूप और महाराष्ट्र राज्य की खेल नीति संबंधी पुस्तिका प्रस्तुत करता हूं। मैं सभा में खेल नीति संबंधी प्रारूप प्रस्तुत करता हूं। यह राज्य खेल को विशेष महत्व देता है। मुझे इस नीति को प्रस्तुत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मुझे एक बात पर प्रकाश डालने की अनुमति दी जाए। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कभी भी अपनी खेल नीति की घोषणा नहीं की है। पिछली सरकार ने केवल एक कार्ययोजना की घोषणा की थी। साथ ही 1984 में राष्ट्रीय खेल नीति घोषित की गई। वर्तमान सरकार ने इन दोनों कार्यक्रमों की जांच की। सरकार ने इस पर विशेषज्ञों की सलाह भी मांगी है। अतः इस प्रकार वर्तमान खेल नीति विचार-विमर्श करके तैयार की गई है। अब मैं चाहूंगा कि मुझे इस संकल्प का क्या उद्देश्य है यह बताने की अनुमति दी जाए। मैंने सदैव यह महसूस किया कि युवाओं और छात्रों में खेल के प्रति रुचि विकसित होनी चाहिए। यदि उन्हें विनाशकारी नशे से बचाना है तो हमें इन्हें खेलों के लिए अधिक समय देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि वे खेलों को गंभीरता से लेंगे तो राज्य सरकार इस पर नीतिगत निर्णय करने हेतु बाध्य हो जाएंगी। इस प्रकार यह नीति बनी है। हमने सभा में संबंधित पुस्तिका वितरित करने की व्यवस्था की है। मैं इस नीति की मुख्य बातों पर प्रकाश डालूंगा। इसके बाद इस पर वाद-विवाद किया जायेगा। मैं वाद-विवाद में उठे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यह आवश्यक है कि इस सरकार के सत्ता में आने के बाद इसके द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाये।

हमने 25 मार्च, 1995 को खेल विश्वविद्यालय के लिए एक समिति गठित की थी। इस समिति ने 28 सितम्बर, 1995 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना 31 जनवरी, 1996 को की गई। मेरे विचार से शायद ही किसी पिछली सरकार ने खेलों को इतना अधिक महत्व दिया है। हमने इसे जो महत्व दिया है उसकी पुष्टि इसी बात से हो जाती है कि हमने खेल विश्वविद्यालय के लिए 115 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस प्रयोजनार्थ इतनी राशि कभी-भी आबंटित नहीं की गई है। हमने खेल विश्वविद्यालय के लिए प्रति वर्ष 30 करोड़ रुपये का आबंटन करने का निर्णय लिया है। खेल विभाग की देख-रेख मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। यह भी पहली बार

* मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र की खेल नीति के संबंध में संकल्प रखते हुए, महाराष्ट्र विधान सभा (19 दिसम्बर 1996)

हो रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में, मैं किसी अन्य महत्वपूर्ण विभाग को अपने अधीन कर सकता था। अतः, मैंने खेल विभाग में स्वयं को व्यक्तिगत रूप से शामिल करने का निर्णय लिया है।

महाराष्ट्र को अपने खेलों (एथलेटिक) और जिम्नास्टिक्स की श्रेष्ठ परम्परा पर नाज है। मैं संत रामदास की निम्नलिखित उक्ति को उद्धृत करना चाहूंगा: ''किसी को कैसे परखा जाये, इसकी शिक्षा हमें ज्ञानी व्यक्ति से लेनी चाहिए। हमें खेल कौशल (जिम्नास्टिक्स) का ज्ञान गुरु से लेना चाहिए। हमें तैराकी किसी विशेषज्ञ से सीखनी चाहिए।''

रामदास ने बहुत पहले ही व्यायामशालाओं के महत्व पर बल दिया था। मुझे विश्वास है कि प्रत्येक व्यायामशाला में रामदास का चित्र होता है। उन्होंने शारीरिक शक्ति के महत्व पर बल दिया था। उन्होंने खेलों और तैराकी पर विशेष जोर दिया। कोई भी कार्य तभी सफल होता है जब उसके लिए कोई समुचित नीति बनायी जाती है। मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि इस सभा का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, खेल नीति के कार्यान्वयन के बारे में सजग रहे। यदि वह खेल नीति के संबंध में अपने निर्वाचन क्षेत्र और कार्य क्षेत्र की ओर अपना ध्यान देंगे, तो मुझे विश्वास है कि हमारे राज्य में एक नई खेल संस्कृति विकसित होगी। यह खेल विश्वविद्यालय आदर्श विश्वविद्यालय है। खेल विश्वविद्यालय एक स्वप्न है। अब सम्पूर्ण राज्य में खेल संस्कृति विकसित किए जाने की आवश्यकता है। मैं खेल विश्वविद्यालय और खेल संस्कृति के अंतर को स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं यह आवश्यक मानता हूं कि इसके व्यापक पहलुओं और छोटी से छोटी बात को समान महत्व दिया जाए। विद्यालय स्तर पर खेल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रयास किए जाएं। इस राज्य के बच्चों में खेल के महत्व की समझ विकसित करनी होगी। शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षक, जिन्हें अन्यत्र कहीं भी नौकरी नहीं मिल सकती, से खेल के क्षेत्र में बेहतर योगदान की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। जो खेल प्रेमी हैं उन्हें आगे आने की आवश्यकता है। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य एकदम भिन्न है। मैं इस उद्देश्य को सारगर्भित ढंग से रखना चाहूंगा। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि खेल विश्वविद्यालय एक स्वप्न है। महाराष्ट्र ने कई मामलों में देश को नेतृत्व प्रदान किया है। खेल विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित छात्रों को ओलम्पिक खेलों में भाग लेना चाहिए और इससे दुनिया में भारत की छवि को और उज्ज्वल करना चाहिए। खेल अकादमी द्वारा 8-14 आयुवर्ग के छात्रों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। ये छात्र खेल विश्वविद्यालय के अभिकरण के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर उत्कृष्ट खिलाड़ी बनेंगे। इस आत्मविश्वास ने हमें खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रेरित किया।

केवल बहस करने से हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। अधिक आयु में खेलों के विकास का कोई लाभ नहीं है। जापान, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमरीका और पूर्व सोवियत संघ का उदाहरण हमारे सामने है। वहां पर छह वर्ष की उम्र से ही विद्यार्थियों का ध्यान रखा जाता है। उन्हें सभी प्रकार के अनुदेश दिए जाते हैं। तभी वे ओलम्पिकों में अपने देश का नाम रोशन कर पाते हैं। हमारा स्तर इतना कम हो गया है कि जब हमारा देश एक कांस्य पदक जीतता है तो हम बधाई देने के लिए संकल्प सभा पटल पर रखते हैं। हमारी जनसंख्या 80 करोड़ है। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए एक

कांस्य पदक राज्य विधानमंडलों और लोक सभा के लिए बधाई दिए जाने का मौका बन जाता है। कांस्य पदक के विजेताओं का प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा अभिनन्दन किया जाता है। अस्सी करोड़ की जनसंख्या केवल एक कांस्य पदक जीत पाती है। इसलिए इस प्रकार के पदक भी समारोह आयोजित करने का अवसर बन जाते हैं। यह बहुत दुःखद है। यहां तक कि छोटे-छोटे देश 50-60 पदक जीतते हैं। इसलिए खेल विश्वविद्यालय इस पूरे परिदृश्य को बदलेगा। आज हम काफी पीछे हैं। पर मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में हम ओलम्पिकों में स्वर्ण पदक जीतेंगे। हमने यह संकल्प पुरःस्थापित किया है ताकि हम अपने लड़कों के लिए खेल संबंधी वैसी सुविधा सुनिश्चित करा सकें जैसी हम चाहते हैं। इन सुविधाओं से विभिन्न अड़चनें दूर होंगी। हमारा यह प्रयास है कि हमारे बच्चे स्वस्थ्य रहें। मैं सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे खेल अकादमी (स्पोर्ट्स एकेडमी) का कम से कम एक बार दौरा करें और इसके कार्यकरण को देखें। सभी वर्गों के विद्यार्थियों को इस अकादमी में दाखिल किया गया है। आप यह पाएंगे कि वहां जंगल में रहने वाली जनजातियों और छोटे-मोटे कार्य करने वाले गरीब लोगों के बच्चे भी मौजूद हैं। यहां के लड़कों को कठोर अभ्यास (प्रैक्टिस) करने की अभिरुचि उनके प्रदर्शन से स्पष्ट है। भविष्य में पूरे महाराष्ट्र को खेल-कूद की गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहिए। हम विभिन्न खेलों के लिए खिलाड़ी तैयार कर सकते हैं। हम उन्हें आवश्यक सुविधाएं देना चाहते हैं। महाराष्ट्र सरकार इस लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है।

अब मैं महाराष्ट्र में खेल संस्कृति आरंभ करने के लिए हमारे द्वारा सुविचारित विशिष्ट उपायों को दोहरा रहा हूं। खेल प्रोत्साहकों (क्रीड़ा पुरस्कारते) को अब तक 40 रु. प्रतिदिन दैनिक भत्ता दिया जाता था। अब यह भत्ता बढ़ाकर 100 रु. कर दिया गया है। राज्य स्तर तक की प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे खिलाड़ियों को अब तक 20 रु. दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाता था। इस भत्ते को अब दुगुना कर 40 रु. कर दिया गया है। राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के विजेताओं को 600 रु. और 400 रु. का पुरस्कार प्रदान किया जाता था। अब से पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले विजेताओं को क्रमशः 2700 रु., 2400 रु. और 1800 रु. का पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कारों की यह राशि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए बढ़ायी गयी है। एक जिले के स्टेडियम को पांच लाख रुपये का अनुदान दिया जाता था। अब यह अनुदान 20 लाख रुपए होगा। मंडल स्तर के स्टेडियम को 10 लाख रुपए के स्थान पर 20 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। जहां तक ओलम्पिक के लिए तैराकों को तैयार करने का संबंध है, तरण-तालों (स्विमिंग पूल) की स्थिति खराब है। इन तालों (पूलों) के लिए अनुदान 5 लाख से बढ़ाकर 21 लाख कर दिया गया है। जनजातीय और वन क्षेत्रों से आने वाले लोगों को 10.63 लाख का अनुदान दिया जाएगा।

कुश्ती सांगली और सतारा जिले में लोकप्रिय है। बालीवाल नागपुर और मराठवाड़ा में लोकप्रिय है। मुम्बई में क्रिकेट, हाकी और फुटबाल को अत्यधिक पसंद किया जाता है। सरकार ने इन विशिष्ट क्षेत्रों और खेलों के लिए कई उपाय किए हैं। महाराष्ट्र और भारत ने विश्वक्रिकेट में नाम अर्जित किया है। मैं यह नहीं कहता हूं कि महाराष्ट्र की टीम को विश्व कप जीतना चाहिए। परन्तु हमारे खिलाड़ियों ने कई मैच जीते हैं और मैंने उन्हें पुरस्कार प्रदान किए हैं। क्रिकेट ओलम्पिक खेलों का हिस्सा नहीं है परन्तु हमारी सरकार की नीति इसे प्रोत्साहन देने की है। कई प्रकार के खेल हैं। हमारा प्रयास है

कि खेलकूद को विद्यालय पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग बनाया जाए। विगत में, क्रिकेट के प्रतिभावान खिलाड़ियों को ढूंढ़ने के लिए जिला एक इकाई था। अब से ताल्लुका या राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज करने के लिए इस प्रकार का केन्द्र माना जाएगा। ताल्लुकाओं के लिए कार्य योजनाएं बनायी जाएंगी। खेलों के लिए जिलों की धनराशि के वितरण के लिए एक स्पोर्ट्स कान्फ्रेंस स्थापित की जा रही है। सरकार प्रत्येक गांव के लिए खेल का एक मैदान बनाने के लिए विचार कर रही है। यह कोई नयी योजना नहीं है। परन्तु पुरानी योजना गति नहीं पकड़ पायी थी। इसलिए सरकार ने एक गांव के लिए मानदंड बदलकर 10,000 की जनसंख्या के स्थान पर, 5000 की जनसंख्या कर दिया है। जनजातीय या वन क्षेत्रों में स्थित गांव की जनसंख्या 4,000 की बजाए 2000 होने पर ही वह गांव खेल का मैदान का पात्र हो जाएगा। इसके लिए अनुदान 80,000 रु. से बढ़ाकर एक लाख रु. कर दिया गया है। इन उपायों से प्रत्येक ग्राम के लिए एक खेल मैदान बनाए जाने की योजना सफल हो जायेगी। खेल के मैदान के लिए अनुदान की धनराशि भूमि की कीमत के आधार पर होती थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में पांच एकड़ के लिए 10,000 रु. और शहरी क्षेत्रों में 50,000 रु. थी। अनुदान खरीद मूल्य के 50 प्रतिशत की दर से दिया जाता था। अब इस अनुदान की सीमा एक लाख रु. तक बढ़ा दी गयी है। सरकार का विचार व्यायामशाला को एक विशेष विकास निधि के रूप में 75 प्रतिशत की दर से अनुदान दिए जाने का है। तथापि, इस अनुदान की सीमा 1 लाख रुपए तक रखी गयी है। अब तक विधानमंडल के किसी सदस्य को कुश्ती के साज-सामान की खरीद की अनुमति नहीं थी। अब सरकार ने 25,000 रु. की सीमा के साथ इसकी अनुमति दे दी है। इसके संबंध में विधानमंडल के सदस्यों के लिए निधि संबंधी नियमों को शिथिल कर दिया गया है। खिलाड़ियों को दिया जाने वाला भत्ता दुगुना कर दिया गया है। ट्रैक सूट के लिए दी जाने वाली धनराशि 300 रु. से बढ़ाकर 500 रु. कर दी गयी है। मैं पुस्तिका में दिए गए सभी उपायों का वर्णन कर सभा का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता। राष्ट्रीय खेल विजेताओं को दिया जाने वाला भत्ता 400 रु. प्रति महीने से बढ़ाकर 1000 रु. प्रति महीने कर दिया गया है। सरकार हिंद केसरी, महान केसरी और भारत केसरी के लिए मानदेय बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है। अभी तक हम उन्हें अन्य राज्यों की तरह 400 रु. दिया करते थे किंतु अब हमने इसे बढ़ाकर 1000 रु. करने का निर्णय लिया है। यह मानदेय आयु या आय स्तर से संबंधित नहीं होगा। खेल परीक्षा के माध्यम से वित्तीय सहायता दिए जाने पर भी विचार चल रहा है। राज्य स्तर की प्रतियोगिता के लिए एक लाख रुपये तक अनुदान दिया जायेगा। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिये 2 लाख रु. का अनुदान दिया जाएगा। पुरानी नीति की तुलना में अधिक धनराशि मंजूर की गयी है।

हम राज्य में खेल संस्कृति का विकास करना चाहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को व्यावसायिक खेल शिक्षा से संबंधित डिग्री तथा डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। यह विचार किया जा रहा है कि इसके उद्देश्य के लिए कोई अन्य शर्तें न लगायी जाएं। हम महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बसों के किराए में रियायत दिए जाने के बारे में सोच रहे हैं। हमारा मराठी में खेल संबंधी साहित्य के प्रकाशन का भी प्रस्ताव है। हमारा इरादा राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित करने का है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का नाम खाशबा जाधव शिवशाही कुश्ती स्पर्द्धा होगा। हम सभी को खाशबा जाधव पर गर्व है। हमारा राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी स्पर्द्धा आयोजित करने का भी प्रस्ताव

है। कबड्डी प्रतियोगिता के लिए एक चल ट्राफी स्थापित की जाएगी। इसके लिए 3 से 3.5 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था। अब वर्ष 1997 के बाद से प्रतिवर्ष खेल संस्कृति के लिए 30 करोड़ रु. का प्रावधान किया जाएगा। खेल विश्वविद्यालय के लिए पांच वर्षों की समयावधि के लिए 115 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये प्रावधान और आदर्शवाद महाराष्ट्र राज्य को देश भर के खेल परिदृश्य में अग्रणी स्थान पर ला देंगे। हम इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर चले हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस मामले पर अपने विचार रखेंगे। इसलिए मैंने प्रस्तावना के तौर पर अपना संक्षिप्त भाषण दिया है। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मैं आज प्रातःकाल में सत्र में हिस्सा लेने के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं।

110

एनरॉन विद्युत परियोजना*

मैंने 3 अगस्त, 1995 को रत्नागिरी जिले के दाभोल में एनरॉन विद्युत परियोजना पर विस्तृत वक्तव्य दिया था। विशेषज्ञ समिति ने इस परियोजना को फिर से शुरू किये जाने की सिफारिश की थी। एनरॉन कंपनी ने महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध मामला दायर किया और इसके प्रत्युत्तर में महाराष्ट्र सरकार ने भी कंपनी के विरुद्ध मामला दायर कर दिया। मैंने 25 जुलाई, 1996 को इस सभा में इन मामलों पर एक वक्तव्य दिया था। उसी दौरान, इस परियोजना को फिर से शुरू किये जाने के विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने इस मामले को खारिज कर दिया। इस परियोजना की वित्तीय आवश्यकताओं को पुन: प्रबंधन किया गया और इससे इस परियोजना का क्रियान्वयन सुगम हो गया। वास्तविक कार्य परियोजना स्थल पर शुरू हो गया है।

इस परियोजना को फिर से शुरू किये जाने के विरुद्ध दायर किए गए मुकदमें में दो बातें कही गई थीं। विद्युत आपूर्ति विनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। दूसरी बात यह थी कि विद्युत खरीद संबंधी करार को धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और गलत जानकारी दिये जाने के कारण झटका लगा था। उच्च न्यायालय ने दोनों बातों को अमान्य ठहराया।

उच्च न्यायालय ने एनरॉन परियोजना पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विश्लेषण किया। न्यायाधीशों ने पाया कि गठबंधन सरकार ने एनरॉन परियोजना को रद्द करने का निर्णय राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया था। उसके बाद, सरकार ने परियोजना को फिर से शुरू किया और राज्य के हितों की रक्षा के लिए मुकदमे दायर किए। ये सभी निर्णय राजनीति से प्रेरित थे।

शुरू से ही लोगों को दाभोल परियोजना के बारे में आशंका थी। इस परियोजना को लेकर बरती गई गोपनीयता से परियोजना के बारे में रहस्य बढ़ रहा था। इस परियोजना के विरुद्ध अनेक आंदोलन शुरू किए गए। आम आदमी और विशेषज्ञ, दोनों, ने इस परियोजना के बारे में आशंका व्यक्त की। इस परियोजना के विरुद्ध अलग-अलग लोगों और संस्थाओं द्वारा न्यायालय में मुकदमे दायर किए गए थे। राजनीतिक दलों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए। शिवसेना-भाजपा सरकार ने इस

---

* मुख्यमंत्री के रूप में एनरॉन परियोजना पर उच्च न्यायालय के निर्णय के संबध में स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य देते हुए, महाराष्ट्र विधान सभा में (20 दिसम्बर 1996)

परियोजना का विरोध किया था। दाभोल परियोजना लोगों के सामने एक गंभीर समस्या थी। शिवसेना-भाजपा मोर्चे ने इस परियोजना को शुरू करने का निर्णय किया। उन्होंने इसे मतदाताओं के प्रति अपनी वचनबद्धता में शामिल किया। मतदाताओं से भी इस आशय का जनादेश मिला। तद्नुसार, इसने दाभोल परियोजना की समीक्षा करने का निर्णय लिया। समीक्षा करने का निर्णय लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप था। लोकतंत्र में आस्था रखने वाले राजनीतिक दल महत्वपूर्ण लोक मुद्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते। लोकतंत्र की मांग है कि राजनीतिक दल इस प्रकार के मुद्दों पर ध्यान दें।

परियोजना की समीक्षा, इसका निरस्तीकरण और उसे फिर से शुरू करने हेतु पुन: वार्तालाप से महाराष्ट्र राज्य को अनेक लाभ हुए हैं। 3 अगस्त, 1995 के वक्तव्य में निम्नलिखित आपत्तिजनक बातों का उल्लेख किया गया था: (एक) कोई प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव आमंत्रित नहीं किये गये थे, (दो) अत्यधिक गोपनीयता बरतना और पारदर्शिता का अभाव, (तीन) पर्यावरण पर अपेक्षा से बहुत कम ध्यान दिया जाना, (चार) अनौचित्यपूर्ण पूंजी व्यय और (पांच) विद्युत टैरिफ की वृद्धि से उपभोक्ताओं को नुकसान था।

इस परियोजना को फिर से शुरू किये जाने से महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को हुए लाभ की जानकारी इस सभा में दी गई है। विशेषज्ञ समिति ने सभी पांचों आपत्तिजनक मुद्दों की जांच की और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। परियोजना की समीक्षा करने का निर्णय इसी प्रतिवेदन पर आधारित था। यह निर्णय पूर्णत: पारदर्शी है। इस परियोजना को फिर से शुरू किये जाने से महाराष्ट्र सरकार को अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं। सरकार ने जनकल्याण हेतु इस परियोजना पर ईमानदारी से कार्य किया है।

मंत्रिमंडल ने मंत्रालयीय उपसमिति की रिपोर्ट पर विचार किया। उपसमिति ने अत्यधिक पूंजी व्यय, बढ़ते हुए आवर्ती व्यय, एनरॉन की पूंजी पर 29 प्रतिशत के लाभांश, बढ़ते हुए विद्युत टैरिफ और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रभावी उपायों की जांच की। सरकार मौजूदा शर्तों पर परियोजना को जारी नहीं रख सकती थी। इसी पृष्ठभूमि में प्रथम चरण और द्वितीय चरण का ठेका रद्द कर दिया गया था। एनरॉन को अपना कार्य करने से रोक दिया गया। इन निर्णयों से एमएसईबी को अवगत करा दिया गया था और एनरॉन से विद्युत खरीद रद्द कर दी गई। एनरॉन ठेका रद्द कर दिया गया।

एनरॉन परियोजना से महाराष्ट्र सरकार, एमएसईबी और उपभोक्ताओं को नुकसान हुआ था। अत्यधिक लाभ एनरान कंपनी ने हड़प लिया। वक्तव्य में कहीं भी भ्रष्टाचार का उल्लेख नहीं किया गया था।

मुंबई उच्च न्यायालय में दायर मुकदमे में भ्रष्टाचार और गलत जानकारी दिये जाने का उल्लेख किया गया था। यह उल्लेख विधि विशेषज्ञों के सुझाव पर महाराष्ट्र राज्य के हितों की रक्षा के लिए लंदन माध्यस्थम मामले में किया गया था। वह मामला मुख्यत: वाणिज्यिक मामलों से सम्बद्ध था। मुम्बई उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर करने से परियोजना फिर से शुरू करने की वार्ता सरकार के लिए लाभकारी और उपयोगी रही। एनरॉन कंपनी ने परियोजना के फिर से शुरू करने हेतु सरकार

द्वारा विहित निबंधन एवं शर्तें स्वीकार कर लीं। एनरॉन कंपनी ने कुछ रियायतों की अनुमति दी है। इसलिए, सरकार ने एनरॉन के विरुद्ध दायर मुकदमा वापस ले लिया। एनरॉन कंपनी ने भी लंदन में भारत के विरुद्ध दायर मुकदमा वापस ले लिया। इस घटनाक्रम से महाराष्ट्र के लोगों के हितों की रक्षा हुई। अब एनरॉन परियोजना के बारे में कोई शंका नहीं है। विशेषज्ञ समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अथक प्रयत्न किए। परियोजना को फिर से शुरू करने के संबंध में त्वरित निर्णय लिया जाना आवश्यक था। लोगों को शीघ्र विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता थी। इसलिए समिति के कार्य की मुस्तैदी बहुत लाभकारी रही। विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई आर्थिक सिफारिशें उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर थीं। सरकार ने न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया और कहा कि परियोजना के फिर से शुरू करने से होने वाले आर्थिक लाभों की न्यायालय द्वारा जांच नहीं की गई।

समिति में कार्य करने वाले विशेषज्ञ अपने-अपने क्षेत्रों के अच्छे जानकार हैं। उनके ज्ञान और परिश्रम के कारण उनका सम्मान किया जाता है। उन्होंने परियोजना को फिर से शुरू करने के लिए तेजी से कार्य किया। परियोजना को पुनः चालू करने के पीछे जनकल्याण सबसे बड़ा कारण था। तेजी से कार्य करने के लिए उनके प्रति प्रतिकूल टिप्पणी करना उनके साथ अन्याय करना है।

यह आरोप लगाया गया था कि एनरॉन के विरुद्ध दायर मुकदमे की सुनवाई के समय हस्ताक्षरित शपथ पत्र में गलत जानकारी दी गई थी। प्रतिवादी इस आरोप को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दे सका। अतः न्यायालय इस आरोप के विस्तार में जाने का इच्छुक नहीं था। इसलिए, यह कहना गलत है कि यह न्यायालय की राय है कि महाराष्ट्र सरकार ने न्यायालय मे दिए गए शपथ-पत्र में गलत जानकारी दी थी। उन कारणों का विस्तार से उल्लेख किया जा चुका है कि मुकदमा दायर करना क्यों आवश्यक हो गया था।

शिवसेना-भाजपा सरकार ने कई प्रकार से महाराष्ट्र की जनता के हितों की रक्षा करने का प्रयास किया। इस सरकार ने जनता से किए गए वायदों को ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास किया। यह परियोजना इस धारणा के साथ पुनः शुरू की गई है कि इसमें सार्वजनिक हित सुरक्षित रहें। आशा है कि एनरॉन परियोजना के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और न्यायालय के विश्लेषण के बारे में सदस्यों के मन में जो संदेह है वह इस वक्तव्य से दूर हो जाएगा। महाराष्ट्र की घटनाओं से अन्य राज्यों को अपनी संविदाओं के संबंध में पुनः बातचीत करने और अपनी जनता की भलाई करने की प्रेरणा मिली है। महाराष्ट्र सरकार का यह प्रयास अन्य राज्यों के लिए एक मार्गदर्शक साबित होगा। मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता को एनरॉन परियोजना पुनः शुरू करने के बारे में कोई गलतफहमी नहीं होगी। महाराष्ट्र राज्य की भलाई के लिए सभी कदम उठाए गए हैं।

समृद्ध महाराष्ट्र की ओर*

महोदय, मैं उन सभी चौंतीस सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर पक्ष या विपक्ष में अपनी राय व्यक्त की हैं। सरकार की नीतियों की आलोचना करना सदस्यों का लोकतांत्रिक अधिकार है। मुझे उन सदस्यों से कोई शिकायत नहीं है, जिन्होंने हमारी नीतियों में कमियां निकाली हैं। भारत को आजाद हुए पचास वर्ष हो गए हैं। इस सभा में होने वाला वाद-विवाद यह दर्शाता है, कि हमारा लोकतंत्र कैसे आगे बढ़ रहा है। हमारे वाद-विवाद का स्तर वस्तुत: ऊंचा है। वाद-विवाद दलगत भावना से हटकर था। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि माननीय श्री तूपे जैसे कुछ सदस्यों ने अपनी दलगत विचारधारा से ऊपर उठकर लोगों की खुशहाली और समृद्धि के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में चर्चा की।

मैंने सदस्यों से कुछ आत्मनिरीक्षण की अपेक्षा की थी। हमें दूसरों की असफलताओं पर ध्यान देने के साथ-साथ अपनी असफलताओं पर भी नजर डालनी चाहिए। जब मैं सदस्यों से सभा के बाहर मिलता हूं तो कुछ सदस्य हमारी नीति का समर्थन करते हैं। फिर वे ही सदस्य इस सभा में हमारी नीतियों का विरोध भी करते हैं। मैंने विपक्ष के नेता के रूप में रचनात्मक भूमिका निभाई है। मैं सरकार की रचनात्मक नीतियों की सराहना करता रहा हूं। जब कभी उनकी नीतियां लोगों के हितों के खिलाफ गई उन स्थितियों में मैंने कठोर शब्दों में उनकी आलोचना की है। मुझे एक विशेष घटना याद है। एक मंत्री तो मेरी आलोचना से बेहोश हो गये थे। तब मैं ही वह पहला व्यक्ति था, जिसने उन्हें होश में लाने के लिये उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे थे। मैं ऐसे कुछ सदस्यों की भी भर्त्सना करता हूं, जिनका हमारी सरकार के अच्छे कार्यों के प्रति नकारात्मक रवैया रहा है।

हमने अल्पसंख्यक आयोग को समाप्त किया क्योंकि हम हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहते हैं। यदि कोई मुसलमान यह कहता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उसे न्याय मिले।

जब हम सत्ता में आये, तो हमने उन सभी लोगों को पानी देने का वादा किया, जिन्हें पानी नहीं मिल रहा है। हमने महिलाओं के लिये शौचालय मुहैय्या करने का वादा किया था। हमारे कार्यनिष्पादन

* मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए, महाराष्ट्र विधानसभा (20 मार्च 1997)

की आलोचना करने वाले सदस्य सभा में उपस्थित नहीं हैं। यह अलोकतांत्रिक तरीका है और मेरे विचार से यह ठीक नहीं है।

माननीय श्री पवार ने दावा किया है कि कांग्रेस ने ही लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की शुरुआत की है। हम यह मानते हैं कि कांग्रेस ने इस देश में लोकतंत्र की स्थापना की है। तथापि मैं जानना चाहता हूं कि उसकी नीतियों ने हमें क्या दिशा प्रदान की है। कांग्रेस ने आम व्यक्ति पर अपना ध्यान केन्द्रित करना बंद कर दिया है। कांग्रेस की नीतियों ने अमीर और गरीब के बीच के अन्तर को और बढ़ा दिया है। कांग्रेस को अब यह महसूस होने लगा कि शिवशाही सरकार इस खाई को पाट रही है और यही कारण है कि उसे शहरी जनसंख्या के साथ-साथ ग्रामीण जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग का भी समर्थन मिल रहा था। कांग्रेस संगठन के नेतृत्व में एकजुटता नहीं है। मैं कांग्रेस के भविष्य के बारे में चिन्तित नहीं हूं। मैं तो आम जनता के कल्याण के बारे में चिन्तित हूं या यूं कहें कि आम जनता के लिए बनाये गए हमारे कार्यक्रमों में विपक्ष द्वारा बाधा डाले जाने से दुखी हूं।

हमने पेयजल हेतु 9000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अभी तक प्रत्येक गांव को पेयजल प्रदान करना संभव नहीं हो पाया है। कांग्रेस सरकारें अपने पचास वर्षों के शासनकाल के दौरान पेयजल उपलब्ध नहीं करा पाई थीं। हमने महिलाओं के लिए प्रसाधन कक्ष और शौचालय बनवाने का प्रयास किया है। कांग्रेस हमारे प्रयासों में बाधाएं उत्पन्न कर रही है। हमने एक लाख शौचालयों का निर्माण करने का कार्य पूरा कर लिया है। हमारी सरकार ने वृद्धाश्रम भी स्थापित किये हैं। क्या हमें अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर इन वृद्धाश्रमों के संबंध में एक विधान पुरःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है। हम इस संदर्भ में एक कानून बनाना चाहते हैं कि बच्चों को अपने माता-पिता का ध्यान रखना चाहिए। हम इन वृद्धाश्रमों के लिये भूमि उपलब्ध कराते हैं और इसके लिए स्वीकृति भी देते हैं। कुछ लोगों के बच्चे नहीं हैं। कुछ बच्चे अपने माता-पिता का ध्यान नहीं रखते हैं। कुछ बूढ़े लोग अशक्त होते हैं। यदि हम ऐसे वृद्धाश्रम स्थापित करते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? विपक्ष सैन्य विद्यालय खोले जाने पर और एन सी सी को अनिवार्य बनाये जाने के लिए भी हमारी आलोचना करता है। यह कहा गया था कि हम "निजीकरण" के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य को बेच रहे हैं। माननीय श्री शरद पवार ने डावोस में हुए सम्मेलन में यह घोषणा की:- "निजीकरण की नई नीति के फलस्वरूप हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। अतः लोगों को निजीकरण की नीति से उत्पन्न समस्याओं को सहन करना चाहिए।" श्री पवार ने विदेशी निवेश की वकालत की थी। मैं ऐसा नहीं समझता कि निजीकरण की नीति इस राज्य के लिए नई है। मुझे याद है कि मैंने 1991 में निजीकरण के संबंध में वाद-विवाद आरंभ किया। उस समय श्री दिलीप वलासे पाटील ने कहा था कि श्री पवार ने निजीकरण की प्रक्रिया द्वारा विकास के द्वार खोल दिए हैं। तो क्या हम निजीकरण की नीति का पालन करते हुए विकास के द्वार बन्द कर रहे हैं? श्री शरद पवार कहते हैं कि महाराष्ट्र औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में भारत के राज्यों में पिछड़ रहा है। उनकी बातों से हमारे राज्य में औद्योगिक वातावरण पर बुरा असर पड़ता है। मैं यहां उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण

(दि एनुअल सर्वे आफ इंडस्ट्रीज) के निष्कर्षों को उद्धृत कर सकता हूं जिसमें यह कहा गया है कि वर्ष 1997 में इस राज्य में औद्योगिक उत्पादन में वस्तुत: 21.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

सरकार ने सैनिक विद्यालयों की स्थापना की घोषणा पर कार्यवाही की। हमारी सरकार ने उद्योगों, खेलकूद और कृषि से संबंधित नीतियों की घोषणा की थी। हमने छह स्थानों पर सैनिक विद्यालय स्थापित किए। हमने खेलकूद अकादमियों की स्थापना की। इस सभा के केवल नौ सदस्यों ने इन अकादमियों का दौरा किया। हमारा विचार इन अकादमियों में प्रशिक्षित खिलाड़ियों को वर्ष 2000 के ओलिम्पिक खेलों में भेजना है। हम चाहते हैं कि ये लड़के स्वर्ण पदक जीतें। हमने इन लड़कों की देखरेख के लिए चिकित्सकों की नियुक्ति की है। महाराष्ट्र सरकार ने इन लड़कों को एक प्रकार से गोद ही ले लिया है। हमने शिक्षा में बुनियादी परिवर्तन किए हैं। पहला अध्याय आचार और राष्ट्रवाद के संबंध में है। इजराइल में दो वर्ष का सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य है। हम जून, 1997 से आचार और राष्ट्रवाद का पाठ्यक्रम आरंभ करेंगे। महाराष्ट्र में संतों, कवियों और योद्धाओं की महान परंपरा रही है। हम युवा विद्यार्थियों को इस परंपरा की शिक्षा देना चाहेंगे। हम अगली पीढ़ी को भ्रष्टाचार की बीमारी से दूर रखना चाहेंगे। इसलिए आचार की शिक्षा अनिवार्य है।

कुछ सदस्यों ने डा. दत्ता सामंत की हत्या का उल्लेख किया है। वास्तव में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें हैं। इन हत्याओं के आधार पर सरकार को हटाया नहीं जा सकता है। हम ऐसी घटनाओं के मूल कारणों पर ध्यान दे रहे हैं। हम ऐसे जघन्य अपराधों के दोषी व्यक्तियों को बचाने का काम नहीं करेंगे। कुछ सदस्यों ने जबरन वसूली के मामलों के बारे में शिकायत की है। जबरन वसूली के मामलों की वर्ष-वार संख्या इस प्रकार रही है:- 1993 में 728; 1994 में 588; 1995 में 656 और 1996 में 471। इस प्रकार जबरन वसूली के मामलों की संख्या में 30 प्रतिशत तक कमी आई है। शिवशाही सरकार के समय में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 36 प्रतिशत कमी आई है। शिवशाही सरकार के अंतर्गत समग्र अपराध दर में 1996 में 20 प्रतिशत तथा 1997 में 10 प्रतिशत कमी आई...

...हमने 'झुनका भाकर योजना' की आलोचना सुनी। इस योजना का उद्देश्य कम आय अर्जित करने वालों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराना है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक वर्ष दो हजार झुनका भाकर केन्द्र खोले जायें।

कुछ सदस्यों ने स्थानों का पुन: नामकरण करने की आलोचना की है। हमने स्थानों को उनके पुराने नाम दिए जाने का प्रयास किया है। हमने बम्बई का नाम मुंबई, उस्मानाबाद का धाराशिव तथा औरंगाबाद का संभाजीनगर रख दिया।

हम मराठी को न केवल निचले न्यायालयों बल्कि उच्च न्यायालय की भी भाषा बनाना चाहेंगे।

कुछ सदस्यों ने एनरॉन का मुद्दा उठाया है। जो लोग यहां एनरॉन को लाए हैं, वे ही हमारे निर्णयों की आलोचना कर रहे हैं। हमने एक पुस्तिका भी प्रकाशित की है जिसमें प्रारंभिक निर्णय की समीक्षा किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया है। समीक्षा संबंधी निर्णय के फलस्वरूप राज्य को 25,000 करोड़ रुपये की राशि की बचत हुई है। कुछ सदस्यों ने कहा है कि न्यायालय में मेरे

हस्ताक्षरित शपथ-पत्र देने से राज्य की बदनामी हुई है परन्तु जब हमने नागपुर सत्र में अपनी स्थिति स्पष्ट की थी तब इस कदम की आलोचना नहीं की गई थी। महाराष्ट्र में एनरान के अलावा दो और विद्युत परियोजनाएं आरंभ होने वाली हैं और ये परियोजनाएं हमारे राज्य को विद्युत उत्पादन में देश का नम्बर एक राज्य बना देगी। हमारे विपक्षी सदस्यों को अब यह बात समझ में आई है कि शिवशाही सरकार ने दो वर्षों में इतना कुछ कर दिया है जो वे अड़तालिस वर्षों में भी नहीं कर पाए।

हमने एक कृषि नीति की घोषणा की जो कांग्रेस अपने शासन काल के दौरान कभी नहीं कर पाई थी। हमने खरीद योजना के अंतर्गत कपास की कीमत बढ़ाकर 2,100 रु. प्रति क्विंटल कर दी। कपास की कीमत एकमुश्त अदा न करने के लिए हमारी आलोचना की गई है। हमने घोषणा की है कि ये रकम किस्तों में अदा की जाएगी। किसानों को हमसे कोई शिकायत नहीं है। हमने इजराइल के साथ एक समझौता किया है जिससे हम कपास, गन्ना और अन्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में सक्षम हो जायेंगे।

यह आरोप लगाया गया है कि कृष्णा घाटी विकास निगम की निधि को "सिटी एंड इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन आफ महाराष्ट्र लिमिटेड (सिडको)" में लगा दिया गया। ये निधियां हमारी तत्काल आवश्यकता से अधिक पायी गई थीं और अतएव "सिडको" को जमा राशि के रूप में 19% सालाना की दर से 90 दिनों के लिए 45 करोड़ रु. का ऋण दिया गया था। "सिडको" ने यह राशि 46 लाख रु. के ब्याज के साथ अदा कर दी है।

हमने महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम के लिए 1100 करोड़ रुपए जुटाए। हमने कृष्णा घाटी पर 764 करोड़ रुपए व्यय किए। श्री आर.आर. पाटील ने कहा कि टेकाड़ी परियोजना पर कुछ भी व्यय नहीं किया गया है। उनकी जानकारी गलत है। हमने उस परियोजना पर 115 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हमने म्हैसाल परियोजना पर 173 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इन परियोजनाओं से पश्चिमी महाराष्ट्र के पांच जिलों और मराठवाड़ा के तीन जिलों में सिचाईं की सुविधा मिलेगी। हमने विदर्भ की नौ नदियों पर बांध बनाने के लिए 3800 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। इस राशि का 70% बांडों द्वारा जुटाया जाएगा। मैं स्वयं तापी नदी के लिए योजना बनाने की जिम्मेदारी उठाता हूं।

हमने 607 वादे किए थे जिनमें से 510 वादों को हमने पूरा किया। आम आदमी के प्रति शिवाजी की प्रतिबद्धता के उदाहरण का हम अनुकरण करते हैं।

मुम्बई महाराष्ट्र की राजधानी है। मैंने मुम्बई शहर के यातायात और मलिन बस्ती की समस्याओं पर ध्यान दिया है। हमें मलिन बस्ती पुनर्वास कार्यक्रम से बहुत आशाएं थीं। हमने अपने कार्य की शुरुआत की और मुम्बई में जमीन की कीमतें गिर गई। पांच हजार फ्लैटों का निर्माण किया गया है। फ्लैटों के मालिकों ने सपने में भी 225 वर्ग फुट जगह का स्वामी बनने के बारे में नहीं सोचा था। तथापि यह कार्य वांछित प्रगति नहीं कर पाया। दो वर्ष मुकद्‌मेबाजी में निकल गए। अब समस्या समाप्त होती दिख रही है। हम मलिन बस्ती पुनर्वास के लिए अच्छा काम करेंगे।

हमारा "विक्रांत" युद्धपोत पर एक नौसेना संबंधी प्रदर्शनी आयोजित करने का प्रस्ताव है। हमें इस युद्धपोत पर हेलिकाप्टर उतारने की स्वीकृति मिल गई है।

सदस्य नौकरी और स्वरोजगार के अवसरों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। यह आसान काम नहीं है। हमारा पहला वर्ष अनेक समस्याएं सुलझाने में बीत गया। हमने इस समस्या के समाधान के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति में विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं। हमने योजना को अंतिम रूप दे दिया है। हम इस योजना पर चर्चा करेंगे। इस योजना को जब सुस्पष्ट किया जाएगा, तब यह महाराष्ट्र में लाखों युवकों के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करेगी।

महाराष्ट्र की अनेक समस्याएं मानव निर्मित हैं। हम इन समस्याओं पर कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बल पर काबू पा सकते हैं।

मैं उन सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार के साथ सहयोग करें और महाराष्ट्र की भलाई के बारे में सोचें।

सूती कपड़ा मिल कामगारों का कल्याण*

मैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर ढाई घंटे का वाद-विवाद शुरू करने के लिए माननीय श्री सूर्यकांत देसाई का धन्यवाद करता हूं। मैं यहां विपक्ष के नेता श्री मधुकर पिचाड तथा अन्य सदस्यों द्वारा कही गई बातों के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यदि आप संकल्प का पाठ देखें तो आपको पता चलेगा कि मिलों की भूमि को बेचा जाना मूल मुद्दा नहीं है। इस संकल्प का पाठ निम्न प्रकार है:-

> ''वर्ष 1982 में कॉटन टेक्सटाइल कामगारों की हड़ताल लम्बी चली। कुछ मिल आंशिक रूप से और कुछ पूरी तरह से बंद हो गई थीं। इन मिलों का उत्पादन इसलिए प्रभावित हुआ था क्योंकि नवीनतम मशीनरी उपलब्ध नहीं थी। इसके कारण मिलों के कामगार बेरोजगार हो गए। छंटनी और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण कामगारों के मन में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई। अत:, मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है ताकि कामगारों को उनकी नौकरी की सुरक्षा मिल सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपाय किए जाने चाहिए।''

मुझे खेद है कि इस विषय पर चर्चा राजनीतिक पूर्वाग्रह के साथ हुई है। यह लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि राजनीतिकरण का प्रभुत्व हो रहा है। कामगारों की भलाई इस संकल्प का मुख्य पहलू था। श्रम मंत्री श्री सबीर शेख ने कहा था कि इस प्रकार के वाद-विवाद से कामगारों को नुकसान हो सकता है, नेताओं को नहीं। दो श्रमिक नेताओं—श्री गोविंदराव आदिक और श्री प्रभाकर कुन्टे ने मुझे इस बात के लिए तैयार किया कि इस पर वाद-विवाद होना चाहिए। उनके वक्तव्यों से स्पष्ट है कि जब तक भूमि को बेचकर मिल के आधुनिकीकरण के लिए धन उपलब्ध नहीं कराया जाता तब तक कामगारों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। कामगारों को शिवशाही सरकार से उम्मीदें थीं और आज भी हैं। हमारी सरकार ने भूमि की बिक्री की अनुमति नहीं दी। हमने सरकारी आदेश जारी करके इन सौदों को रुकवा दिया था। तथापि, हमें महसूस हुआ कि मिल भूमि की बिक्री की अनुमति न देने से कामगारों का हित नहीं होगा। मैंने डा. दत्ता सामंत और अन्य श्रमिक नेताओं से चर्चा की थी। मैंने इस विषय पर दो बार उद्योगपतियों से बात की। हमने काटन टेक्सटाइल मिलों के मामले

---

* मुख्यमंत्री के रूप में मिल कामगारों की बेरोजगारी की समस्या पर अल्पकालिक चर्चा का उत्तर देते हुए, महाराष्ट्र विधान सभा (31 मार्च 1997)

की समीक्षा के लिए दो मंत्रियों की समिति नियुक्त की थी। उद्योग मंत्री और श्रम मंत्री इन टेक्सटाइल मिलों में गए जिन्हें पूर्ववर्ती सरकार ने भूमि बेचने की अनुमति दी थी। हमने मिलों की भूमि का एकीकृत विकास करने के लिए सुझाव देने हेतु चार्ल्स कोरिया समिति नियुक्त की थी। श्री चार्ल्स कोरिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वास्तुविद् हैं।

मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वाद-विवाद में राजनीतिक पूर्वाग्रह के साथ भाग लेने वाले ये सदस्य कामगारों का हित कर रहे हैं या अहित। हमारी सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे कामगारों का अहित हो। चाहे जो भी आलोचना हो, यह सरकार अपनी नीतियों से नहीं हटेगी। पूर्ववर्ती सरकार ने मिलों की भूमि को बेचने की नीति अपनाई थी। अगर ऐसा है तो पार्टी को प्रतिपक्ष में बैठने पर अपनी नीति नहीं बदलनी चाहिए। श्री दिलीप वालासे पाटिल ने यह जानना चाहा है कि यह मुख्यमंत्री की नीति है या पूरे मंत्रिमंडल की। पूरा मंत्रिमंडल इस नीति का समर्थन करता है।

...महाराष्ट्र राज्य में साठ काटन टेक्सटाइल मिलें हैं। तीन मिलें बंद कर दी गई हैं। बत्तीस मिलें निजी पार्टियों के हाथों में हैं। चौबीस मिल नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन द्वारा चलाई जा रही हैं। एक मिल पूरी तरह से एन.टी.सी. के स्वामित्व में है। हड़ताल से पहले मिलों के कामगारों की कुल संख्या 2,43,000 थी। आज अस्थायी कामगारों को मिलाकर यह संख्या 94,000 है। यह हड़ताल लंबे समय तक चली थी। हड़ताल के मुद्दे का न तो कोई समाधान हुआ और न ही इसे औपचारिक रूप से वापस लिया गया। हड़ताल आधिकारिक तौर पर अभी भी चल रही है। बड़ी संख्या में कामगारों की छंटनी कर दी गई। उनकी आमदनी बहुत कम रह गई है।

पूर्ववर्ती सरकार ने कामगारों को कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई। कई कामगारों की हत्या कर दी गई। कामगारों में परस्पर झगड़े हुए। अनेक कामगारों के घर उजाड़ दिए गए। कुछ कामगारों को मुंबई छोड़नी पड़ी। श्रमिक नेताओं को इन कामगारों के भविष्य के बारे में आत्मविश्लेषण करना चाहिए... समझौता करने की सलाह को माना नहीं गया। मैं श्री शरद पवार के विचारों को पढ़कर सुनाना चाहूंगा जो तत्कालीन राज्यपाल के अभिभाषण में झलकते थे। अगर कुछ सदस्यों ने इस भाषण को पढ़ा होता तो उन्होंने जो विचार आज यहां व्यक्त किए हैं, वे ऐसा नहीं करते। राज्यपाल के अभिभाषण का संगत अंश इस प्रकार है:- "एक तिहाई भूमि महाराष्ट्र आवास तथा विकास अभिकरण (म्हाडा) को दी जानी है। एक तिहाई भूमि का उपयोग मालिक कर सकता है। भूमि को बेचने की अनुमति देने से कामगारों को फायदा होगा।" आगे कहा गया था, "यदि कामगार अपनी सहकारी आवास समिति बना लें तो 'म्हाडा' को यह भूमि मिल कामगारों को हस्तांतरित कर देनी चाहिए।"

अब तक क्या हुआ है? क्या एक भी कामगार आवास समिति को "म्हाडा" से भूमि मिली है? पूर्ववर्ती सरकार ने एक तिहाई भूमि "म्हाडा" को अंतरित करने के बाद दो तिहाई भूमि का निपटान सुनिश्चित करने की सुध नहीं ली। कुछ सदस्यों ने श्रीराम मिल की भूमि को बेचने पर इस सरकार की आलोचना की थी। इस भूमि का नक्शा पास होने की तारीख 26 फरवरी 1993 थी। उनको निर्माण

की अनुमति 7 फरवरी 1995 को दी गई थी। ये तारीखें इस सरकार के बनने से पहले की हैं। कुछ मिल मालिकों ने पिछली सरकार के शासनकाल में 1991 से 1995 तक, भूमि बेचने की अनुमति का दुरूपयोग किया। कुछ मिल मालिकों ने भूमि की बहुत ही कम दर दिखाई थी। महालक्ष्मी क्षेत्र में यह दर 120 रुपए से 125 रुपए प्रति वर्गफुट बतायी गयी। क्या उस क्षेत्र में इतनी कम दर पर भूमि मिल सकती है? एक मिल ने आधुनिकीकरण के नाम पर पुरानी मशीनरी लगा दी। क्या भूमि का मूल्य निर्धारित करना मुश्किल है? क्या सरकार को यह जांच नहीं करनी चाहिए कि मिल ने अपनी मशीनरी का आधुनिकीकरण किया है अथवा नहीं? पूर्ववर्ती सरकार ने इस बारे में कोई सावधानी नहीं बरती।

हमारी सरकार किसी निर्णय पर नहीं पहुंची। हमारे सामने बहुत से विकल्प हैं। यदि भूमि बेचे बगैर कामगारों के हितों का ध्यान रखा जा सकता है तो कृपया हमें बताएं। मैं एक इंच जमीन भी नहीं बेचना चाहता। कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि मिल मालिकों पर टाडा लागू किया जा सकता है। क्या इससे कामगारों की समस्याएं सुलझ सकती हैं? यदि इससे कामगारों की समस्याएं सुलझ सकती हैं तो हम ऐसा करने को तैयार हैं। लाखों लोगों ने हमें मत देकर इस सभा में भेजा है ताकि हम उनकी समस्याओं के बारे में जिम्मेदारी से बात करें। ''इंटक'' कामगारों के लिए काम कर रहा है। उनका कहना है कि कामगारों के हितों की रक्षा के लिए भूमि बेचने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। फिर भी, हमने बिक्री सौदों के लिए जल्दबाजी नहीं की। एक तिहाई जमीन बेचने के पश्चात् दो-तिहाई भूमि हमारे पास है। इस दो-तिहाई भूमि का समन्वित विकास करने के लिए सुझाव देने हेतु हमने चार्ल्स कोर्रिया समिति की नियुक्ति की थी। इसमें अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है। कोर्रिया समिति सिर्फ सिफारिशें देने के लिए थी। कुछ लोगों ने एक तिहाई भूमि तो कुछ ने आधी भूमि बेचने का सुझाव दिया। यह सुझाव दिया गया कि मिल मालिकों को व्यापार विकास अधिकारों (टी.डी.आर.) का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह सुझाव दिया गया कि उपनगरीय क्षेत्रों में भी टी.डी.आर. दिए जाने चाहिएं। कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि मिल मालिकों को उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए धनराशि दी जानी चाहिए। इस धनराशि की गणना करना मुश्किल है। केन्द्रीय मंत्री, श्री जालप्पा ने कहा है कि यदि महाराष्ट्र सरकार एन.टी.सी. की भूमि की बिक्री के बारे में कोई निर्णय नहीं करती है तो वे स्वयं इस संबंध में निर्णय ले लेंगे। मुझे मिलों की भूमि पर निर्माण के बारे में जानकारी मिली है जिसकी विकास नियंत्रण नियमों के अंतर्गत अनुमति दी गई। निर्माण कार्य कमला, स्वैन और न्यू ग्रेट ईस्टर्न मिल्स में शुरू किया गया है। मातुल्या मिल में 20 फरवरी 1995 को निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जिसके लिए विकास नियंत्रण नियमों के उप-नियम-1 (ख) के अंतर्गत अनुमति दी गई थी। दि माडर्न मिल ने 8 जनवरी 1996 को, और स्वदेशी मिल ने 9 जनवरी 1994 को निर्माण कार्य शुरू किया था। मैं माननीय नवाब मलिक को बताना चाहता हूं कि स्वदेशी मिल को 9 नवम्बर 1994 को नियम 58 के उप-नियम-2 के अंतर्गत अनुमति दी गई थी। हिन्दुस्तान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल को नियम 58 के उप-नियम-2 के अंतर्गत अनुमति दी गई थी और इसने 23 जून 1993 को निर्माण कार्य शुरू किया। वहां एक आवासीय परिसर बनाया जा रहा है। पीरामल और मफतलाल मिलों ने अपने विस्तार के लिए निर्माण कार्य शुरू किया है। ऐसी ही स्थिति

सेंचुरी मिल की है। सीताराम मिल में निर्माण कार्य आवासीय विकास हेतु दी गई अनुमति के कारण हो रहा है। स्वैन मिल को 14 जुलाई 1994 को अनुमति दी गई थी, फिर भी अभी तक यहां निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। यह जांच करने के आदेश दिये गए हैं कि वाणिज्यिक निर्माण शुरू करने के लिए अनुमति दे दिए जाने के बाद भी निर्माण के लिए गतिविधियां शुरू क्यों नहीं की गई? स्टैण्डर्ड मिल को 14 अगस्त 1993 को आवासीय निर्माण की अनुमति प्रदान की गई थी। हमारी सरकार ने केवल एक अनुमति जारी की थी और यह बी.एफ.आई.आर. का मामला था और निर्णय तत्काल किया जाना था। अन्यथा हमारी सरकार ने कोई अन्य अनुमति जारी नहीं की। मिलों के अधिग्रहण के मामले में एक सदस्य का सुझाव कतई व्यवहारिक नहीं है। जो कामगार संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, महाराष्ट्र-कर्नाटक बार्डर आंदोलन और शिव सेना कार्यक्रम के लिए लड़ सकता है, क्या वह अपने लिए नहीं लड़ सकता। मैं श्री आर.आर. पाटिल को यह सुझाव देना चाहूंगा कि वह स्वयं इस बात का आकलन करें कि कपड़ा कामगारों की अक्षमता की वजह क्या है। कामगारों को लोग गुमराह कर सकते हैं या वे गलतियां कर सकते हैं। हमें इन कामगारों को उनकी वर्तमान दुर्दशा से बचाने के लिए समवेत प्रयास करने चाहिएं।

कुछ सदस्यों ने कोई सुझाव नहीं दिया है। मैं सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे कामगारों की इस समस्या को एक मानवीय समस्या के तौर पर देखें। यह समस्या ऐसे कामगारों तक ही सीमित नहीं है जो अभी भी रोजगार में है। जैसा कि श्री सबीर शेख ने सुझाव दिया है, हमें यह सोचना चाहिए कि कोई ऐसी युक्ति ढूंढ निकाली जाए जिससे कुछ समय पूर्व नौकरी से निकाले गए कामगारों के लिए भी हम कुछ कर सकें। जहां तक कामगारों का मुद्दा है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए।

का गठन विभिन्न वर्गों और रुचियों के प्रतिनिधियों को मिलाकर किया गया था। हम प्रत्येक माह की 15 तारीख को इस समिति की बैठक आयोजित किया करते थे। समिति के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचार इस पुस्तिका में संकलित हैं। यह अपेक्षा की गई थी कि ये विचार परिपक्व होंगे। इसी अपेक्षा के साथ विशेष परिस्थितियों में इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था। इस समिति की पहली बैठक 15 मार्च 1996 को और इसकी अंतिम बैठक 23 दिसम्बर 1996 को हुई थी। मंत्रिमंडल के विचार और प्रस्ताव की जानकारी के लिए गत तीन महीनों के दौरान उसकी मंजूरी प्राप्त की गई। इस प्रकार से तैयार किए गए प्रारूप को सरकार की ओर से सभा में प्रस्तुत किया जा रहा है।

मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पहला मुद्दा जो समिति के समक्ष आया था, वह था राज्य में बेरोजगारी की संख्या। दूसरी समस्या यह थी कि इस संख्या को कैसे सुनिश्चित किया जाए। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने वर्ष 1993-94 में इस मुद्दे पर कार्य किया था। समिति ने अनुमान लगाकर इस सर्वेक्षण के आंकड़ों को स्वीकार किया। इस पर विस्तार से कार्य के लिए हमने यह कार्य टाटा सोशल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट और टाटा लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट को सौंपा। हमने इन संस्थानों से राज्य में बेरोजगारों की संख्या का अध्ययन करने और उसे सरकार को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। हम नमूना सर्वेक्षण के आधार पर एकत्रित आंकड़ों को सभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यह आवश्यक है कि हम इस समस्या की विशदता को समझें। हमने इसे समझने का प्रयास किया। हमने पाया है कि यह समस्या इतनी विशाल है कि इसे आसान तरीके से हल नहीं किया जा सकता। समस्या जितनी भी विकट क्यों न हो, सरकार इससे बच नहीं सकती।

मैं बेरोजगार युवकों से लगभग 30 वर्षों से अधिक समय से मिलता रहा हूं। मैं इन युवकों से अपने राजनीतिक संगठन शिवसेना में भी मिलता हूं। मेरी संस्था में शामिल होने वाले युवक मुझे अपनी भावनाओं से अवगत कराते हैं। इस मुद्दे पर सभा में भी कई बार चर्चा हुई है। इस समस्या के प्रति जागरूकता के कारण सरकार ने यह संकल्प प्रस्तुत किया है।

मैं सभा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइन्सेज और टाटा लेबर रिसर्च इंस्टीच्यूट के निष्कर्षों से अवगत कराता हूं। यह दावा कभी भी नहीं किया जा सकता कि ये निष्कर्ष अंतिम हैं। राज्य में किसी भी दिन आप देखें, बेरोजगार लोगों की संख्या 10 लाख बनी रहती है। ये व्यक्ति लगातार रोजगार की तलाश में रहते हैं लेकिन इन्हें रोजगार नहीं मिलता। योग्य होते हुए भी इन व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिलता। इनमें से पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्रमश: दो-तिहाई और एक-तिहाई है। इन दस लाख व्यक्तियों में से 5 लाख व्यक्ति लंबे समय से बेरोजगार हैं। इसके अतिरिक्त 40 लाख लोग छोटे-मोटे कार्यों में लगे रहते हैं। दस लाख व्यक्ति वास्तव में गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। 40 लाख व्यक्ति निजी ट्यूशन, कृषि कार्य और स्वरोजगार में लगे हैं। मोटे तौर पर राज्य के सामने पचास लाख बेरोजगार व्यक्तियों की समस्या है। यह संख्या राज्य की कुल जनसंख्या का सोलहवां भाग है। अत: मैं इस सभा के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इस मामले को गंभीरता से लें।

इस समस्या पर विचार करते हुए मैं यहां पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमने इस समिति के निदेश पद को परिभाषित करना जरूरी समझा है। हमारा विचार है कि निदेश 46 को परिभाषित नहीं किए जाने की स्थिति में समिति किसी निश्चित प्रक्रिया से कार्य नहीं कर पायेगी। इसीलिए हमने इस समिति के निदेश पद परिभाषित करने का प्रयास किया है। हमें पता होना चाहिए कि हमने समिति के समक्ष क्या कार्य रखा है। हमने इस पर बल दिया है कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाए। हमने समिति से रोजगार की प्रकृति का पता लगाने हेतु कहा है। समिति से यह अपेक्षा की गयी थी कि वह इस बात का पता लगाए कि रोजगार प्राप्त करने हेतु किस प्रकार की क्षमताओं का विकास किया जाए। तदनुसार हमने इस समिति के निदेश पद को परिभाषित किया है।

यह इस संकल्प की पृष्ठभूमि है। मैं जानता हूं कि इससे सभा के सदस्य अथवा राज्य के बेरोजगार युवा संतुष्ट नहीं होंगे। इस समस्या को सुलझाने के लिए एक भिन्न प्रकार की पहल किए जाने की आवश्यकता है। समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए थे —

* प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों की पुनरीक्षा।
* विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार अवसरों की संभावनाओं का पता लगाना।
* कृषि, फल उत्पादन, पशुपालन और डेरी, वन, ग्रामीण उद्योग, ग्राम शिल्प इत्यादि में स्वरोजगार के अवसरों की सिफारिश करना।
* भूमंडलीकरण के परिप्रेक्ष्य में स्वरोजगार के अवसरों हेतु युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां निर्धारित करना।
* राज्य में रोजगारोन्मुखी और व्यापारोन्मुखी शिक्षा प्रशिक्षण संबंधी सुविधाओं की समीक्षा करना और व्यवहार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करना।
* सरकारी और अर्द्ध सरकारी संगठनों में भर्ती नीतियां तैयार करना।

मैंने कतिपय महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है। मैं कहना चाहूंगा कि समिति ने इस समस्या पर विस्तार से चर्चा की है। इस पर गहराई से विचार किए जाने की आवश्यकता है। इस सभा के समक्ष मैं कहना चाहूंगा कि भारत के किसी भी राज्य द्वारा इस समस्या को सुलझाने का प्रयास नहीं किया गया है। समिति ने इस समस्या को सुलझाने हेतु सामान्य रूपरेखा तैयार की है। समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े अत्यंत उपयोगी हैं। बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने के कारणों के संबंध में दो संस्थाओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसका एक कारण यह बताया गया है कि महाराष्ट्र के ग्रामीण युवा अब कृषि कार्य के स्थान पर रोजगार की तलाश कर रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ग्रामीण लोग अब कृषि कार्य करना पसंद नहीं कर रहे हैं। समिति ने अपने निष्कर्ष में पाया है कि लोग अब बाबूगिरी की तलाश में हैं। वे कृषि कार्य नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। कई छात्र कृषि में बीएससी की उपाधि प्राप्त करते हैं। वे ऐसा कृषि क्षेत्र में अपना ज्ञानवर्द्धन करने हेतु करते हैं। लेकिन ऐसे युवक कार्यालयों में रोजगार की तलाश करते हैं। वे बैंकों में रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं। इनमें से कुछ युवक मुख्यमंत्री के निजी सहायक भी बनने का प्रयास करते हैं।

मेरे कार्यालय में भी ऐसा एक कृषक स्नातक है। इसका अर्थ यह हुआ कि कृषि क्षेत्र के स्नातक भी बाबूगिरी करना चाहते हैं!

राज्य में अर्द्ध-रोजगार प्राप्य युवकों की संख्या अत्यधिक है। लगभग 10 लाख युवक पूरी तरह बेरोजगार और 40 लाख युवक अर्द्ध-रोजगार प्राप्त हैं। इनमें और अधिक समय तक कार्य करने की क्षमता है। वे और अधिक कार्य कर सकते हैं लेकिन उन्हें कार्य नहीं मिलता है। कुछ व्यक्तियों को पूर्णकालिक कार्य मिलता है लेकिन वे केवल आधा समय ही कार्य करते हैं। शिक्षित बेरोजगार सुनिश्चित रोजगार योजना अथवा जवाहर रोजगार योजना में कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। राज्य सरकार किसी रोजगार की गारंटी दे सकती है लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के पसंदीदा रोजगार की गारंटी नहीं दे सकती अन्यथा, आप सबको सचिवालय या भारतीय रिजर्व बैंक में नौकरी देनी पड़ेगी! राज्य के सभी उच्च पद रोजगार की तलाश करने वाले इन युवकों को देने पड़ेंगे। शायद आप जानते भी होंगे कि कुछ लोग केवल विशेष प्रकार की नौकरी की तलाश में आते हैं। वे इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स अथवा रिलायन्स उद्योग में रोजगार की तलाश करते हैं। ये लोग इस प्रकार का रोजगार चाहते हैं। यह स्पष्ट है कि सभी लोगों को एक ही प्रकार का रोजगार नहीं दिया जा सकता है। हमारे समक्ष प्रश्न यह है कि वास्तव में जरूरतमंद व्यक्तियों को रोजगार किस प्रकार दिया जाए। एक बात स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है। समिति ने टिप्पणी की है कि कई रोजगार संबंधी योजनाओं का लाभ युवाओं तक नहीं पहुंच पाया है। इस टिप्पणी की अनदेखी नहीं की जा सकती।

मैं समिति द्वारा की गई सिफारिशों को बहुत महत्व देता हूं। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रतिवेदन के अंतिम पृष्ठ पर दिये गये हैं। समिति में विशेषज्ञ भी शामिल थे। दि टाटा इंस्टीच्यूट आफ सोशल साइन्सेज ने एक अध्ययन के पश्चात् पाया कि महाराष्ट्र राज्य में कृषि भूमि छोटी-छोटी जोतों में बंटी हुई है। 50 प्रतिशत से अधिक जोत एक एकड़ से कम है। इन जोतों की चकबंदी किए जाने की आवश्यकता है ताकि बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जा सके, प्रभावी निवेश हो सके और उत्पादकता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके। समिति ने इस मुद्दे पर विचार किया है। लेकिन अब आपको निर्णय लेना है कि क्या यह व्यवहार्य है? मेरे लिए यह आवश्यक है कि मैं समिति की सिफारिशों को सभा के समक्ष प्रस्तुत करूं।

समिति ने एक दूसरा सुझाव भी दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटी बस्तियों में संचार साधनों और बुनियादी ढांचे की सुविधाएं अपर्याप्त हैं। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में पर्याप्त निवेश से यह उम्मीद की जाती है कि गैर-सरकारी निवेश को वृद्धि मिलेगी जिससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

समिति ने शिक्षित बेरोजगारों के लिए भी सुझाव दिए हैं। यह सिफारिश की गई है कि लघु उद्योग इकाइयों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार या स्वरोजगार दिया जा सके।

समिति ने शिक्षा और रोजगार के स्तर के मध्य अंतर पाया है और इस अंतर में कमी लाने हेतु चौथा सुझाव दिया है।

ये सुझाव समिति द्वारा दिए गए हैं और मैं इन सभी सुझावों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। इन सुझावों पर समिति के सदस्यों द्वारा चर्चा की गई थी। हम महाराष्ट्र राज्य में रोजगार और स्वरोजगार के लिए नए अवसर सृजित करने के प्रति अत्यधिक गंभीर हैं। हमें इस उद्देश्य हेतु आठ उप-समूह गठित करने पड़े। इन उप-समूहों की अभिकल्पना रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए की गई है। ये उप-समूह हैं— (1) शिक्षा, (2) कृषि, (3) डेरी और खाद्य प्रसंस्करण, (4) ग्रामीण विकास और कुटीर उद्योग, (5) उद्योग, (6) होटल और पर्यटन, (7) निर्माण और (8) सेवा। इन आठ उप-समूहों द्वारा इनसे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर संबंधी योजना तैयार की गई है। यहां मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना है। मैं इन योजनाओं की जानकारी दूंगा। आरंभ में, मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देना था। पहला प्रश्न यह था कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा कितने रोजगार दिए जायेंगे, दूसरा प्रश्न गैर-सरकारी उद्यमियों द्वारा दिए जाने वाले रोजगार के अवसरों से संबंधित है। ये उद्यमी हमारे द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए लोगों को नहीं रखते। हमारे समक्ष प्रश्न यह है कि इन उद्यमियों पर किस प्रकार नियंत्रण रखा जाए। यदि बेरोजगारी की समस्या को सुलझाना है तो मेरी समझ से इसका एकमात्र समाधान स्वरोजगार है। यदि महाराष्ट्र में स्वरोजगार का मानदंड स्थापित करना है तो यहां के युवा लोगों की मन:स्थिति में परिवर्तन लाना होगा। यदि लोग बदलते हुए समय के साथ अपना सामंजस्य नहीं बिठाते हैं, तो मेरी समझ से बेरोजगारी की समस्या को कभी नहीं सुलझाया जा सकेगा। युवाओं की मन:स्थिति में परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी न केवल इस सभा के सदस्यों पर है बल्कि लोगों के सभी प्रतिनिधियों पर भी है। इस जिम्मेदारी को परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। अत: मैं राज्य में बेरोजगार व्यक्तियों के संबंध में एक नया सर्वेक्षण कराये ज.ने की आवश्यकता महसूस करता हूं। नमूना सर्वेक्षण हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। मैं दोनों टाटा इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा करता हूं। महाराष्ट्र राज्य सरकार के पास विस्तृत तंत्र उपलब्ध है। मैं इस तंत्र की एजेंसी के माध्यम से एक नया सर्वेक्षण कराने के लिए कटिबद्ध हूं। यदि यह सर्वेक्षण तालुका और इससे ऊपर के स्तर पर कराया जाए, तो इस समस्या की वास्तविक प्रकृति का हमें पता चल जाएगा। हम इस दूसरे सर्वेक्षण की व्यवहार्यता के बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि निश्चय ही आठ उप-समूहों से रोजगार और स्वरोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे। अभी तक मैंने यह निर्णय नहीं लिया है कि इन अवसरों को पैदा करने के लिए सरकार को बहुत अधिक धनराशि व्यय करनी होगी। कृपया मुझे एक उदाहरण देने की अनुमति दीजिए। शिक्षा प्रणाली में यदि आमूलचूल परिवर्तन किया जाए तो उसके क्या लाभ हो सकते हैं? मैंने कहा था कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और वास्तविक रोजगार में संगति नहीं है। विद्यार्थियों को शिक्षा डिग्री प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु दी जाती है। ये संस्थाएं सैद्धान्तिक शिक्षा देती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में वास्तव में रोजगार के बहुत कम अवसर सृजित किए गए हैं। इसलिए, व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता है! ग्यारहवीं कक्षा स्तर के पाठ्यक्रम में अंशत: (एक) इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी, (दो) मेन्टीनेन्स आफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल एप्लाएन्सेज, (तीन) भवन अनुरक्षण, (चार) यांत्रिकी प्रौद्योगिकी, (पांच) आटो इंजीनियरिंग, (छह) तकनीकी मरम्मत और (सात) अनुरक्षण जैसे व्यावसायिक विषय रखे गए हैं।

महाराष्ट्र में कितने विद्यार्थी इन विषयों को लेना चाहते हैं? मैं यहां महाराष्ट्र के युवाओं की सोच बदलने की बात कर रहा हूं। विभिन्न प्रकार के तकनीकी पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं लेकिन विद्यार्थी इन पाठ्यक्रमों से कोई लाभ प्राप्त नहीं करते हैं। हमारा विचार 33040 विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का है। लेकिन इतने अधिक विद्यार्थी इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने नहीं आते हैं। उदाहरणार्थ वाणिज्य विषय के पाठ्यक्रम को देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत ''परचेजिंग एंड स्टोर कीपिंग'' और ''मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप'' जैसे विषय आते हैं। महाराष्ट्र के युवाओं के लिए सेल्समैनशिप विषय का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन ये लोग इसको सीखने के इच्छुक नहीं है। सच कहा जाए तो सेल्समैनशिप इतना आसान विषय नहीं है। ये लोग इस क्षेत्र में जाने को तैयार नहीं हैं। इसलिए, नया पाठ्यक्रम बनाने के बारे में सोचना आवश्यक है। वाणिज्य विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत अन्य विषय जैसे लेखा विधि एवं लेखा परीक्षण, बैंकिंग, बीमा और कार्यालय रख-रखाव भी हैं। कृषि संबंधी उप-समूह ने हमारे पास बागवानी, बीज उत्पादन, कृषि रसायन, कुक्कुट उत्पादन, डेयरी प्रौद्योगिकी आदि के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने संबंधी सिफारिश की है। मैं ऐसे विषयों की सूची प्रस्तुत करके सभा का मूल्यवान समय नहीं लेना चाहता जिन्हें शिक्षा में सम्मिलित करने से रोजगार के अनेक अवसर पैदा हो सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों के लिए उपलब्ध स्थानों की संख्या उनमें दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों से अधिक है। वाणिज्य पाठ्यक्रम में 17160 स्थान हैं। फिर भी विद्यार्थियों की संख्या मात्र 12000 है। इस पाठ्यक्रम का लाभ लेने के लिए 5000 विद्यार्थी आगे नहीं आ रहे हैं। सचमुच यह वास्तविक समस्या है।

ये तथ्य इस पुस्तिका में वर्णित हैं। इस पुस्तिका में नये पाठ्यक्रम हैं। इसमें निर्माण क्षेत्र के बारे में भी जानकारी दी गई है। निर्माण क्षेत्र से रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे। आपने कृष्णा घाटी के बारे में सुना होगा। इस योजना से रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे। उप-मुख्यमंत्री ने इस योजना के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने इस योजना के विभिन्न पहलुओं पर बात की। उन्होंने रोजगार अवसरों की बात नहीं की। कृष्णा घाटी में लगभग 3.5 से 4 लाख नये रोजगार पैदा होंगे। हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या हम 3.5 से 4 लाख तक रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि क्या हम इन नौकरियों को स्वीकार करने और संबंधित कार्य करने हेतु युवाओं की मानसिकता में आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं? हो सकता है कुछ सदस्यों को पता न हो या वे कुछ ब्यौरा भूल गए हों। एक राजगीर एक दिन में कितना कमाता है? दो या तीन सौ रुपया राजगीर के रूप में कार्य करने के लिए हमारे यहां लड़के नहीं हैं। यह प्रतिवेदन रोजगार के सृजन का व्यवस्थित प्रयास है। यदि हम व्यवस्थित रूप से प्रयास करें तो यह समस्या हल हो जाएगी।

मैं औद्योगिक शिक्षा के बारे में बोलना चाहूंगा। गत वर्ष हमने बताया था कि हम प्रत्येक तालुका में औद्योगिक शिक्षा की योजना शुरू करेंगे। गत वर्ष 49 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई टी आई) शुरू किए गए। मैं इस सभा को तथ्य एवं आंकड़ों के बारे में बताना चाहता हूं। वर्ष 1996-97 के दौरान 69 आई टी आई खोले गए थे और जून, 1998 तक हमने 27 आई टी आई खोलने का निर्णय लिया है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक तालुका में जून, 1998 तक एक आई टी आई होगा। ये आई टी आई छात्रों को शिक्षा देना प्रारंभ करेंगे। इन आई टी आई के पाठ्यक्रमों के बारे में हम नये

सिरे से विचार कर रहे हैं। हमारा विचार इन आई टी आई में इस प्रकार की शिक्षा देने का है जो रोजगार प्राप्त करने में सहायक होगी। आई टी आई संस्थानों की संख्या दोगुनी करना संभव है। इस समय हम आई टी आई दिन के समय चलाते हैं। आई टी आई को रात्रि के समय शुरू करना संभव है। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए रात्रि के समय चलने वाले आई टी आई आवश्यक हैं। कुछ सदस्यों ने रात्रिकालीन आई टी आई के लिए बिजली की समस्या की बात की है तथापि इस समस्या को हल किया जा सकता है। नये रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए आई टी आई ही एक उपयुक्त स्थल है।

हमारा लक्ष्य रोजगार के अवसर सृजित करना है। विभिन्न रोजगार सृजित होंगे। समिति ने इस उद्देश्य के लिए अनेक उपायों का सुझाव दिया है। यदि हम समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करते हैं तो सरकार द्वारा कितने रोजगार सृजित किए जा सकते हैं? मैं अगले तीन वर्षों में सृजित किए जाने वाले रोजगार के अवसरों के बारे में बता करूंगा। मैं सोचता हूं कि रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। सरकारी कार्यालयों में 53 हजार नए रोजगार सृजित होंगे। गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों में स्वरोजगार के 3,39,000 नए अवसर सृजित होने का अनुमान है। स्वरोजगार के 9,93,000 अवसर उपलब्ध होंगे। स्वरोजगार के लगभग 3,12,000 अतिरिक्त अवसर उपलब्ध होंगे। हमें आगामी तीन वर्षों के दौरान 10 लाख रोजगार की आवश्यकता है, हम रोजगार और स्वरोजगार के 17 लाख अवसर सृजित कर सकते हैं। हमारा प्रयास इसी आधार पर होगा। प्रपत्र "ख" में सरकारी व्यवस्था में सेवाओं का ब्यौरा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, हम रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में 67,000, गैर-सरकारी क्षेत्र की सेवाओं और रोजगार में 7,75,000, स्वरोजगार क्षेत्र में 3,92,000, स्वरोजगार से मिलने वाले अतिरिक्त अवसर 2,50,000 इन सबको मिलाकर हम रोजगार के 15 लाख अतिरिक्त अवसर सृजित कर सकते हैं। इसमें सरकार की पहल से सृजित रोजगार के 17 लाख अतिरिक्त अवसर शामिल करने पर अतिरिक्त रोजगार के 32 लाख अवसर हो जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार रोजगार के 32 लाख अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने के बारे में सोच रही है। इस लक्ष्य को पूरा करने हेतु सरकार की एक योजना है। रोजगार हेतु अलग से एक विभाग खोलना होगा। यह विभाग रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों के सृजन पर निगरानी रखेगा।

सरकार में कुछ लोग कई वर्षों से अस्थायी आधार पर कार्य कर रहे हैं। कुछ कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया गया है हालांकि वे पांच से दस वर्ष की सेवा कर चुके हैं। कृषि विश्वविद्यालयों में कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। सरकारी संस्थापनाओं के कर्मचारी इकट्ठे हमारे पास अपनी मांगों को लेकर आते हैं और उन्हें मानने के लिए दबाव डालते हैं। 694 कनिष्ठ अभियंताओं की सेवाएं अभी तक नियमित नहीं की गई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी वेतन पंजिका में सभी अस्थायी कर्मचारियों—चाहें वे जनगणना अथवा किसी अन्य कार्य में लगे हों, को शामिल करने का निर्णय लिया है। उनको चरणबद्ध रूप से नियमित किया जाएगा।

हम सरकार के रूप में इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। लोगों को आगे आकर रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसरों का निश्चित रूप से लाभ उठाना

चाहिए। इन अवसरों से महाराष्ट्र राज्य के नागरिकों को लाभ पहुंचना चाहिए। इसीलिए मैंने यह प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया है। लोगों को बड़े और छोटे दोनों प्रकार के कार्य करने हेतु तैयार रहना चाहिए। समस्या यह है कि लोग एक विशेष प्रकार का ही रोजगार करना चाहते हैं। अत: हमने सेना में भर्ती हेतु एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है। यदि लोग चाहें तो वे सेना में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।

मैं महाराष्ट्र में निकट भविष्य में हजारों करोड़ रुपए के निवेश की संभावना को देख रहा हूं। भारत सरकार ने 1990 के पश्चात् से अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया है। ये नीतियां निजीकरण और भूमंडलीकरण पर केन्द्रित हैं। इन नीतियों से राज्य में व्यापक निवेश होगा। महाराष्ट्र को निवेश के इस अवसर का लाभ उठाने हेतु सतर्क रहना होगा। "द एडवांटेज महाराष्ट्र कांफ्रेंस" से 4 मिलियन डालर का निवेश होने की संभावना है (इन आंकड़ों की जांच किए जाने एवं उन्हें ठीक किए जाने की आवश्यकता है)। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य में 18,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। निजी क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है। कुल संभावित निवेश लगभग 28,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। हम आशा करते हैं कि इस निवेश से राज्य के युवाओं को लाभ होगा। यह निवेश विदेश से हो, निजीकरण से हो अथवा भारत के किसी भी भाग से हो, इस राज्य के युवाओं को इस निवेश का निश्चित रूप से लाभ पहुंचेगा। युवा लोगों को उसी प्रकार से तैयार करना होगा। मैं यहां एक चेतावनी भी देना चाहूंगा। आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी यदि हम विद्यमान आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता नहीं दिखा सके। आप अपनी इच्छित कार्यप्रणाली का निर्णय कर सकते हैं। आपको उन तरीकों पर निर्णय लेना होगा जिसके अनुसार आप युवा लोगों को तैयार करना चाहते हैं। इस विधान सभा को युवाओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को चिह्नित करना होगा। हम मुम्बई में 35 फ्लाईओवर्स बनाने जा रहे हैं। इन पुलों पर कुछ युवा लोग कार्य करेंगे। मैं कृष्णा घाटी योजना का उल्लेख कर रहा हूं। हमारा विचार मुम्बई में मलिन बस्ती विकास कार्य शुरू करने का है। हम इन योजनाओं को पूरी गंभीरता के साथ शुरू करना चाहते हैं। इन योजनाओं से किन लोगों को लाभ पहुंचेगा। यह विचार हमारे मन में सर्वोपरि है। हमारी समिति का आशय महाराष्ट्र के युवाओं को लाभ पहुंचाना है। महाराष्ट्र सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि स्वरोजगार देना संभव है। हमने एक अधिसूचना जारी की है। हमने युवा डिप्लोमाधारकों और स्नातकों को सिंचाई नहर और लोक निर्माण कार्यों हेतु 5 लाख रुपए तक का ठेका, निविदा आमंत्रित किए बगैर देने का निर्णय लिया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अधिसूचना जारी होने की तारीख से तीन माह की अवधि के अंदर 7000 युवा लोगों ने इसका लाभ उठाया है। मैं इन सात हजार लोगों का नाम बताने के लिए तैयार हूं। समस्या की विकरालता को देखते हुए सात हजार का यह आंकड़ा संभवत: बहुत छोटा लगेगा लेकिन इससे स्वरोजगार की संभावना का पता चलता है।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं नौकरी और स्व-रोजगार के अवसरों पर बोलना चाहता हूं। हम महाराष्ट्र के वास्तविक स्थानीय नागरिकों अथवा मूल निवासियों के लिए जो कुछ विशेष रूप से करना चाहते हैं वह वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम उनके लिए रोजगार के अवसरों के बारे में चिंतित हैं। रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् हमने पाया कि पुरानी और नई योजनाओं से

दो लाख व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है कि कितने लोगों को नौकरी और स्वरोजगार के अवसर दिए गए। मैं उन व्यक्तियों की सूची देने के लिए तैयार हूं जिन्हें स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराए गए। इनमें बड़े और छोटे दोनों प्रकार के अवसर हैं। कुछ योजनाएं कुछ समय से चल रही हैं। कुछ नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। हम एक व्यवस्थित अध्ययन करेंगे और फिर हम ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे। हमने कुछ अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया और कुछ लोगों को नई सेवाओं की पेशकश की। इसके द्वारा महाराष्ट्र सरकार ने 3-3.5 लाख लोगों को नौकरी उपलब्ध करायी। सरकार का निजी कंपनियों और उद्यमियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। मराठी भाषियों के लिए इन इकाइयों में कैसे नौकरी हासिल की जाए—यह एक अहम प्रश्न है। नौकरी के अवसरों का सृजन किया जाना है, किन्तु मराठी भाषी लोग इन अवसरों का लाभ नहीं उठा सकते। महाराष्ट्र में युवक आशा और उम्मीद के साथ आपकी ओर देख रहे हैं। भारत के संविधान में अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक नागरिक को जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक घर में चूल्हा जरूर जले। यदि प्रत्येक घर के कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी देनी है तो क्या उसके लिए नीतिगत परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है? पन्द्रह वर्ष के मूल निवास की शर्त पुरानी हो चुकी है। मैं यह आवश्यक समझता हूं कि यह सभा कंपनी में नौकरी प्राप्त करने के लिए 25 वर्षों के मूल निवास की शर्त को अनिवार्य बनाने पर विचार करे। निजी कंपनी में नौकरी पाने के लिए न्यूनतम 25 वर्षों के मूल निवास की शर्त रखना आवश्यक प्रतीत होता है। आगे, पन्द्रह वर्षों के मूल निवास की शर्त की कोई उपादेयता नहीं रह गयी है। अतएव, नई शर्त निर्धारित करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि इस राज्य में कई उद्योगपति आए तथा यहां उनकी किस्मत चमक गई। मुझे उनकी समृद्धि से शिकायत नहीं है। यह रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय, मैं इन उद्योगपतियों के सामाजिक दायित्व के बारे में बोलना चाहता हूं। यदि किसी इकाई में 50 व्यक्ति कार्यरत हैं तो क्या उसके लिए एक और व्यक्ति को रोजगार मुहैया कराना अनिवार्य नहीं किया जा सकता। वह इकाई व्यावसायिक अथवा औद्योगिक हो सकती है। मैं समझता हूं कि 50 कर्मचारियों वाली इकाइयों के लिए और एक व्यक्ति को रखना कठिन नहीं होगा। यदि आप कानून या नियम बना सकते हैं तो इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि ये उद्योगपति जो इस राज्य का हिस्सा होने में गर्व महसूस करते हैं इस कदम का स्वागत करेंगे।

हम महाराष्ट्र में एक बड़ा काम कर सकते हैं। नौकरी और स्वरोजगार के अवसरों के संबंध में ये मेरे विचार हैं। राज्य सरकार इस महान प्रयास में पीछे नहीं रह सकती है। राज्य सरकार द्वारा निषेध का कोई विकल्प नहीं है। राज्य सरकार को समयबद्ध दीर्घकालीन कार्यक्रम के लिए 732 करोड़ रु. का निवेश करना होगा। वर्तमान नौकरियों को बनाए रखने के लिए 935 करोड़ रु. का निवेश करना होगा। अतिरिक्त नौकरियों और स्वरोजगार के अवसरों के सृजन के लिए 732 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा। महाराष्ट्र सरकार 1600 से 1700 करोड़ रु. खर्च करेगी। हम नौकरी के अवसर बढ़ाने के लिए नियमों और विनियमों में संशोधन कर सकते हैं। हमें महाराष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए स्वरोजगार उत्पन्न करने होंगे। एक स्वरोजगार के सृजन से एक नौकरी बढ़ती है। हमने जिले और महत्वपूर्ण केन्द्रों के लिए एक योजना बनाई है जिसमें सौ वर्ग फुट माप की दुकानें जरूरतमंद नवयुवकों

को दी जाएंगी। नवयुवकों से इस दुकान में व्यवसाय अथवा उद्योग शुरू करने की अपेक्षा है। इस दुकान में कोई विशेष व्यवसाय करने की शर्त नहीं है। नवयुवक को यह दुकान खरीदने के लिए नहीं कहा जाएगा। हम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नवयुवकों की मदद कर सकते हैं। जब एक नवयुवक दुकान शुरू करता है तो एक आदमी और रखेगा।

मैं कृषि संबंधी योजनाओं पर बल देना चाहूंगा। हम एक नई कृषि नीति की घोषणा करना चाहेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने नवयुवकों को एक लाख पैंतीस हजार हेक्टेयर भूमि निःशुल्क पट्टे पर देने का निर्णय लिया है। नवयुवक इस भूमि से आय अर्जित कर सकते हैं। इस संबंध में बहुत सी योजनाओं पर काम चल रहा है। वन विभाग के पास सैकड़ों एकड़ भूमि है। इस भूमि पर वास्तविक हक महाराष्ट्र के युवकों का है। हम नवयुवकों को यह भूमि आवंटित करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस भूमि पर उत्पादकता बढ़ा कर लाभ उठाया जा सकता है।

मैं, कृषि के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने की क्षमता है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसने अपनी क्षमता को साबित किया है। पुणे शहर से कृषि उत्पाद विदेशों में गंतव्य तक सीधे हवाई मार्ग से जाते हैं। वाणिज्य विभाग ने वहां काम करना शुरू कर दिया है। हम इस प्रयास को और बढ़ा सकते हैं तथा अपने किसानों के लिए विश्व बाजार खोल सकते हैं। हम कृषि को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को गति दे सकते हैं। हम डेयरी उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं। कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं।

इस सभा से अनुरोध है कि वह विभिन्न योजनाओं पर विचार करे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने सुझाव दें। सरकार लंबे समय से चल रहे इस मुद्दे को लंबित नहीं रखना चाहती है। सरकार इस पर चर्चा और वाद-विवाद के लिए तैयार है। महाराष्ट्र सरकार ने इस बारे में निर्णय लिया है कि नौकरियों और स्वरोजगार के लिए एक नया विभाग खोला जाएगा। इस विभाग के प्रमुख के रूप में सबसे सक्षम अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। इस विभाग के 1 मई से काम शुरू करने की आशा है। यह विभाग नई नौकरियों के स्वरूप पर विचार करेगा। जब चुनाव हुआ था तो राजनीतिक दलों ने नौकरियां प्रदान करने का आश्वासन दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में व्यवस्थित प्रयास किया। मैं इस सभा के सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि वे हमारे इस प्रयास में अपना सहयोग दें।

114

मुम्बई की समस्याएं*

महोदय, सर्वप्रथम मैं श्री किरीट सोमैया को मुम्बई की विभिन्न समस्याओं पर सभा में चर्चा आरंभ करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

चर्चा में बीस सदस्यों ने भाग लिया है। मैं इन सभी सदस्यों को मुम्बई के विकास हेतु प्रशासन में सुधार तथा कानूनों में संशोधन के सुझाव देने और रचनात्मक उपाय ढूंढ़ने के लिए धन्यवाद देता हूं।

इस चर्चा के लिए मांग सत्र के आरंभ में ही उठाई गई थी। अभी, मुम्बई के संबंध में चर्चा शिवशाही सरकार के कार्यभार ग्रहण करने के दो वर्षों बाद हो रही है। मैं इस चर्चा का हार्दिक स्वागत करता हूं। कृपया मुझे आरंभ में ही स्पष्ट करने दीजिए। हमारी सरकार मुम्बई की समस्याओं पर ध्यान दे रही है। तथापि, हम यह कार्य अपेक्षित तत्परता और पूरा ध्यान देकर नहीं कर सके। यह इसलिए हुआ क्योंकि हम किसानों, आदिवासियों और कठोर परिश्रम करने वाले लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता देने के लिए बाध्य थे। हमने उन्हें उनकी समस्याओं से उबरने में मदद देने में जल्दबाजी की। इसीलिए हम मुम्बई के लिए आवश्यक प्रावधान नहीं कर सके। माननीय सदस्यों को हमारी कठिनाई समझनी चाहिए। माननीय सदस्य समझ सकते हैं कि यद्यपि मुम्बई महाराष्ट्र की राजधानी है, फिर भी मुम्बई से बाहर रहने वाले लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी समस्याएं मुम्बई में रहने वाले लोगों की समस्याओं की तुलना में अधिक कठिन हैं। इसलिए, हमें उनकी समस्याओं की ओर पहले ध्यान देना पड़ा। हमें इन लोगों का ध्यान रखना पड़ा। इस तरह, मुम्बई की समस्याओं की ओर ध्यान देने में कुछ विलंब हुआ है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम मुम्बई को पूरी तरह भूल गए हैं। महाराष्ट्र ने अनेक मुख्यमंत्री देखे हैं। सभी मुम्बई से बाहर के क्षेत्रों के निवासी रहे हैं। मुझे गर्व है कि मैं ऐसा मुख्यमंत्री हूं जो मुम्बई का निवासी है। मैं इस बात से पूरी तरह अवगत हूं कि मुम्बई के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखे जाने और क्या-क्या योजनाएं बनाए जाने की आवश्यकता है। मैं महसूस करता हूं कि कभी-कभी हम जिस कार्य को बहुत अच्छी तरह जानते हैं उसे बाद में आरंभ करते हैं। एक विद्यार्थी पहले कठिन प्रश्नों का हल करता है और उसके बाद अपेक्षाकृत आसान प्रश्नों को हल करता है। मैं मुम्बई की समस्याओं को जानता हूं।

* मुख्यमंत्री के रूप में मुम्बई की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर चर्चा का उत्तर देते हुए, महाराष्ट्र विधान सभा (27 अप्रैल 1997)

मैं इस नगर के साथ कई वर्षों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हूं। जब मैं राजनीतिक जीवन में आया तो बृहन्मुम्बई नगर निगम के लिए निर्वाचित हुआ। मैं ग्यारह वर्षों तक निगम पार्षद रहा। मैं स्थायी समितियों सहित कुछ समितियों का सभापति रहा। इस नगर ने मुझे महापौर बनाया। मैं जीवनभर इस नगर का अत्यधिक ऋणी रहूंगा। मेरा जीवन वास्तव में मुम्बई में शुरू हुआ। इसी नगर में मुझे 30 रुपये का पहला वेतन मिला। इस नगर ने न केवल मुझे मुम्बई का महापौर बनाया बल्कि महाराष्ट्र राज्य का मुख्यमंत्री भी बनाया। मैं मुम्बई को कैसे भूल सकता हूं? मुम्बई से मेरी भावनात्मक निकटता है। मैं मुम्बई में आस्था रखता हूं। मैं इस शहर के सुधार के संबंध में सोचता हूं। मैं इसके सुधार के मूलभूत तरीके ढूंढ़ता हूं। हमें इस नगर के प्रति बुनियादी सोच रखनी होगी। मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो यहां भ्रमण के लिए आते हैं, इसका आनंद लेते हैं और चलते बनते हैं। जिन राजनीतिज्ञों ने इस नगर पर शासन किया, वे इसे भूल गए। कुछ राजनीतिज्ञों ने अनेक वर्षों तक इस नगर की उपेक्षा की। कुछ सदस्य सोचते हैं कि मुम्बई की उपेक्षा करने से कुछ भी खास नुकसान नहीं होगा। लेकिन मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस होता है कि इस नगर ने मुझे सम्मान और पद दिया। शिवशाही सरकार मुख्यत: मुम्बई नगर से ही सत्ता में आई है। हम मुम्बई की उपेक्षा कभी नहीं करेंगे। माननीय श्री जयन्त पाटिल ने कहा कि इस नगर ने हैट ट्रिक प्राप्त की है। इस नगर के मतदाताओं ने लगातार तीन चुनावों में हमें समर्थन दिया। हम इस नगर के प्रति कभी भी अकृतज्ञ नहीं हो सकते। मैं अपने लोगों को बराबर कहता हूं कि यदि आप अन्य राजनीतिक दलों की तरह बर्ताव करेंगे तो आप दोबारा निर्वाचित नहीं हो सकते हैं। इस नगर ने शिवशाही सरकार को अनुगृहीत किया है। इस कृपा का प्रतिदान दिये जाने की आवश्यकता है।

मुम्बई के लिए क्या किया जाना चाहिए? मैं मुम्बई की समस्याओं की विशालता को बताने के लिए कुछ आंकड़े उद्धृत करना चाहूंगा। 1991 की जनगणना के अनुसार, मुम्बई नगर की जनसंख्या 31.06 लाख थी और उप-नगरीय आबादी 67.05 लाख थी। मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1996 में मुम्बई की जनसंख्या 1.08 करोड़ थी। बृहन्मुम्बई नगर निगम के साथ मैं घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ हूं। वर्ष 1996-97 के लिए इस निगम का राजस्व बजट 2240 करोड़ रुपये का और पूंजी बजट 786 करोड़ रुपये का था। वर्ष 1997-98 के लिए इसका राजस्व बजट 2703 करोड़ रुपये का और पूंजी बजट 1036 करोड़ रुपये का था। इन आंकड़ों से आपको मुम्बई की अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसका बजट कुछ अन्य राज्यों के बजट से अधिक बड़ा है। मुम्बई नगर महाराष्ट्र राज्य में एक राज्य है। इस नगर का विशाल प्रशासन और विस्तृत क्षेत्र है। इस नगर को इसके प्रशासन हेतु सभी शक्तियां प्रदान की गई हैं। कई सदस्य मुम्बई नगर की व्याख्या भिन्न रूप में करते हैं। मेरे मित्र श्री जयन्त पाटिल महसूस करते हैं कि यह नगर अब युवा नहीं रहा और वृद्ध होता जा रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह नगर सदैव युवा रहेगा और यह कभी वृद्ध नहीं होगा। यदि आप इस नगर के यौवन का आनन्द लेना चाहते हैं तो मैं श्री प्रमोद नवलकर से अनुरोध करूंगा कि वे आपसे मिलें। आप अपनी आंखों से इस नगर को देख सकते हैं। मुम्बई कितनी सुन्दर है इसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। गांवों में रहने वाले लोग कहते हैं कि वे खर्चों में कटौती करके पैसे बचाएंगे लेकिन कम से कम एक बार मुम्बई जाने की कोशिश अवश्य करेंगे।

मुम्बई में अनेक लोग एक कमरे के किराए के मकान में रहते हैं। शायद आप यह पसंद न करें कि मैं उनकी हालत का वर्णन करूं। मुम्बई किसी को रुष्ट नहीं करती। यह प्रत्येक व्यक्ति को समायोजित करती है। जो कोई भी यहां आता है यह उसका स्वागत करती है। लोग मुम्बई में जीविका का समाधान तलाशने आते हैं। रोजगार की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति को यहां रोजगार मिल जाता है। कोई भी व्यक्ति जो काम करने का इच्छुक है, यहां रोजगार के अवसर प्राप्त कर लेता है। सड़क का आदमी भी यहां मोटर गाड़ी साफ करके एक महीने में 1000-1500 रुपये कमा लेता है। जब लोग यहां आते हैं तो वे यहां लंबे समय तक रहते हैं। लोग इस नगर से प्यार करते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति जिसे इस नगर का सहयोग मिला, इसे प्यार करता है। इस नगर का एक समुद्र तट है। जिस व्यक्ति को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, वह समुद्र तट की ताजी हवा का आनंद लेता है। बस यात्री नगर में भ्रमण करके आनंद उठा लेता है। कुछ लोग महसूस करते हैं कि मुम्बई उजाड़ और सुनसान हो गयी है। लेकिन यह नगर उतना बुरा नहीं है जितना कि कुछ लोग बताते हैं। इस नगर ने अपने आलोचकों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की है। जो विदेशी यहां आते हैं वे कहते हैं कि 'मुम्बई नगर की कार्य संस्कृति अद्वितीय है।' मुम्बई के लोग काम करने के अभ्यस्त हैं। यहां, लोग काम करने के आदी हैं। इस नगर पर पश्चिमी देशों का प्रभाव है। जब विदेशी यहां आते हैं तो इस नगर को विदेशी भूमि महसूस नहीं करते हैं। श्री रायभान जाधव ने एक व्यक्ति का उदाहरण दिया है जो लंदन गया और जिसने महसूस किया कि वह मुम्बई में ही घूम रहा है। लंदन में अनेक भारतीय रहते हैं। अनेक सिख लंदन में रहते हैं। लंदन और मुम्बई के वातावरण में कोई फर्क नहीं है। मुम्बई की पुरानी इमारतें लंदन की इमारतों जैसी लगती हैं। यह मुम्बई का सुनहरा पक्ष है।

इस सभा में मुम्बई के एक अन्य और संभवत: निराशाजनक पक्ष का भी वर्णन किया गया है। इस महान नगर के अंधेरे पक्ष को उज्जवल बनाने का दायित्व वहन करने के लिए जनता और सरकार दोनों को आगे आना होगा। मैं इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं। इस नगर की समस्याएं बाहरी लोगों ने पैदा नहीं की हैं। ये समस्याएं हम लोगों ने पैदा की हैं और हम ही उनका समाधान कर सकते हैं। हम इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मुम्बई की समस्याएं ईश्वर-जनित नहीं हैं। यदि हम मुम्बई की समस्याओं का विश्लेषण करें तो हम देख सकते हैं कि वे हमने पैदा की हैं। हमें इन समस्याओं का समाधान करना ही चाहिए। यद्यपि कुछ सदस्यों ने राजनीतिक भाषण दिए हैं, फिर भी मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। सदन में आज के भाषण रचनात्मक थे। शायद यह सत्र का आखिरी दिन है। शायद इसी कारण से सदन में रचनात्मक भाषण दिए गए। हो सकता है कि कुछ सदस्यों का इस नगर के साथ, जोकि महाराष्ट्र की राजधानी है, घनिष्ठ संबंध रहा हो शायद इसलिए उन्होंने राजनीतिक भाषण नहीं दिए हैं।

मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि मुम्बई की समस्त समस्याएं हमारी ही पैदा की हुई हैं। ग्राम पंचायतों और नगर निकायों को भी कठिन समस्याओं पर काबू पाना है। इन निकायों के पास संसाधन जुटाने की क्षमता नहीं है। मुम्बई सवर्था भिन्न नगर है। यह शहर आत्मनिर्भर है। मैं मुम्बई को एक विशिष्ट वर्ग में रखने के बारे में विचार कर रहा था। हमें आत्मनिर्भर नगरों और उन नगरों के बारे

में सोचना होगा जो शहरी विकास विभाग से सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं। मेरा यह दृढ़ विचार है कि मुम्बई नगर और बृहन्मुम्बई नगर निगम को किसी भी सरकारी प्राधिकरण से निधियां दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। यह नगर आत्मनिर्भर होने की क्षमता रखता है। इस नगर में अपेक्षित संसाधन जुटाने की क्षमता है। क्या मैं इस संबंध में इस सदन से समर्थन की अपेक्षा कर सकता हूं? इस नगर की समस्याओं के संबंध में बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के सोचिए। मैं इस नगर की बेहतरी के संबंध में आश्वस्त हूं। मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का अपने भाषण के अंतिम दस मिनट में उत्तर दूंगा।

इस नगर की समस्याएं क्या हैं? तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो जनसाधारण के हितों से संबंधित हैं। पहला मुद्दा आश्रय अथवा आवास से संबंधित है। इस मुद्दे को दो भागों में बांटकर देखा जाना चाहिए। बड़ी संख्या में लोग हटमेंट्स में रहते हैं। यह मुद्दा 50 लाख लोगों से संबंधित है। अपनी चर्चा के लिए हम इसे एक करोड़ लोगों का आंकड़ा मान लेते हैं। इस नगर के नागरिकों के संबंध में उत्तरदायित्व बृहन्मुम्बई नगर निगम और महाराष्ट्र सरकार दोनों का है। यदि हम मुम्बई की समस्याएं नहीं सुलझा पाते हैं, तो महाराष्ट्र सरकार को अपनी विफलता स्वीकार करनी होगी। मेरा आपसे बार-बार अनुरोध है कि आप इस मुद्दे को राजनीतिक रूप न दें क्योंकि इसका संबंध लाखों लोगों से है। हमने 50 लाख लोगों के आवास के लिए योजनाएं बनाई थीं। हमने लोगों को इनके लाभ पहुंचाने शुरू कर दिए थे। एक माननीय सदस्य ने कहा कि हटमेंट्स में रहने वाले केवल 5 प्रतिशत लोगों को ही इसका लाभ प्राप्त हुआ है। मैं स्वीकार करता हूं कि यह लोग केवल 5 प्रतिशत हो सकते हैं। क्या आप यह देखना चाहते हैं कि इन पांच प्रतिशत लोगों ने अपनी आवासीय स्थिति में कितना सुधार महसूस किया है? मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता जो पहले से ही पूर्वाग्रहग्रस्त हैं। मैं खुली विचारधारा वाले व्यक्तियों से यह कहना चाहता हूं कि यह प्रतिशत पांच से ज्यादा है। सरकार की योजनाओं के परिणामस्वरूप हटमेंट्स में रहने वाले बहुत से लोग नए स्थानों पर चले गए हैं। जब मैं इन लोगों से मिलता हूं तो वे कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उन्हें 225 वर्ग फुट का आवास निःशुल्क मिलेगा। उन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उनके पास एक नया आवास होगा।

आप इस योजना में सहयोग क्यों नहीं देते? आप इस योजना के कार्यान्वयन में बाधाएं क्यों डालते हैं? हमारी यह हार्दिक इच्छा है कि सब कुछ पारदर्शी हो। हम किसी भी योजना की कोई भी फाइल, जो आप चाहते हैं, आपके समक्ष रखने को तैयार हैं। यह आरोप लगाया जाता है कि मलिन बस्ती क्षेत्र के पुनर्वास की हमारी योजनाओं का लाभ भवन निर्माताओं को मिला है। यह आरोप लगाया जाता है कि हमारी योजनाएं भवन निर्माताओं को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई हैं। हम यह दावा नहीं करते कि हमारी योजनाओं में कोई कमी नहीं है। आइए, हम अपनी गलतियों को सुधारें। एक सदस्य ने और रियायतें दिए जाने की वकालत की, क्योंकि भूमि के मूल्यों में 25 से 30 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। अतः भवन निर्माता, जिनके माध्यम से हम यह योजना कार्यान्वित करवाना चाहते थे, हतोत्साहित हो गए। यदि भवन निर्माता इस योजना के लिए तैयार नहीं होते हैं तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें यह कार्य सहकारी समितियों की सहायता से पूरा करना होगा। अधिकांश

माननीय सदस्य जिन्होंने इस विधेयक पर भाषण दिए हैं, मुम्बई के हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस योजना को चुनौती के रूप में लें। आपके निर्वाचन क्षेत्र में मलिन बस्ती क्षेत्र का पुन:निर्माण होना ही चाहिए और निर्धन लोगों को बेहतर आवास मिलने ही चाहिएं। मैं यह कहना चाहता हूं कि निर्वाचित होना एक संयोग मात्र है किंतु गरीबों को आवास प्रदान करना एक धर्म का कार्य है। सदस्यों को उत्साह से काम करना चाहिए। हम भवन निर्माताओं पर निर्भर नहीं हैं। हम सहकारी समितियों की कार्यकुशलता के बारे में लोगों को समझाएंगे। यह आवश्यक है कि संगत नियमों के उपबंधों में, संशोधन किए जाएं। सरकार आवश्यक संशोधन करने के लिए तैयार है। मुझे मालूम है कि कुछ रियायतें दिए जाने की आवश्यकता है। हम इन रियायतों के संबंध में आपसे विचार-विमर्श करने के लिए तैयार हैं। यदि इन रियायतों के बावजूद हम हटमेंट में रहने वाले लोगों को घर प्रदान करने में असफल रहते हैं तो हमें 50 लाख लोगों के शाप का भागी बनना होगा। कृपया इस बात को ध्यान में रखें।

हमें लोगों के लिए आश्रय के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को ध्यान में रखना है। कुछ लोग पुरानी चालों में रहते हैं। मेरे पास सुकथांकर समिति की रिपोर्ट है। मैंने पहले भी कहा है और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। यदि हम चाहते हैं कि पुरानी चालों में रहने वाले किरायेदार वहीं रहें तो हमें उन्हें अधिक कार्पेट एरिया देना होगा। सरकार ने पहले उन्हें 2.5 गुना कार्पेट एरिया दिया था। सरकार को और अधिक कार्पेट एरिया देना पड़ सकता है। यह मुद्दा केवल मध्यम वर्ग से ही जुड़ा नहीं है। इन किरायेदारों में हमारे सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। वे हटमेंट में रहने वाले लोगों से अधिक बेहतर हैं। निगमों में काम करने वाले कर्मचारी हैं जिन्हें बहुत ही कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। मुझे यकीन है कि इस कठिनाई को दूर करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। फर्श के वर्ग क्षेत्र को बढ़ाना मात्र ही पर्याप्त नहीं होगा। इस कार्य पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई रियायतों का दुरुपयोग न करे। यह मुद्दा 20,000 पुरानी इमारतों का है। क्या आवास की इस समस्या को सुलझाना आवश्यक नहीं है? हमें हटमेंट में रहने वाले 50 लाख लोगों, पुरानी इमारतों में रहने वाले 20 लाख लोगों और मुम्बई में रहने वाले अन्य 30 लाख लोगों के बारे में सोचना है। इस प्रश्न पर प्राथमिकता के आधार पर चर्चा किए जाने की आवश्यकता है।

एक अन्य मुद्दा मिल मजदूरों का है। उनके संबंध में हमारी नीति क्या है? इस समय किसी में इस समस्या से निपटने की हिम्मत नहीं है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री शरद पवार इस संबंध में एक योजना लाए थे। उस योजना के अनुसार मिल की भूमि को तीन हिस्सों में बांटा गया था। एक-तिहाई भूमि मिल मालिकों को सौंपी गई थी और दो-तिहाई भूमि बृहन्मुम्बई नगर निगम द्वारा हाउसिंग बोर्ड को सौंपी जानी थी। मैं तीन-चार मिलों का उदाहरण देना चाहता हूं। इन मिलों के बारे में एक समिति का गठन किया गया था। इसके सदस्य मंत्री एड. डेक और सबीर शेख थे। समिति ने पाया कि तीन मिलों ने अपना काम उचित ढंग से किया था और एक मिल ने गड़बड़ी की थी। यदि एक मिल असफल रही है तो क्या यह कहना सही है कि मिल भूमि के हस्तांतरण का कार्य पूरी तरह से बंद कर दिया जाए? जब हम मिल भूमि के हस्तांतरण की बात करते हैं तो आप हम पर आक्षेप कैसे लगा सकते हैं? कृपया मिल मजदूरों की समस्या को सुलझाने के लिए कोई अन्य उपाय सुझाएं।

आइए हम यातायात की समस्या पर काबू पाएं। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि हम दो मुम्बइयों के अतिरिक्त तीसरी मुम्बई की स्थापना करें। मैं माननीय श्री विवेक पाटिल को बताना चाहता हूं कि जब कोई नई योजना बनाई जाती है तो उससे एक नयी हलचल पैदा हो जाती है। शेवा-शिवाड़ी पुल का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। इसकी योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुम्बई की यातायात समस्या का समाधान करने का यह अच्छा तरीका है। इस पुल से नई मुम्बई, अहमदाबाद और रायगढ़ जिले के लिए यातायात सुगम हो जाएगा। जब यह पुल पूरा हो जाएगा, तो फोर्ट एरिया में स्थित कई कार्यालयों को शेवा-शिवाड़ी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। छोटे-छोटे प्रयास करने का कोई फायदा नहीं है। हमें मौलिक चिंतन करना चाहिए और अपनी समस्याओं को हल करना चाहिए। शेवा-शिवाड़ी मौलिक चिंतन का ही परिणाम है। सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों से हमें कोई समाधान मिल सकता है। मुझे इसका पूरा विश्वास है। सेनापति बापट रोड की यह साधारण समस्या है। लेकिन कुछ लोग हमें इसका हल नहीं निकालने देते। मेरे मित्र प्रमोद नवलकर इस पर विगत आठ महीनों से काम कर रहे हैं। इस सड़क के फुटपाथ पर कई हटमेंट हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि इस सड़क पर यातायात सुचारू हो। लेकिन कुछ अन्य लोग हटमेंट को हटाए जाने का विरोध करते हैं।

मैंने माननीय श्री शरद पाटिल की बात सुनी। उनका कहना है कि जब वह मुम्बई आते हैं तो उन्हें कोई शौचालय-सुविधाएं दिखाई नहीं देतीं। मैं कहता हूं कि शौचालय-सुविधाओं की समस्या भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमने पिछले वर्ष एक नई योजना तैयार की। इस योजना को शुरू करने में चार से पांच महीने की देरी हो गई। हमने प्रत्येक घर में महिलाओं के लिए शौचालय बनवाने से शुरूआत की। हमने पांच लाख शौचालयों का लक्ष्य निर्धारित किया था। आठ महीनों के दौरान महाराष्ट्र में 3.56 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया। मैं माननीय श्री पाटिल की जानकारी के लिए आंकड़े उद्धृत करना चाहता हूं। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता था। लेकिन मुझे ये आंकड़े अब देने ही पड़ेंगे। मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इस महान नगर में शौचालयों का निर्माण करवाना चाहते हैं। हम इस पर विचार करेंगे। अल्पावधि उपाय के रूप में हम सुलभ शौचालयों का निर्माण करवा रहे हैं। सरकार इस योजना का विस्तार करने का प्रयास करेगी। शौचालय-सुविधा व्यक्ति की एक बुनियादी आवश्यकता है। हम इस आवश्यकता को पूरा करेंगे। मैं शौचालय-सुविधा योजना को कार्यान्वित करने का वचन देता हूं।

कुछ सदस्यों ने विभिन्न सुझाव दिए हैं। अनेक सदस्यों ने प्रदूषण का मुद्दा उठाया है। प्रदूषण की समस्या गंभीर है। कुछ सदस्यों ने इस नगर में वाहनों की संख्या के बारे में उल्लेख किया है। इन वाहनों से प्रदूषण पैदा होता है। श्री जयंत पाटिल ने ठाणे और रायगढ़ जिलों के प्रदूषण की तुलना मुम्बई के प्रदूषण से की है और कहा है कि मुम्बई में पचास प्रतिशत मौतें प्रदूषण के कारण हुई मानी जा सकती हैं। लोग पुराने वाहनों को दरकिनार कर रहे हैं और नए वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं। ये नए वाहन कुछ हद तक प्रदूषण की समस्या का समाधान कर पाएंगे। लेकिन केवल यही पर्याप्त नहीं होगा। कुछ और भी करने की आवश्यकता है। हमने मुम्बई में वृक्षारोपण योजना शुरू की है। वृक्षारोपण प्रदूषण कम करने का एक उपाय है। मैं यह दावा नहीं करता हूं कि केवल यही एक उपाय

है। विकास क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण बहुत हद तक प्रदूषण की समस्या का समाधान कर सकता है। मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार शीघ्र ही वृक्षारोपण की एक विस्तृत योजना अधिसूचित करेगी।

माननीय श्री किरीट सोमैया ने एक संकल्प का प्रस्ताव रखा है और कुछ मुद्दे सुझाए हैं। मैं उनको शीघ्र ही उत्तर देना चाहता हूं। उन्होंने एक बड़ी मांग की है। सरकार से हटमेंट्स का सुधार करने के लिए कहा गया है और उनकी ऊंचाई बढ़ाकर 14 फुट करने की अनुमति देने की बात कही गई है। श्री किरीट सोमैया और अन्य सदस्यों ने मेरे भाषण का जिक्र एक बैठक में किया। उन्होंने कहा कि मैंने ऊंचाई को 14 फुट तक बढ़ाने का वायदा किया था। मुझे यह वायदा करने की बात याद है। मैं इस अनुरोध पर बिना किसी वचनबद्धता के विचार करूंगा। यदि हम छोटे-छोटे घरों की ऊंचाई 14 फुट तक बढ़ाते हैं तो हमें इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में सोचना चाहिए। यदि हम ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति देते हैं तो लोग नई योजनाओं में मकानों का क्षेत्रफल बढ़ाने की मांग करेंगे। आवास विभाग में एक चर्चा हुई थी। 5 दिसम्बर, 1995 के सामान्य नियम द्वारा 14 फुट ऊंचाई की योजना समाप्त कर दी गई। इसे 4 जनवरी, 1992 को लागू किया गया था। यदि लाभार्थी एक शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं तो इस योजना को पुन: लागू किया जा सकता है। यदि संबंधित लोग सहयोग करने के इच्छुक हों तो सरकार इस योजना पर पुनर्विचार करेगी।

ट्रक टर्मिनल जैसे विषय को चर्चा में उठाया गया था। बान्द्रा-कुर्ला ट्रक टर्मिनल कार्य कर रहा है। छह गोदाम और कार्यालय भवन तैयार हैं। दूसरा भवन 'सुमित्रा' भी तैयार है। विभिन्न स्थानों पर फ्लाई ओवर बनकर तैयार हैं। हम गोदामों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के बारे में निर्णय ले रहे हैं। हीरे और कपड़े के बाजार को अन्यत्र ले जाने की बात उठाई गई थी। हीरा बाजार को अन्यत्र नहीं ले जाया जा सकता। तथापि, बान्द्रा-कुर्ला परिसर में कपड़ा बाजार के लिए 24,000 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की जा रही है। इस संबंध में एक आपातकालीन निर्णय लिया गया है।

माननीय श्री रत्नाकर नारकर और श्री किरीट सोमैया ने इस नगर में कूड़े-करकट के मुद्दे को उठाया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस नगर में प्रतिदिन 5500 टन कूड़ा पैदा होता है। इस कूड़े को जमा करने के लिए चार कूड़ा स्थल बनाए गए हैं। एक कूड़ा स्थल श्री नारकर के निर्वाचन क्षेत्र में है। कूड़े का निपटान एक महत्वपूर्ण मामला है। इस विषय पर निरंतर चर्चा हुई है। निजी क्षेत्र की तीन कंपनियों ने हमें कूड़े से विद्युत उत्पादन के प्रस्ताव दिये हैं। इन बोलीदाताओं ने कूड़ा हटाने की पेशकश की। मैंने स्वयं इन बोलीदाताओं के साथ चर्चा की थी। वे इस कूड़े से उत्पादित बिजली महाराष्ट्र को देने को तैयार हैं। उन्होंने हमसे कहा कि यह कूड़ा इतना उपयोगी है कि वे इससे 300 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। हम शीघ्र ही कूड़े के निपटान के बारे में उपाय करेंगे। मैंने स्वयं पुणे नगर में इस प्रकार की एक योजना का उद्घाटन किया था। इस योजना को मुम्बई में भी शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

विपक्ष के नेता श्री पिचाड़ ने मुम्बई में वसूल किए जाने वाले विभिन्न करों का मुद्दा उठाया था। देश के सभी स्थानों में से मुम्बई में सबसे अधिक करों का संग्रहण होता है। श्री पिचाड़ ने मुम्बई

में कानून और व्यवस्था के मुद्दे का भी उल्लेख किया है। गृह विभाग से संबंधित वाद-विवाद का उत्तर देते समय कई बार स्थिति स्पष्ट की गई है। अब हम मुम्बई के विकास के बारे में सोच रहे हैं। बहुत से लोग इस नगर में आते हैं क्योंकि वे मुम्बई को अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। अनेक पुरुष और महिलाएं मध्य रात्रि में 12 बजे के बाद सिनेमा शो समाप्त होने के बाद नगर में बिना किसी चिंता के आते-जाते हैं। शिवशाही सरकार के कार्यभार ग्रहण करने के बाद ऐसे लोगों की प्रतिशतता बढ़ी है। अब कानून और व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। मैं जानता हूं कि मुम्बई में कुछ हत्याएं हुई थीं। आपने हत्याओं की सूची दी है। मुझे पहले की अवधि में हुई हत्याओं की सूची पहले प्रस्तुत करनी चाहिए थी। तथापि, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं इस समस्या को दूसरा रूप नहीं देना चाहता हूं। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग यह नहीं सोचते हैं कि राज्य में किसका शासन है। मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि आप इस मुद्दे पर मुझ से सहमत होंगे। माननीय सदस्य श्री पड़वाल यह पूछना चाहते हैं कि मुम्बई में जब इतने सारे मंत्री रहते हैं तो यहां ऐसी घटनाएं क्यों घटती हैं। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रशासनिक समस्याएं हैं। जब आप मुम्बई के महापौर थे तो आपने भी इसी प्रकार की प्रशासनिक समस्याओं का सामना किया होगा। आपको खुश होना चाहिए कि सरकार मुम्बई की समस्याओं को सुलझाने में लगी है। इस सभा में मुम्बई की समस्याओं के बारे में अनेक बार उल्लेख किया गया है। हमने यह कभी नहीं कहा कि यह विषय बृहन्मुम्बई नगर निगम से संबंधित है। हम नगर निगम को दृढ़ता से सहयोग दे रहे हैं। विगत में सरकार और बृहन्मुम्बई नगर निगम की समन्वय समितियों की बैठकें दो-तीन वर्षों तक नहीं हुई थीं। हमने इन बैठकों को एक वर्ष में दो बार आयोजित करने की शुरूआत की। एक माननीय सदस्य ने उन चर्चाओं का उल्लेख किया था जो मैंने कुछ सदस्यों के साथ की थी। मैंने ऐसी चर्चा आठ बैठकों में की थी। जब हमें किसी समस्या का बुनियादी हल निकालना होता है तो इसमें समय लगता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मुम्बई के सभी सदस्यों ने स्वयं को मुम्बई की समस्याओं से जोड़ा है। मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं कि इन सदस्यों के प्रयासों के कारण मुम्बई में बढ़िया अस्पताल और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी।

माननीय श्री जयंत पाटिल ने पूछा है कि क्या सरकार का आशय मुम्बई नगर को भवन निर्माताओं को विवाह (अंदान) में उपहार के रूप में सौंप देने का है? हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। जिन लोगों को इस नगर से प्रेम है वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। भवन निर्माताओं को जब भी अवसर मिलता है वे आरक्षण नियमों में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। चूंकि हम सत्ता में हैं इसलिए मैंने शहरी विकास विभाग को अपने पास रखा है। हमने आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया है। हमने सामाजिक हित में ही परिवर्तन किया है। हमने भवन निर्माताओं को भूखंड सौंपने के लिए आरक्षण में कभी कोई परिवर्तन नहीं किया। मैं इस मामले में कोई राजनीति करना नहीं चाहता हूं। हम जानते हैं कि आरक्षण में पहले कैसे संशोधन किये गये। माननीय सदस्य श्री हेमेन्द्र मेहता ने गैर-सरकारी रूपरेखा के बारे में मुद्दा उठाया। वे जानते हैं कि मैंने इस विषय पर एक बैठक आयोजित की थी। श्री प्रकाश मेहता द्वारा सुझाए गए उपायों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

माननीय सदस्य श्री बशीर पटेल ने सी.आर.जेड. का प्रश्न उठाया है। इससे संबंधित फाइल मेरे पास है। मैं इस मुद्दे को मलिन बस्ती क्षेत्र से अलग कर रहा हूं। माननीय सदस्य श्री अशोक धत्रक

यह जानकर खुश होंगे कि सी.आर.जेड. नियमों में संशोधन करना होगा ताकि मलिन बस्ती क्षेत्र खतरे में न पड़ जाएं। क्या कोई व्यक्ति पूरे मेरीन ड्राइव को ध्वस्त करने जैसे सुझाव को स्वीकार करेगा? मैं सी.आर.जेड. नियमों के विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं। मैं इस बात पर ध्यान दूंगा कि ये नियम गरीब लोगों के विरुद्ध न हों।

पुराने भवनों की मरम्मत की 750 रुपये प्रति वर्गमीटर की वर्तमान दर में वृद्धि करने की मांग की गई है। सरकार ने 1000 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर की घोषणा की है। हम नियमों में संशोधन कर रहे हैं। कृपया रुपये में इसकी गणना मत कीजिए। सरकार को पुराने भवनों की मरम्मत की पूरी रकम का भुगतान कर देना चाहिए, क्योंकि उनमें रहने वाला किराएदार दोनों दरों की राशि के अंतर का भुगतान करने में समर्थ नहीं है। 1969 से इस बोर्ड (बिल्डिंग रिपेयर्स बोर्ड) में काम करने वाला मैं एक मात्र व्यक्ति हूं। हमें पता है कि वहां रहने वाले किराएदार दरों के अंतर की राशि का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए पुरानी चालों की मरम्मत नहीं की जा सकती है। हम इसके लिए अलग से समिति का गठन नहीं करना चाहते हैं। हम मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए भवनों का अलग-अलग से वर्गीकरण करना चाहते हैं। शुरू में मुम्बई में 75 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर थी। अब यह दर बढ़कर 1000 रुपये हो गई है। माननीय मंत्री महोदय ने इस संबंध में एक घोषणा की है जिसे अभी कार्यान्वित किया जाना है। 1000 रुपये की दर कम पड़ जाएगी और 250 रुपये का अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ेगा। हम इस दर को बढ़ाने का प्रस्ताव करते हैं। हम पुराने भवनों की मरम्मत के लिए प्रावधान में वृद्धि करने का विचार कर रहे हैं।

माननीय सदस्य, श्री अशोक धत्रक ने पूछा है कि मुम्बई पर वाद-विवाद के लिए रविवार का ही दिन क्यों चुना गया। रविवार का दिन यह दर्शाने के लिए चुना गया कि मुम्बई के सदस्य मुम्बई की समस्याओं में कितनी गहरी रुचि रखते हैं। मैं मुम्बई के सभी सदस्यों को सदन में उनकी उपस्थिति के लिए बधाई देना चाहता हूं।

माननीय सदस्य, श्री धत्रक ने सुझाव दिया है कि बृहन्मुम्बई नगर निगम को एक भूखंड दे दिया जाए। सरकार ने निगम से बातचीत की थी। सरकारी भूखंड निगम के दो भवनों के बीच स्थित है। यदि निगम इसकी मांग करता है तो सरकार निगम को यह भूखंड 15 प्रतिशत अतिरिक्त भू-क्षेत्र सहित देने के लिए तैयार है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उक्त भू-खंड निगम को दे दिया जाएगा।

माननीय सदस्य, श्री सीताराम दलवी ने सुझाव दिया कि हमें मुम्बई के उपनगरीय क्षेत्रों से पशुशालाओं को हटा देना चाहिए। इस सदन में इस प्रश्न पर कई बार चर्चा की गई है। पशुशालाओं की संख्या कम हो गई है। भूमि की कीमतें, भैंसों की कीमत से कई गुना अधिक है। पशुशालाओं के मालिक अपनी पशुशालाओं को बनाए रखना पसंद नहीं करते। वे स्वयं उस भूमि पर भवन खड़े करना चाहते हैं। पशुशालाओं की समस्या का निराकरण करने में समय लग रहा है। कुछ रियायतें देकर इस समस्या को हल किया जा सकता है।

माननीय सदस्य, श्री बाला नन्दगांवकर ने सुझाव दिया है कि एक तीसरी मुम्बई स्थापित की जाए। यह सुझाव वास्तव में प्रशंसनीय है। किंतु इसके लिए 1500 करोड़ रुपये का निवेश करने की आवश्यकता होगी। कुछ व्यक्ति इसके लिए दान देने के लिए राजी हो गए हैं। हम निजीकरण करके धनराशि जुटा सकते हैं। हम अपेक्षित सड़क का निर्माण कार्य पूरा करेंगे। इस सुझाव को स्वीकार किया जा सकता है। तथापि, इसके लिए अपेक्षित पुल का निर्माण करना पड़ेगा।

श्री बाला नन्दगांवकर और श्री जयंत पाटिल ने अन्य राज्यों से मुम्बई आने वाले लोगों के लिए परमिट प्रणाली शुरू करने का सुझाव दिया था। फिलहाल ऐसा करना संभव नहीं है। तथापि, अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए वर्तमान नियमों को सख्त बनाया जा सकता है।

मैं सभी संबंधित व्यक्तियों को बताना चाहूंगा कि अब के बाद अनधिकृत निर्माण करने का प्रयास न करें। बाहर से आकर लोग यहां अनधिकृत निर्माण कार्य करते हैं। वे ऐसा समझते हैं कि जनप्रतिनिधि उन्हें ऐसे निर्माण को नियमित कराने में मदद करेंगे। हमारी सरकार ने मुम्बई की 1.08 करोड़ जनता के लिए सस्ती दर पर मकान उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। वे दिन चले गए जब लोग फुटपाथ पर झुग्गी-झोंपड़ी खड़ी करने के बाद आरक्षित भू-खंड प्राप्त करने की बात सोचते थे। अब हम ऐसी बातों को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कानून का दृढ़तापूर्वक और सख्ती से कार्यान्वयन करेंगे। जो लोग आज सत्ता में हैं उन्हें अपने शहर से लगाव है। हम अनधिकृत निर्माण को कभी भी बढ़ावा नहीं देंगे। यहां सभी लोगों की सोच समान है। इसलिए हमने यह नीति बनाई है।

माननीय सदस्य श्री अभिराम सिंह ने सुझाव दिया कि हम कृष्णा घाटी के तरीके से संसाधन जुटाएं। यदि जरूरत पड़ी तो इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है। तथापि मैं सभी प्रकार के कार्यों के लिए यह तरीका अपनाना नहीं चाहता। मुम्बई आत्मनिर्भर नगर है और निजीकरण का कदम उठाकर पैसा जुटाया जा सकता है। मुम्बई के विकास के हित में मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं।

माननीय सदस्य श्री रायचूरा ने मुझसे विकास योजना लागू करने का अनुरोध किया था। विकास योजना के लिए विकास अधिकार अंतरण की व्यवस्था दी जाती है। मैं नहीं समझता कि विकास योजना को लागू करने में अब कोई कठिनाई है।

माननीय सदस्य श्री मराठे शायद ही कभी बोलते हैं किंतु जब भी बोलते हैं तो वे काफी नपे-तुले शब्दों में प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखते हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि विभिन्न समितियों के कार्यकरण की निगरानी हेतु एक समिति गठित की जाए। मुझे लगता है कि श्री मराठे को समितियों के कार्यकरण पर भरोसा है। इनमें से कई समितियां पुरानी हैं। मुझे पुरानी समितियों के प्रतिवेदन देखने का मौका मिला था। समितियां कुछ अवधि के लिए प्रासंगिक रहती हैं और कुछ समय के बाद इनका महत्व समाप्त हो जाता है। बीयूटी (बिल्ड, यूज एंड ट्रांस्फर) स्कीम के बारे में मुझे सूचित करना है कि कुर्ला और ठाणे के बीच सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। केन्द्रीय सरकार ने इस सड़क

के लिए दस करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। इतनी अधिक धनराशि जारी किए जाने के बावजूद हम इस सड़क के निर्माण कार्य में तेजी नहीं ला पाए हैं क्योंकि रेलपथ के दोनों ओर झुग्गी-झोंपड़ियां हैं और इन्हें हटाने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। संबंधित अधिकारियों ने आज मुझसे मुलाकात की और मुझे बताया कि जब तक झुग्गियां नहीं हटायी जातीं, तब तक सड़क का निर्माण नहीं किया जा सकता। इन अधिकारियों की योजना झुग्गियां हटाकर वहां नया रेलपथ बनाने की है। यदि रेलपथ का दोहरीकरण कर दिया जाता है तो प्रतिदिन एक लाख और यात्री तीव्र गति से यात्रा कर सकेंगे। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि झुग्गियां हटाकर भांडुप के पास उनका पुनर्वास करने में मैं उनकी हर संभव सहायता करूंगा। यह परियोजना व्यवहार्य है और इससे रेल यातायात की गति तेज हो जाएगी। अधिकारियों ने तेजी से निर्णय किए जाने पर जोर दिया और मुझे बताया कि सामान्य प्रक्रिया अपनाने से कोई फायदा नहीं होगा। यदि मैं कोई ठोस कार्य नहीं करना चाहता, तो मैं एक ओर समिति का गठन कर सकता था और मैंने उन्हें बताया होता कि इस मामले को समिति को सौंप दिया गया है। मैं सभी समितियों को समेकित नहीं करना चाहता हूं। हम विभिन्न समितियों के सुझावों पर विचार करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं।

मैं श्री डेसमंड के सुझाव पर बोलना चाहता हूं। मैंने उनके सुझाव पर विचार किया है। हम दादर में फेरीवालों का बाजार बनाना चाहते हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि फेरीवालों ने इस बाजार में भाग लेने के लिए लिखित में सहमति दी है। यदि फेरीवाले सुझबूझ दिखाते हैं तो सड़कें खाली हो जाएंगी। नियमों को सख्ती से लागू करके इन सड़कों को खाली रखना प्रशासन का कार्य है। फेरीवालों के साथ हमारी तीन-चार बैठकें हुई थीं। प्रयोग के तौर पर हम उन्हें स्थान उपलब्ध करा रहे हैं। यह कार्य 10-12 मई तक शुरू हो जाएगा। यह बाजार दस माह में बनकर तैयार हो जाएगा। सभी फेरीवाले इस बाजार में आने के लिए तैयार हैं। सड़कों पर से फेरीवालों को हटा दिया जाएगा। माननीय श्री सुरेश गंभीर ने नागरिक जीवन संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है। वे यह भी चाहते हैं कि मुम्बई की समस्याओं का तेजी से समाधान किया जाए। मैंने उनके सुझाव पर विचार करने का निर्णय किया है। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि मुम्बई की सभी समस्याएं मानवजनित हैं। हम स्वयं इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सरकार मुम्बई की समस्याओं के बारे में सतर्क है। हमने मुम्बई को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। हम भविष्य में भी ठोस उपाय करेंगे। पांच वर्ष के बाद आप इस शहर का स्वरूप कुछ हद तक बदला हुआ पाएंगे। मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम मुम्बई को रहने के लिए बेहतर स्थान बनाना चाहते हैं। आज के वाद-विवाद से हमें अपने प्रयास में मदद मिलेगी। इस वाद-विवाद में भाग लेने के लिए मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं।

115

भ्रष्टाचार से संघर्ष*

मैं सरकारी निगमों में भ्रष्टाचार पर चर्चा की शुरुआत करने के लिए माननीय श्री आर.आर. पाटील को धन्यवाद देता हूं। इन निगमों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सरकार के प्रयासों में सहयोग करें। इन निगमों को कुछ हद तक स्वायत्तता मिलनी चाहिए। मैं इन निगमों की आलोचना को एक रचनात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहता हूं। महोदय, मुझे संतोष है कि यह आलोचना केवल कुछ निगमों के ही बारे में है न कि सभी निगमों के बारे में। श्री आर.आर. पाटील ने श्री प्रमोद महाजन और श्री बालासाहेब ठाकरे के भाषणों को उद्धृत किया।

श्री महाजन ने कानून और व्यवस्था की समस्या को हल करने के लिए सरकार की प्रशंसा की है। उन्होंने सरकार से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए कहा है। मुझे एक भी ऐसे राज्य का नाम बता दें, जो भ्रष्टाचार का समूल नाश करने में सफल हो गया हो! सरकार ने भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र जारी किया। भारतीय व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने, भारत के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु कदम उठाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की सराहना की थी। मैं इस सभा को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाने वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को तैयार है।

श्री आर.आर. पाटील पूछना चाहेंगे कि 'महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम' के बांड 17.5 प्रतिशत की दर से क्यों दिए गए? यह दर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में चल रही 18 प्रतिशत की अधिक दर की पृष्ठभूमि में निर्धारित की गई थी। हमने 17 प्रतिशत की दर के बारे में वार्ता के बाद निर्णय लिया। हमारा प्रयास है कि इस दर को कम करके 9.5-10 प्रतिशत तक लाया जाए। महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड और पेयजल योजनाओं के बांड 12 प्रतिशत की दर पर जारी किए गए।

माननीय श्री गिरीश बापट ने सुझाव दिया है कि मुख्यमंत्री प्रत्येक दो महीने में इन निगमों के कार्यालयों का दौरा करें। मैं इस सुझाव पर अमल करूंगा।

श्री पाटील ने अभियंताओं के विरुद्ध शिकायत का उल्लेख किया है। इस शिकायत का सरोकार नौकरशाहों के बीच की राजनीति से हो सकता है। एक अभियंता के खिलाफ शिकायत है कि वह

* मुख्यमंत्री के रूप में 'निगमों में कदाचार व भ्रष्टाचार' विषय पर चर्चा का उत्तर देते हुए, महाराष्ट्र विधान सभा (22 दिसम्बर 1997)

एक पांच तारा होटल बना रहा है। तथापि, सदस्यों से निवेदन है कि वे ठोस प्रमाण दें। सदस्यगण समस्त अभियंता-वर्ग के विरुद्ध ही शिकायत करेंगे, तो जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं उन्हें तकलीफ पहुंचती है।

कुछ सदस्यों ने 'सूमो' कारों की खरीद के खिलाफ शिकायत की है। निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। 'सूमो' कारों को 'महिन्द्रा' कम्पनी के वाहनों से सस्ता पाया गया। यह कहा कि एक अधिकारी ने कार में डैक लगाया हुआ है। किसी भी अधिकारी को निगम के खर्चे पर ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई है। एक अन्य शिकायत है कि निर्माण संबंधी निविदा कम प्रसार-संख्या वाले अखबारों में दी गई थी। यह शिकायत सही नहीं है चूंकि इसका विज्ञापन अधिक प्रसार-संख्या वाले अखबारों में भी दिया गया था। विभिन्न भवन-निर्माताओं को ठेके दिये गये और कार्य में तेजी आने के साथ पश्चिमी महाराष्ट्र में समृद्धि आती गई। पहले की सरकारों ने पिछले पन्द्रह सालों में इस काम की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं निर्दलीय सदस्यों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने न केवल सूखाप्रवण क्षेत्रों को, अपितु संपूर्ण पश्चिमी महाराष्ट्र को सिंचित करने की शर्त रखी। श्री आर.आर. पाटील यह जानने को उत्सुक हैं कि सिंचाई-परियोजनाओं की लागत बढ़ने पर हम क्या करेंगे। संभावना यह है कि सरकार को 7100 करोड़ रुपये की वर्तमान लागत के बजाय 9000 करोड़ रुपये व्यय करना पड़ेगा। सरकार अतिरिक्त संसाधन ढूंढ़ने में लगी है। यदि हम वर्ष 2000 के पूर्व सिंचाई हेतु जल मुहैया नहीं करा पाए तो परिणाम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

पड़ोसी राज्य हमें उच्चतम न्यायालय में मुकदमे में फंसाकर हमारी सिंचाई-परियोजनाओं को ठप्प करने की चेष्टा कर रहे हैं। हमने मुकदमा लड़ने के लिए चार अधिवक्ताओं को रखा है। मैं सभी सदस्यगणों से अपील करूंगा कि वे इस तरह का प्रचार न करें कि कृष्णा घाटी परियोजना में भ्रष्टाचार हो रहा है। इससे बांडों के जरिए धनराशि जुटाने के सरकार के प्रयासों को हानि पहुंचेगी।

मैं सदस्यगणों से विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि वे ऐसी आलोचना न करें जिससे हमारे राज्य के विकास को क्षति पहुंचे। कुछ सदस्यों ने पोर्कलैण्ड मशीनों की खरीद के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की है। मैंने इस बात की पुष्टि करवाई कि यही मशीनें पहले भी खरीदी गयी हैं। कुछ सदस्यों ने विद्युत प्रशुल्क को माफ करने की बात कही। सभा इस मुद्दे पर भ्रमित हो सकती है। जिन दो कम्पनियों का विद्युत प्रशुल्क माफ किया गया है, उन्हें औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को सौंपा गया है। सरकार को रुग्ण कम्पनियों को बचाना होगा। मैं 'लक्ष्मी विष्णु मिल' का उदाहरण देना चाहूंगा। इस मिल के कर्मचारियों ने सरकार से अनुरोध किया था कि वह उनकी नौकरी बचाने के लिए विद्युत-प्रशुल्क माफ करे। सरकार ने उनकी याचिका पर ध्यान दिया। यह सरकार किसानों को अबाधित विद्युत-आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। बिजली-कटौती की समस्या का समाधान यह है कि उत्पादन-क्षमता में बढ़ोत्तरी की जाए।

श्री आर.आर. पाटील ने 'मैक्सी-कैब' के बारे में कहा। सरकार ने मैक्सी-कैब चालकों को लाइसेंस देने का फैसला किया है। इन लाइसेंसों के बारे में हमें अदालत में एक छोटी सी समस्या

का समाधान करना है। एक सदस्य का सुझाव था कि महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास निगम को अपना एक हिल-स्टेशन बनाना चाहिए। यह व्यवहार्य नहीं है। हम निजीकरण के जरिए ऐसा करने पर विचार कर सकते हैं।

मैं सहारा मामले के घटनाक्रम के बारे में भी कहना चाहूंगा, जिसके बारे में काफी कुछ कहा गया है। अदालत में यह कहा गया था कि राज्य सरकार ने सिर्फ 'सहारा इण्डिया हाउसिंग लिमिटेड' को लाभ पहुंचाने के लिए संदेहास्पद अधिसूचना प्रख्यापित की और इसलिए यह अवैधानिक है। अदालत ने इस पर यह टिप्पणी की: ''किन्तु इस स्थिति में आरोप को मानना और अधिसूचना को अवैध करार देकर याची को सही ठहराना संभव नहीं होगा।'' मैं कहना चाहूंगा कि इस मामले के बारे में कुछ गलतफहमी हुई है। अदालत ने आगे कहा:— ''हमारे विचार से, यदि यह मान भी लिया जाए कि निर्माण के मामले में एफ.एस.आई. के संबंध में कुछ बदलाव हुआ है, यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना नगर नियोजन अधिनियम के अधिकारातीत है।''

अखबारों में भी सहारा मामले के बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है। अत: यह जानना आवश्यक है कि इस पर अदालत का क्या मत है। अदालत के निर्णय में कहा गया है कि: ''सहारा इण्डिया हाउसिंग लिमिटेड को निदेशित किया गया है कि वह पुणे जिले की क्षेत्रीय आयोजना के अनुसार संगत प्राधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना आगे कोई निर्माण-कार्य न करें।'' समाचारपत्र-रिपोर्टों में कुछ सच्चाई है। हमने उसे नोट किया है। हमने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं। 'सहारा' द्वारा अर्जित भूमि पहले आदिवासियों के पास थी। सरकार इस भूमि का अधिग्रहण करेगी और उन्हें इस भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजनार्थ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कुछ भूमि शहरी भूमि हदबंदी से अधिक थी। इस भूमि पर कैसा भी 'गिरिस्थान' बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमने 'सहारा' द्वारा किए गए अनधिकृत निर्माण को गिराने के आदेश दिए हैं। हमने अपर मुख्य सचिव श्री रंगनाथ से सहारा मामले की गहन जांच करने को कहा है। सदस्यगण को कटु आलोचना कर सरकारी अधिकारियों का मनोबल कम नहीं करना चाहिए। सहारा कम्पनी यह न सोचे कि वह इस देश के कानून के विरुद्ध काम कर सकती है। कृपया यह न सोचें कि हम सहारा कम्पनी का पक्ष ले रहे हैं।

कुछ सदस्यों ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि वाकई इसमें सच्चाई है तो यह गलत बात है। यदि आप नाम बताएं तो हम उपयुक्त कार्रवाई करेंगे।

भ्रष्टाचार के आरोपों का कोई प्रमाण नहीं दिया गया। महाराष्ट्र की जनता बुद्धिमान है। वह ऐसे निराधार आरोपों पर कभी यकीन नहीं करेगी।

116

महिलाओं का सशक्तीकरण*

महिलाओं संबंधी नई नीति की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आशा करता हूं कि सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का समय मिलेगा। मैं स्वयं को इस नीति के सार तक ही सीमित रखूंगा। इस संकल्प पर अपना-अपना उत्तर समाप्त करते हुए मैं और अधिक विवरण प्रस्तुत करूंगा।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस संकल्प का प्रारूप प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। इस संकल्प को पिछले सत्र में ही प्रस्तुत किया जा सकता था। इस संबंध में शिकायत करने वाले सदस्यों से मैं सहमत हूं। इस संकल्प को प्रस्तुत किए जाने में विलम्ब से महिलाओं के प्रति अन्याय हुआ है। इस संकल्प पर चर्चा के लिए दो दिन का समय दिया गया था। कल सदन में जो कुछ हुआ, उस बात को दोहराना अनावश्यक है। यदि वाद-विवाद की अनुमति कल ही दे दी जाती तो सदस्यों को इस संकल्प पर चर्चा के लिए पूरे दो दिन का समय मिल जाता। दुर्भाग्यवश, हमारे पास अब केवल एक ही दिन रह गया है।

सभा से मेरा अनुरोध है कि पहले महिला सदस्यों को संकल्प पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाए। यह केवल संकल्प का प्रारूप है। चर्चा के दौरान व्यक्त सदस्यों द्वारा किए गए विचारों का इसमें समावेश करते हुए इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है। पिछले सत्र में इस विषय में विस्तृत चर्चा नहीं की जा सकी। इस बार भी समय की कमी है। इसलिए, जिन सदस्यों को चर्चा में भाग लेने का अवसर न मिले उनसे मेरा अनुरोध है कि वे लिखित रूप में अपने विचार सम्प्रेषित कर दें। सरकार उनके विचारों पर ध्यान देगी।

जब मैं संपूर्ण स्थिति पर विचार करता हूं तो मुझे यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इस संपूर्ण मामले पर गंभीरता और अविलम्बनीयता से विचार किया जाए। इस देश में पचास प्रतिशत पुरुष और पचास प्रतिशत महिलाएं हैं। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कुछ कानून अधिनियमित किए गए हैं। किन्तु, पुरुष वर्ग महिलाओं को ये शक्तियां प्रदान करने के पक्ष में नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस विधान के कारण मौजूदा पुरुष मानसिकता में कोई परिवर्तन आएगा। सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों से महिलाएं जिला परिषदों, नगर निगमों और नगरपालिकाओं में उच्च्व पदों पर आसीन हुई हैं। यदि कोई यह समझता है कि इन उच्च्व पदों के कारण महिलाओं की स्थिति और प्रतिष्ठा में कोई वांछनीय

* मुख्यमंत्री के रूप में महिलाओं के संबंध में नई नीति प्रस्तुत करते हुए, महाराष्ट्र विधान सभा (23 जुलाई 1998)

परिवर्तन आया है, तो वह भूल कर रहा है। महिलाओं की स्थिति के बारे में सभी को आत्मनिरीक्षण करना होगा। लोक सभा में महिला आरक्षण विधेयक लाए जाने पर क्या हुआ? उस अप्रिय घटनाक्रम का मैं फिर से उल्लेख नहीं करना चाहता।

मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि महाराष्ट्र प्रगतिशील राज्य है। यह जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल ऐसा एकमात्र विधानमंडल है जिसने महिलाओं संबंधी विधेयक पारित करके संसद को प्रेषित कर दिया है। जिस प्रकार एकमत से हमने विधेयक को पारित किया उससे हमारे प्रगतिशील चरित्र की पुष्टि होती है।

यदि हम भारत की महान महिलाओं की सूची तैयार करें तो इसमें महाराष्ट्र की महिलाओं की स्थिति गौरवपूर्ण है। शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई; रानी येशुबाई; तारा रानी; चांद बीबी; झांसी की रानी; मैडम कामा, सभी ने भावी पीढ़ियों के लिए महान आदर्श स्थापित किए। हमें महारानी अहिल्याबाई का अनुकरण करना है। आनंदीबाई जोशी पहली महिला चिकित्सक थी। सावित्रीबाई फुले ने जनसामान्य तक शिक्षा का प्रसार किया। पंडिता रमाबाई जीवनभर महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयास करती रहीं। बहिनबाई चौधरी के गीत पूरे महाराष्ट्र में गाए जाते हैं। गोदावरी पारूलेकर ने पददलित वारली जनजाति के लिए काम किया। रजिया सुल्तान हमारी आदर्श हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महाराष्ट्र की अनेक महिलाओं ने महान कार्य किये हैं।

हमारे सामने महान आदर्श हैं। मुझे कष्ट इस बात का है कि हम इन महान नारियों को देवी का दर्जा तो दे देते हैं किंतु आचरण में कभी उनका अनुकरण नहीं करते। आजादी हासिल किए हमें पचास वर्ष हो गए हैं पर हम विकसित देश होने का दावा नहीं कर सकते। इसी कारण हमें आज यह संकल्प लाना पड़ रहा है। मैं यह कहता रहा हूं कि महिलाओं को सभी अधिकार मिलने चाहिएं। मैं यह संकल्प आपके समक्ष इसलिए लाया हूं ताकि शिक्षा तथा अन्य साधनों के माध्यम से महिलाओं को संरक्षण प्राप्त हो सके। इस वर्ष को महिला वर्ष घोषित किया गया है। तदनुसार, महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। हमारी आधी जनसंख्या महिलाओं की है। यह संकल्प महिलाओं के हित में एक विनम्र प्रयास है। पिछली सरकार ने इस विषय में प्रशंसनीय उपाय किए। इस संकल्प में उन उपायों का पूरे सम्मान के साथ उल्लेख किया गया है। जहां तक महिलाओं के उत्थान के लिए उठाए जा रहे कदमों का संबंध है, हम पुरानी और नई सरकार के बीच कोई मत-वैभिन्नय नहीं हैं। पिछली सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में इस संकल्प में हमने एक अलग अध्याय बनाया है। इस अध्याय में पिछली सरकार द्वारा किए गए उपायों की प्रभाविता दर्शायी गयी है। इसके लिए अलग से दो पृष्ठ रखे गए हैं। पिछली सरकार ने 1994 में इन उपायों की घोषणा की थी। उस सरकार का शासन शीघ्र ही समाप्त हो गया। तथापि, पिछली सरकार ने विभिन्न उपायों के प्रवर्तन के आदेश जारी कर दिए थे। इसलिए उनकी नीतियां दस्तावेजों तक ही सीमित नहीं रही। पिछली सरकार ने महिलाओं के लिए तेईस अलग-अलग कदम उठाए। मौजूदा सरकार को अतिरिक्त उपाय करने हैं और इस तरह नए और पुराने दोनों उपायों को मिलाएं तो इनकी संख्या बत्तीस से पैंतीस के बीच हो सकती है। जिन उपायों का प्रवर्तन नहीं हो सका उनका भी उल्लेख किया गया है। पिछली

सरकार द्वारा शुरू किए गए ऐसे उपाय जिन्हें आगे बढ़ाया जाना अपेक्षित है, उनका भी इसमें उल्लेख किया गया है। इस संकल्प के साथ परिशिष्ट के रूप में संलग्न पुस्तिका में उन उपायों की सूची दी गई है जो मार्च, 1995 से जुलाई, 1998 के बीच किए गए हैं। मुझे विश्वास है कि आप सबको यह पुस्तिका मिल गई होगी।

पिछली नीति में महिलाओं को सरकार या नगरपालिकाओं की नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रशंसनीय प्रावधान है। पिछली सरकार ने जिला परिषद जैसे निर्वाचित निकायों में महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण पर बल दिया था। हमने इस आरक्षण को और अधिक व्यापक करने का निर्णय लिया है। हम इस आरक्षण का विस्तार सहकारी क्षेत्र में भी करना चाहते हैं। सरकारी क्षेत्र में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की संभावना है। हम महिलाओं को सहकारी संस्थाओं में सम्माननीय स्थिति में देखना चाहते हैं। हम इसके लिए कई उपायों का प्रस्ताव कर रहे हैं।

मैं नई नीति के आधार पर कुछ वर्णन करना चाहता हूं। वर्ष 1995 का बीजिंग घोषणा पत्र हमारी नीति का आधार है। यदि आप इस घोषणा पत्र पर विचार करें तो आपको मेरा शेष भाषण सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। समानता और जीवन के समस्त क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी के आधार पर महिलाओं का सशक्तीकरण नई नीति का आधार है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जिन-जिन क्षेत्रों में महिला आरक्षण चाहते हैं, उनका उल्लेख करें।

महिला सशक्तीकरण हेतु महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव रहित व्यवहार पर आधारित नीति तैयार किए जाने और लागू किए जाने की आवश्यकता है। महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने और समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। महिलाओं को गरीबी मिटाने हेतु आर्थिक और सामाजिक प्रयास का भागीदार बनाया जाना चाहिए। महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को समझे जाने की जरूरत है। मैं विचाराधीन सभी उपायों की जानकारी देकर इस सभा का अमूल्य समय जाया नहीं करना चाहता। मैंने हमारी नीति के प्रमुख बिंदुओं को आपकी जानकारी में लाया भर है।

मैं आपको यह अवश्य बताना चाहता हूं कि हमारी विचारधारा का सार क्या है। इस पुस्तिका में उन सभी कदमों का जिक्र है जो वर्तमान सरकार अगले दो वर्षों में उठाना चाहेगी। पुरानी सरकार ने महिला सशक्तीकरण के उपायों के बारे में विचार किया था। तथापि, इन विचारों में से कुछ को विधायिका द्वारा अधिनियम का अमली जामा पहनाया जाना शेष है। हम अपने अगले सत्र में इस प्रयोजन के लिए विधेयक लाने का विचार कर रहे हैं। हम आपसे इन विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने में सहयोग देने की अपील करना चाहते हैं। महिलाएं विधिक अधिकार पाने की आशा रखती हैं। महिलाओं की इच्छा है कि गुजारा-भत्ता की राशि बढ़ायी जाए। इस बारे में पंद्रह में से बारह विधेयकों को अगले सत्र में पेश किया जाएगा। इन विधेयकों पर मैं आपका समर्थन चाहता हूं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल तथा समृद्ध बनाना अत्यावश्यक है।

मेरी बात शहरी महिला के लिए नहीं है। अशिक्षित और निर्बल महिला ही हमारे प्रयासों का केन्द्र है। कई सम्मेलनों में इन महिलाओं के कष्टों की बात हुई है। कुछ महिलाएं खेतों में काम करती

हैं; मैं गहन वन के भीतर एक झोंपड़ी में रहने वाली किसी महिला के बारे में सोचता हूं। आदिवासी महिला और खेतिहर मजदूर की बीवी की स्थिति को मैं हृदय से अनुभव करता हूं। यदि आप यह सोचते हैं कि हम लोग इस संकल्प पर जो बात कर रहे हैं इसके बारे में उसे पता है—तो यह आपकी गलतफहमी है। कुछ महिलाएं ऐसे स्थानों में रहती हैं जहां अखबार नहीं जाता। फिर, जहां अखबार पहुंच रहा है वहां ऐसी भी महिलाएं हैं जो उसे पढ़ नहीं सकतीं... महिला-निरक्षरता के विषय पर इस सभा में पूरी तरह से चर्चा नहीं हुई। हमने अपने राज्य को केरल की तरह सौ-फीसदी साक्षर राज्य बनाने का निश्चय किया और काम करना शुरू किया। मैंने एक कक्षा में पढ़ाना शुरू किया तो हंसी का पात्र बना। कुछ लोगों ने कहा: मुख्यमंत्री क्यों पढ़ाए? मेरे जेहन में तो सीधी सी बात थी—जनता को इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की भी भागीदारी की सराहना करनी चाहिए। मेरा पढ़ाना जारी था; एक दिन मैंने देखा कि महिलाओं और युवतियों ने अचानक कक्षा में आना बंद कर दिया, या वे कक्षा में तो आती थीं लेकिन कमजोर आंखों की वजह से पढ़ नहीं पा रही थीं। मैंने इस बारे में पूछा तो पता चला कि उनकी पढ़ने की आदत छूट गयी है। मैंने उन्हें मुफ्त चश्मे दिलवाए। मैंने अपने स्टाफ से कहा कि जहां-जहां मेरी महिला-साक्षरता कक्षाएं चलती हैं, वहां विद्यार्थियों को मुफ्त चश्मा उपलब्ध कराया जाए। मैं उन कक्षाओं में पढ़ाता था इसीलिए मुझे यह अनुभव है। नौकरानी का कार्य करने वाली महिलाएं भी हैं जो पढ़ नहीं सकती हैं। हम नयी-नयी वस्तुओं की तो बहुत बात करते हैं लेकिन बुनियादी चीजों पर कम ध्यान देते हैं। मैं सोचता हूं कि नयी नीति के एक भाग के रूप में ऐसी वंचित महिलाओं को पढ़ने का चश्मा उपलब्ध कराया जाना चाहिए, उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए और आजीविका के साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिएं। इस सभा के अनेक सदस्य मूलत: ग्रामीण क्षेत्र के हैं। वे मुझसे पूछ सकते हैं कि "आप हमें कौन सी नई बात बता रहे हैं?" जी हां, आपका प्रश्न मैं समझ सकता हूं। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि विगत कई सालों के दौरान ग्रामवासियों की हालत सुधारने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया गया। यदि आप अपने मतदाताओं से पूछें तो यह बात समझ जाएंगे। इस प्रयोजन हेतु इसमें मैंने एक पैराग्राफ शामिल किया है। हमें महिलाओं को इस बात की बुनियादी जानकारी देनी चाहिए कि आज दुनिया में क्या हो रहा है। मैंने महिला आयोग के पुनर्गठन की आवश्यकता भी महसूस की। यह आयोग उनके कई हितों तथा वर्गों के लिए काम करता है। आपसे अनुरोध है कि इस आयोग के बारे में हमें अपने सुझावों से अवगत कराएं। कृपया रचनात्मक सुझाव दें, केवल आलोचना ही न करें। मैं आपके सुझावों पर व्यक्तिगत तौर पर विचार करूंगा।

महिलाओं का उत्पीड़न वास्तव में एक गंभीर समस्या है। शहरी क्षेत्रों में यह उत्पीड़न कुछ कम है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह काफी अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अपनी बात तक नहीं कह पातीं। मतदान के लिए भी उन्हें अपने पति के आदेश का पालन करना पड़ता है! यद्यपि महिलाओं को पचास वर्ष पूर्व ही मताधिकार प्राप्त हो गया था तथापि वे पूर्ण स्वतंत्रता से मतदान तक नहीं कर सकतीं। महिलाओं की दशा सुधारने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हम लोग राजनीति में हैं; तथापि ऐसे कई महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। महात्मा गांधी, महात्मा ज्योतिराव फुले, डा. बाबासाहब अम्बेडकर और प्रबोधंकर ठाकरे ने महिलाओं के हित में

आदर्श कार्य का उदाहरण प्रस्तुत किया है। महिला आयोग में हर तरह के लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। इसमें पुलिस अधिकारी तक सदस्य होने चाहिएं। हम साथ मिलकर ही महिलाओं के लिए कुछ कर सकेंगे।

महिलाओं के साथ अन्याय की भी एक समस्या है। हमें इस मुद्दे को एक अलग तरह से देखना चाहिए। इस सभा के किसी सदस्य के भाषण को सही माना जाता है। इसी प्रकार किसी महिला द्वारा दिए गए वक्तव्य को भी सही माना जाना चाहिए। महिलाओं को खुद ही अपनी स्थिति सुधारनी होगी। कानून बनाने या धनराशि का प्रावधान कर देने भर से ही उनकी समस्या नहीं सुलझेगी। यदि महिलाएं जाग्रत हो जाएं और अपने अधिकारों का ज्ञान रखें तो वे अपनी बात मुखरता से कह सकेंगी। महिलाएं अपनी शक्ति के बूते अपनी पसंद का प्रतिनिधि भी चुन सकती हैं। वे पुरुषों के साथ बराबरी से खड़ी हो सकती हैं। मैं आपको ऐसी महिलाओं के नाम बता सकता हूं। कुछ महिलाओं ने अपने जीवन में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। महिलाओं को संगठित होना होगा। उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनना होगा। उन्हें अपना आत्मसम्मान बनाए रखना होगा। इस सभा की यह चर्चा महिलाओं को जागरूक करे। महिला सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का पूरा मौका मिले। आप सभी भद्रजन थोड़ा त्याग करें, ताकि महिला सदस्यों को अपनी बात कहने का पर्याप्त समय मिल सके।

अनुक्रमणिका

अनुक्रमणिका

अंतरराष्ट्रीय एड्स टीका पहल 178

अंतरराष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकार संबंधी प्रतिज्ञापत्र 149

अंतरराष्ट्रीय महिला दशक 154

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 152

अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष 153

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष 127

अंतर-संसदीय संघ 119, 127-28

अकबर लोन, एम. 68

अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन 12

अजित केरकर समिति प्रतिवेदन 345, 355, 417, 439

अतातुर्क, कमाल 197

अध्यक्षपीठ से की गई टिप्पणियां/दिए गए विनिर्णय 251-66

अनिवार्य मतदान 63

अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) 6, 136, 137, 208-10, 296-98

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति 33

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1986 155

अन्नादुरै, सी.एन. 10

अफ्रीकी एशियाई सांस्कृतिक संग्रहालय 167

अब्दुल कलाम, ए.पी.जे. 36, 42, 67, 68

अभिराम सिंह 460

अमरल, जोआओ बोस्को मोता 29

अमरीका में आतंकवादी हमला 119

अम्बेडकर, बी.आर. 27, 31, 43, 66, 167, 336, 468

अरसेनी, मारिया 212

अरुंडेल, रुक्मिणी देवी 27

अर्स, देवराज 301

अलवी, राशिद, 256

अल्वा, वायलेट 27

अल्वाराडो, कार्लोस रेमन 216

आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा), 1971, 314, 315

आचार समिति 35, 50, 57, 70-71, 104

आचार्य, बसुदेव 87, 89, 90, 106, 253, 264

आटोमोबाइल उद्योग 279-86

आडवाणी, लाल कृष्ण 7, 254

आतंकवाद 17, 116-21, 122-23, 221-22

आतंकवाद निवारण (दूसरा अध्यादेश), 2001, 55

आतंकवाद निवारण विधेयक, 2002, 26, 55

आदिक, गोविंदराव 434

आदिक, रामराव 373

आर्य, यशपाल 53

आसफ अली 183

इंडियन एक्सप्रेस समाचारपत्र बनाम भारत संघ 95

इंडियन मर्चेन्ट्स चेम्बर 296-98, 329

इंदिरा महिला योजना 149

इस्लाम, काजी नजरूल 10

ईडन, एंथनी 30

उत्तर-दक्षिण संवाद 127

ए ए ए कनेक्टिविटी 3, 136

एचआईवी/एड्स 170-74, 175-79, 207

एच.आई.वी./एड्स संबंधी प्रतिबद्धता की घोषणा 'वैश्विक संकट-वैश्विक कार्यवाही' 178

एजेंडा 21, 129, 131

एडवांटेज महाराष्ट्र कांफ्रेंस 3, 136

एड्स पर चौदहवां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 177

एरिक, बुलेन 197, 198

ओज़ोन कम करने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने संबंधी मांट्रियल प्रोटोकाल 131
औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड 6, 288, 292, 463
औद्योगिक नीति संकल्प 287, 292
कपूर, राज 226
करंजिया, आर.के. 76
कला अकादमी (मुंबई) 12
कवेकर, शिवाजीराव 413
काकलामनिस, अपोसतोलोस 211, 213
काणे, पी.वी. 27
कानूनी सहायता योजना कार्यान्वयन समिति 181
कापवेपवे, साइमन 204
कापागाटे, हेमकृष्ण 418
कामधेनु नीति (महाराष्ट्र) 4
कामा, मैडम भीकाजी 466
कार्य मंत्रणा समिति 266
कार्यपालिका की संसद के प्रति जवाबदेही 33, 36, 44, 47-48, 60, 61, 101, 160-61
कालानी, हेमू 10
कालेलकर समिति की रिपोर्ट 358
किरपाल, बी.एन. 68
किर्लोस्कर, एस.एल. 245-46
किर्लोस्कर, लक्ष्मणराव 245
कुंटे, प्रभाकर 434
कुरियन, ए.पी. 52
कुरूप, जी. शंकर 27
कुल, सुभाष 413
कृपलानी, जे.बी. 76, 98
कृष्णकांत 56
कृष्णमराजू 217
कृष्णा, एस.एम. 64, 121
कृष्णा घाटी परियोजना 2, 419, 432, 444, 446, 460, 462
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई) 259-61
केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त 266
केन्द्रीय सतर्कता आयोग 50
केलकर, अरुण 439
केवल कृष्ण 53
केसरी 112
कोवासे, मारुतिराव 418
कोहिनूर तकनीकी संस्थान 12
कौंडा, कैनेथ 204
कौल, एम.एन. 53
क्लिंटन, बिल 120
खड़क सिंह, बाबा 10
खादी और ग्रामोद्योग आयोग 140
खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954, 106
खेल विश्वविद्यालय (महाराष्ट्र) 4-5, 421, 422
गजानन, सरस्वती 1
गडकरी, नितिन 455
गदर 112
गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971, 155
गवई, आर.एस. 356, 357, 359-60
गांधी, इंदिरा 359
गांधी, फिरोज 106
गांधी, महात्मा 18, 30, 31, 36, 42, 44, 66, 112, 120, 128, 140, 141, 183, 197, 204, 208, 214, 217, 225, 233-34, 348, 468
गांधी, राजीव 106, 263
गांधी, सोनिया 7, 21, 263
गाडगिल, धनंजयराव 307, 309
गाडगिल, विट्ठल 27
गाड्गे, बाबा 66

गालानोस, दिमित्रिओस 211
गुजराती, अरुण 65, 77
गुट-निरपेक्ष आंदोलन (नैम) 202
गुप्त, इन्द्रजीत 105, 108
गुप्त, भुपेश 27, 76, 105
गुप्त, मैथिलीशरण 27
गुलशेर अहमद 52
गूजर, अशोक 418
गेट्स, बिल 455
गोखले, गोपाल कृष्ण 112
गोयनका, संजीव 278
गोरे, मृणाल 336
गोर्बाचेव, मिखाइल 389
घोष, सोमा 247
चक्रवर्ती, अजय 260
चटर्जी, सोमनाथ 108, 253, 260
चट्टोपाध्याय, बंकिम चन्द्र 10
चन्द्र शेखर 70, 108, 389
चव्हाण, वाई.बी. 27, 334, 335, 365, 367, 400, 415, 420
चांदबीबी 466
चातप, वामनराव 413
चार्ल्स कोरिया समिति 4, 412, 435, 436
चिताले, परशुराम भास्कर 439
चिताले, माधवराव 454
चौधरी, बहिनबाई 466
चौधरी, रेणुका 257
छागला, एम.सी. 27
जकारिया, रफीक 307, 310
जगताप, शंकरराव 419
जडगांवकर, अलका 146-47
जनसंख्या और विकास संबंधी भारतीय सांसद संघ 175
जनहित याचिका (पी.आई.एल.) 181
जन्ती, बी.डी. 52
जम्मू और कश्मीर विधानसभा पर आतंकवादी हमला 50-51, 53, 121, 190
जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, 130
जागतिक मराठी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज 12, 136, 138
जाफर, उस्ताद अब्दुल हलीम 248
जियांग झेन्हुआ 199-200
जेटली, अरुण 260, 262-64
जेना, सदाशिव राजेन्द्र 381
जैन, केवलचंद 373
जैन, तेजकिरण 75, 96
जैफरसन, थामस 111
जैव विविधता पर सम्मेलन 131
जोग, वी.जी. 248
जोशी, अनघा मनोहर 1
जोशी, आनंदीबाई 466
जोशी, गजानन कृष्ण 1
जोशी, भीमसेन 235
जोशी, मनोहर
- एनरान विद्युत परियोजना के संबंध में 426-28
- कानून और व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में 376-77
- कामगारों के कल्याण के संबंध में 381-82
- केंद्रीय भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री 5, 131, 135, 159, 269-298
- गरीबों के लिए हितकर बजट की आवश्यकता के संबंध में 339-42
- जीवनवृत्त 1-12
- तस्करी तथा अन्य अवैध गतिविधियों का मुकाबला के संबंध में 314-17

ध्वनि प्रदूषण के संबंध में 328-33

नई महिला नीति 465-69

निगम पार्षद (मुम्बई) 1

निजीकरण के संबंध में 386-89

बम्बई का नाम मुम्बई करने के संबंध में 363-64

बेघरों के लिए घरों के संबंध में 350-355

भ्रष्टाचार से निपटने के संबंध में 462

मंडल आयोग की रिपोर्ट के संबंध में 356-60

मराठी को राज्य की राजभाषा बनाने के संबंध में 361-362

मलिन बस्तियों के सुधार के संबंध में 324-27, 339-40, 344, 432, 452, 458-59

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा-विवाद के संबंध में 2, 301-02, 334-36, 348

महाराष्ट्र की समस्याओं के संबंध में 3-4, 134-39, 301-02, 365-67, 373-75, 407-08, 429-33

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 2-4, 34, 131, 136, 160

महाराष्ट्र के लिए खेल नीति के संबंध में 421-25

महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य 2, 301-80

महिला सशक्तीकरण के संबंध में 33-34, 104, 148-51, 152-57, 465-69

मिल कामगारों की समस्याओं के संबंध में 4, 347-49

मुम्बई की समस्याओं के संबंध में 3, 301-02, 306-13, 324-27, 337-38, 339-41, 343-46, 350-55, 365-67, 368-72, 373-75, 383-85, 409-14, 432, 449-61

मुम्बई के महापौर 1, 159

रोजगार सृजन के संबंध में 3, 438-48

लघु उद्योगों के विकास के संबंध में 320-23

लोक सभा अध्यक्ष 7-11, 17-19

अध्यक्षपीठ से की गई

टिप्पणियां/दिए गए विनिर्णय 251-66

संसदीय सुधार 9

लोक सभा के लिए निर्वाचन 5

विदर्भ विकास के संबंध में 4, 399-406, 415-20

विधानमंडलों में अनुशासन और शालीनता के संबंध में 8-9, 18, 20-21, 39-40, 49, 56-58, 68-69, 79-80, 251-53, 256

विधायी और संसदीय जीवन 2-11

विपक्ष के नेता (महाराष्ट्र विधान सभा) 2, 19

विस्थापितों के पुनर्वास के संबंध में 378-80

शहरीकरण की समस्याओं के संबंध में 409-14

सभापति, अखिल भारतीय महापौर परिषद 1

सरकारी कर्मचारियों के सरोकारों के संबंध में 318-19

सूखा राहत के संबंध में 390-98

सूती कपड़ा मिल कामगारों के संबंध में 434-37

स्वच्छ मुम्बई-हरित मुम्बई 3, 131, 384

जोशी, शरद 417

झांसी की रानी 466

झुनका भाकर योजना 3, 407, 431

टाटा इंस्टीच्यूट आफ सोशल साइंसेज 440

टाटा लेबर रिसर्च इंस्टीच्यूट 440

टाल्सटाय, लियो 226

'टैंकर मुक्त महाराष्ट्र' योजना 2

टैगोर, रवीन्द्रनाथ 216, 233

टोमसिक, जलातको 189

ठाकरे, प्रबोधंकर 66, 358, 468

ठाकरे, बालासाहेब 357, 415, 462

ठाकुर, एकनाथ 439

डिसूजा समिति 384

डेनीसोव, अलेक्सी 221

तंका बहादुर राय 53

तम्हाणे, दत्ता 106

तहसीलदार, मनोहर 64

तारा चंद 67
ताराचंद (डा.) 27
तारारानी 466
तारासिंह, मास्टर 10
तिलक, लोकमान्य 66, 112, 167, 239
तेंदुलकर, सचिन 158, 240
'तेज किरण जैन मामला' 75, 96
तेवर, पसुम्पन मुत्तुरामालिंगा 10
दक्कन एजुकेशन सोसायटी 167
दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) 214
दत्ता मेघे 356
दत्ता सामंत 347, 348, 431, 434
दरबारी लाल 68
दर्डा, विजय 198
दलवी, सीताराम 459
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, 149, 155
दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1959, 26, 55
दांगे, अन्नासाहेब 409
दांडेकर, वी.एम. 400, 416
दावखरे, वसंत शंकर 77
दास, सी.आर. 183
दासमुंशी, प्रियरंजन 58, 59, 99, 253, 259, 260, 262, 264
दि ज्यूडिशियल ह्यूमरिस्ट 182
दिग्विजय सिंह 217
दिघे, शरद 52
देवी लाल, चौधरी 10
देश में विपक्ष के नेताओं का राष्ट्रीय संघ 2
देशमुख, गणपतराव 393
देशमुख, चिन्तामनराव 357
देशमुख, विलासराव 362, 392
देशमुख, शिवाजीराव 378
देशमुख, स्नेहलता 439
देसाई, मोरारजी 335
देसाई, सूर्यकान्त 434
दोस्तोवस्की, फ्योडोर 226
धत्रक, अशोक 454, 459
धोरे, रूपलेखा 414
नन्दगांवकर, बाला 412, 460
नन्दा, अरुण 439
नरगिस 226
नरेन्द्रदेव, आचार्य 27
नवलकर, प्रमोद 363, 450, 456
नाईक, राम 106, 123
नाईक, वसंतराव 335
नाथ पै 105
नारकर, रत्नाकर 457
नारायण, जयप्रकाश 10
नारायणन, के.आर. 55, 68
नारायणन, पी.जी. 92
निर्वाचन संबंधी सुधार 62-63
नुरुल हसन 27
नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी (नाल्को) 91
नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन (एन.टी.सी.) 435
'नेशनल हैरल्ड' 112
नेहरू, जवाहरलाल 31, 35-36, 39, 43, 66, 105, 169, 183, 195, 216
नेहरू, मोतीलाल 183
पंडित, वसंत कुमार 336
पचापुते बबनराव 414
पटेल, मंगलभाई 67

पटेल, वल्लभभाई 43, 183

पराटे, श्रवण 418

पर्यावरण और विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 129

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, 130-31

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना 132

पवार, शरद 453

पाटिल, आर.ए. 350

पाटिल, जयंत 450, 456, 458, 460

पाटिल, दजीबा 356

पाटिल, दिलीप वालासे 435

पाटिल, धाने 413

पाटिल, विवेक 456

पाटिल, शरद 413, 456

पाटील, आर.आर. 432, 462, 463

पाटील, उत्तमराव 309, 311

पाटील, पद्मसिंह 387, 394

पाटील, बी.एस. 413

पाटील, मीनाक्षी 418

पाटील, रोहीदास 393

पाटील, वसंत दादा 336

पाटील, शिवराज 263-64

पारडिस, बीट्रिज 193-94

पारुलेकर, गोदावरी 466

पॉलिसी स्टेटमेंट आन अबेटमेंट आफ पॉल्यूशन (1992), 130

पासवान, रामविलास 259, 260, 263

पिचाड़, मधुकर 434, 457

पियर्सन, लीस्टर 195

पीठासीन अधिकारियों, मुख्यमंत्रियों, संसदीय कार्य मंत्रियों, दलों के नेताओं और सचेतकों का अखिल भारतीय सम्मेलन, नई दिल्ली, नवम्बर, 2001, 40, 71, 252

पुतिन, व्लादीमिर 220, 221, 222, 224

पूर्वोत्तर क्षेत्र राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (एन.ई.आर.सी.पी.ए.) सम्मेलन 37

पृथ्वी सम्मेलन (अर्थ सम्मिट) 129, 131

पैटीग्रयु, पियरे 196

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 132

प्रधान, आर.डी. 374

प्रधान, सतीश 146

'प्रधानमंत्री रोजगार योजना' 86

प्रभा राव 414, 419

प्रभुनाथ सिंह 263

'प्रवासी भारतीय दिवस' 137

प्रसव पूर्व निदान तकनीक (दुरुपयोग विनियमन तथा निवारण) अधिनियम, 1994, 155

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, 155

प्राक्कलन समिति 48, 82-86

प्रेस परिषद् अधिनियम, 1965, 106

प्रोजर, विलियम एल. 182

फतेह सिंह 336

फरांडे, नारायण सदाशिव 60, 77

फर्नान्डीज, आस्कर 174

फुले, महात्मा ज्योतिराव 10, 66, 468

फुले, सावित्रीबाई 466

बंद्योपाध्याय, सुदीप 260

बंसल, पवन कुमार 58, 263

बच्चन, हरिवंश राय 27

बछावत अवार्ड 419

बनर्जी, बी.एन. 27

बनातवाला, जी.एम. 259, 260, 262

बशीर पटेल 413, 458

बसवेश्वरा, महात्मा 10

बहुलतावादी समाजों के हितों के संरक्षण संबंधी मास्को घोषणापत्र 224

बागुन सुम्बरुई 68

बापट, गिरीश 462

बाल विवाह (अवरोध) अधिनियम, 1929, 155

बालयोगी, जी.एम.सी. 7, 8, 17, 18, 19, 52, 54, 56, 58, 70, 71, 122, 193, 252, 263

बिस्मिल्ला खान, उस्ताद 235, 247-48

बृहन्महाराष्ट्र मंडल 134, 138

बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1977, 26, 55

बैंदा, रामचन्द्र 198

बोरदोलोई, गोपीनाथ 10

बोस, सत्येन्द्रनाथ 27

'ब्लिट्ज केस' 76, 98-99

भगवती, पी.एन. 181

भारत का निर्वाचन आयोग 62-63

भारत की संसद की स्वर्ण जयंती 9, 45, 67, 80, 100, 152, 158, 205, 251

भारत की संसद की स्वर्ण जयंती के अवसर पर जनवरी 2003 को नई दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन 9, 42, 66-67, 80, 101, 152, 158, 205

भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 9, 52-64, 65-77, 100, 262

भारत के विधायी निकायों के सचिवों का सम्मेलन 64

भारत के संबंध:

- कनाडा के साथ 195-96
- केन्या के साथ 202-03
- कोरिया गणराज्य के साथ 201
- क्रोएशिया के साथ 189-90
- ग्रीस के साथ 211-13
- चीन के साथ 199-200
- ज़ाम्बिया के साथ 204-07
- तुर्की के साथ 197-98
- पनामा के साथ 216-18
- पोलैंड के साथ 214-15
- मैक्सिको के साथ 193-94
- यूरोपीय संघ के साथ 213
- रूसी फेडरेशन के साथ 219-29
- सूरीनाम के साथ 191-92

भारत-रूस अन्तर-संसदीय आयोग 219, 224, 229

भारतीय आटोमोबाइल विनिर्माता सोसाइटी (एस.आई.ए.एम.) 279

भारतीय उद्योग परिसंघ 193, 276, 278, 287

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 12

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद 178

भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग 204

भारतीय मूल के व्यक्ति (पी.आई.ओ.) 137, 298

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद 209

भुजबल, छगन 100

मंगेशकर, लता 235

मजूमदार, सुमित 278

मदखोलकर, जी.टी. 335

मल्होत्रा, विजय कुमार 256, 260, 264

महल्गी, रामभाउ 336

महाजन आयोग की रिपोर्ट 336

महाजन, प्रमोद 462

महादिक, वामनराव 361-62

महाराजा रणजीत सिंह 10

महाराष्ट्र आवास-विकास अभिकरण 435

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम 320

महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 12

महाराष्ट्र महोत्सव 239-41

महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड 389, 417

महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम 320, 322, 323

महिला आरक्षण विधेयक 21, 104, 150

महिला एवं बाल कार्यबल 157

महिला घटक योजना 156

महिला नीति (महाराष्ट्र) 4

महिला समख्या योजना 150

महिला समृद्धि योजना 149

महिलाओं के प्रति सभी तरह के पक्षपात निवारण संबंधी अभिसमय 149

महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों संबंधी अभिसमय 149

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी संसदीय समिति 34, 104, 149, 155

मातोश्री वृद्धाश्रम योजना 4

मावलंकर, जी.वी. 1, 8, 19

मिश्र, सत्य गोपाल 106

मुंडिया, नालुमिनो 204

मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन 12

मुंबई बम विस्फोट 117

मुंशी, के. एम. 10

मुखर्जी, अनिल 52

मुखर्जी, प्रणव 28, 85, 108

मुखर्जी, श्यामा प्रसाद 105

मुखर्जी, हीरेन 105

मुसेवेनी, योवरी 179

मूल्य वर्धित कर 281

मेहता, रूसी 376

मैनले, जान 195

मोदी, पीलू 27

मोहन धारिया 307

मोहिते, यशवंतराव 368

मोहिते, सुबोध 106

याचिका समिति 87-92

यादव, देवेन्द्र प्रसाद 256

योंग, पार्क क्वान 201

रंगा, एन.जी. 105

रणजीत सिंह, के. 53

रमाबाई, पंडिता 466

रविशंकर, पंडित 235

राजकीय विकास सहायता (ओ.डी.ए.) 127

राजगोपाल, ओ. 87

राजा, ए. 254

राजेन्द्र प्रसाद 54

राज्य सभा की भूमिका 25-28

राधाकृष्णन्, सर्वपल्ली 27, 237

रानी येशुबाई 466

राष्ट्रमंडल संसदीय विचारगोष्ठी, हैदराबाद, अक्तूबर, 2002, 47

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ 37, 47, 119

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग 33, 104

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 33, 104

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना 176

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) 170, 178

राष्ट्रीय एड्स निवारण और नियंत्रण नीति 171, 176

राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष (एन आर एफ) 271, 295

राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम, 1997, 131

राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995, 131

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 33, 104

राष्ट्रीय महिला अधिकारिता नीति (2001) 156
राष्ट्रीय महिला आयोग 34, 104, 149, 152, 156
राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990, 34, 106
राष्ट्रीय महिला कोष 150
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 104
राष्ट्रीय रक्त नीति 176
राष्ट्रीय वस्त्र नीति (2000) 144
रेड्डी, के. हरिश्वर 53
रेड्डी, जयपाल एस. 108, 198
रेड्डी, नीलम संजीव 75, 96
लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी 158
लाला सिंह, एल. 68
लिमये, मधु 105
ली पेंग 200
लुसोलो, डेनियल 204
लोक अदालतें 182
लोक उद्यम/सरकारी उपक्रम 269-71, 287-91, 292-95
लोक देयता बीमा अधिनियम, 1991, 131
लोकपाल 50
लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) 48, 69
लोढ़ा, मंगल प्रभात 413
वंलैरिनो, अरुतुरो 217
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, 130
वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, 130
वाजपेयी, अटल बिहारी 7, 42, 55, 56, 59, 67, 108, 220, 225, 227, 247
वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, 130
वाहन ईंधन संबंधी विशेषज्ञ समिति 284
विकास हेतु वित्तपोषण 127-28
विकास हेतु वित्तपोषण संबंधी मांटेरी सम्मेलन 127, 128
विखे पाटिल, बालासाहेब 417, 439
विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण और वन संबंधी विभागों से सम्बद्ध स्थायी समिति 131
विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण और वन संबंधी विषय समिति 131
विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय 67
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 278
विधानमंडल सचिवालय की स्वतंत्रता 60-61
विधानमंडलों में अनुशासन और शालीनता 18, 20-21, 37-41, 49, 55-58, 68-69, 79-80, 251-53, 255-56
विधायिका-कार्यपालिका-न्यायपालिका संबंध 50, 63
विधायिका-मीडिया संबंध 73-77, 93-99, 100-09, 110-115
विधायी प्रारूपण में अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 36
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, 182
विनितियान, रुनाल्डो रोनाल्ड 192
विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियां 48, 61, 83, 85, 88, 103, 161
विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जैड) 6, 278
विशेषाधिकार समिति 70, 74, 75, 77, 96-98, 262
विश्व बैंक 127, 311
विश्व महिला सम्मेलन
मैक्सिको (1975) 153-54
कोपनहेगन (1980) 154
नैरोबी (1985) 154
बीजिंग (1995) 154, 467
विश्व व्यापार संगठन 221, 229, 244, 273, 291, 297
वेंकटप्पा, एम. वी. 64
वेंकटेस्वरलु, उम्मारेड्डी 82, 86
वेदरिल, बर्नार्ड 36, 80-81
शंकर, बी.एल. 53, 64
शकधर, एस.एल. 53

शर्मा, एम.एस.एम. 75, 98
'शासन में महिलाएं' 152-57
शास्त्री, प्रकाशवीर 27
शाहू महाराज 66, 358
शिंदे, गोविंदराव 439
शिंदे, प्रमोद 65, 77
शिंदे, सुशील कुमार 77, 100, 102, 366
शिर्वलकर, प्रमोद 413
'शिवसत्ता' 110, 114-15
'शिवसत्ता' पुरस्कार 110-15
शिवाजी महाराज, छत्रपति 10, 66, 239, 360, 361, 393, 407, 411, 466
शिशु दुग्ध स्थानापन्न, फीडिंग बोतल और शिशु खाद्य पदार्थ (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1992, 106
शेखावत, भैरोंसिंह 27, 42, 67, 68, 123
शेषन, टी.एन. 160
शौरी, अरुण 58, 263
श्रीरामुलु, पोट्टि 336
षणमुखानंद ललित कला और संगीत सभा 235
संगोष्ठी (पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में) 100, 116
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष 175
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 129, 131
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 272
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 190
संविधान (उनतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1972, 106
संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1993, 34, 150, 155
संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1993, 34, 150, 155
संविधान (पचासीवां संशोधन) विधेयक, 1999, 150, 156
संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग 62
'संसद और मीडिया: प्रभावी संबंधों की रचना' विषय पर सम्मेलन 109
संसद और राज्य विधानमंडलों की प्राक्कलन समितियों के सभापतियों का सम्मेलन 9
संसद और सिविल सेवा 158-65
संसद तथा राज्य विधानमंडलों की याचिका समितियों के सभापतियों का सम्मेलन 9
'संसद तथा राज्य विधानमण्डलों में अनुशासन और शालीनता' विषय पर पीठासीन अधिकारियों, दलों के नेताओं, संसदीय कार्य मंत्रियों, संसद और राज्य विधानमण्डलों के सचेतकों और वरिष्ठ अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन, नई दिल्ली, सितम्बर, 1992, 40
संसद पर आतंकवादी हमला; 13 दिसंबर, 2001, 35, 45, 51, 53-54, 114, 118, 121, 122-23, 190, 228
संसद सदस्य परिचय मंजूषा 9
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 103, 162-63
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति 103
संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो 36, 57
संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन-संरक्षण) अधिनियम, 1977, 97
संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन-संरक्षण) विधेयक, 1956, 106
संसदीय प्रशिक्षु कार्यक्रम 36
संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार (पी.एम.ए.) 67
सईद, पी.एम. 17, 21, 55
सतत विकास संबंधी विश्व शिखर सम्मेलन 129
सतरकर, विश्वास रामनाथ 53
सती (निवारण) अधिनियम, 1987, 155
सत्यमूर्ति, एस. 10
सदस्यों के लिए आचार संहिता 18, 39-40, 50, 56-57, 71
सप्रू, तेज बहादुर 183
सबके लिए स्वास्थ्य 170
सबीर शेख 434, 437, 453
समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, 149, 155
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति 48

सरजू, रामदीन 191
'सर्चलाइट केस' 75-76, 97-98
सहस्राब्दि विकास लक्ष्य 127, 128
साइमन, डेविड 64
साठे, वसंत 241
सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा 149
सावरकर, विनायक दामोदर (वीर) 66, 112, 239
साहा, कृपासिंधु 53
सिंह, भोला प्रसाद 67
सिंह, रघुवंश प्रसाद 69, 70, 259, 260
सिंह, राजीव रंजन 170
सिडको 432
सिनान, रोगेलिओ 216
सिन्हा, यशवंत 195
सिमितिस, कोस्टास 212
सिम्बायोसिस इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर 166
सीतारमैया, बी. पट्टाभि 10
'सुंदरैया मामला' 74
सुखाड़िया, मोहनलाल 301
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-आन-रिकार्ड एसोसिएशन 180
सुब्रह्मणियन, ए.वी. 53
सुमन, रामजीलाल 253, 260
सुरेश गंभीर 461
सुल्तान, रज़िया 466
सुशासन 100-09, 152, 159-60
सूचना की स्वतन्त्रता अधिनियम, 2002, 106
सूचना की स्वतंत्रता विधेयक, 2002, 164
सेनापति, हरमोहन 381
सेलेजन्येव, गैनेडी 223, 225
सैनिक स्कूल 4
सोमैया, किरीट 170, 174, 449, 457
स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986, 149, 155
स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956, 106
स्वच्छ मुंबई अभियान 3
स्वच्छ मुम्बई—हरी-भरी मुम्बई 384
स्वतन्त्रता की स्वर्ण जयंती 252
'स्वराज' 112
स्वराज, सुषमा 21, 260
स्वैच्छिक वियोजन योजना 271
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 271, 275, 294-95
हरिजन 112
हलीम, हाशिम अब्दुल 71
हल्दनकर, नरहरि 53
हाओकिप, टी.एन. 53
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, 155
हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956, 155
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, 149
हुमायूं कबीर 27
हेज़, फिलिप डेनियल 195-96
हेपतुल्ला, नज़मा 28

पर्यावरण संरक्षण

यह धारणा व्यापक रूप से बलवती हो रही है कि आर्थिक वृद्धि रूपी इमारत दूषित पर्यावरण की कमजोर नींव पर अधिक समय तक खड़ी नहीं रह सकती। पर्यावरण पर विचार किए बिना औद्योगिक विकास, गंभीर पर्यावरणीय नुकसान का कारण बन सकता है और इस प्रकार वर्तमान और आगामी पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता को विनष्ट कर सकता है... महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सही नीतियां और कार्यक्रम अपनाएं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि औद्योगीकरण करने के दौरान अपने पर्यावरण की विशुद्धता नष्ट न होने पावे।

महिला सशक्तीकरण

विकास की कोई भी रणनीति, जो महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने की जरूरत को नजरअंदाज करे, व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास का हेतु नहीं बन सकती। इसलिए, यह अत्यावश्यक है कि हम विकास की पूरी प्रक्रिया के लिए महिलाओं की भूमिका को एक मूल्यवान और ताकतवर कारक के रूप में पहचानें... जब तक हम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने और ऊपर उठाने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाते, समय-समय पर अपनायी जाने वाली नीतियां और कार्यक्रम केवल खोखली उद्घोषणाएं बनकर रह जाएंगे और हमारे संविधान में उल्लिखित 'समानता' मात्र एक आलंकारिक प्रावधान ही बनी रहेगी।

सुशासन

शासन को व्यापक रूप से राष्ट्र के मामलों का प्रबंध करने के लिए राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक प्राधिकार के प्रयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब यह माना जा चुका है कि सुशासन में कई महत्वपूर्ण घटक अवश्य शामिल होने चाहिएं। इसे भागीदारीपूर्ण, सम्मतिपरक, उत्तरदायी, पारदर्शी, प्रतिक्रियाशील, प्रभावी और कार्यकुशल, न्यायसंगत और अन्तर्वेशी होना चाहिए तथा इसे विधिशासनबद्ध भी अवश्य होना चाहिए। इसमें वंचितों के मत पर भी ध्यान दिया जाता है और निर्णय लेने के दौरान समाज के सबसे कमजोर वर्ग की आवाज भी सुनी जाती है।

अनिवासी भारतीय

हम मानते हैं कि विश्वभर में बसे अनिवासी भारतीय विशेषज्ञता, कौशल और उद्यमशीलता के मामले में एक सुस्थापित शक्ति हैं जो कि राष्ट्र निर्माण के कार्य में शामिल किये जाने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं... विश्वभर में फैले 2 करोड़ से अधिक के भारतीय समुदाय ने भूमंडल के सभी कोनों में इस देश की उपस्थिति महसूस कराने में अत्यधिक योगदान किया है।

मूल्य : ४००.०० रुपये

प्रमुख : माननीय श्री. बाळासाहेब
यांचा
प्रमुख पाहुणे
दिवाकर